

सिविल सर्विसेज़

# क्रॉनिकल

1990 से आईएएस अभ्यर्थियों की नं. 1 पत्रिका



₹495/-

## विशेषांक-2 सामान्य अध्ययन दृष्टिकोण

सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा : 31 अति महत्वपूर्ण विषय

● इतिहास एवं संस्कृति ● भूगोल ● राजव्यवस्था ● अर्थव्यवस्था ● पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी ● विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी  
वर्ष 2022-23 की आईएएस और पीसीएस परीक्षाओं के प्रश्नों के अनुरूप विषयों का चयन

- वैदिक सभ्यता : सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक व्यवस्था
- अशोक के शिलालेख
- प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत की सिक्का प्रणाली
- मुगलकालीन भू-राजस्व प्रणाली
- मुगलकाल में कला, वास्तुकला एवं साहित्य का विकास
- भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान ब्रिटिश प्रस्ताव एवं मिशन
- प्राथमिक, माध्यमिक एवं तृतीयक पवन प्रणालियां
- खनिजों के भंडार तथा उत्पादन : भारत एवं विश्व
- प्रमुख महासागरीय धाराएं
- भारत की मृदाएं : वर्गीकरण एवं विशेषताएं
- भारत में जनजातियों का वितरण
- भारत में पर्वत शृंखलाएं एवं दर्रे
- भारत के राष्ट्रपति : निर्वाचन एवं शक्तियां
- महत्वपूर्ण संवैधानिक निकाय
- भारत में अभियुक्त व्यक्तियों के अधिकार
- लोक सभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष
- भारत में न्यायिक समीक्षा
- अनुसूचित क्षेत्र एवं जनजातीय क्षेत्र : मानदंड एवं प्रशासन
- न्यूनतम समर्थन मूल्य : कवरेज एवं तंत्र
- भारत की कनेक्टिविटी परियोजनाएं : घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय
- भुगतान संतुलन
- महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थान
- विरासत पर्यटन : भारत में शीम आधारित सर्किट
- जैव-विविधता तथा वन्यजीव संरक्षण : अंतरराष्ट्रीय कानून एवं अभिसमय
- प्रमुख वायु एवं जल प्रदूषक
- भारत एवं विश्व में प्रवाल भित्तियां
- वैकल्पिक ईंधन
- पर्यावरण एवं जैव-विविधता : महत्वपूर्ण टर्मिनोलॉजी
- ब्रह्मांडीय पिंड एवं परिघटनाएं
- कृषि में उभरती प्रौद्योगिकियों के अनुप्रयोग
- भारत की स्वदेशी मिसाइल प्रौद्योगिकियां

### विशेष आलेख

- भारत का G20 नेतृत्व
- हिंद-महासागरीय क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा चुनौतियां
- डिजिटल समावेशन
- वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन
- भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक कॉरिडोर
- 106वां संविधान संशोधन अधिनियम

69वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा

महत्वपूर्ण वनलाइनर तथ्य

संसद प्रश्नोत्तरी

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य : वनलाइनर रूप में

पत्रिका सार - सितंबर 2023

योजना, कुरुक्षेत्र एवं विज्ञान प्रगति

*Heartiest Congratulations*

to all candidates selected in CSE 2022

**39 IN TOP 50 SELECTIONS IN CSE 2022**

from various programs of VISIONIAS

हिन्दी माध्यम  
में 40+ चयन

- हिन्दी माध्यम टॉपर -

**1**  
AIR



**ISHITA  
KISHORE**

**2**  
AIR



**GARIMA  
LOHIA**

**3**  
AIR



**UMA  
HARATHIN**

**66**  
AIR



**KRITIKA  
MISHRA**



**YOU CAN  
BE NEXT**

**लाइव/ऑनलाइन व ऑफलाइन कक्षाएं**



**कोई क्लास न छूटे**

रिकार्डेड क्लासेस, मिनी टेस्ट, डेली  
असाइनमेंट और अध्ययन सामग्री  
के साथ पूर्णतः रिवीजन करें

**व्यक्तित्व परीक्षण कार्यक्रम**  
सिविल सेवा परीक्षा



★ Vision IAS के वरिष्ठ संकाय सदस्यों के साथ DAF  
विश्लेषण सेशन  
★ पूर्व-प्रशासनिक अधिकारियों/शिक्षाविदों के साथ मॉक  
इंटरव्यू सेशन

**20 अक्टूबर**

**CSAT क्लासेस 2024**



विश्लेषणात्मक कौशल, तार्किक तर्क,  
समझ, सामान्य मानसिक क्षमता  
और बुनियादी संख्यात्मकता की  
गहन समझ।


**13 सितंबर, 5 PM**

**मासिक समसामयिकी**  
**रिवीजन 2024**



सामान्य अध्ययन  
(प्रारंभिक + मुख्य परीक्षा)  
सभी करेंट अफेयर्स की विस्तृत  
विषय-वार अद्यतन प्रासंगिक समझ।

**प्रवेश प्रारंभ**



**फाउंडेशन कोर्स**  
**सामान्य अध्ययन**

**2025, 2026 & 2027**

प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा  
60 प्री फाउंडेशन कक्षाएं

NCERT और मूलभूत किताबों से मुख्य अवधारणाओं पर ध्यान  
केंद्रित करने और आपकी तैयारी की नींव मजबूत करने के लिए

**DELHI: 21 नवंबर, 9 AM**

**BHOPAL: 10 जनवरी, 9 AM | LUCKNOW: 10 जनवरी, 9 AM**

GS फाउंडेशन कोर्स 2024

**2024 DELHI: 5 सितंबर**

**JAIPUR: 1 सितंबर**

**SIKAR: 4 सितंबर**

**JODHPUR: 11 सितंबर**

**LUCKNOW: 22 जून**

**अभ्यास ही सफलता**  
**की चाबी है**



VisionIAS प्रारंभिक/मुख्य टेस्ट  
सीरीज हर 3 में से 2 सफल  
उम्मीदवारों द्वारा चुना गया

+ सामान्य अध्ययन + निबंध + दर्शनशास्त्र

**दक्ष मुख्य परीक्षा**  
**मेंटरिंग कार्यक्रम 2024**



**28 सितंबर | 12 अक्टूबर**

**DELHI** • 1<sup>st</sup> Floor, Apsara Arcade, Near Metro Gate 6, 1/8 B, Pusa Road, Karol Bagh  
• Contact : 8468022022, 9019066066

AHMEDABAD | BHOPAL | CHANDIGARH | GUWAHATI | HYDERABAD | JAIPUR | JODHPUR | LUCKNOW | PRAYAGRAJ | PUNE | RANCHI | SIKAR

87

## प्रारंभिक परीक्षा सामान्य अध्ययन दृष्टिकोण विशेषांक-2

### सामयिक आलेख

- 06 भारत का G20 नेतृत्व : समावेशी विश्व व्यवस्था के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव
- 09 डिजिटल समावेशन : आधुनिक एवं सशक्त समाज के निर्माण हेतु आवश्यक
- 12 हिंद महासागरीय क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा चुनौतियां : क्षेत्रीय शांति एवं स्थिरता हेतु राष्ट्रों के बीच अधिक सहयोग की आवश्यकता

### इन फोकस

- 15 106वां संविधान संशोधन अधिनियम : लैंगिक समानता एवं सशक्तीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम
- 16 भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा : अवसरचक्रात्मक कनेक्टिविटी तथा आर्थिक एकीकरण का एक बेहतर विकल्प
- 18 वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन : नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में नए मंच का महत्व एवं चुनौतियां

### नियमित स्तंभ

#### राष्ट्रीय परिदृश्य ..... 20-27

- 20 सुप्रीम कोर्ट का राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड के साथ एकीकरण
- 21 पुलिस ब्रीफिंग पर मैनुअल बनाने का सुप्रीम कोर्ट का निर्देश
- 21 सुब्रमण्यम स्वामी वाद के निर्णय का पूर्वव्यापी प्रभाव
- 22 सागर परिक्रमा चरण-VIII
- 22 स्वच्छता ही सेवा अभियान 2023
- 23 आयुष्मान भव अभियान
- 23 क्षमता निर्माण योजना
- 24 मानक क्लबों की स्थापना
- 24 'ट्रेवल फॉर लाइफ' अभियान
- 24 जेल सुधारों पर सुप्रीम कोर्ट की समिति
- 25 सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम [AFSPA],
- 26 केबल टेलीविजन नेटवर्क नियमों में संशोधन
- 26 प्रतिबंधित संगठनों को मंच न प्रदान करने की सलाह

79

पत्रिका सार : सितंबर 2023  
योजना, कुरुक्षेत्र एवं विज्ञान प्रगति

85

संसद प्रश्नोत्तरी  
प्रारंभिक परीक्षा तथ्य : वनलाइनर रूप में

148

69वीं बीपीएससी प्रा. परीक्षा  
महत्वपूर्ण वनलाइनर तथ्य

#### सामाजिक परिदृश्य ..... 28-33

- 28 उच्चतर शिक्षा में 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 का कार्यान्वयन' रिपोर्ट
- 28 स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया-2023 रिपोर्ट
- 29 इंडिया एजिंग रिपोर्ट : 2023
- 29 श्रेयस नेशनल फेलोशिप योजना
- 29 'CRIIIO 4 गुड' मॉड्यूल का शुभारंभ
- 30 दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा आरंभ की गई पहलें
- 30 अमान्य विवाह से जन्मे बच्चों का पैतृक संपत्ति पर अधिकार
- 30 जनजातियों की जनसंख्या, स्वास्थ्य और पोषण प्रोफाइल
- 31 आयुष्मान भारत अभियान तथा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन
- 31 ट्रेकिंग यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज: 2023 ग्लोबल मॉनिटरिंग रिपोर्ट
- 32 मनरेगा तथा सामाजिक लेखा-परीक्षा इकाइयों की स्थिति
- 32 अर्बनशिफ्ट एशिया फोरम

#### विरासत एवं संस्कृति ..... 34-38

- 34 भारत के नए विश्व विरासत स्थल
- 35 पुरातत्व संरक्षण से संबंधित ASI की विभिन्न पहलें
- 35 पश्चिम बंगाल का राज्य गान
- 36 जी-20 सम्मेलन में जनजातीय शिल्प कौशल का प्रदर्शन
- 36 चौंसठ योगिनी मंदिर
- 37 दिव्य कला मेला
- 37 वैशाली फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी
- 37 संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार

#### आर्थिक परिदृश्य ..... 39-51

- 39 नेटवर्किंग एवं दूरसंचार उपकरण विनिर्माण : TRAI की सिफारिशें

- 40 सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहन  
40 भारत-यूनाइटेड किंगडम इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस ब्रिज  
40 राष्ट्रीय अंतर्देशीय जलमार्गों के विकास एवं विस्तार पर रिपोर्ट  
41 इंडियन सेल्यूलर एंड इलेक्ट्रॉनिक एसोसिएशन की चक्रीय अर्थव्यवस्था पर रिपोर्ट  
41 खाद्य मुद्रास्फीति से निपटने के विकल्पों पर अध्ययन  
41 इंडिया क्लस्टर पैनोरमा रिसर्च पेपर-2023  
42 'एडवांस्ड मैनुफैक्चरिंग: ए न्यू नैरेटिव' दस्तावेज  
42 विलफुल डिफॉल्टर्स एवं लार्ज डिफॉल्टर्स के साथ व्यवहार संबंधी दिशा-निर्देश  
42 बड़े निगमों को ऋण बाजार से धान प्राप्त करने के नियमों में सुगमता बेसल-III कैपिटल फ्रेमवर्क  
43 बैंकिंग प्रणाली में पिछले 4 वर्षों में तरलता में सर्वाधिक कमी यूपीआई के तहत नवीन पहलों का शुभारंभ  
43 यूपीआई आधारित क्यूआर कोड-सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी  
44 15 एनबीएफसी अतिरिक्त नियामकीय व्यवस्था के अधीन पेटेंट (संशोधन) नियम-2023 मसौदा  
44 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों पर ICRIER का सर्वेक्षण  
45 भारत द्वारा गैर-बासमती चावल के निर्यात पर प्रतिबंध : WTO में आपत्ति  
45 भारतीय रिजर्व बैंक के वित्तीय समावेशन सूचकांक में सुधार  
46 आर्थिक अपराधियों से 1.8 अरब डॉलर से अधिक की संपत्ति बरामद  
46 धान शोधन निवारण (अभिलेखों का रख-रखाव) नियम, 2005 में संशोधन  
47 पुरानी पेंशन योजना पर रिजर्व बैंक की सलाह  
47 राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति : मुख्य विशेषताएं एवं प्रगति

## अंतरराष्ट्रीय संबंध एवं संगठन ..... 52-60

- 52 मानवाधिकार पर एशिया प्रशांत फोरम  
52 20वां आसियान-भारत शिखर सम्मेलन तथा 18वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन  
53 5वां विश्व कॉफी सम्मेलन  
54 अंतरराष्ट्रीय व्यापार कानून पर संयुक्त राष्ट्र आयोग-दक्षिण एशिया सम्मेलन  
54 किसानों के अधिकारों पर वैश्विक संगोष्ठी  
55 G77 प्लस चीन शिखर सम्मेलन  
55 वैश्विक नवाचार सूचकांक-2023  
55 विश्व खाद्य कार्यक्रम की हंगरमैप लाइव रिपोर्ट  
56 'प्रोग्रेस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स: जेंडर्स स्नैपशॉट- 2023'  
56 विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का ड्राफ्ट लीगल इंस्ट्रूमेंट  
57 भारत-सऊदी अरब रणनीतिक साझेदारी परिषद की प्रथम बैठक  
60 नागार्नो-कराबाख क्षेत्र  
60 साहेल क्षेत्र

## पर्यावरण एवं जैव विविधता ..... 61-67

- 61 वायु गुणवत्ता जीवन सूचकांक 2023  
62 प्लास्टिक प्रदूषण से संबंधित वैश्विक संधि का मसौदा  
62 हीटवेव के कारण ओजोन प्रदूषण  
62 कार्बन बजट में उचित हिस्सेदारी  
63 कार्बन उत्सर्जन एवं मानव पर इसके प्रभाव  
63 जलवायु से बच्चों की सुरक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र समिति के दिशा-निर्देश  
64 भारत के हाथी गलियारों पर रिपोर्ट  
64 आक्रामक विदेशी प्रजातियों पर रिपोर्ट  
65 यूरोपीय बम्बलबी की प्रजातियों पर खतरा

- 65 हिमालयी राज्यों में स्थित शहरों की वहन क्षमता  
65 इंटेलेजेंट वॉटर बॉडी मैनेजमेंट सिस्टम प्रोजेक्ट : तमारा

## विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी ..... 68-78

- 68 गुजरात में वैनेडियम धातु की खोज  
69 'ओसीरिस-रेक्स' मिशन द्वारा कैप्सूल में एकत्रित नमूनों की वापसी  
69 CE20 E13 इंजन  
70 'प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान' के कार्यान्वयन पर रिपोर्ट  
70 विश्व स्वास्थ्य संगठन की उच्च रक्तचाप रिपोर्ट  
70 इन्वर्स वैक्सीन का विकास  
71 रोगाणुरोधी प्रतिरोध पर आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन की रिपोर्ट  
71 फार्मा मेडटेक क्षेत्र हेतु राष्ट्रीय नीति एवं योजना  
71 प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल के खरीद को मंजूरी  
72 मोनोक्लोनल एंटीबॉडी की ऑस्ट्रेलिया से खरीद  
72 सरकार सभी उपकरणों में 'नाविक' को अनिवार्य बनाएगी  
73 जेनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तथा नौकरियां  
73 मसौदा राष्ट्रीय रोबोटिक्स रणनीति जारी  
74 टेराहर्ट्ज रेज में मांग सृजन को सुगम बनाने हेतु TRAI का परामर्श पत्र  
74 भवनों में डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए रेटिंग फ्रेमवर्क पर विनियमन  
74 हाइब्रिड नैनोकणों के उपयोग से कैंसर का इलाज

## लघु सचिका ..... 150-153

## राज्यनामा ..... 154-156

## खेल परिदृश्य ..... 157-158

## समसामयिक प्रश्न ..... 159-160

## वन लाइनर ..... 161-162

संपादक : एन.एन. ओझा  
सहायक संपादक : सुजीत अवस्थी  
अध्यक्ष : संजीव नन्दक्योलियार  
उपाध्यक्ष : कीर्ति नंदिता

संपादकीय : 9582948817, cschindi@chronicleindia.in  
विज्ञापन : 9953007627, advt@chronicleindia.in  
सदस्यता : 9953007628/29, subscription@chronicleindia.in  
प्रसार : 9953007630/31, circulation@chronicleindia.in  
ऑनलाइन सेल : 9582219047, onlinesale@chronicleindia.in  
व्यावसायिक कार्यालय : क्रॉनिकल पब्लिकेशन्स प्रा. लि.  
ए-27 डी, सेक्टर-16, नोएडा-201301  
Tel.: 0120-2514610-12, info@chronicleindia.in

क्रॉनिकल पब्लिकेशन्स प्रा. लि.: प्रकाशित लेखों में लेखकों के विचार अपने हैं। उनसे संपादक का सहमत या असहमत होना जरूरी नहीं है। संपादक की लिखित अनुमति के बिना इस पत्रिका में प्रकाशित किसी भी सामग्री को उद्धृत या उसका अनुवाद नहीं किया जा सकता। पाठकों से अनुरोध है कि पत्रिका में छपे किसी भी विज्ञापन की सूचना की जांच स्वयं कर लें। सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल, विज्ञापनों में प्रकाशित दावों के लिए किसी प्रकार जिम्मेदार नहीं है। किसी भी विवाद का न्यायिक क्षेत्र दिल्ली होगा।

क्रॉनिकल पब्लिकेशन्स प्रा.लि. के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक-मृगाल ओझा द्वारा एच-31, प्रथम तल ग्रीन पार्क एक्सटेंशन, नयी दिल्ली-110016, से प्रकाशित एवं इम्प्रेशन प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, प्लॉट नंबर C-18-19-20-21, सेक्टर-59, नोएडा-201301 से मुद्रित- संपादक एन.एन. ओझा

# भारत का G20 नेतृत्व

## समावेशी विश्व व्यवस्था के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव

• डॉ. अमरजीत भार्गव

सभी सदस्य देशों द्वारा 'नई दिल्ली घोषणा-पत्र' को एकमत से स्वीकार किए जाने से यह तथ्य स्पष्ट होता है कि भारत, इस सम्मेलन में बड़ी शक्तियों के बीच मतभेद को समाप्त करने में सक्षम रहा है। गौरतलब है कि पिछले वर्ष के G20 सम्मेलन के बाद से ही विश्व की महाशक्तियों के बीच मतभेद काफी बढ़ गए थे। G20 की भारत की अध्यक्षता तथा इसकी सफलता से यह सिद्ध होता है कि "भारत विश्व के लिए तथा विश्व भारत के लिए तैयार है"।

9-10 सितंबर, 2023 तक नई दिल्ली के 'भारत मंडपम अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी-कन्वेंशन सेंटर' (IECC) में 18वां G20 शिखर सम्मेलन-2023 आयोजित किया गया। यह भारत के साथ-साथ दक्षिण एशिया में आयोजित होने वाला पहला G20 शिखर सम्मेलन था। इस वर्ष की बैठक की थीम 'वसुधैव कुटुम्बकम्' अथवा 'एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य' थी।



दने के लिए 'वित्तीय समावेशन कार्य योजना' (Financial Inclusion Action Plan) तैयार की जाएगी।

\* सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में प्रगति में तेजी लाना: सदस्य देशों ने स्वीकार किया है कि खाद्य मूल्य में अस्थिरता से बचने एवं इसमें अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए 'कृषि

बाजार सूचना प्रणाली' (AMIS) तथा 'युप ऑन अर्थ ऑब्जर्वेशन ग्लोबल एग्रीकल्चर मॉनिटरिंग' (GEOGLAM) को मजबूत किया जाना चाहिए।

- \* यह शिखर सम्मेलन 'नई दिल्ली घोषणा-पत्र' (New Delhi Declaration) को अपनाते के साथ समाप्त हुआ, जिसे सभी सदस्य देशों द्वारा सर्वसम्मति से अपनाया गया। यूक्रेन संकट पर अपनाए गए रुख पर रूस और चीन दोनों की सहमति को देखते हुए यह भारत के लिए एक बड़ी कूटनीतिक जीत है।
- \* शिखर सम्मेलन में अनेक नवीन वैश्विक पहलों को आरंभ किया गया, जो आने वाले समय में वैश्विक परिदृश्य पर व्यापक प्रभाव छोड़ने की क्षमता रखती हैं।
- \* इस वर्ष के G20 शिखर सम्मेलन की सफलता भारत को विश्व की विभिन्न जटिल आर्थिक एवं राजनीतिक चुनौतियों से निपटने के लिए एक सामूहिक दृष्टिकोण का नेतृत्व करने के साथ-साथ विकासशील विश्व की आकांक्षाओं को मंच पर सबसे आगे रखने का एक अनूठा अवसर प्रदान करती है।
- \* इतना ही नहीं, नई दिल्ली घोषणा-पत्र पर सामूहिक सहमति तथा अन्य उपलब्धियों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि वर्तमान सम्मेलन समावेशी वैश्विक व्यवस्था के सपने को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण होगा।

### शिखर सम्मेलन के महत्वपूर्ण परिणाम

- ✓ नई दिल्ली घोषणा-पत्र
- \* सम्मेलन के समापन के अवसर पर 'नई दिल्ली घोषणा-पत्र' (New Delhi Declaration) को अपनाया गया। इस घोषणा-पत्र के मुख्य बिंदुओं को निम्नलिखित रूप में समझा जा सकता है-
- \* मजबूत, सतत, संतुलित और समावेशी वृद्धि: घोषणा-पत्र में वैश्विक मूल्य-शृंखलाओं की पहचान के लिए एक व्यापक फ्रेमवर्क तैयार किए जाने की बात की गई है।
  - सदस्य देशों के आपसी सहयोग से व्यक्तियों और एमएसएमई (MSMEs) के वित्तीय समावेशन को तीव्र गति से बढ़ावा

- \* सतत भविष्य के लिए हरित विकास समझौता: विकासशील देशों को विशेष रूप से उनके राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदानों को लागू करने के लिए वर्ष 2030 से पूर्व 5.3 से 5.9 ट्रिलियन डॉलर राशि की आवश्यकता होगी। इस प्रकार, संभावित हरित विकास समझौता आवश्यक वित्त की भरपाई करने में सक्षम होगा।
- \* 21वीं सदी के लिए बहुपक्षीय संस्थाएं: घोषणा-पत्र में सदस्य देशों के मध्य पहली बार 'संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद' (UNSC) में सुधार से संबंधित 'UNGA 75/1' पर व्यापक सहमति बनी है।
  - इसी प्रकार, सभी देश बहुपक्षीय विकास बैंक (Multilateral Development Banks) पूंजी पर्याप्तता फ्रेमवर्क (Capital Adequacy Framework) पर G20 की स्वतंत्र समीक्षा की सिफारिशों को लागू करने के लिए एक रोडमैप पर सहमत हुए हैं।
- \* तकनीकी रूपांतरण और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर: सदस्य देशों की सहमति से डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) के विकास और उपयोग में सर्वोत्तम पद्धतियों तथा अनुभवों को साझा करने के लिए ग्लोबल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोजिटरी (Global Digital Public Infrastructure Repository) का निर्माण किया जाएगा।
  - क्रिप्टो-परिसंपत्तियों के लिए एक समन्वित एवं व्यापक 'नीतिगत तथा विनियामक फ्रेमवर्क' (Policy and Regulatory Framework) का समर्थन करने हेतु संयुक्त रोडमैप तैयार करने पर भी सहमति का निर्माण हुआ है।

- \* **अंतरराष्ट्रीय कराधान:** इस घोषणा-पत्र में 'अंतरराष्ट्रीय कर पैकेज के द्वि-स्तंभों' (Twin-Pillars) के प्रति प्रतिबद्धता की पुष्टि की गई है। इन दो स्तंभों में लाभ आवंटन एवं गठजोड़ (Profit Allocation and Alliances) तथा वैश्विक न्यूनतम कराधान (Global Minimum Taxation) शामिल हैं।
- \* **लैंगिक समानता तथा सभी महिलाओं एवं लड़कियों को सशक्त बनाना:** वैश्विक स्तर पर लैंगिक समानता एवं महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा देने के लिए 'महिला सशक्तीकरण पर एक पूर्ण कार्य समूह' को गठित किए जाने का समर्थन किया गया है।
- \* **पृथ्वी ग्रह : लोग, शांति और समृद्धि के लिए राह बनाना:** वैश्विक अर्थव्यवस्था पर रूस-यूक्रेन युद्ध के प्रतिकूल प्रभाव का समाधान किया जाएगा। इसके अलावा, घोषणा में सभी देशों ने यूक्रेन में व्यापक न्याय-संगत और स्थायी शांति का समर्थन करने वाली रचनात्मक पहल का स्वागत किया है।
- \* **पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए गोवा रोडमैप:** दिल्ली घोषणा-पत्र में सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के साधन के रूप में पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए 'गोवा रोडमैप' (Goa Roadmap) के महत्व को रेखांकित किया गया है।
  - इस रोडमैप में पर्यटन से संबंधित पांच प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की गई है। इनमें हरित पर्यटन, डिजिटलीकरण, कौशल विकास, पर्यटन एमएसएमई (Tourism MSME) और गंतव्य प्रबंधन शामिल हैं।
- ✓ **भारत-मध्य पूर्व-यूरोप गलियारा (IMEC)**
- \* 9 सितंबर, 2023 को G20 की बैठक के दौरान 'भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे' (IMEC) की स्थापना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।
- \* IMEC की कल्पना परिवहन गलियारों (रेलवे लाइंस, विद्युत केबल और एक स्वच्छ हाइड्रोजन पाइपलाइन और हाई स्पीड डेटा केबल) का एक नेटवर्क तैयार करने के लिए की गई है।
- ✓ **ग्लोबल बायोफ्यूल एलायंस**
- \* 'ग्लोबल बायोफ्यूल एलायंस' (Global Biofuel Alliance: GBA) का उद्देश्य जैव-ईंधन के उपयोग की दिशा में आगे बढ़ने और इसे व्यापक तौर पर अपनाने के लिए वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देने वाले मंच के रूप में कार्य करना है।
- \* जीबीए के सदस्यों में 19 देश और 12 अंतरराष्ट्रीय संगठन शामिल हैं।
- ✓ **G20 समूह में अफ्रीकी संघ का शामिल होना**
- \* सम्मेलन के प्रथम दिन 9 सितंबर, 2023 को 55 देशों वाले अफ्रीकी संघ (AU) को G20 की स्थायी सदस्यता प्रदान की गई।
- \* अफ्रीकी संघ (AU) की स्थापना वर्ष 2002 में दक्षिण अफ्रीका के डरबन में की गई थी।
  - इस संघ की स्थापना का उद्देश्य अफ्रीकी देशों के मध्य एकजुटता और सौहार्द्र स्थापित करना तथा उनके राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक एकीकरण में तेजी लाना है।
- \* **अफ्रीकी संघ को शामिल करने का महत्व:** इससे G20 को और अधिक प्रतिनिधिक संगठन बनाने में मदद मिलेगी। अफ्रीकी संघ के शामिल होने से अब यह समूह वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 88.9% और वैश्विक जनसंख्या के लगभग 78.9% का प्रतिनिधित्व करेगा।

- इसी प्रकार, अफ्रीकी संघ के अधिकांश देश ग्लोबल साउथ (GS) के भी देश हैं। अफ्रीकी संघ को सम्मिलित करने से बहुपक्षीय मंचों पर ग्लोबल साउथ के पक्ष को मजबूती मिल सकेगी। इससे, अफ्रीका में चीन के प्रभाव को प्रति-संतुलित करने में भी मदद मिलेगी।

### G20 समूह

- G20 की स्थापना वर्ष 1999 में 1997-98 के वैश्विक आर्थिक संकट की प्रतिक्रिया में की गई थी। यह 19 देशों, यूरोपीय संघ तथा अफ्रीकी संघ का एक अनौपचारिक समूह है, जिसमें अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक के प्रतिनिधि भी शामिल हैं।
- **सदस्य देश:** G20 के सदस्य अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ एवं अफ्रीकी संघ हैं।
- **उद्देश्य:** G20 सभी प्रमुख अंतरराष्ट्रीय आर्थिक मुद्दों के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता, जलवायु परिवर्तन शमन तथा सतत विकास संबंधी मुद्दों को संबोधित करने का कार्य करता है।
- G20 शिखर सम्मेलन की संरचना शेरपा ट्रैक तथा वित्त ट्रैक के रूप में समझी जा सकती है:
  - **शेरपा ट्रैक:** सदस्य देशों के शेरपा निजी नेताओं के निजी दूत के रूप में कार्य करते हैं। इनके द्वारा वर्ष भर की सभी वार्ताओं की देखरेख की जाती है, वे शिखर सम्मेलन के एजेंडे पर चर्चा करते हैं तथा G20 के महत्वपूर्ण कार्यों का समन्वय करते हैं।
  - **वित्त ट्रैक:** इसका नेतृत्व वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नर करते हैं, जो आम तौर पर साल में चार बार मिलते हैं, जिनमें से दो बैठकें विश्व बैंक/अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की बैठकों के मौके पर होती हैं।
  - **ट्रोइका:** G20 के पास कोई चार्टर या सचिवालय नहीं है। प्रेसीडेंसी को ट्रोइका द्वारा समर्थित किया जाता है; जिसमें पिछले, वर्तमान और आने वाले अध्यक्ष देश शामिल होते हैं।
  - वर्ष 2023 के ट्रोइका में इंडोनेशिया, भारत और ब्राजील शामिल थे। इसका अर्थ है कि वर्ष 2022 एवं 2023 में G20 बैठक की अध्यक्षता क्रमशः इंडोनेशिया एवं भारत द्वारा की गई है, जबकि आने वाली बैठक की मेजबानी 2024 में ब्राजील द्वारा की जाएगी।

### ✓ वैश्विक कौशल अंतरालों के मापन हेतु संकेतक निर्धारित करने का निर्णय

- \* G20 बैठक के परिदृश्य में अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) तथा आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन (OECD) ने वैश्विक कौशल अंतरालों की निगरानी एवं मापन हेतु संकेतक प्रस्तावित किए हैं।
- \* इन संकेतकों पर G20 सदस्य देशों ने भी सहमत व्यक्ति की है। 'G20 रोजगार कार्य समूह' (G20 Employment Working Group) द्वारा कौशल विसंगति को समाप्त करने के लिए अग्रलिखित सुझाव दिए हैं:

- एक व्यापक वैश्विक कौशल वर्गीकरण (Skill Classification) विकसित किया जाना चाहिए।
- डेटा उत्पन्न करने, एकत्र करने, उपयोग करने और प्रसारित करने के लिए संस्थागत प्लेटफॉर्म (Institutional Platforms) का सृजन किया जाना चाहिए तथा इस क्षेत्र में उपयुक्त क्षमता विकसित की जानी चाहिए।
- वर्तमान श्रम बाजार की जानकारी को विकसित करने और पूरक बनाने के लिए बिग डेटा एनालिसिस तथा मशीन लर्निंग आदि का उपयोग किया जाना चाहिए।

### समावेशी विश्व व्यवस्था के निर्माण में 18वीं G20 बैठक का महत्व

- \* **त्वरित, समावेशी और लचीले विकास पर बल:** वर्तमान बैठक में उन पहलों पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जो संरचनात्मक परिवर्तनों को बढ़ावा दे सकती हैं। उदाहरण के लिए- अंतरराष्ट्रीय व्यापार में लघु एवं मध्यम आकार के व्यवसायों को सहायता करना, श्रम अधिकारों एवं कल्याण को बढ़ावा देना, वैश्विक कौशल अंतर को संबोधित करना तथा समावेशी कृषि मूल्य शृंखलाओं का निर्माण करना।
- \* **वैश्विक शक्तियों के मध्य सहयोग:** दिल्ली घोषणा-पत्र पर सभी देशों की आम सहमति न केवल भारत बल्कि वैश्विक परिदृश्य के लिए भी महत्वपूर्ण है। जलवायु परिवर्तन, रूस-यूक्रेन युद्ध तथा अन्य वैश्विक विवाद के सभी मुद्दों पर सदस्य देशों की सहमति लचीली विश्व व्यवस्था के निर्माण में सहायक होगी।
- \* **G20 का वैश्विक उभार:** 18वें G20 शिखर सम्मेलन में अफ्रीकन यूनियन (AU) को शामिल किए जाने से G20 समूह का स्वरूप वैश्विक हो गया है। सकल घरेलू उत्पाद एवं अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से यह विश्व के सबसे महत्वपूर्ण एवं अग्रणी समूहों में से एक बन गया है।
- \* **SDG पर प्रगति में तेजी लाना:** जी-20 बैठक में सतत विकास एजेंडा-2030 में उल्लिखित लक्ष्यों को प्राप्त करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है। इससे समावेशी विश्व व्यवस्था के निर्माण में मदद मिलेगी।
- \* **21वीं सदी के लिए बहुपक्षीय संस्थाएं:** इस शिखर सम्मेलन में वैश्विक संस्थानों में सुधार लाने तथा उन्हें इक्कीसवीं सदी की चुनौतियों से निपटने में अधिक सक्षम, जवाबदेह, समावेशी और प्रतिनिधिक बनाने के विचार को व्यापक बल मिला है।
- \* **तकनीकी परिवर्तन और डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा:** सम्मेलन में प्रौद्योगिकी के मानव-केंद्रित दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करने पर बल दिया गया। साथ ही, वित्तीय समावेशन, डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे तथा कृषि एवं शिक्षा जैसे क्षेत्रों में तकनीक-सक्षम विकास को बढ़ावा देने की बात स्वीकार की गई है।
- \* **महिला-नेतृत्व विकास:** वैश्विक स्तर पर लैंगिक असमानताओं को संबोधित करने तथा सामाजिक-आर्थिक विकास की प्रक्रिया को अधिक समावेशी बनाने के लिए महिला सशक्तीकरण एवं उनके प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है।

### G20 की अध्यक्षता से भारत को क्या हासिल हुआ है?

- \* **डिजिटल गतिविधियों को बढ़ावा:** डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे में अग्रणी देश के रूप में भारतीय यूपीआई और

इंडिया स्टैक (UPI and India Stack) को अपनाने से फिनटेक, उद्यमिता एवं संबंधित व्यवसायों को बढ़ावा मिलेगा।

- \* **ग्लोबल साउथ के लीडर के रूप में उभार:** G20 के दिल्ली शिखर सम्मेलन में अफ्रीकी संघ (AU) के शामिल होने से ग्लोबल साउथ के लीडर के रूप में भारत की स्थिति मजबूत हुई है।
- \* **भारत-अफ्रीका संबंधों में नई गति:** भारत की अफ्रीका तक पहुंच में पिछले दशकों में कई उतार-चढ़ाव देखे गए हैं। अफ्रीकी यूनियन को शामिल करना भारतीय कूटनीति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध होगा।
- \* **आर्थिक प्रगति में सहायक:** भारत एक तीव्र गति से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में G20 समूह में महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। इस शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता से भारत को अन्य सदस्य देशों (विशेषकर ब्राजील एवं अमेरिका) के साथ अपने आर्थिक संबंधों को मजबूत करने में मदद मिली है।
- \* **जलवायु परिवर्तन पर भारत का नेतृत्व:** भारत जलवायु कार्रवाई का प्रबल समर्थक रहा है। भारत की वर्तमान अध्यक्षता से जलवायु परिवर्तन के इस वैश्विक मुद्दे पर अंतरराष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करने में सफलता मिली है।
- \* **समावेशी वैश्विक विकास को बढ़ावा:** भारत अपनी अध्यक्षता में समावेशी विकास को प्राथमिकता देते हुए बुनियादी ढांचे के विकास, रोजगार सृजन और महिला सशक्तीकरण जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर वैश्विक ध्यान आकर्षित करने में सफल रहा है।

### G20 सम्मेलन में प्रदर्शित जनजातीय कलाकृतियां

- **पिथौरा चित्रकारी:** यह चित्रकारी गुजरात के राठवा, भील, नायक और ताड़ी जनजातियों द्वारा बनाई जाती है। यह गुजरात के साथ राजस्थान एवं मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में प्रचलित है।
  - इसे पारंपरिक रूप से घरों के अंदर दीवारों पर चित्रित किया जाता है, इन चित्रों में प्रयुक्त रूपांकनों में शेर, हाथी, भील, महिलाएं, ताड़ के वृक्ष आदि शामिल हैं।
- **अंगोरा और पशमीना शॉल:** यह लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के उत्पाद हैं। इन्हें बौद्ध और भूटिया जनजातियों द्वारा बनाया जाता है।
- **अन्य:** राजस्थान की मीणा जनजाति का अंबाबाड़ी धातु शिल्प, मध्य प्रदेश की गोंड जनजाति की पेंटिंग और ओडिशा के कारीगरों द्वारा बनाई गई सारा पेंटिंग आदि प्रदर्शनी में शामिल थी।

### निष्कर्ष

- \* G20 का नेतृत्व भारत को एक प्रभावशाली राजनयिक और आर्थिक शक्ति के रूप में स्वयं को आगे बढ़ाने तथा विश्व के सबसे अधिक आबादी वाले देश में निवेश एवं व्यापार प्रवाह को बढ़ावा देने का एक सफल अवसर रहा है।
- \* इस सम्मेलन में आतंकवाद की निंदा, जलवायु परिवर्तन संबंधी मुद्दा, नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में वृद्धि, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना तथा समावेशी विकास जैसे मुद्दों पर सदस्य देशों की राय को एकमत करने में सफलता प्राप्त होना यह प्रदर्शित करता है कि वैश्विक समुदाय भारत के 'एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य' के सिद्धांत का पूर्ण समर्थन करने के पक्ष में है। ■■

# डिजिटल समावेशन

## आधुनिक एवं सशक्त समाज के निर्माण हेतु आवश्यक

• संपादकीय डेस्क

डिजिटल समावेशन की अवधारणा को 21वीं सदी में व्यापक रूप से महत्व मिला है। डिजिटल क्षेत्र एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में लाखों रोजगार उत्पन्न हुए हैं तथा डिजिटल प्रौद्योगिकी का उपयोग बैंकिंग से लेकर कृषि एवं रक्षा तक सभी क्षेत्रों में किया जा रहा है। 2014 से भारत सरकार ने विभिन्न उपायों द्वारा डिजिटलीकरण लाने में सक्रिय भागीदारी निभाई है। देश एक डिजिटल क्रांति का अनुभव कर रहा है, जो ई-भुगतान, डिजिटल साक्षरता, वित्तीय समावेशन, भौगोलिक मानचित्रण, ग्रामीण विकास तथा कई अन्य क्षेत्रों में परिवर्तनकारी विकास को गति दे रहा है। ऐसे में डिजिटल समावेशन वर्तमान समय की एक उभरती आवश्यकता है। डिजिटल समावेशन के अवसरों के साथ-साथ भारत के सन्दर्भ में इसकी कुछ चुनौतियां भी हैं, जिन्हें संबोधित किया जाना आवश्यक है।

14 सितंबर, 2023 को भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) ने 'उभरती प्रौद्योगिकियों के युग में डिजिटल समावेशन' (Digital Inclusion in the Era of Emerging Technologies) नामक विषय पर एक परामर्श-पत्र जारी किया। परामर्श-पत्र का उद्देश्य उभरती प्रौद्योगिकियों की तीव्र प्रगति द्वारा प्रस्तुत चुनौतियों एवं अवसरों का पता लगाना तथा उनका समाधान करना है।



\* इस पत्र में समाज एवं उद्योगों के सभी क्षेत्रों विशेष रूप से सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSMEs) के लिए समावेशिता सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। कनेक्टिविटी रोजमर्रा के कार्यों जैसे जानकारी तक पहुंच, बुनियादी सेवाएं प्राप्त करना, दूर से काम करना (Work from Distant), शिक्षा प्राप्त करना, वित्तीय लेन-देन करना और प्रियजनों के साथ जुड़े रहने के लिए एक आवश्यक उपकरण के रूप में कार्य करती है। सरकार ने संपूर्ण देश में कनेक्टिविटी एवं डिजिटल समावेशन को बढ़ावा देने के लिए अनेक पहलों लागू की हैं। फिर भी, यह देखा गया है कि इंटरनेट ब्रॉडबैंड की पहुंच और समाज के विभिन्न वर्गों और भौगोलिक क्षेत्रों में इसके प्रभावी उपयोग में असमानताएं अभी भी बनी हुई हैं।

\* निम्न साक्षरता एवं आय स्तर, भौगोलिक प्रतिबंध, प्रौद्योगिकी के उपयोग के प्रति प्रेरणा की कमी, प्रौद्योगिकी तक भौतिक पहुंच की कमी तथा डिजिटल निरक्षरता जैसे कारक डिजिटल विभाजन (Digital Divide) में योगदान करते हैं। डिजिटल समावेशन (Digital Inclusion) से एक ऐसे पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण किया जा सकता है, जिससे प्रत्येक व्यक्ति को लाभ प्राप्त होगा तथा न्यायसंगत एवं सुलभ डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी।

### डिजिटल समावेशन तथा डिजिटल विभाजन

#### ✓ डिजिटल समावेशन (Digital Inclusion)

\* इसे 'प्रत्येक व्यक्ति के लिए, प्रत्येक जगह डिजिटल प्रौद्योगिकियों, सेवाओं और संबंधित अवसरों के उपयोग, नेतृत्व एवं डिजाइन तक न्यायसंगत, सार्थक और सुरक्षित पहुंच' के रूप में परिभाषित किया गया है।

\* डिजिटल समावेशन के तहत उन नीतियों एवं कार्यक्रमों को शामिल किया जाता है, जो जाति, लिंग, आय या क्षमता के बिना इंटरनेट तक पहुंच प्रदान करते हैं।

\* डिजिटल समावेशन उन विभिन्न बाधाओं को ध्यान में रखकर उन्हें दूर करने का प्रयास करता है, जिनका लोगों द्वारा डिजिटल प्रौद्योगिकियों तक

पहुंचने तथा उपयोग के समय सामना करना पड़ता है।

\* डिजिटल समावेशन के 4 अन्योन्याश्रित तत्व हैं:

- **पहुंच:** निवास तथा कार्य स्थलों पर किफायती डिजिटल उपकरणों एवं इंटरनेट तक पहुंच।
- **कौशल:** डिजिटल उपकरणों और इंटरनेट का उपयोग करने संबंधी आत्मविश्वास तथा क्षमता निर्माण।
- **प्रेरणा:** इंटरनेट एवं डिजिटल तकनीक से जुड़ने, सीखने तथा अवसरों तक पहुंचने संबंधी समझ को विकसित करना।
- **विश्वास:** डिजिटल साक्षरता कौशल को प्राप्त करना, ताकि विभिन्न प्रकार के स्कैम, ऑनलाइन धोखाधड़ी तथा गलत सूचनाओं से बचा जा सके।

\* डिजिटल समावेशन द्वारा ऑनलाइन माध्यम से मानवाधिकारों को बढ़ावा देने, संरक्षित करने तथा उन्हें सम्मान देने में मदद मिलती है। यही कारण है कि समावेशी डिजिटल पहुंच स्थापित करना इस संदर्भ में निर्मित की जाने वाली नीतियों की प्रमुख प्राथमिकता होनी चाहिए।

#### ✓ डिजिटल विभाजन (Digital Divide)

\* डिजिटल विभाजन उस स्थिति को प्रदर्शित करता है, जब जनसंख्या के किसी एक निश्चित भाग के पास आधुनिक सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ICT) तक पहुंच होती है, जबकि एक दूसरा भाग इस प्रकार की आधुनिक सुविधाओं की पहुंच से दूर होता है। इन तकनीकों में टेलीफोन, टेलीविजन, पर्सनल कंप्यूटर और इंटरनेट कनेक्टिविटी शामिल हैं।

\* इस डिजिटल विभाजन से देश की आर्थिक वृद्धि और विकास के बाधित होने का खतरा रहता है। भारत में यह विभाजन सामान्य रूप से अमीर एवं गरीब लोगों तथा ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के मध्य देखने को मिलता है।



- \* भारत की अधिकांश आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। इन क्षेत्रों में डिजिटल समावेशन की कमी का आर्थिक अवसरों, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और वित्तीय समावेशन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है।
- \* ग्रामीण भारत का डिजिटल समावेशन (Digital Inclusion of Rural India) देश के आर्थिक विकास एवं समृद्धि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया है।
- \* इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया (IAMAI) की एक हालिया रिपोर्ट में पाया गया है कि शहरी भारत के 64% की तुलना में ग्रामीण भारत में केवल 29% लोगों तक इंटरनेट की पहुंच है। यह डिजिटल विभाजन न केवल एक सामाजिक मुद्दा है, बल्कि एक आर्थिक मुद्दा भी है।
- \* NSS द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार, किसी भी पाठ्यक्रम में नामांकित केवल 9% छात्रों के पास इंटरनेट के साथ कंप्यूटर तक पहुंच है। इसके अतिरिक्त, नामांकित छात्रों में से केवल 25% ही किसी भी प्रकार के उपकरणों के माध्यम से इंटरनेट का उपयोग कर सकते हैं।
- \* विश्व बैंक के ग्लोबल फाइंडेक्स डेटाबेस-2021 (Global Findex Database-2021) के अनुसार सबसे अमीर 60% भारतीयों के डिजिटल भुगतान सुविधाओं का उपयोग करने की संभावना सबसे गरीब 40% लोगों की तुलना में चार गुना अधिक है।

### डिजिटल समावेशन के क्षेत्र में अवसर

#### भारत में डिजिटल समावेशन की स्थिति

- \* भारत ने डिजिटल समावेशन की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति की है तथा इंटरनेट ग्राहकों के मामले में यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा दूरसंचार बाजार बनकर उभरा है। देश में मोबाइल ब्रॉडबैंड सब्सक्रिप्शन और इंटरनेट उपयोग में उल्लेखनीय वृद्धि देखने को मिली है, साथ ही डेटा लागत में भी काफी कमी आई है।
- \* एक महत्वपूर्ण शोध रिपोर्ट के अनुसार भारत में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या वर्ष 2020 में लगभग 622 मिलियन थी, जो कि वर्ष 2025 तक 900 मिलियन तक पहुंच सकती है।
- \* डिजिटल इंडिया, राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति 2018, राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन 2019, भारतनेट, कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) और यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिवेशन फंड (USOF) जैसी सरकारी पहलों ने कनेक्टिविटी का विस्तार करने तथा डिजिटल समावेशन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसी प्रकार, एक समावेशी वित्तीय समाज हेतु 'डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर' (DPI) की सफलता को विश्व भर में सराहना मिली है।
- \* जन धन-आधार-मोबाइल (JAM) ट्रिनिटी ने वंचितों के बैंक खातों में सब्सिडी के पारदर्शी प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यूपीआई (UPI) ने उपयोगकर्ताओं को वास्तविक समय में एक बैंक खाते से दूसरे बैंक खाते में आसानी से धन हस्तांतरित करने का अधिकार दिया है।

#### भारत में डिजिटल समावेशन में अंतर की स्थिति

- \* इंटरनेट ब्रॉडबैंड की पहुंच और समाज के विभिन्न वर्गों एवं भौगोलिक क्षेत्रों में इसके प्रभावी उपयोग में असमानताएं अभी भी बनी हुई हैं।
- \* राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS) 2019-21 इंटरनेट के उपयोग में लैंगिक अंतरों को प्रदर्शित करता है। इसके अनुसार, देश भर में केवल 57.1 प्रतिशत पुरुष आबादी तथा 33.3 प्रतिशत महिला जनसंख्या ने ही कभी न कभी इंटरनेट का उपयोग किया है।
- \* उपर्युक्त में से, 72.5% पुरुष एवं 51.8% महिलाएं शहरी क्षेत्र से जबकि 48.7% पुरुष एवं 24.6% महिलाएं ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित हैं।
- \* इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया (Internet and Mobile Association of India) के अनुसार देश की शहरी जनसंख्या के 67% के विपरीत ग्रामीण भारत में केवल लगभग 31% जनसंख्या ही इंटरनेट का उपयोग करती है।

- \* **एमएसएमई (MSME):** यह आवश्यक है कि सूक्ष्म, लघु एवं माध्यम उद्यमों को नई उभरती प्रौद्योगिकी समाधानों के माध्यम से डिजिटल अर्थव्यवस्था में अधिक योगदान देने के लिए सशक्त बनाया जाए। चूंकि देश भर के अधिकांश उद्यम सूक्ष्म एवं लघु उद्यम के रूप में हैं, अतः इन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।
- \* **ग्रामीण भारत:** डिजिटल भुगतान में लेन-देन की लागत को कम करके, वित्तीय समावेशन में सुधार और उद्यमिता को बढ़ावा देकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बदलने की क्षमता है।
- \* **शिक्षा:** डिजिटल प्रौद्योगिकियों के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण शैक्षिक संसाधनों तक पहुंच प्रदान करके तथा दूरस्थ शिक्षा के लिए नए अवसर उत्पन्न करके विशेष रूप से ग्रामीण भारत में शैक्षिक क्रांति लाई जा सकती है।
- \* **स्वास्थ्य देखभाल:** डिजिटल समावेशन से ग्रामीण भारत में स्वास्थ्य सेवा में सुधार हो सकता है। टेलीमेडिसिन स्वास्थ्य सेवाओं के विकास से स्वास्थ्य सेवाओं की दूरस्थ पहुंच स्थापित की जा सकती है, यात्रा में लगने वाले समय एवं खर्च को बचाया जा सकता है तथा स्वास्थ्य देखभाल परिणामों में सुधार किया जा सकता है।
- \* **स्टार्ट-अप:** डिजिटल समावेशन डिजिटल क्षेत्र में नवाचार और स्टार्टअप को बढ़ावा देने में सक्षम बनाता है। सूचना क्रांति का उपयोग करके स्टार्टअप के अनुकूल वातावरण का निर्माण युवा उद्यमियों की क्षमता में वृद्धि कर सकता है। स्टार्टअप के क्षेत्र में होने वाली तकनीकी प्रगति से रोजगार सृजन को बढ़ावा दिया जा सकता है।
- \* **डिजिटल सशक्तीकरण:** डिजिटल शिक्षा और कौशल विकास के माध्यम से नागरिकों को डिजिटल उपकरणों तथा प्रौद्योगिकियों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए सशक्त बनाया जाता है।
- \* **डेटा-संचालित निर्णय लेना:** डिजिटल परिवर्तन बड़ी मात्रा में डेटा उत्पन्न करता है, जिसका विश्लेषण विभिन्न क्षेत्रों में डेटा-संचालित निर्णय लेने के लिए किया जा सकता है, इससे योजनाओं को बेहतर बनाने तथा संसाधन आवंटन में सुधार किया जा सकता है।
- \* **रोजगार में वृद्धि:** फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन कार्य (Online Work) एवं स्व-गति वाली परियोजनाओं (Self-Paced Projects) जैसे विकल्पों के साथ डिजिटल प्रौद्योगिकी ने देश भर में नए रोजगार सृजित किए हैं।
- \* **बेहतर वेतन:** आईटी कौशल एवं डिजिटल समावेशन से कार्यबल के वेतन पैकेज में सुधार किया जा सकता है।

## डिजिटल समावेशन के क्षेत्र में चुनौतियां

- \* **तीव्र प्रौद्योगिकी विकास:** तकनीकी प्रगति की तीव्र गति और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस/मशीन लर्निंग आधारित सेवाओं सहित 5जी सक्षम सेवाओं की शुरुआत और इन प्रौद्योगिकियों को अपनाने एवं उपयोग करने की संबंधित लागत डिजिटल विभाजन (विशेष रूप से हाशिए पर रहने वाले समुदायों और वंचित क्षेत्रों के लिए) को और अधिक बढ़ा सकती है।
- \* **बुनियादी ढांचे तक पहुंच में बाधा:** बुनियादी ढांचे की असमान पहुंच, सीमित डिजिटल साक्षरता एवं सामर्थ्य संबंधी मुद्दे उभरती प्रौद्योगिकियों के समान वितरण एवं उपयोग में बाधा डाल सकते हैं।
- \* **अप्राप्यता (Inaccessibility):** कम आय वाले परिवारों के लिए इंटरनेट की मासिक लागत निषेधात्मक (Prohibitive) हो सकती है। इंटरनेट का उपयोग करने के लिए आवश्यक उपकरण हाशिये पर मौजूद लोगों के लिए अत्यंत महंगे हो सकते हैं। इससे, डिजिटल तकनीक एवं इंटरनेट तक पहुंच स्थापित करने में बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है।
- \* **नियामक तंत्र संबंधी चुनौतियां:** उभरते डिजिटल परिदृश्य में उपभोक्ता संरक्षण, डेटा गोपनीयता और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने के लिए लचीले और अद्यतन नियमों की आवश्यकता है।
- \* **कौशल का अभाव:** कौशल के अभाव में देश की अधिकांश जनसंख्या डिजिटल सेवाओं का लाभ उठाने में असमर्थ है। डिजिटल तकनीक का सुरक्षित रूप से उपयोग करने में असमर्थ लोगों को अक्सर स्कैम, फिशिंग, ऑनलाइन धोखाधड़ी तथा पहचान संबंधी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
- \* **शारीरिक विकलांगता वाले लोग:** विकलांग लोगों को ऑनलाइन सूचना एवं सेवाओं तक पहुंचने में विशिष्ट चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इस प्रकार की बाधाएं शारीरिक अक्षमताओं के अनुसार अलग-अलग होती हैं।

## डिजिटल समावेशन को बढ़ाना देने से संबंधित सरकारी प्रयास

- \* **डिजिटल इंडिया अभियान (2015):** डिजिटल इंडिया अभियान का उद्देश्य भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलना है।
- \* **प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान (PMGDisha):** वर्ष 2017 में आरंभ किए गए इस अभियान का उद्देश्य 6 करोड़ ग्रामीण परिवारों को डिजिटल उपकरणों, इंटरनेट कनेक्टिविटी और डिजिटल साक्षरता प्रशिक्षण तक पहुंच प्रदान करके डिजिटल रूप से साक्षर बनाना है।
- \* **राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता मिशन (NDLM):** इसका उद्देश्य विभिन्न सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों को डिजिटल साक्षरता कौशल प्रदान करना है।
- \* **मेक इन इंडिया पहल:** इसके तहत कंप्यूटर और स्मार्टफोन सहित इलेक्ट्रॉनिक सामानों के स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है।
- \* **इंटरनेट कनेक्शन:** सरकार ने, विभिन्न हितधारकों के सहयोग से डिजिटल विभाजन को कम करने तथा वंचित क्षेत्रों तक इंटरनेट पहुंच लाने के लिए विभिन्न पहलें आरंभ की हैं। इनमें भारतनेट परियोजना, 4जी और 5जी नेटवर्क, तथा सार्वजनिक वाई-फाई पहल शामिल हैं।
- \* **ई-गवर्नेंस और डिजिटल सेवाएं:** भारत ने ई-गवर्नेंस और डिजिटल सेवाओं को अपनाने में उल्लेखनीय प्रगति की है। इस

दिशा में डिजीलॉकर, आधार आधारित सेवाएं, ई-गवर्नेंस पोर्टल तथा डिजिटल भुगतान एवं लेनदेन जैसे प्रयास महत्वपूर्ण हैं।

- \* **जीआई क्लाउड प्रोग्राम (GI Cloud Program):** इस प्रोग्राम को 'मेघराज' के नाम से भी जाना जाता है, इसे इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य सभी के लिए किफायती, सुरक्षित और संरक्षित डेटा भंडारण प्रदान करने वाला एक बहु-स्तरीय 'राष्ट्रीय क्लाउड-शेयरिंग फाउंडेशन' का निर्माण करना है।
- \* **शिक्षा के क्षेत्र में:** शिक्षा में डिजिटल प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित प्रयास महत्वपूर्ण हैं:
  - > **स्वयं (SWAYAM):** इसका पूरा नाम स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव-लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स (Study Webs of Active-Learning for Young Aspiring Minds) है। इस योजना की रूपरेखा शिक्षा नीति के 3 मुख्य स्रोतों तक पहुंच, समानता और गुणवत्ता तक पहुंचने के लिए बनाई गई थी।
  - > **ई-पाठशाला (e-PATHSHALA):** यह डिजिटल योजना वेबसाइट और मोबाइल ऐप के माध्यम से सभी शैक्षिक सामग्री प्रसारित करती है।
  - > **ओलैब्स (OLABS):** ऑनलाइन लैब 'स्कूल लैब प्रयोगों' के लिए अनुसंधान कौशल में वृद्धि के साथ छात्रों को इंटरनेट के प्रयोग करने की सुरक्षा प्रदान करती है।
- \* **कृषि क्षेत्र:** महत्वपूर्ण पहलें हैं: किसान पोर्टल, किसान सुविधा ऐप, पूसा कृषि (PUSA Krishi), मृदा स्वास्थ्य कार्ड ऐप (Soil Health Card app), ई-नाम (eNAM), फसल बीमा मोबाइल ऐप, कृषि बाजार ऐप तथा उर्वरक निगरानी ऐप (Fertilizer Monitoring App)।

## भविष्य की राह

- \* **व्यापक डिजिटल समावेशन रणनीति का विकास करना:** डिजिटल समावेशन के लिए वायर्ड और वायरलेस नेटवर्क ऑपरेटरों, इंटरनेट सेवा प्रदाताओं और बुनियादी ढांचा प्रदाताओं के साथ जुड़ने की आवश्यकता है, जिससे सभी हितधारकों को एक साथ लाया जा सके।
  - > **डिजिटल टास्क फोर्स का गठन करना:** यह टास्क फोर्स समय के साथ आवश्यकताओं की पहचान करने और उन्हें संबोधित करने का कार्य करेगी।
  - > **एकीकृत और पारदर्शी डिजिटल विकास:** एकीकृत एवं पारदर्शी डिजिटल विकास कार्यक्रम के माध्यम से समाज के वंचित तथा पिछड़े लोगों तक डिजिटल उपकरणों एवं इंटरनेट सेवाओं की पहुंच स्थापित की जा सकती है।
  - > **कार्यशालाएं आयोजित करना:** लोगों को डिजिटल उपकरणों एवं सेवाओं के उपयोग संबंधी कौशल प्रदान करना, ताकि उन्हें डिजिटल तकनीकों की मदद से वास्तविक जीवन की समस्याओं को हल करने में मदद मिल सके।
  - > **डिजिटल लाइब्रेरी विकसित करना:** ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र में उनकी आवश्यकताओं के अनुसार डिजिटल लाइब्रेरी का विकास किया जा सकता है। यह ऐसे क्षेत्र होने चाहिए, जहां आवश्यकता आधारित लोगों को मुफ्त में इंटरनेट सेवाएं एवं डिजिटल उपकरण उपयोग करने की अनुमति प्राप्त हो। ■■

# हिंद महासागरीय क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा चुनौतियां

## क्षेत्रीय शांति एवं स्थिरता हेतु राष्ट्रों के बीच अधिक सहयोग की आवश्यकता

• संपादकीय डेस्क

हिंद महासागरीय क्षेत्र का विशाल आकार सुरक्षा संबंधी चुनौतियों के उत्पन्न होने पर खोज और बचाव कार्यों को जटिल बनाता है। इसके कारण समुद्री आपात स्थितियों तथा प्राकृतिक आपदाओं के समय प्रतिक्रिया करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। इस क्षेत्र में प्रमुख वैश्विक शिपिंग मार्ग स्थित हैं, जिनमें मलक्का जलडमरूमध्य एवं होर्मुज जलडमरूमध्य जैसे शिपिंग लेन तथा चोकपाइंट शामिल हैं।

हाल ही में, सूचना संलयन केंद्र-हिंद महासागर क्षेत्र (IFC-IOR) द्वारा गुरुग्राम में समुद्री सूचना साझाकरण कार्यशाला (Maritime Information Sharing Workshop - MISW) का आयोजन किया गया।

- \* इस कार्यशाला में हिंद महासागर रिम एसोसिएशन (Indian Ocean Rim Association: IORA) और जिबूती आचार संहिता/जेद्दा संशोधन (Djibouti Code of Conduct/ Jeddah Amendment) का प्रतिनिधित्व करने वाले 26 देशों के 41 प्रतिनिधियों ने भाग लिया तथा हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) में समुद्री सुरक्षा के महत्व एवं इसके मार्ग की चुनौतियों पर चर्चा की गई।
- \* 21वीं शताब्दी में चीन के आर्थिक एवं राजनीतिक महाशक्ति के रूप में उभरने के साथ ही व्यापारिक एवं आर्थिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हिंद महासागरीय क्षेत्र में वैश्विक गतिविधियों में वृद्धि देखने को मिली है। नौसैनिक एवं मालवाहक जहाजों के निरंतर आवागमन से हिंद महासागर क्षेत्र शक्ति प्रदर्शन का एक महत्वपूर्ण स्थल बन गया है।
- \* इस क्षेत्र में आपसी सहयोग को बढ़ावा देने तथा व्यापारिक गतिविधियों के संचालन हेतु इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन (IORA) तथा क्वाड (QUAD) जैसे समूहों का गठन किया गया है। अमेरिका एवं चीन जैसी विश्व की अग्रणी शक्तियों की आपसी प्रतिस्पर्धा तथा सशस्त्र समुद्री डकैती के कारण इस क्षेत्र में व्यापक सुरक्षा संबंधी चुनौतियां उत्पन्न हुई हैं।

### हिंद महासागर क्षेत्र: आर्थिक एवं सामरिक महत्व

- \* हिंद महासागर का विशाल समुद्री विस्तार है जो अफ्रीका के पूर्वी तट से लेकर ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट तक फैला हुआ है। यह विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है और इससे संबद्ध महाद्वीपीय तटरेखा, द्वीप और द्वीपसमूह अपने विविधतापूर्ण भूगोल के लिए जाने जाते हैं।

#### ✓ आर्थिक महत्व

हिंद महासागर क्षेत्र जलीय कृषि पर्यटन सहित विभिन्न व्यापारिक गतिविधियों के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है, जो अग्रलिखित तथ्यों से स्पष्ट होता है-



- \* **व्यापार:** हिंद महासागर, पश्चिम एशिया, दक्षिण एशिया, दक्षिण-पूर्व एशिया, अफ्रीका और ओशिनिया की अर्थव्यवस्थाओं को जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्ग है। यह यूरोप, पश्चिम एशिया और दक्षिण-पूर्व एशिया के बीच माल की आवाजाही को सुविधाजनक बनाता है।
  - > विश्व का लगभग 80 प्रतिशत समुद्री तेल व्यापार इस महासागर से होकर गुजरता है, जिसमें 40 प्रतिशत होर्मुज जलडमरूमध्य से, 35 प्रतिशत मलक्का जलडमरूमध्य से और 8 प्रतिशत बाब अल-मंडेब से होकर गुजरता है।
- \* **तेल और गैस:** हिंद महासागर क्षेत्र तेल और प्राकृतिक गैस भंडार से समृद्ध है। यह संसाधन विशेष रूप से फारस की खाड़ी व सऊदी अरब, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों के तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। यह क्षेत्र कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस निर्यात के एक प्रमुख स्रोत के रूप में कार्य करता है तथा वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति के लिए महत्वपूर्ण है।
- \* **खनिज पदार्थ:** हिंद महासागर का समुद्र तल अनेक बहुमूल्य खनिजों का एक संभावित स्रोत है, जिसमें पॉलीमेटेलिक नोड्यूल, फेरोमैंगनीज क्रस्ट और दुर्लभ पृथ्वी तत्व शामिल हैं।
  - > भारत सरकार ने 2002 में मध्य हिंद महासागर बेसिन से निकेल, कोबाल्ट, तांबा और मैंगनीज युक्त पॉलीमेटेलिक नोड्यूलस की खोज के लिए अंतरराष्ट्रीय सीबेड प्राधिकरण (International Seabed Authority) के साथ 15 वर्ष के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे।

- \* **पर्यटन:** हिंद महासागर क्षेत्र अपने आकर्षक समुद्र तटों, उष्णकटिबंधीय द्वीपों और समृद्ध सांस्कृतिक विविधता के लिए जाना जाता है। यही कारण है कि यह पर्यटन और अवकाश के लिए एक लोकप्रिय गंतव्य है।
  - मालदीव, सेशेल्स, मॉरीशस, श्रीलंका, इंडोनेशिया और थाईलैंड जैसे देश दुनिया भर से पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। पर्यटन इन देशों में राजस्व के साथ रोजगार उत्पन्न करता है तथा स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देता है।
- ✓ **सामरिक महत्व**
- \* हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) अपनी भू-राजनीतिक, भू-आर्थिक और भू-रणनीतिक विशेषताओं के कारण अत्यधिक रणनीतिक महत्व रखता है।
- \* **भू-रणनीतिक महत्व:** IOR की रणनीतिक स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण है तथा यह पूर्वी एवं पश्चिमी देशों को जोड़ता है। IOR समुद्री व्यापार और कनेक्टिविटी के लिए एक चौराहे के रूप में कार्य करता है।
  - लगभग 38 देश इसकी सीमा पर स्थित हैं, जिससे यहां एक जटिल एवं गतिशील भू-राजनीतिक परिदृश्य का निर्माण होता है।
- \* **भू-आर्थिक महत्व:** IOR व्यापार और वाणिज्य के लिए महत्वपूर्ण है। यहां स्थित मलक्का जलडमरूमध्य, होर्मुज जलडमरूमध्य और बाब-अल मंडेब जैसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग वैश्विक व्यापार प्रवाह को सुविधाजनक बनाते हैं।
  - यह क्षेत्र हाइड्रोकार्बन संसाधनों, मत्स्य पालन और दुर्लभ पृथ्वी तत्वों से समृद्ध है, जो वैश्विक अर्थव्यवस्था में योगदान देते हैं।
- \* **अफगानिस्तान-पाकिस्तान गलियारा पश्चिमी हिंद महासागर में समुद्री मार्ग के माध्यम से अवैध नशीली दवाओं के व्यापार को सुविधाजनक बनाने वाला प्राथमिक माध्यम है।**
- \* **अवैध, असूचित और अनियमित (illegal, Unreported & Unregulated - IUU) मछली पकड़ना:** यह हिंद महासागर में समुद्री संसाधनों की स्थिरता के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा है।
  - भारत के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र (EEZ) से परे अवैध, असूचित और अनियमित (IUU) मछली पकड़ने की गतिविधियों में लगातार वृद्धि हुई है। यहां तक कि चीनी नौकाओं, यूरोपीय संघ के देशों तथा क्षेत्र के बाहर के अन्य देशों की मछली पकड़ने वाली नौकाओं को हिंद महासागर में मछली पकड़ते देखा गया है।
- \* **पर्यावरणीय चिंताएं:** तेल रिसाव, समुद्री प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव सहित अनेक पर्यावरणीय खतरे हिंद महासागर के पारिस्थितिक तंत्र की सुरक्षा और स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहे हैं।
- \* **नौसैन्य प्रतियोगिता:** हिंद महासागर क्षेत्र में विभिन्न प्रतिद्वंद्विता देशों (विशेष रूप से अमेरिका, रूस एवं चीन) द्वारा व्यापक स्तर पर नौसैनिक अड्डों का निर्माण किया जा रहा है।
  - इससे इस क्षेत्र के देश की सुरक्षा संबंधी चुनौतियों को बढ़ावा मिला है।
- \* **भू-राजनीतिक तनाव:** हिंद महासागर के समुद्री क्षेत्र में विभिन्न देशों के बीच भू-राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता और शक्ति प्रतिस्पर्धा से समुद्री सुरक्षा के लिए अनिश्चितता और चुनौतियाँ बढ़ सकती हैं। इससे सुरक्षा उपायों पर किए जाने वाले सहयोग भी प्रभावित हो सकते हैं।

### हिंद महासागरीय क्षेत्र की सुरक्षा चुनौतियां

- \* हिंद महासागर क्षेत्र को अपने रणनीतिक महत्व और जटिल भू-राजनीतिक गतिशीलता के कारण व्यापक समुद्री सुरक्षा चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
- \* **सशस्त्र समुद्री डकैती:** हिंद महासागर समुद्री डकैती का 'हॉटस्पॉट' माना जाता है, खासकर सोमालिया के तट पर और अदन की खाड़ी में। हालांकि हाल के वर्षों में इसमें गिरावट आई है, लेकिन समुद्री डकैती चिंता का विषय बनी हुई है।
  - सशस्त्र डकैती में अक्सर मालवाहक जहाजों और मछली पकड़ने वाली नौकाओं को निशाना बनाकर उनसे वसूली की जाती है।
- \* **प्रादेशिक और समुद्री सीमा विवाद:** हिंद महासागर क्षेत्र में कई क्षेत्रीय और समुद्री सीमा विवाद हैं। उदाहरण के लिए, कंबोडिया और सोमालिया के बीच हिंद महासागर सीमा विवाद, भारत एवं श्रीलंका के बीच समुद्री सीमा पर दावे को लेकर विवाद लंबे समय से जारी है।
- \* **मानव तथा नशीले पदार्थों की तस्करी:** हिंद महासागर मानव एवं नशीले पदार्थों की तस्करी के एक प्रमुख मार्ग के रूप में उभरा है। IOR में अदन की खाड़ी और लाल सागर के आस-पास संगठित आपराधिक समूहों द्वारा तस्करी की गतिविधियां की जाती हैं।
  - मादक पदार्थों की तस्करी भारत और समुद्री क्षेत्र के अन्य देशों के लिए एक प्रमुख सुरक्षा चिंता का विषय बन गई है।

### जिबूती आचार संहिता-जेद्दा संशोधन में विस्तार

- वर्ष 2017 में, पश्चिमी हिंद महासागर और अदन की खाड़ी क्षेत्र में मानव तस्करी तथा अन्य अवैध समुद्री गतिविधियों को शामिल करने के लिए जिबूती आचार संहिता (DCoC) के दायरे का विस्तार किया गया था। शामिल की गई गतिविधियों में निम्नलिखित हैं:
  - मानव तस्करी,
  - अवैध, असूचित और अनियमित मछली पकड़ना,
  - नशीले पदार्थों की तस्करी,
  - हथियारों की तस्करी,
  - वन्य जीवों का अवैध व्यापार,
  - कच्चे तेल की चोरी, और
  - जहरीले कचरे की अवैध डंपिंग।
- 12 जनवरी 2017 को सऊदी-अरब के जेद्दा में किए गए इस संशोधन को जेद्दा संशोधन के नाम से जाना जाने लगा।

### हिंद महासागर क्षेत्र : भारतीय दृष्टिकोण एवं प्रमुख पहलें

- \* **सागर विजन:** हिंद महासागर क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास (Security and Growth For All in the Region - SAGAR) दृष्टिकोण के सिद्धांत पर आधारित है।
  - SAGAR के तहत, भारत का उद्देश्य अपने समुद्री पड़ोसियों के साथ आर्थिक और सुरक्षा सहयोग को गहरा करना है।

- सुरक्षा के मोर्चे पर भारत सूचना/खुफिया जानकारी साझा करने, तटीय निगरानी, बुनियादी ढांचे के निर्माण और क्षमताओं को मजबूत करने में सहयोग करके अन्य देशों को उनकी समुद्री सुरक्षा क्षमताओं के निर्माण में सहायता करता है।
- अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, भारत समुद्री संसाधन प्रबंधन, नीली अर्थव्यवस्था के विकास, समुद्री कनेक्टिविटी, आपदा प्रबंधन और क्षमता निर्माण सहित कई क्षेत्रों में अन्य देशों के साथ सहयोग करता है।
- \* **सूचना संलयन केंद्र-हिंद महासागर क्षेत्र (IFC-IOR):** समुद्री सुरक्षा और संरक्षण के लिए सहयोग को बढ़ावा देने की आवश्यकता को संबोधित करने के लिए सूचना संलयन केंद्र-हिंद महासागर क्षेत्र (IFC-IOR) की स्थापना 2018 में गुरुग्राम में भारत सरकार द्वारा की गई थी।
  - इसका लक्ष्य समुद्री सुरक्षा सूचना साझाकरण के माध्यम से क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना है।
  - यह केंद्र 12 साझेदार देशों- ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, इटली, जापान, मालदीव, मॉरीशस, म्यांमार, श्रीलंका, सेशेल्स, सिंगापुर, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ मिलकर कार्य करता है।
- \* **हिंद महासागर रिम एसोसिएशन (IORA):** यह एक अंतर-सरकारी संगठन है, जिसका उद्देश्य हिंद महासागर की सीमा से लगे 22 सदस्यीय देशों और 9 डायलॉग पार्टनर्स के माध्यम से हिंद महासागर क्षेत्र के भीतर क्षेत्रीय सहयोग और सतत विकास को मजबूत करना है। इसका गठन 1997 में हुआ था और इसका सचिवालय मॉरीशस में है।
  - IORA एक क्षेत्रीय मंच है, जो सरकार, व्यापार और शिक्षा जगत के प्रतिनिधियों को एक साथ लाता है, जिससे उनके बीच सहयोग तथा वार्ता को बढ़ावा दिया जा सके।
- \* **हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी (IONS):** 'हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी' एक स्वैच्छिक पहल है जो क्षेत्रीय रूप से प्रासंगिक समुद्री मुद्दों पर चर्चा के लिए एक खुला एवं समावेशी मंच प्रदान करके हिंद महासागर क्षेत्र के तटीय देशों की नौसेनाओं के बीच समुद्री सहयोग बढ़ाने का प्रयास करती है।
  - इसकी शुरुआत 2008 में भारतीय नौसेना द्वारा की गई थी।
- \* **सूचना प्रबंधन एवं विश्लेषण केंद्र (IMAC):** सूचना प्रबंधन एवं विश्लेषण केंद्र, गुरुग्राम में स्थित है। यह तटीय निगरानी के लिए भारतीय नौसेना का मुख्य केंद्र है।
  - IMAC नेशनल कमांड कंट्रोल कम्प्यूनिक्शंस एंड इंटेलिजेंस नेटवर्क (NC3I नेटवर्क) का नोडल सेंटर है। IMAC भारतीय नौसेना, तटरक्षक बल और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की एक संयुक्त पहल है और यह राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के तहत कार्य करता है।


### आगे की राह

- \* हिंद महासागर क्षेत्र की सुरक्षा हेतु जटिल समुद्री चुनौतियों से निपटने के लिए एक व्यापक और सहयोगात्मक दृष्टिकोण की आवश्यकता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित प्रमुख तत्वों पर विचार किया जाना चाहिए।
- \* **समुद्री सुरक्षा चुनौतियों पर समग्र परिप्रेक्ष्य का निर्माण:** समसामयिक समुद्री सुरक्षा चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए समग्र दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है। इसमें समुद्री

डकैती, आतंकवाद, पर्यावरणीय खतरे और क्षेत्रीय विवादों सहित इन चुनौतियों की बहुमुखी प्रकृति को पहचानना शामिल है।

- \* **एक लचीली समुद्री सुरक्षा व्यवस्था आवश्यक:** ऐसी व्यवस्था को समावेशिता, साझा उत्तरदायित्व तथा लचीलेपन के सिद्धांतों के आधार पर निर्मित किया जाना चाहिए। इसके तहत राष्ट्रों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों के बीच सहयोग की अनुमति देनी चाहिए, जिससे उभरती सुरक्षा चुनौतियों के लिए सामूहिक प्रतिक्रियाएं संभव हो सकें।
- \* **अंतरराष्ट्रीय सहयोग की अनिवार्य आवश्यकता:** हिंद महासागर क्षेत्र में सामान्य समुद्री खतरों से निपटने में प्रभावी ढंग से सहयोग करने के लिए इस क्षेत्र के देशों को एक साथ आना चाहिए। सहयोग, विश्वास और पारस्परिक सहायता की भावना को बढ़ावा देकर तथा समुद्री सुरक्षा क्षमताओं में वृद्धि करके सामूहिक रूप से सुरक्षा चुनौतियों का जवाब दिया जा सकता है।
- \* **सामूहिक प्रतिक्रिया के लिए सूचना साझा करना:** समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने में सूचना साझा करना केंद्रीय भूमिका निभाता है। राष्ट्रों और संगठनों को सामूहिक प्रतिक्रिया को बढ़ावा देने के लिए खुफिया जानकारी, निगरानी डेटा और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने के लिए तैयार रहना चाहिए।
- \* **सतत भविष्य के लिए समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देना:** समुद्री सुरक्षा पहल का निर्माण सतत भविष्य लक्ष्य के अनुरूप होना चाहिए। इसमें समुद्री पर्यावरण की सुरक्षा करना तथा समुद्री क्षेत्र में उत्तरदायी प्रथाओं को बढ़ावा देना शामिल है। ■■

## यूपीपीएससी मुख्य परीक्षा 2023 में सामान्य अध्ययन पेपर-VI में निम्न पुस्तक से पूछे गए प्रश्न



|           |   |
|-----------|---|
| प्रश्न-1  | : UPPSC मुख्य परीक्षा विशेष, प्रश्न पत्र-VI पेज-65            |
| प्रश्न-4  | : UPPSC मुख्य परीक्षा विशेष, प्रश्न पत्र-VI पेज-26            |
| प्रश्न-5  | : UPPSC मुख्य परीक्षा विशेष, प्रश्न पत्र-VI पेज-28            |
| प्रश्न-6  | : UPPSC मुख्य परीक्षा विशेष, प्रश्न पत्र-VI पेज-80            |
| प्रश्न-11 | : UPPSC मुख्य परीक्षा विशेष, प्रश्न पत्र-VI पेज-1, 2, 3       |
| प्रश्न-12 | : UPPSC मुख्य परीक्षा विशेष, प्रश्न पत्र-VI पेज-32, 33        |
| प्रश्न-13 | : UPPSC मुख्य परीक्षा विशेष, प्रश्न पत्र-VI पेज-56            |
| प्रश्न-14 | : UPPSC मुख्य परीक्षा विशेष, प्रश्न पत्र-VI पेज-55, 56        |
| प्रश्न-15 | : UPPSC मुख्य परीक्षा विशेष, प्रश्न पत्र-VI पेज-45            |
| प्रश्न-18 | : UPPSC मुख्य परीक्षा विशेष, प्रश्न पत्र-VI पेज-144, 145, 146 |

Chronicle Publications Pvt. Ltd.

Ph.: 0120-2514610/12, Mob.: 9953099442, E-mail: info@chronicleindia.in

Books Available In

[www.chronicleindia.in](http://www.chronicleindia.in)

amazon

Flipkart

📖

📖

📖

📖

📖

📖

- ◆ 106वां संविधान संशोधन अधिनियम : लैंगिक समानता एवं सशक्तीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम
- ◆ भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा : अवसंरचनात्मक कनेक्टिविटी तथा आर्थिक एकीकरण का एक बेहतर विकल्प
- ◆ वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन : नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में नए मंच का महत्व एवं चुनौतियां

## 106वां संविधान संशोधन अधिनियम

### लैंगिक समानता एवं सशक्तीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम

28 सितंबर, 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोक सभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान करने वाले 106वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2023 [Constitution (106<sup>th</sup> Amendment) Act 2023] को मंजूरी दे दी।

- ❖ संसद में इसे 128वें संविधान संशोधन विधेयक, 2023 के रूप में पेश किया गया था। इसे 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' नाम भी दिया गया है।
- ❖ विधेयक के रूप में इसे 20 सितंबर, 2023 को लोक सभा में तथा 21 सितंबर, 2023 को राज्य सभा में पारित किया गया था।



इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 82 और 170(3) में संशोधन करना होगा।

- ❖ अनुच्छेद 82 प्रत्येक जनगणना के बाद लोक सभा एवं राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या तथा सीमाओं के पुनः समायोजन का प्रावधान करता है।
- ❖ जबकि, अनुच्छेद 170(3) विधान सभाओं की संरचना से संबंधित है।

#### अधिनियम की मुख्य विशेषताएं

- ❖ **महिलाओं के लिए आरक्षण:** यह अधिनियम लोक सभा, राज्य विधानसभाओं एवं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा में महिलाओं के लिए यथासंभव एक-तिहाई सीटें आरक्षित करने का प्रावधान करता है।
  - + यह लोक सभा और राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों पर भी लागू होगा।
- ❖ **तीन नए अनुच्छेद:** अधिनियम, अनुच्छेद 239AA (दिल्ली के संबंध में विशेष प्रावधान) में संशोधन का प्रस्ताव करता है तथा तीन नए अनुच्छेद अर्थात् अनुच्छेद 330A, 332A और 334A को शामिल करता है।
- ❖ **आरक्षण की शुरुआत:** यह आरक्षण अधिनियम के लागू होने के बाद आयोजित होने वाली जनगणना के प्रकाशन के बाद ही प्रभावी होगा। जनगणना के आधार पर महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित करने के लिए परिसीमन किया जाएगा। इस तरह, 2024 के आम चुनाव में महिलाओं के लिए 33 फीसदी आरक्षण उपलब्ध नहीं होगा।
- ❖ **आरक्षण की अवधि:** महिलाओं के लिए यह आरक्षण 15 वर्ष की अवधि के लिए प्रदान किया जाएगा। हालांकि, यह संसद द्वारा बनाए गए कानून द्वारा निर्धारित तिथि तक जारी रहेगा।
- ❖ **सीटों का रोटेशन :** महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों को प्रत्येक परिसीमन के बाद रोटेट किया जाएगा।

#### परिसीमन को क्रियान्वित करने के लिए आवश्यक संवैधानिक संशोधन

- ❖ आरक्षण लागू करने के लिए परिसीमन एक पूर्व शर्त है तथा

#### स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण

- भारत में पंचायती राज संस्थानों में महिला आरक्षण पहले से ही लागू है।
- संविधान का अनुच्छेद 243D (73वें संशोधन अधिनियम, 1992 के तहत शामिल) पंचायतों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है।
- अनुच्छेद 243D के प्रावधानों के अनुसार, एससी और एसटी के लिए आरक्षित सीटों की कुल संख्या में से एक तिहाई से कम सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित नहीं होंगी।
- सरकारी आंकड़ों के अनुसार, सितंबर 2021 की स्थिति तक भारत के 18 राज्यों में पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) में महिला निर्वाचित प्रतिनिधियों का प्रतिशत 50% से अधिक था।
  - + **ये 18 राज्य हैं:** उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, असम, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, ओडिशा, केरल, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, मणिपुर, तेलंगाना, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश।
- उपर्युक्त में से महिला प्रतिनिधियों का उच्चतम अनुपात उत्तराखंड (56.02%) और सबसे कम उत्तर प्रदेश (33.34%) में था।

#### महिला आरक्षण के संभावित परिणाम

- ❖ वर्तमान में लोक सभा में 82 महिलाएं हैं जो कुल सदस्यों का महज 15% हैं; यह तथ्य राजनीतिक प्रतिनिधित्व में लैंगिक असमानता की स्पष्ट और परेशान करने वाली तस्वीर पेश करता है। भारत के चुनावी इतिहास के 70 से अधिक वर्षों में महिला सांसदों की हिस्सेदारी कभी भी 15% से अधिक नहीं रही है।
- ❖ अधिनियम के तहत आरक्षण लागू होने से लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में महिला प्रतिनिधित्व बढ़ेगा, जिससे नीति-निर्माण में महिलाओं की भूमिका सशक्त होगी।

❖ महिलाएं, निर्णय लेने की प्रक्रिया में, दृष्टिकोण में विविधता ला सकती हैं और साथ ही विधायी बहस एवं निर्णय लेने की गुणवत्ता को भी समृद्ध कर सकती हैं।

### कार्यान्वयन हेतु परिसीमन अभ्यास की पूर्व शर्त : समालोचनात्मक मूल्यांकन

❖ कई विधि विशेषज्ञों द्वारा 106वें संविधान संशोधन अधिनियम की इस आधार पर आलोचना की गई है कि इसके तहत प्रदत्त आरक्षण के क्रियान्वयन को परिसीमन और जनगणना से जोड़ा गया है।

❖ अवगत करा दें कि परिसीमन आयोग का अंतिम परिसीमन आदेश 2008 में जारी किया गया था, जिसमें सभी निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं तय की गई थीं।

❖ हालांकि, राज्य विधानसभाओं और लोक सभा में सीटों की संख्या के पुनः समायोजन पर फिलहाल रोक लगी हुई है।

❖ वर्ष 2002 में, अनुच्छेद 82 में इस आशय से संशोधन किया गया था कि 2026 के बाद आयोजित पहली जनगणना के आंकड़े उपलब्ध होने तक लोक सभा निर्वाचन क्षेत्रों के राज्य-वार आवंटन और प्रत्येक राज्य को निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित करना आवश्यक नहीं होगा।

❖ आलोचकों द्वारा नवीन अधिनियम के संबंध में यह मुद्दा उठाया जा रहा है कि क्या इसका मतलब यह होगा कि महिलाओं का कोटा तब तक लागू नहीं किया जाएगा जब तक कि 2031 की जनगणना के आंकड़े उपलब्ध नहीं हो जाते और उसके बाद परिसीमन नहीं हो जाता।


❖ इस संबंध में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा संसद को सूचित किया गया है कि जनगणना और परिसीमन की प्रक्रिया 2024 में होने वाले आम चुनाव के तुरंत बाद की जाएगी।

❖ इसका मतलब यह है कि कम से कम कुछ वर्षों तक महिला आरक्षण का क्रियान्वयन संभव नहीं हो पाएगा।

## भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा

### अवसंरचनात्मक कनेक्टिविटी तथा आर्थिक एकीकरण का एक बेहतर विकल्प

9 सितंबर, 2023 को 18वें G-20 सम्मेलन के दौरान भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे (India-Middle East-Europe Economic Corridor: IMEC) की स्थापना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौता ज्ञापन (MoU) पर भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, सऊदी अरब, यूरोपीय संघ, संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस, जर्मनी और इटली ने हस्ताक्षर किए हैं।



Corridor) भारत को अरब की खाड़ी से जोड़ेगा और उत्तरी गलियारा (Northern Corridor) अरब की खाड़ी को यूरोप से जोड़ेगा।

❖ IMEC की परिकल्पना परिवहन गलियारों का एक नेटवर्क (A Network of Transportation Corridors) तैयार करने के लिए की गई है। यह नेटवर्क एशिया, अरब की खाड़ी और यूरोप के बीच भौगोलिक एकीकरण (Geographical Integration) के माध्यम से आर्थिक संवृद्धि में सहायता करेगा।

❖ चीन की 'बेल्ट एंड रोड इनीशिएटिव' परियोजना को उचित प्रत्युत्तर देने के साथ IMEC परियोजना में सदस्य देशों को अवसंरचनात्मक कनेक्टिविटी तथा आर्थिक एकीकरण हेतु बेहतर विकल्प उपलब्ध कराने की क्षमता है।

### भारत-मध्य पूर्व-यूरोप गलियारा क्या है ?

❖ भारत-मध्य पूर्व-यूरोप गलियारा (IMEC) एशिया, अरब की खाड़ी और यूरोप के बीच आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए रेलवे लाइनों और समुद्री मार्गों से युक्त परिवहन गलियारों का एक नेटवर्क है।

❖ प्रस्तावित गलियारे में दो अलग-अलग गलियारे शामिल होंगे- पूर्वी गलियारा और उत्तरी गलियारा। पूर्वी गलियारा (Eastern

❖ इसमें भारत और सऊदी अरब के बीच जहाज द्वारा पारगमन शामिल होगा, इसके बाद संयुक्त अरब अमीरात और संभवतः जॉर्डन के लिए एक रेल लिंक होगा, जहां से शिपमेंट समुद्र के रास्ते तुर्की और आगे रेल नेटवर्क द्वारा जाएगा।

❖ रेलवे ट्रैक के साथ-साथ ऊर्जा एवं डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए केबल तथा स्वच्छ हाइड्रोजन निर्यात हेतु पाइपलाइन भी बिछाई जाएगी।

❖ **सदस्य देश:** भारत, अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, यूरोपीय संघ (ईयू), इटली, फ्रांस और जर्मनी।

❖ **PGII का हिस्सा:** IMEC वैश्विक संरचना निवेश के लिए साझेदारी (Partnership for Global Infrastructure Investments: PGII) का एक हिस्सा है। PGII की घोषणा वर्ष 2021 में यूनाइटेड किंगडम में आयोजित G-7 शिखर सम्मेलन के दौरान की गई थी।

+ PGII को विश्व भर में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए लांच किया गया है। PGII के तहत घोषित एक अन्य परियोजना ट्रांस अफ्रीकन कॉरिडोर (Trans African Corridor) है; यह अंगोला के लॉंबिटो बंदरगाह को कांगो के कटंगा प्रांत और जॉर्जिया में कॉपर बेल्ट से जोड़ेगा।

## IMEC में शामिल घटक

- ❖ **रेलवे लाइंस:** इससे भारत और यूरोप के बीच व्यापार की गति में 40% की बढ़ोतरी होगी।
- ❖ **विद्युत केबल और एक स्वच्छ हाइड्रोजन पाइपलाइन:** इससे स्वच्छ ऊर्जा व्यापार (Clean Energy Business) को बढ़ावा मिलेगा।
- ❖ **हाई स्पीड डेटा केबल:** विश्व में नवोन्मेषी डिजिटल इकोसिस्टम (Innovative Digital Ecosystem) को जोड़ा जाएगा और व्यावसायिक अवसर उत्पन्न किए जाएंगे।

## गलियारे का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर महत्व

- ❖ **चीन के BRI का प्रत्युत्तर:** इसे वर्ष 2013 में लॉन्च किए गए चीन के 'बेल्ट एंड रोड इनीशिएटिव' (BRI) के प्रत्युत्तर के रूप में देखा जा रहा है। चीन की BRI पहल यूरोप में रोम से होकर पूर्वी एशिया तक आवागमन के प्राचीन व्यापारिक मार्गों को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से आरंभ की गई है; इस परियोजना में प्रतिभाग करने वाले देश चीन की ऋण कूटनीति के जाल में फंस गए हैं।
- ❖ **मध्य पूर्व (पश्चिम एशिया) में भू-राजनीतिक स्थिरता:** यह गलियारा मध्य पूर्व (भारत के सन्दर्भ में 'पश्चिम एशिया') के देशों को एक साथ लाने और इस क्षेत्र को 'चुनौती, संघर्ष या संकट के स्रोत' के बजाय आर्थिक गतिविधि के केंद्र के रूप में स्थापित करने में मदद करेगा।
- ❖ **राजनयिक संबंधों का सामान्यीकरण:** यह पश्चिम एशिया में राजनयिक संबंधों को सामान्य बनाने में मदद करेगा, जिससे इजराइल और सऊदी अरब के मध्य राजनयिक संबंध स्थापित होने की संभावना है; ये दोनों देश इस परियोजना का हिस्सा हैं।
- ❖ **स्वेज नहर एवं लाल सागर पर भू-राजनीतिक निर्भरता में कमी:** हाल के दिनों में स्वेज नहर मार्ग अत्यंत व्यस्त हो गया है। साथ ही, बाब-अल-मंदेब जलडमरूमध्य, अदन की खाड़ी एवं लाल सागर का चीन अपने सैन्यीकृत नौसैनिक अड्डों (जैसे-दोरालेह बंदरगाह) के माध्यम से सैन्यीकरण कर रहा है। ऐसे में नया आर्थिक कॉरिडोर (IMEC) परिवहन के लिए एक वैकल्पिक मार्ग खोलेगा।
- ❖ **जी20 की भूमिका का विस्तार:** यह परियोजना चीन तथा रूस के प्रभुत्व का मुकाबला करने के लिए भू-राजनीतिक क्षेत्र में जी20 की भूमिका का विस्तार करके इस समूह को और अधिक मजबूत करने का भी एक प्रयास है।
- ❖ **व्यापार और रोजगार के अवसरों में वृद्धि:** इस प्रस्तावित गलियारा परियोजना से विनिर्मित वस्तुओं के व्यापार में वृद्धि होगी और स्वच्छ ऊर्जा के विकास में आसानी होगी। इससे दक्षता बढ़ेगी, लागत में कमी आएगी, आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा मिलेगा तथा नए रोजगार सृजित होंगे।
- ❖ **बुनियादी ढांचे का विकास:** यह प्रस्तावित आर्थिक गलियारा परियोजना निम्न एवं मध्यम आय वाले देशों में विकास हेतु आवश्यक बुनियादी ढांचे की कमी से निपटने में मदद करेगी। यह विभिन्न महाद्वीपों तथा संस्कृतियों के मध्य एक हरित एवं डिजिटल पुल के रूप में कार्य करेगा, क्योंकि इसमें रेल लिंक के साथ-साथ एक बिजली केबल लाइन, एक हाइड्रोजन पाइपलाइन और एक हाई-स्पीड डेटा केबल भी शामिल होगी।

## भारत के लिए महत्व

- ❖ **मध्य-पूर्व में भारत-अमेरिका का अभिसरण:** यह परियोजना I2U2 फोरम (I2U2 Forum) के बाद मध्य-पूर्व में भारत तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच दूसरा वृहद अभिसरण है। यह भारत-अमेरिका संबंधों के लिए कहीं अधिक महत्वपूर्ण साबित हो सकता है।
- ❖ **अरब प्रायद्वीप के साथ रणनीतिक जुड़ाव:** यह परियोजना भारत को अरब देशों के साथ स्थायी कनेक्टिविटी बनाने का अवसर प्रदान करेगी।
  - + इससे क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को एक निश्चित आकार प्राप्त होगा तथा इस क्षेत्र में भारत की भूमिका मजबूत होगी।
- ❖ **पाकिस्तानी प्रभुत्व में कमी लाना:** पाकिस्तान की भौगोलिक स्थिति ने भारत के लिए कनेक्टिविटी के संबंध में लगातार चुनौतियां उत्पन्न की हैं। 1990 के दशक से ही भारत अफगानिस्तान तथा मध्य एशिया के अन्य देशों तक पहुंच बनाने का प्रयास कर रहा है। यह परियोजना पाकिस्तान के भौगोलिक एकाधिकार में कमी लाएगी।
  - + इतना ही नहीं, इस परियोजना के माध्यम से भारत, ईरान के चाबहार बंदरगाह और अंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारा (INSTC) पर निर्भरता कम करके यूरोप के देशों तक पहुंच स्थापित करने के लिए एक अन्य वैकल्पिक परिवहन गलियारा/मार्ग प्राप्त कर सकेगा।
- ❖ **ट्रांस-अफ्रीकन कॉरिडोर (TAC) में शामिल होने का अवसर:** अमेरिका तथा यूरोपीय संघ की सहायता से परिकल्पित TAC के माध्यम से अंगोला, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो और जाम्बिया को जोड़ने का प्रस्ताव किया गया है। IMEC परियोजना के प्रभावी कार्यान्वयन से भारत को ट्रांस-अफ्रीकी कॉरिडोर में शामिल होने का अवसर प्राप्त हो सकता है।

## IMEC परियोजना के मार्ग में संभावित चुनौतियां

- ❖ **गैर-बाध्यकारी MoU:** IMEC से संबंधित समझौता ज्ञापन अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत कोई अधिकार या दायित्व नहीं बनाता है।
  - + यह ज्ञापन केवल अपने प्रतिभागियों की राजनीतिक प्रतिबद्धताओं को निर्धारित करता है, जो गैर-बाध्यकारी हैं।
- ❖ **जमीनी स्तर पर कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण:** इसमें शामिल विभिन्न देशों (विशेषकर मध्य पूर्व के देशों) के मध्य व्यापक भू-राजनीतिक एवं आर्थिक विवाद इस गलियारे के शीघ्र कार्यान्वयन एवं निर्माण में एक प्रमुख चुनौती के रूप में हैं।
- ❖ **वित्त संबंधी चुनौती:** कॉरिडोर के निर्माण के लिए बड़े पैमाने पर वित्त की आवश्यकता होगी। अमेरिका और अन्य विकसित अर्थव्यवस्थाओं में छाई मंदी को देखते हुए ऐसे फंड की व्यवस्था करना एक चुनौती है। इस संदर्भ में सबसे बड़ी चुनौती निजी क्षेत्र से वित्त जुटाना है।
- ❖ **चीनी प्रतिरोध:** चीन द्वारा पहले से ही BRI परियोजना के साथ-साथ ईरान, सऊदी अरब और यूएई जैसे मध्य पूर्व के अन्य देशों में व्यापक निवेश किया जा चुका है। ऐसे में इस आर्थिक एवं कनेक्टिविटी परियोजना (IMEC) को चीनी प्रतिरोध का सामना करना पड़ सकता है।



# वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन

## नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में नए मंच का महत्व एवं चुनौतियां

9 सितंबर, 2023 को नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान भारत की पहल पर लॉन्च किए गए 'वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन' (Global Biofuel Alliance: GBA) का उद्देश्य जैव-ईंधन के उपयोग की दिशा में आगे बढ़ने और इसे व्यापक तौर पर अपनाने के लिए वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देने वाले मंच के रूप में कार्य करना है।



अंतरराष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी तथा वर्ल्ड बायोगैस एसोसिएशन (WBA)।

❖ **उद्देश्य:** वैश्विक जैव-ईंधन गठबंधन के उद्देश्य निम्नलिखित हैं-

- + जैव ईंधन को अपनाने तथा इसके उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना;
- + जैव ईंधन के लिए बाजारों का विकास तथा वैश्विक

- ❖ वर्ष 2015 में पेरिस में आयोजित COP-21 सम्मेलन में लॉन्च किए गए अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) के बाद 'ग्लोबल बायोफ्यूल एलायंस' भारत के नेतृत्व वाला दूसरा बहुपक्षीय मंच होगा।
- ❖ ग्लोबल बायोफ्यूल एलायंस की स्थापना भारत को जलवायु परिवर्तन कार्रवाई के केंद्र में लाएगी और जलवायु के खिलाफ लड़ाई में भारत की स्थिति को मजबूत करेगी।

### वैश्विक जैव-ईंधन गठबंधन के संदर्भ में

- ❖ यह सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने, टिकाऊ जैव ईंधन विकास को बढ़ावा देने और इसके अनुप्रयोग को बढ़ाने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय मंच होगा।
- + ग्लोबल बायोफ्यूल एलायंस (GFA) के देश भारत, ब्राजील और अमेरिका वैश्विक इथेनॉल उत्पादन का 85% हिस्सा धारित करते हैं।
- ❖ **GBA के सदस्य देश:** जीबीए के सदस्यों में 19 देश और 12 अंतरराष्ट्रीय संगठन शामिल हैं। सदस्यों का विवरण निम्नलिखित है-
- + **G20 समूह के 7 देश:** अर्जेंटीना, ब्राजील, कनाडा, भारत, इटली, दक्षिण-अफ्रीका और संयुक्त राज्य अमेरिका।
- + **G20 समूह द्वारा आमंत्रित 4 देश:** बांग्लादेश, सिंगापुर, मॉरीशस और संयुक्त अरब अमीरात।
- + **8 ऐसे देश जो G20 समूह से संबद्ध नहीं हैं:** आइसलैंड, केन्या, गुयाना, पराग्वे, सेशलस, श्रीलंका, युगांडा और फिनलैंड।
- + **12 अंतरराष्ट्रीय संगठन:** विश्व बैंक (WB), एशियाई विकास बैंक (ADB), विश्व आर्थिक मंच (WEF), विश्व एलपीजी संगठन (World LPG Organization), यूएन एनर्जी फॉर ऑल (UN Energy for All), संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन (UNIDO), बायोफ्यूलर्स प्लेटफॉर्म (BF), अंतरराष्ट्रीय नगर विमान संगठन (IRENA), अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA), अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा मंच (IEF),

व्यापार को सुविधाजनक बनाना;

- + परिवहन क्षेत्र में टिकाऊ जैव ईंधन के उपयोग में तेजी लाना;
- + विश्व भर में राष्ट्रीय जैव ईंधन कार्यक्रमों के लिए ठोस नीति साझाकरण का विकास तथा तकनीकी सहायता का प्रावधान करना;
- + पहले से उपयोग में लाई जाने वाली सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाना तथा उन्हें लागू करना;
- + प्रासंगिक मौजूदा क्षेत्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के साथ-साथ बायोएनर्जी, बायोइकोनॉमी, बायोफ्यूलर्स प्लेटफॉर्म, मिशन इनोवेशन बायोएनर्जी पहल और ग्लोबल बायोएनर्जी पार्टनरशिप (GEP) संबंधी पहलों को लागू करना।

### जैव-ईंधन क्या है?

- ❖ जैव-ईंधन नवीकरणीय ऊर्जा ईंधन है। इसे फसल-अपशिष्ट, वनस्पति-अपशिष्ट और नगर पालिका के ठोस-अपशिष्ट जैसे बायोमास से प्राप्त किया जाता है।
- ❖ इसका उपयोग परिवहन में डीजल व पेट्रोल के स्थान पर अथवा इसके साथ मिश्रण में किया जाता है।

### जैव-ईंधन के प्रकार

- ❖ **प्रथम पीढ़ी:** इसे चीनी, मक्का, स्टार्च जैसी खाद्य वस्तुओं से उत्पादित किया जाता है। यह ईंधन उच्च कार्बन सामग्री और ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन करता है।
- ❖ **द्वितीय पीढ़ी:** इसका उत्पादन चावल की भूसी जैसी बची हुई खाद्य फसलों से किया जाता है।
  - + इसमें ग्रीन हाउस गैसों का उत्पादन प्रथम पीढ़ी के जैव ईंधन से कम होता है।
- ❖ **तृतीय पीढ़ी:** इसे शैवाल जैसे सूक्ष्मजीवों से निर्मित किया जाता है। यह कार्बन न्यूट्रल ईंधन के रूप में जाना जाता है।
- ❖ **चतुर्थ पीढ़ी:** यह GM फसलों जैसी आनुवंशिक रूप से इंजीनियर की गई फसलों से उत्पादित जैव ईंधन है। यह कार्बन नकारात्मक ईंधन के रूप में जाना जाता है।

### जैव-ईंधन को बढ़ावा देने हेतु सरकारी पहलें

- ❖ **सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफॉर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन पहल:** इसका लक्ष्य वर्ष 2023-24 तक 5000 बायो सीएनजी संयंत्र (Bio CNG Plants) स्थापित करना है।
- ❖ **गोबर-धन योजना:** इसका लक्ष्य 500 नए संपीडित बायोगैस संयंत्र (Compressed Biogas Plant) स्थापित करना है।
- ❖ **समर्थ (SAMARTH) योजना:** 'तापीय विद्युत संयंत्र में कृषि अवशेषों के उपयोग पर सतत कृषि मिशन' (SAMARTH) योजना चलाई जा रही है, यह कृषि अपशिष्ट के उचित उपयोग पर केंद्रित है।
- ❖ **जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति 2018 (National Policy on Biofuels 2018):** यह इथेनॉल उत्पादन के लिए कच्चे माल के रूप में गन्ने के रस, चीनी युक्त सामग्री जैसे चुकंदर, मीठे ज्वार (Sweet Sorghum) के उपयोग को बढ़ावा देती है।
- ❖ **प्रधानमंत्री जी-वन योजना (Pradhan Mantri Ji-Van Yojana):** योजना का उद्देश्य वाणिज्यिक परियोजनाओं की स्थापना के लिए एक पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करना तथा 2जी इथेनॉल क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देना है।
- ❖ **इथेनॉल सम्मिश्रण (Ethanol Blending):** इथेनॉल सम्मिश्रण के दृष्टिकोण से भारत पहले से ही 10% के इथेनॉल मिश्रण अर्थात ई-10 (E-10) प्राप्त कर चुका है। भारत ने वर्ष 2030 के स्थान पर वर्ष 2025 तक पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य निर्धारित किया है।
- ❖ **खाना पकाने में प्रयुक्त तेल का पुनः उपयोग (Repurpose Used Cooking Oil: RUCO):** भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) द्वारा लॉन्च की गई इस योजना का लक्ष्य एक ऐसे पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करना है, जो प्रयुक्त किए गए खाना पकाने के तेल के संग्रह और उसके बायोडीजल में रूपांतरण को सक्षम बनाएगी।

### ग्लोबल बायोफ्यूल एलायंस का महत्त्व

- ❖ यह प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा देकर जैव-ईंधन के वैश्विक उपयोग में तेजी लाएगा। साथ ही, जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता में कमी करेगा।
- ❖ यह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त मानकों, सहिताओं, संधारणीय सिद्धांतों तथा विनियमों के विकास, अंगीकरण और कार्यान्वयन में मदद करेगा। इस कदम से वैश्विक स्तर पर जैव-ईंधन को अपनाने और इसके व्यापार को व्यापक प्रोत्साहन मिलेगा।
- ❖ यह गठबंधन वैकल्पिक ईंधन के उपयोग की दिशा में आगे बढ़ने और वर्ष 2070 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन (Net Zero Carbon Emissions) प्राप्त करने में भारत के लक्ष्य की प्राप्ति में मदद करेगा।

### ग्लोबल बायोफ्यूल एलायंस से संबंधित चिंताएं


- ❖ संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे विकसित देश प्रायः प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के प्रति इच्छुक नहीं होते हैं।
- ❖ इससे संबंधित कुछ पर्यावरणीय चिंताओं में फसल उगाने के लिए भूमि का अधिक उपयोग, भूमि उपयोग में परिवर्तन तथा जल का अधिक दोहन आदि शामिल हैं।

- ❖ सतत वित्त-पोषण तंत्र (Sustainable Financing Mechanism) की स्थापना पर सहमति बनाना और जैव-ईंधन पर आयात प्रतिबंधों से जुड़ी समस्याओं का समाधान भी प्रमुख चुनौतियों में से एक है।

### भविष्य की राह

- ❖ ग्लोबल बायोफ्यूल्स एलायंस (GBA) फोरम को एक स्थिर मंच के रूप में सीमित नहीं होना चाहिए। इसमें लघु और मध्यम अवधि में हासिल किए जाने वाले विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित किए जाने चाहिए।
- ❖ GBA का तात्कालिक उद्देश्य बायोमास आपूर्ति शृंखलाओं को मजबूत करना होना चाहिए।
- ❖ GBA को कृषि अवशेषों से दूसरी पीढ़ी के इथेनॉल के कुशल उत्पादन हेतु प्रौद्योगिकी के कुशल हस्तांतरण पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
- ❖ GBA को स्थायी विमानन ईंधन (Sustainable Aviation Fuel: SAF) हेतु पायलट प्रोजेक्ट के रूप में उत्पादन सुविधाओं का प्रदर्शन करना चाहिए तथा बायोएनर्जी पहल (Bioenergy Initiatives) के लिए स्थायी वित्तीय सहायता को बढ़ावा देना चाहिए।

## यूपीपीएससी मुख्य परीक्षा 2023 में सामान्य अध्ययन पेपर-V में निम्न पुस्तक से पूछे गए प्रश्न



- प्रश्न-3 : UPPSC मुख्य परीक्षा, प्रश्न पत्र-V पृष्ठ 124-126  
 प्रश्न-4 : UPPSC मुख्य परीक्षा, प्रश्न पत्र-V पृष्ठ 204  
 प्रश्न-5 : UPPSC मुख्य परीक्षा, प्रश्न पत्र-V पृष्ठ 152-153  
 प्रश्न-6 : UPPSC मुख्य परीक्षा, प्रश्न पत्र-V पृष्ठ 45  
 प्रश्न-7 : UPPSC मुख्य परीक्षा, प्रश्न पत्र-V पृष्ठ 2  
 प्रश्न-10 : UPPSC मुख्य परीक्षा, प्रश्न पत्र-V पृष्ठ 138  
 प्रश्न-11 : UPPSC मुख्य परीक्षा, प्रश्न पत्र-V पृष्ठ 146-147  
 प्रश्न-15 : UPPSC मुख्य परीक्षा, प्रश्न पत्र-V पृष्ठ 150  
 प्रश्न-17 : UPPSC मुख्य परीक्षा, प्रश्न पत्र-V पृष्ठ 57, 58, 59  
 प्रश्न-18 : UPPSC मुख्य परीक्षा, प्रश्न पत्र-V पृष्ठ 9

**Chronicle Publications Pvt. Ltd.**

Ph.: 0120-2514610/12, Mob.: 9953099442, E-mail: info@chronicleindia.in

Books Available in

[www.chronicleindia.in](http://www.chronicleindia.in)

amazon

Flipkart

snapdeal



## न्यायपालिका

- ◆ सुप्रीम कोर्ट का राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड के साथ एकीकरण
- ◆ पुलिस ब्रीफिंग पर मैनुअल बनाने का सुप्रीम कोर्ट का निर्देश
- ◆ सुब्रमण्यम स्वामी वाद के निर्णय का पूर्वव्यापी प्रभाव

## कार्यक्रम एवं पहल

- ◆ सागर परिक्रमा चरण-VIII
- ◆ स्वच्छता ही सेवा अभियान 2023

- ◆ आयुष्मान भव अभियान
- ◆ क्षमता निर्माण योजना
- ◆ मानक क्लबों की स्थापना
- ◆ 'ट्रैवल फॉर लाइफ' अभियान

## राज्यवस्था एवं शासन

- ◆ जेल सुधारों पर सुप्रीम कोर्ट की समिति

## राष्ट्रीय सुरक्षा

- ◆ सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम [AFSPA]

## नियम एवं दिशा-निर्देश

- ◆ केबल टेलीविजन नेटवर्क नियमों में संशोधन
- ◆ प्रतिबंधित संगठनों को मंच न प्रदान करने की सलाह

## न्यूज ब्रुजेस

## न्यायपालिका

### सुप्रीम कोर्ट का राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड के साथ एकीकरण

भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने 14 सितंबर, 2023 को राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (National Judicial Data Grid: NJDG) पोर्टल के साथ सुप्रीम कोर्ट के वास्तविक समय के केस डेटा के एकीकरण की घोषणा की।

- ❖ इसका अर्थ यह है कि सुप्रीम कोर्ट में मामलों की फाइलिंग और निपटान का वास्तविक समय डेटा (Real-time data) अब आम आदमी के समक्ष उपलब्ध होगा।
- ❖ प्रधान न्यायाधीश ने न्यायालय की 'ओपन डेटा पॉलिसी' के तहत एनजेडीजी पोर्टल पर सुप्रीम कोर्ट के डेटा को शामिल करने को "न्यायिक क्षेत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही लाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम" बताया।

### राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (NJDG) क्या है?

- ❖ राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत 2015 में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक पहल है। यह पोर्टल देश भर की अदालतों द्वारा शुरू किए गए, लंबित और निपटाए गए मामलों से संबंधित डेटा का एक राष्ट्रीय भंडार है।
- ❖ एनजेडीजी 18,735 जिला और अधीनस्थ न्यायालयों तथा उच्च न्यायालयों के आदेशों, निर्णयों और मामले के विवरण का एक डेटाबेस है, जिसे ई-कोर्ट परियोजना (e-Courts Project) के तहत एक ऑनलाइन मंच के रूप में विकसित किया गया है।
- ❖ इसकी प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें डेटा वास्तविक समय में अपडेट किया जाता है और इसमें तालुका स्तर तक का विस्तृत डेटा उपलब्ध होता है।

- ❖ एनजेडीजी को ई-कोर्ट परियोजना के चरण II के हिस्से के रूप में बनाया गया था, जो एक केंद्र प्रायोजित योजना है।
- ❖ इस प्लेटफॉर्म को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) द्वारा 'सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री के कंप्यूटर सेल' (Computer Cell, Registry of the Supreme Court) की इन-हाउस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम के साथ निकट समन्वय में विकसित किया गया है।
- ❖ वर्तमान में, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से 23.81 करोड़ मामलों और 23.02 करोड़ से अधिक आदेशों एवं निर्णयों की स्थिति की जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

### एनजेडीजी के लाभ

- ❖ **पहचान एवं प्रबंधन** : एनजेडीजी मामलों की पहचान, प्रबंधन एवं लंबित मामलों को कम करने के लिए एक निगरानी उपकरण के रूप में कार्य करता है।
- ❖ **नीति निर्माण में इनपुट** : यह मामलों के निपटान में देरी को कम करने हेतु नीतिगत निर्णय लेने के लिए समय पर इनपुट प्रदान करता है तथा लंबित मामलों को कम करने में मदद करता है।
- ❖ **प्रदर्शन विश्लेषण** : यह न्यायालय के प्रदर्शन और प्रणालीगत बाधाओं की बेहतर निगरानी की सुविधा भी प्रदान करता है तथा इस प्रकार, एक कुशल संसाधन प्रबंधन उपकरण के रूप में कार्य करता है।
- ❖ **सरकार तक आसान पहुंच**: विभागीय आईडी और एक्सेस कुंजी का उपयोग करके एनजेडीजी डेटा तक आसान पहुंच की अनुमति देने के लिए केंद्र तथा राज्य सरकार को ओपन एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (API) प्रदान किया गया है।

### ई-कोर्ट परियोजना चरण III को मंजूरी

- ❖ 13 सितंबर, 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 7,210 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय के साथ 2023 से आगे अगले 4 वर्षों के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना के रूप में ई-कोर्ट परियोजना चरण III (e-Courts Project Phase III) को मंजूरी दी।

- ❖ ई-कोर्ट चरण III योजना को विधि एवं न्याय मंत्रालय के न्याय विभाग तथा सर्वोच्च न्यायालय की ई-समिति (e-Committee) की संयुक्त साझेदारी के तहत विकेंद्रीकृत तरीके से कार्यान्वित किया जा रहा है।
- ❖ ई-कोर्ट चरण- III का उद्देश्य **संपूर्ण न्यायालय रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण के माध्यम से डिजिटल, ऑनलाइन और पेपरलेस अदालतों** की ओर बढ़ते हुए न्याय की अधिकतम सुगमता की व्यवस्था शुरू करना है।
- ❖ परियोजना का पहला चरण 2011-2015 के दौरान लागू किया गया था। दूसरा चरण 2015-2023 में शुरू हुआ।
- ❖ तीसरे चरण में, सिस्टम को क्लाउड टेक्नोलॉजी में स्थानांतरित किया जाएगा और मौजूदा आवश्यकताओं के अनुसार 25 पेटाबाइट क्लाउड स्टोरेज प्रदान किया जाएगा।

### ई-कोर्ट परियोजना क्या है?

- यह प्रौद्योगिकी का उपयोग करके न्याय तक पहुंच में सुधार करने के लिए भारत सरकार के विधि एवं न्याय मंत्रालय के तहत न्याय विभाग की एक राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस परियोजना है।
- ई-कोर्ट एकीकृत मिशन मोड परियोजना वर्ष 2007 से देश के जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में कार्यान्वित की जा रही राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस परियोजनाओं में से एक है।
- ई-कोर्ट परियोजना का उद्देश्य देश में जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के सार्वभौमिक कम्प्यूटरीकरण और न्याय प्रणाली की आईसीटी सक्षमता में वृद्धि करके वादियों, वकीलों और न्यायपालिका को आवश्यक सेवाएं प्रदान करना है।
- यह परियोजना भारत के सर्वोच्च न्यायालय की ई-समिति और न्याय विभाग के सहयोग से कार्यान्वित की जा रही है।

## पुलिस ब्रीफिंग पर मैनुअल बनाने का सुप्रीम कोर्ट का निर्देश

13 सितंबर, 2023 को सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्देश जारी करते हुए कहा कि पुलिस द्वारा मीडिया को की जाने वाली ब्रीफिंग का नतीजा मीडिया ट्रायल नहीं होना चाहिए। कोर्ट ने गृह मंत्रालय को 90 दिनों के भीतर पुलिस ब्रीफिंग पर एक मैनुअल तैयार करने का निर्देश दिया है।

### सुप्रीम कोर्ट द्वारा उल्लेखित प्रमुख बिंदु

- ❖ **मीडिया ट्रायल को रोकना:** मीडिया ट्रायल समय से पहले आरोपी के अपराध को निर्धारित करता है, इसलिए इसे रोका जाना चाहिए।
- ❖ **पुलिस महानिदेशकों (DGP) से इनपुट:** शीर्ष अदालत ने सभी राज्य पुलिस महानिदेशकों (DGP) से मैनुअल के लिए अपने सुझाव देने को कहा है।
- ❖ **राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से इनपुट:** इस प्रक्रिया में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के इनपुट पर भी विचार किया जाएगा।
- ❖ **अधिकारों और गोपनीयता में संतुलन:** शीर्ष अदालत ने स्वतंत्र भाषण और अभिव्यक्ति के मौलिक अधिकार, निष्पक्ष जांच के आरोपी के अधिकार और पीड़ितों की गोपनीयता के बीच नाजुक संतुलन पर जोर दिया।

- ❖ **सूचना प्रकटीकरण:** मीडिया को बताई गई जानकारी की प्रकृति, पीड़ितों और आरोपी व्यक्तियों की उम्र और लिंग जैसे कारकों पर विचार करते हुए, प्रत्येक मामले की विशिष्ट परिस्थितियों के अनुरूप होनी चाहिए।

### पुलिस द्वारा मीडिया ब्रीफिंग के संभावित प्रभाव

- ❖ पुलिस द्वारा जानकारी का खुलासा करना **संदिग्धों, आरोपियों, पीड़ितों, गवाहों और उनसे निकटता से जुड़े व्यक्तियों की गरिमा और निजता के अधिकार का उल्लंघन** हो सकता है।
- ❖ इससे उक्त व्यक्तियों को **सामाजिक बहिष्कार और रोजगार बनाए रखने में कठिनाइयों का सामना** करना पड़ सकता है, जिससे वे अपराध और शोषण के प्रति सुभेद्य हो सकते हैं।
- ❖ पुलिस द्वारा न्यायालय में पेश किए गए **आपराधिक मामलों का साक्ष्य-आधारित आख्यान (Narrative)** समाचार मीडिया को प्रदान किए गए विवरण से काफी भिन्न होता है; इसलिए ऐसी मीडिया ब्रीफिंग मामले में शामिल व्यक्तियों और संपूर्ण न्याय प्रणाली के लिए काफी हानिकारक हो सकती है।

### पुलिस को जानकारी प्रकट करने से रोकने के लिए प्रयास

- ❖ रोमिला थापर बनाम भारत संघ, (2018) मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कानून प्रवर्तन अधिकारियों को निर्देश दिया था कि वे सुनवाई पूरी होने से पहले अपनी जांच के विवरण, विशेष रूप से आरोपी के व्यक्तिगत विवरण का खुलासा न करें।
- ❖ गृह मंत्रालय ने एक दशक पहले मीडिया नीति को रेखांकित करते हुए एक कार्यालय ज्ञापन जारी किया था, लेकिन इसका महत्व सीमित है, क्योंकि 'पुलिस' राज्य सूची का विषय है और इस प्रकार मुख्य रूप से राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आती है।
- ❖ केरल उन कुछ राज्यों में से एक है, जिसने अपने **पुलिस अधिनियम के तहत हिरासत में लिए गए व्यक्तियों की तस्वीरें जारी करने और परेड कराने की अनुमति नहीं दी है।**

## सुब्रमण्यम स्वामी वाद के निर्णय का पूर्वव्यापी प्रभाव

11 सितंबर, 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने 'सीबीआई बनाम आर. आर. किशोर' (CBI vs RR Kishore) वाद पर निर्णय देते हुए कहा कि 2014 के सुब्रमण्यम स्वामी बनाम सीबीआई निदेशक मामले में दिया गया, उसका निर्णय पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू होगा।

- ❖ अवगत करा दें कि **2014 के सुब्रमण्यम स्वामी वाद में** शीर्ष अदालत ने दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम (DSPE Act), 1946 की धारा 6ए को रद्द कर दिया था।

### वृष्टिभूमि

- ❖ डीपीएसई अधिनियम की धारा 6ए में यह निर्धारित किया गया है कि संयुक्त सचिव और उससे ऊपर के रैंक के अधिकारी के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों की जांच के लिए सीबीआई को केंद्र सरकार से पूर्व मंजूरी लेनी चाहिए।
- ❖ सुब्रमण्यम स्वामी बनाम भारत संघ मामले में इस प्रावधान को 'असंवैधानिक' करार दिया गया था। न्यायालय ने कहा था कि लोक सेवकों के बीच कोई भेद नहीं किया जा सकता।
- ❖ पूर्वव्यापी कानून एक ऐसा कानून है, जो **पिछली तारीख से प्रभावी होता है या पारित होने के समय से पहले से प्रभावी होता है।**

### सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का प्रभाव

- ❖ इस निर्णय के पश्चात अब सीबीआई को 2014 से पहले दायर मामलों की जांच या मुकदमा चलाने के लिए सरकार से पूर्व अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है।
- ❖ इस फैसले से भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17 ए के तहत 2003 से 2014 के बीच सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ शुरू किए गए भ्रष्टाचार और अन्य आपराधिक मामलों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की संभावना है।

### कार्यक्रम एवं पहल

#### सागर परिक्रमा चरण-VIII

- ❖ 31 अगस्त से 2 सितंबर, 2023 के मध्य तमिलनाडु के कन्याकुमारी से रामनाथपुरम तक सागर परिक्रमा के 8वें चरण (Sagar Parikrama Phase-VIII) का आयोजन किया गया।
- ❖ सागर परिक्रमा चरण-VIII के अंतर्गत तमिलनाडु के 4 तटीय जिलों- कन्याकुमारी, तिरुनेलवेली, थूथुकुडी और रामनाथपुरम को कवर किया गया।
- ❖ इस चरण का शुभारंभ 31 अगस्त, 2023 को केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री परषोत्तम रूपाला द्वारा कन्याकुमारी जिले के थेंगापट्टनम समुद्र तट पर किया गया था।

#### सागर परिक्रमा का पहला एवं दूसरा भाग

- ❖ सागर परिक्रमा के पहले भाग के अंतर्गत देश के पश्चिमी तट के प्रमुख क्षेत्रों को कवर किया गया। यह भाग 5 मार्च, 2022 को मांडवी, गुजरात (सागर परिक्रमा-चरण I) से शुरू किया गया था और 12 जून, 2023 को विज़िंजम, केरल (सागर परिक्रमा-चरण VII) में पूरा हुआ।
- ❖ सागर परिक्रमा के दूसरे भाग का लक्ष्य देश के पूर्वी तट को कवर करना है, इसलिए सागर परिक्रमा के चरण-VIII के तहत देश के पूर्वी तटीय राज्य तमिलनाडु के 4 जिलों को शामिल किया गया है।
- ❖ सागर परिक्रमा के पहले सात चरणों में गुजरात, दीव और दमन, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, पुडुचेरी और अंडमान एवं निकोबार सहित 8 पश्चिमी तटीय राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 3,600 किमी. की दूरी तय की गई है।

#### कार्यक्रम की विशेषताएं

- ❖ यह यात्रा तटीय क्षेत्र के मछुआरों, मत्स्य किसानों और अन्य संबंधित हितधारकों के साथ एकजुटता प्रदर्शित करने वाली भारत सरकार की एक विकासवादी पहल का प्रतीक है।
- ❖ सागर परिक्रमा कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य मत्स्य पालन से संबंधित विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में जानकारी का प्रसार करना तथा सतत संतुलन पर ध्यान देने के साथ उत्तरदायित्वपूर्ण मत्स्य पालन को बढ़ावा देना और समुद्री पारिस्थितिक तंत्र की सुरक्षा करना है।
- ❖ यह पहल मछुआरों के मुद्दों, अनुभवों तथा आकांक्षाओं को बेहतर ढंग से समझने के साथ-साथ समुद्री खाद्य निर्यात के दायरे की जांच करने और तटीय क्षेत्रों में मछुआरों के लिए उपलब्ध कार्यक्रमों को लोकप्रिय बनाने के लिए शुरू की गई है।

### भारत का पहला बहुउद्देशीय समुद्री शैवाल पार्क

- ❖ सागर परिक्रमा चरण-VIII के दौरान 2 सितंबर, 2023 को केंद्रीय मंत्री परषोत्तम रूपाला द्वारा रामनाथपुरम जिले के वलमावुर (Valamavur) में भारत के पहले बहुउद्देशीय समुद्री शैवाल पार्क (Multipurpose Seaweed Park) की आधारशिला रखी गई।
- ❖ इसे 127.71 करोड़ की लागत से बनाया जाएगा।
- ❖ समुद्री शैवाल पार्क देश के 6 तटीय जिलों के मछुआरों के लिए रोजगार के अवसर सृजित करने में मदद करेगा। इससे महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता में भी सुधार होगा।
- ❖ समुद्री शैवाल का उपयोग दवाओं और खाद्य सामग्री के निर्माण में किया जाएगा।

#### स्वच्छता ही सेवा अभियान 2023

- ❖ केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने 15 सितंबर, 2023 को जयपुर से अखिल भारतीय स्वच्छता पखवाड़ा - "स्वच्छता ही सेवा 2023" अभियान [Swachhata Hi Seva (SHS) 2023 campaign] का शुभारंभ किया। यह अभियान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 'स्वच्छ भारत' के दृष्टिकोण के अनुरूप है।
- ❖ केंद्रीय जल शक्ति मंत्री द्वारा यह अभियान केंद्रीय पंचायतीराज एवं ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह और केंद्रीय आवास तथा शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी के साथ संयुक्त रूप से शुरू किया गया।
- ❖ इस अभियान की थीम है- 'कचरा-मुक्त भारत' (Garbage-Free India)।

#### 'स्वच्छता ही सेवा' के संदर्भ में:

- ❖ 2 अक्टूबर, 2023 (गांधी जयंती) को स्वच्छ भारत दिवस की तैयारी के रूप में, स्वच्छ भारत मिशन के 9 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में, विभिन्न मंत्रालयों के सहयोग से 15 सितंबर से 2 अक्टूबर, 2023 के मध्य 'स्वच्छता ही सेवा' पखवाड़ा का आयोजन किया गया।
- ❖ पखवाड़े के हिस्से के रूप में, भारत को स्वच्छ और कचरा मुक्त बनाने की प्रतिबद्धता की पुष्टि की गई।
- ❖ फोकस: यह अभियान स्वैच्छिक तथा श्रमदान की भावना के साथ-साथ सफाई मित्रों के कल्याण के माध्यम से स्थानीय निकायों में स्वच्छता के स्पष्ट रूप से उच्च मानक को प्राप्त करने पर केंद्रित था।

#### एसएचएस-2023 के तहत विभिन्न गतिविधियाँ आयोजित

- ❖ एक साथ समाधान: यह अभियान शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में एक साथ अपशिष्ट प्रबंधन के मुद्दों से निपटने की क्षमता पर प्रकाश डालता है।
- ❖ सामुदायिक गतिशीलता: अभियान का उद्देश्य समुदायों को एकजुट करना, खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) प्लस गांवों के लिए 'जन आंदोलन' को बढ़ावा देना और 'स्वच्छता हर किसी का व्यवसाय है' के विचार को सुदृढ़ करना है।
- ❖ भारतीय स्वच्छता लीग 2.0: इसका उद्देश्य समुद्र तटों, पहाड़ियों और पर्यटन स्थलों पर स्वच्छता के लिए निरंतर स्वामित्व लेने के लिए बड़े पैमाने पर युवा समूहों को संगठित करना है।

- ❖ **सफाईमित्र सुरक्षा शिविर:** इन शिविरों का उद्देश्य सफाई कर्मचारियों और उनके आश्रितों के लिए कल्याणकारी योजनाओं को पूरा करना और उनकी भलाई और जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है।

## आयुष्मान भव अभियान

13 सितंबर, 2023 को भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने गांधीनगर के राजभवन से आयुष्मान भव अभियान (Ayushman Bhav campaign) एवं आयुष्मान भव पोर्टल (Ayushman Bhav Portal) का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ किया।

- ❖ आयुष्मान भव अभियान में सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज (UHC) को आगे बढ़ाने तथा विशेष रूप से **वंचित समुदाय के लिए स्वास्थ्य सेवा पहुंच एवं सामर्थ्य का विस्तार करने में** इसके महत्व पर बल दिया गया।

### मुख्य बिंदु

- ❖ 'आयुष्मान भव' अभियान केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की एक व्यापक राष्ट्रव्यापी स्वास्थ्य सेवा पहल है, जिसका उद्देश्य देश के प्रत्येक गांव तथा कस्बे तक स्वास्थ्य सेवाओं का संपूर्ण कवरेज प्रदान करना है।
- ❖ यह अभूतपूर्व पहल आयुष्मान भारत कार्यक्रम की सफलता पर आधारित है तथा स्वास्थ्य सेवाओं में एक आदर्श बदलाव का प्रतीक है।
- ❖ यह अभियान 17 सितंबर से 2 अक्टूबर, 2023 तक 'सेवा पखवाड़ा' के दौरान कार्यान्वित किया गया, यह पूरे देश और पूरे समाज के दृष्टिकोण का प्रतीक है।
- ❖ यह सरकारी क्षेत्रों, नागरिक समाज संगठनों और समुदायों को एक साझा मिशन के तहत एकजुट करता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रत्येक व्यक्ति को बिना किसी असमानता या बहिष्कार के आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त हों।

### अभियान का कार्यान्वयन

- ❖ आयुष्मान भव अभियान स्वास्थ्य विभाग, अन्य सरकारी विभागों एवं ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में स्थानीय निर्वाचित निकायों के समन्वय से ग्राम पंचायतों द्वारा चलाया गया एक सहयोगात्मक प्रयास है।
- ❖ इसका मुख्य उद्देश्य भौगोलिक बाधाओं को पार करते हुए हर गांव और कस्बे तक व्यापक स्वास्थ्य देखभाल कवरेज का विस्तार करना है और यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पीछे न छूटे।
- ❖ इस सहक्रियात्मक दृष्टिकोण का लक्ष्य अपने तीन घटकों- (1) आयुष्मान - आपके द्वार 3.0, (2) स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों (HWC) तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (CHC) पर आयुष्मान मेलों तथा (3) प्रत्येक गांव और पंचायत में आयुष्मान सभाओं के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं के कवरेज को संतृप्त करना है।

## क्षमता निर्माण योजना

27, सितंबर, 2023 को केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPI) मुख्यालय में सरकारी कर्मचारियों के लिए "क्षमता निर्माण योजना" (Capacity Building Plan: CBP) का शुभारंभ किया।

- ❖ यह योजना कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के परामर्श से क्षमता निर्माण आयोग (Capacity Building Commission: CBC) द्वारा शुरू की गई है।
- ❖ क्षमता निर्माण योजना, अधिकारियों को प्रशिक्षित करने और कौशल तथा अर्जित दक्षताओं के आधार पर अधिकारियों और कर्मचारियों की तैनाती को तर्कसंगत बनाने की एक पहल है। यह योजना सरकारी कार्यालयों के परिवर्तन पर बल देती है।

### सिविल सेवकों का क्षमता निर्माण क्यों आवश्यक है?

सिविल सेवा का मुख्य लक्ष्य आम आदमी के लिए जीवन जीने की सहजता तथा नागरिक केन्द्रित सेवा सुनिश्चित करना है। इसलिए सिविल सेवकों का क्षमता निर्माण आवश्यक है।

- ❖ **विशिष्ट ज्ञान एवं कौशल की आवश्यकता:** प्रौद्योगिकी विकास, जटिल कारोबारी एवं कानूनी पहलों के कारण सिविल सेवा में नई चुनौतियां उत्पन्न हो रही हैं। इन नवीन चुनौतियों से निपटने के लिए विशिष्ट ज्ञान एवं कौशल की आवश्यकता है, जिसके लिए सिविल सेवकों का क्षमता निर्माण किया जाना जरूरी है।
- ❖ **शासन की परिवर्तनशील भूमिका के साथ सामंजस्य बनाए रखने हेतु:** परिवर्तनशील समाज में शासन की भूमिका में भी परिवर्तन आया है तथा यह परिवर्तन वैश्वीकरण एवं उदारकरण के पश्चात अधिक द्रुतगति से हो रहा है। इस परिवर्तन के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए सिविल सेवकों का क्षमता निर्माण किया जाना चाहिए।
- ❖ **अनुभव को सकारात्मक बनाए रखने हेतु:** सिविल सेवक सरकार के विभिन्न संस्थानों का प्रबंधन करते हैं। शासन के प्रति उनका दृष्टिकोण, दक्षता, कार्यकुशलता, नागरिकों के साथ पेश आने वाले अनुभव द्वारा प्रदर्शित होती है। इसलिए अनुभव को सकारात्मक रखने हेतु सिविल सेवकों का क्षमता निर्माण आवश्यक है।
- ❖ **प्रभावी जन-केंद्रित सिविल सेवा के निर्माण हेतु:** आम जनमानस अपनी समस्या के समाधान हेतु सर्वाधिक रूप से सिविल सेवकों के संपर्क में आते हैं। अतः लोक कल्याण तथा समस्या निष्पादन हेतु प्रभावी जन-केंद्रित सिविल सेवा की आवश्यकता है। इसके लिए सिविल सेवकों का क्षमता निर्माण अपरिहार्य है।

### मिशन कर्मयोगी

- ❖ मिशन कर्मयोगी (Mission Karmayogi) सिविल सेवकों के कौशल निर्माण एवं क्षमता विकास (Capacity Building) से जुड़ी एक राष्ट्रव्यापी योजना है, जिसका उद्देश्य सरकार में मानव संसाधन प्रबंधन प्रथाओं में मौलिक सुधार लाना है।
- ❖ यह अपने आप में विश्व की सबसे बड़ी मानव संसाधन योजना है, जिसे सितंबर 2020 में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट ने मंजूरी प्रदान की थी।
- ❖ इसके तहत आईजीओटी (iGOT- Integrated Government Online Training) कर्मयोगी प्लेटफॉर्म सिविल सेवकों की क्षमता निर्माण यात्रा में मार्गदर्शन करने हेतु एक व्यापक पोर्टल है।
- ❖ यह पोर्टल ऑनलाइन शिक्षण, योग्यता प्रबंधन, कैरियर प्रबंधन, चर्चा, कार्यक्रम और नेटवर्किंग से संबंधित 6 कार्यात्मक केंद्रों को आपस में जोड़ता है।

## मानक क्लबों की स्थापना

- भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) ने जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए “मानकों” (Standard) के महत्व के बारे में समाज के युवा सदस्यों को जागरूक करने के लिए देश भर के स्कूलों और कॉलेजों में 6,467 ‘मानक क्लब’ (Standard Clubs) स्थापित किए हैं।
- ❖ भारतीय मानक ब्यूरो के इस अभिनव प्रयास का उद्देश्य युवा मन में गुणवत्ता, मानकों और वैज्ञानिक स्वभाव पैदा करने का सर्वोपरि महत्व उत्पन्न करना है।

### मानक क्लब (Standard Club)

- ❖ मानक क्लब को वर्ष 2001 में भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) द्वारा लॉन्च किया गया था।
- ❖ इनकी स्थापना जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए मानकों के महत्व के बारे में समाज के युवा सदस्यों को संवेदनशील बनाने के उद्देश्य से की जा रही है।
- ❖ पात्रता: भारत में किसी भी उच्च और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, इंजीनियरिंग कॉलेज, विज्ञान महाविद्यालय, पॉलिटेक्निक आदि शैक्षणिक संस्थानों में मानक क्लब का गठन किया जा सकता है।
  - + 9वीं कक्षा और उससे ऊपर के विज्ञान विषय पढ़ने वाले छात्र भी क्लब का हिस्सा बनने के लिए पात्र हैं।
- ❖ गठन: प्रत्येक मानक क्लब में एक विज्ञान शिक्षक को क्लब के संरक्षक के रूप में और न्यूनतम 15 छात्रों को सदस्य के रूप में शामिल किया जाता है।

### भारतीय मानक ब्यूरो (BIS)

- BIS भारत का राष्ट्रीय मानक निकाय है, जिसे बीआईएस अधिनियम 2016 के तहत स्थापित किया गया है।
- इसका उद्देश्य वस्तुओं और सामग्रियों के मानकीकरण और गुणवत्ता आश्वासन की गतिविधियों का सामंजस्यपूर्ण विकास करना है।
- यह उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है।
- BIS अंतरराष्ट्रीय मानकीकरण संगठन (ISO) और अंतरराष्ट्रीय इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन (IEC) में भारत का प्रतिनिधित्व करता है।

## ‘ट्रैवल फॉर लाइफ’ अभियान

- 27 सितंबर, 2023 को पर्यटन मंत्रालय ने विश्व पर्यटन दिवस पर ‘ट्रैवल फॉर लाइफ’ (Travel for LiFE) अभियान शुरू किया।
- ❖ 15 सितंबर, 2023 से 2 अक्टूबर, 2023 तक चल रहे स्वच्छता पखवाड़े के एक हिस्से के रूप में, स्वच्छता अभियान के लिए ‘ट्रैवल फॉर लाइफ’ की यात्रा शुरू की गई थी।
  - ❖ इस अभियान का उद्देश्य यात्रियों को विभिन्न गंतव्यों की यात्रा के दौरान सहयोग और सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित करके जिम्मेदार और टिकाऊ पर्यटन को बढ़ावा देना है।

### अभियान के बारे में

- ❖ ‘ट्रैवल फॉर लाइफ’ का वैश्विक अभियान निम्नलिखित संगठनों साथ साझेदारी में पर्यटन मंत्रालय की एक पहल है :
  - + पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
  - + संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन (यूएनडब्ल्यूटीओ) और
  - + संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी)।

- ❖ ‘ट्रैवल फॉर लाइफ’ अभियान मिशन लाइफ (LiFE) का एक महत्वपूर्ण घटक है, जो एक महत्वाकांक्षी मिशन है, जिसका उद्देश्य हमारे ग्रह को एक स्थायी भविष्य की ओर ले जाना है।
- ❖ यह पहल पर्यटकों और पर्यटक व्यवसायों को जिम्मेदार और टिकाऊ पर्यटन को बढ़ावा देने के कार्यक्रम के लक्ष्य के अनुरूप, पर्यावरण संरक्षण और जलवायु कार्रवाई के लिए सरल, लेकिन प्रभावशाली कार्रवाई करने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह पर्यावरण संरक्षण, जैव विविधता की सुरक्षा, स्थानीय समुदायों में आर्थिक विकास और सामाजिक-सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण में योगदान देती है।

### मिशन LiFE

- ❖ मिशन LiFE को औपचारिक रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 19 अक्टूबर, 2022 को संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस की उपस्थिति में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, एकता नगर, गुजरात में लॉन्च किया गया था।
- ❖ मिशन LiFE (पर्यावरण के लिए जीवन शैली) भारत के नेतृत्व में एक वैश्विक जन आंदोलन है, जो व्यक्तियों और समुदायों से जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के खिलाफ पर्यावरण की सुरक्षा के लिए कार्य करने का आग्रह करता है।

## राजव्यवस्था एवं शासन

### जेल सुधारों पर सुप्रीम कोर्ट की समिति

- सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में जेल सुधारों पर सुप्रीम कोर्ट समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को रिकॉर्ड पर लेते हुए केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारों से इस पर प्रतिक्रिया मांगी है।
- ❖ पूर्व न्यायाधीश अमिताव रॉय की अध्यक्षता में गठित इस समिति का कहना है कि जेलों में भीड़भाड़ से निपटने के लिए त्वरित सुनवाई एक प्रभावी उपकरण हो सकता है।
  - ❖ समिति ने कहा है कि देश भर की जेलों में रहने की व्यवस्था की स्थिति “दयनीय” है तथा जेलों में रहने की स्थिति ‘मॉडल जेल मैनुअल, 2016’ के तहत परिकल्पित स्थितियों से तुलनीय नहीं है और इस पर तत्काल और परिणामोन्मुख ध्यान देने की आवश्यकता है।
  - ❖ इसमें कहा गया है कि 30 नवंबर, 2018 तक भारत की 644 उप-जेलों, 402 जिला जेलों और अन्य जेलों सहित कुल 1,341 जेलों में कैदियों की संख्या 122 प्रतिशत थी।

### भारतीय न्यायपालिका में लंबित मामलों से संबंधित आँकड़े

- ❖ 4.7 करोड़ से अधिक मामलों के साथ, विश्व भर में लंबित अदालती मामलों की संख्या सबसे ज्यादा भारत में है।
- ❖ राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (एनजेडीजी) के अनुसार, सर्वोच्च न्यायालय में 57,987 मामले और उच्च न्यायालयों में 49 लाख मामले लंबित हैं।
- ❖ इसके अलावा भारत की जिला अदालतों में 2.4 करोड़ मामले लंबित हैं, जिनमें से 23 लाख (9.58%) 10 वर्षों से अधिक समय से लंबित हैं और 39 लाख (16.44%) 5 से 10 वर्षों के बीच लंबित हैं।
- ❖ 2018 में जारी नीति आयोग के रणनीति पत्र के अनुसार, हमारी अदालतों में मामलों के निपटारे की प्रचलित दर के अनुसार, बैकलॉग को निपटाने में 324 साल से अधिक का समय लगेगा।

## जेल सुधार पर विभिन्न समितियों की सिफारिशें

- ❖ **जस्टिस मुल्ला समिति:** भारत सरकार ने 1980 में न्यायमूर्ति ए. एन. मुल्ला की अध्यक्षता में जेल सुधार पर एक समिति का गठन किया। मुल्ला समिति ने 1983 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। समिति ने निम्नलिखित सिफारिशें कीं:
  - + चूंकि “जेल” राज्य का विषय है और इस विषय में केंद्र सरकार का बहुत कम अधिकार है, इसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया जाना चाहिए।
  - + सरकार को **जेलों पर एक राष्ट्रीय नीति (National Policy on Prisons) का निर्माण करना चाहिए।**
  - + सरकार को एक **स्थायी राष्ट्रीय जेल आयोग (National Commission on Prisons) की स्थापना करनी चाहिए।** इस आयोग को जेल संबंधी मामलों पर अपनी वार्षिक रिपोर्ट संसद को सौंपनी चाहिए।
  - + प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में एक ‘**जेल एवं सुधार सेवा विभाग**’ (Department of Prisons and Correctional Services) स्थापित किया जाना चाहिए।
  - + जेल प्रशासन में बेहतर योग्य और प्रतिभाशाली व्यक्तियों को शामिल करने के लिए ‘**भारतीय जेल एवं सुधार सेवा**’ नामक एक अखिल भारतीय सेवा का गठन किया जाए।
- ❖ **जस्टिस वी.आर. कृष्ण अय्यर समिति 1986-87:** समिति ने वर्ष 1987 में महिला कैदियों पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। रिपोर्ट की प्रमुख सिफारिशें इस प्रकार हैं:
  - + आपराधिक संहिता के तहत **दोषी पाए जाने पर भी महिलाओं की गरिमा को बनाए रखने के लिए आवश्यक प्रावधान** किये जाने चाहिए।
  - + चूंकि महिलाएं समाज के अतिसंवेदनशील वर्ग में शामिल हैं, इसलिए जेल के अंदर भी उनका शोषण होने की संभावना बनी रहती है। ऐसे में महिला अपराधियों के लिए अलग संस्थान बनाने चाहिए। साथ ही इन संस्थानों के कर्मचारियों में केवल महिला कर्मचारी ही शामिल होनी चाहिए।
  - + जस्टिस अय्यर समिति ने **सुरक्षा, अनुशासन, समग्र कार्यक्रम, जेलों के पर्याप्त मानकों तथा मानवाधिकारों** आदि की आवश्यकता पर जोर दिया, क्योंकि ये सभी महिला अपराधियों को मनोविकृतियों और मानसिक अवसाद से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
- ❖ **बीपीआर एंड डी (BPR&D) समिति:** भारत सरकार ने 2005 में पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो (BPR&D) के महानिदेशक की अध्यक्षता में एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया।
  - + इस समिति ने **जेल सुधारों एवं सुधार प्रशासन पर राष्ट्रीय नीति, 2007 (National Policy on Prison Reforms and Correctional Administration, 2007) का मसौदा** तैयार किया।
  - + यह समिति कुछ नई सिफारिशें लेकर आई थी, जैसे जेल के बाद ‘**पश्च देखभाल**’ (aftercare) व ‘**पुनर्वास**’ के प्रावधान तथा कैदियों की कानूनी सहायता के लिए अधिकारियों की नियुक्ति आदि।
  - + वहीं, इस समिति की कुछ सिफारिशें बिल्कुल अव्यावहारिक थीं। उदाहरण के लिए इसने साधारण कारावास की सजा पाने वाले कैदियों के लिए भी जेल श्रम कार्यक्रमों में भाग लेना अनिवार्य करने की सिफारिश की।

## राष्ट्रीय सुरक्षा

### सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम [AFSPA]

- हाल ही में, गृह मंत्रालय ने नगालैंड, अरुणाचल प्रदेश, असम व मणिपुर के कुछ क्षेत्रों में सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम [AFSPA] को अगले 6 महीने के लिए बढ़ाने की घोषणा की है।
- ❖ **मणिपुर में AFSPA:** मैतेई और आदिवासी कुकी समुदायों के बीच जातीय हिंसा 1999 के बाद से मणिपुर में सबसे घातक संघर्ष बन गई है। मणिपुर में AFSPA 1981 से लागू है, जिसका प्रभाव घाटी और पहाड़ी दोनों जिलों पर पड़ता है। हालांकि, इसमें इम्फाल घाटी के 7 जिलों के 19 पुलिस स्टेशन शामिल नहीं हैं।
  - ❖ **असम में AFSPA:** ऊपरी असम के चार जिले डिब्रुगढ़, तिनसुकिया, शिवसागर और चराइदेव को “अशांत क्षेत्र” के रूप में अधिसूचित किया गया है।
  - ❖ **नागालैंड में शामिल जिले:** AFSPA विस्तार नागालैंड के 8 जिलों पर लागू होता है, जिनमें दीमापुर, न्यूलैंड, चुमोकेदिमा, मोन, किफिरे, नोकलाक, फेक और पेरेन शामिल हैं। इसमें 5 अन्य जिलों के 21 पुलिस स्टेशनों के विशिष्ट क्षेत्र भी शामिल हैं।
  - ❖ **अरुणाचल प्रदेश समावेशन:** अरुणाचल प्रदेश में, तिरप, चांगलांग और लोंगडिंग जिलों के साथ-साथ असम सीमा के पास नामसाई जिले में नामसाई, महादेवपुर और चोखम पुलिस स्टेशनों के तहत विशिष्ट क्षेत्रों को AFSPA के तहत “अशांत क्षेत्र” घोषित किया गया है।

### सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम [AFSPA] क्या है?

- ❖ सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम, जिसे आमतौर पर AFSPA के नाम से जाना जाता है, पूर्वोत्तर राज्यों में बढ़ती हिंसा के संदर्भ में दशकों पहले लागू हुआ था।
- ❖ AFSPA सशस्त्र बलों को ‘अशांत क्षेत्रों’ में सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए विशेष अधिकार प्रदान करता है।
- ❖ **प्रदत्त शक्तियां:** AFSPA “अशांत क्षेत्रों” में तैनात सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को कानून का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों की हत्या करने, गिरफ्तारी करने, बिना वारंट के तलाशी लेने और अभियोजन और कानूनी मुकदमों से सुरक्षा प्रदान करने जैसी कार्रवाई करने का अधिकार प्रदान करता है।

### “अशांत क्षेत्र” की घोषणा

- ❖ AFSPA की धारा 3 के तहत एक अधिसूचना के माध्यम से एक ‘अशांत क्षेत्र’ नामित किया जाता है। धार्मिक, नस्लीय, भाषाई, क्षेत्रीय या जाति-आधारित समूहों या समुदायों के बीच मतभेद या विवादों के परिणामस्वरूप यह अशांति हो सकती है।
- ❖ किसी क्षेत्र को अशांत घोषित करने की शक्ति **केंद्र सरकार, राज्य के राज्यपाल या केंद्र शासित प्रदेश प्रशासक के पास** है।

### AFSPA पर सुप्रीम कोर्ट के विचार

- ❖ सुप्रीम कोर्ट ने 1998 के एक फैसले (नगा पीपुल्स मूवमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स बनाम यूनियन ऑफ इंडिया) में AFSPA की संवैधानिकता को बरकरार रखा था।



- + फैसले में कहा गया कि केंद्र सरकार स्वतः संज्ञान लेकर घोषणा कर सकती है, लेकिन आदर्श रूप से उसे राज्य सरकार से परामर्श करना चाहिए।
- + AFSPA की घोषणा सीमित अवधि के लिए होनी चाहिए और हर 6 महीने में आवधिक समीक्षा के अधीन होनी चाहिए।
- + AFSPA शक्तियों का प्रयोग करते समय अधिकृत अधिकारियों को प्रभावी कार्रवाई के लिए आवश्यक न्यूनतम बल का उपयोग करना चाहिए।

## नियम एवं दिशा-निर्देश

### केबल टेलीविजन नेटवर्क नियमों में संशोधन

27 सितंबर, 2023 को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 में संशोधन करते हुए एक अधिसूचना जारी की, जिसमें मल्टी-सिस्टम ऑपरेटर (MSO) पंजीकरण नवीनीकरण के लिए प्रक्रियाएं शुरू की गईं।

- ❖ अधिसूचना के अनुसार मल्टी-सिस्टम ऑपरेटर (MSO) को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण या नवीनीकरण के लिए आवेदन करना होगा।

#### प्रमुख बिंदु

- ❖ मल्टी-सिस्टम ऑपरेटर को यह पंजीकरण या नवीनीकरण 10 वर्ष के लिए दिया जाएगा।
- ❖ नवीनीकरण के लिए एक लाख रुपये का प्रसंस्करण शुल्क लागू होगा।
- ❖ मौजूदा पंजीकरण समाप्त होने से पहले नवीनीकरण आवेदन 7 से 2 महीने के भीतर जमा किए जाने चाहिए।
- ❖ संशोधित प्रक्रिया का उद्देश्य व्यावसायिक सुगमता को बढ़ाना, केबल ऑपरेटरों को निश्चिंतता प्रदान करना तथा इस क्षेत्र में विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करना है।
- ❖ यह संशोधन केबल ऑपरेटरों के लिए ब्रॉडबैंड सेवा प्रदाताओं के साथ बुनियादी ढांचे को साझा करने का प्रावधान पेश करता है।

- ❖ इस पहल का उद्देश्य अतिरिक्त ब्रॉडबैंड बुनियादी ढांचे की आवश्यकता को कम करते हुए इंटरनेट पहुंच को बढ़ावा देना और संसाधन उपयोग को अनुकूलित करना है।

### प्रतिबंधित संगठनों को मंच न प्रदान करने की सलाह

21 सितंबर, 2023 सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने टीवी चैनलों को आतंकवाद के मामलों का सामना कर रहे लोगों एवं देश में प्रतिबंधित संगठनों को मंच न प्रदान करने की सलाह दी।

- ❖ भारत सरकार ने टेलीविजन चैनलों के लिए जारी एक परामर्श में कहा है कि वे ऐसी पृष्ठभूमि के व्यक्तियों के बारे में रिपोर्टें/संदर्भों और विचारों/एजेंडा को कोई भी मंच देने से बचें, जिनमें वे लोग भी शामिल हैं, जिनके खिलाफ गंभीर अपराध/आतंकवाद के आरोप हैं और जो प्रतिबंधित संगठनों से संबंधित हैं।
- ❖ यह सलाह केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 की धारा 20 के अंतर्गत जारी की गई है।
- ❖ केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 भारत में केबल टेलीविजन नेटवर्क के विनियमन का प्रावधान करता है।
- ❖ इसमें केबल ऑपरेटरों के पंजीकरण, केबल ऑपरेटरों द्वारा पालन किए जाने वाले कंटेंट कोड और केबल टेलीविजन नेटवर्क विनियमन प्राधिकरण (ट्राई) की स्थापना से संबंधित प्रावधान शामिल हैं।
- ❖ केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 की धारा 20 के अनुसार केंद्र सरकार जहां यह आवश्यक समझे, आदेश द्वारा, सार्वजनिक हित में किसी भी टेलीविजन चैनल या कार्यक्रम के प्रसारण/पुनः प्रसारण को विनियमित या प्रतिबंधित कर सकती है।
- ❖ धारा 20 उन परिस्थितियों और शर्तों को निर्धारित करती है, जिनके तहत भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, किसी विदेशी राज्य के साथ भारत के मैत्रीपूर्ण संबंधों या सार्वजनिक व्यवस्था अथवा शालीनता या नैतिकता के हित में आदेश जारी करना समाचीन है।
- ❖ उक्त अधिनियम की धारा 19 के अनुसार अधिकृत अधिकारी के पास, विभिन्न धार्मिक, नस्लीय, भाषाई या क्षेत्रीय समूहों या जातियों या समुदायों के बीच वैमनस्य, शत्रुता या द्वेष की भावनाओं को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रमों के प्रसारण पर रोक लगाने की शक्ति है।

## न्यूज बुलेट्स

|  |  |
|--|--|
| सरपंच संवाद मोबाइल ऐप                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने हाल ही में राजभवन में क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया (QCI) के एक मोबाइल एप्लिकेशन 'सरपंच संवाद' का अनावरण किया।</li> <li>❖ इसका उद्देश्य संपूर्ण भारत में लगभग 2.5 लाख सरपंचों को जोड़ना है, जो नेटवर्किंग, ज्ञान प्रसार एवं सहयोग के लिए एक समग्र मंच के रूप में कार्य करता है।</li> <li>❖ इस पहल के माध्यम से, सरपंच अपने गांवों में विकासात्मक गतिविधियों की लिए सर्वोत्तम प्रथाओं के बारे में जान सकेंगे।</li> </ul> |
| राजनीतिक अपराधीकरण पर एडीआर की रिपोर्ट | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ सितंबर 2023 में एडीआर (Association of Democratic Reforms) द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार, लगभग 40 प्रतिशत मौजूदा सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं।</li> <li>❖ एडीआर एक चुनाव निगरानी संबंधी संस्थान है, जिसे 1999 में भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) अहमदाबाद के प्रोफेसरों के एक समूह द्वारा स्थापित किया गया था।</li> </ul>  |

|  |  |
|--|--|
| पीएम विश्वकर्मा योजना  | <ul style="list-style-type: none"> <li>17 सितंबर, 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर नई दिल्ली में पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत की।</li> <li>पीएम विश्वकर्मा योजना का उद्देश्य शिल्पकारों एवं कारीगरों के कौशल उन्नयन और आय में वृद्धि करना है।</li> <li>13,000 करोड़ रुपये के बजटीय आवंटन के साथ विश्वकर्मा योजना पूर्णतः केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित पहल है।</li> </ul>   |
| समुद्री सूचना साझाकरण कार्यशाला  | <ul style="list-style-type: none"> <li>14 से 16 सितंबर, 2023 तक समुद्री सूचना साझा करने की कार्यशाला (MISS) का आयोजन सूचना संलयन केंद्र - हिंद महासागर क्षेत्र (IFC-IOR) द्वारा गुरुग्राम में किया गया था, जिसमें 31 देशों ने भाग लिया।</li> <li>इस कार्यक्रम का उद्देश्य हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा हितधारकों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना है।</li> <li>इस कार्यशाला की थीम थी- “स्थायी भविष्य के लिए समुद्री सुरक्षा को आगे बढ़ाना”।</li> </ul>   |
| 90 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>11 सितंबर, 2023 को जम्मू में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 11 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में विस्तृत 2,900 करोड़ रुपये से अधिक की सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) की 90 बुनियादी ढांचा परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित कीं।</li> <li>परियोजनाओं में अरुणाचल प्रदेश के रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण तवांग क्षेत्र को हर मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करने वाली नेचिफू सुरंग का निर्माण भी शामिल हैं।</li> </ul>  |
| अवैध रूप से की गई फोन रिकॉर्डिंग स्वीकार्य साक्ष्य                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हाल ही में अपने एक आदेश में कहा है कि अभियुक्त व्यक्तियों के बीच रिकॉर्ड की गई टेलीफोनिक बातचीत अवैध रूप से प्राप्त होने पर भी साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य है।</li> <li>न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी ने फतेहगढ़ छावनी बोर्ड के पूर्व सीईओ महंत प्रसाद राम त्रिपाठी द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिका पर आदेश पारित करते हुए, यह टिप्पणी की कि “किसी साक्ष्य को अदालत इस आधार पर स्वीकार करने से इनकार नहीं कर सकती कि यह अवैध रूप से प्राप्त किया गया है।</li> </ul>  |
| राष्ट्रीय एससी-एसटी हब कॉन्क्लेव   | <ul style="list-style-type: none"> <li>भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) मंत्रालय ने 27 सितंबर, 2023 को मध्य प्रदेश के झाबुआ में ‘राष्ट्रीय एससी-एसटी हब कॉन्क्लेव’ का आयोजन किया।</li> <li>इस कॉन्क्लेव का उद्देश्य उद्यमिता संस्कृति को बढ़ावा देना और एससी-एसटी हब (एनएसएसएच) योजना और मंत्रालय की अन्य योजनाओं के बारे में जागरूकता फैलाना था।</li> </ul>   |
| ‘नदी उत्सव’ कार्यक्रम  | <ul style="list-style-type: none"> <li>22-24 सितंबर, 2023 के मध्य चौथा ‘नदी उत्सव’ कार्यक्रम यमुना नदी के तट पर नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। ‘नदी उत्सव’ का आयोजन इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र (IGNCA) के राष्ट्रीय सांस्कृतिक मानचित्रण मिशन (एनएमसीएम) और IGNCA के ही जनपद सम्पदा प्रभाग द्वारा किया गया।</li> <li>यह कार्यक्रम भारत की विविध नदी संस्कृति और राष्ट्र की विरासत में इसके गहन महत्व का एक जीवंत उत्सव है।</li> </ul>  |
| 13वें इंडो-पैसिफिक सेना प्रमुख सम्मेलन                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>13वां इंडो-पैसिफिक आर्मीज चीफ्स कॉन्फ्रेंस (IPACC) 26-27 सितंबर, 2023 तक नई दिल्ली के प्रतिष्ठित मानेकशां सेंटर में आयोजित किया गया।</li> <li>भारतीय सेना और यूएस आर्मी पैसिफिक द्वारा सह-आयोजित इस महत्वपूर्ण द्विवार्षिक कार्यक्रम ने 30 इंडो-पैसिफिक देशों के सेना प्रमुखों के लिए एक एकीकृत मंच के रूप में कार्य किया।</li> <li>उन्होंने हिंद-प्रशांत क्षेत्र की जटिलताओं से निपटने के लिए सामूहिक ज्ञान और ठोस प्रयासों का आह्वान किया।</li> </ul>   |
| अंतरराष्ट्रीय अधिवक्ता सम्मेलन, 2023                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>23 सितंबर, 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में ‘अंतरराष्ट्रीय अधिवक्ता सम्मेलन 2023’ का उद्घाटन किया।</li> <li>बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित, अंतरराष्ट्रीय अधिवक्ता सम्मेलन 2023 ‘न्याय वितरण प्रणाली में उभरती चुनौतियां’ विषय पर केंद्रित था।</li> <li>‘इंटरनेशनल अधिवक्ता कॉन्फ्रेंस 2023’ देश में इस तरह का पहला कार्यक्रम है।</li> </ul>  |
| 9 नई वंदे भारत ट्रेन   | <ul style="list-style-type: none"> <li>24 सितंबर, 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 हाई-स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का उद्घाटन किया। इस प्रकार वर्तमान समय में वंदे भारत ट्रेनों की कुल संख्या 34 हो गई है।</li> <li>इन नौ ट्रेनों से राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, ओडिशा, झारखंड और गुजरात की कनेक्टिविटी में सुधार होगा।</li> <li>15 फरवरी, 2019 को शुरू की गई, वंदे भारत एक्सप्रेस भारत में स्वदेशी रूप से विकसित एक सेमी-हाई-स्पीड रेल सेवा है।</li> <li>वंदे भारत एक्सप्रेस का डिजाइन और विनिर्देश अनुसंधान डिजाइन और मानक संगठन (आरडीएसओ) द्वारा निर्धारित किए गए थे।</li> </ul>  |
| अनुच्छेद 105(2) और 194(2) के तहत सांसदों और विधायकों को प्राप्त कानूनी छूट | <ul style="list-style-type: none"> <li>हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को सात न्यायाधीशों की पीठ के पास भेजा कि क्या संविधान के अनुच्छेद 105(2) और 194(2) के तहत विधायकों को प्राप्त कानूनी छूट उन्हें रिश्वत की पेशकश करने या स्वीकार करने के अपराध के लिए आपराधिक अदालत में मुकदमा चलाने से बचाती है।</li> <li>1998 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार, संविधान के अनुच्छेद 105(2) और 194(2) के तहत विधायकों को दी गई कानूनी छूट उन्हें संसद में किसी भी भाषण या वोट के लिए रिश्वत के आरोप में आपराधिक मुकदमे से बचाती है।</li> <li>अनुच्छेद 105(2) और 194(2) में कहा गया है कि कोई भी संसद सदस्य, संसद या उसकी किसी समिति में कही गई किसी भी बात या दिए गए वोट के संबंध में किसी भी अदालत में किसी भी कार्यवाही के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।</li> </ul> |



## रिपोर्ट एवं सूचकांक

- ◆ उच्चतर शिक्षा में 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 का कार्यान्वयन' रिपोर्ट
- ◆ स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया-2023 रिपोर्ट
- ◆ इंडिया एजिंग रिपोर्ट: 2023

## कार्यक्रम एवं पहल

- ◆ श्रेयस नेशनल फेलोशिप योजना
- ◆ 'CRHIO 4 गुड' मॉड्यूल का शुभारंभ

## अति-संवेदनशील वर्ग

- ◆ दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा आरंभ की गई पहलें
- ◆ अमान्य विवाह से जन्में बच्चों का पैतृक संपत्ति पर अधिकार
- ◆ जनजातियों की जनसंख्या, स्वास्थ्य और पोषण प्रोफाइल

## स्वास्थ्य

- ◆ आयुष्मान भारत अभियान तथा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन
- ◆ ट्रेकिंग यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज: 2023 ग्लोबल मॉनिटरिंग रिपोर्ट

## विविध

- ◆ मनरेगा तथा सामाजिक लेखा-परीक्षा इकाइयों की स्थिति
- ◆ अर्बनशिफ्ट एशिया फोरम

## न्यूज बुलेट्स

## रिपोर्ट एवं सूचकांक

### उच्चतर शिक्षा में 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 का कार्यान्वयन' रिपोर्ट

21 सितंबर, 2023 को 'शिक्षा, महिलाओं, बच्चों, युवा और खेल पर संसदीय स्थायी समिति' द्वारा 'उच्चतर शिक्षा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के कार्यान्वयन' (Implementation of NEP 2020 in Higher Education) पर रिपोर्ट प्रस्तुत की गई।

- ❖ राज्य सभा सांसद **विवेक ठाकुर** की अध्यक्षता वाली इस संसदीय समिति ने कहा है कि उच्चतर शिक्षा संस्थानों में **एकाधिक प्रवेश एवं निकास (Multiple Entry and Exit)** विकल्प भारत के लिए उपयुक्त नहीं हो सकता। समिति ने केंद्र सरकार को सभी हितधारकों के साथ इस पर चर्चा करने की सलाह दी है।
- ❖ यह विकल्प एक छात्र को अपना पाठ्यक्रम छोड़ने और सुविधाजनक होने पर इसे पुनः आरंभ करने की अनुमति देता है। वित्तीय कठिनाइयों के कारण अपनी पढ़ाई जारी रखने में असमर्थ एक छात्र नौकरी ढूँढ़ने और पैसे कमाने के लिए पाठ्यक्रम से बाहर जा सकता है, जिससे पढ़ाई फिर से शुरू की जा सके।
- ❖ समिति के अनुसार, **'पर्सनलाइज्ड एवं अंतर विषयक लर्निंग'** (Personalized and interdisciplinary learning) के लिए उच्चतर शिक्षा संस्थानों में **'डिजाइन योर डिग्री'** (Design Your Degree) कार्यक्रम की शुरुआत की जानी चाहिए। ऐसा ही एक कार्यक्रम जम्मू विश्वविद्यालय में शुरू किया गया है।
- ❖ छात्रों को **स्थानीय आवश्यकताओं एवं भाषाओं के अनुरूप** शैक्षिक सामग्री विकसित एवं वितरित की जानी चाहिए।
- ❖ समिति ने यह भी सिफारिश की है कि हासिये पर रहने वाले समुदायों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में **अनुसंधान एवं नवाचार** को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

### स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया-2023 रिपोर्ट

हाल ही में, अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय के 'सेंटर फॉर सस्टेनेबल इंप्लॉयमेंट' (Center for Sustainable Employment) द्वारा 'स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया-2023' रिपोर्ट जारी की गई।

- ❖ रिपोर्ट जाति, लिंग और शिक्षा जैसे कारकों के आधार पर रोजगार के अवसरों में असमानताओं पर प्रकाश डालती है। ये असमानताएं अक्सर सामाजिक और आर्थिक असमानताओं का प्रतिबिंब होती हैं।
- ❖ रिपोर्ट में इस तथ्य को रेखांकित किया गया है कि **किसी व्यक्ति की सामाजिक पहचान उसके लिए अवसरों को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।**
- ❖ रिपोर्ट के अनुसार **जाति, लिंग और धर्म** के अलावा व्यक्ति की कुछ अन्य महत्वपूर्ण पहचान भी हैं, जो अवसरों के निर्धारण में मायने रखती हैं। इनमें **नृजातीयता, नस्ल, भाषाई पृष्ठभूमि तथा लैंगिक रुझान** आदि शामिल हैं।
- ❖ रिपोर्ट में बताया गया है कि **नियमित पारिश्रमिक** वाले कर्मियों या वेतन भोगी कर्मियों की हिस्सेदारी वर्ष 2004 के बाद तेजी से बढ़ी है। वर्ष 2018 में पुरुषों के संदर्भ में यह 18% से बढ़कर 25% और महिलाओं के मामले में यह 10% से बढ़कर 25% हो गई।
- ❖ **अनियमित पारिश्रमिक (Casual Wage)** वाले कामगारों के पुत्रों के अनियमित रोजगार में जाने की प्रवृत्ति कम हुई है तथा उनके बेहतर रोजगार में जाने की प्रवृत्ति में वृद्धि देखी गई है। हालांकि इस प्रकार की प्रवृत्ति में अनुसूचित जाति (SC) एवं अनुसूचित जनजातियों (ST) के मामले में कम सुधार देखने को मिला है।
- ❖ **अपशिष्ट प्रबंधन और सीवेरज** जैसे कार्यों में समय के साथ अनुसूचित जाति की भागीदारी कम हुई है, किंतु यह पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है।
- ❖ रिपोर्ट के अनुसार, **लैंगिक मानदंड** अभी भी महिलाओं के रोजगार को निर्धारित करते हैं। यह देखने को मिला है कि यदि पति की कमाई अधिक है तो फिर पत्नी द्वारा नौकरी करने की संभावना कम रहती है।

- ❖ यह रिपोर्ट भारत के श्रम बाजार के संबंध में मूल्यवान डेटा-संचालित अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में, रोजगार के रुझान और पैटर्न पर विश्वसनीय डेटा होना सूचित निर्णय लेने के लिए महत्वपूर्ण है।

## इंडिया एजिंग रिपोर्ट: 2023

- हाल ही में, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष-भारत (UNFPA India) द्वारा 'इंडिया एजिंग रिपोर्ट-2023' जारी की गई।
- ❖ इस रिपोर्ट में बुजुर्ग आबादी को 60 या 65 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के रूप में परिभाषित किया गया है।
- ❖ इस रिपोर्ट को अंतरराष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान (IIPS), मुंबई के सहयोग से तैयार किया गया है।
- ❖ IIPS वर्ष 1956 में स्थापित किया गया था तथा इसे वर्ष 1970 तक 'जनसांख्यिकीय प्रशिक्षण और अनुसंधान केंद्र' (DTRC) के रूप में जाना जाता था। यह 'स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय' के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है।
- ❖ संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (UNFPA) लैंगिक और प्रजनन स्वास्थ्य से संबंधित संयुक्त राष्ट्र की प्रमुख एजेंसी है, इसकी स्थापना 1969 में की गई थी।
- ❖ रिपोर्ट के अनुसार, कुल आबादी में बुजुर्ग आबादी का अनुपात बढ़ने के कारकों में मुख्य रूप से प्रजनन दर में गिरावट, मृत्यु दर में कमी तथा वृद्ध लोगों की उत्तरजीविता में वृद्धि जैसे तीन जनसांख्यिकीय परिवर्तन उत्तरदायी हैं।
- ❖ रिपोर्ट के अनुसार, वैश्विक स्तर पर वर्ष 2022 में 60 वर्ष अथवा उससे अधिक उम्र के व्यक्तियों की संख्या 1.1 बिलियन दर्ज की गई थी। वर्ष 2046 तक भारत की कुल आबादी में बुजुर्ग आबादी की संख्या 0 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों की संख्या की तुलना में अधिक होगी।
- ❖ इसी प्रकार, वर्ष 2050 तक भारत की कुल आबादी में वृद्ध व्यक्तियों के हिस्सेदारी दोगुनी होकर 20.8% हो जाएगी।
- ❖ वृद्ध आबादी का एक उच्च अनुपात (71%) ग्रामीण क्षेत्रों में देखा जाता है। इस वर्ग को आय असुरक्षा, पर्याप्त व गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच की कमी और अलगाव जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है।
- ❖ भारत में बुजुर्गों के कल्याण के लिए आरंभ की गई पहलों में प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, अटल पेंशन योजना तथा अटल वयो अभ्युदय योजना प्रमुख हैं।
- ❖ वृद्ध व्यक्तियों का कल्याण सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता को पुष्टि करने के लिए 1999 में राष्ट्रीय वृद्धजन नीति (National Policy on Older Persons) की घोषणा की गई थी।

## कार्यक्रम एवं पहल

### श्रेयस नेशनल फेलोशिप योजना

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा हाल ही प्रदत्त जानकारी के अनुसार 'श्रेयस नेशनल फेलोशिप योजना' (Shreyas National Fellowship Scheme) से अनुसूचित जाति के 21,000 से अधिक छात्रों को उच्चतर शिक्षा की प्राप्ति में मदद मिली है।

- ❖ इसके अंतर्गत 2014-15 से 2022-23 तक 21,326 लाभार्थियों को लाभान्वित करने के लिए कुल 1,628.89 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।



- ❖ इस योजना को 'स्कॉलरशिप फॉर हायर एजुकेशन फॉर यंग अचीवर्स स्कीम' (SHREYAS) के नाम से जाना जाता है।
- ❖ वर्ष 2014-15 में आरंभ की गई यह एक प्रकार की केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। यह योजना सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत आती है।
- ❖ श्रेयस अम्बेला योजना के तहत 4 केंद्रीय उप-योजनाएं शामिल हैं:
  - ❖ अनुसूचित जाति (SC) के छात्रों हेतु उत्कृष्ट शिक्षा योजना: इसके तहत ट्यूशन फीस तथा रहने-खाने के खर्च आदि के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करके अनुसूचित जातियों का सशक्तीकरण सुनिश्चित किया जाता है। इसमें 12वीं कक्षा से आगे अध्ययन करने वाले अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को सहायता प्रदान की जाती है।
  - ❖ SC एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के छात्रों के लिए निःशुल्क कोचिंग योजना: इसके तहत छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं और प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए बेहतर गुणवत्ता की कोचिंग प्रदान की जाती है। इस योजना में अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लाभार्थी विद्यार्थियों का अनुपात 70:30 निर्धारित किया गया है। प्रत्येक वर्ग में महिलाओं के लिए 30% सीटें आरक्षित की गई हैं।
  - ❖ SC छात्रों के लिए राष्ट्रीय प्रवासी योजना: इसके तहत विदेश में अध्ययन करने के लिए अनुसूचित जाति, विमुक्त घुमंतु समुदायों, भूमिहीन कृषक मजदूर समुदायों और पारंपरिक कारीगर समुदायों से संबंधित विद्यार्थियों को शामिल किया गया है।
  - ❖ SC छात्रों के लिए राष्ट्रीय फेलोशिप: इसके तहत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) द्वारा मान्यता प्राप्त भारतीय कॉलेजों में विज्ञान, मानविकी और सामाजिक विज्ञान में उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए अनुसूचित जाति के छात्रों को फेलोशिप प्रदान की जाती है।

### 'CRIIO 4 गुड' मॉड्यूल का शुभारंभ

हाल ही में, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ऑनलाइन जीवन कौशल सीखने के मॉड्यूल (Online Life Skills Learning Modules) का एक सेट 'CRIIO 4 गुड' (CRIIO 4 GOOD) लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य लड़कियों और लड़कों के बीच लैंगिक समानता को बढ़ावा देना है।

- ❖ यह 8 क्रिकेट-आधारित एनीमेशन फिल्मों की एक शृंखला के माध्यम से लड़कियों और लड़कों के बीच लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई एक ऑनलाइन पहल है।
- ❖ ये फिल्में युवा लड़कों और लड़कियों को खेलों में उनकी भागीदारी को प्रोत्साहित करते हुए आवश्यक जीवन कौशल सिखाती हैं।
- ❖ यह पहल अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC), यूनिसेफ (UNICEF) और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के सहयोग से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शुरू की गई।

- ❖ इस कार्यक्रम के प्रमुख विषयों में शामिल हैं- नेतृत्व, समस्या-समाधान, आत्मविश्वास, निर्णय लेना, वार्ता या बातचीत, समानुभूति (Empathy), टीम वर्क तथा लक्ष्य निर्धारण।
- ❖ इस प्रकार, इस कार्यक्रम का उद्देश्य युवा दर्शकों के सीखने की प्रक्रिया को **मनोरंजन और प्रासंगिक** बनाना है। यह कार्यक्रम **लैंगिक समानता और समान अवसरों पर नई शिक्षा नीति-2020 (NEP-2020)** के लक्ष्य के अनुरूप है।

## अति-संवेदनशील वर्ग

### दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा आरंभ की गई पहलें

हाल ही में, दिव्यांगजनों के अधिकारों को नया स्वरूप देने के लिए दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग (Department of Empowerment of Persons with Disabilities) ने 5 पहलें आरंभ की हैं।

- ❖ इन पहलों का उद्देश्य समावेशी विकास को बढ़ावा देना, दिव्यांगजनों के अधिकारों को आगे बढ़ाना और प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना है।
- ❖ **वास्तुकला परिषद के साथ समझौता ज्ञापन (MoU with Architecture Council):** इसके तहत बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर कार्यक्रमों में सार्वभौमिक पहुंच वाले पाठ्यक्रमों को अनिवार्य किया जाएगा।
- ❖ **यूनिक डिसेबिलिटी आईडी (UDID) के अनाम डेटा को जारी करना:** इससे दिव्यांगता के संबंध में डेटा आधारित निर्णय लेने में मदद मिलेगी।
  - ❖ हाल ही में, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार, अब तक सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के 716 जिलों में 94.30 लाख ई-यूडीआईडी कार्ड (e-UDID Cards) जारी किए गए हैं।
- ❖ **प्रधानमंत्री दक्ष पोर्टल (Daksh Portal):** यह प्रशिक्षण और रोजगार के इच्छुक दिव्यांगजनों के लिए एक संपूर्ण डिजिटल प्लेटफॉर्म है।
- ❖ **पाथवे टू एक्सेस-दिव्यांगजनों के अधिकारों पर न्यायालय के निर्णय:** दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग ने विकलांगता अधिकारों से संबंधित भारत के सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के उल्लेखनीय निर्णयों को एक व्यापक पुस्तिका में संकलित किया है। यह विकलांगता क्षेत्र के हितधारकों के लिए एक मूल्यवान संदर्भ मार्गदर्शिका के रूप में कार्य करेगा।
- ❖ **ऑनलाइन केस मॉनिटरिंग पोर्टल:** दिव्यांगजनों के लिए मुख्य आयुक्त (CCPD) द्वारा संचालित यह पोर्टल दिव्यांगजनों द्वारा दर्ज की गई शिकायतों के निपटान का प्रबंधन करेगा।



### अमान्य विवाह से जन्मे बच्चों का पैतृक संपत्ति पर अधिकार

हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा है कि 'शून्य/अमान्य विवाह (Void/Voidable Marriages) से पैदा हुए बच्चों का माता-पिता की पैतृक संपत्ति पर अधिकार है।'

- ❖ **शून्य विवाह** एक ऐसा विवाह होता है, जो शुरू में वैध होता है, किंतु यदि कोई पक्ष इसे रद्द करना चाहे तो वह इसमें व्याप्त कुछ दोष अथवा शर्तों के तहत इसे रद्द कर सकता/सकती है। इसी प्रकार, **अमान्य विवाह** ऐसा विवाह है, जिसे शुरू से ही अमान्य माना जाता है, जैसे कि यह कानून की नजर में कभी अस्तित्व में ही नहीं था।
- ❖ शून्य विवाह में विवाह को रद्द करने के लिए शून्यता की डिक्री की आवश्यकता होती है, जबकि अमान्य विवाह में शून्यता की ऐसी किसी डिक्री की आवश्यकता नहीं होती है।
- ❖ सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय 'रेवनासिद्धपा बनाम मल्लिकार्जुन, 2011 वाद' के संदर्भ में दो-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा दिया गया है, इस वाद में कहा गया था कि अमान्य/शून्य विवाह से पैदा हुए बच्चे अपने माता-पिता की संपत्ति को प्राप्त करने के हकदार हैं, चाहे वह संपत्ति स्व-अर्जित हो अथवा पैतृक।
- ❖ यह मामला **हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 16(3)** में संशोधित प्रावधान से संबंधित था। इस फैसले ने ऐसे बच्चों के विरासत/पैतृक संपत्ति संबंधी अधिकारों को मान्यता देने की नींव रखी है।
- ❖ सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में **निम्नलिखित बातें भी शामिल हैं:**
  - ❖ शून्य/अमान्य विवाह से जन्म लेने वाले बच्चे हिंदू कानून के तहत माता-पिता की संपत्ति में अधिकार का दावा कर सकते हैं। **हिंदू कानून** के अनुसार, शून्य/अमान्य विवाह में पुरुष और महिला को पति एवं पत्नी का दर्जा नहीं मिलता है।
  - ❖ **हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 16** शून्य या अमान्य विवाह से पैदा हुए बच्चों को वैधता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
  - ❖ **हिंदू उत्तराधिकार कानून, 1956** के अनुसार, पिता की संपत्ति में विवाहित बेटियों को भी बराबर का हिस्सेदार माना गया है। मां की संपत्ति में भी उनको अधिकार दिया गया है।

### जनजातियों की जनसंख्या, स्वास्थ्य और पोषण प्रोफाइल

हाल ही में, लैंसेट क्षेत्रीय स्वास्थ्य-दक्षिण-पूर्व एशिया (Lancet Regional Health- Southeast Asia) जर्नल में 'अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या, स्वास्थ्य और पोषण प्रोफाइल: एक तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य, 2016-2021' नामक शोध पत्र प्रकाशित किया गया।

- ❖ इस शोध पत्र में बताया गया है कि वर्ष 2016 से 2021 तक, भारत में अनुसूचित जनजाति (STs) की आबादी में जनसंख्या, स्वास्थ्य और पोषण से संबंधित **129 संकेतकों में से 83 में सुधार** हुआ है। इनमें से कुछ प्रमुख सुधार निम्नलिखित हैं:
  - ❖ बेहतर स्वच्छता सुविधाओं तक पहुंच में 30.4% की वृद्धि।
  - ❖ जन्म के समय नागरिक पंजीकरण में 2016 में 76% से 2021 में 88% की वृद्धि।

- ❖ हालांकि, 81 स्वास्थ्य उपायों में एसटी (ST) आबादी अभी भी गैर-एसटी (Non-ST) आबादी से पीछे है। अध्ययन में ST जनसंख्या हेतु कुछ पोषण संबंधी संकेतक निम्नलिखित रूप में दर्ज किए गए हैं:
  - ❖ 15-24 आयु वर्ग में कम वजन (Low Weight) का प्रतिशत सबसे अधिक है।
  - ❖ 35 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग में अधिक वजन और मोटापे का प्रचलन सबसे अधिक है।
  - ❖ अविवाहित आदिवासी महिलाओं की तुलना में विवाहित आदिवासी महिलाओं में कम वजन का प्रचलन अधिक है।
- ❖ इसी प्रकार, अध्ययन में जनजातीय क्षेत्रों में कुपोषण के पाए गए कारणों में कुछ प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं:
  - ❖ गरीबी,
  - ❖ भोजन की असुरक्षा,
  - ❖ गुणवत्तापूर्ण भोजन का अभाव,
  - ❖ स्वच्छता, स्वास्थ्य, स्तनपान और पूरक आहार के बारे में जानकारी का अभाव।

## स्वास्थ्य

### आयुष्मान भारत अभियान तथा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन

प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY) के कार्यान्वयन के 5 वर्ष तथा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (ABDM) के 2 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 25-26 सितंबर, 2023 तक 'आरोग्य मंथन' नामक कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

- ❖ इस कार्यक्रम में दोनों योजनाओं से संबंधित चुनौतियों, रुझानों और सर्वोत्तम प्रथाओं पर गहन विचार-विमर्श किया गया।

#### प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY) के संदर्भ में

- ❖ **शुभारंभ:** इस कार्यक्रम का शुभारंभ राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के अनुरूप 23 सितंबर, 2018 को किया गया था। पुनर्नामित किये जाने से पूर्व PM-JAY को राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (NHPS) के नाम से जाना जाता था।
- ❖ **उद्देश्य:** योजना का उद्देश्य 10.74 करोड़ से अधिक गरीब और वंचित परिवारों (लगभग 50 करोड़ लाभार्थी) को माध्यमिक और तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल के लिए प्रतिवर्ष प्रति परिवार 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य कवर प्रदान करना है।
- ❖ **कवरेज:** योजना के तहत आच्छादित परिवारों को ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की सामाजिक-आर्थिक जातिगत जनगणना 2011 (SECC 2011) के अभावग्रस्तता एवं व्यावसायिक मापदण्डों के आधार पर शामिल किया गया है।
- ❖ **वित्तपोषण:** PM-JAY पूरी तरह से सरकार द्वारा वित्त-पोषित योजना है, जिसकी कार्यान्वयन की लागत केंद्र और राज्य सरकारों के बीच 60:40 के अनुपात में बांटी गई है।

- ❖ इस योजना के तहत अस्पताल में भर्ती होने से 3 दिन पहले और 15 दिन बाद तक का नैदानिक उपचार, स्वास्थ्य इलाज व दवाइयां मुफ्त उपलब्ध होती हैं।


#### आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के संदर्भ में

- ❖ **शुभारंभ:** 27 सितंबर, 2021 को आरंभ आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (ABDM) का लक्ष्य देश की एकीकृत डिजिटल स्वास्थ्य अवसंरचना का समर्थन करने के लिए आवश्यक आधार-प्रणाली का विकास करना है।
- ❖ **उद्देश्य:** इस मिशन के मुख्य उद्देश्यों में 'कोर डिजिटल स्वास्थ्य डेटा एवं अवसंरचना' (Core Digital Health Data and Infrastructure) का प्रबंधन करना तथा अंतरराष्ट्रीय मानकों पर आधारित 'व्यक्तिगत स्वास्थ्य रिकॉर्ड' (Personal Health Record) की एक प्रणाली का निर्माण शामिल है।

### ट्रैकिंग यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज: 2023 ग्लोबल मॉनिटरिंग रिपोर्ट

हाल ही में, विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) तथा विश्व बैंक समूह द्वारा संयुक्त रूप से 'ट्रैकिंग यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज: 2023 ग्लोबल मॉनिटरिंग रिपोर्ट' (Tracking Universal Health Coverage: 2023 Global Monitoring Report) जारी की गई।

- ❖ सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज (UHC) का अर्थ सभी लोगों को आर्थिक कठिनाई के बिना कहीं भी और कभी भी आवश्यकता पड़ने पर गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं की संपूर्ण सुविधा प्राप्त होने से है।



- ❖ UHC को सतत विकास लक्ष्य-2030 के तहत निम्नलिखित दो संकेतकों का उपयोग करके ट्रैक किया जाता है:

- ❖ **सर्विस कवरेज सूचकांक (SCI):** इसमें आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं को शामिल किया जाता है।
- ❖ **आउट आफ पॉकेट स्वास्थ्य व्यय (OoPE):** यह विपत्तिपूर्ण स्वास्थ्य व्यय का मापन करता है।

- ❖ रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 तक विश्व की लगभग आधी से अधिक आबादी को आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त नहीं हो रही थी।

- ❖ रिपोर्ट में बताया गया है कि विपत्तिपूर्ण 'आउट आफ पॉकेट स्वास्थ्य व्यय' वर्ष 2000 के 9.6% से बढ़कर 2019 में 13.5% हो गया। इस व्यय के कारण परिवारों को अनावश्यक रूप से बच्चों की शिक्षा तथा परिवार की बुनियादी आवश्यकताओं से समझौता करना पड़ता है।

- ❖ इसी प्रकार, रिपोर्ट के अनुसार भारत का UHC सर्विस कवरेज सूचकांक (SCI) स्कोर 2019 के 64 से घटकर 2021 में 63 हो गया। भारत में लगभग 17% लोगों को विपत्तिपूर्ण आउट आफ पॉकेट स्वास्थ्य व्यय का सामना करना पड़ता है।

- ❖ रिपोर्ट में, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल दृष्टिकोण को अपनाए जाने की सिफारिश की गई है। साथ ही, गैर-संचारी रोगों के मामले में आवश्यक सेवाओं की पहुंच के विस्तार पर बल दिया गया है।
- ❖ भारत में सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज को प्राप्त करने के लिए प्रधानमंत्री जन-आरोग्य योजना एवं आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, सार्वभौमिक टीकाकरण कवरेज तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017 आदि कार्यक्रम लागू किए गए हैं।

## विविध

### मनरेगा तथा सामाजिक लेखा-परीक्षा इकाइयों की स्थिति

- हाल ही में, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार वर्तमान में सामाजिक लेखा-परीक्षा इकाइयां (SAUs) धन की कमी के संकट का सामना कर रही हैं। साथ ही, उनके पास प्रशिक्षित एवं पर्याप्त कर्मचारी भी नहीं हैं। इन लेखा-परीक्षा इकाइयों का कार्य अनियमितता के किसी भी मामले का पता लगाना है।
- ❖ लेखा-परीक्षा इकाइयों (SAUs) को 'मनरेगा योजनाओं के लेखा-परीक्षा नियम, 2011' (Audit of MNREGA Schemes Rules, 2011) के अनुसार स्थापित किया गया था। इनका कार्य ग्राम सभा द्वारा सामाजिक लेखा-परीक्षा को सुविधाजनक बनाना है। अब तक लेखा-परीक्षकों द्वारा चिह्नित राशि का 14% से भी कम वसूल किया जा सका है।
  - ❖ सामाजिक लेखा-परीक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसमें विकास योजनाओं के लिए सार्वजनिक एजेंसियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले संसाधनों ( वित्तीय और गैर-वित्तीय ) का विवरण लोगों के साथ साझा किया जाता है।
  - ❖ यह प्रक्रिया लोगों को जवाबदेह और पारदर्शिता सुनिश्चित करवाने में सक्षम बनाती है। साथ ही, उन्हें विकास योजनाओं की जांच करने का अवसर प्रदान करती है।
  - ❖ मनरेगा कार्यक्रम का आरंभ वर्ष 2005 में हुआ था। यह कार्यक्रम एक वित्तीय वर्ष में किसी शारीरिक श्रम करने के इच्छुक अकुशल ग्रामीण परिवार को 100 दिनों की मजदूरी आधारित रोजगार गारंटी प्रदान करता है।
  - ❖ सूखा एवं प्राकृतिक आपदा से पीड़ित अधिसूचित ग्रामीण क्षेत्रों में 100 दिनों की अवधि को 150 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है।

## न्यूज बुलेट्स

### विद्या समीक्षा केंद्र

- ❖ 12 सितंबर, 2023 को उत्तराखंड के देहरादून में केंद्रीय शिक्षा एवं कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ, विद्या समीक्षा केंद्र (Vidhya Samiksha Kendra) का उद्घाटन किया।
- ❖ साथ ही, 141 पीएमश्री स्कूलों (PM Shri Schools) और नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय (Netaji Subhash Chandra Bose Residential School) की आधारशिला रखी।
- ❖ ये 141 पीएमश्री स्कूल उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए अन्य स्कूलों के लिए एक आदर्श के रूप में कार्य करेंगे। इसी प्रकार, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय गरीब बच्चों की शिक्षा प्राप्ति में मदद करेंगे।

## अर्बनशिफ्ट एशिया फोरम

25 सितंबर, 2023 को नई दिल्ली के हयात रीजेंसी होटल में प्रथम 'अर्बन शिफ्ट एशिया फोरम' [Urban Shift Forum (Asia)] का उद्घाटन किया गया। फोरम का आयोजन आईसीएलआईआई साउथ एशिया (ICLEI South Asia) और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स (NIUA) द्वारा किया गया।



- ❖ इस कार्यक्रम में भारत, इंडोनेशिया, चीन, वियतनाम, मलेशिया, नेपाल, फिलीपींस, जॉर्डन और श्रीलंका की सरकारों, शहरी एवं अंतरराष्ट्रीय संगठनों, वित्तीय संस्थानों, उद्योगों तथा गैर-सरकारी संगठनों के लगभग 150 प्रतिनिधियों ने भाग लिया तथा क्षेत्रीय व शहरी चुनौतियों और प्रकृति समाधानों की जानकारी तथा अनुभवों को साझा किया।
- ❖ अर्बनशिफ्ट शहरी विकास और डब्ल्यूआरआई रॉस सेंटर फॉर सस्टेनेबल सिटीज [WRI (World Resources Institute) Ross Center for Sustainable Cities] के अंतर्गत एक वैश्विक पर्यावरण सुविधा (GEF) द्वारा वित्तपोषित कार्यक्रम है।
- ❖ इसका नेतृत्व संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) द्वारा किया जाता है और C40 शहरों, अंतरराष्ट्रीय स्थानीय पर्यावरण पहल परिषद (ICLEI), UNDP, एशियाई विकास बैंक (ADB) तथा विश्व बैंक के साथ साझेदारी में कार्यान्वित किया जाता है।
- ❖ अर्बनशिफ्ट एशिया फोरम का मूल उद्देश्य वैश्विक दक्षिण (Global South) के शहरों को एकीकृत और टिकाऊ शहरी विकास के विभिन्न पहलुओं के संदर्भ में क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण प्रदान करना है।
- ❖ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स (NIUA) भारत में शहरी विकास और प्रबंधन में अनुसंधान, प्रशिक्षण एवं सूचना के प्रसार के लिये एक संस्थान (नई दिल्ली) है। इसकी स्थापना वर्ष 1976 में सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के तहत एक स्वायत्त निकाय के रूप में की गई थी।
- ❖ यह संस्थान आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, राज्य सरकारों, शहरी और क्षेत्रीय विकास प्राधिकरणों तथा शहरी मुद्दों से संबंधित अन्य एजेंसियों द्वारा समर्थित है।

|  |   |
|--|---|
| <p><b>डिजिटल कौशल हेतु साझेदारी</b></p>                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>हाल ही में, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय और मेटा (पूर्व में फेसबुक) ने डिजिटल कौशल को जमीनी स्तर पर लाने के लिए 3 वर्षीय साझेदारी पर हस्ताक्षर किए हैं।</li> <li>साझेदारी का लक्ष्य 5,00,000 उद्यमियों को डिजिटल रूप से कुशल बनाना है। यह प्रशिक्षण सात क्षेत्रीय भाषाओं में आयोजित किया जाएगा।</li> <li>इस पहल के हिस्से के रूप में, मेटा (Meta) 'नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट' (NIESBUD) के साथ साझेदारी में अगले तीन वर्षों में 5 लाख उद्यमियों को डिजिटल मार्केटिंग कौशल प्रशिक्षण प्रदान करेगा।</li> </ul>  |
| <p><b>ट्रांसजेंडर समुदाय पर मानवाधिकार आयोग का सुझाव-पत्र</b></p>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>हाल ही में, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को एक सुझाव-पत्र जारी किया है।</li> <li>इस पत्र में कहा गया है कि ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए अलग शौचालयों की सुविधा, निःशुल्क लिंग पुनर्निर्धारण सर्जरी, पेंशन अधिकार, विरासत की संपत्ति में अधिकार जैसे कल्याणकारी उपाय किए जाने चाहिए।</li> <li>NHRC के अनुसार, 'ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) नियमावली, 2020' के तहत एक 'ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड' की स्थापना की जानी चाहिए।</li> <li>ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के खिलाफ किए गए अपराधों के मामलों की जांच के लिए पुलिस महानिदेशक के अधीन एक 'ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन सेल' की स्थापना की जानी चाहिए।</li> <li>अटल पेंशन योजना वित्त मंत्रालय के तहत शुरू की गई एक सामाजिक सुरक्षा योजना है। असंगठित क्षेत्र के 18 से 40 वर्ष आयु के वर्ग के सभी बैंक खाताधारक इस योजना के लिए पात्र हैं।</li> <li>इस योजना के तहत लाभार्थी को उसके योगदान के आधार पर 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद प्रति माह 1000 रुपए से 5000 रुपए तक की गारंटीकृत पेंशन राशि प्राप्त होगी।</li> </ul> |
| <p><b>भारतीय सांकेतिक भाषा का स्व-अध्ययन ऑनलाइन पाठ्यक्रम</b></p>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>23 सितंबर, 2023 को अंतरराष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस के अवसर पर 'भारतीय सांकेतिक भाषा' (Indian Sign Language) में एक ऑनलाइन स्व-शिक्षण पाठ्यक्रम (Online Self-Learning Course) और 10,000 आईएसएल शब्दों वाला एक शब्दकोश (A Dictionary with ISL Words) पेश किया गया।</li> <li>सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने कहा कि ऑनलाइन पाठ्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य मूक बधिर बच्चों के माता-पिता, भाई-बहन, शिक्षकों और ISL का मौलिक ज्ञान प्राप्त करने में रुचि रखने वाले किसी भी व्यक्ति को भारतीय सांकेतिक भाषा में बुनियादी संवाद कौशल प्रदान करना है।</li> </ul>   |
| <p><b>बच्चों द्वारा मोबाइल उपयोग पर सर्वेक्षण</b></p>                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>हाल ही में, लोकलसर्कल्स (LocalCircles) के एक सर्वेक्षण (भारत के 296 जिलों में संपादित) के अनुसार, 61% शहरी भारतीय माता-पिता ने यह स्वीकार किया है कि उनके 9 से 17 वर्ष की आयु के बच्चे प्रतिदिन कम से कम 3 घंटे सोशल मीडिया, वीडियो या ऑनलाइन गेम पर व्यतीत करते हैं।</li> <li>बच्चों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर प्रतिदिन व्यतीत किए जाने वाले समय के संदर्भ में 39% अभिभावकों ने 1-3 घंटे, 46% अभिभावकों ने 3-6 घंटे तथा 18% अभिभावकों ने 6 घंटे से अधिक समय बताया है।</li> <li>कॉविड-19 महामारी के पश्चात अभिभावकों एवं बच्चों की दिनचर्या प्रभावित हुई है तथा बच्चों के लिए शिक्षण पद्धति से तालमेल बैठाना कठिन हो रहा है।</li> </ul>   |
| <p><b>शक्ति-2023</b></p>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>26 सितंबर, 2023 को कलपक्कम (तमिलनाडु) के 'इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र' (IGCAR) में 'शक्ति-2023' (SHAKTI-2023) नामक एक राष्ट्रीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया।</li> <li>SHAKTI का अर्थ 'HVACR' एवं वास्तुकला में स्त्री तथा उद्योग में बदलाव की कुंजी' (Sthree in HVACR - Architecture and Key in Transforming the Industry) है। HVACR को हीटिंग, वेंटिलेशन, एयर कंडीशनिंग तथा रेफ्रिजरेशन के रूप में जाना जाता है।</li> <li>इस कार्यक्रम का मुख्य विषय- 'तकनीकी प्रगति और सामाजिक उत्थान में महिलाएं' (Women in Technological Advances and Social Upliftment) था।</li> <li>यह कार्यक्रम इंडियन सोसाइटी ऑफ हीटिंग, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग इंजीनियर्स (ISHRAE) और भारतीय महिला वैज्ञानिक संघ (IWSA) द्वारा आयोजित किया गया था। इसकी अध्यक्षता प्रतिष्ठित वैज्ञानिक और IGCAR के निदेशक डॉ. बी. वेंकटरमन द्वारा की गई।</li> </ul>  |
| <p><b>ग्रामीण विकास की सोशल ऑडिटिंग पर द्वितीय राष्ट्रीय सेमिनार</b></p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>26 सितंबर, 2023 को केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने ग्रामीण विकास की सोशल ऑडिटिंग पर दूसरे राष्ट्रीय सेमिनार को संबोधित किया।</li> <li>इस दौरान वित्तीय अनुशासन बनाए रखने के लिए सोशल ऑडिटिंग के महत्व को केंद्र तथा राज्य स्तर पर स्वीकार किया गया। साथ ही, सोशल ऑडिटिंग की प्रक्रिया में 'जन भागीदारी' को केंद्र बिंदु प्रदान करने पर बल दिया गया।</li> <li>इस सेमिनार की थीम 'पारदर्शिता और जवाबदेही लाने की दृष्टि से सामाजिक लेखापरीक्षा की पुनः कल्पना करना' (Re-imagining Social Audit with a view to bring transparency and accountability) थी।</li> </ul>  |





# विरासत एवं संस्कृति

## विरासत स्थल

- ♦ भारत के नए विश्व विरासत स्थल

## विरासत स्थल

### भारत के नए विश्व विरासत स्थल

हाल ही में शांतिनिकेतन (पश्चिम बंगाल) तथा होयसल को पवित्र स्मारकों के समूह (Sacred Ensembles of Hoysalas) को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है।

#### शांतिनिकेतन

- ❖ इसको यूनेस्को द्वारा भारत के 41वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी गई है। यह पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में स्थित है, जो ऐतिहासिक महत्व का एक प्रसिद्ध सांस्कृतिक और विरासत स्थल है।
  - + यह महर्षि देवेन्द्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित किया गया था। इसे विश्वविद्यालय शहर के रूप में भी जाना जाता है।
- ❖ **सांस्कृतिक महत्व:** शांतिनिकेतन की स्थापना ब्रह्मचर्य आश्रम मॉडल के आधार पर एक विद्यालय के रूप में की गई थी, जिससे नंदलाल बोस, रामकिंकर जैसे महान भारतीय कलाकार संबद्ध रहे।
  - + रवींद्रनाथ टैगोर ने कई साहित्यिक रचनाएं इसी स्थान पर की जिसमें टैगोर गीत, कविताएं, उपन्यास आदि शामिल हैं।
  - + शांतिनिकेतन एक अद्वितीय सांस्कृतिक गंतव्य है, जहां रवींद्रनाथ टैगोर ने वास्तुकला, कला सहित विभिन्न कला का शिक्षण प्रदान किया जाता रहा है।
  - + शांतिनिकेतन परिसर रवीन्द्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस, रामकिंकर, बिनोदबिहारी मुखोपाध्याय जैसे महान भारतीय कलाकारों की शानदार कलाकृतियों से सुशोभित है।

#### होयसल के पवित्र स्मारक

- ❖ यह भारत का 42वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। इसके अंतर्गत होयसलेश्वर मंदिर (हलेबिड), चन्नाकेशव मंदिर (बेलूर) और केशव मंदिर (सोमनाथपुर) को शामिल किया गया है।

## कार्यक्रम एवं पहल

- ♦ पुरातत्व संरक्षण से संबंधित ASI की विभिन्न पहलें

## कला के विविध रूप

- ♦ पश्चिम बंगाल का राज्य गान
- ♦ जी-20 सम्मेलन में जनजातीय शिल्प कौशल का प्रदर्शन

## मंदिर एवं स्मारक

- ♦ चौंसठ योगिनी मंदिर

## सांस्कृतिक आयोजन

- ♦ दिव्य कला मेला
- ♦ वैशाली फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी

## विविध

- ♦ संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार

## न्यूज बुलेट्स

- + ये कर्नाटक में होयसला राजवंश के 12-13वीं सदी में निर्मित मंदिर है जो अपने अद्भुत वास्तुकला और कलात्मक रचनात्मकता को दर्शाते हैं।
- ❖ होयसल मंदिरों में एक मूलभूत द्रविड़ आकारिकी (Darvidian morphology) प्रयुक्त की गई है किन्तु यहां मध्य भारत में व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली भूमिजा पद्धति (Bhumija mode), उत्तरी और पश्चिमी भारत की नागर परंपरा (Nagara traditions) और कल्याणी चालुक्यों द्वारा समर्थित कर्नाटक द्रविड़ पद्धति (Karnata Dravida modes) के सुस्पष्ट एवं सुदृढ़ प्रभाव भी दृष्टिगोचर हैं।
- ✓ **होयसलेश्वर मंदिर**
- ❖ होयसलेश्वर मंदिर को हलेबिड मंदिर (Halebid temple) के रूप में भी जाना जाता है, जो शिव को समर्पित 12वीं शताब्दी का हिंदू मंदिर है।
  - + मंदिर 1121 ई. में होयसल राजा, विष्णुवर्धन होयसलेश्वर के शासनकाल के दौरान बनाया गया था। यह मंदिर दीवार में बनाई गई 240 से अधिक मूर्तियों के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है।
- ❖ **सांस्कृतिक महत्व:** यह मंदिर जटिल नक्काशी, बारीक मूर्तियों से सुसज्जित है। तारे के आकार की वास्तुशिल्प योजना इसकी प्रमुख विशेषता है।
- ✓ **चेन्नाकेशव मंदिर**
- ❖ चेन्नाकेशव मंदिर को बेलूर के विजयनारायण मंदिर (Vijayanarayana Temple) के रूप में भी जाना जाता है। यह कर्नाटक में 12वीं सदी का हिंदू मंदिर है। यह मंदिर विष्णु को समर्पित है।
  - + मंदिर को 1117 ईस्वी में राजा विष्णुवर्धन द्वारा बेलूर में यागाची नदी (Yagachi River) के तट पर बनाया गया था। बेलूर को वेलापुर (Velapura) भी कहा जाता है, जो प्रारंभिक होयसल साम्राज्य की राजधानी थी।
- ❖ **सांस्कृतिक महत्व:** इस मंदिर का उच्चतम शिखर पर 37 मीटर ऊंचा है। इसकी बाहरी दीवारें बारीक कलाकृति से सजी हैं, जिनमें विभिन्न मुद्राओं में नृत्य करती लड़कियां और घोड़े, हाथी और शेर जैसे जानवर हैं।

- ✓ **केशव मंदिर**
- ❖ केशव मंदिर कर्नाटक के सोमनाथपुर में कावेरी नदी के तट पर स्थित एक वैष्णव मंदिर है। इस मंदिर को 1258 ई. में होयसल राजा नरसिंह III के एक सेनापति सोमनाथ दंडनायक द्वारा बनाया गया था।
- ❖ **सांस्कृतिक महत्व:** यह मंदिर एक बाहरी प्रदक्षिणा मार्ग के साथ एक ऊंचे मंच पर बनाया गया है। दीवारें महाकाव्यों के दृश्यों, हाथियों की आकृतियों और घुड़सवार सेना को दर्शाने वाले दृश्यों से सुसज्जित हैं।

## कार्यक्रम एवं पहल

### पुरातत्व संरक्षण से संबंधित ASI की विभिन्न पहलें

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) ने 4 सितंबर 2023 को समवेत ऑडिटोरियम, नई दिल्ली में 'एडॉप्ट ए हेरिटेज 2.0' (Adopt a Heritage 2.0) कार्यक्रम का शुभारंभ किया।



- ❖ इसके साथ ही भारत की समृद्ध विरासत को प्रदर्शित करने के लिए 'इंडियन हेरिटेज' (Indian Heritage) नामक एक मोबाइल ऐप तथा ई-अनुमति पोर्टल (e-permission portal) भी लॉन्च किया गया।

### मुख्य बिंदु

- ❖ **अडॉप्ट ए हेरिटेज 2.0:** इसके माध्यम से कॉर्पोरेट हितधारकों (Corporate Stakeholders) को ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण स्मारकों को संरक्षण में योगदान के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।
  - + इसके माध्यम से विभिन्न प्रकार की सुविधाओं का विकास करने के लिए कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (Corporate Social Responsibility - CSR) फंड का प्रयोग किया जा रहा है।
  - + यह पहल 'एडॉप्ट ए हेरिटेज' कार्यक्रम का उन्नत संस्करण है।
- ❖ **भारतीय विरासत मोबाइल ऐप:** यह ऐप एएसआई के दायरे में आने वाले स्मारकों के विषय में व्यापक मार्गदर्शन प्रदान करता है।
  - + इस ऐप में तस्वीरों के साथ-साथ स्मारकों का राज्यवार विवरण उपलब्ध हैं। इसके माध्यम से उस जगह पर उपस्थित सार्वजनिक सुविधाओं की सूची प्राप्त की जा सकती है।
- ❖ **ई-अनुमति पोर्टल:** ई-अनुमति पोर्टल को अनुमति देने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लक्ष्य से प्रारंभ किया गया है। इसके माध्यम से स्मारकों पर फोटोग्राफी, फिल्मांकन और विकासात्मक परियोजनाओं की अनुमति प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।

### अडॉप्ट ए हेरिटेज

- ❖ इस पहल को 2017 में पर्यटन मंत्रालय के तहत एएसआई के सहयोग से लॉन्च किया गया था।

- ❖ यह योजना संस्कृति मंत्रालय और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के सहयोग से पर्यटन मंत्रालय की एक पहल है। इस पहल के माध्यम से कॉर्पोरेट हितधारकों को जोड़ कर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संरक्षण में स्थित 3,696 स्मारकों के संरक्षण में सहायता मिलेगी।
- ❖ इस पहल के माध्यम से हितधारकों को पांच साल की अवधि के लिए नियुक्त किया जाता था, जिसे आगे पांच साल तक बढ़ाए जाने का भी प्रावधान था। यह पहल प्राचीन स्मारक और पुरातात्विक स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 के अनुसार विभिन्न स्मारकों के लिए मांगी गई सुविधाओं को परिभाषित करता है।


## प्राचीन स्मारक और पुरातात्विक स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958

- यह अधिनियम राष्ट्रीय महत्व के प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारकों, पुरातात्विक स्थलों और अवशेषों के संरक्षण से संबंधित अधिनियम है।
- यह पुरातात्विक उत्खनन को विनियमित करने के साथ ही प्राप्त मूर्तियों, नक्काशी और अन्य वस्तुओं की सुरक्षा प्रदान करने के लिए अधिनियमित किया गया है।
- इस अधिनियम को 2010 में संशोधित किया गया तथा इसकी धारा 20 संरक्षित स्मारकों के 100 मीटर के दायरे को निषिद्ध क्षेत्र और अगले 300 मीटर के दायरे को विनियमित क्षेत्र घोषित करता है।

## कला के विविध रूप

### पश्चिम बंगाल का राज्य गान

पश्चिम बंगाल विधानसभा ने हाल ही में नोबेल पुरस्कार विजेता रवींद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित 'बांग्लार माटी, बांग्लार जोल' (Banglar Mati, Banglar Jol) गीत को राज्य गान (State Anthem) घोषित करने का एक प्रस्ताव पारित किया।



- ❖ बांग्लार माटी, बांग्लार जोल; यानी 'बंगाल की मिट्टी, बंगाल का पानी' नामक यह गीत अपने प्रकृति में भाईचारे और देशभक्ति की भावना का आह्वान करता है।
- ❖ इसके साथ ही विधान सभा ने बंगाली कैलेंडर के पहले दिन 'पोइला बैसाख' (Poila Baisakh) को 'बांग्ला दिवस' या पश्चिम बंगाल स्थापना दिवस घोषित करने का प्रस्ताव भी पारित किया।

### मुख्य बिंदु

- ❖ 'बांग्लार माटी, बांग्लार जोल गीत' 1905 में बंगाल के विभाजन के दौरान रवींद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया था।
- ❖ यह गीत बंगाल के प्राकृतिक वातावरण, भाषा, इसके लोगों आदि की सुंदरता की प्रशंसा करते हुए, एकता का आह्वान करता है।
  - + 1905 में वायसराय लॉर्ड कर्जन के बंगाल विभाजन के संदर्भ में लिखा गया यह गीत ब्रिटेन की फूट डालो और राज करो की नीति के खिलाफ लड़ने वालों के लिए एक लोकप्रिय गीत बन गया था।

### बंगाल विभाजन

- ❖ वर्ष 1899 में जॉर्ज नैथनियल कर्जन (लॉर्ड कर्जन) को भारत का वायसराय नियुक्त किया गया। लॉर्ड कर्जन, साम्राज्यवादी विचारधारा का कट्टर समर्थक था तथा उसके द्वारा किया गया सबसे अलोकप्रिय कार्य 1905 में बंगाल का विभाजन था।
- ❖ ब्रिटिश भारत सरकार की ओर से बंगाल प्रेसीडेंसी के बड़े आकार और 'प्रशासनिक सुविधा' को इस विभाजन का कारण बताया गया।
- ❖ **वास्तविक कारण:** उस समय, बंगाल भारत के उभरते राष्ट्रवादी आंदोलन का केंद्र बन गया था। कर्जन ने इस कदम के माध्यम से, विविध बंगाली भाषी आबादी में विभाजन और नफरत के बीज बोने की कोशिश की।
  - + कर्जन की इस रणनीति को राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने 'फूट डालो और राज करो' की संज्ञा दी।

### रवींद्रनाथ टैगोर

- ❖ **जीवन परिचय:** बांग्ला साहित्य के माध्यम से भारतीय सांस्कृतिक चेतना में नई जान फूंकने वाले युगदृष्टा रवींद्रनाथ टैगोर विश्वविख्यात कवि, साहित्यकार व दार्शनिक थे।
  - + रवींद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव, कबीगुरु और बिस्वाकबी के नाम से भी जाना जाता है।
- ❖ **विचार:** टैगोर के शैक्षिक दर्शन में प्रकृतिवाद, मानवतावाद, अंतरराष्ट्रीयवाद और आदर्शवाद मूलभूत सिद्धांत हैं।
- ❖ **प्रमुख साहित्यिक कृतियां:** इन्होंने 2000 से अधिक गीतों की रचना की; उनके गीत और संगीत को रबीन्द्र संगीत कहा जाता है।
  - + इनकी कृतियों में गीतांजलि, घारे-बैर, गोरा, मानसी, बालका, सोनार तोरी आदि शामिल हैं। साथ ही उन्हें उनके गीत 'एकला चलो रे' के लिए भी याद किया जाता है।
  - + 1874 में टैगोर की कविता अभिलाषा (इच्छा) गुमनाम रूप से तत्वबोधिनी नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। रवींद्रनाथ की कविताओं की पहली पुस्तक, कबी कहिनी (एक कवि की कहानी) 1878 में प्रकाशित हुई थी।
  - + 1884 में, टैगोर ने कोरी-ओ-कमल (तीव्र और सपाट) नामक कविताओं का एक संग्रह लिखा था। टैगोर ने राजा-ओ-रानी (राजा और रानी) और विसर्जन (बलिदान) जैसे नाटक भी लिखे थे।
  - + एशिया के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता टैगोर, दुनिया के एकमात्र ऐसे अकेले कवि हैं, जिनकी दो रचनाएं दो देशों का राष्ट्रगान बनीं (भारत का 'जन गण मन' और बांग्लादेश का 'आमार सोनार बांग्ला')।

## जी-20 सम्मेलन में जनजातीय शिल्प कौशल का प्रदर्शन

हाल ही में, 18वें जी20 शिखर सम्मेलन के दौरान भारत की समृद्ध जनजातीय विरासत और शिल्प कौशल का प्रदर्शन किया गया। इसे भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ (Tribal Cooperative Marketing Development Federation of India) या ट्राइफेड द्वारा प्रस्तुत किया गया।

- ❖ भारत के विभिन्न क्षेत्रों के जनजातीय कारीगरों द्वारा तैयार किए गए कई श्रेष्ठ उत्पादों ने दुनिया भर के प्रतिनिधियों का ध्यान खींचा और साथ ही प्रतिनिधियों ने सराहना भी की।

### G20 सम्मेलन में प्रदर्शित प्रमुख कलात्मक वस्तुएं

- ❖ **लोंगपी पॉटरी:** इसका नाम मणिपुर के लोंगपी गांव के नाम पर रखा गया है। तंगखुल नागा जनजाति इस मिट्टी के बर्तन का निर्माण करती हैं। अधिकांश मिट्टी के बर्तनों के विपरीत, लोंगपी कुम्हार के चाक का सहारा नहीं लेता है। सभी आकार देने का काम हाथ से और सांचों की मदद से किया जाता है।
- ❖ **छत्तीसगढ़ पवन बांसुरी:** इसे छत्तीसगढ़ में बस्तर की गोंड जनजाति द्वारा तैयार किया जाता है। इस बांसुरी को मछली, ज्यामितीय रेखाओं और त्रिकोणों के साथ सतह की नक्काशी द्वारा सजाया जाता है।
- ❖ **गोंड पेंटिंग:** यह लोककला का एक रूप है जो गोंड समाज की उपशाखा परधान समुदायों के कलाकारों द्वारा चित्रित की जाती है। गोंड पेंटिंग प्रकृति और परंपरा से उनके गहरे संबंध को दर्शाती है।
- ❖ **गुजरात हैंगिंग्स:** गुजराती वॉल हैंगिंग दाहोद, गुजरात में भील और पटेलिया जनजाति द्वारा तैयार की जाती हैं। इसके निर्माण में उपयोग की जाने वाली सामग्री में सूती कपड़ा और पुनर्नवीनीकरण सामग्री आदि होते हैं।
- ❖ **अराकू वैली कॉफी:** अराकू वैली कॉफी आंध्र प्रदेश की सुरम्य अराकू घाटी में उपजाई जाती है। यह अरेबिका प्रकार की उत्कृष्ट कॉफी होती है तथा जैविक रूप से उत्पादित की जाती है। यह अपने समृद्ध स्वाद, स्फूर्तिदायक सुगंध और बेजोड़ शुद्धता के लिए प्रसिद्ध है।
- ❖ **भेड़ ऊन स्टोल:** हिमाचल प्रदेश/जम्मू और कश्मीर की बोध, भूटिया और गुज्जर बकरवाल जनजातियों द्वारा इसे तैयार किया जाता है। इनके द्वारा शुद्ध भेड़ के ऊन से जैकेट, शॉल और स्टॉल आदि विभिन्न प्रकार के परिधान तैयार किये जाते हैं।

## मंदिर एवं स्मारक

### चौंसठ योगिनी मंदिर

19 सितंबर, 2023 को संसद के विशेष सत्र के दौरान सांसदों को पुराने संसद भवन से नए संसद भवन में स्थानांतरित किया गया। भारतीय संसद की पुरानी इमारत मध्य प्रदेश के चौंसठ योगिनी मंदिर से प्रेरित मानी जाती है।

- ❖ चौंसठ योगिनी मंदिर मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के मितौली (Mitaoli) गांव में स्थित है। इसका निर्माण कच्छपघात वंश (Kachchhapaghata dynasty) के राजा देवपाल ने करवाया था। यह गोलाकार है, इसमें 64 कक्ष हैं जो 64 योगिनियों को समर्पित हैं, और एक केंद्रीय मंदिर शिव को समर्पित है।
- ❖ भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने मंदिर को एक प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारक घोषित किया है। इसके परिसर में शिवलिंगों की मौजूदगी के कारण इसे एकतारसो महादेव मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यह पूजा का स्थल होने के साथ ही पूर्वर्ती काल में यहां ज्योतिष और गणित में शिक्षा प्रदान किया जाता था।
- ❖ मंदिर के भीतर वर्षा के जल को भूमिगत भंडारित करने का स्थल बनाया गया है, इसके साथ ही इस जल को निकालने के लिए एक छिद्र भी है।

- ❖ चौंसठ योगिनी मंदिर भूकंपीय क्षेत्र 3 क्षेत्र में है। विशेषज्ञों के अनुसार, अपने निर्माण के बाद से वर्तमान समय तक मंदिर ने कई भूकंपों का सामना किया है। लेकिन, मंदिर का डिजाइन इस प्रकार है कि इसे किसी भी प्रकार की दृश्य क्षति नहीं हुई है।
- ❖ अन्य हिंदू मंदिरों में गर्भ गृह के ऊपर एक शिखर या उभरा हुआ गुंबद बना होता है। जबकि इस मंदिर में प्रकार की संरचना का अभाव है। मध्य प्रदेश सरकार के पर्यटन पोर्टल पर एक लेख के अनुसार, मंदिर का व्यास 125 फीट है।

## सांस्कृतिक आयोजन

### दिव्य कला मेला

15 से 24 सितंबर, 2023 के दौरान सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 10 दिवसीय दिव्य कला मेला का आयोजन किया गया।

- ❖ इस मेले में जम्मू और कश्मीर, उत्तर-पूर्वी राज्यों सहित देश के विभिन्न हिस्सों से आए कलाकारों द्वारा हस्तशिल्प, हथकरघा, कढ़ाई के काम एवं पैकेज्ड फूड आदि का प्रदर्शन किया गया। ये उत्पाद बिक्री के लिए भी उपलब्ध थे।
- ❖ दिव्य कला मेला दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग (DEPwD) की PwD/दिव्यांगजनों के आर्थिक सशक्तीकरण की दिशा में एक पहल है। यह संपूर्ण देश के दिव्यांग (पीडब्ल्यूडी) उद्यमियों/कारीगरों के उत्पादों और शिल्प कौशल के प्रदर्शन का अवसर उपलब्ध कराता है।
- ❖ इस मेले के आयोजन के लिए दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग ने नेशनल दिव्यांगजन फाइनंस एंड डेवलपमेंट कार्पोरेशन को नोडल एजेंसी के रूप में चुना है।
- ❖ अब तक छः दिव्य कला मेले- दिल्ली (2022), मुंबई (2023), भोपाल (2023), गुवाहाटी (2023), इंदौर (2023), जयपुर (2023) में आयोजित किए जा चुके हैं और वाराणसी इस श्रृंखला में सातवां है।
- ❖ यहां प्रदर्शित होने वाले उत्पाद श्रेणी में गृह सजावट और जीवन शैली, कपड़े, स्टेशनरी और पर्यावरण के अनुकूल उत्पाद, पैकेज्ड भोजन और जैविक उत्पाद, खिलौने और उपहार, आभूषण आदि होते हैं।
- ❖ यह नागरिकों के लिए 'वोकल फॉर लोकल' को अपना समर्थन प्रदान करने का अवसर भी प्रदान करता है। दिव्य कला मेले में लगभग 20 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 100 दिव्यांग कारीगर/कलाकार और उद्यमियों ने उत्पादों और कौशल का प्रदर्शन किया।

### वैशाली फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी

15 सितंबर, 2023 को भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (ICCR) द्वारा बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय में वैशाली फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी (Vaishali Festival of Democracy) का आयोजन किया गया। ज्ञात है कि 15 सितंबर को दुनिया भर में अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है।

- ❖ इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अल्लेकर, असम के मुख्यमंत्री



- हिमंत बिस्वा सरमा, संस्कृति मंत्री मीनाक्षी लेखी एवं कई केंद्रीय मंत्रियों के साथ विभिन्न देशों के राजदूत भी शामिल हुए।
- ❖ केंद्र सरकार ने नई दिल्ली में जी20 शिखर सम्मेलन के दौरान भारत के लोकतांत्रिक लोकाचार को उजागर करने के उद्देश्य से 'भारत: लोकतंत्र की जननी' (Bharat: Mother of Democracy) नामक एक प्रदर्शनी का आयोजन किया था।
- ❖ इस उत्सव का आयोजन जी-20 शिखर सम्मेलन के अतिरिक्त कार्यक्रमों के एक भाग के रूप में केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा 'भारत मंडपम' (Bharat Mandapam) में किया गया था। 'भारत: लोकतंत्र की जननी' शीर्षक वाली प्रदर्शनी का उद्देश्य भारत के लोकतांत्रिक लोकाचार को उजागर करना था।
- ❖ वैशाली छठी शताब्दी का प्राचीन शहर था और यहां लोकतंत्र विकसित हुआ था। वैशाली एक प्राचीन ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व वाला स्थल है। यह जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर का जन्मस्थान है।
- ❖ ऐसा माना जाता है कि यह विश्व का पहला गणतंत्र है। भगवान बुद्ध ने इस स्थल का तीन बार दौरा किया तथा अपना अंतिम उपदेश इसी स्थान पर दिया था। बुद्ध की मृत्यु के बाद दूसरी बौद्ध संगीति वैशाली में हुई। इस कारण यह बौद्ध तीर्थस्थल के रूप में भी प्रसिद्ध है।
- ❖ प्रारंभ में यहां एक गण या संघ द्वारा प्रशासन के कार्य किये जाते थे। इससे संबद्ध कई शासक होते थे तथा प्रत्येक को राजा के रूप में जाना जाता था। वे सभाओं में मिलते थे, तथा चर्चा और बहस के माध्यम से किसी विषय या कार्य पर निर्णय लेते थे।
- ❖ कालांतर में महान मगध राजा अजातशत्रु ने पांचवीं शताब्दी ईसा पूर्व में वैशाली पर कब्जा कर लिया और इसके बाद वैशाली ने धीरे-धीरे अपनी लोकतंत्र के रूप की प्रसिद्धि खो दी।

## विविध

### संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार

हाल ही में, भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा प्रदर्शनी कला के विभिन्न क्षेत्रों के 84 कलाकारों को एक बार का संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार (Sangeet Natak Akademi Amrit Awards) प्रदान किया गया।

- ❖ यह पुरस्कार आजादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर ऐसे कलाकारों को प्रदान किया गया, जो 75 वर्ष से अधिक आयु के हैं और जिन्हें अपने अब तक करियर में कोई भी राष्ट्रीय सम्मान प्रदान नहीं किया गया है।

**पुरस्कार के बारे में**

- ❖ यह एक राष्ट्रीय सम्मान है, जो प्रदर्शन कला के क्षेत्र के कलाकारों के साथ-साथ शिक्षकों और विद्वानों को भी प्रदान किया जाता है।
- ❖ इसके प्राप्तकर्ताओं का चयन अकादमी की सामान्य परिषद द्वारा किया जाता है, जिसमें इन विधाओं के प्रतिष्ठित संगीतकार, नर्तक, रंगमंच कलाकार, विद्वान और भारत सरकार, राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के नामांकित व्यक्ति शामिल होते हैं।
- ❖ पुरस्कार स्वरूप 1,00,000 रुपये (एक लाख रुपये) की नकद राशि के अलावा एक ताम्रपत्र और अंगवस्त्रम प्रदान किया जाता है।
- ❖ इस पुरस्कार के कुछ उल्लेखनीय पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में लोक संगीत के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त कलाकार महाबीर नायक, रंगमंच के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त कलाकार हरिश्चंद्र प्रभाकर बोरकर आदि हैं।
- ❖ हिंदुस्तानी गायन के क्षेत्र में रघुबीर मलिक तथा दीना नाथ मिश्र, कर्नाटक गायन के लिए गौरी कुप्पुस्वामी तथा अनसूया कुलकर्णी, भरतनाट्यम के लिए ललिता श्रीनिवासन तथा विलासिनी देवी कृष्णापिल्लई हैं।

**न्यूज बुलेट्स**

|                              |   |
|------------------------------|---|
| मेघालय शॉल                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ हाल ही में, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा ग्रीस के प्रधानमंत्री की पत्नी को मेघालय शॉल उपहार स्वरूप प्रदान किया गया।</li> <li>❖ मेघालय शॉल मूल रूप से खासी और जयंतिया राजघराने के लिए बुने जाते थे, जो उन्हें अपनी शक्ति और स्थिति का प्रतीक मानते थे।</li> <li>❖ शॉल औपचारिक अवसरों और त्यौहारों के दौरान पहने जाते थे, उनके जटिल डिजाइन और जीवंत रंग शाही परिवार की संपत्ति तथा प्रतिष्ठा का प्रतिबिंब माने जाते थे।</li> <li>❖ मेघालय शॉल में इस्तेमाल किए गए डिजाइन अत्यधिक प्रतीकात्मक हैं। उदाहरण के लिए, बाघ और हाथी जैसे जानवरों के रूपांकनों का उपयोग शक्ति का प्रतीक है।</li> </ul>  |
| ओणम महोत्सव                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ हाल ही में, केरल तथा विश्व के विभिन्न हिस्सों में रहने वाले मलयाली समुदाय द्वारा ओणम का त्यौहार को मनाया गया है।</li> <li>❖ ओणम का त्यौहार चिंगम (Chingam) महीने में मनाया जाता है, जो ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार अगस्त या सितंबर में आता है।</li> <li>❖ यह उत्सव 'अथम' (पहला दिन) से शुरू होता है और 'थिरुवोणम' (अंतिम दिन) तक 10 दिन निर्धारित अनुष्ठानों के साथ मनाया जाता है।</li> <li>❖ यह त्यौहार मलयालम वर्ष (Malayalam year) की शुरुआत का भी प्रतीक माना जाता है, जिसे कोल्ला वर्षम (Kolla Varsham) कहा जाता है।</li> </ul>  |
| जहाज निर्माण की प्राचीन शैली | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ 12 सितंबर, 2023 को गोवा में प्राचीन भारतीय समुद्री जहाज निर्माण कला का प्रयोग कर जहाज निर्माण हेतु 'पोत के निचले ढांचे के निर्माण समारोह' (Keel Laying Ceremony) का आयोजन किया गया।</li> <li>❖ इस प्राचीन कला से निर्मित समुद्री जहाज निर्माण को 'सिले हुए जहाज' (stitched ship) कहा जाता है।</li> <li>❖ ऐसे जहाज पहले कभी भारत के प्राचीन समुद्री व्यापार मार्गों पर यात्रा करते थे। इसके माध्यम से पुनरुद्धार से भारत की समृद्ध समुद्री परंपरा जीवंत हो उठी है।</li> <li>❖ जहाज निर्माण की यह विधि 2000 साल पुरानी तकनीक है। इसमें जहाजों का निर्माण कीलों के प्रयोग के बजाय लकड़ी के तख्तों को एक साथ सिलकर (Stitching Wooden Planks Together) किया जाता है।</li> </ul> |
| अमृत कलश यात्रा              | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 1 सितंबर, 2023 को नई दिल्ली में 'मेरी माटी-मेरा देश' अभियान के तहत अमृत कलश यात्रा की शुरुआत की।</li> <li>❖ इस अभियान का उद्देश्य प्रत्येक नागरिक को श्रेष्ठ भारत के निर्माण के विचार से भावनात्मक रूप से जोड़ना है।</li> <li>❖ अमृत कलश यात्रा के तहत 1-30 सितंबर तक, प्रत्येक घर, वार्ड और गांव से एक बर्तन में 'मिट्टी' या अनाज एकत्रित किया गया, इसके बाद 1-13 अक्टूबर तक ब्लॉक में और बाद में 22-27 अक्टूबर तक राज्य स्तर पर इसका पालन किया जाएगा।</li> <li>❖ अंत में, 28-30 अक्टूबर के बीच ये 7,500 बर्तन देश की राजधानी नई दिल्ली पहुंच जाएंगे।</li> </ul>   |

# आर्थिक विकास एवं परिदृश्य

## अवसंरचना

- ◆ नेटवर्किंग एवं दूरसंचार उपकरण विनिर्माण : TRAI की सिफारिशें
- ◆ सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहन
- ◆ भारत-यूनाइटेड किंगडम इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस ब्रिज
- ◆ राष्ट्रीय अंतर्देशीय जलमार्गों के विकास एवं विस्तार पर रिपोर्ट

## रिपोर्ट एवं सूचकांक

- ◆ इंडियन सेल्यूलर एंड इलेक्ट्रॉनिक एसोसिएशन की चक्रीय अर्थव्यवस्था पर रिपोर्ट
- ◆ खाद्य मुद्रास्फीति से निपटने के विकल्पों पर अध्ययन
- ◆ इंडिया क्लस्टर पैनोरमा रिसर्च पेपर-2023
- ◆ 'एडवांस्ड मैनुफैक्चरिंग: ए न्यू नैरेटिव' दस्तावेज

## वित्त क्षेत्र

- ◆ विलफुल डिफॉल्टर्स एवं लार्ज डिफॉल्टर्स के साथ व्यवहार संबंधी दिशा-निर्देश
- ◆ बड़े निगमों को ऋण बाजार से धन प्राप्त करने के नियमों में सुगमता

## मुद्रा एवं बैंकिंग

- ◆ बेसल-III कैपिटल प्रेमवर्क
- ◆ बैंकिंग प्रणाली में पिछले 4 वर्षों में तरलता में सर्वाधिक कमी
- ◆ यूपीआई के तहत नवीन पहलों का शुभारंभ
- ◆ यूपीआई आधारित क्यूआर कोड-सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी
- ◆ 15 एनबीएफसी अतिरिक्त नियामकीय व्यवस्था के अधीन

## बौद्धिक संपदा अधिकार

- ◆ पेटेंट (संशोधन) नियम-2023 मसौदा

## उद्योग एवं व्यापार

- ◆ सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों पर ICRIER का सर्वेक्षण
- ◆ भारत द्वारा गैर-बासमती चावल के निर्यात पर प्रतिबंध : WTO में आपत्ति

## वित्तीय समावेशन

- ◆ भारतीय रिजर्व बैंक के वित्तीय समावेशन सूचकांक में सुधार

## करारोपण एवं कर-अपवंचन

- ◆ आर्थिक अपराधियों से 1.8 अरब डॉलर से अधिक की संपत्ति बरामद
- ◆ धन शोधन निवारण (अभिलेखों का रख-रखाव) नियम, 2005 में संशोधन

## विविध

- ◆ पुरानी पेंशन योजना पर रिजर्व बैंक की सलाह
- ◆ राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति : मुख्य विशेषताएं एवं प्रगति

## न्यूज बुलेट्स

## अवसंरचना

### नेटवर्किंग एवं दूरसंचार उपकरण विनिर्माण : TRAI की सिफारिशें

हाल ही में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (TRAI) द्वारा 'नेटवर्किंग एवं दूरसंचार उपकरण विनिर्माण' (Networking and Telecommunications Equipment Manufacturing: NATEM) को बढ़ावा देने के लिए सिफारिशें जारी की गईं।



- ◆ नेटवर्किंग एवं दूरसंचार उपकरण विनिर्माण (NATEM) क्षेत्र में संचार और डेटा ट्रांसमिशन के लिए अलग-अलग हार्डवेयर के उत्पादन को शामिल किया जाता है। इनमें राउटर, मॉडेम, टर्मिनल एंटीना, केबल जैसे कुछ उपकरण आते हैं।
- ◆ TRAI द्वारा सिफारिश की गई है कि सार्वजनिक निजी-भागीदारी (PPP) मॉडल के तहत 1,000 करोड़ रुपये की आरंभिक पूंजी के साथ एक समर्पित दूरसंचार सॉफ्टवेयर विकास कोष

(Telecom Software Development Fund) स्थापित किया जाना चाहिए।

- ◆ इसी प्रकार, एक 'सहवर्ती उत्पादन से सम्बद्ध प्रोत्साहन' (Concurrent PLI) योजना आरंभ की जानी चाहिए। यह योजना सहयोगात्मक गतिविधियों के लिए उपकरण घटकों के विनिर्माण पर केंद्रित होनी चाहिए।
- ◆ TRAI के अनुसार, दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को स्वदेशी रूप से निर्मित उपकरणों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इसके लिए वार्षिक निवल आधार पर उनके 'प्रयोज्य सकल राजस्व' (Applicable Gross Revenue) को काम किया जाना चाहिए।
  - ◆ 'एप्लीकेबल ग्राँस रिवेन्यू' दूरसंचार कंपनियों द्वारा अर्जित सभी गैर-दूरसंचार राजस्व को उनके सकल राजस्व से घटाकर प्राप्त किया जाता है।
  - ◆ 'एप्लीकेबल ग्राँस रिवेन्यू' कम होने से लाइसेंस शुल्क भी कम देना होगा।
- ◆ स्वदेशी उपकरणों के निर्यातकों को समर्थन देने के लिए निर्यात नियंत्रण व्यवस्थाओं का उदारीकरण किया जाना चाहिए।
- ◆ अन्य सिफारिशों में, ब्याज में छूट देने के लिए एक 'डॉटर फंड' (Daughter Fund) का निर्माण करना; बौद्धिक संपदा अधिकार-धारित कंपनियों को कर राहत प्रदान किया जाना तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग आदि पर आधारित ऑटोमेशन उपकरण विकसित करना शामिल हैं।

## सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहन

22 सितंबर, 2023 को 'भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण' (Telecom Regulatory Authority of India: TRAI) द्वारा 'सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी' (ICT) क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास (R&D) प्रोत्साहन' पर एक परामर्श पत्र जारी किया गया।

- ❖ इस परामर्श पत्र को जारी करने का उद्देश्य देश के सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (ICT) क्षेत्र में R&D के प्रोत्साहन हेतु एक व्यापक पारिस्थितिक तंत्र विकसित करना है।
- ❖ यह अनुकूल पारिस्थितिक तंत्र आत्मनिर्भर भारत के निर्माण तथा ICT क्षेत्र में निर्यात को बढ़ावा देने के लिये सरकार और निजी भागीदारों के समर्थन से वैज्ञानिकों/इंजीनियरों का समूह तैयार करने की एक सुनियोजित प्रक्रिया स्थापित करने का मार्ग प्रशस्त करेगा।
- ❖ भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) अधिनियम, 1997 के तहत TRAI को दूरसंचार प्रौद्योगिकी के विकास एवं प्रोत्साहन हेतु सिफारिश करने का उत्तरदायित्व प्रदान किया गया है।

### भारत में अनुसंधान एवं विकास की स्थिति

- ❖ भारत अपने सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों पर 0.7% व्यय करता है। विश्व की 10 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में इसका औसत व्यय 1.5% से 3% तक है।
- ❖ देश में अनुसंधान एवं विकास के क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र की सर्वाधिक भागीदारी (63%) है। इन गतिविधियों में सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा किया जाने वाला निवेश अमेरिका (24%), चीन (23%) तथा जापान (21%) में अपेक्षाकृत कम है।
- ❖ भारत को वर्ष 2022 के 'वैश्विक नवाचार सूचकांक' में 40वां स्थान प्राप्त हुआ था। यह वर्ष 2021 (46) की तुलना में 6 अंक का सुधार प्रदर्शित करता है। हाल ही में जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 में भी भारत को 40वें स्थान पर ही रखा गया है।
- ❖ भारत में अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों में स्वचालित मार्ग से 'प्रत्यक्ष विदेशी निवेश' की सीमा 100% है।

### दूरसंचार क्षेत्र की महत्वपूर्ण पहलें

- ❖ वर्ष 2018 में 'राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति' की घोषणा की गई थी। देश में दूरसंचार क्षेत्र के विकास हेतु उत्पाद से सम्बद्ध प्रोत्साहन (PLI) योजना जारी है।
- ❖ सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स (C-DOT) द्वारा स्वदेशी 4G और 5G कोर प्रौद्योगिकियां विकसित की गई हैं।
- ❖ आईआईटी मद्रास में एक स्वायत्त अनुसंधान संस्थान- 'वॉयरलैस टेक्नोलॉजी उत्कृष्टता केंद्र' (CEWiT) की स्थापना की गई है।

## भारत-यूनाइटेड किंगडम इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस ब्रिज

11 सितंबर, 2023 को नई दिल्ली में भारतीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एवं यूनाइटेड किंगडम के राजकोषीय चांसलर जेरेमी हंट की उपस्थिति में आयोजित 12वीं आर्थिक और वित्तीय वार्ता (EFD) के दौरान भारत-यूनाइटेड किंगडम इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज (UKIIFB) की घोषणा की गई।

- ❖ यह पहल भारत में बुनियादी ढांचे में निवेश अवसरों को खोलने के लिए दोनों देशों की प्रतिबद्धता को व्यक्त करती है। यह भारत की राष्ट्रीय इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के समर्थन में विशेषज्ञता और निवेश का लाभ उठाने के लिए एक सहयोगी पहल है।
- ❖ भारत-यूनाइटेड किंगडम इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज (UKIIFB) का उद्देश्य प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की योजना बनाने और उन्हें लागू करने में सामूहिक विशेषज्ञता का उपयोग करना है। यह नीति आयोग और सिटी ऑफ लंदन कॉर्पोरेशन के सह-नेतृत्व वाला एक सहयोगी उद्यम है।
- ❖ इस सहयोगात्मक पहल से यूनाइटेड किंगडम और भारत, दोनों देशों में आर्थिक संवृद्धि, रोजगार सृजन तथा साझा समृद्धि की नींव को मजबूती प्राप्त होगी।
- ❖ इसमें संधारणीय अवसंरचना के विकास के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है। इसके तहत सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप पर्यावरण अनुकूल परियोजनाओं (Eco Friendly Projects) को प्राथमिकता दी जाएगी।



## राष्ट्रीय अंतर्देशीय जलमार्गों के विकास एवं विस्तार पर रिपोर्ट

- हाल ही में, संसदीय समिति द्वारा नवीन 'राष्ट्रीय अंतर्देशीय जलमार्गों' के विकास एवं विस्तार पर रिपोर्ट प्रस्तुत की गई।
- ❖ ज्ञात है कि वर्तमान समय में भारत में 111 अंतर्देशीय जलमार्गों को 'राष्ट्रीय जलमार्ग' (NWs) घोषित किया गया है। इनमें से केवल 23 राष्ट्रीय जलमार्ग पोत परिवहन और नौवहन सेवाएं संचालित करते हैं।
  - ❖ भारत के परिवहन माध्यमों में जलमार्गों की हिस्सेदारी केवल 2% है, जबकि अधिकांश विकसित देशों में यह 10% से भी अधिक है।
  - ❖ इस रिपोर्ट में निम्नलिखित सिफारिशें दी गई हैं:
    - + अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन (Inland Waterway Transport: IWT) में अधिक कार्गो के संचालन हेतु वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।
    - + टर्मिनल पर लोडिंग एवं अनलोडिंग सुविधाओं के विकास को प्राथमिकता देनी चाहिए।
    - + कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि की जानी चाहिए। साथ ही, टर्मिनल की रेल और सड़क नेटवर्क के साथ कनेक्टिविटी में सुधार किया जाना चाहिए।
    - + गति और तलकर्षण (Dredging) को विनियमित किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, जलीय जीवन और इसकी जैव विविधता को नुकसान पहुंचाए बिना 'बफर जोन' बनाए जाने चाहिए।
    - + समिति के अनुसार, उन जलमार्गों में नौवहन को प्राथमिकता देनी चाहिए, जिनकी प्राकृतिक गहराई 2 मी. या उससे अधिक है।

## रिपोर्ट एवं सूचकांक

## इंडियन सेल्यूलर एंड इलेक्ट्रॉनिक एसोसिएशन की चक्रीय अर्थव्यवस्था पर रिपोर्ट

हाल ही में, इंडियन सेल्यूलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन (ICEA) द्वारा 'भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में चक्रीय अर्थव्यवस्था के मार्ग' (Pathways to Circular Economy in Indian Electronics Sector) शीर्षक से एक व्यापक रिपोर्ट जारी की गई।

- ❖ रिपोर्ट 6 सर्कुलर बिजनेस मॉडल (सर्कुलर डिजाइन, प्रोडक्ट-एज-ए-सर्विस, रीसेल, रिपेयर, रिफर्बिशमेंट और रीसाइकलिंग) की पहचान करती है, जो वर्ष 2035 तक 7 बिलियन डॉलर का राजस्व उत्पन्न कर सकते हैं।
- ❖ रिपोर्ट के अनुसार इन चक्रीय व्यावसायिक मॉडलों का वर्ष 2035 तक बाजार आकार 13 बिलियन डॉलर होने का अनुमान है।
- ❖ रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि ई-अपशिष्ट के 90% भाग का संग्रहण और 70% पुनर्चक्रण अनौपचारिक क्षेत्र द्वारा प्रबंधित किया जाता है।
- ❖ इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में 'चक्रीय मॉडल' मूल्य श्रृंखला को इसकी अप-स्ट्रीम, मिड-स्ट्रीम और डाउन-स्ट्रीम क्रियाओं के माध्यम से समझा जा सकता है। इन क्रियाओं में उत्पाद की उपयोग अवधि में विस्तार के लिए डिजाइन करना, मरम्मत करना तथा नवीनीकरण को बढ़ावा देना एवं पुनर्चक्रण में सुधार करना शामिल है।
- ❖ चक्रीय मॉडल को बढ़ावा देने से न केवल ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने में मदद मिलेगी, बल्कि इससे 'प्रतिस्पष्टी औद्योगिक मॉडल' के विकास को बढ़ावा मिलने के साथ व्यापक मात्रा में रोजगार सृजित किए जा सकेंगे। इतना ही नहीं, यह मॉडल स्थानीय संसाधनों का पुनः उपयोग कर आयातित कच्चे माल पर निर्भरता को कम करने में भी मदद करता है।

## खाद्य मुद्रास्फीति से निपटने के विकल्पों पर अध्ययन


हाल ही में, 'इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस' (ICRIER) द्वारा प्रकाशित एक शोध पत्र में खाद्य मुद्रास्फीति से निपटने के लिए निर्यात को प्रतिबंधित करने (Restricting Exports) तथा स्टॉकिंग सीमा लागू करने (Imposing Stocking Limits) की नीति की समीक्षा की गई है।

- ❖ सार्वजनिक-निजी भागीदारी वाली संस्था, ICRIER द्वारा किये गए इस अध्ययन का शीर्षक है- "खाद्य मुद्रास्फीति से निपटना: क्या निर्यात को प्रबंधित करना और स्टॉकिंग सीमा लागू करना सर्वोत्तम नीति है?"
- ❖ इस शोध पत्र में भारत में वर्तमान खाद्य मुद्रास्फीति के लिए उत्तरदायी कारकों और नियंत्रण के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के संदर्भ में चर्चा की गई है। साथ ही खाद्य मुद्रास्फीति की स्थिति से निपटने के लिए कई वैकल्पिक समाधानों की भी सिफारिशें की गई हैं।
- ❖ शोध पत्र के अनुसार, आदर्श स्थिति में फसलों का आयात मूल्य 'न्यूनतम समर्थन मूल्य' से कम नहीं होना चाहिए। इससे किसान अपनी उपज का कम से कम न्यूनतम मूल्य प्राप्त कर सकेंगे।

- ❖ अध्ययन के अनुसार, फसल कटाई के मौसम के समय टमाटर, प्याज और आलू जैसी अस्थिर मूल्य वाली सब्जियों के 'बफर स्टॉक' रखे जाने चाहिए। इससे किसानों को अधिक उत्पादन के समय एक निश्चित कीमत प्राप्त हो सकेगी।
- ❖ इसकी अन्य सिफारिशों में, शीत भंडारण जैसी अवसंरचनाओं का विस्तार किए जाने तथा किसान उत्पादक संगठनों को अलग सुविधाएं प्रदान किए जाने का सुझाव दिया गया है।
- ❖ भारत में, मुद्रास्फीति पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं:
  - + गेहूं, टूटे चावल और गैर-बासमती सफेद चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया गया है।
  - + गेहूं के व्यापारियों और मिल मालिकों पर अनाज भंडारण करने पर सीमा आरोपित की गई है।
  - + अध पके चावल एवं प्याज आदि पर निर्यात शुल्क लगाए गए हैं।

## इंडिया क्लस्टर पैनोरमा रिसर्च पेपर-2023

हाल ही में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (EAC-PM) ने '2023 इंडिया क्लस्टर पैनोरमा' नामक शोध पत्र जारी किया है। इसमें बताया गया है कि महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और हरियाणा में स्थित क्लस्टर काफी मजबूत स्थिति में हैं।



- ❖ रिसर्च पेपर के अनुसार भारत में 57% श्रमिक निम्न और अर्द्ध-कुशल हैं तथा 15% श्रमिक उच्च-कुशल हैं। भारत में नियोजित कार्य बल का आधा हिस्सा स्वरोजगार में संलग्न है।
- ❖ इसके अनुसार, सरकार द्वारा निर्यातित स्थानीय क्लस्टरों में तुलनात्मक रूप से वेतन काफी ज्यादा होता है। साथ ही, यह वेतन स्थानीय परिस्थितियों से बहुत कम प्रभावित होता है।
- ❖ यद्यपि शहरी क्षेत्र औसत रूप से अधिक वेतन देते हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र की तुलना में लगभग 2 गुना होता है। किंतु, अधिकतर रोजगार (70%) ग्रामीण क्षेत्रों में ही केंद्रित हैं।
- ❖ क्लस्टर स्थानीय लिंकेज और स्पिलओवर (फैलाव) के माध्यम से जुड़ी हुई आर्थिक गतिविधियों का भौगोलिक संकेंद्रण होते हैं। साथ ही, ये स्थानीय प्रतिस्पष्टीकता के महत्वपूर्ण चालक भी होते हैं।
- ❖ क्लस्टर अर्थव्यवस्था के कई हिस्सों में मौजूद हैं तथा बहुराष्ट्रीय कंपनियों की गतिविधियों सहित सबसे परिष्कृत उद्योगों और फर्मों की गतिविधियों में शामिल हैं।
- ❖ भारत में क्लस्टर की व्यापक श्रेणियां मौजूद हैं। इनमें से मुख्य श्रेणियों में- व्यापार (राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय व्यापार में उपस्थिति), स्थानीय (स्थानीय बाजार में सेवा प्रदान करना) तथा कृषि आदि शामिल हैं।



- ❖ मजबूत क्लस्टर विविध स्थान और क्षेत्र की प्रतिस्पर्धात्मकता तथा उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं। प्रत्येक स्थान के लिए 'उपयुक्त क्लस्टर ज्ञान' नीति निर्माता को स्थान विशिष्ट विकास रणनीतियां तैयार करने में सक्षम बनाता है।

## 'एडवांस्ड मैनुफैक्चरिंग: ए न्यू नैरेटिव' दस्तावेज

15 सितंबर, 2023 को विश्व आर्थिक मंच (WEF) द्वारा 'एडवांस्ड मैनुफैक्चरिंग: ए न्यू नैरेटिव' (Advanced Manufacturing: A New Narrative) नामक एक दस्तावेज



जारी किया गया। इसमें उत्पादों के निर्माण में अभिनव प्रौद्योगिकियों के उपयोग के महत्व की चर्चा की गई है।

- ❖ **एडवांस्ड मैनुफैक्चरिंग** को मौजूदा उत्पादन एवं नवीन उत्पादन हेतु अभिनव प्रौद्योगिकियों (Innovative Technologies) के उपयोग के रूप में परिभाषित किया जाता है। एडवांस्ड मैनुफैक्चरिंग में उत्पादन की ऐसी गतिविधियों को शामिल किया जाता है, जो **इनफॉर्मेशन, ऑटोमेशन, कंप्यूटेशन, सॉफ्टवेयर, सेंसिंग और नेटवर्किंग** पर निर्भर होती हैं।
- ❖ दस्तावेज में, एडवांस्ड मैनुफैक्चरिंग समाधानों के प्रभावों की चर्चा करते हुए कहा गया है कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) पर आधारित प्रौद्योगिकियों के माध्यम से **विनिर्माण और मूल्य श्रृंखलाओं में बाधाओं के प्रति लोचशीलता में सुधार** हो रहा है।
- ❖ दस्तावेज के अनुसार इस प्रकार के समाधान परिचालन और उत्पादन लागत को कम कर रहे हैं। साथ ही स्वचालन (Automation) की प्रक्रिया के माध्यम से **उत्पादन दक्षता में बढ़ोतरी** हो रही है।
- ❖ इस प्रकार के समाधान **ऊर्जा दक्षता और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के उपयोग को भी बढ़ावा** दे रहे हैं तथा मूल्य वृद्धित ऊर्जा (Value Added Energy) पर बल दे रहे हैं। इससे नवीन प्रक्रियाओं, सामग्रियों आदि की खोज के माध्यम से उत्पादों को ग्राहकों के पसंद के अनुरूप बनाने में मदद मिल रही है।
- ❖ उद्योगों के संचालन में बदलाव लाने हेतु विश्व आर्थिक मंच (WEF) द्वारा निम्नलिखित पहलें आरंभ की गई हैं:
  - + **ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क:** इसका उद्देश्य चौथी औद्योगिक क्रांति (Industry 4.0) की अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी को अपनाने में मदद करना है।
  - + **ऑगमेंटेड वर्कफोर्स इनीशिएटिव:** इसका लक्ष्य कारखानों के कार्यबल को प्रौद्योगिकी के अनुरूप करना, उन्हें सशक्त बनाना तथा उनके कौशल में सुधार करना है।
  - + **इंडस्ट्री नेट जीरो एक्सीलेटर:** इसका उद्देश्य नेट जीरो उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहयोग करना, ज्ञान साझा करना तथा उस दिशा में तेजी से आगे बढ़ाना है।

## वित्त क्षेत्र

### विलफुल डिफॉल्टर्स एवं लार्ज डिफॉल्टर्स के साथ व्यवहार संबंधी दिशा-निर्देश

21 सितंबर, 2023 को भारतीय रिजर्व बैंक ने जानबूझकर कर्ज न चुकाने वालों (Willful Defaulters) तथा बड़े कर्जदारों (Large Defaulters) के साथ व्यवहार संबंधी व्यापक मसौदा दिशा-निर्देश (Draft Master Direction on Treatment of Wilful Defaulters and Large Defaulters) जारी किए।

- ❖ इन दिशा-निर्देशों के तहत RBI ने **विनियमित संस्थाओं के अधिकार क्षेत्र का विस्तार** किया है। इस प्रकार ये संस्थाएं अब उधार-कर्ताओं को बिल्कुल डिफॉल्टर्स के रूप में वर्गीकृत कर सकती हैं, 'जानबूझकर कर्ज न चुकाने' (Willful Default) की परिभाषा का विस्तार कर सकती हैं और उनकी पहचान प्रक्रिया में सुधार कर सकती हैं।
- ❖ नवीन दिशा-निर्देश बैंकों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs), सहकारी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, स्थानीय क्षेत्रीय बैंकों तथा नाबार्ड, सिडबी एक्सिम बैंक, नेशनल हाउसिंग बैंक (NHB) आदि जैसे अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों पर लागू होंगे।
- ❖ **विलफुल डिफॉल्टर एक ऐसा उधार-कर्ता या गारंटर** होता है, जो ऋण चुकाने में सक्षम होने के बावजूद भी ऋण की अदायगी नहीं करता है। इसके तहत न्यूनतम बकाया राशि 25 लाख रुपए या उससे अधिक होनी आवश्यक है। इसी प्रकार, बड़ा डिफॉल्टर वह होता है, जिसकी डिफॉल्ट राशि 1 करोड़ रुपए या उससे अधिक होती है।
- ❖ इस प्रकार के लोगों की पहचान एक **'पहचान समिति'** द्वारा की जाएगी। साक्ष्यों की जांच के बाद किसी उधार-कर्ता को **'पहचान समिति'** द्वारा विलफुल डिफॉल्टर के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।
- ❖ दिशा-निर्देशों के अनुसार एक **'समीक्षा समिति'** भी गठित की जाएगी, जो विलफुल डिफॉल्टर्स के रूप में वर्गीकरण के लिए पहचान समिति के प्रस्ताव पर विचार करेगी।
- ❖ दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि विलफुल डिफॉल्टर्स को किसी भी प्रकार की अतिरिक्त क्रेडिट सुविधा नहीं दी जाएगी। यह रोक विलफुल डिफॉल्टर्स की सूची से हटाने के बाद एक वर्ष तक प्रभावी रहेगी। दिशा-निर्देशों के अनुसार, ऋणदाता मूल देनदार के विरुद्ध कार्यवाही पूरी किए बिना भी गारंटी के खिलाफ कार्यवाही कर सकेगा।

### बड़े निगमों को ऋण बाजार से धन प्राप्त करने के नियमों में सुगमता

हाल ही में, भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (SEBI) द्वारा बड़े निगमों को ऋण बाजार से धन प्राप्त करने के लिए नियमों को सुगम बनाया गया है।

- ❖ सेबी द्वारा उठाए गए इस कदम से ऐसे **बीमा-कर्ताओं, पेंशन एवं भविष्य निधि में निवेश करने वाले निवेशकों** को सहायता मिलेगी, जिन्हें अपनी वृद्धिशील प्राप्तियों का एक विशेष प्रतिशत कॉर्पोरेट बॉन्ड में निवेश करना आवश्यक होता है। साथ ही, इससे बड़े निगमों के लिए नियमों का अनुपालन भी सुगम हो जाएगा।

- ❖ नए नियमों के तहत बड़े निगमों को परिभाषित करने वाली **मौद्रिक सीमा को बढ़ा दिया गया** है। साथ ही, ऋण बाजार से उधार का एक निश्चित प्रतिशत जुटाने में सक्षम नहीं होने वाले बड़े निगमों पर लगने वाला **जुमाना हटा दिया गया** है।
- ❖ **ऋण बाजार** वह बाजार है, जहां निश्चित आय प्रदान करने वाली प्रतिभूतियां जारी की जाती हैं और उनका कारोबार किया जाता है। यह प्रतिभूतियां अलग-अलग प्रकार एवं विशेषताओं वाली होती हैं।
  - + इनमें **सरकारी प्रतिभूतियों (G-Sec)** के साथ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, अन्य सरकारी निकायों, वित्तीय संस्थानों, बैंकों और कंपनियों द्वारा जारी बॉन्ड शामिल होते हैं। इसमें सबसे बड़ा हिस्सा सरकारी प्रतिभूतियों का होता है।
  - + बॉन्ड, डिबेंचर, वाणिज्यिक-पत्र, जमा प्रमाण पत्र, सरकारी प्रतिभूतियां आदि ऋण लिखतों के प्रमुख प्रकार हैं।
- ❖ एक कुशल ऋण बाजार को स्थापित करने से उधार लेने की **लागत में कमी** आती है, अर्थव्यवस्था में संसाधनों का **कुशल संग्रहण और आवंटन सुनिश्चित होता है, संस्थागत वित्त-पोषण पर दबाव में कमी** आती है तथा गैर-तरल खुदरा निवेश (Non-Liquid Retail Investments) का इस्तेमाल कर **संसाधन जुटाने में मदद** मिलती है।

## मुद्रा एवं बैंकिंग

### बेसल-III कैपिटल फ्रेमवर्क

- हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों (All India Financial Institutions: AIFIs) के लिए बेसल III पूंजी ढांचे (Basel III Capital Framework), फंड जुटाने तथा निवेश पोर्टफोलियो के वर्गीकरण और मूल्यांकन हेतु मानदंड जारी किए हैं।
- ❖ RBI द्वारा ये मानदंड 'भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934' की धारा 45 एल (45L) के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करके लागू किये गए हैं।
  - ❖ इस फ्रेमवर्क के तहत RBI द्वारा अप्रैल 2024 से 9% की पूंजी पर्याप्तता अनुपात (Capital Adequacy Ratio: CAR) को बनाए रखना अनिवार्य किया गया है।
    - + साथ ही, नेशनल हाउसिंग बैंकों (NHBs) के लिए यह सीमा जुलाई 2024 निर्धारित की गई है।
  - ❖ **शामिल संस्थान:** नवीन नियम नाबार्ड (NABARD), सिडबी (SIDBI) एक्सिम बैंक, नेशनल हाउसिंग बैंक (NHB) और NaBFID जैसे अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों पर लागू होंगे।

### बेसल-III मानक क्या है?

- ❖ बेसल III मानक अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग नियमों का एक समूह है, जो बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स (BIS) द्वारा तैयार किये गए हैं।
- ❖ बेसल III को 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट के बाद पेश किया गया था। इसका उद्देश्य बैंकों की क्षमता में सुधार करना और उनकी पारदर्शिता और प्रकटीकरण को मजबूत करना था।
- ❖ बेसल III के तहत बैंक पूंजी पर्याप्तता, तनाव परीक्षण और तरलता आवश्यकताओं के लिए अंतरराष्ट्रीय मानकों को निर्धारित किया गया है। यह बैंकों की संगठनात्मक संरचना (विशेष रूप से जोखिम क्षमता) को भी प्रभावित करता है।

### बैंकिंग प्रणाली में पिछले 4 वर्षों में तरलता में सर्वाधिक कमी

- हाल ही में, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा जारी किए गए अनुमानों के अनुसार बैंकिंग प्रणाली में 'तरलता की कमी' (Liquidity deficit) बढ़कर 1.46 ट्रिलियन रुपए तक पहुंच गई है। यह वर्ष 2019 के बाद से उच्चतम स्तर पर है।
- ❖ बैंकिंग प्रणाली में तरलता की कमी का **सामान्य अर्थ** है कि बैंकों के पास ग्राहकों की ऋण मांगों को पूरा करने के लिए पर्याप्त धन नहीं है।
  - ❖ बैंकिंग प्रणाली में तरलता (Liquidity) सामान्य रूप से **बैंकों की नगदी एवं अन्य परिसंपत्तियों** की एक माप होती है। इस तरलता के कारण बैंकों के पास पर्याप्त मात्रा में नगदी रहती है, जिससे वह अपनी **अल्पकालिक वित्तीय आवश्यकताओं** को पूरा करते हैं।
  - ❖ तरलता के तहत सामान्य रूप से **केंद्रीय बैंक के पास रखे रिजर्व और सरकारी बॉन्ड** को शामिल किया जाता है।
  - ❖ भारतीय रिजर्व बैंक, **तरलता समायोजन सुविधा (Liquidity Adjustment Facility: LAF)** के माध्यम से बैंकिंग प्रणाली में तरलता को नियंत्रित करता है।
  - ❖ LAF का संचालन **रेपो और रिवर्स रेपो दर** के माध्यम से किया जाता है। जहां **रेपो दर** का उपयोग बैंकिंग प्रणाली में अधिशेष तरलता को कम करने के लिए किया जाता है, तो वहीं **रिवर्स रेपो दर** के उपयोग से बैंकिंग प्रणाली में तरलता को बढ़ाया जाता है।
  - ❖ **सीमांत स्थायी सुविधा (Marginal Standing Facility: MPF)** तथा **वैधानिक तरलता अनुपात (Statutory Liquidity Ratio: SLR)** तरलता प्रबंधन के अन्य साधन हैं।
  - ❖ बैंकों में तरलता की कमी से **उपभोक्ताओं के लिए ब्याज की दरों में वृद्धि** हो सकती है।
    - + इससे ट्रेजरी बिल की पुनः खरीद, ओवरनाइट कॉल मनी रेट्स आदि की दरों में भी वृद्धि हो सकती है।
    - + साथ ही, सरकार के पास विकासवात्मक गतिविधियों के लिए **ऋण की उपलब्धता सीमित** हो सकती है।

### यूपीआई के तहत नवीन पहलों का शुभारंभ

- हाल ही में, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) ने एकीकृत भुगतान इंटरफेस (UPI) के लिए नवीन फीचर्स लॉन्च किया है।
- ❖ NPCI भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) और भारतीय बैंक संघ (IBA) की एक संयुक्त पहल है। यह भारत में खुदरा भुगतान और निपटान प्रणालियों के संचालन हेतु एक अंब्रेला संगठन है।

### शामिल नवीन फीचर्स

- ❖ **UPI लाइट एक्स:** इसके जरिए यूजर्स नियर फील्ड कम्युनिकेशन (NFC) की सुविधा वाले किसी भी डिवाइस के माध्यम से ऑफलाइन धनराशि भेज और प्राप्त कर सकते हैं।
  - + **नियर फील्ड कम्युनिकेशन (NFC)** कम दूरी में कार्य करने वाली वायरलेस कनेक्टिविटी प्रौद्योगिकी (Wireless Connectivity Technology) है; यह दो उपकरणों को एक दूसरे के साथ संचार करने में सक्षम बनाने के लिए **विद्युत चुंबकीय रेडियो क्षेत्र के माध्यम से डेटा प्रसारित** करती है।

- ❖ **UPI पर क्रेडिट लाइन:** इसके तहत UPI प्रणाली में लेन-देन के लिए बैंकों द्वारा जारी पूर्व स्वीकृत क्रेडिट लाइन को शामिल किया गया है। अभी तक UPI प्रणाली के लिए केवल बैंक खाते में जमा राशि का ही लेन-देन किया जा सकता था। UPI पर क्रेडिट लाइन नामक फीचर के तहत निम्नलिखित शामिल हैं:
  - + बैंक डिजिटल क्रेडिट उत्पाद सृजित कर सकते हैं।
  - + व्याज मुक्त क्रेडिट अवधि की सुविधा का आरंभ किया गया है। क्रेडिट कार्ड से खरीददारी और बिल भुगतान की तिथि के बीच की अवधि क्रेडिट पीरियड कहलाती है। ऋण हेतु अनुरोध के लिए ग्राहक संपर्क चैनल आरंभ किया गया है।
- ❖ **UPI टैप एंड पे:** यह व्यापारियों के आउटलेट पर उपलब्ध NFC की सुविधा वाले क्यूआर कोड के जरिए बिना पिन डाले एक टैप (One Tap) से भुगतान की सुविधा प्रदान करता है।
- ❖ **बिल पे कनेक्ट:** इसके जरिये ग्राहक केवल 'हाय' (Hi) संदेश भेजकर या मिस्ट कॉल देकर अपने बिल प्राप्त और भुगतान कर सकते हैं।

## यूपीआई आधारित क्यूआर कोड- सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी

हाल ही में, भारतीय स्टेट बैंक ऑफ बड़ोदा तथा येस बैंक जैसे कुछ बैंकों ने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) 'स्टेल डिजिटल रुपी' (e₹&R) को मजबूती प्रदान करने के लिए अपने डिजिटल रुपी एप्लीकेशन पर UPI-इंटर ऑपरेबिलिटी की शुरुआत की है।

- ❖ डिजिटल रुपए के साथ UPI की इंटर-ऑपरेबिलिटी का अर्थ है कि सभी UPI क्यूआर कोड्स (UPI-QR Codes) सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) ऐप पर काम करेंगे।
- ❖ इससे ग्राहक और व्यापारियों के बीच बिना किसी बाधा के लेन-देन संभव हो सकेगा। साथ ही, उन्हें अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
- ❖ अब डिजिटल रुपए का उपयोग करने वाला व्यक्ति मर्चेट आउटलेट पर किसी भी UPI QR कोड को स्कैन करके अपनी दैनिक जरूरतों के लिए भुगतान कर सकता है।
- ❖ यहां तक कि इसके उपयोग से व्यापारियों को भी डिजिटल रुपए में भुगतान स्वीकार करने के लिए एक अलग QR कोड रखने की आवश्यकता नहीं होगी। वे अपने मौजूदा QR कोड पर भी CBDC का भुगतान स्वीकार कर सकेंगे।
- ❖ CBDC केंद्रीय बैंक द्वारा डिजिटल रूप में जारी की गई एक मुद्रा (Legal Tender) होती है, इसके निम्नलिखित प्रकार हैं-
  - + **CBDC स्टेल (e₹&R):** इसका उपयोग सभी निजी क्षेत्र, गैर-वित्तीय उपभोक्ता और व्यवसाय कर सकते हैं।
  - + **CBDC होलसेल (e₹&W):** इसे वित्तीय संस्थानों के लिए डिजाइन किया गया है, जबकि अन्य के लिए यह प्रतिबंधित है।
  - + UPI कई बैंक खातों को एकल मोबाइल एप्लीकेशन में समाहित करता है तथा कुछ नियत बैंकिंग सेवाओं (धन के त्वरित अंतरण तथा बिल शेयरिंग फैंसिलिटी आदि) की सुविधा प्रदान करता है।
- ❖ इसके जरिए व्यक्ति से व्यक्ति (P2P) और व्यक्ति से व्यापारी (P2M) दोनों तरह के भुगतान किए जा सकते हैं।

## 15 एनबीएफसी अतिरिक्त निर्यामकीय व्यवस्था के अधीन

14 सितंबर, 2023 को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 2023-24 के लिए पैमाने पर आधारित विनियमन (Scale Based Regulation: SBR) के अनुसार ऊपरी स्तर (Upper Layer) नामक श्रेणी के अंतर्गत रखी गई 15 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC) के नामों की सूची जारी की है।

- ❖ वर्ष 2021 में RBI ने NBFCs के लिए पैमाने पर आधारित विनियमन (SBR) नामक एक फ्रेमवर्क जारी किया था।
- ❖ यह फ्रेमवर्क NBFCs के आकार, कार्य और संभावित जोखिम पर आधारित था। इस फ्रेमवर्क में NBFCs को चार स्तरों (Layers) में वर्गीकृत किया गया था- बेस लेयर (NBFC-BL), मिडिल लेयर (NBFC-ML), अपर लेयर (NBFC-UL) और टॉप लेयर (NBFC-TL)।
- ❖ NBFC-UL लेयर में वर्गीकृत होने के बाद किसी NBFC को कम से कम 5 वर्ष की अवधि तक अधिक विनियामकीय नियमों का पालन करना पड़ता है।
- ❖ NBFC कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत कंपनी होती है। जिन कंपनियों का प्रधान व्यवसाय कृषि गतिविधियां, औद्योगिक गतिविधियां, व्यापार और अचल परिसंपत्तियों की खरीदी अथवा बिक्री से संबंधित होता है, उन्हें NBFCs में शामिल नहीं किया जाता है।
- ❖ NBFCs को मुख्य रूप से रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित और प्रशासित किया जाता है। हालांकि कुछ NBFCs का विनियमन भारतीय प्रतिभूत एवं विनियम बोर्ड (SEBI), भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (IRDA) जैसे संस्थानों द्वारा भी किया जाता है।
- ❖ NBFCs के कार्य बैंकों के समान ही होते हैं। हालांकि, दोनों के व्यवसाय में कुछ अंतर मौजूद होते हैं- जैसे कि NBFCs मांग जमा स्वीकार नहीं करती तथा भुगतान और निपटान प्रणाली का हिस्सा नहीं होती; इसीलिए अपने ग्राहकों को स्वयं चेक जारी नहीं कर सकती हैं। साथ ही NBFCs में जमा राशि पर जमाकर्ताओं को जमा बीमा कवर उपलब्ध नहीं होता है।

## बौद्धिक संपदा अधिकार

### पेटेंट (संशोधन) नियम-2023 मसौदा

हाल ही में, उद्योग संवर्द्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT) द्वारा 'पेटेंट (संशोधन) नियम-2023' का मसौदा जारी किया गया।

- ❖ यह मसौदा नियम पेटेंट अधिनियम 1970 के ढांचे के तहत संचालित पेटेंट नियम 2003 में संशोधन का प्रस्ताव करते हैं। 2003 के पेटेंट नियम भारत में पेटेंट गवर्नेंस प्रणाली का आधार निर्मित करते हैं।

### महत्वपूर्ण तथ्य

- ❖ **पेटेंट:** यह किसी आविष्कारक को सरकार द्वारा प्रदान किया गया अनन्य अधिकार होता है। इसके तहत आविष्कारक को अपने उत्पाद के विवरण का खुलासा करना होता है, इसके बदले में अन्य व्यक्तियों को निर्धारित समय के लिए उस उत्पाद का निर्माण, उपयोग या विक्रय करने से वंचित कर दिया जाता है।

- ❖ **अधिकारिता:** यह अनन्य अधिकार वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत आने वाले उद्योग संबद्ध एवं आंतरिक व्यापार विभाग के 'पेटेंट, डिजाइन और व्यापार चिह्न महानियंत्रक कार्यालय' (Office of the Controller General of Patents, Designs and Trade Marks: CGPDTM) द्वारा प्रदान किया जाता है।

### मसौदा नियमों के मुख्य प्रावधान

- ❖ **शुल्क:** अनुदान पूर्व विरोध (Pre Grant Opposition: PGO) अभी तक निःशुल्क था, किंतु अब इसकी फाइलिंग पर **डायनामिक शुल्क** लागू किया जाएगा।
  - + अनुदान पूर्व विरोध (PGO) को पेटेंट के प्रकाशन के बाद, लेकिन इसके अनुमोदन से पूर्व किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अनुमोदन का विरोध करने के लिए तैयार किया जाता है।
  - + PGO की फाइलिंग किसी भी व्यक्ति द्वारा की जा सकती है; अब इसका निर्धारण 'पेटेंट, डिजाइन और व्यापार चिह्न महानियंत्रक कार्यालय' (CGPDTM) द्वारा किया जाएगा।
- ❖ **नोटिस की समय सीमा:** आवेदकों के लिए PGO पर नोटिस का जवाब देने की समय सीमा को 3 माह से घटाकर 2 महीने कर दिया गया है।
  - + **परीक्षण के लिए अनुरोध** दाखिल करने की समय सीमा को **48 माह से घटाकर 31 महीने** कर दिया गया है। यह पेटेंट की जांच करने की पूर्व शर्त है।
- ❖ **वर्किंग स्टेटमेंट:** वर्किंग स्टेटमेंट 3 साल में एक बार प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। वर्किंग स्टेटमेंट पेटेंट धारकों द्वारा उनके पेटेंट के संदर्भ में प्रस्तुत किया गया वार्षिक विवरण होता है।
- ❖ नियमों के अनुसार, पेटेंट किए गए उत्पाद के विनिर्माण स्थल और कीमत का खुलासा करना अब आवश्यक नहीं होगा।

## उद्योग एवं व्यापार

### सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों पर ICRIER का सर्वेक्षण

हाल ही में, इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनामिक रिलेशंस (ICRIER) ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSMEs) पर अपनी सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी की है।

- ❖ इस सर्वेक्षण में MSMEs के विकास हेतु **ई-कॉमर्स** का लाभ उठाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार प्रौद्योगिकी (Technology), ई-कॉमर्स में शामिल होने में असमर्थ एमएसएमई के अस्तित्व के लिए खतरा उत्पन्न कर सकती है।
- ❖ **MSMEs को ई-कॉमर्स से एकीकृत करने का महत्व:** ई-कॉमर्स के साथ सफलतापूर्वक एकीकृत होने के बाद MSMEs ने **उत्पादों की बिक्री में वृद्धि दर्ज** की है।
  - + एकीकृत MSMEs ने **उच्च टर्नओवर और लाभ प्राप्त** किया है। साथ ही, ई-कॉमर्स के साथ जुड़ने से MSMEs में **स्थायी कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि हुई** है।
- ❖ **ICRIER के संदर्भ में:** ICRIER को वर्ष 1981 में स्थापित किया गया था। यह भारत के मुख्य आर्थिक थिंक-टैंक में से एक है; इसका मुख्य कार्य बाहरी आर्थिक आघातों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए सरकार को **नीतिगत सलाह** प्रदान करना है।

- ❖ **भारत में MSMEs की स्थिति:** उद्यम पोर्टल पर लगभग **19.3 मिलियन MSMEs पंजीकृत** हैं। इनमें से इनमें 131.04



मिलियन लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ है। कुल पंजीकृत MSMEs से लगभग **96.2% को सूक्ष्म, 3.4% को लघु तथा 0.4% को मध्यम उद्यम** के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

- + उद्यम पोर्टल MSMEs को **स्थाई पंजीकरण एवं मूल पहचान संख्या** प्रदान करता है। पंजीकृत समस्त MSMEs में से लगभग **27% विनिर्माण क्षेत्र एवं लगभग 73% सेवा क्षेत्र** से संबंधित हैं।
- ❖ **भारत में उद्यमों का वर्गीकरण:** देश में इन उद्यमों को मुख्य रूप से उनके आकार के आधार पर निम्नलिखित **तीन वर्गों** में वर्गीकृत किया जाता है:
  - + **सूक्ष्म उद्यम:** ऐसे उद्यम जिनमें प्लांट और मशीनरी या उपकरण में **निवेश 1 करोड़ रुपए से कम** होता है तथा **वार्षिक टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से अधिक नहीं** होता है, उन्हें सूक्ष्म उद्यम कहा जाता है।
  - + **लघु उद्यम:** ऐसे उद्यम जिनमें मशीनरी या उपकरण में **निवेश 10 करोड़ रुपए से कम** होता है तथा **वार्षिक टर्नओवर 50 करोड़ रुपए से अधिक नहीं** होता है, उन्हें लघु उद्यम कहा जाता है।
  - + **मध्यम उद्यम:** ऐसे उद्यम जिनमें मशीनरी या उपकरण में **निवेश 50 करोड़ रुपए से कम** होता है तथा **वार्षिक टर्नओवर 250 करोड़ रुपए से अधिक नहीं** होता है, उन्हें मध्यम उद्यम कहा जाता है।

### भारत द्वारा गैर-बासमती चावल के निर्यात पर प्रतिबंध : WTO में आपत्ति

हाल ही में, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, आस्ट्रेलिया तथा जापान आदि देशों ने भारत द्वारा गैर-बासमती सफेद चावल (Non-Basmati White Rice) के निर्यात पर लगाए गए प्रतिबंध को लेकर विश्व व्यापार संगठन (WTO) में आपत्ति दर्ज की है।

- ❖ ज्ञात है कि **20 जुलाई, 2023** को भारत सरकार ने गैर-बासमती सफेद चावल के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने के लिए **निर्यात नीति में संशोधन** किया था।
- ❖ चावल की इस किस्म के निर्यात में **वृद्धि होने के कारण घरेलू बाजार में इसकी कीमत बढ़** रही थी; भारत द्वारा निर्यात पर **प्रतिबंध लगाने का उद्देश्य घरेलू बाजार में चावल की इस किस्म की कीमतों में होने वाली वृद्धि को कम** करना है।
- ❖ वित्त वर्ष 2022-23 (अप्रैल-जून) की तुलना में विश्व वित्त वर्ष 2023-24 (अप्रैल-जून) में इसके निर्यात में **35% की बढ़ोतरी** दर्ज की गई थी।
- ❖ गैर-बासमती सफेद चावल के निर्यात में तेज वृद्धि के कारणों में अंतरराष्ट्रीय बाजार में **चावल की उच्च कीमत, एल-नीनो प्रभाव के आशंका तथा चावल के कुछ अन्य उत्पादक देशों में चरम जलवायु की परिस्थितियों** को उत्तरदायी माना जा रहा है।

- ❖ भारत सरकार ने जानकारी दी है कि 2021-22 के रबी सीजन की तुलना में 2022-23 के रबी सीजन में चावल के उत्पादन में लगभग 13.8% की कमी दर्ज की गई थी।
- ❖ वैश्विक स्तर पर चावल के व्यापार में भारत की हिस्सेदारी लगभग 40% है; भारत से होने वाले चावल के कुल निर्यात में बायलंड राइस (अधपके) और बासमती चावल की हिस्सेदारी लगभग 55% है।
- ❖ 2022 (अप्रैल-दिसंबर) के दौरान भारत के कुल चावल निर्यात में गैर-बासमती चावल की हिस्सेदारी लगभग 58% थी। वर्तमान में भारत चावल का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है, इस संदर्भ में पहले स्थान पर चीन है।

## वित्तीय समावेशन

### भारतीय रिजर्व बैंक के वित्तीय समावेशन सूचकांक में सुधार

हाल ही में, भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार उसके 'वित्तीय समावेशन सूचकांक' (Financial Inclusion Index) में मार्च 2022 (56.4%) की तुलना में मार्च 2023 (60.1%) में सुधार देखने को मिला था।



- ❖ वित्तीय समावेशन सूचकांक बैंकिंग, निवेश, बीमा, डाक और पेंशन के विवरण को शामिल करके संपूर्ण देश में वित्तीय समावेशन (Financial Inclusion) की स्थिति को प्रदर्शित करता है।
- ❖ वित्तीय समावेशन यह सुनिश्चित करने की प्रक्रिया को व्यक्त करता है कि सभी व्यक्तियों और हासिए पर रहने वाली आबादी को सस्ती एवं उचित वित्तीय सेवाओं तक पहुंच प्राप्त है।
- ❖ इस सूचकांक के तहत 0 और 100 के बीच प्रतिशत के रूप में वित्तीय समावेशन की गणना की जाती है। 0 पूर्ण वित्तीय बहिष्कार अथवा अपवर्जन को दर्शाता है; जबकि 100 पूर्ण वित्तीय समावेशन को प्रदर्शित करता है। साथ ही, इस सूचकांक का निर्माण बिना किसी आधार-वर्ष के किया जाता है।
- ❖ इस सूचकांक के तहत 97 संकेतकों को ट्रैक किया जाता है और उन्हें तीन मुख्य उप-सूचकांकों में विभाजित किया जाता है। इन उप-सूचकांकों में- पहुंच (35% भारांश) उपयोग (45% भारांश) तथा समानता (20% भारांश) शामिल हैं।
- ❖ देश में वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करने के लिए प्रमुख सरकारी पहलें:
  - + प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY),
  - + अटल पेंशन योजना (APY),
  - + प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY),
  - + स्टैंड अप इंडिया योजना (Stand Up India Scheme),
  - + प्रधानमंत्री वय-वंदना योजना (PMVVY),
  - + भारतीय रिजर्व बैंक की राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन रणनीति (NFIS)।

## करारोपण एवं कर-अपवंचन

### आर्थिक अपराधियों से 1.8 अरब डॉलर से अधिक की संपत्ति बरामद

- 7 सितंबर, 2023 को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया कि पिछले लगभग 4 वर्षों में आर्थिक अपराधियों और भगोड़ों से लगभग 1.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की संपत्ति बरामद की गई है।
- ❖ भगोड़ा आर्थिक अपराधी वह व्यक्ति होता है, जिसके खिलाफ कम से कम 100 करोड़ रुपये के आर्थिक अपराधों में शामिल होने के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया होता है। साथ ही, वह व्यक्ति आपराधिक मुकदमे से बचने के लिए भारत छोड़ चुका होता है।
    - + वर्तमान में भारत में 10 लोगों को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया गया है।
  - ❖ भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018 के तहत अनुसूचित अपराधों में जाली सरकारी स्टॉप या मुद्रा बनाना, चेक की अस्वीकृति या अनादरण (Dishonored), ऋण दाताओं को धोखा देने वाले लेन-देन तथा मनी लॉन्ड्रिंग (धन शोधन) संबंधी कार्य आदि शामिल हैं।
  - ❖ किसी व्यक्ति को आर्थिक अपराधी घोषित करने के लिए धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत नामित विशेष न्यायालय में एक आवेदन दायर किए जाने का प्रावधान है।
  - ❖ दोष सिद्ध होने से पूर्व ही अधिकारियों को संपत्ति जब्त करने का अधिकार है तथा जब्त की गई संपत्ति पर अधिकार और इसका स्वामित्व केंद्र सरकार के पास रहेगा।
  - ❖ वर्ष 2018 के अधिनियम में प्रावधान किया गया है कि विशेष न्यायालय के आदेशों के विरुद्ध अपील उच्च न्यायालय में की जा सकती है।

### धन शोधन निवारण (अभिलेखों का रख-रखाव) नियम, 2005 में संशोधन

- हाल ही में, वित्त मंत्रालय द्वारा धन शोधन निवारण (अभिलेखों का रख-रखाव) नियम, 2005 [Prevention of Money Laundering (Maintenance of Records) Rules, 2005] में संशोधनों को अधिसूचित किया गया है।
- ❖ इन संशोधनों का उद्देश्य धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के दायरे में आ सकने वाले व्यक्तियों या संस्थाओं के प्रकार व उनकी प्रकृति का विस्तार करना है।
  - ❖ PMLA कानून वर्ष 2002 में बनाया गया था। यह कानून धन शोधन अथवा मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने और धन शोधन से प्राप्त या इसमें शामिल संपत्तियों को जब्त करने संबंधी प्रावधान हेतु लाया गया था। राज्य राजस्व विभाग के अंतर्गत प्रवर्तन निदेशालय PMLA को लागू करता है।

### किए गए प्रमुख संशोधन

- ❖ किसी साझेदारी फर्म की पूंजी या मुनाफे का 10% से अधिक हिस्सा प्राप्त करने वाले व्यक्ति को हिताधिकारी स्वामी (Beneficial Owner) माना जाएगा; अभी तक यह सीमा 15% थी।

- + इतना ही नहीं, जो व्यक्ति अन्य साधनों से साझेदारी पर नियंत्रण रखता है, उसे भी हिताधिकारी स्वामी माना जाएगा।
- ❖ संशोधनों में, एक रिपोर्टिंग इकाई (जैसे बैंकिंग कंपनी, वित्तीय संस्थान, मध्यवर्ती आदि) के प्रधान अधिकारी (Principal Officer) की परिभाषा तय की गई है।
- ❖ केवल प्रबंधन स्तर के अधिकारी को ही प्रधान अधिकारी (Principal Officer) के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। इससे पहले रिपोर्टिंग इकाई के पास किसी भी अधिकारी को प्रधान अधिकारी के रूप में नियुक्त करने का विवेकाधिकार था।
- ❖ ट्रस्ट के संदर्भ में रिपोर्टिंग इकाई यह सुनिश्चित करेगी कि ट्रस्टी द्वारा ट्रस्ट में अपने दर्जे अथवा धारित पद का खुलासा किया जाए।
- ❖ रिपोर्टिंग इकाइयों को ग्राहकों के साथ व्यावसायिक संबंध समाप्त होने या खाता बंद होने के बाद भी 5 साल तक उनका रिकॉर्ड सुरक्षित रखना होगा।

## विविध

### पुरानी पेंशन योजना पर रिजर्व बैंक की सलाह

- हाल ही में एक पत्र जारी करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने कहा है कि 'पुरानी पेंशन योजना' (OPS) को पुनः लागू करने से दीर्घ अवधि में राज्यों की वित्तीय स्थिति 'अस्थिर' हो सकती है।
- ❖ RBI के अनुसार OPS को पुनः लागू करने के कारण राज्यों के पेंशन व्यय में होने वाली कमी केवल अल्पकालिक है। दीर्घकाल में इस योजना के चलते पेंशन दायित्वों में व्यापक वृद्धि होगी।
  - ❖ साथ ही, वर्ष 2030 के दशक तक बहुत से राज्यों के लिए इस योजना के तहत पेंशन बोझ नई पेंशन योजना (New Pension Scheme: NPS) की तुलना में बहुत अधिक बढ़ जाएगा।
  - ❖ RBI ने सलाह दी है कि वर्ष 2060 तक राज्यों के लिए अतिरिक्त पुरानी पेंशन योजना का बोझ बढ़कर वार्षिक सकल घरेलू उत्पाद का 0.9% हो जाएगा।
  - ❖ ऐसे समय में जब अधिकतर देश परिभाषित अंशदान योजनाओं को अपना रहे हैं; तो राज्यों द्वारा पुरानी पेंशन योजना पर वापस लौटना वित्तीय रूप से धारणीय नहीं होगा।
  - ❖ पुरानी पेंशन योजना एक 'परिभाषित लाभ योजना' (Defined Benefit Plan) है, इसके तहत सेवानिवृत्त कर्मचारियों को निश्चित मासिक पेंशन प्राप्त होती है। यह उनके द्वारा अंतिम आहरित वेतन का 50% होती है। पुरानी पेंशन योजना से होने वाली आय को कराधान से छूट प्रदान की गई है, यह योजना सेवानिवृत्त हो चुके सरकारी कर्मचारियों पर लागू होती है।
  - ❖ नई पेंशन योजना एक परिभाषित अंशदान योजना (Defined Contribution Plan) है। इसके तहत कर्मचारियों का मासिक योगदान मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 10% होता है। इसमें सरकार से भी सामान योगदान शामिल है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए नियोजित अंशदान की दर 14% है।
  - ❖ इस पेंशन राशि की सेवानिवृत्त होने पर निकासी की जा सकती है। निकासी करने पर पेंशन निधि का 60% भाग कर मुक्त होता है, जबकि शेष राशि कर योग्य होती है और वार्षिक एन्युटी में निवेशित रहती है। 18 से 65 वर्ष आयु के बीच के सभी भारतीय नागरिक नई पेंशन योजना के लिए योग्य हैं।

### राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति : मुख्य विशेषताएं एवं प्रगति

17 सितंबर, 2023 को भारत की राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति (NLP) के एक वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा इसके क्रियान्वयन में की गई प्रगति से संबंधित आंकड़े जारी किये गए।

- ❖ यह नीति प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान (PM-NMP) की पूरक है। PM-NMP के तहत फिक्स्ड इंफ्रास्ट्रक्चर और नेटवर्क प्लानिंग के एकीकृत विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
- ❖ राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति के उद्देश्यों में देश में लॉजिस्टिक्स की लागत को कम करना, वर्ष 2030 तक लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक की रैंकिंग में भारत को शीर्ष 25 देशों में शामिल करना आदि शामिल हैं।
- ❖ NLP विषयों के अलावा सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र विकास के पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इनमें प्रक्रिया संबंधी सुधार, लॉजिस्टिक्स सेवाओं में सुधार, डिजिटलीकरण और कौशल सुधार जैसे पहलू शामिल हैं।
- ❖ NLP के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए एक व्यापक लॉजिस्टिक्स एक्शन प्लान (Logistics Action Plan) लॉन्च किया गया है। इस प्लान में कार्यवाही के आठ क्षेत्रों की पहचान की गई है, जो निम्नलिखित हैं:
  1. एकीकृत डिजिटल लॉजिस्टिक्स सिस्टम
  2. सेवा गुणवत्ता मानकों का मानकीकरण और बेंचमार्किंग
  3. लॉजिस्टिक्स मानव संसाधन विकास और क्षमता निर्माण
  4. राज्यों को जोड़ना
  5. एक्सिम लॉजिस्टिक्स
  6. सेवा सुधार
  7. ढांचा कुशल लॉजिस्टिक्स के लिए क्षेत्र योजनाएं
  8. लॉजिस्टिक्स पार्कों का विकास।
- ❖ NLP के तहत हुई अब तक की प्रगति को निम्नलिखित रूप में देखा जा सकता है:
  - + लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में डिजिटल एकीकरण के लिए 'यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म' लॉन्च किया गया है।
  - + लास्ट और फर्स्ट माइल अवसंरचना की कमियों को दूर करने के लिए व्यापक 'पोर्ट कनेक्टिविटी प्लान' विकसित किया गया है।
  - + अब तक 22 राज्यों ने अपनी राज्य लॉजिस्टिक्स नीतियों को अधिसूचित किया है। सभी राज्यों में लॉजिस्टिक्स क्षेत्र के प्रदर्शन की निगरानी हेतु 'लॉजिस्टिक्स ईज एक्जॉस डिफरेंट स्टेट्स (LEADS) सूचकांक' विकसित किया गया है।
  - + कोयला मंत्रालय ने खदानों से कोयले की कुशल तरीके से निकासी के लिए 'कोल लॉजिस्टिक्स योजना' विकसित की है।
  - + आयात-निर्यात (EXIM) वाले कार्गो को ट्रेस करने, भविष्य की स्थितियों का अनुमान लगाने तथा यातायात की व्यवस्था की निगरानी हेतु 'लॉजिस्टिक्स डेटा बैंक' विकसित किया गया है।

## न्यूज बुलेट्स

|  |   |
|--|---|
| <p><b>प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के विस्तार को मंजूरी</b></p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ हाल ही में, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) के विस्तार को मंजूरी प्रदान की गई है। इस विस्तार के तहत वित्तीय वर्ष 2023-24 से 2025-26 तक 3 वर्षों में 75 लाख नए एलपीजी कनेक्शन वितरित किए जाएंगे।</li> <li>❖ प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को वर्ष 2016 में आरंभ किया गया था। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा लागू इस योजना के तहत गरीब परिवारों की महिलाओं को मुफ्त में एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने का उद्देश्य निर्धारित किया गया था।</li> <li>❖ उज्ज्वला 2.0 की मौजूदा रूपरेखा के अनुसार उज्ज्वला लाभार्थियों को कनेक्शन के साथ पहला रिफिल और गैस-स्टोव भी मुफ्त में प्रदान किया जाएगा।</li> </ul>   |
| <p><b>स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म</b></p>                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ हाल ही में, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा एक अत्याधुनिक मंच के रूप में 'स्किल इंडिया डिजिटल' (Skill India Digital: SID) प्लेटफॉर्म को लांच किया गया है।</li> <li>❖ यह कौशल विकास के लिए शुरू की गई सभी पहलों को एक प्लेटफॉर्म पर लाएगा। SID प्लेटफॉर्म भारत में कौशल विकास, शिक्षा, रोजगार वृद्धि तथा उद्यमिता का एक एक सिस्टम तैयार करने के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में कार्य करेगा।</li> <li>❖ इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य कौशल विकास को अधिक नवोन्मेषी, सुलभ और व्यक्तिपरक बनाना है। इसमें डिजिटल प्रौद्योगिकी और उद्योग 4.0 के लिए आवश्यक कौशल पर बल दिया जाएगा।</li> </ul>   |
| <p><b>उभरते बाजार बॉन्ड सूचकांक (EMBI)</b></p>                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ हाल ही में, जेपी मॉर्गन द्वारा कहा गया है कि उसके द्वारा जून 2024 से भारत सरकार के बॉन्ड को अपने बेंचमार्क 'उभरते बाजार बॉन्ड सूचकांक' (Emerging Markets Bond Index: EMBI) में जोड़ा जाएगा।</li> <li>❖ EMBI अंतरराष्ट्रीय सरकारी और कॉर्पोरेट बॉन्ड के कुल रिटर्न के प्रदर्शन को मापने के लिए एक बेंचमार्क सूचकांक है, जो विशिष्ट तरलता और संरचनात्मक आवश्यकताओं को पूरा करते हैं।</li> <li>❖ EMBI में शामिल होने से देश की संप्रभु उधार लागत में कमी हो सकती है तथा इसके चालू-खाता घाटे की वित्त पोषण में मदद मिल सकती है।</li> </ul>   |
| <p><b>घरेलू वित्तीय बचत</b></p>                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ हाल ही में, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी अनुमानों के अनुसार वित्तीय वर्ष-2023 में भारत में परिवारों (घरेलू) की बचत 5% रही है। यह एक दशक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है।</li> <li>❖ कुल वित्तीय परिसंपत्तियों में से कुल वित्तीय देनदारी को घटाकर 'परिवार द्वारा बचत' प्राप्त की जाती है।</li> <li>❖ देनदारियों में बैंकों, गैर-वित्तीय ऋण संस्थाओं (NBFCs) आदि से लिए गए ऋण सहित अन्य देनदारियां शामिल होती हैं। वहीं दूसरी तरफ, परिसंपत्तियों में बैंकों व अन्य वित्तीय संस्थानों में जमा राशि, जीवन बीमा, भविष्य निधि, मुद्रा और अन्य निवेश शामिल होते हैं।</li> </ul>  |
| <p><b>सामान्य फसल अनुमान सर्वेक्षण हेतु ऐप व पोर्टल</b></p>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ हाल ही में, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा 'सामान्य फसल अनुमान सर्वेक्षण' (General Crop Estimate Survey: GCES) के लिए मोबाइल एप्लीकेशन और वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है।</li> <li>❖ पोर्टल और एप्लीकेशन ग्राम स्तर पर संबंधित योजनाओं तथा उपज अनुमान का एक व्यापक विवरण प्रदान करेंगे।</li> <li>❖ जियो-रेफरेंसिंग से युक्त मोबाइल एप्लीकेशन की सहायता से प्राथमिक उपयोगकर्ता प्रायोगिक भूखंड का सीमांकन और भूखंड के साथ-साथ फसलों की तस्वीरों को भी अपलोड किया जा सकेगा।</li> <li>❖ इसी प्रकार, वैज्ञानिक रूप से डिजाइन किए गए GCES के तहत क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट (CCE) से उपज-अनुमान प्राप्त करने में मदद मिलेगी।</li> </ul>                                    |
| <p><b>सऊदी अरब द्वारा एशियन प्रीमियम में कटौती</b></p>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ हाल ही में, सऊदी अरब ने भारत को निर्यात किए जाने वाले तेल पर वसूले जाने वाले एशियन प्रीमियम में कटौती कर दी है। सऊदी अरब विश्व का दूसरा सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है।</li> <li>❖ एशियन प्रीमियम (Asian Premium) कच्चे तेल के वास्तविक विक्रय मूल्य पर अतिरिक्त शुल्क होता है। इसे पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन (OPEC) द्वारा आरोपित किया जाता है। यह शुल्क आयातक एशियाई देशों से वसूल किया जाता है।</li> <li>❖ यह भेदभावपूर्ण मूल्य निर्धारण प्रणाली है, ऐसा इसलिए क्योंकि जब एशियाई देश पश्चिम एशिया के देशों से कच्चा तेल आयात करते हैं तो उन्हें अपने यूरोपीय एवं अमेरिकी समकक्षों की तुलना में अधिक मूल्य चुकाना (एशियन प्रीमियम के कारण) पड़ता है।</li> </ul> |

|   |  |
|---|--|
| <p><b>पूर्वोत्तर के मिथुन पशु को 'फूड एनिमल' का दर्जा</b></p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ हाल ही में, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) द्वारा 'मिथुन' (बोस फ्रंटलिस) को 'खाद्य पशु' (Food Animal) के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। वर्ष 2022 में 'हिमालय याक' को भी 'खाद्य पशु' का दर्जा दिया गया था।</li> <li>❖ 'खाद्य पशु' ऐसे जानवर को कहते हैं, जिनका खाद्य उत्पादन अथवा मांस (मानव उपभोग) हेतु पालन किया जाता है। 'मिथुन' बोटिडे कुल का जुगाली करने वाला जानवर है। यह मुख्य रूप से अरुणाचल प्रदेश, नगालैंड, मणिपुर और मिजोरम के साथ-साथ म्यांमार और भूटान के कुछ हिस्सों में पाया जाता है। यह अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड का राज्यकीय पशु है।</li> </ul>  |
| <p><b>किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) घर-घर अभियान</b></p>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ हाल ही में, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा आरंभ की गई इस पहल के तहत ऐसे लगभग 1.5 करोड़ लाभार्थियों को जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जो अभी तक KCC योजना से जुड़े नहीं हैं।</li> <li>❖ KCC योजना का उद्देश्य पशुपालन और मत्स्य पालन से जुड़े किसानों सहित सभी किसानों को समय पर ऋण सहायता प्रदान करना है।</li> <li>❖ इस योजना का लाभ फसल उगाने में आने वाले व्यय, फसल कटाई के बाद के खर्च और किसानों की घरेलू उपभोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है।</li> </ul>  |
| <p><b>किसान ऋण पोर्टल</b></p>                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ हाल ही में, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा व्यापक किसान डेटा, ऋण वितरण की जानकारी, संशोधित ब्याज अनुदान योजना (MIIS) के तहत ब्याज अनुदानों आदि के लिए एक समर्पित 'किसान ऋण पोर्टल' लांच किया गया है।</li> <li>❖ संशोधित ब्याज अनुदान योजना (MIIS) के तहत रियायती ब्याज दरों पर 3 लाख तक का अल्प-अवधि का कृषि ऋण प्रदान किया जाता है। इस योजना में किसानों को दो प्रतिशत की ब्याज छूट और तीन प्रतिशत का शीघ्र पुनर्भुगतान प्रोत्साहन भी दिया जाता है।</li> </ul>  |
| <p><b>मौसम सूचना नेटवर्क सिस्टम (WINDS) मैनुअल</b></p>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ हाल ही में, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा आरंभ की गई इस पहल का उद्देश्य तालुका अथवा ब्लॉक एवं ग्राम पंचायत स्तर पर सुचालित मौसम स्टेशनों तथा वर्षा मापकों (Rain Gauges) का एक नेटवर्क स्थापित करना है।</li> <li>❖ यह प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (Restructured Weather Based Crop Insurance Scheme: RWBCIS) जैसी फसल बीमा योजनाओं के कार्यान्वयन में मदद करेगा।</li> </ul>  |
| <p><b>सारफेसी अधिनियम, 2002</b></p>                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंकों के लिए वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन (SARFAESI/सारफेसी) अधिनियम, 2002 के तहत कर्जदारों की जब्त की गई परिसंपत्तियों को सार्वजनिक करना अनिवार्य किया है।</li> <li>❖ सारफेसी अधिनियम, 2002 को वित्तीय संस्थानों को कर्जदारों के ऋण डिफॉल्ट से बचाने के लिए लागू किया गया था। यह कानून सिक्क्योर्ड कर्जदाताओं को 60 दिनों के पश्चात ऋण के बदले जमानत जब्त करने की अनुमति देता है।</li> <li>❖ एक सिक्क्योर्ड कर्जदाता कोई भी ऋणदाता होता है, जो ऐसे क्रेडिट उत्पाद को जारी करने से जुड़ा होता है, जो जमानत द्वारा सुरक्षित (जैसे सिक्क्योर लोन) रहता है।</li> </ul>  |
| <p><b>भारतकोष पोर्टल</b></p>                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ सरकार ने अपने गैर-कर रसीद पोर्टल 'भारतकोष' (Bharatkosh) पर पायलट आधार पर ई-वॉलेट भुगतान विकल्प शुरू किया है। भारतकोष पोर्टल केंद्रीय वित्त मंत्रालय के लेखा महानियंत्रक द्वारा शुरू किया गया एक पोर्टल है। यह पोर्टल सरकार के खातों में शुल्क, जुर्माना और अन्य धन जमा करने के लिए एकल-स्टॉप सेवाएं (One-Stop Services) प्रदान करता है। यह भारत सरकार के सभी नागरिक मंत्रालयों और विभागों को एक साथ लाता है।</li> <li>❖ भारतकोष पोर्टल का उपयोग करके क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई (UPI), नेटबैंकिंग, एनईएफटी (NEFT) या आरटीजीएस (RTGS) के माध्यम से सरकार को भुगतान किया जा सकता है।</li> </ul>   |
| <p><b>नाबार्ड का सामाजिक प्रभाव बॉन्ड</b></p>                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ हाल ही में, 'राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक' (NABARD) द्वारा सूचना दी गई है कि उसके द्वारा जारी किए जाने वाले 'सामाजिक प्रभाव बॉन्ड' (Social Impact Bond: SIB) के माध्यम से लगभग 1040 करोड़ रुपए जुटाए गए हैं।</li> <li>❖ सामाजिक प्रभाव बॉन्ड एक प्रकार का वित्त-पोषण तंत्र है, इसमें सरकारें सामाजिक क्षेत्र की पूर्व-निर्धारित सेवाओं के वितरण हेतु भुगतान करने के लिए सामाजिक सेवा प्रदाताओं (जैसे NGO) एवं निवेशकों के साथ समझौते करती हैं।</li> <li>❖ नाबार्ड द्वारा जारी सामाजिक प्रभाव बॉन्ड देश का ऐसा प्रथम सामाजिक बॉन्ड है जिसे बाह्य संस्थाओं ने प्रमाणित AAA रेटिंग प्रदान की हुई है। किसी बॉन्ड के लिए AAA रेटिंग क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द्वारा जारी उच्चतम रेटिंग होती है।</li> </ul> |



|   |   |
|---|---|
| <p><b>निर्यातित उत्पादों पर शुल्कों और करों की छूट योजना का विस्तार</b></p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ हाल ही में, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने 'निर्यातित उत्पादों पर शुल्कों और करों की छूट' (RoDTEP) योजना को 30 जून, 2024 तक बढ़ाने की घोषणा की है।</li> <li>❖ इस योजना के तहत उन निर्यातकों को सम्बद्ध शुल्कों और करों से प्राप्त राशि वापस कर दी जाती है, जिन्होंने अन्य योजनाओं के तहत छूट प्राप्त नहीं की है। इन सम्बद्ध शुल्कों और करों में स्थानीय कर, कोयला उपकर, मंडी कर आदि शामिल हैं।</li> <li>❖ यह योजना विश्व व्यापार संगठन (WTO) द्वारा स्वीकृत एक सिद्धांत पर आधारित है। इस सिद्धांत के अनुसार शुल्कों और करों का निर्यात नहीं किया जाना चाहिए; साथ ही, निर्यात किए गए उत्पादों पर लगने वाले शुल्कों और करों पर या तो छूट दी जानी चाहिए या उन्हें निर्यातकों को वापस कर दिया जाना चाहिए।</li> </ul> |
| <p><b>एंजेल टैक्स से संबंधित नए नियम</b></p>                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ हाल ही में, वित्त मंत्रालय ने 'आयकर अधिनियम, 1961' के तहत आयकर नियमावली के नियम 11UA में संशोधन को अधिसूचित किया है। नियम 11UA एंजेल टैक्स लगाने के उद्देश्य से शेयरों के वैल्यूएशन से संबंधित है।</li> <li>❖ एंजेल टैक्स कब लगाया जाता है, जब कोई गैर-सूचीबद्ध कंपनी किसी निवेशक को उचित बाजार मूल्य से अधिक कीमत पर शेयर जारी करती है।</li> <li>❖ इससे पूर्व यह केवल रेजिडेंट निवासी निवेशक के निवेश पर ही लगाया जाता था, हालांकि वर्ष 2023-24 के बजट में 1 अप्रैल, 2024 से इसे अनिवासी निवेशकों पर भी लगाने का प्रस्ताव किया गया है।</li> </ul>   |
| <p><b>जीएसटी अपीलीय अधिकरण का गठन</b></p>                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ हाल ही में, वित्त मंत्रालय ने सभी 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय अधिकरण (GSTAT) के गठन की अधिसूचना जारी की है।</li> <li>❖ GSTAT केंद्रीय GST अधिनियम, 2017 के तहत गठित एक सांविधिक निकाय है। यह अभिलेख प्राधिकारी या पुनरीक्षण अधिकारी द्वारा दिए गए आदेशों के खिलाफ अपीलों की सुनवाई करेगा।</li> <li>❖ यह GST कानून के तहत स्थापित स्थापित द्वितीय अपीलीय मंच है; साथ ही यह केंद्र और राज्यों के मध्य विवाद समाधान का पहला साझा मंच भी है।</li> </ul>   |
| <p><b>एंटी-ट्रस्ट कानून</b></p>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ हाल ही में, अमेरिकी सरकार ने सर्च इंजन बाजार में गूगल के प्रभुत्व की जांच करने के लिए उसके खिलाफ एंटी-ट्रस्ट ट्रायल (Anti-Trust Trial) शुरू किया है। इसका उद्देश्य प्रतिस्पर्धा को खत्म करने और एकाधिकार को बनाए रखने के गूगल के प्रयासों की जांच करना है।</li> <li>❖ एंटी-ट्रस्ट कानून ऐसे नियम होते हैं, जो व्यवसायों और निगमों की बाजार शक्ति को सीमित करके प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करते हैं।</li> <li>❖ भारत में एंटी-ट्रस्ट संबंधी प्रावधान भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। CCI की स्थापना प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के तहत की गई है।</li> </ul>   |
| <p><b>चीफ इकोनॉमिस्ट आउटलुक</b></p>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ हाल ही में, विश्व आर्थिक मंच द्वारा अपनी त्रैमासिक चीफ इकोनॉमिस्ट आउटलुक (Chief Economist Outlook) रिपोर्ट जारी की गई।</li> <li>❖ रिपोर्ट के अनुसार, वैश्विक मंदी की आशंकाओं के कम होने के बावजूद वैश्विक अर्थव्यवस्था की गति को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है।</li> <li>❖ शिथिल श्रम बाजार और कमजोर वेतन वृद्धि के परिणाम स्वरूप मुद्रास्फीति के दबाव में कमी आई है।</li> <li>❖ रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि केंद्रीय बैंकों द्वारा मौद्रिक नीति को सफलतापूर्वक और समकालिक रूप से सख्त करने से पिछले वर्ष के दौरान मुद्रास्फीति का दबाव कम हुआ है।</li> </ul>  |
| <p><b>वैश्विक ऋण मॉनिटर-2023</b></p>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ हाल ही में, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा 'वैश्विक ऋण मॉनिटर-2023' (Global Debt Monitor-2023) जारी किया गया।</li> <li>❖ इसके अनुसार वैश्विक ऋण में सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के 10% अंकों की गिरावट आई है। यह वर्ष 2022 में GDP के 238% तक पहुंच गया था।</li> <li>❖ परिवारों और गैर वित्तीय निगमों द्वारा लिए गए निजी ऋण ने समग्र गिरावट में सबसे बड़ा योगदान दिया है।</li> <li>❖ रिपोर्ट के अनुसार ऐसा प्रतीत होता है कि वैश्वीकरण अपनी ऐतिहासिक वृद्धि की प्रवृत्ति पर लौट आया है। इस वृद्धि को रोकने के लिए ऋण संबंधी सुविधाओं का प्रबंध करना महत्वपूर्ण होगा।</li> </ul>  |
| <p><b>कच्चे हीरों का आयात बंद करने की मांग</b></p>                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ हाल ही में, रत्न और आभूषण निर्यात संवर्द्धन परिषद (GJEPC) ने हीरे से संबंधित उद्योगों से 'रफ डायमंड' (Rough Diamond) या कच्चे हीरों का आयात बंद करने की अपील की है।</li> <li>❖ रफ डायमंड उन हीरों को कहते हैं, जो पृथ्वी से निकाले जाने के बाद भी अपनी प्राकृतिक अवस्था में होते हैं। इन्हें पॉलिश किए गए हीरे की श्रेणी की तरह ही इनके क्रिस्टलीय गुणों (आकृति, आकर, गुणवत्ता और रंग) के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है।</li> <li>❖ रत्न और आभूषण निर्यात संवर्द्धन परिषद (GJEPC) भारत से रत्न और आभूषण के निर्यात के आधार पर समृद्ध को बढ़ावा देने वाली शीर्ष संस्था है। इसका मुख्यालय मुंबई में है।</li> </ul>   |

|  |  |
|--|--|
| <p><b>मोस्ट फेवर्ड नेशन</b></p>                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ हाल ही में, केंद्र सरकार ने विश्व व्यापार संगठन (WTO) में संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ मौजूदा विवादों को सुलझाने के लिए अमेरिका के कुछ उत्पादों पर मोस्ट फेवर्ड नेशन शुल्क के अलावा लगाए गए अन्य शुल्कों को वापस ले लिया है।</li> <li>❖ मोस्ट फेवर्ड नेशन WTO का एक सिद्धांत है, जिसके तहत कोई देश व्यापारिक साझेदारों के बीच भेदभाव नहीं करेगा अर्थात् सभी व्यापारिक साझेदारों को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दिया जाएगा।</li> <li>❖ WTO नियमों के तहत किसी देश के साथ हुए लाभकारी समझौते का लाभ उन सभी व्यापारिक साझेदारों को भी दिया जाएगा, जो WTO के सदस्य हैं।</li> </ul>   |
| <p><b>ओवरनाइट इंडेक्स स्वैप की दरें उच्चतम स्तर पर</b></p>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ हाल ही में, भारतीय ओवरनाइट इंडेक्स स्वैप (Overnight Index Swap: OIS) की दरें पिछले 10 महीनों में अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गई हैं।</li> <li>❖ OIS एक ब्याज आधारित डेरिवेटिव अनुबंध होता है, इसमें दो संस्थाएं फ्लोटिंग (अस्थिर) ब्याज दर भुगतान के बदले एक निश्चित ब्याज दर भुगतान के स्वैप/विनिमय हेतु सहमत होती हैं। OIS को मौद्रिक नीति की अपेक्षाओं का मापक भी माना जाता है।</li> <li>❖ फ्लोटिंग दर आमतौर पर ओवरनाइट इंटर बैंक दर होती है। भारतीय OIS अनुबंधों के लिए रेफरेंस दर मुंबई इंटरबैंक आउट राइट रेट (MIBOR) है।</li> </ul>   |
| <p><b>वृद्धिशील नगद आरक्षित अनुपात को बंद करने का निर्णय</b></p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ हाल ही में, भारतीय रिजर्व बैंक ने चरणबद्ध रूप में वृद्धिशील नगद आरक्षित अनुपात (Incremental Cash Reserve Ratio: I-CRR) को बंद करने का निर्णय लिया है।</li> <li>❖ I-CRR एक अतिरिक्त नगदी शेष है, इसके तहत भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंकों को एक विशेष अवधि के लिए CRR से अधिक नगदी बनाए रखने हेतु कह सकता है।</li> <li>❖ CRR बैंकों की कुल जमाओं की वह न्यूनतम राशि होती है, जिसे बैंकों को केंद्रीय बैंक के पास रखनी होती है।</li> </ul>   |
| <p><b>अनिवार्य हॉलमार्किंग का तीसरा चरण</b></p>                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ हाल ही में, केंद्र सरकार ने स्वर्ण आभूषणों और स्वर्ण कलाकृतियों की हॉलमार्किंग (तीसरा संशोधन) आदेश, 2023 के तहत अनिवार्य हॉलमार्किंग के तीसरे चरण को अधिसूचित किया है।</li> <li>❖ हॉलमार्किंग मूल्यवान धातु निर्मित वस्तुओं में से मूल्यवान धातु की अनुपातिक मात्रा का सटीक निर्धारण और आधिकारिक रिकॉर्ड होता है। इसका उद्देश्य जनता को मिलावटी आभूषणों से बचाना और निर्माता को शुद्धता के कानूनी मानकों को बनाए रखने के लिए बाध्य करना है।</li> <li>❖ हॉलमार्किंग योजना भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा विकसित की गई है, इसके तहत सभी हॉलमार्क वाले स्वर्ण आभूषणों को एक विशेष हॉलमार्क यूनिक आईडी (HUID) नंबर दिया जाता है।</li> </ul>  |
| <p><b>क्रूड बेंचमार्क</b></p>                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ हाल ही में, मजबूत डॉलर के कारण ब्रेंट क्रूड और वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड (WTI) वायदो (Futures) में गिरावट दर्ज की गई है।</li> <li>❖ ब्रेंट क्रूड यूरोप, अफ्रीका और मध्य पूर्व में लाइट ऑयल मार्केट के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक बेंचमार्क है। ब्रेंट क्रूड उत्तरी सागर में स्थित तेल क्षेत्र से निकाला जाता है।</li> <li>❖ यह अंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क है, जिसका इस्तेमाल पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक (OPEC) द्वारा किया जाता है।</li> <li>❖ WTI संयुक्त राज्य अमेरिका के तेल बाजार के लिए बेंचमार्क है, इसे अमेरिकी तेल क्षेत्र से निकाला जाता है सल्फर की कम मात्रा के कारण ऐसा कच्चा तेल ब्रेंट क्रूड की तुलना में हल्का और स्वीट होता है।</li> </ul> |
| <p><b>यूपीआई-एटीएम</b></p>                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ हाल ही में, हिताची पेमेंट सर्विसेज (Hitachi Payment Services) ने भारत के पहले यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस (UPI)-ATM का अनावरण किया है।</li> <li>❖ इसे व्हाइट लेवल एटीएम (WL-ATM) के रूप में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) के सहयोग से स्थापित किया गया है।</li> <li>❖ WL-ATM का स्वामित्व एवं संचालन की जिम्मेदारी गैर-बैंकिंग संस्थाओं (NBFCs) के पास होती है।</li> <li>❖ UPI-ATM ग्राहकों को एकीकृत और सुरक्षित कार्ड रहित नगद निकासी की सुविधा प्रदान करेगा। उपयोगकर्ता UPI एप का उपयोग करके अपने अलग-अलग खातों से नगदी निकाल सकते हैं।</li> </ul>   |

# अंतरराष्ट्रीय संबंध व संघाटन

## बैठक एवं सम्मेलन

- मानवाधिकार पर एशिया प्रशांत फोरम
- 20वां आसियान-भारत शिखर सम्मेलन तथा 18वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन
- 5वां विश्व कॉफी सम्मेलन
- अंतरराष्ट्रीय व्यापार कानून पर संयुक्त राष्ट्र आयोग- दक्षिण एशिया सम्मेलन
- किसानों के अधिकारों पर वैश्विक संगोष्ठी
- G77 प्लस चीन शिखर सम्मेलन

## बैठक एवं सम्मेलन

### मानवाधिकार पर एशिया प्रशांत फोरम

20 सितंबर, 2023 को भारतीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा नई दिल्ली में 'मानवाधिकारों पर एशिया प्रशांत फोरम' (Asia Pacific Forum on Human Rights) की वार्षिक आम बैठक और द्विवार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन किया गया।

#### एशिया पैसिफिक फोरम के संदर्भ में

- एशिया पैसिफिक फोरम (Asia Pacific Forum-APF) राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों का वैश्विक गठबंधन (Global Alliance of National Human Rights Institutions-GANHRI) के तहत NHRIs के चार क्षेत्रीय नेटवर्क में से एक है। NHRIs के अन्य 3 क्षेत्रीय समूह हैं:
  - अफ्रीकी राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों का नेटवर्क (NANHRI)
  - राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों का यूरोपीय नेटवर्क (ENNHRI)
  - अमेरिकी राष्ट्रीय संस्थानों का नेटवर्क (ANSI)
- स्थापना: APF को वर्ष 1996 में स्थापित किया गया था। यह एशिया-प्रशांत क्षेत्र के सभी भागों के 26 राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों (वर्तमान में अफगानिस्तान निर्लंबित है) का गठबंधन है।
  - इसमें 17 पूर्ण सदस्य और 08 सहयोगी सदस्य शामिल हैं। भारत वर्ष 1996 से ही इसका पूर्ण सदस्य है।



## रिपोर्ट एवं सूचकांक

- वैश्विक नवाचार सूचकांक-2023
- विश्व खाद्य कार्यक्रम की हंगरमैप लाइव रिपोर्ट
- 'प्रोग्रेस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स: जेंडर्स स्नैपशॉट-2023'

## वैश्विक पहल

- विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का ड्राफ्ट लीगल इंस्ट्रूमेंट

## द्विपक्षीय संबंध

- भारत-सऊदी अरब रणनीतिक साझेदारी परिषद की प्रथम बैठक

## न्यूज बुलेट्स

### मानचित्र के माध्यम से

- नागार्नो-कराबाख क्षेत्र
- साहेल क्षेत्र
- मराकेश

- सदस्यता की स्थिति: APF की 'पूर्ण सदस्यता' (Full Membership) GANHRI द्वारा मान्यता प्राप्त 'ए स्थिति' (A Status) के समान है तथा APF की 'सहयोगी सदस्यता' (Associate Membership) 'बी स्थिति' (B Status) की GANHRI मान्यता के बराबर है।

- पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होने के लिए NHRIs को पेरिस सिद्धांतों में निर्धारित न्यूनतम अंतरराष्ट्रीय मानकों का पूर्ण रूप से पालन करना होता है।

## राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों का वैश्विक गठबंधन (GANHRI)

- इसकी स्थापना वर्ष 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों की अंतरराष्ट्रीय समन्वय समिति (ICC) के रूप में की गई थी।
- इसका उद्देश्य मानवाधिकारों का प्रचार-प्रसार और संरक्षण करना है। वर्ष 2016 में इसका नाम बदलकर GANHRI कर दिया गया।
- GANHRI राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों (NHRIs) का एक वैश्विक नेटवर्क है। इसे स्विट्स कानून के तहत एक गैर-लाभकारी इकाई (Non-Profit Entity) के रूप में गठित किया गया है।
- इसमें वर्तमान समय में 120 सदस्य शामिल हैं। जिनमें से 88 को 'A' स्टेटस जबकि 22 को 'B' स्टेटस प्रदान किया गया है। भारत की सदस्यता 'A' स्टेटस के रूप में है।

## 20वां आसियान-भारत शिखर सम्मेलन तथा 18वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन

7 सितंबर, 2023 को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इंडोनेशिया के जकार्ता में आयोजित 20वें आसियान-भारत शिखर सम्मेलन (20th ASEAN-India Summit) और 18वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन (18th East Asia Summit) में भागीदारी की गई।

- ❖ आसियान-भारत शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत-आसियान सहयोग को मजबूत करने के लिए 12 सूत्रीय प्रस्ताव पेश किया।

## 20वें आसियान-भारत शिखर सम्मेलन में प्रस्तुत 12 सूत्रीय प्रस्ताव

- ❖ दक्षिण-पूर्व एशिया-भारत-पश्चिम एशिया-यूरोप को जोड़ने वाले मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी और आर्थिक गलियारे (Multi-modal connectivity and economic corridors) को स्थापित करना।
- ❖ उपर्युक्त प्रस्ताव, भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैक (Digital Public Infrastructure Stack) को आसियान साझेदारों के साथ साझा करने की पेशकश करता है।
- ❖ इसमें सहभागिता को बढ़ावा देने के लिए एक ज्ञान भागीदार (Knowledge Partner) के रूप में कार्य करने तथा आसियान एवं पूर्वी एशिया के आर्थिक तथा अनुसंधान संस्थान (ERIA) के समर्थन को नवीनीकृत किए जाने की घोषणा की गई है।
- ❖ बहुपक्षीय मंचों पर ग्लोबल साउथ (Global South) के समक्ष आने वाले मुद्दों को सामूहिक रूप से उठाने का आह्वान किया गया।
- ❖ WHO द्वारा भारत में स्थापित किये जा रहे 'ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन' (Global Center for Traditional Medicine) में शामिल होने के लिये आसियान देशों को आमंत्रित किया गया है।
- ❖ प्रस्ताव में, मिशन LIFE (पर्यावरण के लिये जीवनशैली) पर एक साथ कार्य करने का आह्वान किया गया है।
- ❖ प्रस्ताव, जन-औषधि केंद्रों (Jan Aushadhi Centers) के माध्यम से लोगों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाएँ उपलब्ध कराने में भारत के अनुभव को साझा करने की पेशकश करता है।
- ❖ इस प्रस्ताव में, आतंकवाद, आतंकी वित्तपोषण और साइबर-दुष्प्रचार (Terrorism, Terrorist Financing and Cyber-Disinformation) के खिलाफ सामूहिक लड़ाई का आह्वान किया गया है।
- ❖ आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढाँचे हेतु गठबंधन (Coalition for Disaster Resilient Infrastructure-CDRI) में शामिल होने के लिये आसियान देशों को आमंत्रित कर आपदा प्रबंधन में सहयोग का आह्वान किया गया है।
- ❖ इसी प्रकार, समुद्री सुरक्षा, रक्षा और जागरूकता डोमेन (Maritime Security, Defense and Awareness Domain) पर सहयोग बढ़ाने का आह्वान किया गया है।

## 18वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन (EAS)

- ❖ इस सम्मेलन में भारत ने EAS तंत्र के महत्व को स्वीकार करते हुए इसे और भी अधिक मजबूत करने में अपने समर्थन की पुष्टि की है।
- ❖ भारत द्वारा ASEAN की केंद्रीयता के लिये मजबूत समर्थन करने के साथ एक स्वतंत्र, खुले एवं नियम-आधारित इंडो-पैसिफिक

(Free, Open and Rules-Based Indo-Pacific) क्षेत्र के निर्माण का आह्वान किया गया है।

- ❖ इस सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने हेतु भारत की ISA (अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन), CDRI (आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढाँचे के लिये गठबंधन), LIFE (मिशन LIFE) और OSOWOG (वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड) जैसी पहलों पर प्रकाश डाला गया।

## पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन (EAS) क्या है?

- ❖ पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन (EAS) एशिया-प्रशांत क्षेत्र के 18 देशों का एक मंच है, इसे क्षेत्रीय शांति सुरक्षा और समृद्धि के उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए गठित किया गया है।
- ❖ EAS की स्थापना वर्ष 2005 में दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के संगठन (ASEAN) के नेतृत्व वाली पहल के रूप में की गई थी। इसका प्रथम शिखर सम्मेलन 14 दिसंबर, 2005 को कुआलालंपुर, मलेशिया में आयोजित किया गया था।
- ❖ EAS समूह में आसियान के 10 सदस्य देश तथा आस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान, न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल हैं।

## आसियान (ASEAN)

- आसियान की स्थापना वर्ष 1967 में बैंकॉक घोषणा पत्र (Bangkok Declaration) पर हस्ताक्षर के माध्यम से की गई थी। आसियान भारत की एक्ट ईस्ट नीति (Act East Policy) के केंद्र में है। यह नीति एशिया-प्रशांत क्षेत्र में भारत के विस्तारित पड़ोसी देशों पर केंद्रित है।
- आसियान दस दक्षिण-पूर्व एशियाई राष्ट्रों का एक संगठन है, इनमें- ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम शामिल हैं।
- सदस्य देशों के अंग्रेजी नामों के वर्णमाला क्रम के आधार पर इसकी अध्यक्षता प्रतिवर्ष बदलती रहती है।

## 5वां विश्व कॉफी सम्मेलन

25 सितंबर से 28 सितंबर, 2023 तक बेंगलुरु (भारत) में पांचवें विश्व कॉफी सम्मेलन (WCC) का आयोजन किया गया।

- ❖ इसका आयोजन अंतरराष्ट्रीय कॉफी संगठन (ICO) द्वारा भारतीय कॉफी बोर्ड (ICB) के सहयोग से किया गया था। भारतीय कॉफी बोर्ड (ICB) वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन एक संचालित संगठन है।
- ❖ यह पहली बार है कि जब एक एशियाई कॉफी उत्पादक देश में 'विश्व कॉफी सम्मेलन' का आयोजन किया गया है।
- ❖ WCC के पूर्ववर्ती संस्करण लंदन (2001), ब्राजील (2005), ग्वाटेमाला (2010) और इथियोपिया (2016) में आयोजित किए गए थे।
- ❖ सम्मेलन के लिए शुभंकर- 'कॉफी स्वामी' (Coffee Swami) तथा इसकी थीम- 'सर्कुलर इकोनॉमी और पुनर्योजी कृषि के माध्यम से स्थिर' (Sustainability through Circular Economy and Regenerative Agriculture)
- ❖ अंतरराष्ट्रीय कॉफी संगठन (ICO) की स्थापना वर्ष 1963 में संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में की गई थी।

- ❖ ICO वैश्विक कॉफी उत्पादन में 93% और वैश्विक उपभोग में 63% की हिस्सेदारी रखने वाले देशों का प्रतिनिधित्व करता है।
- ❖ यह कॉफी क्षेत्र हेतु एकमात्र अंतर-सरकारी संगठन है, जो कॉफी निर्यात और आयात करने वाले देशों को एक साथ लाता है। इसके सदस्य देशों में 43 निर्यातक देश (भारत सहित) तथा 6 आयातक देश शामिल हैं।
- ❖ अंतरराष्ट्रीय कॉफी संगठन के निम्नलिखित उद्देश्य हैं:
  - + वैश्विक कॉफी क्षेत्र को मजबूत करना, तथा
  - + वैश्विक कॉफी मूल्य शृंखला में सभी अभिकर्ताओं के लाभ हेतु बाजार आधारित परिवेश में सतत विस्तार को बढ़ावा देना।
- ❖ विश्व की अधिकांश कॉफी उत्पादन में दो प्रजातियाँ शामिल हैं- कॉफी अरेबिका (Arabica) और कॉफी रोबस्टा (Robusta)।
- ❖ कॉफी उत्पादन के लिए आवश्यक जलवायु परिस्थितियों में इसके विकास हेतु गर्म और आर्द्र जलवायु, 15°C और 28°C के मध्य तापमान, 150 से 250 सेमी. के मध्य वर्षा तथा अच्छी जल निकासी वाली, दोमट मिट्टी आदर्श मानी जाती है।
- ❖ इसे आमतौर पर समुद्र तल से 600 से 1,600 मीटर की ऊंचाई पर पहाड़ी ढलानों पर छायादार पेड़ों के नीचे उगाया जाता है। इसके पकने के समय शुष्क मौसम आवश्यक होता है।
- ❖ भारत में कॉफी उगाने वाले प्रमुख राज्यों में कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और ओडिशा शामिल हैं, जिनमें से कर्नाटक कुल उत्पादन का 70% से अधिक उत्पादन करता है।

## अंतरराष्ट्रीय व्यापार कानून पर संयुक्त राष्ट्र आयोग-दक्षिण एशिया सम्मेलन

- 14-16 सितंबर, 2023 तक नई दिल्ली में अंतरराष्ट्रीय व्यापार कानून पर संयुक्त राष्ट्र आयोग (UNCITRAL) के दक्षिण एशिया सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन का उद्देश्य UNCITRAL के साथ भारत की भागीदारी को मजबूत करना था।
- ❖ यह कार्यक्रम विदेश मंत्रालय, UNCITRAL और भारत के लिए संगठन की राष्ट्रीय समन्वय समिति (National Coordinating Committee of the Organization for India) द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया था।
  - ❖ इस सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को भारत के मुख्य न्यायधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने संबोधित किया। समापन सत्र को सचिव दम्पू रवि द्वारा संबोधित किया गया।
  - ❖ UNCITRAL के कार्यों में सम्मेलन, मॉडल कानून और नियम शामिल हैं। यह संगठन अंतरराष्ट्रीय व्यापार कानून के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र प्रणाली का मुख्य कानूनी अंग है।
  - ❖ UNCITRAL को वर्ष 1966 में स्थापित किया गया था। इसके मुख्यालय न्यूयॉर्क एवं वियना में हैं। यह संयुक्त राष्ट्र महासभा की एक सहायक संस्था है। इसका गठन अंतरराष्ट्रीय व्यापार से जुड़े कानूनों में और अधिक सामंजस्य से स्थापित करने तथा उनका एकीकरण करने के लिए किया गया है।
  - ❖ UNCITRAL में तहत संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा चुने गए 77 देश शामिल होते हैं। इन सदस्यों का चुनाव 6 साल की अवधि के लिए किया जाता है। भारत की सदस्यता अवधि वर्ष 2028 तक है।
  - ❖ ध्यातव्य है कि UNCITRAL विश्व व्यापार संगठन (WTO) का हिस्सा नहीं है।

- ❖ WTO व्यापार से जुड़े नीतिगत मुद्दों का निपटारा करता है जबकि, UNCITRAL अंतरराष्ट्रीय लेन-देन में निजी भागीदारों पर लागू कानूनों से संबंधित मामलों को देखता है; यह दो देशों के मध्य उत्पन्न विवादों को नहीं देखता है।
- ❖ UNCITRAL का प्राथमिक लक्ष्य सीमा पार वाणिज्यिक लेनदेन में निष्पक्षता, पारदर्शिता, दक्षता को बढ़ावा देने वाले कानूनी ढांचे का निर्माण कर अंतरराष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाना है।
- ❖ UNCITRAL का कार्य सम्मेलनों, मॉडल कानूनों एवं अन्य उपकरणों के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय व्यापार कानून के प्रगतिशील सामंजस्य और एकीकरण को बढ़ावा देना है।

## किसानों के अधिकारों पर वैश्विक संगोष्ठी

12-15 सितंबर, 2023 के मध्य नई दिल्ली में किसानों के अधिकारों पर वैश्विक संगोष्ठी (Global Seminar on Farmers' Rights) का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन 12 सितंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया गया।



- ❖ संगोष्ठी का मुख्य उद्देश्य विश्व भर में किसानों के अधिकारों को लागू करने के मार्ग में आने वाली चुनौतियों तथा उपलब्ध अवसरों का पता लगाना था।
- ❖ इस संगोष्ठी का आयोजन खाद्य और कृषि संगठन (FAO) के 'खाद्य एवं कृषि के लिए पादप अनुवांशिक संसाधनों पर अंतरराष्ट्रीय संधि' (International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture-IITPGRFA) के सचिवालय द्वारा किया गया।
- ❖ इस वैश्विक संगोष्ठी में 'दिल्ली फ्रेमवर्क' को अपनाया गया। इस फ्रेमवर्क में किसानों के अधिकारों की प्राप्ति हेतु संयुक्त राष्ट्र के अलग-अलग साधनों में कार्यात्मक सहक्रिया स्थापित करने पर बोल दिया गया। इन साधनों में IITPGRFA, जैविक विविधता अभिसमय (CBD) तथा देशज लोगों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र (UNDRIP) आदि शामिल हैं।
- ❖ फ्रेमवर्क में पारंपरिक किस्मों के लिए किसान-प्रबंधित प्रणाली (Farmer-Managed System) की स्थापना करने पर बल दिया गया। साथ ही, आत्मनिर्भर उत्पादन तथा विपणन मूल्य शृंखला का सृजन करने की बात की गई है।
- ❖ खाद्य एवं कृषि के लिए पादप अनुवांशिक संसाधन (PGRFA) एक ऐसा कच्चा माल होता है, जिसे सभी फसलों का मूल माना जाता है। इसमें बीज और अन्य सभी पादप अनुवांशिक सामग्री शामिल होती हैं।
- ❖ IITPGRFA विश्व भर में PGRFA के संरक्षण, उपयोग एवं प्रबंधन के लिए प्रमुख अंतरराष्ट्रीय समझौता है इसे बीज संधि (Seed Treaty) के रूप में भी जाना जाता है।
- ❖ वर्ष 2001 में अपनाया तथा 2004 में लागू किया गया यह कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौता है। भारत इस समझौता का पक्षकार है।
- ❖ IITPGRFA पहुंच एवं लाभ साझाकरण की एक विशिष्ट बहुपक्षीय प्रणाली (Specific Multilateral System) के माध्यम से सीमा-पार पादप अनुवांशिक संसाधनों को साझा करना संभव बनाता है।

- ❖ भारत ने 'पादप किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001' को अधिनियमित किया है। इसका उद्देश्य पादप अनुसंधान संसाधनों के संरक्षण तथा सुधार में लगे किसानों एवं अन्य लोगों के हितों की रक्षा करना है।

## G77 प्लस चीन शिखर सम्मेलन

15-16 सितंबर, 2023 को क्यूबा की राजधानी हवाना में G77 प्लस चीन शिखर सम्मेलन (G77+ China Summit) का आयोजन किया गया। इस शिखर सम्मेलन में 30 से अधिक राष्ट्राध्यक्षों और शासनाध्यक्षों सहित 100 से अधिक देशों के प्रतिनिधिमंडल एक साथ आये।

### मुख्य बिंदु

- ❖ **भारत की स्थिति:** इस शिखर सम्मेलन में भारत ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि वह जी-20 और अन्य माध्यम से 'ग्लोबल साउथ' के हितों को बढ़ावा दे रहा है।
  - + जी-20 एजेंडे को सकारात्मक रूप से आगे बढ़ाने के लिए भारत द्वारा 'वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ' (Voice of Global South) शिखर सम्मेलन की मेजबानी की गई।
  - + भारत ने नई दिल्ली में आयोजित G-20 शिखर सम्मेलन में 'अफ्रीकी संघ' (African Union) को इस समूह की स्थाई सदस्यता दिलवाने में सहायता की थी।
- ❖ **ग्लोबल साउथ:** 'ग्लोबल साउथ' शब्द सामान्य रूप से लैटिन अमेरिका, एशिया, अफ्रीका और ओशेनिया के क्षेत्र को व्यक्त करता है।
- ❖ 1980 के दशक में ब्रैंड रेखा (Brand Line) के माध्यम से भौगोलिक दुनिया को अपेक्षाकृत अमीर और गरीब देशों में विभाजित किया गया था। गरीब देश अधिकतर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र और दक्षिणी गोलार्द्ध में स्थित हैं।

### G77 समूह के संदर्भ में

- ❖ **संदर्भ:** 77 विकासशील देशों के समूह को 'G77 प्लस चीन' (G77 + China) भी कहा जाता है। इसका कारण यह है कि चीन इस समूह के साथ मिलकर तो कार्य करता है; किंतु वह आधिकारिक तौर पर स्वयं को इस समूह का पूर्ण सदस्य नहीं मानता है।
- ❖ **स्थापना तथा उद्देश्य:** G77 की स्थापना वर्ष 1964 में 77 विकासशील देशों ने मिलकर की थी। यह ग्लोबल साउथ के देशों को अपने सामूहिक आर्थिक हितों को स्पष्ट करने और उन्हें बढ़ावा देने तथा वैश्विक मंचों पर अपनी संयुक्त वार्ताकारी क्षमता में वृद्धि करने के लिए साधन उपलब्ध करवाता है।
- ❖ **सदस्य एवं अध्यक्षता:** वर्तमान में इस समूह में भारत सहित 134 सदस्य देश हैं।
- ❖ इस समूह के अध्यक्षता क्षेत्रीय आधार पर (अफ्रीका, एशिया, प्रशांत और लैटिन अमेरिका तथा कैरेबियाई क्षेत्र के बीच) चक्रीय क्रम में निर्धारित की जाती है; समूह की अध्यक्षता 1 वर्ष के लिए प्रदान की जाती है।

## रिपोर्ट एवं सूचकांक

### वैश्विक नवाचार सूचकांक-2023

हाल ही में, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (WIPO) द्वारा 'वैश्विक नवाचार सूचकांक-2023' (Global Innovation Index-2023) जारी किया गया है। इस सूचकांक को कॉर्नेल यूनिवर्सिटी, INSEAD बिजनेस स्कूल, तथा WIPO द्वारा संयुक्त रूप से प्रतिवर्ष प्रकाशित किया जाता है।

- ❖ सूचकांक में लगातार 13वें वर्ष **स्विट्जरलैंड** को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। इस सूचकांक में भारत की रैंक पिछले वर्ष के समान ही 40वीं है।
- ❖ भारत निम्न-मध्यम आय वर्ग वाले देशों में अग्रणी देश है, और स्थिर बना हुआ है। शोध प्रकाशन आउटपुट के मामले में भारत ने (2022 में चौथी रैंक) यूनाइटेड किंगडम (पांचवी रैंक) को पीछे छोड़ दिया है तथा जर्मनी (तीसरी रैंक) से केवल एक रैंक पीछे है।
  - + शीर्ष 100 टेक्नोलॉजी क्लस्टर में भारत के चार क्लस्टर (बेंगलुरु, दिल्ली, चेन्नई और मुंबई) शामिल हैं।
- ❖ वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन (WIPO) को वर्ष 1967 में स्थापित किया गया था। यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। इसका उद्देश्य संतुलित और सुलभ अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा प्रणाली विकसित करना है। यह प्रणाली रचनात्मकता को पुरस्कृत एवं नवाचार को प्रोत्साहित करने के साथ आर्थिक विकास में योगदान देती है।
- ❖ वर्तमान समय में WIPO में 193 सदस्य हैं। भारत 1975 से इसका एक प्रमुख सदस्य देश है। भारत इसकी तीनों संधियों का हस्ताक्षरकर्ता देश है।
- ❖ इन तीन प्रमुख संधियों में औद्योगिक संपदा की सुरक्षा के लिए पेरिस कन्वेंशन, 1998; साहित्यिक और कलात्मक कार्यों के संरक्षण हेतु बर्न कन्वेंशन, 1928 तथा पेटेंट सहयोग संधि, 1998 शामिल हैं।



### विश्व खाद्य कार्यक्रम की हंगरमैप लाइव रिपोर्ट

हाल ही में, विश्व खाद्य कार्यक्रम (World Food Program-WFP) द्वारा 'हंगरमैप लाइव: ग्लोबल इनसाइट्स एंड की ट्रेंड्स' (Hunger Map Live: Global Insights and Key Trends) नामक रिपोर्ट जारी की गई है।

- ❖ रिपोर्ट के अनुसार, विश्व में 828 मिलियन लोग चिरकालिक भुखमरी (Chronic Starvation) और अल्प पोषण (Undernutrition) से ग्रस्त हैं। इसी प्रकार, 53 देशों में 193 मिलियन लोगों ने चरम भुखमरी (Extreme Starvation) का सामना किया है।

- ❖ रिपोर्ट में बताया गया है कि अपर्याप्त आहार लेने वाले विश्व के कुल लोगों में से 33% लोग 12 देशों में रहते हैं। इन देशों में मुख्य रूप से **सोमालिया, अफगानिस्तान, सीरिया, नाइजर, माली, हैती और बुर्किना फासो** शामिल हैं।
- ❖ एक व्यक्ति खाद्य असुरक्षित तब माना जाता है जब उसे सामान्य वृद्धि और विकास तथा सक्रिय एवं स्वस्थ जीवन जीने के लिए पर्याप्त सुरक्षित व पौष्टिक आहार नियमित रूप से नहीं मिलता है।
- ❖ **विश्व खाद्य कार्यक्रम (World Food Program)** को संयुक्त राष्ट्र की खाद्य सहायता शाखा के रूप में वर्ष 1961 में स्थापित किया गया था। यह **संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन (United Nations Food and Agriculture Organization: UN-FAO)** और **अंतरराष्ट्रीय कृषि विकास कोष (International Agricultural Development Fund-IADF)** के साथ मिलकर कार्य करता है, इसके द्वारा **वैश्विक खाद्य संकट रिपोर्ट (Global Food Crisis Report)** जारी की जाती है।
- ❖ इसका मुख्य मिशन आपात स्थिति में खाद्य सहायता पहुंचाना तथा पोषण में सुधार करने और लचीलेपन की क्षमता विकसित करने के लिए समुदायों के साथ कार्य करना है।
- ❖ **SDG-5 (लैंगिक समानता)** पर दृष्टिपात करते हुए कहा गया है कि महिलाओं की अगली पीढ़ी पुरुषों की तुलना में अवैतनिक देखभाल और घरेलू कार्यों पर प्रतिदिन औसतन 2.3 घंटे अधिक समय व्यतीत करेगी।
- ❖ महिलाएं, पुरुषों की तुलना में लैंगिक आधार पर दोगुने भेदभाव का सामना करती हैं; वहीं वैवाहिक स्थिति के आधार पर भेदभाव का सामना करने की संभावना भी पुरुषों की तुलना में लगभग दुगुनी है (**SDG-10: असमानता में कमी**)।
- ❖ **जलवायु कार्यवाही (SDG-13)** के संदर्भ में रिपोर्ट में बताया गया है कि जलवायु परिवर्तन के प्रत्यक्ष परिणामों के कारण विश्व स्तर पर 158 मिलियन महिलाएं तथा लड़कियां गरीबी रेखा के नीचे जा सकती हैं।

## वैश्विक पहल

### विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का ड्राफ्ट लीगल इंस्ट्रूमेंट

हाल ही में, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (WIPO) द्वारा बौद्धिक संपदा, आनुवंशिक संसाधन, पारंपरिक ज्ञान और लोक साहित्य (Intellectual Property, Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folk Literature) से संबंधित एक ड्राफ्ट लीगल इंस्ट्रूमेंट जारी किया गया है।

### 'प्रोग्रेस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स: जेंडर्स स्नैपशॉट- 2023'

हाल ही में यूएन वीमेन (UN Women) और संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग (United Nations Department of Economic and Social Affairs) ने 'प्रोग्रेस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स: जेंडर्स स्नैपशॉट- 2023' जारी की है।



- ❖ रिपोर्ट में कहा गया है कि, वैश्विक प्रयासों के बाद भी वर्ष 2030 तक 340 मिलियन से अधिक महिलाएं एवं लड़कियां चरम गरीबी (Extreme Poverty) में रह रही होंगी। इस प्रकार SDG-1 (गरीबी उन्मूलन) के लक्ष्य को प्राप्त करना कठिन होगा। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रगति की वर्तमान दर को 26 गुना तेज करने की आवश्यकता है।
- ❖ इसी प्रकार, वर्ष 2030 तक लगभग चार में से एक महिला और लड़की को सामान्य अथवा **गंभीर खाद्य असुरक्षा (Moderate or Severe Food Insecurity)** का सामना करना पड़ेगा। ऐसा होने से **SDG-2 (भुखमरी की समाप्ति)** के लक्ष्य को प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न होगी।
  - + रिपोर्ट में बताया गया है कि, कृषि-खाद्य प्रणालियों में लैंगिक अंतराल को दूर करने से खाद्य-असुरक्षा में कमी की जा सकती है। साथ ही, वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद को लगभग 01 ट्रिलियन डॉलर तक बढ़ाया जा सकता है।
- ❖ रिपोर्ट में कहा गया है कि केवल 60% लड़कियों ने उच्चतर माध्यमिक स्तर की स्कूली शिक्षा पूरी की है। हालांकि यह 57% लड़कों के औसत की तुलना में बेहतर है। इस प्रकार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा (SDG-4) के संदर्भ में लड़कों की तुलना में लड़कियों ने अपेक्षाकृत बेहतर प्रगति दर्ज की है।
- ❖ इस इंस्ट्रूमेंट को जारी करने का उद्देश्य आनुवंशिक संसाधन (Genetic Resources) के संबंध में पेटेंट प्रणाली की प्रभावकारिता, पारदर्शिता और गुणवत्ता को बढ़ाना है।
- ❖ पेटेंट आवेदकों के लिए आनुवंशिक संसाधन (GR) और उससे जुड़े किसी भी पारंपरिक ज्ञान के उपयोग की घोषणा करना अनिवार्य है, यह इंस्ट्रूमेंट उन आविष्कारों को पेटेंट देने से रोकता है जो नवीन नहीं है।
- ❖ **आनुवंशिक संसाधनों से जुड़ा पारंपरिक ज्ञान (Traditional Knowledge Related to Genetic Resources- TKGR)** आनुवंशिक संसाधनों के संदर्भ में देशज लोगों और समुदायों द्वारा धारित एवं उभरता (Evolving) सामूहिक ज्ञान का संग्रह है। यह ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता चला आ रहा है।
- ❖ **आनुवंशिक संसाधन (GR)** से तात्पर्य किसी ऐसी जैविक सामग्री से है, जिसमें जीव अथवा जींस (Organism or Genes) से प्राप्त उपापचयी सामग्री शामिल होती है।
- ❖ **विश्व बौद्धिक संपदा संगठन** बौद्धिक अधिकारों के संवर्धन और संरक्षण के लिए एक वैश्विक निकाय है।
- ❖ आनुवंशिक संसाधनों से जुड़े पारंपरिक ज्ञान (TKGR) हेतु वैश्विक स्तर पर **जैव विविधता कन्वेंशन (CBD), नागोया प्रोटोकॉल तथा खाद्य एवं कृषि के लिए पादप आनुवंशिक संसाधनों पर अंतरराष्ट्रीय संधि** आदि प्रयास किए गए हैं।
- ❖ भारत में 'जैव विविधता अधिनियम, 2002' जैविक संसाधनों से उत्पन्न होने वाले लाभों को उचित और न्यायसंगत बंटवारे के लिए लागू किया गया है।
  - + भारतीय पारंपरिक ज्ञान के दुरुपयोग को रोकने के लिए दुनिया भर के पेटेंट कार्यालयों में उसकी सुरक्षा हेतु 'ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी' (TKDL) की स्थापना की गई है।

## द्विपक्षीय संबंध

भारत-सऊदी अरब रणनीतिक साझेदारी  
परिषद की प्रथम बैठक

- ❖ 11 सितंबर, 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जी-20 शिखर सम्मेलन के समापन के बाद नई दिल्ली की एक दिवसीय राजकीय यात्रा पर आए सऊदी क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुलअजीज अल-सऊद के साथ हैदराबाद हाउस में द्विपक्षीय बैठक की।
- ❖ इस बैठक को भारत-सऊदी अरब रणनीतिक साझेदारी परिषद (SPC) की प्रथम बैठक के रूप में जाना जाता है।
- ❖ SPC की स्थापना वर्ष 2019 में की गई थी। इसे भारत-सऊदी अरब संबंधों को मजबूत करने के लिए एक उच्च-स्तरीय परिषद के रूप में स्थापित किया गया था।
- ❖ इसमें भारत और सऊदी अरब ने ऊर्जा सहित 8 क्षेत्रों में सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इसके अंतर्गत शामिल

कुछ प्रमुख समझौते निम्नलिखित हैं-

- + बैठक में 50 बिलियन डॉलर की वेस्ट कोस्ट रिफाइनरी परियोजना (West Coast Refinery Project) को तेजी से पूरा करने के लिए एक टास्क फोर्स के गठन पर सहमति बनी है।
- + इसका लक्ष्य महाराष्ट्र के रत्नागिरी में एशिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी स्थापित करना है। इसकी क्षमता 60 मिलियन टन वार्षिक होगी। यह अरामको/ARAMCO (सऊदी अरब), अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी/ADNOC (संयुक्त अरब अमीरात) और भारतीय कंपनियों के बीच एक त्रिपक्षीय परियोजना है।
- + दोनों देश विद्युत और ग्रिड इंटरकनेक्शन (Electricity and Grid Interconnection) स्थापित करने पर सहयोग करेंगे। साथ ही, हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में वर्तमान साझेदारी का विस्तार कर इसे व्यापक ऊर्जा साझेदारी में बदलने का निर्णय लिया गया है।
- + दोनों देशों ने नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा, डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण, द्विपक्षी निवेश को बढ़ावा देने तथा समुद्री जल के अलवणीकरण जैसे क्षेत्रों में समझौता ज्ञापनों पर भी हस्ताक्षर किए हैं।

## न्यूज बुलेट्स

|   |   |
|---|---|
| इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन दि केमेस्ट्री ऑफ सीमेंट | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ भारत वर्ष 2027 में 'इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन दि केमेस्ट्री ऑफ सीमेंट' (ICCC) की मेजबानी करेगा।</li> <li>❖ ICCC एक अंतरराष्ट्रीय मंच है। यहां सीमेंट केमिस्ट्री में हालिया विकास और सीमेंट के उपयोग में प्रमुख रुझानों पर परिचर्चा की जाती है।</li> <li>❖ ICCC का सचिवालय देस्फेल्डोर्स (जर्मनी) में है। वर्ष 1918 से इसकी बैठकों का आयोजन प्रत्येक 4 से 6 वर्ष के अंतराल पर किया जाता है।</li> <li>❖ भारत ने वर्ष 1992 में 9वीं ICCC का आयोजन किया था। भारत विश्व में सीमेंट का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है।</li> </ul>  |
| L-69 समूह                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ हाल ही में, भारत द्वारा आयोजित L-69 समूह की बैठक में सदस्य देशों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में सुधार की मांग की है।</li> <li>❖ L-69 एक सुधार-समर्थक समूह है। इसमें अफ्रीका, लैटिन अमेरिका एवं कैरेबियन देश तथा एशिया एवं प्रशांत क्षेत्र के विकासशील देश शामिल हैं।</li> <li>❖ इस समूह में UNSC में व्यापक सुधार करने और बहुपक्ष-वाद को मजबूत करने पर बल दिया जाता है। भारत इसका एक नेतृत्वकर्ता देश है।</li> </ul>  |
| फ्रांस में अबाया पर प्रतिबंध                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ हाल ही में, फ्रांस की सर्वोच्च प्रशासनिक अदालत ने सार्वजनिक स्कूलों में छात्रों के अबाया पहनने पर सरकार के प्रतिबंध को बरकरार रखा।</li> <li>❖ यह प्रतिबंध फ्रांस की धर्मनिरपेक्षता के प्रति प्रतिबद्धता, लैसिटे/Laïcité के सिद्धांत को बनाए रखने के उपाय के रूप में लागू किया गया था।</li> <li>❖ Laïcité/लैसिटे फ्रांस में राज्य तथा चर्च के औपचारिक अलगाव का प्रतीक है, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र से धार्मिक मूल्यों को पूरी तरह से हटाने पर बल दिया गया है। यह सिद्धांत स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व जैसे धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को महत्व प्रदान करता है। Laïcité की उत्पत्ति कैथोलिक चर्च की शक्ति के विरुद्ध एंटी-क्लेरिकल रिपब्लिकन के संघर्ष के कारण हुई थी।</li> </ul> |
| सिम्बेक्स                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ 21-28 सितंबर, 2023 के मध्य सिंगापुर में सिंगापुर-भारत समुद्री द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास 'सिम्बेक्स-2023' (SIMBEX-2023) का आयोजन किया गया।</li> <li>❖ इसके तहत दो मुख्य चरण शामिल थे: 21 से 24 सितंबर, 2023 के मध्य सिंगापुर के चांगी नौसेना बेस पर आयोजित एक तटीय चरण, तथा 21 से 24 सितंबर, 2023 के मध्य अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र में दक्षिण चीन सागर के दक्षिणी छोर पर आयोजित एक समुद्री चरण।</li> <li>❖ सिम्बेक्स, सिंगापुर और भारत के मध्य आयोजित होने वाला एक वार्षिक नौसैनिक अभ्यास है।</li> </ul>  |



|   |  |
|---|--|
| <p>भारत-संयुक्त राष्ट्र क्षमता निर्माण पहल</p>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ भारत और संयुक्त राष्ट्र ने 'भारत-संयुक्त राष्ट्र क्षमता निर्माण पहल' (India-United Nations Capacity Building Initiative: IUN-CBI) आरंभ की है।</li> <li>❖ IUN-CBI को भारत की G-20 अध्यक्षता के विकास-प्रासंगिक कार्यों को संचालित करने के लिए आरंभ किया गया है। इसका उद्देश्य ग्लोबल साउथ के साझेदार देशों के साथ भारत की सर्वोत्तम कार्य पद्धतियों को साझा करना है।</li> <li>❖ यह 'भारत-संयुक्त राष्ट्र विकास साझेदारी कोष' (IUN-DPF) का भी पूरक होगा। IUN-DPF विकासशील विश्व में ग्लोबल साउथ के स्वामित्व और उसके नेतृत्व में परिवर्तनकारी सतत विकास परियोजनाओं का समर्थन करता है।</li> </ul>  |
| <p>ब्राइट स्टार-23</p>                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ 31 अगस्त से 14 सितंबर, 2023 के मध्य मिश्र के 'मोहम्मद नागुइब सैन्य अड्डे' पर किए गए संयुक्त सैन्य अभ्यास 'ब्राइट स्टार-23' (BRIGHT STAR-23) में भारत और अमेरिका सहित 34 देशों ने भाग लिया।</li> <li>❖ ब्राइट स्टार-23 एक 'बहुराष्ट्रीय त्रि-सेवा संयुक्त सैन्य अभ्यास' (Multinational Tri-Service Joint Military Exercise) है। यह पश्चिम एशिया और उत्तरी अफ्रीका क्षेत्र में अब तक का सबसे बड़ा संयुक्त सैन्य अभ्यास था।</li> <li>❖ अभ्यास के दौरान भाग लेने वाले देशों ने उभरते अपरंपरागत खतरों से निपटने और क्षेत्रीय साझेदारी को बढ़ाने के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा किया।</li> </ul>  |
| <p>काउंटर टेररिज्म फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज-2023</p>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ 25 से 30 सितंबर, 2023 के मध्य रूस में आयोजित 'काउंटर टेररिज्म फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज-2023' (Counter Terrorism Field Training Exercise-2023) में भारतीय सेवा ने भाग लिया।</li> <li>❖ यह एक बहुराष्ट्रीय संयुक्त सैन्य अभ्यास है जिसकी मेजबानी म्यांमार के साथ 'विशेषज्ञ कार्य समूह' (Expert Working Group- EWG) के सह-अध्यक्ष के रूप में रूस द्वारा की जा रही है।</li> <li>❖ इससे पूर्व, 2 से 4 अगस्त 2023 तक म्यांमार के 'ने पई ताव' (Nay Pyi Taw) में आतंकवाद-निरोध पर एडीएमएम प्लस ईडब्ल्यूजी (ADMM Plus EWG on Counter-Terrorism) का टेबल टॉप अभ्यास (Table Top Exercise) आयोजित किया गया था।</li> </ul>   |
| <p>इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का लीगल मेट्रोलाजी सर्टिफिकेट</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ हाल ही में, भारत इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का लीगल मेट्रोलाजी सर्टिफिकेट (OILM) जारी करने वाला प्राधिकरण बन गया है।</li> <li>❖ OILM सर्टिफिकेट प्रणाली थर्मामीटर एवं क्लिनिकल थर्मामीटर जैसे मापन उपकरणों के लिए OILM प्रमाण पत्र जारी करने, पंजीकृत करने और उनका उपयोग करने तथा संबंधित परीक्षण एवं रिपोर्ट करने वाली प्रणाली है।</li> <li>❖ OILM 1955 में स्थापित किया गया था, इसका मुख्यालय पेरिस में है। भारत 1956 में इस संगठन का सदस्य बना था।</li> <li>❖ यह संगठन लीगल मेट्रोलाजी प्राधिकरणों और उद्योग द्वारा उपयोग के लिए मॉडल विनियम, मानक एवं संबंधित दस्तावेज विकसित करता है।</li> </ul>   |
| <p>वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, 2024</p>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ हाल ही में, टाइम्स हायर एजुकेशन (Times Higher Education) द्वारा 'वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, 2024' (World University Ranking) जारी किया गया है।</li> <li>❖ रैंकिंग में ऑक्सफर्ड विश्वविद्यालय (यूनाइटेड किंगडम) को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।</li> <li>❖ लगभग 91 भारतीय विश्वविद्यालयों को इस सूची में जगह प्राप्त हुई है। भारतीय विज्ञान संस्थान (IISc), बेंगलुरु को 201 से 250 रैंक वाले संस्थानों में रखा गया है, यह भारतीय विश्वविद्यालयों की सूची में सबसे ऊपर है।</li> <li>❖ 501 से 600 के मध्य रैंक प्राप्त करने वाले भारतीय विश्वविद्यालयों में अन्ना विश्वविद्यालय, जामिया मिलिया इस्लामिया, महात्मा गांधी विश्वविद्यालय और शूलिनी विश्वविद्यालय शामिल हैं।</li> </ul> |
| <p>खाद्य और कृषि संगठन का खाद्य मूल्य सूचकांक</p>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ हाल ही में, खाद्य और कृषि संगठन (FAO) द्वारा जारी किए गए खाद्य मूल्य सूचकांक (Food Price Index) के अनुसार विश्व खाद्य मूल्य सूचकांक 2 साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है।</li> <li>❖ 'खाद्य मूल्य सूचकांक' खाद्य वस्तुओं की एक बास्केट की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में मासिक रूप से परिवर्तन का एक माप है। इसमें प्रत्येक समूह के औसत निर्यात हिस्सों के साथ भारत पांच जींस समूह के मूल्य सूचकांकों का औसत शामिल होता है। इन पांच जिंसों में अनाज, तिलहन, डेरी उत्पादन, मांस और चीनी शामिल है।</li> </ul>   |

|   |   |
|---|---|
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ FAO संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। यह विश्व में भुखमरी मिटाने के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रयासों का नेतृत्व करती है।</li> </ul>   |
| 12वीं भारत-यूके आर्थिक और वित्तीय वार्ता                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ 11 सितंबर, 2023 को नई दिल्ली में '12वीं भारत-यूके आर्थिक और वित्तीय वार्ता' (12th Economic and Financial Dialogue-EFD) आयोजित की गई।</li> <li>❖ यह वार्ता भारत एवं यूके के मध्य ज्ञान के आदान-प्रदान को बढ़ावा देने पर बल दिया गया। इसमें बुनियादी ढांचे के विकास, मजबूत फिनटेक साझेदारी तथा दीर्घकालिक विकास उद्देश्यों के लिए सतत वित्त जैसे क्षेत्रों में सहयोग एवं समर्थन को जारी रखने की बात की गई।</li> <li>❖ EFD की स्थापना 4 फरवरी 2005 को की गई थी। इसके अंतर्गत वर्ष 2005 में ही व्यापार एवं निवेश बाधाओं से निपटने और व्यापार संबंधों को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त आर्थिक और व्यापार समिति (JETCO) की स्थापना की गई थी।</li> </ul>   |
| ग्लोबल स्टॉकटेक सिंथेसिस रिपोर्ट                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ 8 सितंबर, 2023 को जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC) ने प्रथम ग्लोबल स्टॉकटेक (Global Stocktake) के तकनीकी संवाद पर एक संश्लेषण रिपोर्ट जारी की है।</li> <li>❖ ग्लोबल स्टॉकटेक एक ऐसी प्रक्रिया है जो पेरिस समझौते के कार्यान्वयन की निगरानी करती है तथा लक्ष्यों की दिशा में प्रगति का मूल्यांकन करती है।</li> <li>❖ ग्लोबल स्टॉकटेक GST) शुद्ध शून्य उत्सर्जन में परिवर्तन में तेजी लाने के लिए वैश्विक महत्वाकांक्षा और प्रतिस्पर्धा का आह्वान करती है।</li> <li>❖ ग्लोबल स्टॉकटेक की स्थापना (2015) पेरिस समझौते के अनुच्छेद 14 के तहत की गई थी। यह राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदानों के कार्यान्वयन को पेरिस समझौते के व्यापक लक्ष्यों से जोड़ता है।</li> </ul>  |
| एशियाई तटरक्षक एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक              | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ 5-8 सितंबर, 2023 तक इस्तांबुल, तुर्की में 'एशियाई तटरक्षक एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक' (Heads of Asian Coast Guard Agencies Meeting- HACGAM) का 19वां संस्करण आयोजित किया गया।</li> <li>❖ तुर्की गणराज्य की 100वीं वर्षगांठ मनाने के क्रम में तुर्की द्वारा बैठक की मेजबानी की गई। भारतीय तटरक्षक बल (ICG) के महानिदेशक डीजी राकेश पाल के नेतृत्व में चार सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने बैठक में भाग लिया।</li> <li>❖ HACGAM 23 सदस्यीय तटरक्षक एजेंसियों और दो सहयोगी सदस्यों वाला एक स्वतंत्र मंच है। इसकी दो सदस्य एजेंसियों में निम्नलिखित शामिल हैं: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ एशिया में जहाजों के खिलाफ समुद्री डकैती और सशस्त्र डकैती से निपटने पर क्षेत्रीय सहयोग समझौता (ReCAAP)</li> <li>+ नशीली दवाओं और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय (UNODC)</li> </ul> </li> </ul> |
| श्रीलंका से तमिल लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने की अपील | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ हाल ही में, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय (OHCHR) द्वारा 'प्रमोटिंग रिकॉन्सिलिएशन अकाउंटैबिलिटी एंड ह्यूमन राइट्स इन श्रीलंका' नामक एक रिपोर्ट जारी की गई है।</li> <li>❖ इस रिपोर्ट को आधार बनाते हुए भारत ने श्रीलंका से तमिल लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने की अपील की है।</li> <li>❖ इस रिपोर्ट में श्रीलंका में स्थानीय सरकार के गठन के लिए चुनाव कराने और 13 वें संशोधन के तहत प्रांतीय परिषदों के पुनर्गठन में हुई देरी को रेखांकित किया गया है।</li> </ul>   |
| गैबॉन में सैन्य तख्तापलट                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ 4 सितंबर, 2023 को जनरल ब्राइस क्लोटायर ओलिगुई न्गुएमा (General Brice Clotaire Oligui Nguema) ने गैबॉन के अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। सैन्य नेता को देश की संवैधानिक अदालत ने एक टेलीविजन समारोह के दौरान शपथ दिलाई।</li> <li>❖ 30 अगस्त, 2023 को गैबॉन में सेना ने सत्ता पलट करते हुए राष्ट्रपति अली बोंगो ओन्डिम्बा (Ali Bongo Ondimba) को घर में नजरबंद कर दिया था।</li> <li>❖ ओलिगुई राष्ट्रपति गार्ड के प्रमुख और अपदस्थ राष्ट्रपति अली बोंगो ओन्डिम्बा के चचेरे भाई हैं।</li> <li>❖ उन्होंने स्वतंत्र, पारदर्शी और विश्वसनीय चुनाव आयोजित करके लोगों को सत्ता लौटाने का वादा किया है।</li> <li>❖ हालाँकि, वह संविधान और चुनावी कानूनों को फिर से लिखने की योजना बना रहे हैं। सैन्य अधिग्रहण के बाद अमेरिका ने गैबॉन को सहायता निलंबित कर दी है।</li> </ul>                         |

## मानचित्र के माध्यम से

### नागॉर्नो-कराबाख क्षेत्र

हाल ही में, अजरबैजान द्वारा नागॉर्नो-कराबाख क्षेत्र में आर्मेनियाई सेना के विरुद्ध सैन्य अभियान आरंभ किया गया।

- ❖ नागॉर्नो-कराबाख दक्षिणी काकेशस में एक भू-आबद्ध पहाड़ी क्षेत्र है, इसे आर्मेनियाई लोगों द्वारा अर्तसख (Artsakh) के नाम से भी संबोधित किया जाता है।
- ❖ वर्ष 1917 में रूसी साम्राज्य के पतन के पश्चात अजरबैजान और आर्मेनिया दोनों देशों ने इस क्षेत्र पर दावा किया था। तब से यह क्षेत्र दोनों देशों के मध्य तनाव का कारण बना हुआ है।
- ❖ इस क्षेत्र को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तेल समृद्ध अजरबैजान के हिस्से के रूप में मान्यता प्राप्त है। किंतु, यहां के अधिकांश निवासी आर्मेनियाई नृजातीय समूह के हैं।



### साहेल क्षेत्र

हाल ही में, साहेल क्षेत्र के तीन देशों (माली, बुर्किना फासो और नाइजर) ने सशस्त्र विद्रोह अथवा बाहरी आक्रमण के खतरों के खिलाफ सहयोग करने के लिए एक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

- ❖ साहेल क्षेत्र पश्चिमी और उत्तर-मध्य अफ्रीका का एक अर्द्ध शुष्क क्षेत्र है।
- ❖ यह सहारा रेगिस्तान के दक्षिणी क्षेत्र के साथ-साथ अटलांटिक महासागर से लाल सागर तक फैला हुआ है।
- ❖ इस क्षेत्र में बुर्किना फासो, कैमरून, चाड, गाम्बिया, गिनी, मॉरिटानिया, माली, नाइजर, नाइजीरिया और सेनेगल देश शामिल हैं।
- ❖ यह उत्तर में सहारा रेगिस्तान और दक्षिण में सवाना के मध्य एक संक्रमण-कालीन क्षेत्र का निर्माण करता है।



### मारकेश

हाल ही में, मोरक्को में 6.8 तीव्रता का भूकंप आया, इसका अधिकेंद्र मारकेश के पास था।

- ❖ मारकेश शहर एटलस पर्वत के गिरिपाद के पश्चिम में स्थित है। इस शहर के प्राचीन खंड 'मेडिना' को 'यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल' घोषित किया गया है।
- ❖ विश्व व्यापार संगठन (WTO) की स्थापना करने वाले मारकेश समझौते पर इसी शहर में वर्ष 1994 में हस्ताक्षर किए गए थे।
- ❖ मारकेश संधि दृष्टिहीन या दृष्टिबाधित लोगों के लिए विशेष रूप से तैयार पाठ्य पुस्तकों के प्रकाशन और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उनके वितरण को आसान बनाती है। यह संधि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा प्रशासित है।



# पर्यावरण एवं जैव विविधता

## पर्यावरणीय प्रदूषण एवं अवनयन

- ♦ वायु गुणवत्ता जीवन सूचकांक 2023
- ♦ प्लास्टिक प्रदूषण से संबंधित वैश्विक संधि का मसौदा
- ♦ हीटवेव के कारण ओजोन प्रदूषण

## पर्यावरणीय प्रदूषण एवं अवनयन

### वायु गुणवत्ता जीवन सूचकांक 2023

हाल ही में, शिकागो विश्वविद्यालय के ऊर्जा नीति संस्थान (Energy Policy Institute) द्वारा वायु गुणवत्ता जीवन सूचकांक, 2023 [Air Quality Life Index (AQLI) 2023] नामक रिपोर्ट प्रकाशित की गई।

- ❖ इस रिपोर्ट में 2021 के पार्टिकुलेट मैटर डेटा का विश्लेषण किया गया है तथा बताया गया है कि पार्टिकुलेट मैटर (पीएम) 2.5 जैसे हानिकारक प्रदूषक इंसान को कैसे प्रभावित करते हैं।



### रिपोर्ट के मुख्य बिंदु

- ❖ **वायु प्रदूषण एवं जीवन प्रत्याशा:** वायु प्रदूषण पृथ्वी पर मानव जीवन प्रत्याशा के लिए सबसे बड़ा बाह्य खतरा है। वैश्विक जीवन प्रत्याशा पर पी. एम. 2.5 का दुष्प्रभाव धूम्रपान से होने वाले नुकसान के बराबर है।
  - + साथ ही यह नुकसान शराब और असुरक्षित पानी के उपयोग से होने वाले नुकसान से 3 गुना से अधिक है।
- ✓ **भारतीय परिदृश्य**
- ❖ **उच्च कण प्रदूषण सांद्रता:** विश्व के सभी देशों में से, भारत को वायु प्रदूषण से सबसे अधिक स्वास्थ्य बोझ (Greatest Health Burden) का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उच्च कण प्रदूषण सांद्रता (High Particulate Pollution Concentrations) से देश की एक बड़ी जनसंख्या प्रभावित हो रही है।
- ❖ **सर्वाधिक प्रदूषित क्षेत्र:** भारत का सबसे प्रदूषित क्षेत्र उत्तरी मैदान है, जहां आधे अरब से अधिक लोग और देश की 38.9 प्रतिशत आबादी रहती है।

## जलवायु परिवर्तन

- ♦ कार्बन बजट में उचित हिस्सेदारी
- ♦ कार्बन उत्सर्जन एवं मानव पर इसके प्रभाव
- ♦ जलवायु से बच्चों की सुरक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र समिति के दिशानिर्देश

## वन्यजीव संरक्षण

- ♦ भारत के हाथी गलियारों पर रिपोर्ट
- ♦ आक्रामक विदेशी प्रजातियों पर रिपोर्ट

## जैव विविधता

- ♦ यूरोपीय बम्बलबी की प्रजातियों पर खतरा

## पर्यावरण संरक्षण

- ♦ हिमालयी राज्यों में स्थित शहरों की वहन क्षमता
- ♦ इंटेलिजेंट वॉटर बॉडी मैनेजमेंट सिस्टम प्रोजेक्ट : तमारा

## न्यूज बुलेट्स

- ❖ **जीवन प्रत्याशा:** यदि डब्ल्यूएचओ के दिशा-निर्देशों का पालन नहीं किया गया तो औसत भारतीय निवासी की जीवन प्रत्याशा 5.3 वर्ष कम हो सकती है।
  - + उत्तरी मैदान क्षेत्र में, यदि प्रदूषण का स्तर बना रहा तो औसत निवासी लगभग 8 वर्ष की जीवन प्रत्याशा खोने की राह पर है।
  - + राजधानी दिल्ली विश्व का सबसे प्रदूषित मेगासिटी है, जिसका वार्षिक औसत कण प्रदूषण 126.5  $\mu\text{g}/\text{m}^3$  है, जो WHO दिशा-निर्देश से 25 गुना अधिक है।
- ✓ **वैश्विक परिदृश्य**
- ❖ **विश्व के विभिन्न देशों की स्थिति**
  - + **अफ्रीका में प्रदूषण:** कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, रवांडा, बुरुंडी और कांगो गणराज्य विश्व के 10 सबसे प्रदूषित देशों में से हैं।
  - + **चीन:** 2013 से चीन में वायु प्रदूषण के स्तर में 42.3 प्रतिशत की गिरावट आई है। इन सुधारों के कारण, औसत चीनी नागरिक के 2.2 वर्ष अधिक जीने की उम्मीद है।
  - + **लैटिन अमेरिका:** लैटिन अमेरिका के सबसे प्रदूषित क्षेत्र ग्वाटेमाला, बोलीविया और पेरू में स्थित हैं। यदि ये क्षेत्र वायु गुणवत्ता से संबंधित डब्ल्यूएचओ दिशा-निर्देशों का पालन करें तो यहां औसत निवासी की जीवन प्रत्याशा 3 से 4.4 वर्ष बढ़ सकती है।
  - + **दक्षिण एशिया में प्रदूषण:** बांग्लादेश, भारत, नेपाल और पाकिस्तान दक्षिण एशिया के चार सर्वाधिक प्रदूषित देश हैं, जहां विश्व की लगभग एक-चौथाई आबादी रहती है।
    - बांग्लादेश, भारत, नेपाल और पाकिस्तान में, निवासियों की जीवन प्रत्याशा औसतन लगभग 5 वर्ष कम होने की आशंका है।
    - उच्च प्रदूषण के कारण वैश्विक स्तर पर नष्ट हुए कुल जीवन वर्षों (total life years lost globally due to high pollution) में से 52.8 प्रतिशत दक्षिण एशिया में हुए हैं।

## प्लास्टिक प्रदूषण से संबंधित वैश्विक संधि का मसौदा

4 सितंबर, 2023 को संयुक्त राष्ट्र की अंतर सरकारी वार्ता समिति (Intergovernmental Negotiating Committee - INC) द्वारा प्लास्टिक प्रदूषण पर एक शून्य मसौदा (Zero Draft) जारी किया गया।

- ❖ यह मसौदा प्लास्टिक प्रदूषण को वैश्विक स्तर पर बेहतर तरीके से प्रबंधित करने में अंतरराष्ट्रीय रूप से बाध्यकारी उपकरण विकसित करने में सहायक माना जाता है।



### मुख्य बिंदु

- ❖ इस मसौदे को चार भागों में विभाजित किया गया है:
  - + **भाग I:** इसमें शून्य मसौदे के निर्मित करने के उद्देश्यों (Objectives) को शामिल किया गया है।
  - + **भाग II:** इसे मोटे तौर पर प्लास्टिक प्रदूषण को दूर करने के उद्देश्य से प्लास्टिक और प्लास्टिक उत्पादों के जीवन चक्र (Life Cycle) के आस-पास संरचित (Structured Around) किया गया है।
    - इसका उद्देश्य संसाधन दक्षता और चक्र्रीय अर्थव्यवस्था दृष्टिकोण से प्लास्टिक के सतत उत्पादन और खपत को बढ़ावा देना है।
  - + **भाग III और IV:** तीसरे और चौथे भाग में शून्य मसौदा के कार्यान्वयन को सामूहिक रूप से करने के उद्देश्य से उपायों के विभिन्न विकल्पों की रूपरेखा दी गई है।

### प्लास्टिक प्रदूषण के प्रभाव

- ❖ **पारिस्थितिक तंत्र को नुकसान:** प्लास्टिक जैव निम्नीकरणीय नहीं होता है, इस कारण से यह एक बार पारिस्थितिक तंत्र में प्रवेश कर जाने के पश्चात लंबे समय तक बना रहता है।
- ❖ **समुद्री जीवों की मृत्यु:** समुद्री पक्षी, व्हेल, मछलियां, कछुए आदि प्लास्टिक कचरे को भोज्य पदार्थ समझ कर खा लेते हैं। इस प्रकार प्लास्टिक इनके आहार श्रृंखला का भाग बन जाती है, जो इन जीवों की मृत्यु का कारण भी बनता है।
- ❖ **पर्यटन पर प्रभाव:** विश्व के विभिन्न पर्यटन स्थलों पर मानवीय गतिविधियों में वृद्धि के साथ ही प्लास्टिक कचरे की समस्या भी बढ़ गई है। इससे पर्यटन स्थलों के सौंदर्य मूल्य को नुकसान पहुंचाता है।
- ❖ **प्लास्टिक प्रदूषण की वित्तीय लागत:** प्लास्टिक कचरे की समस्या के समाधान से संबंधित गतिविधियों की आर्थिक लागत उच्च होती है। महासागर में प्लास्टिक प्रदूषण से वैश्विक स्तर पर नीली अर्थव्यवस्था (Blue Economy) को नुकसान होने की संभावना है।
- ❖ **वायु प्रदूषण:** प्लास्टिक जलाने से वातावरण में जहरीले रसायन निकलते हैं, जो सामान्य स्वास्थ्य पर असर डालते हैं और जीवित प्राणियों में श्वसन संबंधी विकार पैदा करते हैं।

### हीटवेव के कारण ओजोन प्रदूषण

6 सितंबर, 2023 को विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) द्वारा हीटवेव तथा वायु की गुणवत्ता से संबंधित (WMO Bulletin:

Heatwaves Worsen Air Quality and Pollution) नामक रिपोर्ट प्रकाशित की गई।

- ❖ इस रिपोर्ट में हीटवेव एवं ओजोन प्रदूषण पर भी प्रकाश डाला गया है, जिसके अनुसार, हीटवेव से ओजोन प्रदूषण का खतरा बढ़ सकता है।

### रिपोर्ट के मुख्य बिंदु

- ❖ जलवायु परिवर्तन के कारण हीटवेव की आवृत्ति और तीव्रता बढ़ रही है। विश्व के विभिन्न भागों में लगने वाली जंगल की आग इसके जोखिम और गंभीरता को बढ़ाती है। जंगल की आग के धुएं में कई खतरनाक रसायन होते हैं, जो हवा की गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं।
- ❖ वैश्विक स्तर पर होने वाला अधिक कार्बन उत्सर्जन, वातावरण में अधिक ग्रीनहाउस गैसों का कारण बनता है। अल्पकालिक प्रतिक्रियाशील गैसों ओजोन और पार्टिकुलेट मैटर (PM) के उत्पादन का कारण बनते हैं।
- ❖ 2022 में यूरोपीय महाद्वीप में रिकॉर्ड उच्च तापमान दर्ज किया गया, जो अत्यधिक गर्मी और हीटवेव का कारण बना। इसके कारण पार्टिकुलेट मैटर और जमीनी स्तर पर पाए जाने वाले ओजोन (Ground-Level Ozone) दोनों की सांद्रता में वृद्धि हुई।
- ❖ विश्व स्तर पर, मुख्य खाद्य फसलों के लिए ओजोन-प्रेरित फसल हानि (Ozone-Induced Crop Losses) औसतन 4.4%-12.4% है। भारत और चीन के प्रमुख कृषि क्षेत्रों में गेहूं और सोयाबीन के फसलों को होने वाली हानि 15%-30% तक है।
- ❖ अगस्त 2022 में, सहारा के रेगिस्तान से चलने वाली रेगिस्तानी धूल ने भूमध्य सागर तथा यूरोप को असामान्य रूप से उच्च स्तर तक प्रभावित किया। इस प्रकार यूरोप में उच्च तापमान और उच्च एयरोसोल की मात्रा ने मानव स्वास्थ्य को प्रभावित किया।

### ओजोन का प्रभाव

- ❖ **पर्यावरण पर प्रभाव:** उच्च ओजोन सांद्रता वाले क्षेत्रों में स्थित पौधों की विभिन्न प्रकार के प्रक्रियाओं में बाधा उत्पन्न होती है, जिनमें से प्रमुख पत्तियों के सूक्ष्म छिद्रों का बाधित होना है।
  - + यह पौधों में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को कम करके प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में हस्तक्षेप करता है। इसके कारण वनस्पति और पारिस्थितिक तंत्र को नुकसान पहुंच सकता है।
- ❖ **फसलों पर प्रभाव:** ओजोन के स्तर में वृद्धि ने वैश्विक स्तर पर कृषि पर नकारात्मक प्रभाव डाला है। पृथ्वी के निचले स्तर पर ओजोन की सांद्रता में वृद्धि से फसल हानि होती है। इससे वैश्विक स्तर पर खाद्य सुरक्षा के समक्ष समस्या उत्पन्न हो सकती है।

### जलवायु परिवर्तन

### कार्बन बजट में उचित हिस्सेदारी

हाल ही में, द लैंसेट प्लैनेटरी हेल्थ (The Lancet Planetary Health) जर्नल में लीड्स विश्वविद्यालय (University of Leeds) और बार्सिलोना विश्वविद्यालय (University of Barcelona) के शोधकर्ताओं द्वारा एक अध्ययन प्रकाशित किया गया है।

- ❖ इसके अनुसार, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, लक्जमबर्ग, नीदरलैंड, स्वीडन और यूनाइटेड किंगडम जैसे विश्व के कुछ विकसित देशों को 2022 के स्तर के कार्बन उत्सर्जन को 95% तक कम करने में 200 साल से अधिक का समय लग सकता है।
- ❖ इसमें इस तथ्य पर प्रकाश डाला गया है कि यदि इन देशों द्वारा कार्बन उत्सर्जन का स्तर जारी रहता है, तो इन देशों द्वारा कार्बन बजट में उचित हिस्सेदारी (Fair share in Carbon Budget) से 27 गुना अधिक उत्सर्जन किया जाएगा।
- ❖ कार्बन बजट में उचित हिस्सा, कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन की वह मात्रा है, जो 1.5 डिग्री सेल्सियस से नीचे तापमान रहने की 50 प्रतिशत संभावना के लिए उत्सर्जित किया जा सकता है।
- ❖ इन उच्च आय वाले देशों के द्वारा हरित विकास किया जा रहा है और आर्थिक विकास को प्राथमिकता दी जा रही है। यह पेरिस समझौते से संबंधित जलवायु प्रतिबद्धताओं के विरुद्ध है। पेरिस समझौता उत्सर्जन में कमी लाने के लिए, राष्ट्रों को उत्पादन और खपत के कार्बन या ऊर्जा-गहन रूपों को समान रूप से कम करने पर केंद्रित है।
- ❖ वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि हरित विकास तभी हो सकता है, जब पेरिस समझौते के अनुरूप उत्सर्जन को कम किया जाए। अध्ययन के अनुसार इसका एक समाधान डिकप्लिंग (Decoupling) है, जिसके अंतर्गत सकल घरेलू उत्पाद (GDP) की प्रति इकाई पर CO<sub>2</sub> उत्सर्जन में कमी की जाती है।
- ❖ पेरिस समझौता जलवायु परिवर्तन पर कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतरराष्ट्रीय संधि है। इसने जलवायु परिवर्तन की समस्या के समाधान से संबंधित क्योटो प्रोटोकॉल का स्थान लिया है।
- ❖ इसे दिसंबर 2015 में पेरिस में COP 21 में 196 पक्षों द्वारा अपनाया गया और यह नवंबर 2016 में लागू हुआ।
- ❖ पेरिस समझौते का लक्ष्य औद्योगिक काल के पूर्व के स्तर की तुलना में वैश्विक तापमान में बढ़ोत्तरी को 2 डिग्री सेल्सियस से कम रखना और 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने के लिये विशेष प्रयास करना है।

## कार्बन उत्सर्जन एवं मानव पर इसके प्रभाव

- हाल ही में, ऑस्ट्रिया के ग्राज विश्वविद्यालय (University of Graz) द्वारा एनर्जीज (Energies) नामक पत्रिका में एक अध्ययन प्रकाशित किया गया है। इस अध्ययन में पाया गया है कि यदि वर्ष 2100 तक वैश्विक ऊष्मण (ग्लोबल वार्मिंग) 2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है या इससे अधिक हो जाता है, तो इससे लगभग 1 अरब लोगों की मृत्यु हो सकती है।
- ❖ तेल और गैस उद्योग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 40 प्रतिशत से अधिक कार्बन उत्सर्जन करता है, जिससे दूरदराज और अविकसित समुदायों के लोग प्रभावित होते हैं।
  - ❖ अध्ययन में पाया गया कि कार्बन उत्सर्जन के प्रभाव से होने वाली मानव मृत्यु दर '1,000-टन नियम' (1,000-ton rule) से



- संबद्ध है। इस नियम के अनुसार, मानव द्वारा 1000 टन जीवाश्म ईंधन जलाने पर एक व्यक्ति की मृत्यु समय से पहले हो जाती है।
- ❖ इस त्रासदी को रोकने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ऊर्जा संरक्षण और ऊर्जा दक्षता को बढ़ाने की आवश्यकता है। औद्योगिक, कृषि, परिवहन, आवासीय या घरेलू स्तर पर ऊर्जा प्रयोग को युक्तिसंगत बनाने की आवश्यकता है।
- ❖ तकनीकी विकास के माध्यम से कार्बन अपशिष्ट प्रबंधन किया जा सकता है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का संग्रहण और भंडारण प्रमुख है। इसके उपयोग को व्यापक बनाने की आवश्यकता है।
- ❖ इसके साथ ही कार्बन करों द्वारा जीवाश्म ईंधन के प्रयोग को होतासाहित किया जाना चाहिए और कार्बन सब्सिडी को समाप्त किया जाना चाहिए।
- ❖ वैश्विक अर्थव्यवस्था के विकारबनीकरण (Decarbonization) में तेजी लाने की आवश्यकता है। इसके लिए सरकार, कॉर्पोरेट और नागरिक सहित सभी हितधारकों द्वारा प्रयास करने की आवश्यकता है।

## जलवायु से बच्चों की सुरक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र समिति के दिशा-निर्देश

- हाल ही में, बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र समिति (United Nations Committee on the Rights of the Child) ने एक नये दिशानिर्देश में जलवायु से बच्चों की सुरक्षा के लिए विश्व के विभिन्न सरकारों से कार्रवाई करने का आह्वान किया गया है।
- ❖ यह दिशा-निर्देश सामान्य टिप्पणी संख्या 26 (General Comment No. 26) के नाम से जारी किया गया।
  - ❖ यह 'बच्चों के अधिकारों पर पर्यावरणीय गिरावट और जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों' को संबोधित करने; एक स्वच्छ, स्वस्थ और टिकाऊ विश्व सुनिश्चित करने तथा भविष्य की पीढ़ी के लिए इसे संरक्षित करने हेतु एक कानूनी ढांचा प्रदान करता है।
  - ❖ दिशा-निर्देश यह निर्दिष्ट करता है कि राज्य न केवल बच्चों के अधिकारों को तत्काल नुकसान से बचाने के लिए जिम्मेदार हैं, बल्कि भविष्य में राज्यों के कृत्यों या आज कार्रवाई करने में विफलता के कारण उनके अधिकारों के संभावित उल्लंघन के लिए भी जिम्मेदार हैं।
  - ❖ इसके अलावा, यह रेखांकित करता है कि राज्यों को न केवल उनकी सीमाओं के भीतर होने वाले पर्यावरणीय नुकसान के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, बल्कि उनकी सीमाओं से परे पर्यावरणीय क्षति और जलवायु परिवर्तन के हानिकारक प्रभावों के लिए भी जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।
  - ❖ बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र समिति द्वारा बच्चों के स्वच्छ, स्वस्थ और टिकाऊ वातावरण के अधिकार की स्पष्ट रूप से पुष्टि की गई है।
  - ❖ इसने बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (UN Convention on the Rights of the Child) के तहत सदस्य राज्यों के दायित्वों (Member States' obligations) की व्यापक व्याख्या की है।
  - ❖ वर्ष 1989 में, बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय ने बच्चों के अधिकारों को रेखांकित किया था, जिसमें जीवन, स्वास्थ्य, स्वच्छ पेयजल तथा अस्तित्व और विकास का अधिकार शामिल है। इसे 196 देशों द्वारा अनुमोदित किया गया है।

## वन्यजीव संरक्षण

### भारत के हाथी गलियारों पर रिपोर्ट

हाल ही में, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा हाथी गलियारा रिपोर्ट, 2023 (Elephant Corridor Report 2023) जारी की गई है। इसके अनुसार, भारत के 15 हाथी रेंज वाले राज्यों में हाथी कॉरिडोर में 40 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।

- ❖ वर्ष 2010 में भारत सरकार द्वारा पंजीकृत 88 के मुकाबले हाथी गलियारों की संख्या बढ़कर 150 हो गई है। देश में हाथियों की आबादी 30,000 से अधिक होने का अनुमान है।



#### रिपोर्ट के मुख्य बिंदु

- ❖ भारत के अधिकांश गलियारे राज्य की सीमाओं के भीतर पाए गए हैं और हाथियों द्वारा गलियारों के उपयोग में 40 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
- ❖ केंद्र ने हाथियों द्वारा आवाजाही के लिए उपयोग किए जाने वाले 62 नए गलियारों की पहचान की है। भारत में कुल गलियारों में से 26 बंगाल में हैं, जो देश के संपूर्ण हाथी गलियारों का 17% है।
- ❖ पूर्व-मध्य क्षेत्र में 35 प्रतिशत यानी 52 गलियारे स्थित हैं, जबकि उत्तर-पूर्व क्षेत्र में 32 प्रतिशत यानी कुल 48 गलियारे स्थित हैं।
- ❖ दक्षिणी भारत में 32 यानी 21 प्रतिशत हाथी गलियारे दर्ज किए गए, जबकि उत्तरी भारत में 18 गलियारे या 12 प्रतिशत हाथी गलियारे स्थित हैं।

#### हाथी कॉरिडोर

- ❖ **परिचय:** हाथी कॉरिडोर भूमि का वह संकरा गलियारा या रास्ता होता है, जो हाथियों के विस्तृत अधिवासों को परस्पर जोड़ता है। यह जानवरों के आवागमन के लिये एक पाइपलाइन का कार्य करता है।
  - + हाथियों के लिए दो जंगलों के बीच एक गलियारा विकसित कर उसका संरक्षण किया जा सकता है। विशेषज्ञ मानते हैं कि इससे हाथियों को जंगलों में ही रोकना संभव होगा।
- ❖ **महत्व:** दुर्घटनाओं और अन्य कारणों से होने वाली पशु मृत्यु दर को कम करने में हाथी कॉरिडोर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए आवागमन गलियारों को संरक्षित करने के लिए वनों का सीमांकन अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है।

#### महत्व

- ❖ **मानव-हाथी संघर्ष को कम करना:** हाथियों को चरने के लिये एक विस्तृत मैदान की आवश्यकता होती है, किंतु अधिकांश रिजर्व इस आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर पाते। जिसके कारण हाथी अपने आवास से बाहर निकल आते हैं तथा यह मनुष्य के साथ हाथियों के संघर्ष का कारण बन जाता है।
- ❖ **कानूनी संबंधी अस्पष्टता:** भारत के लगभग 40% हाथी अधिवास क्षेत्र संरक्षित पार्कों और अभ्यारण्यों से बाहर अवस्थित हैं। इन

क्षेत्रों के आवागमन गलियारों को कोई विशिष्ट कानूनी संरक्षण भी प्राप्त नहीं है।

- ❖ **संकट:** विकास कार्यों के कारण हाथियों के प्राकृतिक आवास नष्ट हो रहे हैं। कोयला खनन तथा लौह अयस्क का खनन ऐसे दो प्रमुख कारक हैं, जो हाथी गलियारे को नुकसान पहुंचा रहे हैं।

#### संरक्षण की स्थिति

- ❖ एशियाई हाथियों को IUCN की संकटग्रस्त प्रजातियों की लाल सूची में 'लुप्तप्राय' (Endangered) के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।
- ❖ यह वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की अनुसूची-I, IUCN रेड लिस्ट में लुप्तप्राय (Endangered) तथा CITES के परिशिष्ट-I में सम्मिलित है।

### आक्रामक विदेशी प्रजातियों पर रिपोर्ट

4 सितंबर, 2023 को जैव विविधता और पारिस्थितिक तंत्र सेवाओं पर अंतर सरकारी विज्ञान-नीति मंच (IPBES) ने आक्रामक विदेशी प्रजातियों (Invasive Alien Species - IAS) की स्थिति और उन्हें नियंत्रित करने के तरीकों पर एक रिपोर्ट जारी की गई।

- ❖ इस रिपोर्ट के अनुसार, वैश्विक स्तर पर **37,000 से अधिक विदेशी प्रजातियों** (Alien Species) की पहचान की गई है, जिनमें से **3,500 आक्रामक** (Invasive) हैं। इन 37,000 प्रजातियों में 6 प्रतिशत पौधे, 22 प्रतिशत अकशेरुकी (invertebrates), 14 प्रतिशत कशेरुकी (vertebrates) और 11 प्रतिशत सूक्ष्म जीव (microbes) हैं।
- ❖ विश्व के **80 प्रतिशत देशों** के पास अपनी राष्ट्रीय जैव विविधता योजनाओं (National Biodiversity Plans) में **आक्रामक विदेशी प्रजातियों के प्रबंधन से संबंधित लक्ष्य** हैं। लेकिन इनमें से केवल **17 प्रतिशत देशों** के पास इस प्रकार के **राष्ट्रीय कानून या नियम** (laws or regulations) हैं, जो विशेष रूप से इन समस्याओं के समाधान से संबंधित हैं।
- ❖ रिपोर्ट यह भी दर्शाया गया है कि **45 प्रतिशत देश जैविक आक्रमण के प्रबंधन** (Management of Biological Invasions) में **निवेश नहीं** करते हैं।
- ❖ विश्व के विभिन्न महाद्वीपों में जैविक आक्रमण के प्रभाव विभिन्न स्तर पर देखे गए हैं। वर्तमान में जैविक आक्रमणों का **34 प्रतिशत प्रभाव अमेरिका** में, **31 प्रतिशत प्रभाव यूरोप और मध्य एशिया** में, **25 प्रतिशत प्रभाव एशिया और प्रशांत क्षेत्र** में तथा केवल लगभग **7 प्रतिशत प्रभाव अफ्रीका** में देखा गया है।
- ❖ आक्रामक विदेशी प्रजातियां जैसे पौधे और जीव हो सकते हैं जिन्हें मनुष्य द्वारा किसी अन्य नए क्षेत्रों में लाया जाता है। उदाहरण के लिए, मलेरिया, जीका और वेस्ट नाइल फीवर (West Nile Fever) जैसी बीमारियां एडीज एल्बोपिक्टस (Aedes Albopictus) और एडीज एजिप्टी (Aedes Aegyptii) जैसी आक्रामक विदेशी मच्छर (Invasive Alien Mosquito) प्रजातियों द्वारा फैलती हैं।
- ❖ इनमें से आक्रामक विदेशी प्रजातियां प्रकृति पर **नकारात्मक प्रभाव डालती** हैं। आक्रामक विदेशी प्रजातियों में **प्रजनन एवं वृद्धि दर तीव्र** होती है। इनमें विभिन्न प्रकार की पर्यावरणीय परिस्थितियों में जीवित रहने की क्षमता होती है। आक्रामक विदेशी प्रजातियां जैव विविधता हानि का एक प्रमुख चालक हैं।

## जैव विविधता

### यूरोपीय बम्बलबी की प्रजातियों पर खतरा

हाल ही में, नेचर पत्रिका में प्रकाशित एक शोध अध्ययन के अनुसार, अगले 40-60 वर्षों में 75% से अधिक यूरोपीय बम्बलबी (European bumblebee) प्रजातियां खतरे में पड़ सकती हैं।



- ❖ अध्ययन के अनुसार वर्तमान में गैर-संकटग्रस्त वाली मानी जाने वाली यूरोपीय बम्बलबी प्रजातियों में से लगभग 38 से 76% के पारिस्थितिक रूप से उपयुक्त क्षेत्र में वर्ष 2061-2080 तक कम से कम 30% तक कमी आने का अनुमान है।
- ❖ इनकी जनसंख्या में कमी का प्रमुख कारण मानव गतिविधि के कारण आवासों में गिरावट और जलवायु परिवर्तन को माना जा रहा है। मानव की संसाधन संबंधी आवश्यकताओं के कारण जानवरों के प्राकृतिक पर्यावास को नुकसान हुआ है। इसके साथ ही संसाधन के अंधाधुंध उपयोग तथा उपभोग ने जलवायु परिवर्तन को भी प्रेरित किया है।
- ❖ इस शोध अध्ययन में अवलोकन संबंधी डेटा 1901-1970 (अतीत) और 2000-2014 (वर्तमान दिन) के लिए गए हैं।
- ❖ 2061-2080 की अवधि में आर्कटिक और अल्पाइन वातावरण में पाई जाने वाली इनकी प्रजातियां यूरोप में विलुप्त होने के कगार पर हो सकती हैं, जबकि स्कैंडिनेविया (Scandinavia) के कुछ हिस्से संभावित रूप से विस्थापित या खतरे में पड़ी इन प्रजातियों के लिए शरणस्थल बन सकते हैं।
- ❖ बम्बलबी मधुमक्खियों की एक प्रजाति है, जिन्हें उत्तरी गोलाद्ध के ठंडे और समशीतोष्ण क्षेत्रों में फसलों के परागण के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है।
- ❖ बम्बलबी प्रजाति एक तरह का सामाजिक कीट है। यह प्रजाति खुले खेतों में रहती है और घोंसला बनाती है। यह सूरजमुखी और तिपतिया घास (Clover) जैसे खाद्य पौधों को खाती है।

## पर्यावरण संरक्षण

### हिमालयी राज्यों में स्थित शहरों की वहन क्षमता

हाल ही में, केंद्र सरकार द्वारा 13 हिमालयी राज्यों में स्थित शहरों और पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्रों सहित हिल स्टेशनों की 'वहन क्षमता' (Carrying Capacity) का मूल्यांकन करने के लिए 13 सदस्यीय तकनीकी समिति (Technical Committee) का प्रस्ताव रखा गया है।

- ❖ ज्ञात है कि कुछ समय पूर्व सर्वोच्च न्यायालय में हिमालय क्षेत्र के नियोजित विकास से संबंधित एक जनहित याचिका दायर की गई थी।
- ❖ हिमालयी राज्यों में होने वाले भूस्खलन (Landslips) सहित

प्राकृतिक आपदाओं ने सर्वोच्च न्यायालय को यहां स्थित पहाड़ी कस्बों (Hill Towns) और शहरों की वहन क्षमता के पुनर्मूल्यांकन पर विचार करने के लिए प्रेरित किया है।

- ❖ जनवरी 2020 में केंद्र सरकार ने 13 हिमालयी राज्यों को उनके शहरों और पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्रों सहित हिल स्टेशनों की वहन क्षमता का आकलन (Assessing The Carrying Capacity) करने के लिए दिशा-निर्देश प्रसारित किए थे।
- ❖ इन दिशा-निर्देशों को जीबी पंत राष्ट्रीय हिमालय पर्यावरण संस्थान (GB Pant National Institute of Himalayan Environment) द्वारा तैयार किया गया था, जिसके अनुसार प्रत्येक हिल स्टेशन की 'सटीक वहन क्षमता' का आकलन करने के लिए सूक्ष्म और व्यापक जानकारी आवश्यक है।
- ❖ इसके अलावा, 19 मई, 2023 को केंद्र सरकार ने सभी 13 राज्यों को हिल स्टेशनों की वहन क्षमता से संबंधित अध्ययन और कार्य योजना को प्रस्तुत करने के लिए एक स्मरण-पत्र (reminder) भेजा था।
- ❖ अतः केंद्र सरकार ने अपने हलफनामे में सर्वोच्च न्यायालय से आग्रह किया गया है कि वह हिमालयी राज्यों को समयबद्ध तरीके से अपनी कार्रवाई रिपोर्ट और कार्य योजना प्रस्तुत करने के लिए हस्तक्षेप करे।
- ❖ वहन क्षमता वह अधिकतम जनसंख्या आकार है, जिसे कोई पारिस्थितिक तंत्र नकारात्मक रूप से प्रभावित हुए बिना अपने आपको बनाए रख सकता है।
- ❖ भारतीय हिमालयी क्षेत्र, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, असम और पश्चिम बंगाल में 2,500 किमी. क्षेत्र में विस्तृत है।

### इंटेलिजेंट वॉटर बॉडी मैनेजमेंट सिस्टम प्रोजेक्ट : तमारा

हाल ही में, भारत सरकार के प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड (Technology Development Board - TDB) द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार, इसके द्वारा 'इंटेलिजेंट वॉटर बॉडी मैनेजमेंट सिस्टम का विकास और व्यावसायीकरण' [Development and Commercialization of Intelligent Water Body Management System (IWMS)-TAMARA] नामक परियोजना को समर्थन प्रदान किया जा रहा है।

- ❖ इस परियोजना को ओडिशा के बारीफ्लो लैब्स प्राइवेट लिमिटेड (Bariflo Labs Private Limited) के सहयोग से संचालित किया जा रहा है। इस परियोजना के लिए कुल परियोजना लागत 150 लाख रुपये में से 89 लाख रुपये की धनराशि बोर्ड द्वारा प्रदान की जा रही है।
- ❖ यह परियोजना AMRUT 2.0 मिशन के अनुरूप है, जिसका विशिष्ट लक्ष्य जल निकायों को संरक्षित करना और ब्लू इकोनॉमी के सिद्धांतों के अनुरूप एक चक्रीय जल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है। तमारा पहल के अंतर्गत जल की गुणवत्ता को प्रबंधित करने के लिए सेंसर और इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) आधारित तकनीक का उपयोग किया जाता है।
- ❖ यह न केवल अपशिष्ट जल में सुधार करता है, बल्कि यह भी



## पर्यावरण एवं जैव विविधता

सुनिश्चित करता है कि जल निकाय और जलीय कृषि तालाब स्वच्छ और स्वस्थ रहें।

❖ इसका स्मार्ट सेडिमेंट एरेशन सिस्टम (Smart Sediment

Aeration System) रोबोटिक सिस्टम का उपयोग करके जलाशयों के तल तक अधिक ऑक्सीजन लाने में मदद करता है।

## न्यूज बुलेट्स

|   |  |
|---|--|
| प्रोजेक्ट चीता के एक वर्ष                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ 17 सितंबर, 2023 को प्रोजेक्ट चीता के प्रारंभ का 1 वर्ष पूरा हो गया। ध्यातव्य है कि नामीबिया से 8 चीतों का पहला जल्था 17 सितंबर, 2022 को भारत लाया गया था तथा इसी के साथ 'प्रोजेक्ट चीता' की शुरुआत हुई थी।</li> <li>❖ प्रोजेक्ट चीता अपनी तरह का पहला अंतरमहाद्वीपीय चीता स्थानांतरण कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य स्वतंत्र भारत के एकमात्र विलुप्त बड़े स्तनपायी को वापस लाना है।</li> <li>❖ 1952 में भारत सरकार द्वारा चीता को आधिकारिक तौर पर विलुप्त घोषित कर दिया गया था।</li> </ul>   |
| FUNGA अभियान                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता ने हाल ही में वैश्विक समुदाय से कवक के महत्व पर जोर देने के लिए "वनस्पतियों और जीवों" (Flora and Fauna) के साथ-साथ "कवक" (Funga) शब्द को शामिल करने का आग्रह किया गया है। इस पहल का उद्देश्य कवक के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है।</li> <li>❖ कवक पृथ्वी पर जीवन का अभिन्न अंग हैं, जो अपघटन, वन पुनर्जनन और पोषक चक्रण जैसी प्रक्रियाओं का समर्थन करते हैं।</li> <li>❖ ऐसा अनुमान है कि वैश्विक स्तर पर कवक की लगभग 15 लाख प्रजातियां मौजूद हैं। यह गैर-क्लोरोफिलस (Non-Chlorophyllous), हेटरोट्रोफिक (Heterotrophic), यूकेरियोटिक जीवों (Eukaryotic Organisms) का एक महत्वपूर्ण समूह है।</li> </ul>  |
| इकोसाइड                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ मेक्सिको की 'माया ट्रेन' परियोजना (Mexico's Maya train project) को कुछ विशेषज्ञों द्वारा इकोसाइड (Ecocide) के रूप में वर्णित किया गया है।</li> <li>❖ इनके अनुसार, यह परियोजना मृत्यु की मेगा परियोजना (Megaproject of Death) है, जो युकाटन प्रायद्वीप (Yucatán peninsula) के समृद्ध जंगल (Rich Wilderness), प्राचीन गुफा प्रणालियों (Ancient Cave Systems) और स्वदेशी समुदायों को खतरे में डालती है।</li> <li>❖ इकोसाइड, ग्रीक और लैटिन से उत्पन्न एक शब्द है, जिसका सर्वप्रथम प्रयोग 1970 में जीवविज्ञानी आर्थर गैलस्टन (Arthur Galston) द्वारा किया गया था।</li> </ul>  |
| अरुणाचल प्रदेश में ग्लू ट्रेप पर प्रतिबंध | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ पीपुल्स फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स (पेटा) इंडिया की अपील के बाद अरुणाचल प्रदेश ने चूहे पकड़ने के लिए ग्लू ट्रेप के निर्माण, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है।</li> <li>❖ पेटा इंडिया ने ग्लू ट्रेप के खिलाफ भारतीय पशु कल्याण बोर्ड (एडब्ल्यूबीआई) के निर्देशों को लागू करने के लिए तत्काल कदम उठाने का अनुरोध किया।</li> <li>❖ इसी तरह के परिपत्र आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में जारी किए गए हैं।</li> <li>❖ पशु क्रूरता निवारण (पीसीए) अधिनियम, 1960 की धारा 11 के तहत गोंद जाल का उपयोग एक दंडनीय अपराध है।</li> </ul>  |
| भारत का 54वां टाइगर रिजर्व                | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ हाल ही में, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (National Tiger Conservation Authority) ने राजस्थान में थौलपुर-करौली टाइगर रिजर्व की स्थापना के लिए अपनी मंजूरी दे दी है।</li> <li>❖ इस प्रकार वर्तमान में भारत में कुल 54 टाइगर रिजर्व हो गए हैं तथा यह मुकुंदरा हिल्स, रामगढ़ विषधारी, रणथंभौर और सरिस्का के बाद राजस्थान का पांचवां बाघ अभयारण्य बन गया है।</li> <li>❖ राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की सलाह पर वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 38V के प्रावधानों के तहत राज्य सरकारों द्वारा बाघ अभयारण्यों को अधिसूचित किया जाता है।</li> </ul>  |
| पश्चिमी हूलाक गिबबन                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ हाल ही में, प्राइमेटोलॉजिस्ट्स (Primatologists) ने हूलांगापार गिबबन अभयारण्य (Hollongapar Gibbon Sanctuary) से होकर गुजरने वाले रेलवे ट्रेक के मार्ग परिवर्तन (rerouting) करने का सुझाव दिया है।</li> <li>❖ हूलांगापार गिबबन अभयारण्य, पश्चिमी हूलाक गिबबन (Western Hoolock Gibbon) को समर्पित एक अभयारण्य है, जो पूर्वी असम के जोरहाट जिला में स्थित है।</li> <li>❖ गिबबन सभी वानरों की प्रजाति में सबसे छोटे और तेज होते हैं। हूलाक गिबबन भारत के उत्तर-पूर्व में पाए जाने वाले जानवर हैं, दक्षिण-पूर्व एशिया के उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय जंगलों में पाए जाने वाले गिबबन की 20 प्रजातियों में से एक है।</li> <li>❖ ये ब्रह्मपुत्र (असम)-दिबांग (अरुणाचल प्रदेश) नदी प्रणाली के दक्षिणी तट पर ऊंचे पेड़ों वाले जंगलों में निवास करते हैं।</li> </ul> |

|   |   |
|---|---|
| <p><b>कंपाला मंत्रिस्तरीय घोषणा</b></p>                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>हाल ही में, अफ्रीकी के 48 देश प्रवासन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन पर कंपाला मंत्रिस्तरीय घोषणा (Kampala Ministerial Declaration on Migration, Environment and Climate Change - KDMECC) को अपनाने पर सहमत हुए हैं।</li> <li>केडीएमईसीसी की सह-मेजबानी केन्या और युगांडा की सरकारों ने अंतरराष्ट्रीय प्रवासन संगठन (IOM) और जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC) के समर्थन से किया है।</li> <li>इस घोषणा का उद्देश्य महाद्वीप में मानव गतिशीलता और जलवायु परिवर्तन के कारण उत्पन्न होने वाले मुद्दों को संबोधित करना है। अफ्रीका जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति दुनिया के सबसे संवेदनशील महाद्वीपों में से एक है।</li> </ul>  |
| <p><b>भारत पक्षी स्थिति रिपोर्ट 2023</b></p>                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>हाल ही में, भारत पक्षी स्थिति रिपोर्ट (State of India's Birds Report) 2023 जारी की गई, इस वर्ष के रिपोर्ट को बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी (BNHS), वाइल्डलाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (WII) और जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (ZSI) सहित विभिन्न सरकारी तथा गैर-सरकारी संगठनों के सहयोग से तैयार किया गया है।</li> <li>इस रिपोर्ट के अनुसार, चिह्नित दीर्घकालिक रुझानों वाली (assess long-term trends) 338 पक्षियों की प्रजातियों में से 60% प्रजातियों की संख्या में गिरावट देखी गई है।</li> <li>वर्तमान वार्षिक रुझान वाली (current annual trends) 359 प्रजातियों में से 142 प्रजातियों की संख्या कम हो रहे (reducing) हैं, जिनमें से 64 पक्षियों की प्रजाति में तेजी से गिरावट (rapid decline) दर्ज की गई है।</li> </ul> |
| <p><b>स्किजोस्टैचियम अंडमानिकम</b></p>                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>हाल ही में, भारत सरकार के पेटेंट कार्यालय द्वारा भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण (Botanical Survey of India) को स्किजोस्टैचियम अंडमानिकम (Schizostachyum Andamanicum) के प्रयोग से निर्मित 'पुनः प्रयोज्य पुआल और उसके निर्माण' (reusable straw and its manufacturing) से संबंधित पेटेंट प्रदान किया गया है।</li> <li>स्किजोस्टैचियम अंडमानिकम, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाया जाने वाला एक स्थानिक बांस का पौधा है।</li> <li>इसकी खोज लगभग तीन दशक पहले की गई थी और इसे पेटेंट के दिए जाने से इसके उत्पादन को बढ़ावा मिलने की संभावना है।</li> </ul>  |
| <p><b>फुजियानवेनेटर प्रोडिगियोसस</b></p>                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>हाल ही में, वैज्ञानिकों के एक दल ने दक्षिण-पूर्वी चीन के फुजियान प्रांत में फुजियानवेनेटर प्रोडिगियोसस (Fujianvenator Prodigiosus) नामक जुरासिक काल के डायनासोर के जीवाश्म का पता लगाया है।</li> <li>फुजियानवेनेटर प्रोडिगियोसस एक ऐसा प्राणी माना जाता है, जो फुजियानवेनेटर एवियलन्स नामक समूह का सदस्य है।</li> <li>प्राप्त जीवाश्म काफी हद तक सुरक्षित है, हालांकि इसकी कपाल और उसके पैरों के हिस्से नहीं हैं।</li> <li>प्राप्त जीवाश्म पक्षियों की उद्भव एवं विकासवाद के विभिन्न चरण पर प्रकाश डाल सकता है। ध्यान रहे कि जीवाश्मों की कमी के कारण पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्रारंभिक पक्षियों से संबंधित काफी कम अध्याय हुए हैं।</li> </ul>   |
| <p><b>अफ्रीका जलवायु सम्मेलन 2023</b></p>                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>4 से 6 सितंबर, 2023 के दौरान केन्या की राजधानी नैरोबी में अफ्रीका जलवायु सम्मेलन 2023 (Africa Climate Summit 2023) का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में नैरोबी घोषणा-पत्र (Nairobi Declaration) पर सहमति बनी।</li> <li>इस शिखर सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन के दूरगामी प्रभावों को कम करने के लिए अंतर-महाद्वीपीय सहयोग (Cross-Continental Cooperation) का मार्ग प्रशस्त किया है। इस तीन दिवसीय सम्मेलन की मेजबानी केन्या सरकार और अफ्रीकी संघ द्वारा की गई थी।</li> <li>तीन दिवसीय शिखर सम्मेलन में सरकारों, निजी क्षेत्र, बहुपक्षीय बैंकों और विभिन्न हितधारकों ने पूरे अफ्रीका में हरित विकास, शमन और अनुकूलन प्रयासों के लिए +23 बिलियन की पर्याप्त प्रतिबद्धताएं व्यक्त की हैं।</li> </ul>                          |
| <p><b>भारत में अगस्त में सदी की सबसे कम बारिश</b></p>                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>हाल ही में, भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार, अगस्त 2023 में हुई बारिश एक सदी में सबसे कम रही है। आमतौर पर अगस्त महीने में होने वाली बारिश की तुलना में इस वर्ष 36% कम बारिश हुई है।</li> <li>अगस्त 2023 में वर्षा की मात्रा में कमी के कई कारण हैं। इसमें अल नीनो के मजबूत होने और अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में प्रतिकूल परिस्थितियों का निर्माण आदि प्रमुख हैं।</li> <li>अल नीनो के कारण आमतौर पर भारत में मानसून की वर्षा में कमी होती है और भारतीय उपमहाद्वीप में शुष्क स्थिति निर्मित होती है।</li> </ul>  |
| <p><b>राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण</b></p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>हाल ही में, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (NMCG) के अधिकारियों द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार, सरकार ने पिछले 7 वर्षों में गंगा नदी के किनारे स्थित उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में ट्रीटमेंट प्लांट लगाए हैं, जिनके माध्यम से केवल 20% सीवेज का उपचार किया जा सकता है।</li> <li>राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन को सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत 2011 में एक सोसायटी के रूप में पंजीकृत किया गया था। यह नदी बेसिन दृष्टिकोण अपनाकर प्रदूषण की प्रभावी कमी करने का प्रयास करता है, ताकि गंगा नदी का कायाकल्प सुनिश्चित किया जा सके।</li> </ul>   |



## दुर्लभ खनिज एवं तत्व

- ◆ गुजरात में वैनेडियम धातु की खोज

## अंतरिक्ष एवं ब्रह्मांड विज्ञान

- ◆ 'ओसीरिस-रेक्स' मिशन द्वारा कैप्सूल में एकत्रित नमूनों की वापसी
- ◆ दुर्लभ खनिज एवं तत्व
- ◆ CE20 E13 इंजन

## स्वास्थ्य विज्ञान

- ◆ 'प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान' के कार्यान्वयन पर रिपोर्ट
- ◆ विश्व स्वास्थ्य संगठन की उच्च रक्तचाप रिपोर्ट
- ◆ इन्वर्स वैक्सीन का विकास

## रिपोर्ट एवं सूचकांक

- ◆ रोगानुरोधी प्रतिरोध पर आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन की रिपोर्ट

## कार्यक्रम एवं पहल

- ◆ फार्मा मेडटेक क्षेत्र हेतु राष्ट्रीय नीति एवं योजना

## रक्षा-प्रौद्योगिकी

- ◆ प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल के खरीद को मंजूरी

## जैव-प्रौद्योगिकी

- ◆ मोनोक्लोनल एंटीबॉडी की ऑस्ट्रेलिया से खरीद

## नवीन-प्रौद्योगिकी

- ◆ सरकार सभी उपकरणों में 'नाविक' को अनिवार्य बनाएगी
- ◆ जेनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तथा नौकरियां
- ◆ मसौदा राष्ट्रीय रोबोटिक्स रणनीति जारी

## सूचना प्रौद्योगिकी

- ◆ टेराहर्ट्ज रेंज में मांग सृजन को सुगम बनाने हेतु TRAI का परामर्श पत्र
- ◆ भवनों में डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए रेटिंग फ्रेमवर्क पर विनियमन

## नैनो-प्रौद्योगिकी

- ◆ हाइब्रिड नैनोकणों के उपयोग से कैंसर का इलाज

## विविध


- ◆ राष्ट्रीय पुरस्कारों की नई श्रेणी में 'राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार' का आरंभ

## न्यूज बुलेट्स

## दुर्लभ खनिज एवं तत्व

### गुजरात में वैनेडियम धातु की खोज

हाल ही में, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (GSI) ने गुजरात में अलंग के पास खंभात की खाड़ी से एकत्र किए गए तलछट के नमूनों में दुर्लभ धातु वैनेडियम की खोज की है। यह खोज भारत के भीतर



- अपतटीय तलछट में वैनेडियम को प्राप्त करने की पहली घटना है।
- ◆ वैनेडियम के सबसे बड़े भंडार वाले देशों में चीन, रूस तथा दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं। सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता चीन है, जबकि ब्राजील वैनेडियम का सबसे बड़ा निर्यातक देश है।
  - ◆ वैनेडियम धातु का उपयोग मुख्य रूप से लौह एवं इस्पात उद्योग, मोटर वाहन एवं विमानन उद्योग, गैर-धातु कर्म उद्योग, परमाणु रिएक्टर एवं बैटरी प्रौद्योगिकी में किया जाता है।

- ◆ वैनेडियम एक दुर्लभ, कठोर, सिल्वरी ग्रे, तन्य और आघातवर्धनीय क्षमता से युक्त ट्रांज़िशन धातु है। साथ ही, इसे मजबूत संरचनात्मक क्षमता वाली और जंग रोधी धातु के रूप में भी जाना जाता है।
- ◆ इसे प्राकृतिक रूप से लगभग 65 अलग-अलग खनिजों में पाया जाता है। इनमें मुख्य रूप से पेट्रोनाइट, वैलिडिनाइट, रोस्कोलाइट तथा कानोटाइट आदि शामिल हैं।
  - + इसकी उपस्थिति बॉक्साइट व जीवाश्म ईंधन के भंडार में तथा सीमित मात्रा में उल्का पिंडों में भी मौजूद होती है।
- ◆ भारत में वैनेडियम अयस्क का अनुमानित भंडार (2020 में) 24.63 मिलियन टन है।
- ◆ कर्नाटक, महाराष्ट्र और उड़ीसा वैनेडियम भंडार वाले प्रमुख बड़े राज्य हैं।
- ◆ भारत ने वैनेडियम को चिह्नित 30 क्रिटिकल मिनरल्स में सूचीबद्ध किया है।
- ◆ वर्ष 2021 में भारतीय वैज्ञानिक सर्वेक्षण (GSI) द्वारा अनुमान लगाया गया था कि अरुणाचल प्रदेश भारत में वैनेडियम का प्रधान उत्पादक राज्य हो सकता है।
- ◆ वैनेडियम टाइटेनियम मैग्नेटाइट से सम्बद्ध है। यह क्रोमाइट, लेटराइट, बॉक्साइट और फेरो मैग्नीशियम से समृद्ध चट्टानों जैसे पिरॉक्सेनाइट और गैब्रो के साथ भी महत्वपूर्ण मात्रा में पाया जाता है।

## अंतरिक्ष एवं ब्रह्मांड विज्ञान

## 'ओसीरिस-रेक्स' मिशन द्वारा कैप्सूल में एकत्रित नमूनों की वापसी

24 सितंबर, 2023 को नासा के 'ओसीरिस-रेक्स' (Osiris-Rex) मिशन द्वारा क्षुद्रग्रह बेन्नु (Asteroid Bennu) से नमूनों का संग्रह लेकर एक कैप्सूल अमेरिका के 'यूटा रेगिस्तान' (यूटा परीक्षण और प्रशिक्षण रेंज) में उतरा।

- ❖ 'ओसीरिस-रेक्स' अंतरिक्ष यान द्वारा यह कैप्सूल पृथ्वी से 1,00,000 किलोमीटर से उस वक्त छोड़ा गया, जब वह पृथ्वी के पास से गुजर रहा था।
- ❖ कैप्सूल को पृथ्वी की ओर छोड़ने के पश्चात 'ओसीरिस-रेक्स मिशन' पुनः एक अन्य क्षुद्रग्रह '99942 एपोफिस' (99942 Apophis) का अध्ययन करने के लिए विस्तारित मिशन पर निकल गया। 'ओसीरिस-रेक्स मिशन' अप्रैल 2029 में '99942 एपोफिस' पर पहुंचेगा, जब यह क्षुद्रग्रह पृथ्वी के सबसे नजदीक से होकर गुजरेगा।
- ❖ 'ओसीरिस-रेक्स मिशन' वर्ष 2006 में 'स्टारडस्ट' और वर्ष 2004 में 'जेनेसिस' के बाद नासा का पहला नमूना वापसी मिशन है। इस मिशन ने 6.22 अरब किलोमीटर की यात्रा की है।
- ❖ ओसीरिस-रेक्स जिसे 'ओरिजिनस, स्पेक्ट्रल इंटरप्रिटेशन, रिसोर्स आइडेंटिफिकेशन, सिक्वोरिटी-रिगोलिथिक एक्सप्लोरर' (Origins, Spectral Interpretation, Resource Identification, Security-Regolith Explorer) के रूप में जाना जाता है, को 8 सितंबर, 2016 को लांच किया गया था।
- ❖ यह पृथ्वी के निकट स्थित क्षुद्रग्रह बेन्नु का पर्यवेक्षण करने वाला नासा का प्रथम मिशन है।
- ❖ क्षुद्रग्रह ऐसे चट्टानी पिंड होते हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। वे लगभग 4.6 अरब वर्ष पूर्व निर्मित हुए थे तथा सौरमंडल के अवशेष के रूप में हैं।
  - + सामान्य ग्रहों की तुलना में आकार में छोटे होने के कारण इन्हें लघु ग्रह भी कहा जाता है।
- ❖ बेन्नु एक B-प्रकार का क्षुद्रग्रह है। यह महत्वपूर्ण मात्रा में कार्बन तथा अन्य खनिज पदार्थ धारित करता है। यही कारण है कि इस क्षुद्रग्रह पर आपतित होने वाले प्रकाश का केवल 4% भाग ही परावर्तित हो पता है। इसकी तुलना में पृथ्वी लगभग 30% और शुक्र ग्रह लगभग 65% प्रकाश को परावर्तित कर देते हैं।
- ❖ वैज्ञानिकों के अनुसार, बेन्नु क्षुद्रग्रह का निर्माण सौरमंडल के निर्माण के आरंभिक 10 मिलियन वर्षों में हुआ था। एक लंबे समय के बावजूद भी इसमें बहुत अधिक संरचनात्मक परिवर्तन नहीं हुए हैं। इसका तात्पर्य यह है कि इसकी सतह के नीचे सौरमंडल की उत्पत्ति के समय के रसायन और चट्टानें मौजूद हैं।



- ❖ 'ओसीरिस-रेक्स' द्वारा लाए गए नमूनों से पृथ्वी के निर्माण के साथ-साथ कार्बनिक पदार्थों तथा जल की उत्पत्ति को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलेगी। साथ ही, नमूनों का विश्लेषण सौर मंडल के गठन और जीवन की शुरुआत के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए किया जाएगा।
- ❖ इस मिशन से पूर्व नासा द्वारा 'स्टारडस्ट अंतरिक्ष यान' के माध्यम से धूमकेतु की धूल के नमूने अंतरिक्ष से ले गए थे। इसी प्रकार, जापान के 'हायाबूसा 2 मिशन' द्वारा क्षुद्रग्रह र्युगु (Asteroid Ryugu) से सैपल एकत्र करके पृथ्वी पर वापस लाया गया था। ऐसी उपलब्धि हासिल करने वाला जापान अमेरिका के पश्चात दूसरा देश है।

## CE20 E13 इंजन

हाल ही में, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) द्वारा तमिलनाडु के महेंद्रगिरि में इसरो प्रोपल्शन परिसर (ISRO Propulsion Complex) में CE20 E13 इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया।

- ❖ CE20 क्रायोजेनिक अपर स्टेज (Cryogenic Upper Stage: CUS) का एक महत्वपूर्ण घटक है। यह LVM3 [भू-तुल्यकालिक उपग्रह प्रक्षेपण यान (GSLV) MKIII] यान के ऊपरी चरण (C-25) को शक्ति प्रदान करता है।
- ❖ क्रायोजेनिक इंजन एक रॉकेट इंजन है, जो क्रायोजेनिक ईंधन या ऑक्सीडाइजर का उपयोग करता है, अर्थात् इसके ईंधन या ऑक्सीडाइजर (या दोनों) गैसों को तरलीकृत किया जाता है, और बहुत कम तापमान पर संग्रहीत किया जाता है।
- ❖ क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग रॉकेट लॉन्च के ऊपरी चरण में किया जाता है, क्योंकि वे लॉन्चर वाहन को अधिकतम थ्रस्ट प्रदान करते हैं।
- ❖ LVM3 एक तीन चरण वाला प्रक्षेपण यान है। इन चरणों में दो सॉलिड स्ट्रैप ऑन मोटर्स (S-200), एक तरल कोर चरण (L-110) और एक हाई थ्रस्ट क्रायोजेनिक ऊपरी चरण (C-25) शामिल हैं।
- ❖ इसे केरल के वालियामला में स्थित तरल प्रणोदन प्रणाली केंद्र (Liquid Propulsion System Center:LPSC) ने विकसित किया है।
- ❖ CE20 इंजन के शामिल होने से अतिरिक्त प्रणोदक लोडिंग के साथ स्टड3 की पेलोड क्षमता 450 किलोग्राम तक बढ़ जाएगी, क्योंकि यह इंजन अधिक थ्रस्ट उत्पन्न करने में सक्षम है और अंतरिक्ष में बहुत अधिक पेलोड द्रव्यमान उठा सकता है।
- ❖ CE20 इंजन में प्रमुख संशोधनों में 3D-मुद्रित LOX (लिक्विड ऑक्सीजन), LH2 (लिक्विड हाइड्रोजन), टर्बाइन एग्जॉस्ट केसिंग और थ्रस्ट कंट्रोल वाल्व (TCV) शामिल हैं।
- ❖ यह इंजन गगनयान मिशन के प्रक्षेपण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। गगनयान मिशन में मानव के रहने योग्य वातावरण वाला एक स्पेस कैप्सूल प्रक्षेपित किया जाएगा। यह अंतरिक्ष यात्रियों (क्रू मेंबर्स) को 400 किलोमीटर तक की कक्षा में ले जाने में सक्षम होगा।

## 'प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान' के कार्यान्वयन पर रिपोर्ट

हाल ही में, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण पर संसदीय समिति द्वारा 'प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान' (PMTBMBA) के कार्यान्वयन पर रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

- ❖ रिपोर्ट में कहा गया है कि बैसिल कैल्मेट गुएरीन (Basil Calmet Guerin: BCG) का टीका उन किशोरों और वयस्कों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान नहीं करता है, जिनमें टीबी रोग विकसित होने का खतरा अधिक है।
- ❖ रिपोर्ट के अनुसार, टीबी रोग के संक्रमण को रोकने के लिए जैव चिकित्सा अपशिष्ट को रोगाणुओं से मुक्त करना अत्यंत आवश्यक है।
- ❖ 'प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान' (PMTBMBA) के तहत केवल नि-क्षय (Ni-Kshay) एडॉप्शन मॉडल को बीमारी से निपटने का मुख्य आधार नहीं माना जा सकता है।
- ❖ रिपोर्ट में मुख्य रूप से सिफारिश की गई है कि BCG की प्रभावशीलता का अध्ययन करने के लिए शोध कार्यक्रमों में तेजी लाई जानी चाहिए। साथ ही, सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के तहत पुनः संयोजक BCG टीके (Recombinant BCG Vaccines) की बूस्टर खुराक देने पर विचार किया जाना चाहिए।
- ❖ इसी प्रकार नि-क्षय मित्रों के लिए एक पारदर्शी एवं कठोर चयन प्रक्रिया सुनिश्चित की जानी चाहिए। साथ ही, उनकी जिम्मेदारियों के निष्ठावान निर्वहन हेतु एक प्रभावी निगरानी तंत्र भी स्थापित किया जाना चाहिए।
- ❖ तपेदिक अथवा टीबी रोग माइक्रोबैक्टेरियम ट्यूबरकुलोसिस (Mycobacterium Tuberculosis) नामक बैक्टीरिया के कारण होने वाला एक संक्रामक रोग है। यह मुख्यतः मुख्य फेफड़ों को प्रभावित करता है।
- ❖ टीबी रोग के निवारण हेतु नि-क्षय पोर्टल, फाइंड. ट्रीट ऑल. #EndTB (WHO के सहयोग से जारी) जैसी पहलें आरंभ की गई हैं। वर्ष 2017 से भारत ने 'मास्को घोषणा' को भी अपनाया है।

## विश्व स्वास्थ्य संगठन की उच्च रक्तचाप रिपोर्ट

हाल ही में, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने उच्च रक्तचाप (Hypertension) पर अपनी प्रथम रिपोर्ट जारी की है। इसे 'ग्लोबल रिपोर्ट ऑन हाइपरटेंशन: द रेस अगेस्ट ए साइलेंट किलर' (Global Report on Hypertension: The Race Against a Silent Killer) शीर्षक से जारी किया गया है।

- ❖ रिपोर्ट के अनुसार विश्व स्तर पर महिलाओं (32%) की तुलना में पुरुषों (34%) में उच्च रक्तचाप की स्थिति अधिक पाई जाती है।
- ❖ रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में 31% आबादी उच्च रक्तचाप की समस्या से ग्रस्त है।

- ❖ भारत के संदर्भ में यह भी है कि यहां उच्च रक्तचाप से ग्रस्त केवल 37% लोग ही इसकी जांच करवा पाते हैं तथा केवल 30% लोगों को ही उपचार प्राप्त हो पाता है।
- ❖ उच्च सिस्टोलिक रक्तचाप (High Systolic Blood Pressure) के कारण हृदय रोग से होने वाली मौतें पुरुषों (51%) की तुलना में महिलाओं (54%) में अधिक देखी जाती हैं।
- ❖ उच्च रक्तचाप अथवा हाइपरटेंशन सामान्य से अधिक रक्तचाप की स्थिति को कहा जाता है। इसे डायस्टोलिक (Diastolic) और सिस्टोलिक (Systolic) रक्तचाप के आधार पर मापा जाता है।
- ❖ सिस्टोलिक रक्तचाप दिल की धड़कन के समय धमनियों पर पड़ने वाले दबाव का माप है, वहीं दूसरी तरफ डायस्टोलिक रक्तचाप दो धड़कनों (दो हार्टबीट) के बीच में धमनियों पर दबाव का माप होता है।
- ❖ भारत उच्च रक्तचाप नियंत्रित पहल (India Hypertension Control Initiative: IHCI) देश में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, राज्य सरकारों, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR) और विश्व स्वास्थ्य संगठन-इंडिया (WHO-India) द्वारा शुरू की गई एक सहयोगात्मक पहल है।
  - + इसका उद्देश्य प्रामाणिक उपचार प्रोटोकॉल, नियमित दवा आपूर्ति, रोगी केंद्रित देखभाल, कार्य-साझा करना और डिजिटल सूचना प्रणाली का उपयोग करके उच्च रक्तचाप को नियंत्रित करना है।

## इन्वर्स वैक्सीन का विकास

हाल ही में, शोधकर्ताओं ने स्वप्रतिरक्षी (ऑटोइम्यून) बीमारियों की रोकथाम के लिए एक इन्वर्स वैक्सीन (Inverse Vaccine) विकसित की है।

- ❖ स्वप्रतिरक्षी बीमारियों में प्रतिरक्षा प्रणाली स्वस्थ ऊतकों पर हमला करती है। इन बीमारियों में सोरियाटिक रोग (Psoriatic Disease), मल्टीपल स्केलेरोसिस, टाइप 1 मधुमेह और रुमेटाइड गठिया शामिल हैं।
- ❖ इन्वर्स वैक्सीन DNA पर आधारित होती है। यह लिवर के एक विशेष गुण का उपयोग करके प्रतिरक्षा प्रणाली को एक विशेष अणु को भूल जाने में सक्षम बनाती है। दूसरे शब्दों में, यह वैक्सीन प्रतिरक्षा प्रतिक्रियाओं को रोकने के लिए एंटीजन-विशिष्ट इनहिबिशन (Antigen-Specific Inhibition) का इस्तेमाल करती है।
- ❖ इस तरह यह स्वाभाविक रूप से कुछ अणुओं को शरीर के लिए अहानिकारक रूप में चिह्नित करती है और यह अंग स्वप्रतिरक्षी बीमारियों के हमले से बच जाते हैं। निर्मित की गई वैक्सीन दो चीजों को एकीकृत करती है- एक एंटीजन (एक अणु जिस पर प्रतिरक्षा प्रणाली हमला करती है) और एक अन्य अणु जो किसी पुरानी कोशिका के हिस्से जैसा दिखाई पड़ता है।
- ❖ लीवर पुरानी कोशिका के हिस्सों की 'मित्र' यानी अनुकूल अंग के रूप में पहचान करके प्रतिरक्षा प्रणाली को भ्रमित कर देता है। इस प्रकार यह शरीर के स्वयं के एंटीजेन पर हमला नहीं करती है।
- ❖ यह वैक्सीन, जेनर के टीकाकरण के विपरीत है। जेनर के टीके में, चेचक के लिए एंटीजन-विशिष्ट प्रतिरक्षा पैदा की जाती थी।

## रिपोर्ट एवं सूचकांक

## रोगाणुरोधी प्रतिरोध पर आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन की रिपोर्ट

हाल ही में, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (OECD) द्वारा 'एंब्रेसिंग ए वन हेल्थ फ्रेमवर्क टू फाइट एंटी माइक्रोबॉयल रेजिस्टेंस' (Embracing a One Health Framework to Fight Antimicrobial Resistance) नामक शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की गई है।

- ❖ रिपोर्ट के अनुसार रोगाणुरोधी प्रतिरोध (Antimicrobial Resistant: AMR) रोकथाम योग्य वैश्विक लोक स्वास्थ्य संबंधी खतरा है। AMR के कारण वर्ष 2050 तक वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में वार्षिक रूप से 3.8% की गिरावट दर्ज की जा सकती है।
- ❖ इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में वर्ष 2035 तक AMR के 40% से अधिक हो जाने का अनुमान है।
- ❖ रिपोर्ट में बताया गया है कि मानव और पशु स्वास्थ्य में रोगाणुरोधियों (Antimicrobials) का दुरुपयोग AMR के विस्तार के लिए उत्तरदायी मुख्य कारकों में से एक है।
- ❖ रिपोर्ट में स्वीकार किया गया है कि वन हेल्थ फ्रेमवर्क (One Health Framework) के अनुरूप किया गया निवेश AMR के हानिकारक प्रभावों को सीमित करने के लिए एक लागत प्रभावी साधन प्रदान करता है।
- ❖ 'वन हेल्थ फ्रेमवर्क' एक एकीकृत दृष्टिकोण है, इसके अंतर्गत मानव एवं पशु स्वास्थ्य, कृषि खाद्य प्रणालियों तथा पर्यावरण संरक्षण की दिशा में समन्वित कार्यवाही को बढ़ावा दिया जाता है।
- ❖ जब जीवाणु, वायरस, कवक और परजीवी समय के साथ अपने अंदर इस तरह के बदलाव कर लेते हैं कि उन पर रोगाणुरोधी दवाइयों का कोई भी प्रभाव नहीं होता है, तब इस स्थिति को रोगाणुरोधी प्रतिरोध कहा जाता है।
- ❖ भारत में केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2017 में वन हेल्थ दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित करते हुए 'रोगाणुरोधी प्रतिरोध की रोकथाम पर एक राष्ट्रीय कार्य योजना' आरंभ की गई थी। इसी प्रकार AMR पर गुणवत्तापूर्ण डेटा सृजित करने के लिए राज्य मेडिकल कॉलेज प्रयोगशालाओं का 'राष्ट्रीय AMR निगरानी नेटवर्क' (NARS-Net) भी स्थापित किया गया है।

## कार्यक्रम एवं पहल

## फार्मा मेडटेक क्षेत्र हेतु राष्ट्रीय नीति एवं योजना

26 सितंबर, 2023 को रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा भारत के फार्मा मेडटेक क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास तथा नवाचार पर निम्नलिखित दो पहलों का शुभारंभ किया गया-

- ❖ भारत में फार्मा मेडटेक क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास तथा नवाचार पर राष्ट्रीय नीति (NPRDIP) तथा

- ❖ फार्मा मेडटेक क्षेत्र में अनुसंधान एवं नवाचार को प्रोत्साहन योजना (PRIP)।

## NPRDIP के संदर्भ में

- ❖ इसके उद्देश्यों में निम्नलिखित शामिल हैं:
  - + नवीन दवाओं की त्वरित खोज को प्रोत्साहित करना।
  - + अनुसंधान सेगमेंट में निजी क्षेत्र के निवेश को प्रोत्साहित करना तथा अनुसंधान एवं विकास परिवेश को मजबूत करना।
  - + वर्तमान नीतियों एवं कार्यक्रमों के मध्य समन्वय को बढ़ावा देना।
  - + इस नीति में कहा गया है कि भारतीय फार्मास्युटिकल और मेडटेक अनुसंधान व विकास परिषद (Indian Council of Pharmaceutical and MedTech Research and Development) की स्थापना की जानी चाहिए।
    - यह परिषद उद्योग, शिक्षा जगत एवं अनुसंधान संस्थानों आदि के मध्य सहयोग को सुविधाजनक बनाएगी तथा उसे बढ़ावा देगी।

## PRIP के संदर्भ में

- ❖ इस योजना का उद्देश्य भारतीय फार्मा और मेडटेक क्षेत्र को लागत-आधारित से मूल्य तथा नवाचार-आधारित उद्योग में परिवर्तित करना है।
- ❖ इस योजना के निम्नलिखित दो घटक हैं:
  - + घटक A: राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (NIPERs) में 07 उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना करके अनुसंधान से संबंधित बुनियादी ढांचे को मजबूत करना।
  - + घटक B: 06 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में अनुसंधान को प्रोत्साहित करके फार्मास्युटिकल क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देना। इन क्षेत्रों में नई रासायनिक संस्थाएं, बायो-सिमिलर सहित जटिल जेनेरिक चिकित्सा, चिकित्सा उपकरण, स्टेम सेल थेरेपी और ऑर्गन ड्रग्स तथा रोगाणुरोधी प्रतिरोध शामिल हैं।
- ❖ यह महत्वपूर्ण है कि भारतीय फार्मास्युटिकल उद्योग मात्रा के हिसाब से विश्व का तीसरा सबसे बड़ा फार्मास्युटिकल उद्योग है। इसका वर्तमान आकार लगभग 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर है।

## रक्षा-प्रौद्योगिकी

## प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल के खरीद को मंजूरी

हाल ही में, रक्षा मंत्रालय ने 'वास्तविक नियंत्रण रेखा' (Line of Actual Control: LAC) और नियंत्रण रेखा (Line of Control: LOC) पर तैनाती के लिए निर्धारित 'प्रलय' बैलिस्टिक मिसाइलों (Pralay Ballistic Missiles) की एक रजिमेंट के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है।

- ❖ इन मिसाइलों को चीन और पाकिस्तान से लगी सीमा पर तैनात किया जाएगा। यह पहली बार है कि किसी बैलिस्टिक मिसाइल को पारंपरिक अभियानों के लिए सेवाओं में शामिल किया जाएगा।

- ❖ **मिसाइल की प्रमुख विशेषताएं**
  - + **स्ट्राइक रेंज:** 150 से 500 किलोमीटर।
  - + **भार क्षमता:** 350 किलोग्राम से 700 किलोग्राम के पारंपरिक हथियार ले जाने में सक्षम।
  - + **वारहेड परिवर्तनशीलता:** उच्च विस्फोटक पूर्वनिर्मित विखंडन हथियार (High Explosive Preformed Fragmentation Weapon), प्रवेश-सह-विस्फोट (Penetration-Cum-Explosion: PCE) हथियार, रनवे डेनियल पेनेट्रेशन सबम्युनिशन (Runway Denial Penetration Submunition: RDPS)।
  - + **वर्गीकरण:** अर्द्ध-बैलिस्टिक सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल।
  - + **गतिशीलता:** मध्य-उड़ान प्रक्षेपक परिवर्तन क्षमता (Mid-Flight Trajectory Change Capability)।
  - + **संचालक शक्ति:** उन्नत मार्गदर्शन प्रणालियों के साथ ठोस प्रणोदक रॉकेट मोटर (Solid Propellant Rocket Motor)।
  - + **वैश्विक तुलना:** इसकी तुलना चीन की डोंग फेंग 12 (Dong Feng 12) और रूस की इस्कंदर मिसाइल (Iskandar Missile) से की जा सकती है।
  - + **विकास का इतिहास:** सेना प्रमुख के रूप में जनरल बिपिन रावत के कार्यकाल के दौरान महत्वपूर्ण प्रगति के साथ, इसका विकास वर्ष 2015 के आसपास आरंभ किया गया था।
- ❖ **सामरिक महत्व:** 'प्रलय' सेना की मिसाइल सूची में 'सतह से सतह पर' मार करने वाली सबसे लंबी दूरी की मिसाइल के रूप में उभरेगी।
- ❖ ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के साथ मिलकर 'प्रलय', भारत की **योजनाबद्ध रॉकेट फोर्स** (Planned Rocket Force) में एक केंद्रीय भूमिका निभाएगी, जो देश की **रणनीतिक स्थिति** को मजबूत करेगी।

### जैव-प्रौद्योगिकी

## मोनोक्लोनल एंटीबॉडी की ऑस्ट्रेलिया से खरीद

हाल ही में, भारत ने निपा वायरस से निपटने के लिए मोनोक्लोनल एंटीबॉडी (Monoclonal Antibodies) खुराक की पुनः मांग करते हुए ऑस्ट्रेलिया से संपर्क किया है।

### मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के संदर्भ में

- ❖ **संदर्भ:** वायरल संक्रमण से लड़ने के लिए, हमारा शरीर प्रोटीन बनाता है, जिसे एंटीबॉडी कहा जाता है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कृत्रिम एंटीबॉडी (Artificial Antibodies) हैं; जो हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली की गतिविधि को नकल करते हैं।
  - + एंटीबॉडीज हमारे शरीर में बनने वाले सुरक्षात्मक प्रोटीन हैं। इनका उत्पादन हमारे शरीर में किसी बाहरी तत्व यानी एंटीजन की उपस्थिति में प्रतिरक्षा प्रणाली द्वारा किया जाता है।
- ❖ **उत्पादन:** वे एक ऐसी प्रक्रिया के माध्यम से उत्पादित होते हैं, जिसमें मानव रक्त से विशिष्ट एंटीबॉडी निकालना (Extracting Specific Antibodies from Human Blood) और फिर उनका क्लोन (Clone) बनाना शामिल है।

- ❖ **वायरस के विशिष्ट भाग पर लक्षित:** ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी किसी वायरस या उसके किसी विशिष्ट भाग को लक्षित करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। उदाहरण के लिए, **REGEN-COV2 दो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का एक कॉकटेल है**, जिसे कोविड-19 स्पाइक प्रोटीन (Covid-19 Spike Protein) को लक्षित करने के लिए विकसित किया गया है।
- ❖ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज स्पाइक प्रोटीन के विशिष्ट भागों से जुड़ते हैं, जिससे स्वस्थ कोशिकाओं को संक्रमित करने की क्षमता अवरुद्ध हो जाती है।

### निपा के लिए इसका उपयोग क्यों?

- ❖ वर्तमान में, **लक्षण राहत (Symptom Relief)** के अलावा निपा वायरस संक्रमण का कोई प्रभावी उपचार नहीं है।
- ❖ इस वायरस की उच्च मृत्यु दर 40% से 75% तक है, अतः इसे एक **गंभीर स्वास्थ्य खतरा** उत्पन्न होने की संभावना है।
- ❖ इसकी तुलना में, **कोविड-19 महामारी के चरम के दौरान भी 'केस मृत्यु अनुपात' (Case Fatality Ratio: CFR) लगभग 3% पर रहा था।**
- ❖ मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का उपयोग अब तक विश्व स्तर पर 14 व्यक्तियों में किया गया है और उनमें से किसी की भी मृत्यु नहीं हुई है।

### नवीन-प्रौद्योगिकी

## सरकार सभी उपकरणों में 'नाविक' को अनिवार्य बनाएगी

हाल ही में, भारत सरकार ने घोषणा की है कि अब सभी उपकरणों में 'नेविगेशन विड इंडियन कांस्टेलेशन' (NavIC) को अनिवार्य बनाया जाएगा।

- ❖ वर्तमान में, अधिकांश संचार उपकरण नेविगेशन के लिए **संयुक्त राज्य अमेरिका की नेविगेशन प्रणाली 'ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम' (GPS)** पर निर्भर है।
- ❖ **NavIC एक स्वतंत्र स्टैंड-अलोन नेविगेशन उपग्रह प्रणाली (Independent Stand-Alone Navigation Satellite System) है।** इसे **भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO)** द्वारा विकसित 'सात उपग्रहों' के समूह के साथ डिजाइन किया गया है। पहले इसे 'भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन उपग्रह प्रणाली' (Indian Regional Navigation Satellite System: IRNSS) के नाम से जाना जाता था।
- ❖ **03 उपग्रह भू-स्थिर कक्षा (Geostationary Orbit) में और 04 उपग्रह झुकी भू-तुल्यकालीक कक्षा (Tilted Geosynchronous Orbit) में स्थापित हैं।** यह प्रणाली संपूर्ण भारतीय भूभाग और इसकी सीमाओं से 1,500 किलोमीटर तक की दूरी को कवर करती है।
- ❖ **GPS की तुलना में NavIC प्रणाली अपने स्पेक्ट्रम के दोहरे फ्रीक्वेंसी बैंड के कारण 10 मीटर की बेहतर पोजिशनिंग सटीकता प्रदान करता है।** इसके विपरीत, **GPS की पोजिशनिंग सटीकता 20 मीटर है।**

- ❖ GPS के विपरीत NavIC उपग्रह पृथ्वी की सतह से काफी ऊपर हैं, इस कारण हिमालय के पहाड़ों या स्थलीय सतह पर सिग्नल में कम रुकावटें उत्पन्न होती हैं।
- ❖ वर्तमान समय में वैश्विक नेविगेशन सिस्टम में निम्नलिखित शामिल हैं:
  - + ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (GPS): अमेरिका का ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (GPS) एक उपग्रह-आधारित नेविगेशन प्रणाली है, जिसमें 24 कक्षीय उपग्रह शामिल हैं। इसका संचालन अमेरिका की वायु सेना द्वारा किया जाता है।
  - + ग्लोनास (GLONASS): ग्लोनास (GLONASS) रूस का नेविगेशन सिस्टम है, जिसे अमेरिका के ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (GPS) के समक्ष माना जाता है।
  - + बाइडू (BeiDou): बाइडू चीन का नेविगेशन सिस्टम है, जिसमें तीन अलग-अलग कक्षाओं (Orbits) में कुल 30 उपग्रह शामिल हैं।
  - + गैलीलियो (Galileo): यह यूरोपीय संघ (EU) का ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है।

## जेनेरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तथा नौकरियां

हाल ही में, संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी 'अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन' (ILO) द्वारा 'जेनेरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं नौकरियां: नौकरी की गुणवत्ता और मात्रा पर संभावित प्रभावों का वैश्विक विश्लेषण' (Generative AI and Jobs: A global analysis of potential effects on job quantity and quality) नामक शीर्षक से एक वर्किंग पेपर जारी किया गया है।

- ❖ रिपोर्ट के अनुसार, जेनेरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (GAI) से व्यवसायों के पूरी तरह से स्वचालित होने की बजाय रोजगार में वृद्धि होने की अधिक संभावना है।
- ❖ इसी प्रकार, जैसे-जैसे देशों की आय में वृद्धि होगी, वैसे-वैसे GAI के कारण नौकरियों के स्वचालन में भी वृद्धि होती जाएगी।
- ❖ रिपोर्ट में बताया गया है कि प्रौद्योगिकी को अपनाने में कुप्रबंधन की वजह से लैंगिक दुष्प्रभाव सामने आ रहे हैं, इससे महिलाएं अधिक प्रभावित होंगी।
- ❖ रिपोर्ट में सिफारिश की गई है कि नौकरी से वंचित होने की दशा में किसी अन्य पद पर नियुक्ति एवं प्रशिक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए नियोक्ताओं और श्रमिकों के बीच वार्ता को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।
- ❖ इसी प्रकार, सामाजिक सुरक्षा और कौशल विकास से संबंधित कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए। नौकरी की गुणवत्ता में वृद्धि करने, प्रशिक्षण देने और आय का समर्थन करने से ऑटोमेशन के लैंगिक प्रभाव कम हो सकते हैं।
- ❖ GAI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की एक शाखा है। यह एक डीप लर्निंग मॉडल (Deep Learning Models) है, जो उस डेटा के आधार पर उच्च गुणवत्ता वाले टेक्स्ट, इमेज और अन्य कॉन्टेंट उत्पन्न कर सकता है, जिन पर उसे प्रशिक्षित किया जाता है। उदाहरण के लिए ओपन AI का ChatGPT एवं गूगल बाइडू आदि।

- ❖ यह जटिल भाषा समझने के लिए एडवांस्ड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग (Advanced Natural Language Processing: ANLP) का उपयोग करता है। एडवांस्ड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एक मशीन लर्निंग (Machine Learning) तकनीक है, जो कंप्यूटर को मानव की भाषा की व्याख्या करने, बदलाव करने और समझने की क्षमता प्रदान करती है।
- ❖ GPT (जेनेरेटिव प्री-ट्रेंड ट्रांसफर) लार्ज लैंग्वेज मॉडल (Large Language Model: LLM) परिवार से संबंधित है। LLM न्यूरल नेटवर्क पर आधारित एक प्रकार का मशीन लर्निंग मॉडल है।
- ❖ LLMs डीप लर्निंग एल्गोरिथम (Deep Learning Algorithm) है। यह बहुत बड़े डेटा सेट का उपयोग करके कंटेंट की पहचान, संक्षेपण एवं अनुवाद करने के साथ अनुमान लगा सकते हैं तथा पुनः कंटेंट उत्पन्न कर सकते हैं।

## मसौदा राष्ट्रीय रोबोटिक्स रणनीति जारी

हाल ही में, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) द्वारा 'राष्ट्रीय रोबोटिक रणनीति' (National Robotics Strategy: NRS) का मसौदा जारी किया गया है।

- ❖ मसौदा NRS का लक्ष्य वर्ष 2030 तक भारत को वैश्विक रोबोटिक्स लीडर के रूप में स्थापित करना है। यह मेक इन इंडिया 2.0 (Make in India 2.0) योजना के अनुरूप है। इसमें रोबोटिक को मुख्य उप-क्षेत्र के रूप में शामिल किया गया है।
- ❖ मसौदा रणनीति में सिफारिश की गई है कि रोबोटिक्स नवाचार इकाई (Robotics Innovation Unit) के नेतृत्व में मजबूत विनियामक ढांचा निर्मित किया जाना चाहिए। इस क्षेत्र में भी 'सेंटर आफ एक्सीलेंस' (Center of Excellence) व्यवस्था लागू करने की आवश्यकता है।
- ❖ रणनीति के अनुसार इस क्षेत्र में भी निजी क्षेत्र के ऐसे भागीदारों को शामिल करना होगा, जिन्होंने प्रयोग के तौर पर अपने डिजाइन या प्रोटोटाइप (Design or Prototype) तैयार किए हैं।
- ❖ इस रणनीति में सुझाव दिया गया है कि रोबोटिक्स क्षेत्र से संबंधित स्टार्टअप्स (Robotics StartUps) को सलाहकारी समर्थन देने की आवश्यकता है। इसके अलावा, उच्चतर शिक्षण संस्थानों की अनुसंधान क्षमता का भी उपयोग किया जाना चाहिए।
- ❖ NRS के तहत रोबोटिक्स का वर्गीकरण औद्योगिक रोबोट, सर्विस रोबोट और चिकित्सा रोबोट के रूप में किया गया है। 'राष्ट्रीय रोबोटिक रणनीति' (NRS) को लागू करने के लिए MeitY कार्यान्वयन एजेंसी होगी।
- ❖ रोबोटिक तकनीक में रोबोट की डिजाइन, निर्माण, संचालन और उपयोग शामिल होता है। रोबोट सेंसर के जरिए आसपास के परिवेश के अनुरूप संचालित होता है, निर्णय लेने में सक्षम होता है और गणना करता है।





## शुचना प्रौद्योगिकी

### टेराहर्ट्ज रेंज में मांग सृजन को सुगम बनाने हेतु TRAI का परामर्श पत्र

हाल ही में, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (Telecom Regulatory Authority of India : TRAI) द्वारा टेराहर्ट्ज रेंज (THz Range) में मांग सृजन को सुगम बनाने हेतु परामर्श पत्र जारी किया गया है।

- ❖ टेराहर्ट्ज रेंज (Terahertz Range) 100 गीगाहर्ट्ज (GHz) से लेकर 10 टेराहर्ट्ज (THz) के मध्य की विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम की रेंज होती है। अतः टेराहर्ट्ज रेंज मिलीमीटर और इंफ्रारेड आवृत्तियों के मध्य की आवृत्ति होती है।
- ❖ THz में इलेक्ट्रॉनिक्स और फोटोनिक्स दोनों के गुण होते हैं। सरल शब्दों में, इसमें माइक्रोवेव (इलेक्ट्रॉनिक्स में प्रयुक्त) और अवरक्त विकिरण (फोटोनिक्स में प्रयुक्त) दोनों गुण पाए जाते हैं।
- ❖ विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम पर 03 से 30 THz के बीच की रेंज को टेराहर्ट्ज गैप अंतराल (Terahertz Gap Interval) कहते हैं। इस गैप पर इलेक्ट्रॉनिक्स और फोटोनिक्स प्रौद्योगिकियां (Photonics Technologies) काम नहीं करती हैं। इसे सब-मिलीमीटर (Sub-Millimeter), फार-इंफ्रारेड (Far-Infrared) और नियर-मिलीमीटर (Near-Millimeter) वेव या तरंग के रूप में जाना जाता है।

#### टेराहर्ट्ज के प्रमुख गुण

- ❖ **भेदन क्षमता:** THz तरंगों का प्रकीर्णन कम होता है और यह अवरक्त तरंगों (Infrared Waves) की तुलना में वस्तुओं में अधिक गहराई तक प्रवेश कर सकती हैं।
  - + इसलिए दृश्य स्पेक्ट्रम वाली तरंग दैर्ध्य (Visible Spectrum Wavelengths) शुष्क और गैर धात्विक वस्तुओं के आर-पार नहीं निकल पाती है, जबकि THz तरंग दैर्ध्य ऐसी वस्तुओं के आर-पार निकल जाती है।
- ❖ **रेजोल्यूशन:** यह बेहतर स्थानिक इमेजिंग रेजोल्यूशन (Spatial Imaging Resolution) प्रदान करता है, क्योंकि THz तरंगों की तरंग दैर्ध्य माइक्रोवेव (Microwave) की तुलना में कम होती है।
- ❖ **सुरक्षा:** THz विकिरण गैर-आयनीकृत (Non-Ionized) होते हैं तथा उनकी फोटॉन ऊर्जा एक्स-रे (X-Ray) की तुलना में कम होती है।

### भवनों में डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए रेटिंग फ्रेमवर्क पर विनियमन

हाल ही में, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (TRAI) द्वारा 'भवनों में डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए रेटिंग फ्रेमवर्क पर विनियमन' के संदर्भ में परामर्श पत्र जारी किया गया है।

- ❖ इस परामर्श पत्र में भवनों के भीतर डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए सेवा की गुणवत्ता में सुधार संबंधी मुद्दों पर बल दिया गया है।
- ❖ परामर्श पत्र में कहा गया है कि डिजिटल कनेक्टिविटी के आधार पर भवनों की रेटिंग हेतु आदर्श भवन उप-नियमों में प्रावधान किए जाने चाहिए।

- ❖ पत्र के अनुसार, 5,000 वर्ग मीटर से अधिक या किसी कानून में निर्धारित सीमा या स्वैच्छिक आधार पर नियत किसी सीमा के तहत बिल्ट-अप क्षेत्र (Built-Up Area) में निर्मित भवनों को रेटिंग प्रदान की जानी चाहिए।
- ❖ लोक महत्व के सभी नए और मौजूदा भवनों (हवाई अड्डे, बंदरगाह, रेलवे, मेट्रो, बस स्टेशन आदि) को अनिवार्य रेटिंग दी जानी चाहिए। अनिवार्य रेटिंग श्रेणी में शामिल नहीं होने वाले भवनों को भी रेटिंग दी जा सकती है इन्हें स्वैच्छिक रेटिंग दी जा सकती है।
- ❖ डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए भवनों की रेटिंग हेतु मौजूदा फ्रेमवर्क में- वायर्ड स्कोर प्रमाणन (स्वतंत्र डिजिटल कनेक्टिविटी बेंचमार्क और कार्यप्रणाली), यूरोप का स्मार्ट रीडिनेस इंडिकेटर (भवनों की स्मार्ट-रीडिनेस की रेटिंग हेतु) तथा SPIRE रेटिंग फ्रेमवर्क (स्मार्ट भवनों का समग्र रूप से मूल्यांकन करता है) शामिल हैं।

## नैनो-प्रौद्योगिकी

### हाइब्रिड नैनोकणों के उपयोग से कैंसर का इलाज

हाल ही में, भारतीय वैज्ञानिकों ने सोने और तांबे के सल्फाइड से बने ऐसे हाइब्रिड नैनोकणों अथवा नैनो हाइब्रिड्स (Hybrid Nanoparticles or Nano Hybrids) का निर्माण किया है, जो ऊष्मा का उपयोग करके कैंसर कोशिकाओं को नष्ट कर सकते हैं तथा ध्वनि तरंगों का उपयोग करके उनका पता लगा सकते हैं।

- ❖ नैनो हाइब्रिड (Nano Hybrids) सामान्य रूप से 08 नैनोमीटर (Nanometer: nm) से कम आकर के होते हैं। यह कम से कम दो अलग-अलग नैनोकणों से मिलाकर बनाए जाते हैं। नैनोकणों का आकार 1 से 100 नैनोमीटर (nm) तक होता है।
- ❖ इसकी क्रियाविधि के अंतर्गत नैनो हाइब्रिड्स के फोटोकास्टिक गुण (Photo-Caustic Properties) उन्हें प्रकाश को अवशोषित करने और अल्ट्रासाउंड तरंगे उत्पन्न करने में सक्षम बनाते हैं। इससे डट और CT-स्कैन की प्रक्रिया के दौरान बेहतर रेजोल्यूशन प्राप्त होता है और कैंसर सेल की पहचान करने में मदद मिलती है।
- ❖ नैनोकणों का फोटोथर्मल गुण (Photo-Thermal Properties) उन्हें कोशिकाओं पर लक्षित प्रकाश को अवशोषित करके ऊष्मा पैदा करने एवं ट्यूमर कोशिकाओं को नष्ट करने में सक्षम बनाता है।
- ❖ नैनो हाइब्रिड्स अभिक्रियाशील ऑक्सीजन प्रजाति प्रभाव (Reactive Oxygen Species Effect) भी पैदा करते हैं, जो ट्यूमर कोशिकाओं के लिए घातक होते हैं।
- ❖ एंडोस्कोपी (Endoscopy) का उपयोग करके नैनोकणों पर प्रकाश डालकर ऊष्मा पैदा करने के लिए उन्हें (नैनोकणों को) सक्रिय किया जा सकता है। इससे यह एक संयोजन-चिकित्सा (Combination Therapy) बन जाती है।
- ❖ एंडोस्कोपी आमतौर पर कैंसर की जांच के लिए उपयोग किया जाता है। नैनोकणों का सूक्ष्म आकार उन्हें मानव शरीर में संचित हुए बिना स्वाभाविक रूप से शरीर के बाहर जाने में सक्षम बनाएगा।

## न्यूज बुलेट्स

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| पेरोव्स्काइट सौर सेल              | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ वैज्ञानिकों ने हाल ही में पता लगाया है कि एक नैनोस्केल 'इंक कोटिंग' अगली पीढ़ी के पेरोव्स्काइट सौर सेल (Perovskite solar cell) को बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए उपयुक्त बनाने में मदद कर सकती है।</li> <li>❖ पेरोव्स्काइट कैल्शियम टाइनेटेड का प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला एक खनिज है।</li> <li>❖ पेरोव्स्काइट की विशेषताओं में इसका कम वजन, उच्च प्रकाशकीय चालकता व अवशोषण, उच्च दक्षता तथा पारंपरिक सिलिकॉन आधारित सेल्स की तुलना में उत्पादन में आसानी आदि शामिल हैं। सौर पैनल तथा अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में इसके व्यापक उपयोग हैं।</li> </ul>  |
| लो पावर स्मॉल रेंज-एफएम           | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ हाल ही में, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (TRAI) द्वारा लो पावर स्मॉल रेंज-एफएम (LPSR-FM) रेडियो प्रसारण पर एक परामर्श पत्र जारी किया गया है।</li> <li>❖ LPSR-FM ध्वनि प्रसारण का एक प्रभावी तरीका है। यह सीमित स्थान एवं रिसेप्शन क्षेत्र हेतु सेवा प्रदान करने हेतु 88 से 108 मेगाहर्ट्ज बैंड का उपयोग करता है।</li> <li>❖ लागत प्रभावी और न्यूनतम संरचना की आवश्यकता आदि विशेषताओं के कारण ड्राइव इन थिएटर, आपातकालीन प्रसारण, स्पोर्ट्स कमेंट्री तथा म्यूजिक कॉन्सर्ट आदि में इसका व्यापक उपयोग है।</li> <li>❖ रेडियो प्रसारण भारतीय वायरलेस टेलीग्राफी अधिनियम, 1933 के अंतर्गत आता है।</li> </ul>   |
| पीएम किसान योजना के लिए AI चैटबॉट | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ हाल ही में, केंद्र सरकार द्वारा पीएम किसान योजना के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) चैटबॉट लॉन्च किया गया है।</li> <li>❖ यह केंद्र सरकार की किसी बड़ी फ्लैगशिप योजना के तहत एकीकृत प्रथम AI चैटबॉट है। इसे 'EKstep फाउंडेशन' और 'भाषिणी' के सहयोग से विकसित किया गया है। 'भाषिणी' के साथ एकीकृत किए जाने से उपयोगकर्ताओं को अनेक भाषाओं में अपडेट प्राप्त करने में मदद मिलेगी।</li> <li>❖ यह AI चैटबॉट योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदन की स्थिति, भुगतान विवरण, योजना के लिए पात्र नहीं होने की स्थिति इत्यादि से संबंधित अपडेट्स प्राप्त करने एवं शिकायतों का समाधान करने में सहायता करेगा।</li> </ul>  |
| बायोहैकिंग                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ हाल ही चर्चा में रही बायोहैकिंग शब्दावली का प्रयोग शरीर के श्रेष्ठतम प्रदर्शन के लिए कार्य करने की क्षमता में वृद्धि करने और यहां तक की किसी भी जीवन अवधि को बढ़ाने के लिए उपयोग किए गए अलग-अलग तरीकों का वर्णन करने हेतु उपयोग किया जाता।</li> <li>❖ इसमें ध्यान एवं व्यायाम आदि के माध्यम से जीवन शैली में बदलाव, बायोलॉजिक्स का उपयोग, विद्युत चुंबकीय स्टिम्युलेटर्स, हाइपरबेरिक कक्ष (Hyperbaric Chamber) जैसी प्रौद्योगिकियों को अपनाना आदि शामिल है।</li> <li>❖ कम उम्र का दिखाना, शारीरिक गतिविधियों (हाथ-पैर की गतिविधियों) को सक्षम बनाना, आनुवंशिक संशोधन, मस्तिष्क की कार्यप्रणाली में सुधार करना आदि बायोहैकिंग के ऊपर से क्षेत्र हैं।</li> </ul>   |
| भारत का प्रथम पोलारिमेट्री मिशन   | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) XPoSat के निर्माण हेतु रमन अनुसंधान संस्थान (Raman Research Institute) के साथ सहयोग कर रहा है।</li> <li>❖ XPoSat भारत का प्रथम और विश्व का दूसरा पोलारिमेट्री मिशन है, ऐसा पहला मिशन नासा का 'इमेजिंग एक्स-रे पोलारिमेट्री एक्सप्लोरर मिशन' (Imaging X-Ray Polarimetry Explorer Mission) था।</li> <li>❖ पोलारिमेट्री एक ऐसा उपकरण होता है, जिसकी मदद से खगोलविद धूमकेतु से लेकर दूर स्थित आकाशगंगाओं जैसे खगोलीय पिंडों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं।</li> <li>❖ XPoSat मिशन का उद्देश्य चरम स्थितियों में 'चमकदार खगोलीय एक्स-रे' स्रोतों की संपूर्ण गतिकी का अध्ययन करना है। साथ ही, आकाशीय पिंडों की प्रकृति और व्यवहार पर महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करना है।</li> </ul> |

|  |   |
|--|---|
| <p><b>सुपर थर्मल एंड एनर्जेटिक पार्टिकल स्पेक्ट्रोमीटर</b></p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ हाल ही में, सूर्य का अध्ययन करने के लिए भारत के प्रथम अंतरिक्ष मिशन आदित्य-L1 (Aditya-L1) ने अपने सुपर थर्मल एंड एनर्जेटिक पार्टिकल स्पेक्ट्रोमीटर (Super Thermal and Energetic Particle Spectrometer: STEPS) उपकरण को सक्रिय करके आंकड़ें एकत्र करना आरंभ कर दिया है।</li> <li>❖ STEPS आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट (Aditya Solar Wind Particle Experiment: ASPEX) पेलोड का हिस्सा है।</li> <li>❖ इन आंकड़ों के आधार पर वैज्ञानिकों को पृथ्वी के आसपास के कणों के व्यवहार का विश्लेषण करने में मदद मिलेगी।</li> </ul>   |
| <p><b>पोलीएथिलीन टैरेपथेलेट डिग्रेडिंग एंजाइम (PET46)</b></p>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ हाल ही में, विशेषज्ञों ने पहली बार गहरे समुद्र के एक समुद्री सूक्ष्मजीव में 'पोलीएथिलीन टैरेपथेलेट डिग्रेडिंग एंजाइम' (PET46) का पता लगाया है।</li> <li>❖ पोलीएथिलीन टैरेपथेलेट (PET) एक प्रकार का हल्का प्लास्टिक है। इसका प्रयोग मुख्य रूप से खाद्य पदार्थों, सॉफ्ट ड्रिंक तथा अन्य तरल पदार्थों की पैकिंग में व्यापक रूप से किया जाता है।</li> <li>❖ विद्वानों के अनुसार, PET46 एंजाइम लंबी-शृंखला और लघु-शृंखला दोनों प्रकार के पोलीएथिलीन टैरेपथेलेट (PET) अणुओं को क्षीण करने की अनूठी क्षमता रखता है, इससे PET का निरंतर क्षरण होता रहता है।</li> </ul>   |
| <p><b>जूनो मिशन</b></p>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ हाल ही में, जूनो मिशन ने बृहस्पति ग्रह के करीब अपनी 53वीं फ्लाईबाई पूरी की है। एक अंतरिक्ष यान की वैज्ञानिक डेटा एकत्र करने के लिए किसी खगोलीय पिंड के काफी करीब उड़ान को फ्लाईबाई के रूप में जाना जाता है।</li> <li>❖ जूनो मिशन को वर्ष 2011 में 5 वर्ष के मिशन के रूप में लॉन्च किया गया था। इसके उद्देश्यों में बृहस्पति ग्रह के घने बादलों के नीचे अध्ययन करना तथा बृहस्पति, सौरमंडल और ब्रह्मांड में विशाल ग्रहों की उत्पत्ति एवं विकास का पता लगाना शामिल है।</li> <li>❖ अपने विस्तारित मिशन के तहत यह सितंबर, 2025 तक अथवा अंतरिक्ष यान के सक्रिय रहने तक बृहस्पति ग्रह के अध्ययन का कार्य जारी रखेगा।</li> </ul>                 |
| <p><b>कृषि सांख्यिकी के लिए एकीकृत पोर्टल (UPAg)</b></p>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ हाल ही में, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा कृषि सांख्यिकी के लिए एकीकृत पोर्टल 'UPAg पोर्टल' लॉन्च किया गया है।</li> <li>❖ इस पोर्टल पर फसलों की कीमत, उत्पादन, क्षेत्र, उपज और व्यापार संबंधी डेटा को मानकीकृत किया जाएगा। इस प्रकार यह डेटा आधारित निर्णय लेने में मदद करेगा।</li> <li>❖ पोर्टल उन्नत विश्लेषण प्रदान करेगा। साथ ही, यह उत्पादन से जुड़े रुझानों, व्यापार सह-संबंधों आदि पर भी अंतर-दृष्टि भी प्रदान करेगा।</li> </ul>   |
| <p><b>रक्षा अधिग्रहण परिषद</b></p>                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ हाल ही में, रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC) ने 9 पूंजी अधिग्रहण प्रस्तावों को 'आवश्यकता की स्वीकृति' (Acceptance of Necessity) प्रदान की है।</li> <li>❖ DAC की अध्यक्षता रक्षा मंत्री द्वारा की जाती है। यह रक्षा खरीद के लिए निर्णय लेने वाली सर्वोच्च संस्था है। यह रक्षा बलों के लिए पूंजी अधिग्रहण को सैद्धांतिक मंजूरी देती है।</li> <li>❖ सशस्त्र बलों को आधुनिक बनाने के लिए स्वीकृत खरीद में कम दूरी की हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल, हल्के बख्तरबंद, बहुउद्देशीय वाहन आदि शामिल हैं।</li> <li>❖ यह सभी खरीद समझौते 'भारतीय खरीद श्रेणी' (भारतीय स्वदेशी रूप से डिजाइन, विकसित एवं निर्मित) के अंतर्गत किए जाते हैं।</li> </ul> |
| <p><b>दक्षिणी ध्रुव पर सल्फर की मौजूदगी की पुष्टि</b></p>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ हाल ही में, चंद्रयान-3 के रोवर मॉड्यूल प्रज्ञान ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सल्फर की मौजूदगी की पुष्टि की है। यह खोज महत्वपूर्ण है, क्योंकि पूर्ववर्ती चंद्र मिशनों के ऑर्बिटर उपकरण इसकी पुष्टि नहीं कर सके थे।</li> <li>❖ इस खोज में प्रज्ञान रोवर ने सल्फर की उपस्थिति की पुष्टि के लिए दो उपकरणों का उपयोग किया: <ul style="list-style-type: none"> <li>✦ अल्फा पार्टिकल एक्स-रे स्पेक्ट्रोस्कोप (APXS): इसके द्वारा सल्फर और अन्य छोटे तत्वों का पता लगाया गया।</li> <li>✦ लेजर-प्रेरित ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप (LIBS): इसने सल्फर की उपस्थिति की पुष्टि की है।</li> </ul> </li> </ul>   |

|  |  |
|--|--|
| क्वांटम कंप्यूटर की सटीकता में वृद्धि में सक्षम नए क्यूबिक सर्किट का विकास | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ हाल ही में, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (MIT) के शोधकर्ताओं ने क्वांटम त्रुटियों का समाधान करने के लिए दो फ्लक्सोनियम क्यूबिट के बीच एक विशेष कपलिंग एलिमेंट का उपयोग किया है।</li> <li>❖ फ्लक्सोनियम अपेक्षाकृत एक नए प्रकार का सुपरकंडक्टिंग क्यूबिट होता है, यह आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले सुपरकंडक्टिंग क्यूबिट से कहीं अधिक समय अवधि के लिए काम कर सकता है।</li> <li>❖ क्वांटम कंप्यूटिंग उन अत्यधिक जटिल समस्याओं को हल करने के लिए क्वांटम मैकेनिक्स के नियमों का उपयोग करती है, जिन्हें परंपरागत कंप्यूटर हल करने में सक्षम नहीं होते हैं। क्यूबिट (क्वांटम बिट) क्वांटम कंप्यूटिंग में सूचना की मूल इकाई है।</li> </ul>  |
| माइक्रो RNA  | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ हाल ही में, अमेरिका में हुए एक अध्ययन से पता चला है कि LET-7 नामक माइक्रो RNA (MIRNA) कैंसर से लड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।</li> <li>❖ miRNA छोटे और अत्यधिक संरक्षित गैर-कोडिंग RNA अणु होते हैं। राइबो न्यूक्लिक एसिड (RNA) आनुवंशिक जानकारी के वाहक होते हैं।</li> <li>❖ इन जानकारी को राइबोसोम कोशिकीय प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक अलग-अलग प्रोटीन में रूपांतरित कर देते हैं।</li> <li>❖ ये प्रोटीन उत्पादन को रोकने के लिए लक्षित मैसेंजर RNA (MRNA) को निष्क्रिय करके जीन एक्सप्रेशन (Gene Expression) को नियंत्रित करते हैं।</li> <li>❖ जीन एक्सप्रेशन एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसके द्वारा जीन में एनकोड की गई जानकारी को एक कार्य में बदल दिया जाता है।</li> </ul> |
| SPECS 2030 पहल   | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ यह विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की एक वैश्विक पहल है। यह दृष्टि-बाधा और दृष्टिहीनता से जुड़ी समस्याओं को दूर करने पर केंद्रित है। इसका लक्ष्य दृष्टि-बाधा और दृष्टिहीनता से ग्रस्त सभी लोगों की आंखों की देखभाल एवं उपचार तक पहुंच सुनिश्चित करना है।</li> <li>❖ इस पहल का उद्देश्य चश्मा लगाने वाले लोगों की संख्या की रिपोर्टिंग करना है।</li> <li>❖ भारत में 10 करोड़ से अधिक ऐसे लोग हैं, जिन्हें आंखों की देखभाल और चश्मों की आवश्यकता है, लेकिन वह इससे वंचित हैं। SPECS 2030 पहल इस समस्या को दूर करने में मदद करेगी।</li> </ul>  |
| सोनोबॉयज   | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ हाल ही में, भारतीय नौसेना ने MQ-9B सी-गार्जियन ड्रोन (MQ-9B Sea-Guardian drone) को सोनोबॉयज (Sonobuoys) से लैस करने की योजना बनाई है।</li> <li>❖ सोनोबॉयज एक छोटा उपकरण है। इसका उपयोग पानी के अंदर ध्वनि का पता लगाने के लिए किया जाता है। इसमें हाइड्रोफोन लगे होते हैं, जो पानी के अंदर ध्वनियों (विशेषकर पनडुब्बियों द्वारा उत्पन्न किए जाने वाली ध्वनियों) का पता लगते हैं।</li> <li>❖ इन उपकरणों को विमान या जहाज से लगाया जाता है। यह रियल टाइम आधार पर ध्वनि डेटा को प्रसारित करते हैं।</li> <li>❖ इससे दुश्मनों की पनडुब्बी से संभावित खतरों का पता लगाने में मदद मिलेगी।</li> </ul>   |
| TTPs आधारित साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन फ्रेमवर्क                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ हाल ही में, IIT कानपुर द्वारा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (DSI) के समर्थन से अंतर्विषयक साइबर भौतिक प्रणालियों पर राष्ट्रीय मिशन (NM-ICPS) के तहत अपराध को अंजाम देने में साइबर अपराधियों की कार्यप्रणाली को समझने के लिए एक पद्धति और उपकरण (TTPs- रणनीति और तकनीकी प्रक्रिया) का विकास किया गया है।</li> <li>❖ रणनीति और तकनीकी प्रक्रिया (TTPs) की सहायता से साइबर अपराधों को ट्रैक करने, वर्गीकृत करने तथा आवश्यक साक्ष्यों के बीच सम्बद्धता की पहचान करने में मदद मिल सकती है।</li> <li>❖ NM-ICPS का लक्ष्य अनुसंधान एवं विकास, ट्रांसलेशन रिसर्च, उत्पाद विकास, स्टार्टअप की इनक्यूबेटिंग एवं समर्थन के लिए प्रौद्योगिकी आधारित प्लेटफार्म विकसित करना है।</li> </ul>       |
| K2-18b एक्सोप्लैनेट  | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ हाल ही में, NASA के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने K2-18b नामक बाह्यग्रह (Exoplanet) पर कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन की उपस्थिति का पता लगाया है।</li> <li>❖ K2-18b एक्सोप्लैनेट पृथ्वी से 120 प्रकाश वर्ष दूर है। सूर्य के अलावा अन्य तारों की परिक्रमा करने वाले ग्रहों को एक्सोप्लैनेट अथवा बाह्यग्रह कहा जाता है।</li> <li>❖ जेम्स वेब टेलीस्कोप (JWI) हबल टेलिस्कोप का अनुवर्ती (Successor) है। यह इंफ्रारेड रेंज में काम करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा और शक्तिशाली अंतरिक्ष टेलीस्कोप है।</li> </ul>   |

|  |   |
|--|---|
| <p><b>फाइबर टू द होम</b></p>                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ हाल ही में, दूरसंचार विभाग (DoT) द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में फाइबर टू द होम (FTTH) ब्रॉडबैंड कनेक्शन के विस्तार के लिए इंटरनेट सेवा प्रदाताओं के चयन हेतु एक योजना आरंभ की है।</li> <li>❖ FTTH तकनीक इमारतों में सीधे हाई स्पीड ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन (High Speed Broadband Internet Connection) पहुंचने के लिए ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग करती है।</li> <li>❖ पारंपरिक ब्रॉडबैंड नेटवर्क की तुलना में फाइबर प्रकाश संकेतों का उपयोग करके लंबी दूरी तक डेटा संचारित कर सकते हैं। तांबे की केबल्स की तुलना में इनमें बाहरी बाधाओं से प्रभावित होने और सिग्नल हानि की संभावना कम होती है।</li> </ul>  |
| <p><b>नासा का मॉक्सी उपकरण</b></p>                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ नासा के पर्सीवरेंस मार्स रोवर के साथ भेजे गए 'मार्स ऑक्सीजन इन-सिटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन एक्सपेरिमेंट' (MOXIE) उपकरण ने मंगल ग्रह पर अपना मिशन सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है।</li> <li>❖ MOXIE ऑक्सीजन उत्पन्न करने वाला उपकरण है। MOXIE एक विद्युत रासायनिक प्रक्रिया के माध्यम से आणविक ऑक्सीजन का उत्पादन करता है। इसके तहत मंगल के पतले वायुमंडल से इसमें पंप किए गए कार्बन ऑक्साइड के प्रत्येक अणु से एक ऑक्सीजन परमाणु को अलग किया जाता है।</li> <li>❖ यह मंगल ग्रह पर अंतरिक्ष यात्रियों के लिए ईंधन और स्वशन हेतु ऑक्सीजन का उत्पादन करने के लिए एक व्यवहार तकनीकी सिद्ध हुई है। इसे मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलॉजी MIT) के शोधकर्ताओं ने विकसित किया था।</li> </ul> |
| <p><b>जीन ड्राइव तकनीकी</b></p>                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ हाल ही में, मच्छरों को आनुवंशिक रूप से नियंत्रित करने के लिए भारत, ब्राजील और पनामा में आउटडोर परीक्षणों में जीन ड्राइव तकनीक का उपयोग किया गया है।</li> <li>❖ जीन ड्राइव एक प्रकार की आनुवंशिक इंजीनियरिंग तकनीक है। यह जीन को संशोधित करती है और निर्धारित जींस आनुवंशिक रूप से वंश क्रम में शामिल हो जाते हैं।</li> <li>❖ इसका मलेरिया, डेंगू और जीका वायरस फैलाने वाले मच्छरों को खत्म करने के लिए उपयोग किया जा सकता है। जीन ड्राइव का उपयोग कृतक (Rodents) जैसी आक्रामक प्रजातियों को नियंत्रित करने के लिए भी किया जा सकता है।</li> </ul>   |
| <p><b>मत्स्य 6000</b></p>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ भारतीय वैज्ञानिक 'प्रोजेक्ट समुद्रयान' के तहत 'मत्स्य 6000' (MATSYA6000) नामक स्वदेशी पनडुब्बी में तीन लोगों को पानी के अंदर लगभग 6,000 मीटर की गहराई तक भेजने की योजना बना रहे हैं। 'प्रोजेक्ट समुद्रयान' डीप ओशन मिशन का एक प्रमुख हिस्सा है।</li> <li>❖ मत्स्य 6000 पनडुब्बी 'राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान, चेन्नई' द्वारा डिजाइन और विकसित की जा रही है। यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का संस्थान है।</li> <li>❖ इस मिशन के तहत निकेल, कोबाल्ट, दुर्लभ भू-तत्व, मैंगनीज आदि से समृद्ध गहरे समुद्र के खनिज संसाधनों की खोज की जाएगी।</li> </ul>   |
| <p><b>बीएस 6 स्टेज II 'इलेक्ट्रिफाइड फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल'</b></p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ 29 अगस्त, 2023 को केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी द्वारा बीएस 6 स्टेज II 'विद्युतीकृत फ्लेक्स ईंधन वाहन' (BS 6 Stage II 'Electrified Flex Fuel Vehicle') के दुनिया के प्रथम प्रोटोटाइप का अनावरण किया गया। यह प्रोटोटाइप टोयोटा किलोस्कर मोटर द्वारा विकसित इनोवा हाईक्रॉस (Innova HyCross) का एक संस्करण था।</li> <li>❖ इस प्रोटोटाइप को भारत के उच्च उत्सर्जन मानदंडों को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह फ्लेक्स फ्यूल इंजन (Flex Fuel engine) और इलेक्ट्रिक पावरट्रेन (Electric powertrain) दोनों को एकीकृत करता है, जो उच्च इथेनॉल उपयोग एवं बेहतर ईंधन दक्षता का दोहरा लाभ प्रदान करता है।</li> </ul>  |
| <p><b>इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर - सीएसआईआर प्राइमा ईटी11</b></p>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ हाल ही में, सीएसआईआर-सीएमईआरआई (CSIR-CMERI) ने कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर-सीएसआईआर प्राइमा ईटी11 (CSIR Prima ET11) डिजाइन एवं विकसित किया है।</li> <li>❖ CSIR PRIMA ET11 भारत का पहला पूर्णतः इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर है। ट्रैक्टर पूरी तरह से स्वदेशी घटकों और प्रौद्योगिकियों से बनाया गया है।</li> <li>❖ सीएसआईआर प्राइमा ईटी11 का उद्देश्य भारत में छोटे और सीमांत किसानों (विशेष कर महिलाओं) की जरूरतों को पूरा करना है। इससे टिकाऊ कृषि में सफलता मिलने की उम्मीद है।</li> </ul>  |
| <p><b>WD ब्लू SN580 NVMe सॉलिड-स्टेट ड्राइव</b></p>                | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ 7 सितंबर, 2023 को वेस्टर्न डिजिटल (Western Digital) द्वारा 7 सितंबर, 2023 को भारत में WD ब्लू SN580 NVMe सॉलिड-स्टेट ड्राइव (SSD) लॉन्च किया गया।</li> <li>❖ इसमें 5 साल की सीमित वारंटी के साथ 250GB से 2TB तक के स्टोरेज विकल्प हैं। SSD की पढ़ने की गति 4150 MB/s तक है।</li> <li>❖ इससे उत्पादकता बढ़ाने और पेशेवरों को धीमी प्रोग्राम लोडिंग या लंबे समय तक फाइल स्थानांतरण की परेशानी के बिना सामग्री निर्माण पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलेगी। SSD की कीमत 1TB ड्राइव के लिए 4,599 रुपये से शुरू होती है।</li> </ul>   |



# पत्रिका सार

## योजना (सितंबर 2023)

- ◆ सिविल सेवा में सुधार
- ◆ भारत में वित्तीय प्रशासन और जवाबदेही

- ◆ उपभोक्ताओं और व्यवसायों के हितों की रक्षा
- ◆ महिला सशक्तीकरण की दिशा में बढ़ते कदम

## कुरुक्षेत्र (सितंबर 2023)

- ◆ भारत में मानव संसाधन के विकास को बढ़ावा
- ◆ 2047 के विकसित अर्थव्यवस्था के लक्ष्य की मजबूत सीढ़ी
- ◆ अनुसंधान और नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा
- ◆ खाद्य प्रसंस्करण: विकास और संभावनाएं

## विज्ञान प्रगति (सितंबर 2023)

- ◆ 'यूक्लिड' टेलीस्कोप एवं डार्क मैटर
- ◆ ओजोन क्षरण एवं मानव तथा प्रकृति पर प्रभाव

यह खंड सितंबर 2023 अंक की योजना, कुरुक्षेत्र एवं विज्ञान प्रगति पत्रिका पर आधारित है। इसके अंतर्गत हमने इन पत्रिकाओं का केवल सार-सारांश (Gist) प्रस्तुत करने के बजाय परीक्षोपयोगी दृष्टिकोण के साथ यथोचित अन्य महत्वपूर्ण सामग्रियों को समाहित करते हुए अध्ययन सामग्री का प्रस्तुतीकरण किया है। यह अध्ययन सामग्री मुख्य परीक्षा के साथ-साथ प्रारंभिक परीक्षा हेतु भी महत्वपूर्ण है।

## योजना (सितंबर 2023)

### सिविल सेवा में सुधार

लोकतांत्रिक सरकार में सिविल सेवा एक महत्वपूर्ण संस्था है। इस पर नीतियों को तैयार करने, कल्याण कार्यक्रमों को लागू करने, कार्यपालिका और विधायी शासन प्रणाली की सहायता करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

- ❖ भारत का नौकरशाही तंत्र विशाल भौगोलिक क्षेत्रों तथा विविधतापूर्ण सामाजिक संदर्भों में कार्य करता है। भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में मध्य और निचले स्तर पर मजबूत और सक्षम सिविल सेवकों की आवश्यकता है; इसलिए प्रत्येक सिविल सेवक के स्तर पर क्षमता-निर्माण पर जोर दिया जा रहा है।
- ❖ वर्तमान समय में कुछ विशेषज्ञ सिविल सेवा में देश की बदलती आवश्यकताओं के अनुरूप क्षमता निर्माण की आवश्यकताओं पर बल देते हैं। इस तथ्य को ध्यान में रखकर भारत सरकार द्वारा विभिन्न पहलें प्रारंभ की गई हैं, जिनमें प्रमुख निम्नलिखित हैं:
  - + **मिशन कर्मयोगी:** यह राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता विकास कार्यक्रम (National Programme for Civil Services Capacity Building- NPCSCB) है। यह कुशल सार्वजनिक सेवा वितरण के लिये व्यक्तिगत, संस्थागत और प्रक्रिया स्तरों पर क्षमता निर्माण तंत्र में व्यापक सुधार है।
  - + **प्रशिक्षण:** इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑन-लाइन ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म द्वारा 2020 के अप्रैल-मई के दौरान 8 से 10 सप्ताह से भी कम समय में प्रमाणित पाठ्यक्रमों पर लगभग 1.5 मिलियन सिविल सेवकों को प्रशिक्षित किया गया।
  - + **ई-समीक्षा:** यह महत्वपूर्ण सरकारी कार्यक्रमों/परियोजनाओं के कार्यान्वयन के संबंध में शीर्ष स्तर पर सरकार द्वारा लिये गए निर्णयों के आधार पर निगरानी और अनुवर्ती कार्रवाई के लिये एक वास्तविक समय ऑनलाइन प्रणाली है।

- + **राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सेवा वितरण मूल्यांकन:** इसका उद्देश्य ई-गवर्नेंस सेवा वितरण की दक्षता पर राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों और केंद्रीय मंत्रालयों का आकलन करना है। इसके माध्यम से मंत्रालयों के कार्य के बारे में समय पर समीक्षा कर सुधार किया जा सकता है।
- + **केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली:** यह लोक शिकायत निदेशालय (DPG) तथा प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (DARPG) के सहयोग से राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा विकसित एक ऑनलाइन वेब-सक्षम प्रणाली है।
- + **सिटीजन चार्टर:** सरकार ने सभी मंत्रालयों/विभागों के लिये सिटीजन चार्टर अनिवार्य कर दिया है, जिन्हें नियमित आधार पर अपडेट करने के साथ ही समीक्षा भी की जाती है। इसके माध्यम से एक नागरिकों को समयबद्ध तरीके से सेवकों को प्रदान किया जाता है।

## भारत में वित्तीय प्रशासन और जवाबदेही

- भारतीय संविधान द्वारा भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (Comptroller & Auditor General of India-CAG) के पद का सृजन किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत CAG की नियुक्ति, शपथ और सेवा की शर्तों निर्धारित की गई है।
- ❖ भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (Comptroller & Auditor General of India-CAG) भारत के संविधान के तहत एक स्वतंत्र प्राधिकरण है। बेहतर तरीके से कार्य करने के लिए संविधान के अंतर्गत सीएजी को विधायिका और कार्यकारिणी के प्रभाव से मुक्त रखने की व्यवस्था की गई है।
- ❖ अनुच्छेद 149 भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों और शक्तियों से संबंधित है। इसके माध्यम से संसद और राज्य विधानसभाओं के लिये सरकार एवं अन्य सार्वजनिक प्राधिकरणों (सार्वजनिक धन खर्च करने वाले) की जवाबदेही सुनिश्चित निम्नलिखित माध्यम से की जाती है:

- + **व्यय पर निगरानी:** संविधान निर्माताओं ने सीएजी को संसद द्वारा स्वीकृत सरकारी व्यय पर निगरानी एवं युक्ति-युक्त बनाए रखने की जिम्मेदारी सौंपी थी।
- + **लेखा परीक्षण:** केंद्र और राज्य सरकारों के खातों की लेखा परीक्षा सीएजी करते हैं। प्रशासन के संघीय ढांचे के तीनों स्तरों केंद्र सरकार, राज्य/केंद्रशासित सरकारों और स्थानीय निकायों के स्तर पर सीएजी की देशव्यापी लेखा परीक्षा व्यवस्था मौजूद है।
- + **विधायी समितियों की सहायता:** संसद/राज्य विधानसभाओं की विधायी समितियों में संसद में प्रस्तुत सीएजी ऑडिट रिपोर्टों की विस्तृत जांच करती हैं। विधायी समितियां जवाबदेही सुनिश्चित करने और सुशासन को बढ़ावा देने की सशक्त माध्यम हैं तथा सीएजी विधायी समितियों के प्रति मित्र, विचारक और मार्गदर्शक जैसा व्यवहार करते हैं।
- + **राजकोषीय स्थिति का विश्लेषण:** सीएजी की आडिट रिपोर्टों में बजट प्रबंधन से संबंधित लेखा परीक्षा से जुड़ी टिप्पणियों के साथ ही सरकारी वित्त का विश्लेषण, राजकोषीय स्थिरता सहित प्रमुख संकेतकों की जानकारी और राजकोषीय स्थिति का विश्लेषण भी शामिल रहता है। इन विश्लेषणों से सरकार को राजकोषीय स्थिरता और ऋण प्रबंधन जैसे मुख्य क्षेत्रों से जुड़े निर्णय बेहतर ढंग से लेने में मदद मिलती है।
- + **सरकारी कंपनियों की लेखा परीक्षा:** सीएजी उन सरकारी कंपनियों की लेखा परीक्षा करता है, जिनमें गलत लेखा विवरण, अनियमितताएं, वित्तीय विवरण में सुधार और निगमित प्रशासन से जुड़े मुद्दों को उजागर करने की आवश्यकता होती है।
- + **सरकारी योजनाओं की ऑडिट:** मनरेगा, पीएम आवास योजना, डीडीयूजीजेवाई, सौभाग्य, एआईबीपी और एनआरएचएम जैसी सरकारी योजनाओं की वित्तीय प्रणालियों के ऑडिट कर योजना का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाता है। इसके माध्यम से राशि उपयोगिता फर्जी खर्चों और राजस्व की वसूली न किए जाने जैसे मुद्दों को सामने लाया गया है।
- + **पक्ष समर्थन:** इसके तहत केंद्र और राज्य स्तर पर सरकारी निकायों को नीतिगत सिफारिशें प्रदान की जाती हैं। इसके साथ ही व्यवसायों, उपभोक्ताओं और नीति-निर्माताओं के बीच प्रतिस्पर्द्धा सिद्धांतों को बढ़ावा देने के लिए शैक्षिक और जागरूकता अभियानों को संचालित किया जाता है।
- + **प्रतिस्पर्द्धा विरोधी समझौतों का पता लगाना:** इसके तहत प्रतिस्पर्द्धियों के बीच किए जाने वाले इस प्रकार के समझौतों की निगरानी और जांच की जाती है, जो प्रतिस्पर्द्धा अधिनियम 2002 का उल्लंघन कर सकते हैं। इनमें कार्टेल के माध्यम से मूल्य-निर्धारण, बोली-धांधली, बाजार आवंटन योजनाएं आदि शामिल हैं।
- + **प्रभुत्व आकलन का दुरुपयोग:** इसके तहत बाजार प्रभुत्व वाली प्रमुख कंपनियों के आचरण की जांच कर यह सुनिश्चित किया जाता है कि उनके द्वारा प्रतिस्पर्द्धियों को नुकसान पहुंचाने का प्रयास न किया जाए। इसके साथ ही नए प्रवेशकों को बाहर करने के लिए इनके द्वारा अपनी बाजार शक्ति के अनुचित प्रयोग पर भी अंकुश लगाया जाता है।
- + **डिजिटल उपकरण और डाटा एनालिटिक्स:** सीसीआई डाटासेट को संसाधित करने, संभावित उल्लंघनों की पहचान करने और साक्ष्य-आधारित निर्णय लेने में सहायता करने के लिए उन्नत डिजिटल टूल और डाटा एनालिटिक्स का भी उपयोग करता है।
- + **जुर्माना और दंड:** प्रतिस्पर्द्धा कानूनों का उल्लंघन करने के दोषी पाए गए लोगों पर जुर्माना और प्रतिबंध लगाना एक निवारक के रूप में कार्य करता है और अनुपालन को प्रोत्साहित करता है। अधिपत्य की स्थिति के दुरुपयोग के मामलों में सीसीआई पिछले तीन वित्तीय वर्षों के औसत कारोबार का 10 प्रतिशत तक जुर्माना लगा सकता है।
- + **अंतरराष्ट्रीय सहयोग:** भारतीय प्रतिस्पर्द्धा आयोग द्वारा सीमा पार प्रतिस्पर्द्धा के मुद्दों को संबोधित करने और अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं को जानने के लिए अन्य प्रतिस्पर्द्धा प्राधिकरणों तथा नियामक निकायों के साथ सहयोग किया जाता है। सीसीआई अंतरराष्ट्रीय सहयोग को सुविधाजनक बनाने के लिए विदेशी समकक्षों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करता है।
- + **बाजार अध्ययन:** भारतीय प्रतिस्पर्द्धा आयोग संभावित प्रतिस्पर्द्धा के मुद्दों की पहचान करने, बाजार की गतिशीलता को समझने, प्रवेश में बाधाओं और प्रतिस्पर्द्धा-विरोधी व्यवहार के लिए गहन बाजार अध्ययन करता है। यह बाजार में सुधार की आवश्यकता वाले संभावित क्षेत्रों की पहचान करने में मदद करती है और साक्ष्य-आधारित नीतियों के निर्माण में भी सहायक होता है।

## उपभोक्ताओं और व्यवसायों के हितों की रक्षा

- किसी भी अर्थव्यवस्था में उपभोक्ताओं और व्यवसायों के हितों की रक्षा के लिए अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्द्धा को बनाए रखना आवश्यक होता है।
- ❖ भारत सरकार द्वारा प्रतिस्पर्द्धा कानून बनाया गया है, इसका उद्देश्य बाजार में प्रतिस्पर्द्धा माहौल को बढ़ावा देकर उपभोक्ताओं और व्यवसायों दोनों के हितों की रक्षा करना है।
  - ❖ भारत में इस प्रकार के कानून भारतीय प्रतिस्पर्द्धा आयोग द्वारा लागू किया जाता है। यह आयोग प्रतिस्पर्द्धा की स्थिति और उपभोक्ता कल्याण की सुरक्षा के लिए एक नियामक निकाय के रूप में कार्य करता है।
  - ❖ भारतीय प्रतिस्पर्द्धा आयोग, प्रतिस्पर्द्धा प्रक्रिया को संरक्षित करने और प्रमुख उपक्रमों द्वारा बहिष्कारी तथा शोषणकारी प्रथाओं पर रोक लगाकर व्यापार स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है। इसके द्वारा प्रयोग किए जाने वाले कुछ प्रमुख नियोजित तरीकों में निम्नलिखित शामिल हैं:

## महिला सशक्तीकरण की दिशा में बढ़ते कदम

महिला सशक्तीकरण से तात्पर्य यह है कि महिलाओं को इतना सशक्त बनाया जाए कि वे अपने जीवन से जुड़े सभी फैसले स्वयं ले सकें तथा परिवार और समाज में अपने वास्तविक अधिकार को प्राप्त कर सकें।

- ❖ भारत में राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय महिला आयोग तथा राज्य स्तर पर राज्य महिला आयोग, हर स्तर पर लैंगिक असमानता को कम करने के लिए कार्य कर रहे हैं।
- ❖ इनके द्वारा एक ऐसी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए काम किया जा रहा है, जहां हर किसी को बिना किसी पूर्वाग्रह के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक गतिविधियों में शामिल होने का समान, स्वतंत्र और निष्पक्ष अवसर मिले। वर्तमान सरकार द्वारा इस दिशा में उठाए गए महत्वपूर्ण कदम निम्नलिखित हैं:
  - + **बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ:** 2015 में शुरू की गई इस पहल का उद्देश्य गिरते बाल लिंग अनुपात की समस्या को दूर करना है। पे योजना के माध्यम से लड़कियों की शिक्षा और कल्याण को भी बढ़ावा दिया जा रहा है।
  - + **प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई):** इस योजना को 2017 में भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई है। यह एक प्रकार की मातृत्व लाभ योजना है, जो गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को गर्भावस्था और प्रसव के दौरान बेहतर स्वास्थ्य और पोषण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
  - + **महिला ई-हाट:** यह एक प्रकार की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सुविधा है, जिसे 2016 में लॉन्च किया गया था। यह महिलाओं को व्यापक ग्राहक आधार तक पहुंचने और उनके व्यवसायों को बढ़ावा देने के लिए एक डिजिटल बाजार प्रदान करता है।
  - + **उज्वला योजना:** 2016 में शुरू की गई यह योजना गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन प्रदान करती है। इसका उद्देश्य उनके स्वास्थ्य में सुधार के साथ ही, आंतरिक या घरेलू वायु प्रदूषण को कम करना और स्वच्छ खाना पकाने के ईंधन तक पहुंच को सक्षम करके उन्हें सशक्त बनाना है।
  - + **स्टैंड अप इंडिया:** 2016 में शुरू की गई यह योजना महिलाओं और अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के बीच उद्यमिता को प्रोत्साहित करती है। यह महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण और स्वरोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने, ग्रीनफील्ड उद्यम स्थापित करने के लिए 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक के बैंक ऋण प्राप्त करने में सहायक है।
  - + **प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई):** यह 2015 में शुरू की गई इस कौशल विकास योजना का उद्देश्य रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए उद्योग-प्रासंगिक प्रशिक्षण प्रदान करना है। इसके तहत संचालित विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित कौशल विकास पाठ्यक्रमों ने कई महिलाओं को लाभान्वित किया है।
  - + **आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2013 (निर्भया अधिनियम):** यह संशोधन 2013 में पारित किया गया था, जिससे यौन अपराधों से संबंधित कानूनों में महत्वपूर्ण बदलाव हुए। सरकार ने महिला सुरक्षा और सशक्तीकरण संबंधित पहलों का समर्थन करने के लिए निर्भया फंड की स्थापना की। इस फंड का उपयोग वन-स्टॉप सेंटर, महिला हेल्पलाइन स्थापित करने और महिला सुरक्षा के लिए बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए किया गया है।
- + **मातृत्व लाभ (संशोधन) अधिनियम, 2017:** यह संशोधन 2017 में लागू किया गया था, जिससे संगठित क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं के लिए मातृत्व अवकाश की अवधि 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह कर दी गई। यह सुधार मातृ स्वास्थ्य और बच्चे के साथ जुड़ाव के लिए पर्याप्त समय प्रदान करने के महत्व को दर्शाता है।
- + **कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013:** यह अधिनियम यौन उत्पीड़न की शिकायतों को दूर करने और महिलाओं के लिए एक सुरक्षित कार्य वातावरण सुनिश्चित करने में सहायक है। यह कार्यस्थल पर आंतरिक समितियों की स्थापना को अनिवार्य बनाता है।

## कुरुक्षेत्र (सितंबर 2023)

### भारत में मानव संसाधन के विकास को बढ़ावा

भारत 140 करोड़ से अधिक व्यक्तियों की भूमि है, जिनमें से 67 प्रतिशत लोग 15-64 आयु वर्ग में हैं, इससे ज्ञात होता है कि भारत में अपेक्षाकृत युवा आबादी अधिक है। एक रिपोर्ट के अनुसार लगभग 24.3 प्रतिशत वृद्धिशील वैश्विक कार्यबल के साथ भारत मानव संसाधनों का सबसे बड़ा प्रदाता बना रहेगा।

- ❖ हालांकि देश को इस जनसांख्यिकीय उपहार का एहसास हो, इसके लिए युवा आबादी की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और उन्हें भविष्य के लिए तैयार करने के लिए आवश्यक सुविधाओं तक पहुंच सुनिश्चित होनी जरूरी है।
- ❖ बढ़ती हुई देश की आबादी को मानव संसाधन में परिवर्तित करने के आर्थिक महत्व को ध्यान में रखते हुए नीति निर्माताओं द्वारा कई पहल शुरू की गई हैं, इनमें से प्रमुख निम्नलिखित हैं:
  - + **रटने की चुनौती का समाधान:** भारतीय शिक्षा प्रणाली के सामने आने वाली रटने की चुनौती का समाधान सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लाई गई। इस नीति का उद्देश्य न केवल प्रत्येक छात्र के अद्वितीय कौशल और क्षमताओं की पहचान करना है, बल्कि उनमें रचनात्मकता और आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देना है, जिनका छात्रों में कम उम्र में ही विकास जरूरी है।
  - + **कम उम्र में व्यवहार में बदलाव लाना:** भारत सरकार ने अटल इनोवेशन मिशन के माध्यम से 'अटल टिकरिंग लैब' की स्थापना की है। सरकारी स्कूलों में 60 प्रतिशत और निजी स्कूलों में 40 प्रतिशत कवरेज के साथ भारत में स्थापित ये 10,000 प्रयोगशालाएं अनिवार्य रूप से ऐसे निर्माण स्थल हैं, जहां 6वीं से 12वीं कक्षा के छात्रों को अपने जीवन में विचारों को पनपाने और विकसित करने का माहौल मिलता है।
  - + **नवाचार से संबंधित बुनियादी ढांचे का विकास:** अटल इनोवेशन मिशन में अटल इनक्यूबेशन सेंटर कार्यक्रम के माध्यम से सरकार ने नए इनक्यूबेटर्स की स्थापना के लिए सहायता प्रदान की है, जो नए स्टार्टअप को सहायता प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं और इन्हें स्केलेबल और स्थायी व्यवसाय में बढ़ने में मदद करते हैं।



- + **व्यापार करने में आसानी और बौद्धिक संपदा अधिकारों का संरक्षण:** आर्थिक विकास और प्रतिस्पर्धात्मकता के परिप्रेक्ष्य में नवाचार और अनुसंधान एवं विकास में निवेश बेहद लाभकारी होता है। स्टार्टअप इंडिया पहल की शुरुआत उद्यमिता और स्टार्टअप के विकास के लिए अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र बनाकर नवाचार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई थी। नामांकन और अनुपालन की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए इसके तहत कई पहलों की गई हैं।
- + **स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप कार्यक्रम:** भारत में विभिन्न राज्य सरकारों ने छात्रों और युवा नवप्रवर्तकों को सहयोग देने के लिए भी पहल शुरू की है। उदाहरण के लिए केरल स्टार्टअप मिशन, तेलंगाना में टी हब और गुजरात स्टार्टअप और इनोवेशन योजना राज्य स्तर पर उद्यमिता और नवाचार को बढ़ावा देने में सफल रही हैं। देश में कर्नाटक सबसे अधिक नवाचार वाला राज्य है। इसके बाद तेलंगाना और तमिलनाडु हैं।

## 2047 के विकसित अर्थव्यवस्था के लक्ष्य की मजबूत सीढ़ी

भारत अगले 25 साल में विकसित देश बनने का संकल्प ले चुका है। इस लक्ष्य को पाने में मेक इन इंडिया यानी भारत में निर्मित योजना की अहम भूमिका होगी। किसी भी अर्थव्यवस्था के आकार बढ़ाने एवं विकास की गति बढ़ावा देने वाले आवश्यक तत्व (जैसे जनतंत्र, जनसांख्यिकीय लाभांश, मांग, विविध बाजार और डिजिटल व्यवस्था) भारत में मौजूद हैं।

❖ जनसांख्यिकीय लाभांश एक बड़ी श्रमशक्ति और बड़ा बाजार मुहैया कराता है। मांग किसी भी उत्पादक के लिए 'संजीवनी' है तो विविध बाजार की बढ़ती विविध उत्पाद विकसित करने में मदद मिलती है। देश की अर्थव्यवस्था को विकसित करने से संबंधित सरकार की महत्वपूर्ण पहलें निम्नलिखित हैं:

- + **विभिन्न कानूनों में बदलाव:** इसके तहत सरकार ने अनावश्यक अनुपालन का बोझ कम करने की कोशिश है, उदाहरण के लिए, दिवालिया कानून में बदलाव कर कारोबार शुरू करने से लेकर बंद करने तक की व्यवस्था को आसान किया गया।
- + **कारोबार करने में आसानी:** नियमों एवं विनियमनों के बोझिल अनुपालनों को सरलीकरण, विवेकीकरण, डिजिटाइजेशन के जरिए अनुपालन के बोझ को कम कर दिया गया है; ताकि कारोबार करना सुगम हो। श्रम सुधारों के माध्यम से भर्ती और छंटनी में लचीलापन लाया गया है।
- + **वस्तुओं की गुणवत्ता को सुनिश्चित करना:** स्थानीय विनिर्माण में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए गुणवत्ता नियंत्रण आदेश लागू किए गए हैं।
- + **कर को संगत बनाना:** विनिर्माण और निवेश को बढ़ावा देने के लिए निगम कर में कमी की गई है। एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण कदम माल व सेवा कर यानी जीएसटी का लागू किया जाना रहा, जिसमें 17 तरह के कर और 13 तरह के सेस को मिलाकर एक देश-एक कर की व्यवस्था को लागू किया गया। इससे अलग-अलग कर के लिए अलग-अलग फॉर्म भरने की जरूरत खत्म हो गई।

- + **स्थानीय उत्पादों को प्राथमिकता:** स्थानीय उद्योगों को वस्तुओं, कार्यों व सेवाओं की सार्वजनिक खरीद में वरीयता प्रदान करने की नीति जारी की जा चुकी है। यह सभी मंत्रालयों या विभागों या संबद्ध या अधीनस्थ कार्यालयों या भारत सरकार द्वारा नियंत्रित स्वायत्तशासी निकाय पर लागू है और इसमें सरकारी कंपनियां शामिल हैं।
- + **आधारभूत ढांचा का विकास:** अलग-अलग विनिर्माण क्षेत्रों में संपर्क मजबूत हो, इसके लिए प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के तहत मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने की कोशिश होगी। योजना के जरिए कच्चे माल को उत्पादन केंद्र तक पहुंचाने और तैयार माल को उत्पादन केंद्र से बाजार तक पहुंचाने या फिर निर्यात के लिए नजदीकी जलमार्ग या वायुमार्ग केंद्र तक पहुंचाने की लागत को कम करना है।
- + **उत्पादन को प्रोत्साहन:** एक जिला-एक उत्पाद (ओडीओपी) जैसी पहल के माध्यम से देश प्रत्येक जिले से स्वदेशी उत्पादों का संवर्द्धन करने और कारीगरों तथा हस्तशिल्प विनिर्माताओं को एक वैश्विक मंच उपलब्ध कराने की कोशिश की जा रही है।
- + उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना यानी पीएलआई योजना का उद्देश्य प्रमुख क्षेत्रों और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी में निवेश आकर्षित करना, बेहतर क्षमता सुनिश्चित करना और विनिर्माण क्षेत्र में बड़े पैमाने और आकार में अर्थव्यवस्था का विस्तार तथा भारतीय कंपनियों और विनिर्माताओं को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना है।

## अनुसंधान और नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा

9 अगस्त, 2023 को संसद में अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन विधेयक 2023 पारित किया गया। इस विधेयक के माध्यम से देश में अनुसंधान एवं विकास के प्रयासों को बढ़ावा मिलने की संभावना है।

- ❖ यह देश में अनुसंधान एवं विकास से संबंधित निवेश, नीतियों और कार्यक्रमों को बल प्रदान करेगा। इस विधेयक के तहत 5 साल के लिए 50,000 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रावधान किया गया है, जिनमें से 36,000 करोड़ रुपये (लगभग 80 प्रतिशत) गैर-सरकारी स्रोतों से आएंगे।
- ❖ नैसकॉम की एक रिपोर्ट के अनुसार 2022 में समाप्त हुए दशक के दौरान भारत में पेटेंट फाइल करने के मामले में अभूतपूर्व बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वार्षिक आधार पर यह वृद्धि 13-6 प्रतिशत है।
- ❖ 2010 और 2022 के बीच में भारत में कुल 5,84,000 पेटेंट आवेदन दाखिल किए गए, जिनमें से 2,66,000 टेक्नोलॉजी के क्षेत्र से थे। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि इन तकनीकी पेटेंटों में से लगभग दो-तिहाई पेटेंट नई और उभरती हुई टेक्नोलॉजी पर केंद्रित हैं, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बिग डेटा, साइबर सुरक्षा और ब्लॉकचेन।
- ❖ दूरसंचार क्षेत्र में दाखिल किए गए पेटेंटों में से लगभग ढाई प्रतिशत पेटेंट 5जी और 6जी पर केंद्रित हैं। लेकिन आज भी पेटेंट दाखिल करने के मामले में हम चीन और अमेरिका जैसे देशों की तुलना में बहुत पीछे हैं।
- ❖ वैश्विक सूची में छोटे नंबर तक आ पहुंचे हैं। 2017 से 2022 के बीच भारत में शोध (रिसर्च) संबंधी प्रकाशनों की संख्या में 54 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।

- ❖ भारत में हुई यह वृद्धि वैश्विक औसत के दोगुने से भी अधिक है और भारत की तुलना में शैक्षणिक लिहाज से अधिक विकसित माने जाने वाले कई पश्चिमी देशों से आगे है।
- ❖ भारत में 2017-22 के दौरान लगभग 13 लाख अकादमिक पेपर पेश किए गए, जो सिर्फ चीन (45 लाख), अमेरिका (44 लाख) और इंग्लैंड (14 लाख) से कम है।
- ❖ सरकार ने विकास और अनुसंधान के क्षेत्र में निवेश को निरंतर बढ़ाया है। 2020 में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का लगभग 0.8 प्रतिशत हिस्सा अनुसंधान के लिए रखा गया था। यह अब भी वैश्विक औसत (1.7 प्रतिशत) की तुलना में लगभग आधा ही है।
- ❖ देश में विश्वस्तरीय आईटी-समर्थित पेटेंट कार्यालयों की स्थापना की गई है। पेटेंट आवेदनों की प्रारंभिक जांच के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर के प्रामाणिक सिस्टम को अपनाया गया है। पेटेंट आवेदनों की जांच के लिए 721 अतिरिक्त सक्षम जांचकर्ताओं की नियुक्ति की गई है। पेटेंट की जांच का समय, जो पहले सात साल हुआ करता था, को घटाकर 18 महीने पर लाया गया है।

## खाद्य प्रसंस्करण: विकास और संभावनाएं

वर्तमान में भारतीय खाद्य प्रसंस्करण सेक्टर ने वैश्विक स्तर पर अपना एक विशिष्ट स्थान बना लिया है। इसका सीधा लाभ देश के उद्यमियों, किसानों और आम उपभोक्ताओं को भी मिल रहा है। इस दिशा में भारत सरकार का खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय केंद्रीय भूमिका में है।

- ❖ भारत सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण (2022-23) के अनुसार पिछले 5 वर्षों में (वित्तीय वर्ष 2021 के अंत तक) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग सेक्टर 8.3 प्रतिशत की औसत वार्षिक दर से वृद्धि कर रहा है। वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण (2019-20) के अनुसार पंजीकृत निर्माण सेक्टर में कार्यरत कुल कार्मिकों में 12.2 प्रतिशत अकेले खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में कार्यरत है।
- ❖ खाद्य प्रसंस्करण के अंतर्गत वे सभी विधियां और तकनीकें शामिल हैं, जो कच्चे खाद्य पदार्थ की भंडारण अवधि (शेल्फ लाइफ) बढ़ाने, इसके अनेक उपयोगी व मूल्यवर्द्धित उत्पाद बनाने और इनकी सुरक्षित पैकेजिंग तथा परिवहन के उपयोग में आती हैं। इसके दायरे में विभिन्न प्रकार के अनाजों, फलों, सब्जियों, मसालों, मेवों आदि के साथ दूध, मांस, मछली और अंडे भी आते हैं।
- ❖ खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने से संबंधित अभिनव योजनाएं एवं इनकी अहम उपलब्धियां निम्नलिखित हैं:

+ **प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना:** 2016 में शुरू की गई इस योजना का कार्यकाल 2016-2020 तक निर्धारित किया गया था और कुल आवंटन 6,000 करोड़ रुपये था। बाद में 2017-18 से 2022-23 तक के लिए 4,099.76 करोड़ रुपये आवंटित किए गए।

+ **मेगा फूड पार्क योजना:** इसका उद्देश्य किसानों, प्रसंस्करण उद्यमियों और फुटकर विक्रेताओं को एक मंच प्रदान कर आपस में जोड़ना है, ताकि मूल्यवर्द्धन को अधिकतम और उपज के नुकसान को न्यूनतम करके किसानों की आमदनी बढ़ायी जा सके।

+ मेगा फूड पार्क के लिए एक सुनिश्चित आपूर्ति शृंखला की व्यवस्था रहती है, ताकि उद्यमियों को कच्ची सामग्री निश्चित रूप से मिलती रहे। इसके अतिरिक्त, प्रसंस्कृत उत्पादों की बिक्री के लिए खाद्य उत्पादों के विक्रेताओं को भी जोड़ा जाता है।

- + **एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर:** इसके अंतर्गत प्रोसेसिंग इकाइयों को एक समूह यानी क्लस्टर के रूप में संगठित करके आधुनिक बुनियादी सुविधाएं और प्रसंस्करण सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। बिजली, पानी, सड़क जैसी बुनियादी सुविधाओं के अतिरिक्त भंडारण सुविधा, कोल्ड स्टोरेज, कच्ची सामग्री के श्रेणीकरण की सुविधा और पैकिंग व्यवस्था जैसी साझा सुविधाएं उपलब्ध रहती हैं।
- + **शीत शृंखला, मूल्यवर्द्धन और परिरक्षण सुविधाएं:** इसके लिए आवश्यक बुनियादी सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। देश में शीत शृंखला से लेकर परिरक्षण तक की बुनियादी सुविधाओं का विकास समेकित रूप से किया जा रहा है। इसके अंतर्गत आपूर्ति शृंखला के लिए आवश्यक सभी सुविधाएं, खेत में संग्रह और छंट्टाई से लेकर मोबाइल कूलिंग यूनिट्स और रीफर वैन तक मुहैया करायी जाती हैं।
- + **ऑपरेशन ग्रीन्स योजना:** इस योजना को वर्ष 2018 में तीन फसलों (टमाटर, प्याज, आलू) में समेकित शीत शृंखला के विकास के उद्देश्य से शुरू की गई है। इसके दो घटक हैं- पहला दीर्घकालीन नीति, जिसके अंतर्गत मूल्य शृंखला के विकास की परियोजनाएं स्वीकृत की जाती हैं और दूसरा लघुकालीन नीति, जिसके अंतर्गत मूल्य स्थायित्व के लिए परिवहन तथा भंडारण हेतु सब्सिडी प्रदान की जाती है। इसके अंतर्गत मार्च 2022 तक 84.73 करोड़ रुपये की सब्सिडी जारी की गई है, जिसका लाभ देश भर के किसानों को हुआ है।
- + **खाद्य प्रसंस्करण फंड:** भारत सरकार ने 'नाबार्ड' (राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक) के अंतर्गत 2,000 करोड़ रुपये का एक विशेष खाद्य प्रसंस्करण फंड सृजित किया है, जिससे मेगा फूड पार्क और कृषि प्रसंस्करण इकाइयों को रियायती दरों पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है।
- + **एग्रीकल्चर इन्फ्रा फंड:** यह एक विशेष कोष है, जिससे भारत सरकार ने जुलाई, 2020 से लागू किया है। कोष के अंतर्गत कटाई उपरांत प्रबंधन के लिए बुनियादी सुविधाओं के निर्माण के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है। इसके लिए वर्ष 2025-26 तक एक लाख करोड़ रुपये वितरित करने का लक्ष्य है, जबकि ब्याज अनुदान और ऋण गारंटी सहायता 2032-33 तक जारी रहेगी। इसके माध्यम से 30,000 करोड़ रुपये की इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाएं शुरू की गई हैं, जिनके लिए 15,000 करोड़ रुपये की सहायता दी गई है।

## विज्ञान प्रगति (सितंबर 2023)

### 'यूक्लिड' टेलीस्कोप एवं डार्क मैटर

हाल ही में यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने 'यूक्लिड मिशन' के तहत अंतरिक्ष में एक यूक्लिड टेलीस्कोप लॉन्च किया है, जो न सिर्फ डार्क मैटर की खोज करेगा, बल्कि डार्क एनर्जी की भी खोज करेगा।

- ❖ यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप मिशन लगभग 6 वर्षों का होगा, जिस दौरान यह एक करोड़ जीबी से ज्यादा वैज्ञानिक डेटा धरती पर भेजेगा। इस विशाल डेटा सेट की प्रोसेसिंग 15 देशों (ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड, नॉर्वे आदि) के 100 से ज्यादा प्रयोगशालाओं में 1,200 से ज्यादा शोधकर्ताओं द्वारा किया जाएगा।

- ❖ **डार्क मैटर एवं डार्क एनर्जी:** डार्क मैटर शब्द 1998 में आया था, जब यह पता चला था कि ब्रह्मांड के 80 प्रतिशत हिस्से में डार्क मैटर है। डार्क एनर्जी से सारी आकाशगंगाएं, ग्रह और सौर मंडल आपस में जुड़े हुए हैं। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी दोनों ही अदृश्य हैं।
  - + ब्रह्मांड में सिर्फ 5 प्रतिशत ही दृश्य पदार्थ है, जिसे हम देख पाते हैं। 22 प्रतिशत पदार्थ अदृश्य है, जिसे 'डार्क मैटर' कहा जाता है और 73 प्रतिशत ऐसी काल्पनिक डार्क एनर्जी है, जिससे ब्रह्मांड तेजी से फैल रहा है। लेकिन ऊर्जा और पदार्थ के इन दोनों रूपों का आकलन पूरी तरह से सैद्धांतिक रहा है एवं प्रत्यक्ष रूप से इसका अवलोकन नहीं किया गया है।
  - + डार्क मैटर पदार्थ के गैर-चमकदार कण हैं, जो आकाशगंगाओं और आकाशगंगाओं के समूहों के दृश्य पदार्थों पर गुरुत्वाकर्षण प्रभाव डालते हैं। यह अंधेरा है, अदृश्य है और अधिकांश ब्रह्मांडीय पदार्थ को छिपाए है। इसकी उपस्थिति इसके गुरुत्वाकर्षण प्रभावों से स्पष्ट रूप से दिखती है।
  - + यह डार्क मैटर का गुरुत्वाकर्षण ही ब्रह्मांड को एक साथ खींचता है, इसे पतन से बचाता है। खगोल भौतिकी के अनुसार डार्क मैटर ऐसा अज्ञात पदार्थ है, जो सितारों और आकाशगंगाओं पर गुरुत्वाकर्षण प्रभाव डालता है।
  - + यह बिना किसी आवेश, बिना स्पिन और क्वांटम क्रोमो डायनैमिक्स द्वारा निर्मित नगण्य द्रव्यमान वाला एक काल्पनिक कण है। इसके अलावा ऐसी भी संभावना है कि इसका निर्माण ब्रह्मांड के निर्माण के तुरंत बाद बड़े कणों से हुआ होगा।
- ❖ **यूक्लिड मिशन की उपयोगिता:** यूक्लिड की मदद से डार्क मैटर के वितरण को ज्यादा सटीकता से जानने में मदद मिलेगी। यह वास्तव में किस चीज से बना है और कैसे व्यवहार करता है।
  - + यूक्लिड टेलीस्कोप सौरमंडल को पार करने के बाद धरती से करीब 15 करोड़ किलोमीटर दूर रहेगा। इस टेलीस्कोप द्वारा निकटवर्ती आकाशगंगाओं को देखकर मिशन यह पता लगाएगा कि समय के साथ डार्क एनर्जी का प्रभाव कैसे बदल गया है।
  - + यूक्लिड आकाशगंगाओं का आकार-प्रकार जानने के लिए एक विजिबल लाइट कैमरा और उनकी चमक व दूरी को मापने के लिए एक नियर इंफ्रारेड डिटेक्टर से लैस है। अरबों आकाशगंगाओं का अवलोकन करके ब्रह्मांड का एक विस्तृत त्रिविमीय मानचित्र तैयार करेगा।
  - + यूक्लिड से मिलने वाले डेटा की मदद से वैज्ञानिक ब्रह्मांड के दो मानचित्र बनाएंगे। पहला, गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग द्वारा ब्रह्मांड में डार्क मैटर के वितरण का विवरण देगा। दूसरा ब्रह्मांड के तीव्र फैलाव की व्याख्या करेगा।
  - + यूक्लिड मिशन में कुल मिलाकर 13 यूरोपीय देशों, अमेरिका, कनाडा और जापान के 2000 से अधिक वैज्ञानिक शामिल हैं।
- ❖ स्ट्रैटोस्फियर के क्षेत्र में ओजोन का लगभग 95 प्रतिशत हिस्सा पाया जाता है। ओजोन की यही परत सूरज से आने वाले विकिरण को पृथ्वी की सतह तक पहुंचने से रोकती है।
- ❖ हानिकारक ग्रीनहाउस गैसों के प्रभाव से प्राकृतिक रूप से बनी ओजोन की परत बड़ी तेजी से नष्ट हो सकती है। कुछ यौगिक तीव्र अल्ट्रावॉयलेट प्रकाश के संपर्क में आने पर क्लोरीन अथवा ब्रोमीन उत्पन्न करते हैं, इन पदार्थों को क्षतिग्रस्त करने वाले पदार्थ कहते हैं।
- ❖ क्लोरोफ्लोरो कार्बन, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरो कार्बन, कार्बन टेट्राक्लोराइड और मिथाइल क्लोरोफॉर्म जैसे पदार्थ इसके उदाहरण हैं, जो क्लोरीन उत्पन्न करते हैं। यद्यपि ये पदार्थ पृथ्वी की सतह पर उत्सर्जित होते हैं, परंतु 2 से 5 वर्षों की लंबी अवधि में एक प्रक्रिया के अंतर्गत ये पदार्थ स्ट्रैटोस्फियर में पहुंच जाते हैं।
- ❖ पहले आमधारणा थी कि दक्षिण ध्रुव के ऊपर क्षेत्र में ही ओजोन की परत क्षतिग्रस्त होती है, परंतु किए गए शोध अध्ययन से पता चला कि उत्तर अमेरिका, यूरोप, एशिया के साथ-साथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अमेरिका के अधिकांश हिस्सों के ऊपर ओजोन की परत क्षतिग्रस्त होती है। ओजोन परत में कमजोरी से विभिन्न स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, जिनमें प्रमुख निम्नलिखित हैं:
  - + **त्वचा का कैंसर:** लघु तरंग दैर्ध्य का अल्ट्रावॉयलेट-सी विकिरण सबसे अधिक खतरनाक होता है। मध्यम तरंग दैर्ध्य का अल्ट्रावॉयलेट-बी विकिरण के प्रभाव से मानव की त्वचा के जलन जैसी समस्या पैदा होती है। त्वचा की आयु तेजी से बढ़ने के परिणामस्वरूप त्वचा के कैंसर के विकास को बढ़ावा मिलता है।
    - ❖ अल्ट्रावॉयलेट-ए विकिरण का लगभग 95 प्रतिशत हिस्सा पृथ्वी की सतह पर पहुंच जाता है। यह त्वचा की भीतरी परत तक प्रवेश कर त्वचा के रंग को गाढ़ा कर देती है।
  - + **विटामिन डी के स्तर में गिरावट:** शरीर में लगभग 90 प्रतिशत विटामिन-डी के संश्लेषण के लिए एक अनुकूल स्तर तक धूप का प्रभाव आवश्यक होता है। अल्ट्रावॉयलेट-बी के पर्याप्त स्तर से नहीं प्रभावित होने की स्थिति में मानव में विटामिन-डी की कमी हो जाती है।
- ❖ व्यक्तियों द्वारा धूप के सीधे प्रभाव से बचने हेतु कृत्रिम सनस्क्रीन के प्रयोग का चलन बढ़ा है। सनस्क्रीन का प्रयोग करने की स्थिति में शरीर में पर्याप्त मात्रा में विटामिन-डी नहीं मिल पाता, जिसके कारण शरीर पहले से संचित विटामिन डी का उपयोग करने लगता है।
  - + **प्रतिरक्षा क्षमता में कमी:** त्वचा के अल्ट्रावॉयलेट विकिरण से प्रभावित होने पर त्वचा में मौजूद एंटीजन पैदा करने वाली कोशिकाओं की संख्या और उनके कार्य में बदलाव आता है।
    - ❖ जिसके परिणामस्वरूप टी-कोशिकाओं के प्रेरित होने से प्रतिरक्षा क्षमता में गिरावट आने तथा टी-कोशिकाओं की उपलब्धता असंतुलित होने जैसी स्थितियां पैदा हो जाती हैं।
  - + **ओजोन क्षरण का वनस्पतियों पर प्रभाव:** वनस्पतियों में उच्च स्तर के अल्ट्रावॉयलेट विकिरण को सहन करने की क्षमता होती है, परंतु उन पर अत्यधिक तीव्र अल्ट्रावॉयलेट विकिरण का सीधा असर पड़ने से उनकी वृद्धि प्रभावित होती है।
    - ❖ ओजोन की परत कमजोर होने की स्थिति में समुद्री सतह के अल्ट्रावॉयलेट विकिरण के प्रभाव में भी समुद्री सूक्ष्मजीवों की संख्या में गिरावट आने जैसे प्रतिकूल प्रभाव देखे जाते हैं। ■■

## ओजोन क्षरण का मानव तथा प्रकृति पर प्रभाव

पृथ्वी की सतह के ऊपरी वायुमंडल में कई सतहें होती हैं। पृथ्वी की सतह से 10 किलोमीटर की ऊंचाई तक सबसे निचली परत टोपोस्फियर (क्षोभमंडल) कहलाती है।

- ❖ पृथ्वी की सतह से 10 से लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई स्ट्रैटोस्फियर (समताप मंडल) कहलाती है। अधिकांश हवाई जहाज इसी क्षेत्र के निचले हिस्से में उड़ान भरते हैं।

# संसद प्रश्नोत्तरी

## प्रारंभिक परीक्षा तथ्य: वनलाइनर रूप में

### समेकित बाल विकास योजना (ICDS)

- आंगनवाड़ी सेवा स्कीम, पोषण अभियान और संशोधित किशोरी स्कीम किस मिशन के तहत शामिल है? - **मिशन पोषण 2.0**
- मिशन पोषण 2.0 कितने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सभी जिलों में शुरू किया गया है? - **36**
- वर्ष 2022-23 में लगभग कितने लाख आंगनवाड़ी केंद्र कार्यरत हैं? - **लगभग 13.96 लाख**
- समेकित बाल विकास योजना के तहत सेवा वितरण की निगरानी के लिए कौन-सा एप्लिकेशन शुरू किया गया है - **पोषण ट्रैकर**
- 5 वर्ष से कम आयु के कम वजन वाले, कुपोषित और गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों के संदर्भ में आयोजित राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण किस मंत्रालय के तहत किया जाता है?  
- **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय**
- राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5(2019-21) के अनुसार देश में टिगनेपन, दुबलेपन एवं कम वजन से ग्रसित संख्या है  
- **क्रमशः 35.5%, 19.3% तथा 32.1%**
- किस अभियान के तहत आंगनवाड़ी कर्मियों को स्मार्ट फोन प्रदान किए जा रहे हैं?  
- **पोषण अभियान**

### तरल यूरिया उत्पादन संयंत्र

- वर्ष 2021-22 के 250.72 एलएमटी यूरिया उत्पादन की तुलना में वर्ष 2022-23 में कुल उत्पादन था - **284.94 एलएमटी**
- वर्तमान में देश में कुल कितने नैनो यूरिया संयंत्र कार्यरत हैं?  
- **तीन (कलोल, फूलपुर तथा आंबला)**
- केंद्र का उर्वरक सब्सिडी भुगतान वित्त वर्ष 2011 में बजटीय राशि से 62% से बढ़कर हो गया है - **3 लाख करोड़ रुपये**
- नई यूरिया नीति 2015 का प्रमुख उद्देश्य है  
- **स्वदेशी यूरिया उत्पादन को बढ़ावा देना**

### टेली-मानस पहल

- टेली-मानस पहल के लिए तकनीकी सहायता प्रदान की जाएगी  
- **आईआईटी बॉम्बे द्वारा**
- विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस को पहली बार किस संस्थान की पहल पर मनाया गया था?  
- **वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ (1992 में)**
- अक्टूबर 2022 में सरकार द्वारा देश में गुणवत्तापूर्ण मानसिक स्वास्थ्य परामर्श और परिचर्चा सेवाओं तक पहुंच में सुधार हेतु किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है?  
- **“राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम”**

### पोषण कार्यक्रम

- मिशन पोषण 2.0 का मुख्य उद्देश्य है  
- **मानव पूंजी का विकास करना तथा स्तनपान कराने वाली महिलाओं में कुपोषण की कमी करना**
- आंगनवाड़ी सेवाएं, पोषण अभियान और किशोरियों के लिए स्कीम को किस मिशन के तहत एकीकृत किया गया है? - **पोषण 2.0**
- पोषण 2.0 की चार प्रमुख कार्यनीतियां हैं-  
(i) **व्यवहार परिवर्तन एवं स्थानीय भागीदारी के लिए संचार**  
(ii) **पोषण जागरूकता**  
(iii) **पोषण से संबंधित कमियों का समाधान**  
(iv) **हरित पारिस्थितिकी सृजित करना।**
- राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय पोषण माह देश भर में सितंबर माह में मनाया जाता है, जबकि पोषण पखवाड़ा मनाया जाता है  
- **मार्च माह में**

### क्षय रोग

- वर्ष 2023 में क्षय रोग उन्मूलन के लिये थीम है  
- **हां हम क्षय रोग का उन्मूलन कर सकते हैं**
- विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ग्लोबल फंड और स्टॉप टीबी पार्टनरशिप के साथ किस संयुक्त पहल की शुरुआत की है?  
- **“फाईंड ट्रीट ऑल #EndTB”**
- सरकार द्वारा क्षय रोगियों के लिए कौन-सी योजना चलाई जा रही है?  
- **निक्षय मित्र योजना**
- भारत में टीबी उन्मूलन का लक्ष्य है  
- **वर्ष 2025 तक**

### राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम

- राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम में कितने उप-कार्यक्रम सम्मिलित हैं?  
- **तीन (अपशिष्ट से ऊर्जा, बायोमास तथा बायोऊर्जा कार्यक्रम)**
- कार्यक्रम को दो चरणों में लागू करने की अनुशंसा की गई है। कार्यक्रम के चरण-I को कितना बजट परिव्यय के साथ अनुमोदित किया गया है?  
- **858 करोड़ रुपये के**
- नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने कब से कब तक की अवधि के लिए राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम (एनबीपी) को अधिसूचित किया है?  
- **1 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2026 तक**

### नकदी फसलों हेतु एमएसपी

- सरकार किसकी सिफारिश पर न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी निर्धारित करती है?  
- **कृषि लागत और मूल्य आयोग**
- वर्तमान समय में कितनी फसलों पर एमएसपी लागू है? - **22**

- एमएसपी के तहत फसलों को मुख्यतः किन आधारों पर सम्मिलित किया जाता है?  
- अपेक्षाकृत अधिक सेल्फ लाइफ, जल्दी खराब नहीं होना, व्यापक रूप से उत्पादन अधिक मात्रा में खपत एवं खाद्य सुरक्षा की दृष्टि से अनिवार्यता इत्यादि।

### पी-एम ऊषा

- प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (पीएम-ऊषा) योजना को मंजूरी दी है - 2023-24 से 2025-26 की अवधि हेतु
- पीएम-ऊषा राज्य विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए किसकी योजना है? - शिक्षा मंत्रालय
- प्रधान मंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान का प्रमुख लक्ष्य है - NEP2020 द्वारा पहचाने गए अंतरालों और मुद्दों का समाधान करना।

### ग्लोबल मीथेन प्लेज

- भारत में मिथेन उत्सर्जन के दो प्रधान स्रोत हैं  
- आंत्रिक (एटेरिक) किण्वन तथा धान की खेती
- वर्तमान समय धान का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश है - भारत
- ग्लोबल मीथेन प्लेज को किस जलवायु सम्मेलन में लॉन्च किया गया था? - संयुक्त राष्ट्र COP26 (ग्लासगो)
- इस समझौते का एक मुख्य उद्देश्य वर्ष 2030 तक मीथेन उत्सर्जन को 2020 के स्तर से कितने प्रतिशत तक कम करना है?  
- 30 प्रतिशत
- मीथेन उत्सर्जन का तीसरा सबसे बड़ा देश है - भारत

### ऑपरेशन गंगा

- रूस एवं यूक्रेन युद्ध के दौरान फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए किस ऑपरेशन को संचालित किया गया था?  
- ऑपरेशन गंगा
- वर्ष 2006 में इजराइल-लेबनान युद्ध के दौरान लेबनान से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारतीय नौसेना द्वारा शुरू किया गया था - ऑपरेशन सुकून या बेरूत सीलिफ्ट
- अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे की पृष्ठभूमि में से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया - ऑपरेशन देवी शक्ति
- 25 अप्रैल, 2015 को नेपाल में आए भूकंप के बाद भारत सरकार द्वारा कौन-सा ऑपरेशन शुरू किया गया था? - ऑपरेशन मैत्री

### आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसरंचना मिशन

- प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसरंचना मिशन केंद्रीय घटकों के साथ एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसकी योजना अवधि है - वर्ष 2021-22 से 2025-26
- इस मिशन के तहत देश भर में कितने शहरी स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र स्थापित किया जाएगा? - 11,024 केंद्र

### राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम

- भारत में केंद्र प्रायोजित राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम को किस मिशन के तहत चलाया जा रहा है?  
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत

- भारत सरकार द्वारा पूर्व निर्धारित लक्ष्य को संशोधित करते हुए कुष्ठ रोग के प्रसार को शून्य करने के लिए लक्ष्य रखा है  
- वर्ष 2027 तक
- राष्ट्रीय कुष्ठ रोग नियंत्रण कार्यक्रम कब शुरू किया गया था?  
- वर्ष 1955

### सक्षम योजना

- दिव्यांग छात्रों को उच्चतर शिक्षा जारी रखने हेतु 'सक्षम योजना' किसकी पहल है? - अखिल भारतीय तकनीकी परिषद की
- इस योजना के अंतर्गत 40% या समकक्ष दिव्यांग वाले छात्रों को कितनी राशि छात्रवृत्ति के रूप में दी जाती है? - 5,000 रु.
- सक्षम छात्रवृत्ति योजना शुरू की गई थी - नवंबर 2014

### रक्ताल्पता मुक्त भारत कार्यक्रम

- रक्ताल्पता (एनीमिया) मुक्त भारत कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई?  
- वर्ष 2018
- राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 के अनुसार 6-59 महीने की आयु के बालकों तथा बालिकाओं में एनीमिया की व्यापकता है - क्रमशः 67.2% तथा 67.0%
- एनीमिया के मामलों का पता लगाने और उनका इलाज करने के लिए चिकित्सा अधिकारियों/ओबीजीवाईएन की मदद से एएनसी जांच आयोजित करने के लिए किस अभियान को लॉन्च किया गया है  
- प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (पीएमएसएमए)

### राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर

- राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर का निर्माण कहाँ पर किया जा रहा है?  
- लोथल, गांधीनगर (गुजरात)
- इस परियोजना के पूर्ण होने की संभावना है  
- वर्ष 2024 तक तक
- इस विरासत परिसर को मुख्यतः किस थीम पर निर्मित किया जा रहा है  
- हड़प्पा काल से वर्तमान समय तक की भारतीय समुद्री धरोहर पर
- इस परिसर का निर्माण किस देश के सहयोग के साथ किया जा रहा है?  
- पुर्तगाल

### तुअर दाल आयात

- वर्ष 2022-23 में तुअर दाल का घरेलू उत्पादन वर्ष 2021-22 के 42.20 एलएमटी की तुलना में कितना होने का अनुमान है? - 34.30 लाख मीट्रिक टन
- तुअर दाल का सर्वाधिक उत्पादक एवं उपभोक्ता देश है- भारत

### वज्र योजना

- विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग का सांविधिक निकाय, विज्ञान और इंजीनियरी अनुसंधान बोर्ड द्वारा भारत के अनुसंधान एवं विकास पारितंत्र के साथ मजबूत अंतरराष्ट्रीय संपर्क बनाने के उद्देश्य से कौन-सी योजना कार्यान्वित कर रहा है? - वज्र योजना
- VAJRA (विजिटिंग एडवांस्ड ज्वाइंट रिसर्च) फैंकल्टी योजना की घोषणा कब की गई  
- 8 जनवरी, 2017 को

## प्रारंभिक परीक्षा

# सामान्य अध्ययन दृष्टिकोण विशेषांक-2

प्रिय पाठक,

आगामी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2024 हेतु प्रस्तुत प्रारंभिक परीक्षा सामान्य अध्ययन दृष्टिकोण विशेषांक के अंतर्गत हम संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) एवं राज्य लोक सेवा आयोगों (State PSCs) द्वारा आयोजित प्रारंभिक परीक्षाओं की आवश्यकताओं के अनुरूप सामग्री का प्रस्तुतीकरण कर रहे हैं।

विगत 10-15 वर्षों में आयोजित हुई प्रारंभिक परीक्षाओं के प्रश्नों का सावधानीपूर्वक विश्लेषण करने के उपरांत यह ज्ञात होता है कि प्रायः परीक्षा में प्रश्न (विशेषकर यूपीएससी की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में) दोहराए नहीं जाते, बल्कि सामान्य अध्ययन में कई ऐसे विषय (Topic) हैं, जो अपने विशेष महत्व के कारण अक्सर दोहराए जाते हैं तथा इन विषयों के विभिन्न आयामों से प्रश्न पूछे जाते हैं।

तदनुसार हम नवंबर 2023 के इस अंक में प्रारंभिक परीक्षा सामान्य अध्ययन दृष्टिकोण विशेषांक-2 के अंतर्गत सामान्य अध्ययन के 31 अति महत्वपूर्ण विषयों (Topics) को प्रस्तुत कर रहे हैं, जिनसे सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। पिछले अंक (अक्टूबर 2023) में हमने सामान्य अध्ययन दृष्टिकोण विशेषांक-1 प्रकाशित किया था।

सामान्य अध्ययन दृष्टिकोण विशेषांक प्रारंभिक परीक्षा के संपूर्ण पाठ्यक्रम को कवर करेगा, जिसमें भारतीय इतिहास, कला एवं संस्कृति, भूगोल, भारतीय राजव्यवस्था, अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण शामिल होंगे।

आशा है कि सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी के दौरान यह सामग्री आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। इसके संबंध में आप अपना अनुभव हमारे साथ [cschindi@chronicleindia.in](mailto:cschindi@chronicleindia.in) पर साझा कर सकते हैं।

भविष्य के लिए शुभकामनाएं...

### इतिहास एवं संस्कृति

1. वैदिक सभ्यता: सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक व्यवस्था..... 88
2. अशोक के शिलालेख ..... 89
3. प्राचीन एवं मध्यकालीन  
भारत की सिक्का प्रणाली ..... 92
4. मुगलकालीन भू-राजस्व प्रणाली..... 95
5. मुगलकाल में कला, वास्तुकला एवं साहित्य का विकास..... 97
6. भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान ब्रिटिश प्रस्ताव एवं मिशन..... 99

### भूगोल

7. प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक पवन प्रणालियां ..... 101
8. खनिजों के भंडार तथा उत्पादन : भारत एवं विश्व ..... 102
9. प्रमुख महासागरीय धाराएं..... 104
10. भारत की मृदाएं : वर्गीकरण एवं विशेषताएं..... 107
11. भारत में जनजातियों का वितरण..... 109
12. भारत में पर्वत श्रृंखलाएं एवं दर्रे..... 109

### राजव्यवस्था

13. भारत के राष्ट्रपति : निर्वाचन एवं शक्तियां..... 115
14. महत्वपूर्ण संवैधानिक निकाय..... 116
15. भारत में अभियुक्त व्यक्तियों के अधिकार..... 119
16. लोक सभा : अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष ..... 120

17. भारत में न्यायिक समीक्षा..... 121
18. अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्र : मानदंड एवं प्रशासन..... 123

### अर्थव्यवस्था

19. न्यूनतम समर्थन मूल्य : कवरेज एवं तंत्र..... 125
20. भारत की कनेक्टिविटी परियोजनाएं: घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय..... 126
21. भुगतान संतुलन..... 128
22. महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थान ..... 129
23. विरासत पर्यटन: भारत में थीम आधारित सर्किट..... 130

### पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी

24. जैव-विविधता तथा वन्यजीव संरक्षण : अंतरराष्ट्रीय कानून एवं अभिसमय..... 132
25. प्रमुख वायु एवं जल प्रदूषक..... 134
26. भारत एवं विश्व में प्रवाल भित्तियां..... 136
27. वैकल्पिक ईंधन..... 138
28. पर्यावरण एवं जैव-विविधता: महत्वपूर्ण शब्दावली..... 140

### विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

29. ब्रह्मांडीय पिंड एवं परिघटनाएं..... 141
30. कृषि में उभरती प्रौद्योगिकियों के अनुप्रयोग ..... 143
31. भारत की स्वदेशी मिसाइल तकनीक..... 145

## इतिहास एवं संस्कृति

### वैदिक सभ्यता: सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक व्यवस्था

वैदिक युग भारत के इतिहास में 1500 से 600 ईसा पूर्व के बीच की अवधि को संदर्भित करता है, जब उत्तर भारतीय उपमहाद्वीप में वेदों सहित समस्त वैदिक साहित्य लिखा गया था।

- यह सिंधु घाटी सभ्यता के शहरी चरण के अंत और द्वितीय शहरीकरण की शुरुआत के बीच अस्तित्व में था। द्वितीय शहरीकरण सिंधु-गंगा के मैदान के केंद्र में लगभग 600 ईसा पूर्व में शुरू हुआ था।
- इस अवधि एवं संस्कृति को सिंधु घाटी में इंडो-आर्यन प्रवासन के लिए उत्तरदायी समझा जाता है।
- वैदिक सभ्यता, भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी एवं उत्तर-पश्चिमी क्षेत्रों में केंद्रित थी।

#### वैदिक काल

विवादित आर्य आक्रमण का विचार वैदिक युग के आरम्भ के निर्धारण से जुड़ा हुआ है। इस विचार के अनुसार, द्रविड़ों ने उत्तर भारत में सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता का निर्माण किया होगा।

- 1500 ईसा पूर्व तक, हड़प्पा संस्कृति के शहरों का पतन हो गया था। परिणामस्वरूप, उनकी आर्थिक एवं प्रशासनिक व्यवस्थाएं धीरे-धीरे नष्ट हो गई थीं।
- इस समयावधि को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है:
  - प्रारंभिक वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल (1500 ईसा पूर्व - 1000 ईसा पूर्व)
  - उत्तर वैदिक काल (1000 ईसा पूर्व - 600 ईसा पूर्व)।

#### प्रारंभिक वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल

ऋग्वैदिक काल लगभग 1500-1000 ईसा पूर्व का सबसे पुराना प्रलेखित काल है।

- ऋग्वेद, अन्य किसी भी वैदिक पुस्तकों में सबसे प्राचीन है तथा इसमें भाषा और सामग्री दोनों में कई सामान्य इंडो-ईरानी विशेषताएं पाई जाती हैं, जो किसी भी अन्य वैदिक साहित्य में नहीं पाई जाती हैं।
- वैदिक आर्यों की विभिन्न कबीलों के मध्य सैन्य संघर्षों का विवरण ऋग्वेद में वर्णित है।
- ऐसे संघर्षों में सबसे उल्लेखनीय दस राजाओं का युद्ध (दशराज्ञ) था, जो परुष्णी नदी (आधुनिक रावी) के तट पर लड़ा गया था।
- भरत कबीला, अपने प्रमुख सुदास के नेतृत्व में, दस अन्य कबीलों के गठबंधन के साथ युद्ध लड़ा था।
- सुदास की दस राजाओं के युद्ध में विजय हुई। संघर्ष के बाद, भरत एवं पुरु ने मिलकर कुरु कबीला की नींव रखी।
- इसमें आर्यों और दासों तथा दस्युओं के बीच संघर्षों का विवरण भी है। दास और दस्यु वे लोग थे, जो यज्ञ (अक्रतु) नहीं करते या देवताओं की आज्ञाओं (अब्रत) का पालन नहीं करते।

- ऋग्वैदिक काल में आर्य अधिकतर सिंधु क्षेत्र तक ही सीमित थे। ऋग्वेद में सप्तसिंधु या सात नदियों के देश का उल्लेख है।
- इसमें पंजाब में झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास एवं सतलुज नदियां, तथा साथ ही इसमें सिंधु और सरस्वती नदी शामिल हैं।

#### ऋग्वैदिक काल : भौगोलिक अवस्थिति

- लगभग इसी समय, इंडो-आर्यन भाषा संस्कृत बोलने वाले इंडो-ईरानी क्षेत्र से उत्तर-पश्चिमी भारत में आये।
- वे पहले उत्तरी उच्चभूमि के मार्गों से छोटे समूहों में आए होंगे। उनकी पहली बस्तियां उत्तर-पश्चिमी निचले इलाकों तथा पंजाब के मैदानों में थीं।
- बाद में वे सिंधु-गंगा के मैदानी इलाकों में फैल गए। वे अधिकतर चारागाहों की खोज में रहते थे, क्योंकि वे मुख्य रूप से पशुपालक जनजाति थे।
- छठी शताब्दी ईसा पूर्व तक, इनका विस्तार पूरे उत्तर भारत में हो गया, जिसे आर्यावर्त के नाम से जाना जाता था।
- इस काल की सर्वप्रमुख नदी सिन्धु थी तथा दूसरी सर्वाधिक पवित्र नदी सरस्वती थी, जिसे नदीतमा कहा गया है। आर्यों का निवास स्थल सप्त सिन्धु प्रदेश के रूप में बताया गया है।

#### ऋग्वैदिक काल - सामाजिक जीवन

- ऋग्वैदिक समुदायों में कई गैर-आर्यन 'जन' के साथ-साथ 'जन' नामक आबादी शामिल थी। समाज आर्य और अनार्य में विभाजित था। अनार्यों को 'दास' अथवा 'दस्यु' कहा जाता था।
- यह एक समतावादी समाज था। दासों का उपयोग घरेलू उद्देश्यों के लिए किया जाता था, न कि कृषि कार्यों के लिए।
- वर्ण व्यवस्था तथा कठोर जाति-व्यवस्था अभी तक विकसित नहीं हुई थी। ऋग्वेद में वर्ण शब्द का प्रयोग केवल आर्यों एवं दासों के संदर्भ में किया गया है, जिनका रंग क्रमशः गोरा और सांवला था।
- ऋग्वैदिक समाज पितृसत्तात्मक था और पुत्र के जन्म की मांग की जाती थी।
- घोषा, सिकता, लोपामुद्रा, विश्ववारा और अपाला उस समय की विदुषी महिला ऋषि थीं, जिन्होंने ऋग्वेद की रचना में योगदान दिया था। महिलाएं को सभा में भाग लेती थी तथा यज्ञोपवीत धारण करती थी।
- महिला घर पर नियंत्रण रखती थी तथा सभी प्रमुख समारोहों में उपस्थित रहती थी। महिलाओं को पुरुषों के समान आध्यात्मिक और बौद्धिक विकास के समान अवसर दिए गए।
- बाल विवाह और सती प्रथा अनुपस्थित थी तथा विधवा-पुनर्विवाह एवं 'नियोग' प्रथा प्रचलित था।
- ऋग्वैदिक काल में मनोरंजन के लिए जुआ, रथ दौड़ आदि प्रसिद्ध माध्यम था।
- एक विशेष प्रकार का पेय सोमरस प्रचलित था, जिसे धर्म द्वारा अनुमोदित किया गया था तथा इसे विभिन्न अवसरों पर पीया जाता था।
- ऋग्वैदिक काल में एकपत्नी प्रथा आदर्श थी, हालांकि कुलीन परिवारों में बहुपत्नी प्रथा प्रचलित थी।

### ऋग्वैदिक काल - आर्थिक जीवन

ऋग्वैदिक आर्य संस्कृति एक ग्रामीण संस्कृति थी तथा ये मूलतः चरवाहे थे; जिनकी आय का मुख्य स्रोत पशुधन था। उनकी संपत्ति उनके पास मौजूद पशुओं की मात्रा से निर्धारित होती थी।

- उत्तर भारत में स्थायी रूप से बसने के बाद, उन्होंने कृषि कार्य प्रारंभ किया। अपनी विशेषज्ञता एवं लोहे के उपयोग के कारण, वे वनों को साफ करने तथा अतिरिक्त भूमि को कृषि भूमि में परिवर्तित करने में सक्षम थे।
- रथों और हलों का निर्माण बढ़ई द्वारा किया जाता था। श्रमिकों ने विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बनाने के लिए लोहे, कांस्य एवं तांबे का उपयोग किया।
- एक महत्वपूर्ण व्यवसाय कतारई था, जिससे सूती और ऊनी कपड़े तैयार होते थे। कुम्हार आवासीय उपयोग के लिए विभिन्न प्रकार के बर्तन बनाते थे।
- नदियों का उपयोग परिवहन के साधन के रूप में किया जाता था। व्यापार को संचालित करने के लिए वस्तु विनिमय प्रणाली का प्रयोग किया गया। बाद में, निश्क के नाम से जाने जाने वाले सोने के सिक्कों का उपयोग बड़े सौदों में विनिमय के साधन के रूप में किया जाने लगा।

### ऋग्वैदिक काल - राजनीतिक संगठन

ऋग्वैदिक सभ्यता पितृसत्तात्मक थी। परिवार या कुल, प्राथमिक सामाजिक इकाई थी।

- आर्य समाज पितृसत्तात्मक था, परन्तु नारी को मातृरूप में पर्याप्त सम्मान प्राप्त था।
  - परिवार के प्रधान को गृहपति या कुलप कहा जाता था।
  - यह पद वंशानुगत होता था, पुत्र पिता की सम्पत्ति का उत्तराधिकारी होता था, पिता की सम्पत्ति पर पुत्री को अधिकार नहीं था।
  - उत्तर वैदिक काल में कर्मकाण्ड की बढ़ती हुई प्रधानता के साथ ही ब्राह्मण वर्ण का महत्व बढ़ गया।
- राजनीतिक संगठन की मूल इकाई 'कुल' थी, जिसका मुखिया 'कुलप' कहलाता था। एक 'ग्राम' कई संबंधित परिवारों से मिलकर बना होता था, जिसका प्रमुख 'ग्रामिणी' होता था।
- रिश्तेदारी के आधार पर कई परिवारों ने मिलकर एक समुदाय या ग्राम बनाया। ग्राम के मुखिया को 'ग्रामणी' कहा जाता था।
- विश एक बड़ी इकाई थी, जिसमें कई कस्बे शामिल थे। विश का प्रधान विसपति होता था। सर्वोच्च राजनीतिक इकाई जन था, जिसका प्रमुख राजन होता था।
- ऋग्वैदिक काल में भरत, मत्स्य, यदु और पुरु सहित विभिन्न कबीले साम्राज्य मौजूद थे। राष्ट्र पर राजन या राजा का शासन था। ऋग्वैदिक राजव्यवस्था वंशानुगत उत्तराधिकार के साथ, प्रकृति में राजशाही थी।
- राजा को उसके प्रशासन में पुरोहित या पुजारी और सेनानी या सेना कमांडर द्वारा सहायता प्रदान की जाती थी।
- सभा और समिति दोनों ही सर्वप्रिय संस्थाएं थीं। सभा वरिष्ठों की परिषद थी, जबकि समिति सर्वसाधारण के लिए थी।

### ऋग्वैदिक कालीन धर्म

- ऋग्वैदिक आर्य पृथ्वी, अग्नि, वायु, वर्षा और गरज की पूजा करते थे। उन्होंने इन प्राकृतिक शक्तियों से देवताओं की रचना की और उनकी पूजा की।

- प्रारंभिक वैदिक काल में इंद्र सबसे लोकप्रिय देवता थे। इंद्र के बाद अग्नि महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, जिसे देवताओं एवं मनुष्यों के मध्य एक मध्यस्थ के रूप में स्वीकार किया गया था।
- प्राकृतिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए वरुण महत्वपूर्ण थे। प्रारंभिक वैदिक काल में कोई मंदिर या मूर्ति पूजा की परंपरा नहीं थी।

### उत्तर वैदिक काल

यह संस्कृति पंजाब से आगे दिल्ली और गंगा यमुना दोआब के क्षेत्र में विकसित हुई तथा इस संस्कृति का मुख्य केन्द्र मध्य देश था।

- इस काल में धर्म, दर्शन, नीति, आचार-विचार, मत-विश्वास आदि की प्रधान रूपरेखा निश्चित और सुस्पष्ट हो गए।
- सामान्यतः लौह प्रौद्योगिकी युग की शुरुआत को उत्तर-वैदिक काल से जोड़ा जाता है।
- इस काल में सामाजिक व्यवस्था का आधार वर्णाश्रम व्यवस्था ही था, लेकिन वर्ण व्यवस्था में कठोरता आने लगी थी। वर्णों का आधार कर्म पर आधारित न होकर जाति पर आधारित होने लगा था।

### उत्तर वैदिक कालीन समाज:

- उत्तर वैदिक काल में एक विवाह के साथ ही बहुविवाह की प्रथा का भी प्रचलन था।
- पहली पत्नी को मुख्य पत्नी माना जाता था और उसे कुछ विशेषाधिकार भी प्राप्त थे। कन्याओं को बेचने एवं दहेज लेने के भी उदाहरण मिलते हैं।
- नियोग और विधवा विवाह की प्रथा भी चलती रही। अल्पायु में ही लड़कियों के विवाह करने पर बल दिया जाने लगा।
- इस काल में स्त्रियों के उपनयन संस्कार का अधिकार समाप्त हो गया तथा पैतृक सम्पत्ति अधिकार भी छीन लिया गया।
- कन्याओं का विवाह अब भी यौवनावस्था में होता था। एक विवाह के साथ ही बहुविवाह की प्रथा का भी प्रचलन था।
- इस काल में अपेक्षाकृत स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आई।

### अशोक के शिलालेख

भारत में मौर्य साम्राज्य (322-185 ईसा पूर्व) के तीसरे राजा, अशोक महान (268-232 ईसा पूर्व) द्वारा स्तंभों, बड़े पत्थरों और गुफा की दीवारों पर उत्कीर्ण 33 शिलालेख प्राप्त हुए हैं। अशोक के शिलालेखों पर सुसंगत संदेश के रूप में लोगों को धम्म की अवधारणा का पालन करना; जिसमें 'सही व्यवहार', 'अच्छा आचरण' तथा 'दूसरों के प्रति शालीनता' के रूप में परिभाषित किया गया है।

- शिलालेख अशोक के संपूर्ण साम्राज्य में अंकित थे, जिनमें आधुनिक अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भारत, नेपाल एवं पाकिस्तान के क्षेत्र शामिल थे।
- अधिकांश शिलालेख प्राकृत भाषा (ब्राह्मी लिपि) में लिखे गए हैं तथापि अफगानिस्तान में आरमाईक एवं ग्रीक तथा उत्तर-पश्चिमी पाकिस्तान से खरोष्ठी लिपि में प्राप्त होते हैं।
- 19वीं शताब्दी ई. तक ब्रिटिश विद्वान एवं प्राच्यविद् जेम्स प्रिंसेप (1799-1840 ई.) ने लिपि को समझा और अशोक की पहचान राजा के रूप में की, जिसका देवानामपिय पियादसि (देवताओं का प्रिय) के रूप में शिलालेखों में उल्लेख किया गया है।



## प्रारंभिक परीक्षा

### अशोक के शिलालेखों की विशेषताएं

- अशोक के शिलालेखों को उनके आकार के आधार पर (वृहद्, लघु एवं स्तंभ) श्रेणियों में विभाजित किया जाता है।
- शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की अवधारणा में वृद्धि करने के लिए सार्वभौमिक विधि के रूप में अशोक ने इन शिलालेखों को अपने अधिपत्य क्षेत्र में सर्वत्र स्थापित करवाया था।
- इन सर्वकालिक प्रसिद्ध शिलालेखों में अशोक की शासन व्यवस्था के संबंध में उसकी मूल दृष्टि का पता चलता है।
- अशोक के लघु शिलालेख अशोक के शुरुआती शासनकाल के संदर्भ में सूचना प्रदान करते हैं।
- लघु स्तंभ शिलालेख लघु शिलालेखों से काफी मिलते-जुलते हैं। प्रमुख स्तंभ शिलालेखों ने उसके शासनकाल के विभिन्न घटनाओं को चिह्नित किया है।
- अशोक के शिलालेखों को, सामान्यतः निम्नलिखित प्रकार से वर्गीकृत किया गया है:
  1. लघु शिलालेख
  2. लघु स्तंभ शिलालेख
  3. स्तंभ शिलालेख

**वृहद् शिलालेख-** भारतीय सम्राट अशोक के वृहद् शिलालेखों में 14 प्रमुख हैं। यह किसी भी भारतीय शासक के सबसे पुराने दिनांकित शिलालेख हैं।

| वृहद् शिलालेख | सम्बंधित महत्वपूर्ण तथ्य   |
|---------------|--|
| शिलालेख I     | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ किसी भी जीवित प्राणी का <b>वध या बलि का निषेध</b>।</li> <li>➤ पूर्व में, राजा पियदसि की रसोई में, करी बनाने के लिए हर दिन सैकड़ों जानवरों को मार दिया जाता था; लेकिन अब धम्म आदेश के लिखे जाने के साथ, केवल तीन जीव मारे जाते हैं, दो मोर और कभी-कभी एक हिरण। समय के साथ, ये जीव भी नहीं मारे जायेंगे।</li> </ul>   |
| शिलालेख II    | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>मानव एवं पशु चिकित्सा देखभाल</b> के लिए औषधालयों की व्यवस्था</li> <li>➤ दक्षिण भारतीय राज्यों <b>पांड्य, सतियुत्त और केरलपुत्त का उल्लेख</b></li> </ul>  |
| शिलालेख III   | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ पियदसि अशोक ने अपने नियमित कर्तव्यों के अतिरिक्त, अपने प्रभुत्व में धम्म (नैतिक एवं सामाजिक आचार संहिता) का निरीक्षण एवं प्रचार करने तथा अपने लोगों को माता-पिता सम्मान करने, मित्रों, रिश्तेदारों के प्रति उदार होने की शिक्षा देने के लिए <b>युक्त, प्रादेशिक एवं रज्जुकों को प्रत्येक पांच वर्ष में क्षेत्र का दौरा करने का आदेश</b> दिया।</li> <li>➤ ब्राह्मणों तथा श्रमणों (भिक्षुओं) को जानवरों की हत्या करने से बचना चाहिए।</li> </ul> |
| शिलालेख IV    | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>भेरीघोष के स्थान पर धम्मघोष की नीति</b> का आह्वान। अपने उत्तराधिकारियों को धम्म का पालन करने तथा अशोक के दृष्टिकोण को बनाए रखने का निर्देश दिया।</li> </ul>  |

|              |   |
|--------------|---|
| शिलालेख V    | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ दासों के साथ उचित व्यवहार का आदेश तथा <b>धम्ममहामात्रों को नियुक्त</b> कर संपूर्ण क्षेत्र में धम्म का प्रसार करने का आदेश दिया गया।</li> <li>➤ <b>यवन, कम्बोज, गांधार, राष्ट्रिक तथा अन्य लोगों के बीच भी उनकी भूमि पर धम्म की स्थापना और प्रचार</b> के लिए धम्म महामात्रों को नियुक्त किया गया है।</li> </ul>                         |
| शिलालेख VI   | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ अपनी <b>प्रजा के कल्याण</b> के लिए लगातार और तेजी से ध्यान देना अपना कर्तव्य मानते हैं।</li> <li>➤ राजा की अपनी प्रजा के कल्याण के लिए उनकी परिस्थितियों के संदर्भ में जानने की इच्छा रखता है।</li> </ul>  |
| शिलालेख VII  | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ प्रियदर्शी चाहते हैं कि उनके प्रभुत्व में <b>सभी धार्मिक संप्रदाय शांति एवं सौहार्द्र से रहें</b> तथा <b>आत्म-नियंत्रण एवं मन की शुद्धता पर जोर</b> देते हैं।</li> <li>➤ <b>सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता।</b></li> </ul>  |
| शिलालेख VIII | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ प्रियदर्शी जिन्होंने <b>संबोधि (बोधगया, बिहार) की यात्रा</b> किया, उन्होंने <b>ब्राह्मणों एवं श्रमणों को उपहार देकर धम्म की तीर्थयात्रा</b> शुरू की, ग्रामीण इलाकों के लोगों से संपर्क किया और उन्हें धम्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रोत्साहित किया।</li> <li>➤ <b>धम्म यात्राओं को महत्व</b> दिया गया।</li> </ul>                     |
| शिलालेख IX   | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ धम्म से जुड़े अनुष्ठान महान परिणाम उत्पन्न करते हैं। ये हैं दासों और नौकरों के प्रति शिष्टाचार, बड़ों के प्रति श्रद्धा, ब्राह्मणों और श्रमणों के प्रति संयम और उदारता। इस अभ्यास से स्वर्ग की प्राप्ति होती है।</li> <li>➤ <b>लोकप्रिय अनुष्ठानों की निंदा</b> की जाती है।</li> <li>➤ <b>नैतिक आचरण पर जोर</b> दिया गया है।</li> </ul> |
| शिलालेख X    | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ प्रियदर्शी इस जीवन में यश अथवा मृत्यु के बाद प्रसिद्धि को अपने लोगों को धम्म का अभ्यास करने के लिए प्रेरित करने की यश के अतिरिक्त किसी भी परिणाम के रूप में नहीं मानते हैं।</li> <li>➤ यह किसी व्यक्ति की प्रसिद्धि एवं यश की खोज को अस्वीकार करता है तथा धम्म पर बल देता है।</li> </ul>   |
| शिलालेख XI   | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ धम्म के उपहार के समान कोई उपहार नहीं है, धम्म के वितरण के समान कोई वितरण नहीं है तथा धम्म के रिश्ते के समान कोई रिश्ता नहीं है।</li> <li>➤ धम्म, जिसमें <b>बड़ों के प्रति सम्मान और दासों और नौकरों के लिए करुणा</b> शामिल है, पालन करने के लिए सबसे अच्छी नीति है।</li> </ul>   |
| शिलालेख XII  | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ धम्म की वृद्धि वाणी के संयम से होती है, जिसका अर्थ है कि अपने विश्वास की प्रशंसा या दूसरे की निंदा नहीं करना।</li> <li>➤ यह महिलाओं के कल्याण तथा दूसरों के <b>धम्मों के प्रति सहिष्णुता</b> के प्रभारी महामात्रों को संदर्भित करता है।</li> </ul>   |

|              |  |
|--------------|--|
| शिलालेख XIII | <ul style="list-style-type: none"> <li>कलिंग की विजय के परिणामस्वरूप अभूतपूर्व नरसंहार हुआ तथा बंदियों को ले जाया गया, जिससे प्रियदर्शी को पश्चाताप हुआ। इसलिए वह धम्म के माध्यम से विजय के लिए दृढ़ संकल्पित हुआ।</li> <li>ग्रीक शासकों सीरिया के एंटीओकस (अमिओको), मिस्र के टॉलेमी (तुरमय), साइरिन (माका) के मगस, मैसेडोन के एंटीगोनस (अमटिकिनी) एवं एपिरस के अलेक्जेंडर (अलिकासुदारो) के विरुद्ध अशोक की धम्म विजय का उल्लेख है। पांड्य, चोल एवं अन्य राजवंशों का उल्लेख किया गया है।</li> <li>अशोक का बौद्ध धर्म में परिवर्तन कलिंग संघर्ष का प्रत्यक्ष और तात्कालिक परिणाम था।</li> </ul> |
| शिलालेख XIV  | <ul style="list-style-type: none"> <li>धम्म से संबंधित यह अभिलेख संक्षिप्त या विस्तारित रूप में अंकित किया गया है, ताकि लोग तदनुसार कार्य कर सकें।</li> </ul>  |

#### लघु शिलालेख

- अशोक के लघु शिलालेख अशोक के इतिहास का उल्लेख करते हैं तथा उसके धम्म का सिंहावलोकन प्रस्तुत करते हैं। इन्हें ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था। स्थान में परिवर्तन के आधार पर शिलालेखों की सामग्री में थोड़ा बदलाव देखा गया है। ग्रीक एवं आरमाईक लिपि में भी शिलालेख मिले हैं।
- इनमें चार लघु शिलालेख ऐसे हैं, जिनमें अशोक का नाम प्रयोग किया गया है:
  - मस्की
  - ब्रह्मगिरि
  - गुज्जरा
  - नेट्टूर

| स्तंभ शिलालेख एवं उनकी विशेषताएं             |  |
|--|--|
| स्तंभ शिलालेख                                | प्रमुख तथ्य  |
| स्तंभ शिलालेख I                              | अशोक के अपने प्रजा की सुरक्षा से संबंधित सिद्धांत  |
| स्तंभ शिलालेख II                             | धम्म को न्यूनतम पापों, करुणा, स्वतंत्रता, सद्गुण, पवित्रता और सच्चाई के रूप में परिभाषित किया गया है।  |
| स्तंभ शिलालेख III                            | अपनी प्रजा को हिंसा, अनैतिकता, कठोरता, दंभ एवं रोष से बचने की सलाह।  |
| स्तंभ शिलालेख IV                             | रज्जुकों के कर्तव्यों का उल्लेख।   |
| स्तंभ शिलालेख V (दिल्ली-टोपरा स्तंभ शिलालेख) | उन जानवरों एवं पक्षियों की सूची, जिनका वध विशिष्ट दिनों में निषिद्ध है। एक अन्य सूची में वे जानवर शामिल हैं। जिनका वध कभी नहीं किया जा सकता। |
| स्तंभ शिलालेख VI                             | राज्य की धम्म नीति की व्याख्या।  |
| स्तंभ शिलालेख VII                            | सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता।   |

| कुछ अन्य महत्वपूर्ण शिलालेख                        |  |
|--|--|
| शिलालेख/आदेश                                       | प्रमुख तथ्य  |
| इलाहाबाद-रानी का अभिलेख अथवा कौशांबी शिलालेख       | <ul style="list-style-type: none"> <li>अशोक ने अनुरोध किया कि संघ अपने सदस्यों के बीच मतभेद को बढ़ावा देने से बचे।</li> <li>इस पर हरिषेण द्वारा लिखित समुद्रगुप्त का अभिलेख है।</li> <li>अकबर ने इसे इलाहाबाद किले में स्थानांतरित करवाया तथा इसपर जहांगीर का भी अभिलेख विद्यमान है।</li> </ul>                          |
| कंधार का शिलालेख                                   | यह ग्रीक एवं आरमाईक लिपि में लिखा हुआ एक प्रसिद्ध द्विभाषी शिलालेख है।   |
| कलिंग के शिलालेख                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>इस पर उल्लेख है कि 'सभी मनुष्य मेरी संतान हैं।'</li> <li>यह आदेश यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिखा गया था कि नगर के न्यायिक अधिकारी अपना काम ठीक से करें तथा उनके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत व्यक्तियों को गलत हिरासत या कठोर दंड का सामना न करना पड़े।</li> </ul>             |
| रुमिनदेई का शिलालेख                                | इसमें कहा गया है कि लुंबिनी गांव (बुद्ध का जन्म स्थान) बलि (कर) से मुक्त है तथा उसे 1/8वा हिस्सा ही कर के रूप में देना होगा।   |
| रुद्रदामन का गिरनार अभिलेख                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>सुदर्शन झील का उल्लेख है, जिसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में सौराष्ट्र के प्रांतीय गवर्नर पुष्यगुप्त ने करवाया था।</li> <li>यह पूर्णतः संस्कृत में पहला ज्ञात अभिलेख है।</li> <li>इसमें रुद्रदामन द्वारा सुदर्शन झील के जीर्णोद्धार कराए जाने का उल्लेख है।</li> </ul> |
| लघु शिलालेख 1                                      | 2.5 वर्षों के शासन के बाद, अशोक का झुकाव बौद्ध धर्म की ओर बढ़ता गया।   |
| लघु शिलालेख 3                                      | अशोक ने संघ को बधाई दी तथा बुद्ध, धम्म और संघ में अपना दृढ़ विश्वास व्यक्त किया। साथ ही भिक्षुओं, भिक्षुणियों और सामान्य जन के लिए छः बौद्ध कार्यों की अनुशंसा की है।  |
| शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा में शिलालेख।                | खरोष्ठी लिपि में लिखा गया अभिलेख है।   |
| सोहगौरा (गोरखपुर) एवं महास्थान (बांग्लादेश) अभिलेख | अकाल जैसे आपात स्थिति के लिए अन्नागार के निर्माण के संबंध में अभिलेख।  |

## प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत की सिक्का प्रणाली

ऐसा माना जाता है कि सिक्कों का पहला ज्ञात उपयोग, चीन एवं यूनान में लगभग 700 ईसा पूर्व तथा भारत में छठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। इतिहास में सिक्कों के अध्ययन को **मुद्राशास्त्र** (Numismatics) कहा जाता है।

### प्राचीन भारत में सिक्का प्रणाली

#### सिंधु घाटी सभ्यता

सिंधु घाटी सभ्यता का काल 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के मध्य का है। हालांकि, इतिहासकारों के मध्य सहमति नहीं है कि खुदाई के दौरान मिली मुहरें वास्तव में सिक्के थीं या नहीं। सिंधु सभ्यता में विस्तृत एवं व्यापक व्यापार का विकास हुआ था, लेकिन यह मुख्य रूप से वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित था।



मोहनजोदड़ो की मुहरें

#### वैदिक काल

- ऋग्वेद में निष्क (सोना) एवं निष्क ग्रीवा (सोने के आभूषण) का उल्लेख मिलता है। हालांकि, यह स्पष्ट नहीं है कि इनको सिक्कों के रूप में स्वीकार किया जा सकता है अथवा नहीं।
- हालांकि, परवर्ती वैदिक ग्रंथों में निष्क, सुवर्ण, शतमान आदि का उल्लेख मिलता है। लेकिन विद्वानों का मानना है कि ये शब्द पारंपरिक सिक्कों के व्यापक प्रचलन की ओर संकेत नहीं करते हैं।

#### पंच-मार्क सिक्के (आहत सिक्के)

- इन पर प्रतीकों को हथौड़े का उपयोग करके बनाया जाता था। इसीलिए हम इन्हें पंच-मार्क सिक्कों के रूप में जानते हैं।
- बौद्ध ग्रंथों एवं पाणिनि की 'अष्टाध्यायी' में कर्षापण, निष्क, शतमान, विशतिका, त्रिशतिका और सुवर्णा जैसे शब्दों का उल्लेख मिलता है।
- पाणिनि की अष्टाध्यायी में उल्लेख है कि पंच-मार्क सिक्कों पर, धातु के टुकड़ों के माध्यम से विभिन्न प्रतीकों की मुहर लगाई जाती थी, जैसे सौराष्ट्र में कूबड़ वाला बैल, वहीं दक्षिण पांचाल में स्वास्तिक था।
- 0.11 ग्राम वजन वाली प्रत्येक इकाई को 'रत्ती' कहा जाता था। आकार में अनियमित, मानक वजन तथा चांदी से बने होते थे। इसे दो प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है -



1. महाजनपद काल के सिक्के
2. मौर्य काल के सिक्के

#### महाजनपद काल

- कर्षापण एवं पण भारत में 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में गंगा के मैदान के कई जनपदों तथा महाजनपदों द्वारा चलाए गए प्रारंभिक आहत सिक्के थे।
- इन सिक्कों में विभिन्न आकार, एक मानक वजन होता था तथा ये विभिन्न पैटर्न के साथ चांदी के बने होते थे।
- पंच-मार्क मगध सिक्के दक्षिण एशिया में सबसे व्यापक रूप से प्रसारित एवं प्रचलित सिक्के बन गए थे।
- इनका उल्लेख मनुस्मृति एवं बौद्ध जातक कथाओं में प्राप्त होता है।

#### मौर्य काल

- मौर्य काल (322-185 ईसा पूर्व) के दौरान पंच-मार्क सिक्कों के संदर्भ में चाणक्य ने अपने 'अर्थशास्त्र' में रुपया (चांदी), सुवर्णरूपा (सोना), ताम्ररूपा (तांबा) और सीसारूपा (सीसा) जैसे सिक्कों का उल्लेख किया है।
- उपयोग किए गए विभिन्न प्रतीकों में से, सूर्य एवं 6 भुजाओं पहिये वाले सबसे अधिक पाए गए हैं।
- कर्षापण चांदी के सिक्के थे, जिनका वजन औसतन 50-54 ग्रेन चांदी एवं 32 रत्ती होता था।



मौर्य काल द्वारा जारी किये गये पंच-मार्क सिक्के

#### प्राचीन काल के महत्वपूर्ण सिक्के

| सिक्के     | धातु के प्रकार | काल             |
|------------|----------------|-----------------|
| निष्क      | सोना           | वैदिक काल       |
| सतमान      | चांदी          | वैदिक काल       |
| कर्षापण    | चांदी, तांबा   | वैदिक एवं मौर्य |
| पण         | चांदी          | मौर्य           |
| सुवर्णरूपा | सोना           | मौर्य           |
| ताम्ररूपा  | तांबा          | मौर्य           |
| रूप्यरूपा  | चांदी          | मौर्य           |

#### इंडो-ग्रीक सिक्के

- इंडो-यूनानियों ने सिक्कों पर शासक के अग्रभाग को चित्रित करने की प्रथा को लोकप्रिय बनाया।
- विभिन्न राजाओं का उल्लेख, सिक्के के एक तरफ ग्रीक में और दूसरी तरफ खरोष्ठी में किया गया है।
- इंडो-ग्रीक सिक्कों पर चित्रित ग्रीक देवी-देवताओं में जीउस, हरक्यूलिस, अपोलो और पलास एथीन शामिल थे।
- सिक्कों की पहली शृंखला में ग्रीक देवता थे, जबकि बाद के सिक्कों में भारतीय देवताओं को भी चित्रित किया जाने लगा था। सिक्के मुख्यतः चांदी, तांबा, निकल और सीसे से बने होते थे।



इंडो-ग्रीक सिक्के

#### कुषाण काल के सिक्के

- कुषाण, उपमहाद्वीप में पहला राजवंश था, जिसने बड़ी संख्या में सोने के सिक्के जारी किए। कम मूल्य के सिक्के सामान्यतः तांबे के होते थे।
- सिक्कों पर सामान्यतः अग्र भाग पर शासक का चित्र, नाम और पदवी तथा पश्च भाग पर देवता का चित्र अंकित होता था।



कुषाण काल के सिक्के

#### पश्चिमी क्षत्रपों अथवा इंडो-सीथियनों द्वारा जारी सिक्के

- पश्चिमी क्षत्रपों ने पहली से चौथी शताब्दी ईस्वी के मध्य पश्चिमी भारत पर शासन किया था, जिसमें उस समय मालवा, गुजरात तथा काठियावाड़ शामिल थे। सामान्य तांबे के सिक्के 'बैल और पहाड़ी' तथा 'हाथी और पहाड़ी' प्रकार के होते थे।
- वे शक संवत् की तारीखें बताते हैं, जो 78 ई.पू. से शुरू हुआ था।
- सातवाहनों की तरह पश्चिमी क्षत्रपों के सिक्कों पर एक तरफ राजा के सिर का चित्र होता है तथा दूसरी तरफ बौद्ध चैत्य या स्तूप का चित्र होता है।
- इन सिक्कों पर प्राकृत भाषा का व्यापक रूप से उपयोग किया गया है, जो विभिन्न लिपियों में लिखी जाती थी।



#### सातवाहन सिक्के

- सातवाहन गोदावरी एवं कृष्णा नदियों के मध्य लगभग 232 ईसा पूर्व शुरू हुआ और 227 ईस्वी शासन करते थे। उन्हें आंध्र सातवाहन भी कहा जाता था।

- सातवाहन सिक्के मुख्यतः तांबे एवं सीसे के थे; हालांकि, चांदी के सिक्के भी प्राप्त हुए हैं, जो अत्यंत दुर्लभ थे। उन्होंने सिक्के बनाने में सीसे के अतिरिक्त 'पोटिन' नामक चांदी और तांबे के मिश्र धातु का भी उपयोग किया।
- सुंदरता एवं रचनात्मक योग्यता की कमी के बावजूद, सातवाहन सिक्के सातवाहन के राजवंशीय इतिहास के बारे में जानकारी का एक उपयोगी स्रोत है।
- अधिकांश सातवाहन सिक्कों पर एक तरफ हाथी, घोड़े, शेर अथवा चैत्य की आकृति होती थी।
- जबकि दूसरी तरफ उज्जैन का प्रतीक चिह्न दर्शाया गया था, जो दो प्रतिच्छेदी रेखाओं के सिरों पर चार वृत्तों वाला एक क्रॉस था।



#### गुप्त काल के सिक्के

- गुप्त काल (319 ई.-550 ई.) में हिंदू धर्म का महत्वपूर्ण पुनर्जन्म हुआ। गुप्त काल में अधिकतर सोने के सिक्के जारी किए गए थे, यद्यपि उन्होंने चांदी एवं तांबे के सिक्के भी जारी किए थे।
- चंद्रगुप्त द्वितीय (विक्रमादित्य) द्वारा पश्चिमी क्षत्रपों को पराजित करने के उपरांत चांदी के सिक्के जारी किए गए थे।
- गुप्त काल के सोने के सिक्कों के आकृति एवं आकार में विविधता थी। सिक्कों के एक तरफ, राजा को अश्वमेध यज्ञ करते हुए, वीणा बजाते हुए, घोड़े या हाथी की सवारी करते हुए, तलवार या धनुष के साथ शिकार करते हुए या सिंहासन पर बैठे हुए दिखाया गया है।
- सिक्कों के इतिहास में, सिक्कों पर अभिलेख लिखने की परंपरा की शुरुआत हुई। यह अभिलेख संस्कृत भाषा (ब्राह्मी लिपि) में लिखे गए थे।
- देवी लक्ष्मी, दुर्गा, गंगा, गरुड़ एवं कार्तिकेय आदि देवताओं के साथ वीणा बजाते हुए (समुद्रगुप्त) सम्राटों को भी चित्रित किया गया था।
- गुप्तकालीन सिक्का कुषाणों की परंपरा का पालन करता था, जिसमें अग्र भाग पर राजा एवं पृष्ठ भाग पर एक देवता का चित्रण होता था।



चंद्रगुप्त II द्वारा जारी किए गए सोने के सिक्के

## प्रारंभिक परीक्षा

### पुष्यभूति वंश के सिक्के

- छठी शताब्दी के अंतिम दशक में, थानेश्वर और कन्नौज के पुष्यभूति अथवा वर्द्धन वंश के शासकों ने हूण आक्रमणकारियों को भारत से बाहर निकाला था।
- हर्षवर्द्धन उनमें सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था, जिसके साम्राज्य में व्यावहारिक रूप से लगभग संपूर्ण उत्तर भारत शामिल था।
- वर्द्धन वंश के चांदी के सिक्कों पर एक तरफ राजा का गले से ऊपर का भाग तथा दूसरी तरफ मोर की आकृति चित्रित होती थी।



### चालुक्यों के सिक्के

- पुलकेशिन प्रथम ने छठी शताब्दी ईस्वी में पश्चिमी चालुक्य राजवंश की स्थापना की, जिसकी राजधानी कर्नाटक के बादामी में थी।
- सिक्के के एक तरफ मंदिर या शेर अथवा राजा के चित्र होते थे, जबकि पृष्ठ भाग को खाली छोड़ दिया जाता था।
- पूर्वी चालुक्य राजवंश (7वीं शताब्दी ईस्वी) के सिक्कों के केंद्र में एक सूअर का प्रतीक होता था, जिसमें राजा के नाम के प्रत्येक अक्षर के चारों ओर एक अलग पंच खुदा होता था तथा पृष्ठ भाग को भी खाली छोड़ दिया जाता था।

## मध्यकालीन भारत में सिक्का प्रणाली

### राजपूतों के सिक्के

- राजपूत राजवंशों (11वीं-12वीं शताब्दी) के सिक्के आमतौर पर सोने, तांबे या बिलियन (चांदी-तांबा मिश्र धातु) से बने होते थे, लेकिन चांदी का उपयोग बहुत कम किया जाता था। राजपूत सिक्कों को दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है।
- अग्र भाग पर राजा का नाम संस्कृत में लिखा होता था, जबकि पृष्ठ भाग पर एक देवता को दर्शाया जाता था। इस प्रकार के सिक्कों का उपयोग कलचुरियों, बुंदेलखण्ड के चंदेलों, अजमेर और दिल्ली के तोमरों तथा कन्नौज के राठौड़ों द्वारा किया जाता था।
- चांदी की मुद्रा की दूसरी शैली गांधार या सिंध के राजाओं द्वारा शुरू की गई थी तथा इसमें एक तरफ बैठा हुआ बैल एवं दूसरी तरफ एक घुड़सवार होता था। सिक्कों पर अभिलेख देवनागरी लिपि में लिखी हुई थी। इन सोने के सिक्कों का वजन साढ़े चार माशा अर्थात् 3.6 ग्राम के बराबर होता था।

### पाण्ड्य एवं चोल वंश के सिक्के

- प्रारंभ में, पाण्ड्य वंश के सिक्के हाथी के चित्र के साथ चौकोर आकार के होते थे; किन्तु बाद में मछली को महत्वपूर्ण प्रतीक के रूप में चित्रित किया जाने लगा था।

- सोने एवं चांदी के सिक्कों पर अभिलेख संस्कृत भाषा में लिखे जाते थे, जबकि तांबे के सिक्कों पर अभिलेख तमिल में लिखे होते थे।
- चोल शासक राज राज प्रथम के सिक्कों के एक भाग पर राजा का चित्र तथा दूसरे भाग पर शयन मुद्रा में देवी को दर्शाया गया था, जिस पर संस्कृत में अभिलेख लिखे गए थे।
- राजेंद्र प्रथम के सिक्कों पर बाघ एवं मछली की आकृतियों के साथ 'श्री राजेंद्र' या 'गंगईकोंडचोल' लिखा गया था।

### विजयनगर साम्राज्य के सिक्के

- दक्षिण में, दिल्ली सल्तनत एवं मुगलों के समकालीन राजवंश विजयनगर था।
- जिनकी मुद्रा एक मानकीकृत रूप का दुर्लभ उदाहरण है, जिसने बाद में यूरोपीय एवं अंग्रेजी व्यापारिक कंपनियों के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत किया।
- विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ई. के आसपास कृष्णा नदी के दक्षिण क्षेत्र में हरिहर एवं बुक्का द्वारा की गई थी।
- कृष्णदेवराय (1509-1525 ई.) ने विदेशी व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए व्यापक स्तर पर मुद्रा जारी किया था।
- विजयनगर साम्राज्य के सिक्के अधिकतर सोने एवं तांबे से बने होते थे।
- अधिकांश सोने के सिक्कों के अग्र भाग पर एक पवित्र छवि तथा पृष्ठ भाग पर शाही किंवदंती अंकित होती है।
- विजयनगर साम्राज्य के महत्वपूर्ण सोने के सिक्कों में तिरुपति की छवि वाले सिक्के भी शामिल थे अर्थात् भगवान वेंकटेश्वर अकेले अथवा अपनी दो पत्नियों के साथ उत्कीर्ण होते थे।
- इन सिक्कों ने डच तथा फ्रेंच के 'एकल स्वामी' पगोडा और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के 'तीन स्वामी' पगोडा को प्रेरित किया।

### दिल्ली सल्तनत के सिक्के

- सिक्कों पर अभिलेख में सुल्तान के नाम, पद एवं हिजरी संवत् कैलेंडर तिथि आदि वर्णित होते थे। चूंकि इस्लाम में मूर्तिपूजा निषिद्ध है, अतः सिक्कों पर जारी करने वाले राजा की कोई छवि नहीं होती है।
- सिक्कों पर टकसाल का नाम भी अंकित किया जाने लगा था। दिल्ली के सुल्तानों द्वारा सोने, चांदी, तांबे एवं बिलोन सिक्के जारी किए गए थे।
- इल्तुतमिश ने चांदी का टांका और तांबे का जीतल जारी किया था।
- अलाउद्दीन खिलजी ने खलीफा का नाम हटाकर तथा उसके स्थान पर स्वयं की उपाधियों को सिक्कों पर उत्कीर्ण करवाया।
- मुहम्मद बिन तुगलक ने कांस्य तथा तांबे के सिक्के और साथ ही एक सांकेतिक मुद्रा भी जारी किया, जो बुरी तरह विफल रही।
- शेर शाह सूरी (1540-1545) ने दो वजन मानक स्थापित किए, जिसमें एक 178 ग्रेन के चांदी का सिक्का तथा दूसरा 330 ग्रेन के तांबे का सिक्का जारी किया। इन्हें क्रमशः रुपया और दाम नाम दिया गया।

### मुगल सिक्के

- बाबर के शासन के अंतर्गत जारी किए गए सिक्कों को 'शाहरुख' कहा जाता था, जो 72 ग्रेन चांदी के बने होते थे।
- मोहर, जिसका वजन लगभग 170 से 175 ग्रेन होता था, मुगलों की मानक स्वर्ण मुद्रा थी।

- अबुल फजल ने अपने 'आइन-ए-अकबरी' में कहा है कि एक मोहर की कीमत नौ रुपये थी। सभी मुगल मुद्राओं में सबसे प्रसिद्ध चांदी का रुपया था, जो शेरशाह के सिक्के का रूपांतर था।
- शेरशाह का तांबे दाम, मुगल तांबे की मुद्रा का आधार बना, जिसका वजन 320 से 330 ग्रेन था। अकबर द्वारा गोल और चौकोर दोनों तरह के सिक्के चलाए गए थे।
- अपनी नई धार्मिक विचार-धारा 'दीन-ए-इलाही' को बढ़ावा देने के लिए अकबर ने 1579 में सोने के सिक्के जारी किए, जिन्हें **इलाही सिक्के** के नाम से जाना जाता है। उस समय में एक इलाही सिक्के की कीमत 10 रुपये थी।
- सबसे बड़ा सोने का सिक्का **शहंशाह** था। इन सिक्कों पर फारसी सौर महीनों के नाम उत्कीर्ण थे।
- जहांगीर ने अपने कुछ सिक्कों पर अपनी प्रिय पत्नी नूरजहां को उत्कीर्ण कराया था। उसके सबसे प्रसिद्ध सिक्कों में राशि चिह्न चित्र के रूप में अंकित थे। जहांगीर के समय में जारी किए गए सिक्कों पर एक तरफ 'कलमा' और दूसरी तरफ 'नुरुद्दीन मुहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी' लिखा होता था।
- शाहजहां के शासनकाल के सिक्के पर एक तरफ 'कलमा' और टकसाल का नाम तथा दूसरी तरफ उसका नाम और उपाधि 'साहिब-किरान सानी शिहाबुद्दीन मुहम्मद शाहजहां बादशाह गाजी' लिखा गया था।
- औरंगजेब के शासनकाल में सिक्कों पर, उसका नाम तथा 'अबू-अल-जफर मुईउद्दीन मुहम्मद बहादुर शाह आलमगीर औरंगजेब बादशाह गाजी' लिखा होता था।

## मुगलकालीन भू-राजस्व प्रणाली

मुगल साम्राज्य के राजस्व को दो भागों में बांटा जा सकता है- **केंद्रीय अथवा शाही** तथा **स्थानीय अथवा प्रान्तीय**। कृषकों से उनकी अधिशेष उपज को भू-राजस्व के रूप में अलग करना मुगलों के अधीन कृषि व्यवस्था की केंद्रीय विशेषता थी।

- अबुल फजल ने अपनी 'आइन-ए-अकबरी' में राज्य द्वारा लगाए गए कर को संप्रभुता का पारिश्रमिक कहा है, जो सुरक्षा एवं न्याय के बदले में दिया जाता है।
- ब्रिटिश प्रशासक भू-राजस्व को भूमि का लगान मानते थे, क्योंकि उनकी धारणा थी कि राजा ही भूमि का स्वामी होता है।
- मुगल भारत का अध्ययन से ज्ञात होता है कि यह फसल पर कर था न कि भूमि पर, और इस प्रकार अंग्रेजों द्वारा कल्पना की गई भूमि राजस्व से यह भिन्न था। मुगल शासन के दौरान भू-राजस्व के लिए फारसी शब्द **माल** अथवा **माल वाजिब** था।

### भू-राजस्व संग्रहण की प्रक्रिया के दो चरण थे:

1. **मूल्यांकन** (तशाखसि या जमा): राज्य की मांग तय करने के लिए आकलन किया जाता था।
  2. **वास्तविक संग्रह** (हासिल) : मूल्यांकन मांग के आधार पर, खरीफ एवं रबी फसल के लिए वास्तविक संग्रह अलग-अलग किया जाता था।
- **भूमि का वर्गीकरण**- शेरशाह ने उत्पादकता के आधार पर भूमि का श्रेणीकरण किया था किंतु अकबर ने उत्पादकता के बदले बारंबारता पर अधिक बल दिया किंतु बारंबारता पर बल देते हुए भी उसने उत्पादकता के आधार को भी बनाये रखा। बारंबारता के आधार पर भूमि चार प्रकार की होती थी।

- **पोलज**- इसमें एक वर्ष में दो फसलें होती थी।
- **परती**- इसमें दो फसलों के बाद किन्हीं कारणों से एक वर्ष के लिए भूमि को खाली छोड़ दिया जाता था।
- **चाचर**- इसमें तीन या चार वर्षों में खेती होती थी।
- **बंजर**- इसमें पांच वर्षों तक खेती नहीं होती थी।
- उत्पादकता के आधार पर भूमि को तीन भागों में विभाजित किया गया- 1. उत्तम, 2. मध्यम, 3. निम्न।

### भू-राजस्व निर्धारण की विधियां

- मुगलों के अधीन, खरीफ और रबी फसलों के लिए अलग-अलग मूल्यांकन किया जाता था।
- मूल्यांकन समाप्त होने के बाद पट्टा, कौल या कौलकरार नामक एक लिखित दस्तावेज जारी किया जाता था, जिसमें राजस्व मांग की राशि या दर का उल्लेख किया जाता था।
- बदले में निर्धारिती को काबुलियत यानी उस पर लगाए गए दायित्व की स्वीकृति देनी थी, जिसमें यह बताना था कि वह भुगतान कब और कैसे करेगा। आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली कुछ विधियां- आइन-ए-अकबरी में फसल-बंटवारे के तीन प्रकार बताए गए हैं:
  - **गल्ला बख्शी ( फसल-बंटवारा )**: कुछ क्षेत्रों में इसे भाओई या बटाई कहा जाता था। इसमें अनाज प्राप्त होने के बाद खलिहान में फसल का विभाजन दोनों पक्षों की मौजूदगी में समझौते के तहत किया जाता था।
  - **खेत बटाई**: खेत में खड़ी फसल के आधार पर कर का निर्धारण किया जाता था।
  - **लंक बटाई**: फसल कटने के उपरांत अनाज को फसल से अलग किए बिना फसल के ढेर से फसल का विभाजन किया जाता था।
- मलिकजादा ने अपने '**निगमामा-ए-मुंशी**' (17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध) में फसल बंटवारे को राजस्व मूल्यांकन एवं संग्रह की सर्वोत्तम विधि के रूप में वर्णित किया गया है।
- इस पद्धति के अंतर्गत, किसान तथा राज्य मौसम के जोखिमों को समान रूप से कम करते थे।

### कनकुट अथवा दानाबंदी

- कनकुट शब्द की उत्पत्ति कण तथा कुट शब्दों से हुई है। कण का अर्थ अनाज है, जबकि कुट का अर्थ अनुमान लगाना या मूल्यांकन करना है।
  - इसी प्रकार, दाना का अर्थ अनाज है, जबकि बंदी का अर्थ निर्धारित करना है।
- यह एक ऐसी प्रणाली थी, जिसमें अनाज की उपज (या उत्पादकता) का अनुमान लगाया जाता था। कनकुट में सबसे पहले मैदान को रस्सी के माध्यम से मापा जाता था। इसके बाद अच्छी, मध्यम और खराब भूमि से प्रति बीघे उत्पादकता का अनुमान लगाया जाता था तथा उसके अनुसार राजस्व निर्धारित किया जाता था।

### जब्ती प्रणाली

- मुगलकालीन भारत में यह मूल्यांकन की सबसे महत्वपूर्ण पद्धति थी। इस व्यवस्था की उत्पत्ति शेरशाह से मानी जाती है।
- अकबर के शासनकाल के दौरान, इस प्रणाली को अंतिम रूप देने से पहले कई बार संशोधित किया गया था।

## प्रारंभिक परीक्षा

- शेरशाह ने उन भूमियों के लिए रय या प्रति बीघा उपज की व्यवस्था की थी, जिन पर निरंतर खेती (पोलज) की जाती थी, या उन भूमियों के लिए जो बहुत कम ही परती पड़ी रहती थीं।
- रय तीन दरों पर आधारित थी, जो अच्छी, मध्यम और कम पैदावार का प्रतिनिधित्व करती थी तथा इनमें से एक-तिहाई राशि को भू-राजस्व के रूप में विनियोजित किया जाता था। अकबर ने शेरशाह की रय को अपनाया था।
- अकबर ने करोड़ी पद्धति का प्रयोग शुरू किया तथा 1574-75 में पूरे उत्तर भारत में करोड़ियों की नियुक्ति की। सम्पूर्ण जागीर को खालिसा में परिवर्तित कर दिया गया। करोड़ी प्रयोग के अंतर्गत सभी प्रांतों की माप हुई।
- हेम्पेन रस्सियों के स्थान पर लोहे के छल्ले वाली बांस के डंडे, जिन्हें तनाव कहा जाता था, का उपयोग किया जाता था।
- विभिन्न क्षेत्रों में प्रचलित उत्पादकता एवं कीमतों के आधार पर उन्हें राजस्व उद्देश्यों के लिए दस्तूर सर्कल में विभाजित किया गया था।
- प्रत्येक दस्तूर में प्रत्येक फसल के लिए नकद मूल्यांकन की दरें तय की गईं और तदनुसार कर की मांग तय की गई।
- गुजरात विजय के बाद 1573 ई. में टोडरमल ने गुजरात में भूमि माप की पद्धति अपनायी। अकबर इस पद्धति से संतुष्ट हुआ।
- भूमि माप की इकाई के रूप में शेरशाह द्वारा अपनाये गए गज-ए-सिकन्दरी के स्थान पर इलाही गज का प्रयोग किया गया। इलाही गज 33 ईंच और 41 अंगुल का होता था।
- 1580 में करोड़ियों द्वारा वास्तविक उपज, स्थानीय कीमतों, उत्पादकता आदि के बारे में दी गई जानकारी के आधार पर, अकबर ने एक नई प्रणाली दहसाला की स्थापना की।
- 1582 ई. में टोडरमल की नियुक्ति दीवान ए आला के रूप में हुई तथा कई प्रयोगों के बाद टोडरमल के द्वारा जब्ती या आइन-ए-दहशाला पद्धति को अपनाया गया।

### जब्ती प्रणाली की मुख्य विशेषताएं

- भूमि की माप आवश्यक थी।
- प्रत्येक फसल के लिए निश्चित नकद राजस्व दरें, जिन्हें दस्तूर-उल-अमल या दस्तूर कहा जाता है।
- सारा संग्रह नकद में किया गया था।

### जब्ती प्रणाली के गुण

- माप की हमेशा दोबारा जांच की जा सकती थी;
- दस्तूर तय होने के कारण स्थानीय अधिकारी अपने विवेक का प्रयोग नहीं कर पाते थे; तथा
- स्थायी दस्तूर तय करने से भू-राजस्व की वसूली में अनिश्चितताएं और उतार-चढ़ाव बहुत कम हो जाता था।

### जब्ती प्रणाली के दोष

- यदि मिट्टी की गुणवत्ता एक समान न हो तो इसे लागू नहीं किया जा सकता था। यदि उपज अनिश्चित थी, तो यह विधि किसानों के लिए नुकसानदेह थी, क्योंकि जोखिम अकेले ही उठाना पड़ता था।
- अबुल फजल कहते हैं, 'यदि किसान के पास जब्त सहन करने की क्षमता नहीं हो, तो फसल का एक-तिहाई राजस्व के रूप में लेने की प्रथा का पालन किया जाता है।'
- यह एक महंगा तरीका था, क्योंकि मापन करने वालों के रख-रखाव की लागत को पूरा करने के लिए प्रति बीघे एक बांध का उपकरण, जिसे जबिटान के नाम से जाना जाता था, दिया जाता था।

- माप को रिकार्ड करने में काफी धोखाधड़ी की जा सकती है।
- जब्ती प्रणाली केवल साम्राज्य के मुख्य क्षेत्र में अपनाई गई थी।
- जब्ती के अंतर्गत आने वाले मुख्य प्रांत दिल्ली, इलाहाबाद, अवध, आगरा, लाहौर और मुल्तान थे।
- यहां तक कि इन जब्ती प्रांतों में, क्षेत्र की परिस्थितियों के आधार पर, मूल्यांकन के अन्य तरीकों का भी प्रयोग किया जाता था।

### नसक पद्धति

- यह मूल्यांकन की कोई स्वतंत्र पद्धति नहीं थी, बल्कि यह अन्य तरीकों के अधीन था।
- यह एक ऐसी विधि या प्रक्रिया थी, जिसमें राजस्व निर्धारण एवं संग्रहण की जो भी मूल विधि लागू थी, उसमें इसे अपनाया जा सकता था।
- उत्तर भारत में यह नसकी जब्ती कहलाती थी, जबकि कश्मीर में यह नसकी गल्ला बख्शी थी।
- जब इसे जब्ती के तहत लागू किया जाता था तो वार्षिक माप को समाप्त कर दिया जाता था तथा पूर्व के आंकड़ों में कुछ परिवर्तनों के साथ इसे लागू किया जाता था।
- इसलिए, जब्तल-ए-हरसाला या वार्षिक माप को कुछ संशोधनों के साथ अलग रखा गया था।

### राजस्व खेती (इजारा)

- इजारा प्रणाली या राजस्व खेती, इस समय में राजस्व प्रणाली की एक और विशेषता थी।
- हालांकि, एक नियम के रूप में मुगलों ने इस प्रथा को अस्वीकार कर दिया था, लेकिन कुछ गांवों में इसके अंतर्गत कभी-कभी खेती की जाती थी।
- सामान्यतः इन गांवों में, जब किसानों के पास खेती करने के लिए संसाधन उपलब्ध नहीं होते थे या जहां किसी आपदा के कारण खेती नहीं की जा सकती थी, इजारा के अंतर्गत खेती की जाती थी।
- जागीरदार आम तौर पर उच्चतम बोली लगाने वालों को एकमुश्त भुगतान के बदले में अपना कार्यभार सौंप दिया करते थे।
- 18वीं शताब्दी के दौरान इजारा प्रणाली राजस्व मूल्यांकन एवं संग्रह का एक सामान्य रूप बन गई।

### भुगतान का प्रकार

- मुगल काल में जब्ती व्यवस्था के तहत किसानों को राजस्व नकद में देना होता था।
- किसी भी परिस्थिति में नकदी को वस्तु के रूप में परिवर्तित करने की अनुमति देने का कोई प्रावधान अभिलेख में नहीं है।
- हालांकि, गल्ला-बख्शी एवं कनकुत के तहत, बाजार मूल्यों पर नकदी में परिवर्तन की अनुमति थी।

### भू-राजस्व का संग्रहण

- गल्ला बख्शी के तहत राज्य का हिस्सा सीधे खेत से जब्त कर लिया जाता था। अन्य प्रणालियों में, राज्य फसल के समय अपना हिस्सा एकत्र करता था।
- अबुल फजल का कहना है कि रबी के लिए होली से और खरीफ के लिए दशहरा से संग्रह शुरू हो जाता था।
- इस प्रकार, खरीफ के तहत राजस्व केवल किरातों में एकत्र किया जा सकता था।

- आमतौर पर, राजस्व 'आमिल' या राजस्व संग्रहकर्ता के माध्यम से राजकोष में जमा किया जाता था।
- अकबर ने किसानों को सीधे भुगतान करने के लिए प्रोत्साहित किया।
- टोडरमल ने सिफारिश की कि गांवों के किसान समय सीमा के अन्दर अपना राजस्व स्वयं राजकोष में जमा कर रसीद प्राप्त कर सकते हैं।

#### राहत के उपाय

- तरलख-ए शेरशाही में अब्बास खान के अनुसार, 'शेरशाह ने घोषणा की कि मूल्यांकन के समय रियायतें दी जा सकती हैं, लेकिन संग्रह के समय कभी नहीं'।
- औरंगजेब ने मुहम्मद हाशिम करौड़ी को लिखे अपने फरमान में निर्देश दिया कि फसल कट जाने के बाद कोई छूट नहीं दी जाएगी।
- किसानों को बीज और मवेशी खरीदने में सक्षम बनाने के लिए तकावी ऋण प्रदान किए गए थे।
- अबुल फजल लिखते हैं, 'अमलगुजार को खाली हाथ किसानों को ऋण देकर उनकी सहायता करनी चाहिए'।
- टोडरमल ने सुझाव दिया था कि तकावी उन किसानों को दी जानी चाहिए, जो संकटग्रस्त परिस्थितियों में थे और जिनके पास बीज या मवेशी नहीं थे। ये ऋण ब्याज मुक्त थे, आमतौर पर फसल के समय चुकाए जाते थे।

#### भू-राजस्व प्रशासन

- **जागीरदारों के एजेंट:** स्थायी स्थानीय अधिकारी जिनमें से कई वंशानुगत थे। वे आम तौर पर जागीरदार के बार-बार होने वाले तबादलों से प्रभावित नहीं होते थे, जागीरदारों की मदद करने और उन्हें नियंत्रित करने के लिए शाही अधिकारी होते थे।
- **करोड़ी या आमिल:** 1574-75 में करोड़ी की नियुक्ति की गई। करोड़ी की नियुक्ति प्रांत के दीवान द्वारा की जाती थी। करोड़ी वास्तविक संग्रह के खातों का ऑडिट गांव के पटवारी के कागजात की मदद से किया जाता था।
- **अमीन:** इसकी नियुक्ति शाहजहां के शासन काल में प्रारंभ हुआ था। इनका मुख्य कार्य राजस्व का आकलन करना था। इसे भी दीवान द्वारा नियुक्त किया जाता था।
- **कानूनगो:** यह परगना का स्थानीय राजस्व अधिकारी था तथा आमतौर पर लेखाकार की श्रेणियों में से एक था। यह एक वंशानुगत पद था, लेकिन प्रत्येक नए व्यक्ति के नामांकन के लिए एक शाही आदेश आवश्यक था। कानूनगो को कुल राजस्व का 1% पारिश्रमिक के रूप में दिया जाता था, लेकिन अकबर ने उन्हें वेतन देना शुरू कर दिया था।
- **चौधरी:** यह भी कानूनगो की तरह एक महत्वपूर्ण राजस्व अधिकारी था। अधिकांश मामलों में वह इलाके का प्रमुख जमींदार होता था। इसका मुख्य सरोकार संग्रह से था।
- **शिवकदार:** शेरशाह के अधीन, यह राजस्व संग्रह का प्रभारी था तथा विधि एवं व्यवस्था बनाए रखता था। अकबर के बाद के काल में यह करोड़ी के अधीन एक अधीनस्थ अधिकारी बन गया था।
- **मुकद्दम:** मुकद्दम और पटवारी ग्राम स्तर के अधिकारी थे। मुकद्दम गांव का मुखिया था। उनकी सेवाओं के बदले में उन्हें अपने द्वारा एकत्र किये गये कुल राजस्व का 2.5 प्रतिशत प्राप्त करने की अनुमति थी।

- **पटवारी:** पटवारी को गांव की भूमि, व्यक्तिगत किसानों की जोत, उगाई गई फसलों की विविधता और परती भूमि के विवरण का रिकॉर्ड रखना होता था। इन बहियों में निहित जानकारी के आधार पर, बिटिकची आवश्यक कागजात और रिकॉर्ड तैयार करते थे, जिसके अनुसार मूल्यांकन और संग्रह किया जाता था।
- प्रत्येक परगने में दो अन्य अधिकारी होते थे-
  - फोतादार या खजानदार (कोषाध्यक्ष),
  - कारकून या बिटिकची (लेखाकार)।
- शेरशाह के अधीन दो कारकून थे, एक हिंदी में अभिलेख रखने के लिए और दूसरा फारसी में। लेकिन 1583-84 ई. में फारसी को हिसाब-किताब के लिए एकमात्र भाषा बना दिया गया।

## मुगल काल में कला, वास्तुकला एवं साहित्य का विकास

1526 में पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत के बाद मुगल वंश की स्थापना हुई। 16वीं से 18वीं शताब्दी तक मुगल राजवंश का शासन बड़े पैमाने पर कला रूपों, स्थापत्य शैलियों को प्रदर्शित करता है, जो तत्कालीन समय में तेजी से विकसित हुए थे।

#### मुगल वास्तुकला

- उत्तर भारत में दिल्ली सल्तनत के पश्चात मुगलों ने शासन किया था। मुगल काल को 'द्वितीय क्लासिकल युग' कहा जाता है।
- इस काल में पहली बार आकार एवं अलंकरण की विविधता का प्रयोग निर्माण के लिए पत्थर के लावा, प्लास्टर एवं पच्चीकारी या पित्रडडूरा का प्रयोग किया गया। मुगलकालीन स्थापत्य कला में गुंबदों एवं बुर्जों को कलश से सजाया जाता था।
- इस काल में भवन का निर्माण बड़े पैमाने पर किया गया तथा भवन धार्मिक एवं धर्मनिरपेक्ष दोनों प्रयोजन हेतु बनाए गए जाते थे।
- **बाबर:** इसने अपने गैर धार्मिक कार्यों के तहत मुख्य रूप से ईरानी शैली पर आधारित बगीचे लगवाए और मंडप बनवाये।
  - इसने रूहेलखंड के संभल में जामा मस्जिद का निर्माण कराया। इसी के साथ इसने पानीपत में काबुली बाग की मस्जिद, आगरा में आराम बाग तथा जहरा बाग का निर्माण भी करवाया था।
- **हुमायूँ:** इसने दिल्ली में दीनपनाह नामक भवन का निर्माण कराया और इसके अतिरिक्त आगरा तथा हिसार में दो मस्जिदों का निर्माण कराया।
  - हुमायूँ के मकबरे का निर्माण अकबर की शासन काल में मिर्जा ग्यास बेग ने किया था। यह चारबाग शैली में निर्मित प्रथम मकबरा है। इसकी एक अन्य विशेषता दो परतों वाला गुंबद है।
- **अकबर:** इसके शासनकाल को मुगलकालीन स्थापत्य कला का निर्माण काल माना जा सकता है। इस दौरान भारतीय-इस्लामी स्थापत्य की मिली-जुली शैली का विकास हुआ।
  - अकबरकालीन भवनों में अधिकतर लाल पत्थरों का प्रयोग हुआ है।
  - अकबर कालीन निर्माण कार्यों को दो चरणों में बांटा जा सकता है-
    - ✦ **प्रथम चरण** में आगरा, इलाहाबाद, लाहौर के किले एवं कुछ महलों का निर्माण किया गया।
    - ✦ **द्वितीय चरण**- फतेहपुर सीकरी में निर्माण कार्य किया गया।
  - फतेहपुर सीकरी में विद्यमान भवनों को धार्मिक भवन और गैर धार्मिक भवनों में बांटा जा सकता है।



## प्रारंभिक परीक्षा

- धार्मिक भवनों का निर्माण अर्द्धवृत्ताकार या धनुषाकार शैली में हुआ है, जबकि गैर धार्मिक भवनों में शहतीर की प्रमुखता है।
- इसने बुलंद दरवाजा, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह, जामा मस्जिद, दीवान-ए-खास (पंच महल), दीवान-ए-आम आदि का निर्माण करवाया था। बुलंद दरवाजे का निर्माण गुजरात अभियान की सफलता के उपलक्ष्य में कराया गया था।
- **जहांगीर:** भवन निर्माण कला के क्षेत्र में जहांगीर और शाहजहां का शासन काल संगमरमर के प्रयोग का काल है।
- लाल बलुए पत्थर का स्थान संगमरमर ने ले लिया और इसका बेहतरीन प्रयोग होने लगा। इस काल में कुछ शैलीगत परिवर्तन भी आये। इसने कश्मीर में शालीमार बाग तथा निशांत बाग का निर्माण, लाहौर में मोती मस्जिद, अनारकली का मकबरा आदि का निर्माण करवाया।
- इसी काल में नूरजहां ने एत्मादुदौला का मकबरा निर्मित किया। इस मकबरे में पच्चीकारी की एक नई शैली पित्रदुरा का प्रथम प्रयोग किया गया।
- **शाहजहां:** इसके काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग था। उसने स्थापत्य निर्माण हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की।
- इसने लाहौर में जहांगीर का मकबरा, आगरा में ताज महल, दीवान-ए-खास, रंग महल, शीश महल, खास महल, मच्छी महल, नगीना मस्जिद, मोती मस्जिद तथा दिल्ली में शाहजहांबाद नमक नगर, लाल किला, जामा मस्जिद आदि का निर्माण करवाया।
- **औरंगजेब:** इसने लाहौर की बादशाही मस्जिद, दिल्ली के लालकिला की मोती मस्जिद आदि का निर्माण करवाया।
- ✓ **मुगल चित्रकला**
- अपने फारसी चित्रकारों को संरक्षण देते हुए, मुगलों ने उन चित्रों में गहरी रुचि ली, जो इंडो-फारसी संश्लेषण के सहयोग को दर्शाते थे।
- तुर्की-अफगान दिल्ली सल्तनत के समय से शुरू हुई, पेंटिंग मुगल शासकों अकबर, जहांगीर और शाहजहां के शासन में समृद्ध हुई।
- मुगल चित्रकला की कला समय के साथ विकसित हुई और यथार्थवादी चित्रण के रूप में विकसित हुई।
- मुगल काल की पेंटिंग फारसी साहित्य एवं हिंदू पौराणिक कथाओं और दंतकथाओं के विषय को दर्शाती हैं, जो धीरे-धीरे यथार्थवादी विषयों में बदल गई जैसे कि राजपरिवार के चित्र, अदालती जीवन की घटनाएं एवं विवरण, वन्य जीवन तथा शिकार के दृश्य और युद्ध चित्रण आदि।
- चमकीले रंगों का प्रचुर उपयोग किया जाता था तथा बॉर्डर पर सुलेख पाठ के साथ सुन्दर चित्रण कलाकृति की आकर्षण को बढ़ाता है।
- फारसी लघु चित्रकला के प्रति हुमायूँ के संपर्क ने उन्हें निपुण फारसी कलाकारों, **सैय्यद अली** और **अब्दुस समद** के साथ जुड़ने में सहयोग किया।
- निजामी के खम्सा, उनके स्वयं के आयोग में विभिन्न कलाकारों की विभिन्न शैलियों के साथ 36 प्रबुद्ध पृष्ठ हैं।
- अकबर ने अपने शासन काल में कला के विकास पर व्यक्तिगत ध्यान देकर उसका विस्तार किया। उस समय की प्रमुख कृतियों में **तूतीनामा**, **गुलिस्तान**, **निजामी का खमसा**, **दरबनामा** एवं हिंदू महाकाव्य रामायण और महाभारत शामिल थे।
- अकबर ने 1570 ई. से 1585 ई. तक मुगल शैली की चित्रकला को विकसित करने के लिए कई चित्रकारों को नियुक्त किया।
- **दसवंत** और **बसावन** अकबर के दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार थे।
- जहांगीर की कलात्मक अभिरुचि ने मुगल चित्रकला को और अधिक विकसित किया। इसने यूरोपीय कलाकारों के एकल बिंदु परिप्रेक्ष्य को प्रोत्साहित किया तथा पेंटिंग वास्तविक जीवन की घटनाओं पर केंद्रित हो गई। **तुजुक-ए-जहांगीरी**, उनकी आत्मकथा में कई पेंटिंग थीं।
- ✓ **मुगल काल में साहित्य**
- अकबर के शासनकाल के दौरान, फारसी गद्य एवं पद्य अपने चरम पर पहुंच गई थी। **अबुल फजल**, एक महान विद्वान और साथ ही **अकबर के दरबार के प्रमुख इतिहासकार** थे, इन्होंने गद्य-लेखन शैली की स्थापना की, जिसका कई पीढ़ियों तक अनुकरण किया गया।
- बाबर की तुर्की में 'तुजुक-ए-बाबरी' से लेकर गुलबदन बेगम द्वारा लिखित हुमायूँ की जीवनी 'हुमायूँनामा' तक, उनके सहिष्णु रवैये के कारण अकबर के शासनकाल में व्यापक साहित्य विकास देखा गया।
- फैजी उस समय के प्रमुख कवि थे। इन्होंने अकबर के अनुवाद विभाग में प्रधान के रूप में काम किया। उनकी देखरेख में महाभारत का अनुवाद पूरा हुआ।
- **उन्वी** और **नाजिरी** अन्य दो प्रमुख फारसी कवि थे। वे ईरान से भारत आए तथा इस्लामी दुनिया के सांस्कृतिक केंद्रों में से एक के रूप में मुगल दरबार की स्थापना में सहयोगी बने।

| मुगल काल के प्रसिद्ध साहित्य एवं साहित्यकार |                                       |
|---|---------------------------------------|
| साहित्यकार                                  | साहित्य                               |
| बाबर  | 'तुजुक-ए-बाबरी'                       |
| गुलबदन बेगम                                 | 'हुमायूँनामा'                         |
| अब्दुल रहीम खान-ए-खाना                      | फारसी में बाबरनामा (तुर्की) का अनुवाद |
| बदायूनी                                     | 'मुन्तखब-उल-तवारीख'                   |
| निजाम-उद-दीन                                | 'तबकात-ए-अकबरी'                       |
| अबुल फजल                                    | अकबरनामा और आईन-ए-अकबरी               |
| जहांगीर                                     | तुजुक-ए-जहांगीरी                      |
| मुतमिद खान (जहांगीर की जीवनी)               | इकबालनामा-ए-जहांगीर                   |
| अब्दुल हमिद लाहौरी और इनायत खान             | पादशाहनामा, (शाहजहां की जीवनी)        |
| खफी खान                                     | 'मुन्तखब-उल'                          |
| भीमसेन                                      | 'नुस्खो-ए-दिलकुशा'                    |
| औरंगजेब के शासनकाल में                      | 'फतवा-ए-आलमगिरी'                      |

## भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान ब्रिटिश प्रस्ताव एवं मिशन

भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ने भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण युग के दौरान विविध सामाजिक समूहों और लोगों को एकजुट राष्ट्र में एक साथ लाकर एक एकीकृत शक्ति के रूप में कार्य किया। जागरूकता के बीज 19वीं शताब्दी के अंत में, मुख्य रूप से कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे जैसे प्रमुख शहरी केंद्रों में अंग्रेजी शिक्षा के विस्तार के साथ बोए गए थे। उस समय के बुद्धिजीवियों ने प्रचलित सामाजिक संरचना में निहित अन्याय और दोहरेपन का मुखर विरोध किया।

### भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन के दौरान ब्रिटिश प्रस्ताव एवं मिशन मिंटो-मॉर्ले संवैधानिक सुधार (1909)

- भारत सरकार, जिसका नेतृत्व वायसराय के रूप में लॉर्ड मिंटो और राज्य सचिव के रूप में जॉन मॉर्ले ने किया, ने विधान परिषदों में नए सुधारों की पेशकश की। उन्होंने इस संबंध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर नरमपंथियों के साथ चर्चा शुरू की। हालांकि, जब निर्णय लिया गया, तो न केवल नरम दल बल्कि पूरे देश को निराशा हुई।
- **प्रमुख प्रावधान:**
  - 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम ने इंपीरियल विधान परिषद और प्रांतीय विधान परिषदों में निर्वाचित सदस्यों की संख्या में वृद्धि की (लेकिन उनमें से अधिकतर अभी भी अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित थे)।
  - एक भारतीय को गवर्नर-जनरल की कार्यकारी परिषद का सदस्य नियुक्त किया जाना था।
  - अधिनियम ने सदस्यों को संकल्प प्रस्तुत करने की अनुमति दी; इससे उनकी प्रश्न पूछने की शक्ति भी बढ़ी।
  - अलग-अलग बजट मदों पर मतदान की अनुमति दी गई।

### भारत सरकार अधिनियम 1919

भारत सरकार अधिनियम, 1919 को मॉंटग्यु-चेम्सफोर्ड सुधार के रूप में भी जाना जाता है। इसके माध्यम से पहली बार द्विसदनीय व्यवस्था लागू की गई तथा प्रांतीय एवं केंद्रीय विषय अलग-अलग कर दिये गये।

- द्वैध शासन व्यवस्था, प्रांतीय विषयों में दोहरी शासन की एक व्यवस्था शुरू की गई थी, इसे आरक्षित और हस्तांतरित में विभाजित किया गया था।
- वायसराय की कार्यकारी परिषद में 6 सदस्यों में से 3 भारतीय सदस्यों की नियुक्ति की गई थी।
- इस अधिनियम ने पहली बार भारत में लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया था। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व ईसाइयों, एंग्लो-इंडियन, सिखों तक बढ़ाया गया था।
- मताधिकार एक सीमित आबादी को दिया गया था, जो उन लोगों पर आधारित था, जिनकी कर योग्य आय थी, जिनके पास संपत्ति थी।
- मॉंटग्यु-चेम्सफोर्ड सुधार ने सरकार के कामकाज को देखने के लिए 10 वर्षों के अंत में एक वैधानिक आयोग की स्थापना का प्रावधान किया था।

### साइमन कमीशन (1927)

8 नवंबर, 1927 को, एक सर्व-श्वेत साइमन आयोग की नियुक्ति यह सिफारिश करने के लिए की गई थी कि क्या भारत आगे के संवैधानिक सुधारों के लिए तैयार है।

- भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया, क्योंकि कमीशन में कोई भी भारतीय उपस्थित नहीं था। कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन हुए।
- लाहौर में चरमपंथी दिनों के नायक और पंजाब के सबसे प्रतिष्ठित नेता लाला लाजपत राय पर हमला किया गया। नवंबर 1928 में चोटों के कारण उनकी मृत्यु हो गई।
- भगत सिंह और उनके साथियों ने लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेना चाहा। उन्होंने दिसंबर 1928 में श्वेत पुलिस अधिकारी सॉन्डर्स की हत्या कर दी।
- साइमन कमीशन के बहिष्कार आंदोलन के दौरान जवाहरलाल नेहरू और सुभाष बोस नेता बनकर उभरे।

### सांप्रदायिक अवार्ड (1932)

तीसरे गोलमेज सम्मेलन के बाद नवंबर 1932 में ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधान मंत्री रामसे मैकडोनाल्ड ने एक आदेश दिया, जिसे सांप्रदायिक पुरस्कार के नाम से जाना जाता है।

- यह ब्रिटेन की 'फूट डालो और राज करो' की नीति का हिस्सा था। इस पुरस्कार ने ब्रिटिश भारत में अगड़ी जाति, निचली जाति, मुस्लिम, बौद्ध, सिख, भारतीय ईसाई, एंग्लो-इंडियन, यूरोपीय और अछूत (दलित) आदि के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र प्रदान किए।
- कांग्रेस पार्टी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के विस्तार से नाखुश थी, लेकिन 'दलित वर्गों' के लिए अलग-निर्वाचन सीटों की ब्रिटिश पेशकश पर विशेष रूप से नाराज हो गई।
- गांधीजी ने मैकडोनाल्ड अवार्ड को 50 मिलियन से अधिक हिंदुओं को उनके उच्च जाति के भाइयों और बहनों से दूर करने की एक नापाक ब्रिटिश साजिश के रूप में देखा।
- मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र के विचार को कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के साथ समझौते के एक हिस्से के रूप में 1916 में ही स्वीकार कर लिया था। इसलिए, कांग्रेस ने यह रुख अपनाया कि वह पृथक निर्वाचन क्षेत्रों के विरोध में थी, लेकिन अल्पसंख्यकों की सहमति के बिना अवार्ड को बदलने के पक्ष में नहीं थी।
- गांधीजी ने मांग की कि दलित वर्गों के प्रतिनिधियों को यदि संभव हो तो सार्वभौमिक, सामान्य मताधिकार द्वारा चुना जाना चाहिए। साथ ही, उन्होंने दलित वर्गों के लिए बड़ी संख्या में आरक्षित सीटों की मांग पर भी आपत्ति नहीं जताई। अपनी मांग को लागू कराने के लिए उन्होंने 20 सितंबर, 1932 को आमरण अनशन किया।
- अंततः राजनीतिक नेता एक समझौता करने में सफल हुए, जिसे पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है।
- इस समझौते में दलित वर्गों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों के विचार को त्याग दिया गया, लेकिन प्रांतीय विधानसभाओं और केंद्रीय विधानमंडल में उनके लिए आरक्षित सीटें बढ़ा दी गईं।

## प्रारंभिक परीक्षा

- जेल से रिहा होने के बाद गांधीजी अहमदाबाद में साबरमती आश्रम छोड़ने के बाद वर्धा में सत्याग्रह आश्रम में चले गए, क्योंकि उन्होंने 1930 में कसम खाई थी कि जब तक स्वराज नहीं मिल जाता, तब तक वह साबरमती नहीं लौटेंगे।

## भारत सरकार अधिनियम (1935)

भारत में संवैधानिक सुधारों की बढ़ती मांग के कारण ब्रिटिश संसद को भारत सरकार अधिनियम 1935 लागू करना पड़ा।

- अधिनियम में कुछ प्रकार के प्रतिनिधित्व सरकार द्वारा वादा था। इस अधिनियम ने ब्रिटिश भारतीय प्रांतों और रियासतों के संघ के आधार पर एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया।
- रक्षा और विदेशी मामले संघीय विधायिका के नियंत्रण से बाहर रहेंगे, जबकि वायसराय अन्य विषयों पर विशेष नियंत्रण बनाए रखेगा।
- ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त राज्यपालों के पास विशेष शक्तियां होती थीं। वे विधायी और प्रशासनिक उपायों, विशेषकर अल्पसंख्यकों, सिविल सेवकों के अधिकारों, कानून और व्यवस्था और ब्रिटिश व्यावसायिक हितों से संबंधित उपायों को वीटो कर सकते थे।
- राज्यपाल के पास किसी प्रांत का प्रशासन अपने हाथ में लेने और अनिश्चित काल तक चलाने की भी शक्ति थी।
- 1935 के अधिनियम की कांग्रेस ने निंदा की और सर्वसम्मति से इसे अस्वीकार कर दिया। कांग्रेस ने स्वतंत्र भारत के लिए संविधान बनाने के लिए वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित संविधान सभा बुलाने की मांग की।

## क्रिप्स मिशन (1942)

क्रिप्स मिशन मार्च 1942 के अंत में ब्रिटिश सरकार द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध में अपने प्रयासों के लिए पूर्ण भारतीय सहयोग और समर्थन प्राप्त करने का एक असफल प्रयास था।

- मिशन का नेतृत्व पारंपरिक रूप से भारतीय स्वशासन के प्रति सहानुभूति रखने वाले वरिष्ठ मंत्री सर स्टैफोर्ड क्रिप्स ने किया था।
- हालांकि, वह प्रधान मंत्री विंस्टन चर्चिल के नेतृत्व वाले गठबंधन युद्ध मंत्रिमंडल के सदस्य भी थे, जो लंबे समय से भारतीय स्वतंत्रता को अवरुद्ध करने वाले आंदोलन के नेता थे।
- चर्चिल को गांधीजी और कांग्रेस के साथ समझौता करने की कोशिश करने के लिए सर स्टैफोर्ड क्रिप्स को भारत भेजने के लिए राजी किया गया था।
- घोषणापत्र में युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन स्टेट्स और एक संविधान बनाने वाली संस्था का वादा किया गया। उन्होंने प्रस्तावित किया कि संवैधानिक सभा के सदस्यों को प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा चुना जाएगा और रियासतों के मामले में शासकों द्वारा नामित किया जाएगा।
- उस समय मुसलमानों के लिए एक अलग राष्ट्र 'पाकिस्तान' की मांग ने भी जोर पकड़ लिया।
- पाकिस्तान की मांग को इस प्रावधान द्वारा समायोजित किया गया था कि जो भी प्रांत नए संविधान को स्वीकार करने के लिए तैयार

नहीं है, उसे अपनी भविष्य की स्थिति के संबंध में ब्रिटेन के साथ एक अलग समझौते पर हस्ताक्षर करने का अधिकार होगा।

- वार्ता तब टूट गई, जब कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता के बजाय डोमिनियन स्टेट्स के प्रावधान पर आपत्ति जताई।
- कांग्रेस ने जोर देकर कहा कि यदि उसे धुरी शक्तियों से भारत की रक्षा करने में अंग्रेजों की मदद करनी है, तो वायसराय को सबसे पहले एक भारतीय को अपनी कार्यकारी परिषद के रक्षा सदस्य के रूप में नियुक्त करना होगा।
- क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद, महात्मा गांधी ने 'भारत छोड़ो' अभियान शुरू करने का फैसला किया, जिसे 'अगस्त क्रांति' के नाम से भी जाना जाता है।

## शिमला सम्मेलन (1945) और वेवेल योजना

1945 का शिमला सम्मेलन भारत के वायसराय (लॉर्ड वेवेल) और ब्रिटिश भारत के प्रमुख राजनीतिक नेताओं के बीच शिमला के वाइसरीगल लॉज में एक बैठक थी।

- वेवेल ने एकजुट भारत के भीतर मुसलमानों के एक अलग प्रतिनिधित्व का प्रस्ताव रखा। हालांकि, मुस्लिम प्रतिनिधियों के चयन के मुद्दे पर बातचीत रुक गई। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने भारतीय मुसलमानों का एकमात्र प्रतिनिधि होने का दावा किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस दावे का विरोध किया, क्योंकि कांग्रेस के समर्थन में मुस्लिम लीग की तुलना में अधिक मुस्लिम थे।
- इसने सम्मेलन को और शायद एकजुट, स्वतंत्र भारत के लिए आखिरी व्यवहार्य अवसर को नष्ट कर दिया।
- 14 जून, 1945 को लॉर्ड वेवेल ने एक नई कार्यकारी परिषद की योजना की घोषणा की, जिसमें वायसराय और कमांडर इन चीफ को छोड़कर सभी सदस्य भारतीय होंगे।
- यह कार्यकारी परिषद तब तक एक अस्थायी उपाय थी, जब तक कि एक नए स्थायी संविधान पर सहमति नहीं बन जाती और वह लागू नहीं हो जाता।

## माउंटबेटन योजना (1947)

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मुस्लिम लीग और सिख समुदाय के विधायिका प्रतिनिधियों ने लॉर्ड माउंटबेटन के साथ एक समझौता किया, जिसे 3 जून योजना या माउंटबेटन योजना के रूप में जाना जाता है। यह योजना आजादी की आखिरी योजना थी।

- 3 जून, 1947 को वायसराय माउंटबेटन द्वारा घोषित योजना में ये सिद्धांत शामिल थे:
  - ब्रिटिश भारत के विभाजन के सिद्धांत को ब्रिटिश सरकार ने स्वीकार कर लिया।
  - उत्तराधिकारी सरकारों को प्रभुत्व का दर्जा दिया जाएगा।
  - दोनों देशों को स्वायत्तता और संप्रभुता।
  - उत्तराधिकारी सरकारें अपना संविधान बना सकती थीं।
  - रियासतों को दो प्रमुख कारकों के आधार पर पाकिस्तान या भारत में शामिल होने का अधिकार दिया गया था: भौगोलिक निकटता और लोगों की इच्छाएं। माउंटबेटन योजना के कारण 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम लागू हुआ। ■■

## भूगोल

### प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक पवन प्रणालियाँ

- वायुमंडल में वायुदाब में अंतर के कारण होने वाली गति को पवन कहते हैं। वायु उच्च वायुदाब से निम्न वायु दाब वाले क्षेत्रों की ओर चलती है तथा वायु दाब में असमानताओं को संतुलित करती है।
- दबाव का अंतर सीधे हवा की गति के समानुपाती होता है, जिसका अर्थ है कि दबाव का अंतर जितना अधिक होगा, हवा उतनी ही तेज बहती है।
  - हवा की क्षैतिज गति को सूर्यातप एवं पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण चलने वाली हवा के रूप में वर्णित किया गया है।
  - वायु का प्रवाह तथा दिशा निम्नलिखित भौगोलिक कारकों एवं प्रक्रियाओं द्वारा नियंत्रित होती है:
    - **दाब-प्रवणता:** यह बल हवा को प्रारंभिक प्रवाह तथा दिशा प्रदान करता है। प्रवाह उच्च दाब से निम्न दाब क्षेत्र की ओर होता है तथा यह प्रवाह समदाब रेखा के समकोण पर होता है। हवा का वेग सीधे दाब-प्रवणता बल के समानुपाती होता है।
    - **कोरिऑलिस बल:** वह बल जो हवा की दिशा को विक्षेपित करता है, विक्षेपण बल या कोरिऑलिस बल कहलाता है। यह उत्तरी गोलार्द्ध में दाईं ओर, जबकि दक्षिणी गोलार्द्ध में बाईं ओर विक्षेपित होता है। यह एक आभासी बल है, जो पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण उत्पन्न होता है।
    - **सतह द्वारा उत्पन्न घर्षण बल:** यह हवा के प्रवाह पर एक अवरोधक बल है। घर्षण की मात्रा सतह की अनियमितताओं और प्राकृतिक भू-आकृतियों एवं उच्चावचों पर निर्भर करता है। चिकनी समुद्री सतहों के ऊपर घर्षण बल सबसे कम होता है।

#### पवनों के प्रकार

पवनों को सामान्यतः तीन प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है- स्थायी पवनें (Permanent winds), मौसमी पवनें (Seasonal winds) एवं स्थानीय पवनें (Local winds)।

- ✓ **प्राथमिक या स्थायी पवन (Primary Or Permanent Winds):**
  - स्थायी पवनें वे पवनें हैं, जो पूरे वर्ष निरंतर एक ही दिशा में उच्च दाब पेटी से निम्न दाब पेटी की ओर चलती हैं। इन्हें प्राथमिक या ग्रहीय पवनों के रूप में भी जाना जाता है। स्थायी पवनें तीन प्रकार की होती हैं-
    1. व्यापारिक पवनें (Trade winds),
    2. पछुआ पवनें (Westerlies),
    3. ध्रुवीय पवनें (Polar winds)।
- 1. **व्यापारिक पवनें (Trade winds):** ये उत्तर और दक्षिण दोनों गोलार्द्धों में उपोष्णकटिबंधीय उच्च दाब पेटी से भूमध्यरेखीय निम्न दाब पेटी की ओर चलती हैं।
  - व्यापारिक पवनें 30°N और 30°S के मध्य स्थित क्षेत्र में चलती हैं।

- इन्हें उत्तरी गोलार्द्ध में उत्तरपूर्वी व्यापारिक पवनें तथा दक्षिणी गोलार्द्ध में दक्षिणपूर्वी व्यापारिक पवनें कहा जाता है।
- इनकी गति की दिशा उत्तरी गोलार्द्ध में उत्तर-पूर्व से दक्षिण-पश्चिम तथा दक्षिणी गोलार्द्ध में दक्षिण-पूर्व से दक्षिण-पश्चिम है।
- 2. **पछुआ पवनें (Westerlies):** पछुआ पवनें उपोष्णकटिबंधीय उच्च दाब पेटी (30°) से उप-ध्रुवीय निम्न दाब पेटी (60°) की ओर उत्तर और दक्षिण दोनों गोलार्द्धों में चलती हैं।
  - उनकी गति की दिशा उत्तरी गोलार्द्ध में दक्षिण-पश्चिम से उत्तर-पूर्व तथा दक्षिणी गोलार्द्ध में उत्तर-पश्चिम से दक्षिण-पूर्व होती है।
  - उत्तरी गोलार्द्ध में विशाल भू-भाग तथा उच्चावच में भिन्नता के कारण पछुआ पवनें कम प्रभावी होती हैं।
  - दक्षिणी गोलार्द्ध में विशाल समुद्र की उपस्थिति के कारण पछुआ पवनें अधिक प्रभावी एवं तीव्र होती हैं, अतः इन्हें दक्षिणी गोलार्द्ध में- 40°-50° दक्षिण अक्षांशों के मध्य गर्जता चालीसा, 50° दक्षिण अक्षांश पर उग्र पचासा, 60° दक्षिण अक्षांश पर चीखता साठा कहा जाता है।
  - ये मध्य अक्षांशों में महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर पूरे वर्ष बने रहते हैं, जिससे पश्चिमी तटों पर वर्षा होती है।
- 3. **ध्रुवीय पवनें (Polar winds):** ध्रुवीय पवनें उत्तर और दक्षिण दोनों गोलार्द्धों में ध्रुवीय उच्च दाब पेटी (90°) से उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी (60°) की ओर प्रवाहित होती हैं।
  - इनकी दिशा उत्तरी गोलार्द्ध में उत्तर-पूर्व से दक्षिण-पश्चिम तथा दक्षिणी गोलार्द्ध में दक्षिण-पूर्व से उत्तर-पश्चिम होती है।
  - ये सर्दियों में अधिक प्रभावी और तीव्र होती हैं तथा बर्फाला तूफान उत्पन्न करती हैं।
- ✓ **द्वितीयक या मौसमी पवनें (Secondary Or Seasonal Winds)**
  - वे पवनें जो ऋतु परिवर्तन के साथ समय-समय पर अपनी दिशा परिवर्तित करती रहती हैं, मौसमी या आवधिक पवनें कहलाती हैं।
  - ये पवनें मौसमी परिवर्तन के साथ या समय-समय पर अपनी दिशा बदलती रहती हैं। इनके अंतर्गत निम्नलिखित शामिल हैं-
    1. **मानसूनी पवनें:** मानसूनी पवनें विशेष रूप से एशिया में पाई जाने वाली मौसमी पवनें हैं, जो गर्मी एवं सर्दी के मध्य अपनी दिशा में परिवर्तन करती हैं।
      - सर्दियों के दौरान, मानसूनी हवाएँ जमीन से समुद्र की ओर चलती हैं तथा गर्मियों के दौरान, वे समुद्र से स्थल की ओर चलती हैं।
      - गर्मियों के दौरान सूर्य का स्पष्ट रूप से उत्तर की ओर खिसकने से भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर-पश्चिम में एक तीव्र निम्न दाब केंद्र का निर्माण होता है, जो दक्षिणी गोलार्द्ध की व्यापारिक पवनों को उत्तर की ओर आकर्षित करता है।
      - कोरिऑलिस बल के प्रभाव से ये पवनें भूमध्य रेखा को पार करते समय दाहिनी ओर मुड़ जाती हैं।

## प्रारंभिक परीक्षा

- ये पवनें भारत के भूभाग के निकट पहुंचते-पहुंचते दक्षिण-पश्चिमी मानसून में परिवर्तित हो जाती हैं।
  - चूंकि ये पवनें महासागर से होकर लंबी दूरी तय करती हैं, भारत के दक्षिण-पश्चिमी तट तक पहुंचने तक वे नमी से संतृप्त हो जाती हैं, जिसके परिणामस्वरूप वर्षा होती है।
  - सर्दियों के दौरान, ये स्थितियां उलट जाती हैं, जिसके परिणामस्वरूप भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर में एक उच्च दाब पेटी का निर्माण होता है।
  - यह प्रतिचक्रवातीय दशा उत्पन्न करता है, जिससे पवनों की गति भूमध्य रेखा की ओर हो जाती है।
  - सूर्य के दक्षिणायन होना इस गति में सहायता करती है। यह उत्तर-पूर्व या शीतकालीन मानसून के रूप में भारत के पूर्वी तट (तमिलनाडु) पर कुछ वर्षा कराती है।
2. **स्थलीय एवं समुद्री समीर:** दिन के दौरान, समीपवर्ती समुद्र या झील की तुलना में स्थल तेजी से गर्म हो जाता है। भूमि के ऊपर गर्म हवा ऊपर उठती है और निम्न दाब का क्षेत्र विकसित करती है, जबकि समुद्र ठंडा होता है और उसके सतह पर अपेक्षाकृत उच्च दाब होता है।
- इससे समुद्र से स्थल की ओर एक दाब प्रवणता का निर्माण होता है और इस प्रकार समुद्र से ठंडी हवा जमीन की ओर प्रवाहित होने लगती है। इसे समुद्री समीर के नाम से जाना जाता है।
  - रात्रि में स्थितियां उलट जाती हैं। ठंडी हवा भूमि (उच्च दाब क्षेत्र) से समुद्र (निम्न दाब क्षेत्र) की ओर चलती है। इसे स्थलीय समीर के नाम से जाना जाता है।
  - इस प्रकार के पवन चक्र दैनिक आधार पर होते हैं तथा तटों और झीलों के किनारे संकरी पट्टियों पर प्रचलित होते हैं।
3. **घाटी एवं पर्वतीय समीर:** हवाओं का एक दैनिक चक्र पर्वत एवं घाटी समीर है।
- धूप वाले दिनों में पर्वतीय ढलानों घाटी की तुलना में अधिक तेजी से गर्म हो जाती हैं। परिणामस्वरूप, पर्वत ढलान के ऊपर की हवा ऊपर उठ जाती है तथा ढलान पर अपेक्षाकृत निम्न दाब क्षेत्र बन जाता है।
  - इस प्रकार, हवा घाटी (उच्च दबाव क्षेत्र) से ढलान (कम दबाव क्षेत्र) की ओर बहने लगती है। इसे घाटी समीर के नाम से जाना जाता है।
  - शाम के समय स्थितियां उलट जाती हैं और पर्वतीय ढलान पर उच्च दाब एवं घाटी में निम्न दाब विकसित हो जाता है।
  - इस प्रकार ठंडी शुष्क भारी हवा पहाड़ से घाटी में उतरने लगती है, जिसे पर्वतीय समीर के रूप में जाना जाता है।
  - पर्वत एवं घाटी की हवाओं को क्रमशः कैटाबेटिक तथा एनाबेटिक हवाओं के रूप में भी जाना जाता है।
- ✓ **तृतीयक या स्थानीय पवनें (Tertiary Or Local Wind)**
- ये किसी विशेष क्षेत्र में चलने वाली हवा के प्रकार हैं। तापमान और दबाव में स्थानीय अंतर से स्थानीय पवनों की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार की पवनें स्थानीय स्तर की होती हैं तथा क्षोभमंडल के निम्नतम स्तरों तक ही सीमित होती है।

| गर्म स्थानीय पवनें | क्षेत्र   |
|--------------------|---|
| फॉन                | आल्प्स पर्वत श्रृंखला   |
| लू                 | भारत और पाकिस्तान के उत्तरी मैदान   |
| चिन्कूक            | संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में रॉकी पर्वत का पूर्वी ढलान                      |
| सांता एना          | दक्षिणी कैलिफोर्निया की सांता एना घाटी  |
| हरमट्टन            | सहारा रेगिस्तान और अफ्रीका का गिनी तट   |
| नॉर्वेस्टर         | बांग्लादेश  |
| ब्रिकफील्डर        | दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया   |
| सिमूम              | अरब का रेगिस्तान  |
| सीरॉको             | सहारा रेगिस्तान, मध्य भूमध्य सागर, दक्षिणी इटली और स्पेन                          |
| खमसीन              | उत्तरी अफ्रीका और अरब   |
| ठंडी स्थानीय हवाएं | क्षेत्र   |
| मिस्ट्रल           | आल्प्स पर्वत, फ्रांस और भूमध्य सागर   |
| बोरा               | एड्रियाटिक सागर का पूर्वी तट (मुख्यतः उत्तरी इटली में)                            |
| ब्लिजार्ड          | कनाडा, साइबेरिया, संयुक्त राज्य अमेरिका और उत्तर और दक्षिण ध्रुवीय क्षेत्रों में। |
| लैवेंटर            | जिब्राल्टर जलडमरूमध्य और दक्षिणी स्पेन  |
| चैम्पेरो           | अर्जेंटीना  |
| बुरान              | साइबेरिया और पूर्वी रूस   |


## खनिजों के भंडार तथा उत्पादन : भारत एवं विश्व

भारत अपनी विविध भूवैज्ञानिक संरचना के कारण विविध प्रकार के खनिज संसाधनों से संपन्न है। अधिकांश मूल्यवान खनिज पूर्व-पुरापाषाण युग (Pre-Palaeozoic Age) के उत्पाद हैं तथा मुख्य रूप से प्रायद्वीपीय भारत की रूपांतरित और आग्नेय चट्टानों से जुड़े हैं।

➤ उत्तर भारत का विशाल जलोढ़ मैदानी क्षेत्र आर्थिक उपयोग के खनिजों से रहित है। खनिज संसाधन देश को औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक आधार प्रदान करते हैं। भारत विश्व का दूसरा इस्पात उत्पादक, तीसरा कोयला उत्पादक, चौथा लौह उत्पादक है तथा इसके पास विश्व का पांचवां सबसे बड़ा बॉक्साइट भंडार है।

### खनिज संसाधनों के प्रकार

रासायनिक एवं भौतिक गुणों के आधार पर, खनिजों को धातु तथा गैर-धातु की दो मुख्य श्रेणियों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है:



### भारत में खनिजों का वितरण

- भारत में अधिकांश धात्विक खनिज प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र में पुरानी क्रिस्टलीय चट्टानों में पाए जाते हैं।
- 97 प्रतिशत से अधिक कोयला भंडार दामोदर, सोन, महानदी और गोदावरी की घाटियों में हैं।
- पेट्रोलियम भंडार असम, गुजरात और अरब सागर के मुंबई हाई अपतटीय क्षेत्र की तलछटी घाटियों में स्थित हैं।
- भारत में खनिज सामान्यतः तीन विस्तृत बेल्टों में केंद्रित हैं। ये बेल्ट हैं:
  - ✓ **उत्तर-पूर्वी पठारी क्षेत्र**
    - यह बेल्ट छोटानागपुर पठार (झारखंड), ओडिशा पठार, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों को कवर करती है।
    - लौह अयस्क, कोयला, मैंगनीज, बॉक्साइट, अभ्रक आदि प्रमुख खनिजों का यहां खनन होता है।
  - ✓ **दक्षिण-पश्चिमी पठारी क्षेत्र**
    - यह बेल्ट कर्नाटक, गोवा तथा निकटवर्ती तमिलनाडु के ऊपरी इलाकों एवं केरल तक फैली हुई है। यह बेल्ट लौह धातुओं और बॉक्साइट से समृद्ध है।
    - इसमें उच्च श्रेणी का लौह अयस्क, मैंगनीज और चूना पत्थर प्राप्त होते हैं। यह बेल्ट नेवेली लिग्नाइट को छोड़कर कोयले के भंडार से भरी हुई है।
    - इस बेल्ट में उत्तर-पूर्वी बेल्ट की तरह विविध खनिज भंडार नहीं हैं। केरल में मोनाजाइट और थोरियम, बॉक्साइट के भंडार हैं। गोवा में लौह अयस्क के भण्डार हैं।
  - ✓ **उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र**
    - यह बेल्ट राजस्थान में अरावली एवं गुजरात के कुछ हिस्सों तक फैली हुई है तथा खनिज चट्टानों की धारवाड़ प्रणाली से जुड़े हुए हैं। तांबा, जस्ता यहां का प्रमुख खनिज है।
    - राजस्थान बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट, संगमरमर में समृद्ध है। यहां जिप्सम तथा फुलर की मिट्टी का भंडार भी व्यापक है। डोलोमाइट और चूना पत्थर सीमेंट उद्योग के लिए कच्चा माल प्रदान करते हैं।
    - गुजरात अपने पेट्रोलियम भंडार तथा खनिज एवं ऊर्जा संसाधन के साथ-साथ अर्थव्यवस्था के लिए भी जाना जाता है।

| भारतीय खनिज परिदृश्य |  |  |
|----------------------|--|--|
| खनिज                 | शीर्ष उत्पादक राज्य                    | शीर्ष संचित भंडार वाले राज्य             |
| लौह अयस्क            | 1. ओडिशा<br>2. छत्तीसगढ़<br>3. कर्नाटक | 1. कर्नाटक<br>2. ओडिशा<br>3. झारखंड      |
| बॉक्साइट             | 1. ओडिशा<br>2. गुजरात<br>3. छत्तीसगढ़  | 1. ओडिशा<br>2. आंध्र प्रदेश<br>3. गुजरात |
| कोयला                | 1. झारखंड<br>2. ओडिशा<br>3. छत्तीसगढ़  | 1. छत्तीसगढ़<br>2. ओडिशा<br>3. झारखंड    |

|               |  |   |
|---------------|--|---|
| लिग्नाइट      | 1. तमिलनाडु<br>2. गुजरात<br>3. राजस्थान      | 1. तमिलनाडु<br>2. राजस्थान<br>3. गुजरात           |
| ताम्र अयस्क   | 1. मध्य प्रदेश<br>2. राजस्थान<br>3. झारखंड   | 1. राजस्थान<br>2. झारखंड<br>3. मध्य प्रदेश        |
| बाइराइट्स     | 1. आंध्र प्रदेश<br>2. राजस्थान<br>3. कर्नाटक | 1. आंध्र प्रदेश<br>2. राजस्थान<br>3. तेलंगाना     |
| क्रोमाइट      | 1. ओडिशा<br>2. महाराष्ट्र                    | 1. ओडिशा<br>2. मणिपुर<br>3. नागालैंड              |
| हीरा          | 1. मध्य प्रदेश                               | 1. मध्य प्रदेश<br>2. आंध्र प्रदेश<br>3. छत्तीसगढ़ |
| स्वर्ण        | 1. कर्नाटक                                   | 1. कर्नाटक<br>2. राजस्थान<br>3. आंध्र प्रदेश      |
| चांदी         | 1. राजस्थान<br>2. कर्नाटक                    | 1. राजस्थान<br>2. कर्नाटक<br>3. झारखंड            |
| मैंगनीज अयस्क | 1. मध्य प्रदेश<br>2. महाराष्ट्र<br>3. ओडिशा  | 1. ओडिशा<br>2. कर्नाटक<br>3. मध्य प्रदेश          |
| अभ्रक         | 1. आंध्र प्रदेश<br>2. राजस्थान               | 1. आंध्र प्रदेश                                   |
| ग्रेफाइट      | 1. ओडिशा<br>2. तमिलनाडु<br>3. झारखंड         | 1. अरुणाचल प्रदेश<br>2. जम्मू-कश्मीर<br>3. झारखंड |
| कच्चा तेल     | 1. राजस्थान<br>2. गुजरात<br>3. असम           | 1. असम<br>2. गुजरात<br>3. राजस्थान                |
| प्राकृतिक गैस | 1. असम<br>2. राजस्थान<br>3. त्रिपुरा         | 1. असम<br>2. आंध्र प्रदेश<br>3. राजस्थान          |

| विश्व खनिज परिदृश्य |   |   |
|---------------------|---|---|
| खनिज                | शीर्ष उत्पादक देश                       | शीर्ष संचित भंडार वाला देश              |
| बॉक्साइट            | 1. ऑस्ट्रेलिया<br>2. गिनी<br>3. चीन     | 1. गिनी<br>2. वियतनाम<br>3. ऑस्ट्रेलिया |
| बाइराइट्स           | 1. चीन<br>2. भारत<br>3. मोरक्को         | 1. ईरान<br>2. कजाखस्तान                 |
| कैडमियम             | 1. चीन<br>2. कोरिया गणराज्य<br>3. जापान | 1. चीन<br>2. पेरू<br>3. मेक्सिको        |

## प्रारंभिक परीक्षा

|                   |   |   |
|-------------------|---|---|
| कोयला             | 1. चीन<br>2. भारत<br>3. इंडोनेशिया                  | 1. अमेरिका<br>2. रूस<br>3. ऑस्ट्रेलिया        |
| तांबा             | 1. चिली<br>2. पेरू<br>3. कांगो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक | 1. चिली<br>2. ऑस्ट्रेलिया<br>3. पेरू          |
| हीरा              | 1. रूस<br>2. बोत्सवाना<br>3. कनाडा                  | 1. रूस<br>2. बोत्सवाना<br>3. कांगो            |
| स्वर्ण            | 1. चीन<br>2. रूस<br>3. ऑस्ट्रेलिया                  | 1. ऑस्ट्रेलिया<br>2. रूस<br>3. दक्षिण अफ्रीका |
| चांदी             | 1. मेक्सिको<br>2. चीन<br>3. पेरू                    | 1. पेरू<br>2. ऑस्ट्रेलिया<br>3. चीन           |
| लौह अयस्क         | 1. ऑस्ट्रेलिया<br>2. चीन<br>3. ब्राजील              | 1. ऑस्ट्रेलिया<br>2. ब्राजील<br>3. रूस        |
| अभ्रक (प्राकृतिक) | 1. चीन<br>2. मेडागास्कर<br>3. अमेरिका               | 1. भारत<br>2. अमेरिका                         |
| कच्चा तेल         | 1. अमेरिका<br>2. रूस<br>3. सऊदी अरब                 | 1. वेनेजुएला<br>2. सऊदी अरब<br>3. कनाडा       |
| प्राकृतिक गैस     | 1. अमेरिका<br>2. रूस<br>3. ईरान                     | 1. रूस<br>2. ईरान<br>3. कतर                   |

## प्रमुख महासागरीय धाराएं


महासागरीय धाराएं एक निश्चित पथ एवं दिशा में चलते हुए समुद्र के जल की एक नियमित मात्रा का प्रतिनिधित्व करती हैं। ये धाराएं मुख्य रूप से बड़ी दूरी तय करने वाली क्षैतिज जल की हलचलें हैं।

- एक साथ संयुक्त होने पर, महासागरीय धाराएं एक वैश्विक वाहक पट्टी (Conveyor Belt) बनाती हैं, जो विश्व के कई क्षेत्रों की जलवायु को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
- महासागरीय धाराएं अपने यात्रा मार्ग में आने वाले क्षेत्र के तापमान को विशेष रूप से प्रभावित करती हैं। उदाहरण के लिए, गल्फ स्ट्रीम के कारण उत्तर-पश्चिमी यूरोप में उसी अक्षांश पर किसी भी अन्य क्षेत्र की तुलना में समशीतोष्ण जलवायु होती है।
- महासागरीय धाराएं सतह पर शक्तिशाली होती हैं तथा गहराई के साथ उनकी शक्ति क्षीण होती जाती है। इसकी सतह के पास समुद्री धाराओं की गति 5 समुद्री मील से अधिक होती है। इसके विपरीत, गहराई में यह लगभग 0.5 समुद्री मील तक होता है।

## महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति का कारण

महासागरीय धाराएं प्राथमिक एवं द्वितीयक शक्तियों से प्रभावित होती हैं। प्राथमिक बल समुद्री धाराओं की गति शुरू करने के लिए जिम्मेदार हैं। द्वितीयक बल समुद्री धाराओं के प्रवाह को प्रभावित करने के लिए उत्तरदायी हैं। महासागरीय धाराओं के लिए उत्तरदायी कुछ प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं-

- **पवन (Winds)** : यह समुद्री धाराओं के सबसे महत्वपूर्ण चालकों में से एक है। हवाएं मुख्य रूप से उन धाराओं को प्रभावित करती हैं, जो समुद्र की सतह पर या उसके निकट होती हैं।
  - तटीय क्षेत्रों के पास, समुद्री धाराओं पर हवा का प्रभाव अधिक स्थानीयकृत होता है, जिसके परिणामस्वरूप तटीय उथल-पुथल जैसी घटनाएं होती हैं।
  - इसके विपरीत, खुले समुद्र में, हवाएं उन समुद्री धाराओं के लिए चालक के रूप में कार्य करती हैं, जो पूरे महासागरीय घाटियों में हजारों मील तक जल का प्रसार करती हैं।
- **गुरुत्वाकर्षण (Gravity)**: गुरुत्वाकर्षण जल को नीचे की ओर खींचता है, जिससे अंततः एक क्रमिक भिन्नता उत्पन्न होती है।
- **सौर ऊर्जा द्वारा तापन (Heating by Solar Energy)**: सूर्य की गर्मी से समुद्र के जल का तापमान बढ़ जाता है, जिससे जल का विस्तार होता है। इससे थोड़ी सी ढाल बनती है, जिसके कारण जल ढलान की दिशा में प्रवाहित होने लगता है।
- **ज्वार का उदय और पतन (Rise and Fall of the Tides)**: चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण ज्वार-भाटा का कारण बनता है। ये उच्च तथा निम्न ज्वार समुद्री धाराएं भी उत्पन्न करते हैं, जिन्हें 'ज्वारीय धाराएं' कहा जाता है।
  - ये ज्वारीय धाराएं तट, खाड़ियों एवं तट के मुहाने के पास सबसे तेज होती हैं। कुछ स्थानों पर, ये धाराएं इतनी तेज होती हैं कि वे आठ समुद्री मील की गति तक भी चल सकती हैं।
  - इन धाराओं की दिलचस्प विशेषताओं में से एक उनकी पूर्वानुमानित प्रकृति है। उनका एक नियमित पैटर्न होता है तथा उनके संबंध में आसानी से भविष्यवाणी की जा सकती है।
- **थर्मोहैलाइन परिसंचरण (Thermohaline Circulation)** थर्मो शब्द का अर्थ है 'तापमान' तथा हैलाइन का अर्थ है 'लवणता'। इस प्रकार, हैलाइन परिसंचरण उस प्रक्रिया को संदर्भित करता है, जो घनत्व में अंतर से प्रभावित होती है।



- घनत्व में अंतर तापमान एवं लवणता में भिन्नता के कारण होता है। हैलाइन परिसंचरण द्वारा संचालित समुद्री धाराएं उथले और गहरे समुद्र दोनों में देखी जाती हैं।
- **कोरिऑलिस बल (Coriolis Force):** पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना समुद्री धाराओं को प्रभावित करता है। इसके परिणामस्वरूप कोरिऑलिस बल का विकास होता है, जिसके कारण समुद्री धाराएं अपने पथ से विक्षेपित हो जाती हैं।
- उत्तरी गोलार्ध में वामावर्त दिशा में तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणावर्त दिशा विक्षेपित हो जाती हैं। समुद्र के जल पर कार्य करने वाले कोरिऑलिस बल के परिणामस्वरूप महासागरीय जल का वृहद् संचलन होने लगता है।
- कोरिऑलिस बल वायु की गति के साथ-साथ वृहद् चक्रीय समुद्री धाराएं उत्पन्न करता है। समुद्र में इस प्रकार विकसित संपूर्ण तंत्र को महासागरीय चक्र (Ocean Gyre) कहा जाता है।
- विश्व में पांच प्रमुख महासागरीय चक्र हैं:
  - ✦ उत्तरी अटलांटिक चक्र, उत्तरी प्रशांत चक्र, हिंद महासागर चक्र, दक्षिण अटलांटिक चक्र, दक्षिण प्रशांत चक्र।

### महासागरीय धाराओं के प्रकार

- महासागरीय धाराओं का सामान्य वर्गीकरण गहराई और तापमान के आधार पर किया जाता है।
- **गहराई के आधार पर वर्गीकरण**
  - ✦ **सतही जलधाराएं:** यह समुद्र सतह के ऊपरी 400 मीटर का निर्माण करती है। यह समुद्र के समस्त जल का 10% है।
  - ✦ **गहरी जलधाराएं:** यह 400 मीटर की गहराई से नीचे संपूर्ण महासागर का निर्माण करती है। यह समस्त महासागरीय जल का 90% भाग है।
- **तापमान के आधार पर वर्गीकरण**
  - ✦ **ठंडी जलधाराएं:** यह ठंडे पानी को गर्म पानी वाले क्षेत्रों में ले जाने के लिए जिम्मेदार है।
  - ✦ **गर्म जलधाराएं:** यह गर्म पानी को ठंडे पानी वाले क्षेत्रों में ले जाने के लिए जिम्मेदार है।

| प्रमुख महासागरीय जलधाराएं |                        |   |
|---------------------------|------------------------|---|
| ठंडी महासागरीय धारा       | क्षेत्र                | महत्वपूर्ण तथ्य   |
| हम्बोल्ट या पेरुवियन धारा | दक्षिण प्रशांत महासागर | धारा का नाम प्रशिया के प्रकृतिवादी अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट के नाम पर रखा गया है। यह कम लवणता वाली धारा एक विशाल समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र है, जो दुनिया की प्रमुख पोषक प्रणालियों में से एक के रूप में कार्य करती है। चिली के सबसे दक्षिणी सिरे से दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट के साथ-साथ उत्तरी पेरू तक बहती है। |
| कुरील या ओयाशियो धारा     | उत्तरी प्रशांत महासागर | यह उप-आर्कटिक महासागरीय धारा वामावर्त दिशा में घूमती है। यह आर्कटिक महासागर से निकलकर पश्चिमी उत्तरी प्रशांत महासागर में बेरिंग सागर से होते हुए दक्षिण की ओर बहती है।  |

|                           |   |   |
|---------------------------|---|---|
|                           |   | यह पोषक तत्वों से भरपूर धारा है। यह उत्तरी प्रशांत बहाव बनाने के लिए जापानी पूर्वी तट पर कुरियोशियो से टकराता है।   |
| कैलिफोर्निया की जलधारा    | प्रशांत महासागर                             | यह उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट के साथ दक्षिण की ओर बहने वाली अलेउशियन धारा का विस्तार है। यह उत्तरी प्रशांत गायर का एक हिस्सा है। प्रबल उफान का क्षेत्र।   |
| अंटार्कटिक सर्कंपोलर धारा | दक्षिणी महासागर                             | यह विश्व की सबसे बड़ी महासागरीय धारा है। इसे पश्चिमी पवन बहाव के नाम से भी जाना जाता है। यह अंटार्कटिका के चारों ओर पूर्व से पश्चिम की ओर दक्षिणावर्त दिशा में बहती है।   |
| लैब्राडोर धारा            | उत्तरी अटलांटिक महासागर                     | यह आर्कटिक महासागर से दक्षिण की ओर बहती है और उत्तर की ओर बढ़ती गर्म गल्फ स्ट्रीम से मिलती है। ठंडी लैब्राडोर धारा और गर्म गल्फ स्ट्रीम का संयोजन दुनिया के सबसे समृद्ध मछली पकड़ने के मैदानों में से एक बनाने के लिए जाना जाता है।                             |
| कैनरी धारा                | उत्तरी अटलांटिक महासागर                     | यह पूर्वी सीमा धारा उत्तरी अटलांटिक गायर का एक भाग है। इसका नाम कैनरी द्वीप समूह के नाम पर रखा गया है।  |
| पूर्वी ग्रीनलैंड धारा     | आर्कटिक महासागर एवं उत्तरी अटलांटिक महासागर | फ्रैम स्ट्रेट और क्रेप फेयरवेल के बीच कम लवणता वाली धारा फैली हुई है। यह आर्कटिक को सीधे उत्तरी अटलांटिक से जोड़ता है। आर्कटिक के लिए प्रमुख मीठे पानी का कुंड। आर्कटिक से समुद्री बर्फ के निर्यात में इसका प्रमुख योगदान है।                                   |
| बेंगुएला धारा             | दक्षिण अटलांटिक महासागर                     | दक्षिणी गोलार्ध की पश्चिमी पवन बहाव की शाखा। दक्षिण अटलांटिक महासागर गीयर का पूर्वी भाग। कम लवणता, उभार की उपस्थिति - उत्कृष्ट मछली पकड़ने का क्षेत्र।  |
| फॉकलैंड धारा              | दक्षिण अटलांटिक महासागर                     | यह अंटार्कटिक सर्कंपोलर धारा की एक शाखा है। इसका नाम फॉकलैंड द्वीप समूह के नाम पर रखा गया है। यह ठंडी धारा ब्राजील की गर्म धारा के साथ मिश्रित होती है और ब्राजील-माल्विनास संगम क्षेत्र का निर्माण करती है जो क्षेत्र की समशीतोष्ण जलवायु के लिए जिम्मेदार है। |
| पूर्वोत्तर मानसून धारा    | उत्तर हिंद महासागर                          | भारतीय उत्तरी भूमध्यरेखीय धारा भूमध्य रेखा को पार करते हुए दक्षिण-पश्चिम और पश्चिम की ओर बहती है।   |
| सोमाली धारा               | पश्चिम हिंद महासागर                         | अटलांटिक महासागर में गल्फ स्ट्रीम के अनुरूप। धारा मानसून से अत्यधिक प्रभावित है। प्रमुख अपवेलिंग प्रणाली का क्षेत्र।  |



## प्रारंभिक परीक्षा

|                           |   |   |
|---------------------------|---|---|
| पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा | दक्षिणी महासागर और दक्षिणी हिंद महासागर | इसे पश्चिमी पवन बहाव के नाम से भी जाना जाता है। यह अंटार्कटिक सर्कम्पोलर धारा का एक भाग है। यह एक मौसमी धारा है - गर्मियों में तेज और सर्दियों में कमजोर। |
| दक्षिण हिन्द महासागर धारा | दक्षिण हिंद महासागर                     | दक्षिण अटलांटिक धारा के अनुरूप।   |

| गर्म महासागरीय धाराएं   | क्षेत्र   | महत्वपूर्ण तथ्य  |
|-------------------------|---|--|
| उत्तरी विषुवतरेखीय धारा | प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर               | 10° उत्तर से 20° उत्तर के बीच पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। यह दक्षिणावर्त उपोष्णकटिबंधीय चक्र के दक्षिणी भाग का निर्माण करता है। इसके नाम में 'भूमध्यरेखीय' शब्द का प्रयोग होने के बावजूद इसका भूमध्य रेखा से कोई संबंध नहीं है।   |
| क्युरोशियो जलधारा       | प्रशांत महासागर                                   | इस पश्चिमी सीमा धारा को जापान धारा या काली धारा के नाम से भी जाना जाता है। जापानी में 'क्युरोशियो' शब्द का अर्थ 'ब्लैक स्ट्रीम' है। यह अटलांटिक महासागर में गल्फ स्ट्रीम का प्रशांत एनालॉग है।<br>इस धारा का औसत सतही तापमान आसपास के महासागर की तुलना में अधिक गर्म है। इससे जापान के तापमान को नियंत्रित करने में भी मदद मिलती है, जो अपेक्षाकृत अधिक गर्म है। |
| उत्तरी प्रशांत धारा     | प्रशांत महासागर                                   | इसका निर्माण कुरियोशियो एवं ओयाशियो के टकराव से हुआ है। यह पश्चिमी उत्तरी प्रशांत महासागर के साथ वामावर्त घूमता है।  |
| अलास्का धारा            | उत्तरी प्रशांत महासागर                            | यह उत्तरी प्रशांत महासागर के एक भाग के उत्तर की ओर मोड़ने के परिणामस्वरूप उत्पन्न होता है। यह दो बड़े एडीज बनाता है- हैडा एडीज और सीताका एडी।  |
| विषुवतरेखीय प्रतिधारा   | अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर और हिंद महासागर | हवा से चलने वाली यह धारा 3°N-10°N के बीच पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। इसे उत्तरी विषुवतीय प्रतिधारा भी कहा जाता है।   |

|                          |   |  |
|--------------------------|---|--|
| अल नीनो धारा             | मध्य और पूर्व-मध्य भूमध्यरेखीय प्रशांत                            | अल नीनो घटनाओं की घटना से समुद्री धाराओं की गति और ताकत प्रभावित हुई।  |
| सुशिमा धारा              | जापान सागर  | क्युरोशियो धारा की शाखा  |
| दक्षिण विषुवतीय धारा     | अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर और हिंद महासागर                 | पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली व्यापारिक हवाओं द्वारा सीधे संचालित। दक्षिणी गोलार्ध उत्तरी विषुवतरेखीय प्रतिधारा का प्रति-भाग।  |
| पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा | दक्षिण-पश्चिमी प्रशांत महासागर                                    | दक्षिणपूर्व ऑस्ट्रेलियाई तट के साथ उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उपोष्णकटिबंधीय समुद्री जीवों को उनके निवास स्थान तक पहुंचाने के लिए कार्य करता है।   |
| फ्लोरिडा वर्तमान         | दक्षिण अटलांटिक महासागर और कैरेबियन सागर                          | फ्लोरिडा प्रायद्वीप के चारों ओर बहती है और केप हैटर्स में गल्फ स्ट्रीम में मिल जाती है। इसकी खोज 1513 में स्पेनिश खोजकर्ता जुआन पोंस डी लियोन ने की थी।  |
| गल्फ स्ट्रीम             | उत्तरी अटलांटिक महासागर   | पश्चिमी तीव्र धारा मुख्य रूप से हवा के तनाव से प्रेरित है। यह उत्तरी अटलांटिक बहाव (उत्तरी यूरोप और दक्षिणी धारा को पार करते हुए) और कैनरी धारा (पश्चिम अफ्रीका का पुनर्चक्रण) में विभाजित हो जाता है। |
| नॉर्वेजियन करंट          | उत्तरी सागर (अटलांटिक महासागर) और बैरेंट्स सागर (आर्कटिक महासागर) | यह पच्छर के आकार की धारा पानी के दो प्रमुख आर्कटिक प्रवाहों में से एक है। यह उत्तरी अटलांटिक बहाव की एक शाखा है और कभी-कभी इसे गल्फ स्ट्रीम का विस्तार भी माना जाता है।                                |
| इर्मिंगर धारा            | उत्तरी अटलांटिक महासागर   | यह उत्तरी अटलांटिक उप-ध्रुवीय चक्र का एक भाग है। इसका नाम डेनिश वाइस-एडमिरल कार्ल लुडविग क्रिश्चियन इर्मिंगर के नाम पर रखा गया है।   |
| एंटिल्स धारा             | उत्तरी अटलांटिक महासागर   | यह उस द्वीप शृंखला से होकर बहती है, जो अटलांटिक महासागर और कैरेबियन सागर को अलग करती है। यह उत्तरी अटलांटिक चक्र का एक भाग है।   |
| ब्राजीलियाई धारा         | दक्षिण अटलांटिक महासागर   | ब्राजील के दक्षिणी तट से होते हुए रियो डी ला पाल्टा तक बहती है। यह अर्जेंटीना सागर में ठंडी फॉकलैंड धारा से मिलती है जिससे यह एक समशीतोष्ण सागर बन जाता है।  |

|                           |                            |   |
|---------------------------|----------------------------|---|
| मोजाम्बिक धारा            | हिंद महासागर               | मोजाम्बिक चैनल में अफ्रीकी पूर्वी तट के साथ मोजाम्बिक और मेडागास्कर द्वीप के बीच बहती है। बड़े एंटीसाइक्लोनिक मोजाम्बिक चैनल भंवर बनते हैं।   |
| अगुलहास धारा              | दक्षिण-पश्चिम हिंद महासागर | सबसे बड़ी पश्चिमी सीमा महासागरीय धारा। अफ्रीका के पूर्वी तट के साथ दक्षिण की ओर बहती है।  |
| दक्षिण पश्चिम मानसून धारा | हिंद महासागर               | यह दक्षिण पश्चिम मानसून के मौसम (जून-अक्टूबर) के दौरान हिंद महासागर पर हावी रहता है। यह पूर्व की ओर बहने वाली एक विस्तृत समुद्री धारा है, जो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी तक फैली हुई है। |

## भारत की मृदाएं : वर्गीकरण एवं विशेषताएं

मृदा को छोटे चट्टानी कणों अथवा मलबे एवं कार्बनिक पदार्थों अर्थात् ह्यूमस के मिश्रण के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो पृथ्वी की सतह पर विकसित होते हैं तथा पौधों के विकास में सहायता करते हैं।

➤ भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) ने भारत में मृदा को आठ श्रेणियों में विभाजित किया है। आईसीएआर ने भारत को निम्नलिखित मृदा समूहों में विभाजित किया है:

- जलोढ़ मृदा,
- काली कपास मृदा,
- लाल मृदा,
- लेटराइट मृदा,
- पहाड़ या जंगल की मृदा,
- शुष्क या रेगिस्तानी मृदा,
- लवणीय एवं क्षारीय मृदा,
- पीट तथा दलदली मृदा।

### जलोढ़ मृदा

भारत के उत्तरी मैदान तथा नदी घाटियों में जलोढ़ मृदा व्यापक रूप से पाई जाती है। यह मृदा देश के संपूर्ण क्षेत्रफल का लगभग 40 प्रतिशत भाग पर स्थित है।


- यह निक्षेपणात्मक मृदा है, जो नदियों द्वारा लाई गई अवसादों के निक्षेपण से निर्मित होती है। प्रायद्वीपीय क्षेत्र में, यह पूर्वी तट के डेल्टाओं तथा नदी घाटियों में पाई जाती है। जलोढ़ मृदा में रेतीली दोमट से चिकनी मिट्टी तक की भिन्नता होती है।
- इनमें आमतौर पर पोटाश की मात्रा पर्याप्त होती है, लेकिन फॉस्फोरस एवं नाइट्रोजन की मात्रा कम होती है। उच्च तथा मध्य गंगा मैदान में, जलोढ़ मृदा के दो प्रकार हैं- खादर और भांगर।

- खादर नवीन जलोढ़ मृदा है, जो प्रतिवर्ष नदियों द्वारा बाढ़ के मैदान में जमा होता है। यह महीन गाद जमा करके मिट्टी को समृद्ध करता है।
- बांगर, बाढ़ के मैदानों से दूर निक्षेपित अधिक पारंपरिक पुरानी जलोढ़ मृदा है। यह मिट्टी निचले तथा मध्य गंगा मैदान एवं ऊपरी ब्रह्मपुत्र घाटी में दोमट-चिकनी मिट्टी के रूप में प्राप्त होती है।
- रेत की मात्रा पश्चिम से पूर्व की ओर घटती जाती है। जलोढ़ मिट्टी का रंग हल्का भूरा से लेकर गहरा भूरा तक होता है। संपूर्ण भारत में जलोढ़ मृदा पर सघन कृषि की जाती है।

### काली मृदा

काली मृदा के अंतर्गत दक्कन के पठार का अधिकांश भाग शामिल है; जिसमें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के कुछ हिस्से शामिल हैं। गोदावरी तथा कृष्णा के ऊपरी विस्तार में काली मिट्टी बहुत गहरी है।

- भौगोलिक दृष्टि से यह भारत के कुल क्षेत्रफल के 16.6% भाग में विस्तारित है। इन मिट्टी को 'रेगुर मृदा' या 'काली कपास मृदा' के रूप में भी जाना जाता है। काली मिट्टी सामान्य तौर पर चिकनी और गहरी होती है। काली मिट्टी की सांद्रता गोदावरी, कृष्णा और दक्कन पठार के उत्तर-पश्चिमी भागों में अधिक है।
- काली मिट्टी दक्कन के अधिकांश पठार को कवर करती है; क्योंकि यह लावा के जमने के कारण बनी बेसाल्टिक चट्टान के अपक्षय से उत्पन्न होती है।



## प्रारंभिक परीक्षा

- काली मिट्टी में स्वयं जुताई का गुण होती है, क्योंकि गीली होने पर यह फूल जाती है और चिपचिपी हो जाती है तथा सूखने पर सिकुड़ जाती है। शुष्क मौसम के दौरान, इन मिट्टी में चौड़ी दरारें विकसित हो जाती हैं। कपास की खेती के लिए काली मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है।
- काली मृदा में जल धारण क्षमता अधिक होती है, जिसके परिणाम स्वरूप यह लंबे समय तक नमी बनाए रखती है, जिससे फसलों को लाभ होता है, विशेषकर वर्षा आधारित फसलों को शुष्क अवधि के दौरान भी नमी बनाए रखने में कठिनाई नहीं होती है।
- रासायनिक रूप से, काली मिट्टी में चूना, लोहा, मैग्नीशिया और एल्युमिना प्रचुर मात्रा में होते हैं। लोहे की उपस्थिति मिट्टी को काला रंग प्रदान करती है। आम तौर पर, उनमें फॉस्फेट, नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी होती है।

## लेटराइट मिट्टी

उच्च तापमान और अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में लेटराइट मिट्टी का विकास होता है।

- वे आम तौर पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, जहां प्रचुर मात्रा में मौसमी वर्षा होती है। इसके अलावा, भारी वर्षा इन मिट्टी में चूने और सिलिका के निक्षालन को बढ़ावा देती है।
- ये मिट्टी लोहे और एल्युमीनियम के ऑक्साइड से भरपूर हैं, लेकिन कार्बनिक पदार्थ, नाइट्रोजन, फॉस्फेट और कैल्शियम में कम हैं।
- उच्च जीवाणु क्रिया अथवा निक्षालन के कारण मिट्टी से ह्यूमस की मात्रा बहुत तेजी से निकल जाती है।
- यह कृषि की दृष्टि से ये खेती के लिए उपयुक्त नहीं हैं। भारत की कुल भूमि के 2.5 लाख किमी वर्ग क्षेत्र में फैले हुए हैं।
- भौगोलिक दृष्टि से, यह ओडिशा के पूर्वी घाट, राजमहल पहाड़ियों, विंध्य, सतपुड़ा और पश्चिमी घाट के कुछ दक्षिणी हिस्सों में पाए जाते हैं। हालांकि, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की लाल लेटराइट मिट्टी काजू की खेती के लिए उपयुक्त है।

## लाल एवं पीली मिट्टी

ये मुख्यतः कम वर्षा वाले क्षेत्रों में क्रिस्टलीय आग्नेय चट्टानों पर विकसित होते हैं। उदाहरण के लिए, दक्कन पठार के पूर्वी एवं दक्षिणी भाग।

- क्रिस्टलीय और रूपांतरित चट्टानों में लोहे के व्यापक मात्रा होने के कारण वे लाल रंग की होती हैं। हालांकि, हाइड्रेटेड होने पर ये दिखने में पीले दिखते हैं।
- इनमें लेटराइट मिट्टी की तुलना में कम निक्षालन होता है। यह भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 10.6% क्षेत्र पर विस्तारित हैं। रेत की भारी सांद्रता के कारण, नमी को धारण करने की क्षमता कम होती है। मुख्य रूप से, वे ओडिशा एवं छत्तीसगढ़ तथा मध्य गंगा के मैदानी इलाकों के कुछ दक्षिणी हिस्सों में पाए जाते हैं।
- ये मिट्टी पोटाश से भरपूर होती हैं, लेकिन फॉस्फोरस, ह्यूमस, नाइट्रोजन और मैग्नेशिया की मात्रा कम होती है। इन पर खेती अधिकतर बरसात के मौसम में की जाती है।
- इसके अतिरिक्त, महीन दाने वाली लाल और पीली मिट्टी उपजाऊ होती है, हालांकि, मोटे दाने वाली मिट्टी की उर्वरता कम होती है।

## शुष्क मिट्टी

शुष्क मिट्टी मुख्यतः लाल से भूरे रंग की होती है। इसमें रेत की उच्च सांद्रता (95%) होती है। यह मुख्य रूप से उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जहां वर्षा 50 सेमी से कम होती है।

- राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में, इन मिट्टी में नमक की सांद्रता अधिक है। कुछ क्षेत्रों में नमक की उच्च सांद्रता इसे सामान्य नमक प्राप्त करने के लिए उपयुक्त बनाती है।
- इनमें नाइट्रोजन की कमी होती है, लेकिन फॉस्फेट की मात्रा सामान्य होती है। मिट्टी के निचले सतह पर कंकड़ों की अधिकता है, जो पानी के प्रवेश को रोकता है।
- भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान में शुष्क मिट्टी की सघनता अधिक पाई जाती है। हालांकि, पंजाब, हरियाणा और गुजरात के छोटे-छोटे हिस्सों में इस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। इन क्षेत्रों में उच्च तापमान के कारण, शुष्क मिट्टी में ह्यूमस और कार्बनिक पदार्थों की कमी होती है।

## लवणीय मिट्टी

लवणीय मिट्टी को सामान्यतः ऊसर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। इस मिट्टी में सोडियम, पोटेशियम तथा मैग्नीशियम का उच्च अनुपात अनुपजाऊ होने का कारण बनता है।

- यह मिट्टी किसी भी वनस्पति के लिए उपयुक्त नहीं होती है। शुष्क जलवायु तथा खराब जल निकासी इस मिट्टी को नमकीन बनाती है।
- क्षेत्रीय रूप से, यह शुष्क एवं अर्ध-शुष्क क्षेत्रों के जल-जमाव और दलदली क्षेत्रों में विकसित होती है। संरचनात्मक रूप से, यह रेतीले से दोमट तक भिन्न होती है। लवणीय मिट्टी में नाइट्रोजन और कैल्शियम दोनों की कमी होती है।
- भौगोलिक दृष्टि से, यह पश्चिमी गुजरात, पूर्वी तटों के डेल्टा और पश्चिम बंगाल के सुंदरबन में व्यापक रूप से पाई जाती है।
- आजकल सघन खेती के कारण हरित क्रांति के जलोढ़ क्षेत्र खारे होते जा रहे हैं। गहन सिंचाई और शुष्क जलवायु परिस्थितियां दोनों ही इन मिट्टी में केशिका क्रिया को बढ़ावा देती हैं और उन्हें नमकीन बनाती हैं। उदाहरणतः पंजाब और हरियाणा राज्यों में।

## पीट मिट्टी

पीट मिट्टी प्रचुर वर्षा और असामान्य आर्द्रता वाले क्षेत्रों में देखी जाती है, जहां वनस्पति की स्वस्थ वृद्धि होती है।

- इस प्रकार, इन क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में मृत कार्बनिक पदार्थ जमा हो जाते हैं और इससे मिट्टी को समृद्ध ह्यूमस और कार्बनिक पदार्थ मिलते हैं।
- इन मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ 40-50 प्रतिशत तक बढ़ सकते हैं। ये मिट्टी आमतौर पर भारी और काले रंग की होती है। कई जगहों पर ये नमकीन भी होते हैं।
- वे बिहार के उत्तरी भाग, उत्तराखंड के दक्षिणी भाग और पश्चिम बंगाल, ओडिशा और तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर पाए जाते हैं।

## वन मिट्टी

वन मिट्टी का विकास उन वन क्षेत्रों में किया जाता है, जहां पर्याप्त वर्षा उपलब्ध होती है। वे घाटी के किनारों पर दोमट और गादयुक्त हैं और ऊंचे ढलानों पर दानेदार हैं।

- हिमालय के बर्फ-पृथक क्षेत्रों में, वे अनाच्छादन का सामना करते हैं और कम ह्यूमस सामग्री के साथ अम्लीय होते हैं। निचली घाटियों में देखी गई मिट्टी समृद्ध हैं।

## भारत में जनजातियों का वितरण

जनजाति एक पारंपरिक समाज में एक सामाजिक विभाजन है, जिसमें एक समान संस्कृति और बोली के साथ सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक या रक्त संबंधों से जुड़े परिवार शामिल होते हैं।

- एक जनजाति में कुछ गुण और विशेषताएं होती हैं, जो इसे एक अद्वितीय सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनीतिक इकाई बनाती हैं।
- भारत में जनजातियों को 'आदिवासी' नाम से भी जाना जाता है।
- संविधान की 'पांचवीं अनुसूची' के अंतर्गत भारत में आदिवासी समुदायों को मान्यता प्रदान की है। इसलिए संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त जनजातियों को 'अनुसूचित जनजाति' के रूप में जाना जाता है।
- भारतीय संविधान का अनुच्छेद 342, अनुसूचित जनजातियों को राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश के आधार पर सूचीबद्ध करने का प्रावधान करता है, न कि अखिल भारतीय आधार पर।

## भारत में प्रमुख जनजातियां: राज्यवार स्थिति

- **आंध्र प्रदेश:** अंध, साधु अंध, भगत, भील, चेंचस (चेंचवार), गडबास, गोंड, गौड़, जटापुस, कम्मारा, कट्टनायकन, कोलावर, कोलम, कोंडा, मन्ना धोरा, परधान, रोना, सावरस, डब्बा येरुकुला, नक्कला, धूलिया, थोटी, सुगालिस, बंजारा, कोंडारेड्डी, कोया, मुख धोरा, वाल्मीकि, येनादिस, सुगालिस तथा लम्बाडीस आदि।
- **अरुणाचल प्रदेश:** अपतानिस, अबोर, डफला, गैलॉंग, मोम्बा, शेरडुकपेन, सिंगफो, न्याशी, मिशमी, इडु, तारोअन, टैगिन, मोनपा तथा वांचो आदि।
- **असम:** चकमा, चुटिया, दिमासा, हाजोंग, गर्स, खासी, गंगटे, कोरबी, बोरो, बाराकचारी, कचारी, संबल, मिरी, रवा तथा गारो आदि।
- **बिहार:** असुर, बैगा, बिरहोर, बिरजिया, चेरो, गोंड, परहैया, संधाल, सावर, खरवार, बंजारा, उरांव, संताल तथा थारू आदि।
- **छत्तीसगढ़:** अगरिया, भैना, भट्टरा, बियार, खोंड, मवासी, नागासिया, गोंड, बिंझवार, हलबा, हल्बी, कावर, तथा सावर आदि।
- **गोवा:** धोडिया, दुबिया, नायकदा, सिद्दी, वरली तथा गावड़ा आदि।
- **गुजरात:** बरदा, बमचा, भील, चरण, धोड़िया, गमटा, पारधी, पटेलिया, ढांका, दुबला, तलविया, हलपाती, कोकना, नायकड़ा, पटेलिया, राठवा तथा सिद्दी आदि।
- **हिमाचल प्रदेश:** गद्दी, गुर्जर, खास, लांबा, लाहौला, पंगवाला, स्वांगला, बीटा, बेड़ा भोट तथा बोध आदि।
- **जम्मू एवं कश्मीर तथा लद्दाख:** बकरवाल, बाल्टी, बेड़ा, गद्दी, गर्रा, सोम, पुरीगपा, चांगपा तथा गुर्जर आदि।
- **झारखंड:** बिरहोर, भूमिज, गोंड, खरिया, मुंडा, संधाल, सावर, बेदिया, हो, खरवार, लोहरा, महली, परहैया, संताल, कोल तथा बंजारा आदि।

- **कर्नाटक:** अदियां, बरदा, गोंड, भील, इरुलिगा, कोरगा, पटेलिया, येरवा, हसलारू, कोली धोर, मराती, मेदा, नायकदा तथा सोलिगारू आदि।
- **केरल:** अदियां, अरैथन, इरावल्ली, कुरुंबस, मलाई आर्यन, मोबिलश, उरालिल, इरुलर, कनिकारन, कटुनायगन, कुरिचन तथा मुथुविन आदि।
- **मध्य प्रदेश:** बैगा, भील, भारिया, बिरहोर, गोंड, काटकरी, खरिया, खोंड, कोल, मुरिया, कोरकू, मवासी, प्रधान तथा सहरिया आदि।
- **महाराष्ट्र:** भैना, भुंजिया, ढोडिया, कटकरी, खोंड, राठवा, वाली, ढांका, हलबा, कठोडी, कोकना, कोली महादेव, पारधी तथा ठाकुर आदि।
- **मणिपुर:** नागा, कुकी, मैतेई, ऐमोल, अंगामी, चिरू, मारम, मोनसांग, पाइटे, पुरुम, थडौ, अनल, माओ, तंगखुल, थडौ तथा पौमई नागा आदि।
- **मेघालय:** चकमा, गारोस, हाजोंग, जयंतिया खासी, लखेर, पवई, राबा तथा मिकिर आदि।
- **मिजोरम:** चकमा, दिमासा, खासी, कुकी, लखेर, पावी, राबा, सिंटेंग तथा लुशाई आदि।
- **नागालैंड:** अंगामी, गारो, कचारी, कुकी, मिकिर, नागा, सेमा, आओ, चाखेसांग, कोन्याक, लोथा, फोम, रेंगमा तथा संगतम आदि।
- **ओडिशा:** गडाबा, घरा, खरिया, खोंड, मटया, उरांव, राजुआर, संधाल, बथुडी, बथुरी, भोट्टाड़ा, भूमिज, गोंड, जुआंग, किसान, कोल्हा, कोरा, खयारा, कोया, मुंडा, परोजा, सौरा, शाबर तथा लोढ़ा आदि।
- **राजस्थान:** भील, दमरिया, ढांका, मीना (मिनस), पटेलिया, सहरिया, नायकदा, नायक तथा कथोड़ी।
- **सिक्किम:** भूटिया, खास, लेप्चा, लिंबू तथा तमंगी आदि।
- **तमिलनाडु:** अदियां, अरनदन, एरावलन, इरुलर, कादर, कनिकर, कोटा, टोडा, कुरुमन तथा मलयाली आदि।
- **त्रिपुरा:** भील, भूटिया, चैमल, चकमा, हलम, खासिया, लुशाई, मिजेल, नमटे, मग, मुंडा तथा रियांग आदि।
- **उत्तराखंड:** भोटिया, बुक्सा, जनसारी, खास, राजी तथा थारू आदि।
- **उत्तर प्रदेश:** भोटिया, बुक्सा, जौनसारी, कोल, राजी, थारू, गोंड, खरवार, सहरिया, परहिया, बैगा, अगरिया तथा चेरो आदि।
- **पश्चिम बंगाल:** असुर, खोंड, हाजोंग, हो, परहैया, राभा, संधाल, सावर, भूमिज, भूटिया, चिक बारैक, किसान, कोरा, लोढ़ा, खरिया, खरियाम, महली, मल पहाड़िया तथा उरांव आदि।
- **अंडमान और निकोबार:** ओरांव, ओंगे, सेंटिनली तथा शोम्पेन, [निकोबारी, शोम्पेस- निकोबार], जारवा, ग्रेट अंडमानी आदि।

## भारत में पर्वत श्रृंखलाएं एवं दर्रे

भारत एक विविध भौगोलिक विशेषताओं वाला देश है, जिसमें कई पर्वत श्रृंखलाएं और दर्रे शामिल हैं। भारत विशाल प्राकृतिक विविधता वाला देश है। बर्फ से ढके पहाड़ों से लेकर सूखे रेगिस्तानों एवं रेतीले तटों तक, प्राकृतिक परिदृश्य देश की संस्कृति एवं परंपरा की तरह ही विविध है।

- भारत में कई पर्वत श्रृंखलाएं हैं, जिनमें विश्व की सबसे लंबी एवं साथ ही सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाएं भी शामिल हैं।

## प्रारंभिक परीक्षा

- भारत की ये सभी पर्वत श्रृंखलाएं देश की मौसम की स्थिति, जीवनशैली, धार्मिक मान्यताओं और आर्थिक विकास पर गहरा प्रभाव डालती हैं।

## हिमालय पर्वत श्रृंखला

हिमालय न केवल एक प्राकृतिक आश्चर्य है, बल्कि इसका अत्यधिक सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व भी है।

- यह श्रृंखला कई हिंदू और बौद्ध तीर्थ स्थलों का घर है, जिनमें अमरनाथ गुफा, केदारनाथ मंदिर और हेमिस मठ शामिल हैं।
- हिमालय भारत की जलवायु एवं पारिस्थितिक संतुलन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, एक प्राकृतिक अवरोधक के रूप में कार्य करता है, जो मध्य एशिया की ठंडी हवाओं को देश में प्रवेश करने से रोकता है।
- गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु के साथ-साथ कई महत्वपूर्ण नदी प्रणालियों का जन्म यहीं से होता है।

## काराकोरम

- यह हिंदूकुश हिमालय श्रृंखला की एक उपश्रेणी है। यह एक ट्रांस-हिमालयी पर्वत है, जो पामीर नॉट से शुरू होता है। विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 यहीं स्थित है।
- यहां ध्रुवीय क्षेत्रों के बाहर विश्व का भारी हिमाच्छादित भाग है। प्रसिद्ध ग्लेशियर - सियाचिन ग्लेशियर, बियाफो ग्लेशियर आदि यहीं अवस्थित हैं।
- काराकोरम रेंज पाकिस्तान, भारत और चीन के मध्य विस्तारित है। यह गिलगित-बाल्टिस्तान, लद्दाख और झिंजियांग के क्षेत्रों में स्थित है।

## लद्दाख श्रेणी


- यह काराकोरम श्रेणी का दक्षिण पूर्वी विस्तार है। पश्चिम में लद्दाख में श्योक नदी के मुहाने से लेकर पूर्व में तिब्बत की सीमा तक सिंधु नदी के समानांतर बहती है।
- चीन में लद्दाख रेंज के विस्तार को कैलाश रेंज के नाम से जाना जाता है।
- भारत का ठंडा रेगिस्तान, जिसे लेह कहा जाता है, यहीं इसके दक्षिणी किनारे पर स्थित है। खारदुंग ला दर्रा इस पर स्थित है।

## महान हिमालय श्रृंखला

- यह समुद्र तल से 22,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर तथा भारत की उत्तरी सीमा पर 1,200 मील से अधिक विस्तारित है।
- इसकी औसत ऊंचाई 6,000 मीटर है। माउन्ट एवरेस्ट, कंचनजंगा, नंगापर्वत, नंदादेवी, कॉमेट, नामचाबरवा आदि इसके महत्वपूर्ण शिखर हैं।
- महान हिमालय, लघु हिमालय से मेन सेन्ट्रल थ्रस्ट द्वारा अलग होता है।

## लघु अथवा मध्य हिमालय पर्वतमाला

- इसकी समुद्र तल से औसत ऊंचाई लगभग 5,000 से 20,000 फीट तक है।
- इस श्रेणी में पीरपंजाल, धौलाधर, मसूरी, नागतिब्बा एवं महाभारत श्रेणियां हैं।
- महान हिमालय और लघु हिमालय के मध्य कश्मीर घाटी, लाहुल-स्फीति, कुल्लू और कांगड़ा की घाटियां अवस्थित हैं।
- इस श्रेणी में अल्पाइन चारागाह मिलते हैं जिन्हें कश्मीर में 'मर्ग' तथा उत्तराखंड में बुग्याल या पयार कहा जाता है।



- शिमला, कुल्लू, मनाली, मंसूरी, दार्जिलिंग आदि लघु हिमालय में अवस्थित हैं।
- मध्य हिमालय, शिवालिक से मेन बाउंड्री फॉल्ट द्वारा अलग होता है।

#### ✓ बाह्य हिमालय या शिवालिक श्रेणी

- इसमें ऐसी घाटियां एवं पहाड़ियां शामिल हैं, जो समुद्र तल से लगभग 5,000 फीट से अधिक ऊंची नहीं हैं।
- यह हिमालय का सबसे नवीनतम भाग है। शिवालिक और लघु हिमालय के मध्य कई घाटियां विद्यमान हैं, जिन्हें पश्चिम भाग में दून या द्वार कहा जाता है। जैसे- देहरादून, हरिद्वार आदि।
- शृंखला का एक बड़ा हिस्सा हिमाचल प्रदेश में स्थित है।

#### ✓ पूर्वांचल पहाड़ियां

- ये शृंखलाएं लगभग 94,800 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को घेरते हैं। यह भारत के पूर्वी सीमा का निर्धारण करता है।
- हिमालय पर्वत शृंखला का भारत में पूर्वी विस्तार है। पटकोई-बूम, लुशाई पहाड़ी, गारो-खासी-जयंतिया मिलकर पूर्वांचल शृंखला का निर्माण करती है, जिसे पूर्वी पर्वतीय क्षेत्र (मिजो हिल) के रूप में जाना जाता है।
- मेघालय राज्य में खासी हिल के अंदर स्थित मासिनराम दुनिया का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है।

#### पश्चिमी घाट

पश्चिमी घाट, जिसे सह्याद्रि पर्वत शृंखला के रूप में भी जाना जाता है, एक पर्वत शृंखला है, जो भारत के पश्चिमी तट के समानांतर चलती है।

- यह 1,600 किलोमीटर तक विस्तारित है तथा 140,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करती है।
- इस शृंखला में कई प्रमुख चोटियां हैं, जिनमें दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाइमुडी और नीलगिरि पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी डोडुबाबेट्टा शामिल हैं। पश्चिमी घाट गोदावरी, कृष्णा और कावेरी सहित कई नदियों का उद्गम स्थल है।

#### पूर्वी घाट

पूर्वी घाट, एक पर्वत शृंखला है जो भारत के पूर्वी तट के समानांतर चलती है। यह पश्चिमी घाट की तुलना में छोटी और कम विस्तारित है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरि है।

- पूर्वी घाट में प्रसिद्ध तिरुपति मंदिर सहित कई प्राचीन हिंदू मंदिर अवस्थित हैं। यह शृंखला कई आदिवासी समुदायों का भी घर है, जो सदियों से इस क्षेत्र में रहते आए हैं।

#### अरावली शृंखला

पश्चिमी भारत में स्थित अरावली पर्वत शृंखला भारत की सबसे पुरानी अवशिष्ट पर्वत शृंखला है।

- यह गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली राज्यों से होकर गुजरती है तथा इसका विस्तार 800 किलोमीटर तक है।
- अरावली पर्वत शृंखला अपने ऊबड़-खाबड़ इलाके और चट्टानी पहाड़ियों के लिए जानी जाती है। यह शृंखला तांबा, जस्ता और सीसा सहित अपने समृद्ध खनिज भंडार के लिए भी जानी जाती है।

- अरावली शृंखला में कई महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल विद्यमान हैं, जिनमें कुंभलगढ़ किला, चित्तौड़गढ़ किला और दिलवाड़ा मंदिर आदि प्रमुख हैं।

#### सतपुड़ा श्रेणी

सतपुड़ा पर्वत शृंखला, मध्य भारत से होकर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात के कुछ हिस्सों में फैला हुआ है। यह शृंखला 900 किलोमीटर तक विस्तारित है तथा अपनी ऊंची चोटियों, गहरी घाटियों और घने वनों के लिए विख्यात है।

- सतपुड़ा शृंखला कई महत्वपूर्ण वन्यजीव अभयारण्यों और राष्ट्रीय उद्यानों विद्यमान है, जिनमें सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान एवं पंचमढी बायोस्फीयर रिजर्व प्रमुख हैं।
- इस शृंखला में अजंता तथा एलोरा गुफाओं सहित कई प्राचीन बौद्ध गुफाएं अवस्थित हैं, जो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल हैं।
- सतपुड़ा रेंज कई ऐतिहासिक किलों और महलों का भी घर है, जिनमें महेश्वर किला और मांडू किला प्रमुख हैं।

#### विंध्य शृंखला

विंध्य शृंखला मध्य भारत से होकर गुजरती है, जो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ हिस्सों में विस्तारित है।

- यह शृंखला 1,000 किमी तक फैली हुई है तथा अपनी तंदुरित ढलानों के लिए जानी जाती है। विंध्य रेंज लौह अयस्क, बॉक्साइट और मैंगनीज सहित अपने समृद्ध खनिज भंडार के लिए भी जानी जाती है।
- इस शृंखला में कई महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थलों मौजूद हैं, जिनमें खजुराहो मंदिर, सांची स्तूप और चौंसठ योगिनी मंदिर आदि शामिल हैं।
- विंध्य शृंखला कई महत्वपूर्ण वन्यजीव अभयारण्यों और राष्ट्रीय उद्यानों का भी घर है, जिनमें बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान शामिल है।

| प्रमुख दर्रे (जम्मू एवं कश्मीर) |   |
|---------------------------------|---|
| पहाड़ी दर्रे                    | सामरिक महत्व  |
| <b>बनिहाल दर्रा</b>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ यह पीर पंजाल श्रेणी के पार स्थित है।</li> <li>➤ यह कश्मीर घाटी (जम्मू और कश्मीर में) को बाहरी हिमालय से जोड़ता है।</li> <li>➤ 1956 में जवाहर सुरंग के निर्माण तक, बनिहाल दर्रा जम्मू और श्रीनगर के बीच सड़क संपर्क के रूप में कार्य करता था।</li> </ul>  |
| <b>बिलाफोंड ला दर्रा</b>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ चूंकि यह दर्रा साल्टोरो पर्वतमाला (सियाचिन ग्लेशियर के पास) पर स्थित है, इसलिए इसे साल्टोरो दर्रा भी कहा जाता है।</li> <li>➤ यह भारत और पाकिस्तान के बीच एक्चुअल ग्राउंड पोजिशन लाइन (वह रेखा जो भारत और पाकिस्तान की सैन्य चौकियों को विभाजित करती है) के पास स्थित है।</li> <li>➤ यह मूल रूप से प्राचीन रेशम मार्ग का एक हिस्सा था, जो भारतीय उपमहाद्वीप को चीन से जोड़ता था।</li> </ul> |

## प्रारंभिक परीक्षा

|                        |   |
|------------------------|---|
| <b>कोंगका दर्रा</b>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>यह भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा पर स्थित एक निचला पहाड़ी दर्रा है।</li> <li>चीन कोंगका दर्रे को भारत और चीन के बीच की सीमा मानता है।</li> </ul>   |
| <b>मिंटका पास</b>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>यह केंद्र शासित प्रदेश कश्मीर को चीन से जोड़ता है। यह काराकोरम पर्वत शृंखला में स्थित है तथा भारत, चीन और अफगानिस्तान सीमा के ट्राइ-जंक्शन के पास स्थित है।</li> </ul>   |
| <b>पारपिक दर्रा</b>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>यह केंद्र शासित प्रदेश कश्मीर को चीन से जोड़ता है। यह भारत-चीन सीमा पर मिंटका दर्रे के पूर्व में स्थित है।</li> </ul>  |
| <b>पीर-पंजाल दर्रा</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है, जो निचले हिमालयी क्षेत्र में पहाड़ों का एक समूह है।</li> <li>कश्मीर घाटी पीर पंजाल दर्रे के माध्यम से जम्मू और कश्मीर के राजौरी और पुंछ जिलों से जुड़ी हुई है।</li> </ul>                               |
| <b>कारा टैग ला पास</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>कारा टैग ला भारत-चीन सीमा पर काराकोरम रेंज के पार स्थित है।</li> <li>सर्दियों के महीनों में, वे भारी बर्फबारी से ढके रहते हैं और इस प्रकार वे उन महीनों के दौरान बंद रहते हैं।</li> <li>यह प्राचीन रेशम मार्ग का एक भाग था।</li> </ul> |
| <b>साधना पास</b>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>पहले इसे नास्ताचून दर्रे के नाम से जाना जाता था।</li> <li>यह कश्मीर घाटी को जम्मू-कश्मीर की करनाह तहसील से जोड़ता है।</li> </ul>   |
| <b>सिया ला दर्रा</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>यह सियाचिन ग्लेशियर के पास साल्टोरो रेंज में स्थित है।</li> <li>1980 के दशक की शुरुआत में, यह भारत और पाकिस्तान के बीच एक विवादित क्षेत्र था।</li> <li>यह भारत-चीन सीमा के पास है।</li> </ul>  |

| प्रमुख दर्रे ( लद्दाख ) |   |
|-------------------------|---|
| <b>पहाड़ी दर्रे</b>     | <b>सामरिक महत्व</b>   |
| <b>अधिल पास</b>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>यह काराकोरम रेंज में स्थित है।</li> <li>यह भारत की शक्सगाम घाटी (लद्दाख) को चीन के झिजियांग प्रांत से अलग करता है।</li> </ul>  |
| <b>चांग ला दर्रा</b>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>यह दर्रा लद्दाख क्षेत्र को तिब्बत से जोड़ता है।</li> <li>यह श्योक नदी घाटी और लेह जिले के बीच में स्थित है।</li> <li>यह दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़कों में से एक है।</li> </ul> |
| <b>फोटु ला पास</b>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>यह हिमालय की जास्कर श्रेणी में स्थित है।</li> <li>यह लेह और कारगिल जिलों के बीच स्थित दो पहाड़ी दर्रे में से एक है।</li> </ul>   |

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>ग्योंग ला दर्रा</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>यह सियाचिन ग्लेशियर के दक्षिण-पश्चिम में साल्टोरो रिज पर स्थित है।</li> <li>यह भारत और पाकिस्तान के बीच विवादित क्षेत्रों में से एक था।</li> <li>1989 में यह पूरी तरह से भारतीय सेना के नियंत्रण में आ गया।</li> </ul>                      |
| <b>इमिस ला पास</b>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>यह केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को चीन में तिब्बत से जोड़ता है।</li> <li>यह सर्दियों के महीनों के दौरान बंद रहता है।</li> </ul>   |
| <b>खारदुंग ला दर्रा</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>यह लद्दाख पर्वत शृंखला में स्थित है।</li> <li>यह नुब्रा और श्योक घाटियों के प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है।</li> </ul>   |
| <b>लानाक ला दर्रा</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>यह अक्साई चिन क्षेत्र में स्थित है और इस प्रकार भारत और चीन को जोड़ता है।</li> <li>जहां चीन कोंगका दर्रे को भारत और चीन के बीच की सीमा के रूप में दावा करता है, वहीं भारत लैनक ला दर्रे को सीमा के रूप में दावा करता है।</li> </ul>         |
| <b>नामिका ला</b>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>यह जास्कर श्रेणी में स्थित है। यह लेह और कारगिल जिलों के बीच स्थित दो पहाड़ी दर्रे में से एक है।</li> </ul>   |
| <b>पेन्सि ला दर्रा</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>इसे जास्कर (कारगिल जिले की एक तहसील) के प्रवेश द्वार के रूप में भी जाना जाता है।</li> <li>यह सुरु घाटी क्षेत्र को जास्कर घाटी क्षेत्र से जोड़ता है।</li> <li>भारी बर्फबारी के कारण यह केवल मई और अक्टूबर के बीच ही खुला रहता है।</li> </ul> |
| <b>सासेर ला दर्रा</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>यह भारत (लद्दाख) को चीन से जोड़ता है।</li> <li>यह केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में काराकोरम रेंज में स्थित है।</li> </ul>   |
| <b>शिगो ला दर्रा</b>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>यह लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के बीच की सीमा पर स्थित है।</li> <li>यह कारगिल जिले को लद्दाख के लाहौल और स्पीति जिले से जोड़ता है।</li> </ul>   |
| <b>टैगलांग ला दर्रा</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>टैगलांग ला दर्रा लद्दाख में स्थित उच्च ऊंचाई वाले पर्वत दर्राओं में से एक है।</li> <li>यह लेह-मनाली राजमार्ग से होकर गुजरता है।</li> <li>यह 12वां सबसे ऊंचा मोटर योग्य दर्रा है।</li> </ul>   |
| <b>जोजी ला दर्रा</b>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>यह लद्दाख और कश्मीर घाटी के बीच एक लिंक प्रदान करता है।</li> <li>जोजी-ला सुरंग के निर्माण तक यह दर्रा सर्दियों के दौरान बंद रहता था।</li> </ul>   |

| प्रमुख दर्रे ( हिमाचल प्रदेश ) |   |
|--------------------------------|---|
| पहाड़ी दर्रे                   | सामरिक महत्व  |
| बारालाचा ला दर्रा              | <ul style="list-style-type: none"> <li>बारालाचा ला दर्रा हिमाचल प्रदेश में जास्कर श्रेणी में स्थित है।</li> <li>यह हिमाचल प्रदेश के लाहौल जिले को लद्दाख के लेह जिले से जोड़ता है। यह युनाम नदी को भागा नदी से विभाजित करता है।</li> </ul>                                      |
| चांशल दर्रा                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>यह दर्रा शिमला की सबसे ऊंची चोटी चांशल चोटी पर स्थित है। यह शिमला जिले के दो शहरों - रोहडू और डोडरा क्वार को जोड़ता है।</li> <li>इसे चांशल घाटी के नाम से भी जाना जाता है और यह केवल मई और अक्टूबर के बीच ही खुला रहता है।</li> </ul>    |
| देबसा पास                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>देबसा दर्रा हिमाचल प्रदेश के कुल्लू और स्पीति जिलों के बीच स्थित है।</li> <li>यह हिमालय पर्वत शृंखला में है।</li> <li>यह पार्वती घाटी को स्पीति घाटी से जोड़ता है।</li> </ul>  |
| इंद्रहार दर्रा                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>यह हिमालय की धौलाधर पर्वत शृंखला में स्थित है। हिमाचल प्रदेश के चम्बा और कांगड़ा जिले इसी दर्रे से अलग होते हैं।</li> </ul>  |
| जालोरी दर्रा                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>यह हिमालय की उत्तरी चोटियों में स्थित है और कुल्लू और शिमला जिलों के बीच है।</li> <li>यह तीर्थन घाटी को सतलुज घाटी से जोड़ता है।</li> </ul>  |
| कुंजुम दर्रा                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>कुंजुम दर्रा हिमालय की पूर्वी कुंजुम शृंखला में स्थित है।</li> <li>यह लाहौल घाटी और स्पीति घाटी के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करता है।</li> <li>यह आमतौर पर जून और अक्टूबर के बीच खुला रहता है।</li> </ul>                             |
| लमखागा दर्रा                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>लमखागा दर्रा भारत-तिब्बत सीमा के करीब स्थित है।</li> <li>यह हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले को उत्तराखंड के हर्षिल जिले से जोड़ता है।</li> </ul>   |
| रोहतांग दर्रा                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>यह हिमालय की पीर पंजाल शृंखला के पूर्वी किनारे पर स्थित है।</li> <li>यह कुल्लू घाटी को लाहौल और स्पीति घाटी से जोड़ता है।</li> </ul>   |
| शिपकी ला दर्रा                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>यह भारत (किन्नौर जिला) को चीन (तिब्बत का नगारी प्रीफेक्चर प्रांत) से जोड़ता है और दोनों देशों के बीच भारत की सीमा चौकी है।</li> <li>यह दर्रा बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह भारत और तिब्बत (चीन) के बीच व्यापार को बढ़ाता है।</li> </ul> |

| प्रमुख दर्रे ( उत्तराखंड ) |  |
|----------------------------|--|
| पहाड़ी दर्रे               | सामरिक महत्व   |
| कालिंदी पास                | <ul style="list-style-type: none"> <li>यह वृहत हिमालय की गढ़वाल हिमालय शृंखला में स्थित एक उच्च पर्वतीय दर्रा है।</li> <li>इस हिमाच्छादित दर्रे का पानी भारत-तिब्बत सीमा के पास स्थित गंगोत्री ग्लेशियर में मिलता है।</li> </ul>   |
| लिपुलेख दर्रा              | <ul style="list-style-type: none"> <li>लिपुलेख दर्रा भारत (उत्तराखंड क्षेत्र) को चीन (तिब्बती क्षेत्र) से जोड़ता है।</li> <li>यह दोनों देशों के बीच सीमा का काम करता है।</li> <li>यह बायन्स घाटी (उत्तराखंड) को तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र (चीन) से जोड़ता है।</li> </ul>                             |
| माना पास                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>माना दर्रा भारत और चीन के तिब्बत क्षेत्र के बीच सीमा के रूप में कार्य करता है।</li> <li>यह गढ़वाल हिमालय पर्वत शृंखला में स्थित है।</li> <li>यह भारत में सबसे ऊंचे मोटर योग्य दर्रा में से एक है।</li> </ul>  |
| मंगशा धुरा दर्रा           | <ul style="list-style-type: none"> <li>यह उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित है।</li> <li>यह उत्तराखंड (भारत) को तिब्बत (चीन) से जोड़ता है।</li> </ul>  |
| मयाली दर्रा                | <ul style="list-style-type: none"> <li>यह उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित है।</li> <li>यह भिलंगना घाटी (गढ़वाल हिमालय में) को केदारनाथ और मंदाकिनी घाटी से जोड़ता है।</li> </ul>   |
| मुलिंग ला दर्रा            | <ul style="list-style-type: none"> <li>यह गंगोत्री (उत्तरकाशी जिला) के उत्तर में स्थित है।</li> <li>यह भारत के उत्तराखंड राज्य को चीन के तिब्बत क्षेत्र से जोड़ता है।</li> </ul>   |
| नामा पास                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>नामा दर्रा उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित है।</li> <li>यह भारत को तिब्बत से जोड़ता है तथा भारत और तिब्बत के बीच व्यापार मार्गों में से एक है।</li> <li>यह कुथी घाटी को दारमा घाटी से भी जोड़ता है, जो दोनों पिथौरागढ़ जिले में स्थित हैं।</li> </ul> |
| नीति पास                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>यह भारत-चीन सीमा पर स्थित है और उत्तराखंड जिले को तिब्बत के दक्षिणी क्षेत्र से जोड़ता है।</li> </ul>  |
| सिन ला पास                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>यह हिमालय शृंखला में स्थित ऊंचे पर्वतीय दर्रा में से एक है।</li> <li>वर्ष के अधिकांश समय यह दर्रा भारी बर्फ से ढका रहता है।</li> </ul>  |
| ट्रेल का पास               | <ul style="list-style-type: none"> <li>ट्रेल का दर्रा हिमालय शृंखला की नंदा देवी और नंदा कोट चोटियों के बीच स्थित है।</li> <li>यह कुमाऊं हिमालय के पिंडारी ग्लेशियर को कुमाऊं हिमालय के मिलम ग्लेशियर से जोड़ता है।</li> </ul>   |



## प्रारंभिक परीक्षा

| प्रमुख दर्रे ( सिक्किम )      |  |
|-------------------------------|--|
| पहाड़ी दर्रे                  | सामरिक महत्व   |
| डोंगखला दर्रा / डोंकिया दर्रा | <ul style="list-style-type: none"> <li>यह भारत को चीन के तिब्बत क्षेत्र से जोड़ता है।</li> <li>यह हिमालय पर्वत शृंखला में स्थित है।</li> </ul>   |
| गोइचा ला दर्रा                | <ul style="list-style-type: none"> <li>यह सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है।</li> </ul>   |
| जेलेप ला दर्रा                | <ul style="list-style-type: none"> <li>यह भारत के सिक्किम राज्य को चीन में ल्हासा (तिब्बत की प्रशासनिक राजधानी) से जोड़ता है।</li> <li>यह चुम्बी घाटी से होकर गुजरती है, जो महान हिमालय शृंखला के पूर्वी क्षेत्र यानी तिब्बत के दक्षिणी भाग में स्थित है।</li> </ul>                 |
| नाथू ला दर्रा                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>यह सिक्किम (भारत) को तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र (चीन) से जोड़ता है।</li> <li>यह भारत और चीन के बीच तीन व्यापारिक सीमा चौकियों में से एक है।</li> <li>दोनों देशों की सेनाओं के बीच पांच सीमा कर्मियों की बैठक बिंदुओं में से एक भी है।</li> </ul> |

| प्रमुख दर्रे ( अरुणाचल प्रदेश ) |  |
|---------------------------------|--|
| पहाड़ी दर्रे                    | सामरिक महत्व   |
| बोमडिला दर्रा                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>बोमडिला भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश को भूटान से जोड़ता है।</li> <li>यह वृहत हिमालय के पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है।</li> </ul>  |
| चंकन दर्रा                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>चंकन दर्रा भारत-म्यांमार सीमा पर स्थित है।</li> <li>यह अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है।</li> </ul>  |
| दिहांग दर्रा                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>यह अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार के दूसरे सबसे बड़े शहर मांडले से जोड़ता है।</li> </ul>  |
| दिफू पास                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>दीफू भारत, चीन और म्यांमार के त्रि-जंक्शन पर स्थित है।</li> <li>यह मैकमोहन रेखा पर है, जो भारत और चीन का सीमांकन करती है।</li> <li>यह भारत और म्यांमार के बीच महत्वपूर्ण व्यापार मार्गों में से एक है।</li> </ul> |
| हपुंगन दर्रा                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>यह भारत-म्यांमार सीमा पर स्थित है।</li> </ul>   |

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| कुमजांग दर्रा                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>यह भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है।</li> </ul>  |
| पंगसाउ दर्रा / पैन सौंग दर्रा | <ul style="list-style-type: none"> <li>यह पटकाई पहाड़ियों पर स्थित है, जो भारत को म्यांमार से जोड़ती है।</li> <li>पंगसाउ पास शीतकालीन उत्सव एक संयुक्त भारत-म्यांमार कार्यक्रम है, जिसे भारत और म्यांमार की जनजातियां हर साल एक साथ मनाती हैं।</li> </ul> |
| सेला पास                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>यह अरुणाचल प्रदेश के तवांग और पश्चिमी कामेंग जिलों के बीच की सीमा पर स्थित है।</li> </ul>  |
| योगग्याप दर्रा                | <ul style="list-style-type: none"> <li>यह भारत-चीन सीमा पर स्थित है और अरुणाचल प्रदेश (भारत) को तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र (चीन) से जोड़ता है।</li> </ul>  |

| दक्षिण भारत के दर्रे     |   |
|--------------------------|---|
| पहाड़ी दर्रे             | सामरिक महत्व  |
| भोर घाट                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>यह महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट के सबसे उत्तरी क्षेत्र में स्थित है।</li> </ul>  |
| पलक्कड़ गैप / पालघाट गैप | <ul style="list-style-type: none"> <li>यह तमिलनाडु के कोयंबटूर जिले और केरल के पलक्कड़ जिले के बीच स्थित एक निचला पहाड़ी दर्रा है।</li> </ul>   |
| शेनकोट्टा दर्रा          | <ul style="list-style-type: none"> <li>शेनकोट्टाई दर्रा केरल के कोल्लम जिले को तमिलनाडु के मुदुरै जिले से जोड़ता है।</li> <li>यह वर्षनाडु पहाड़ियों और अगाथिया मलाई के बीच स्थित है।</li> <li>यह पश्चिमी घाट में स्थित दूसरा सबसे बड़ा दर्रा है।</li> </ul> |
| थाल घाट                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>इसे कसारा घाट के नाम से भी जाना जाता है, जो महाराष्ट्र के ठाणे जिले में स्थित है।</li> <li>भारत की सबसे खड़ी रेलवे लाइन इसी घाट पर स्थित है।</li> </ul>  |
| थामरस्सेरी दर्रा         | <ul style="list-style-type: none"> <li>थामरस्सेरी दर्रा पश्चिमी घाट के पार स्थित है।</li> <li>यह कोझिकोड जिले को केरल के वायनाड जिले से जोड़ता है।</li> <li>इसे वायनाड चूरम के नाम से भी जाना जाता है।</li> </ul>   |

## राज्यवस्था

### भारत के राष्ट्रपति : निर्वाचन एवं शक्तियां

भारत के राष्ट्रपति, भारत गणराज्य के कार्यपालक अध्यक्ष होते हैं। संघ के सभी कार्यपालक कार्य उनके नाम से किये जाते हैं। भारत का राष्ट्रपति देश के प्रथम नागरिक होता है। किसी व्यक्ति के भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने के लिए उसका भारतीय नागरिक होना आवश्यक है।

#### भारत के राष्ट्रपति का चुनाव

राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 54 में उल्लेख किया गया है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसे इलेक्टोरल कॉलेज भी कहा जाता है।

- जनता अपने राष्ट्रपति का चुनाव सीधे नहीं करती, बल्कि उसके द्वारा चुने गए प्रतिनिधि करते हैं। इसलिए इसे परोक्ष निर्वाचन कहा जाता है।
- भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में सभी राज्यों की विधानसभाओं एवं संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और लोक सभा तथा राज्य सभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं।
- उल्लेखनीय है कि राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य, राष्ट्रपति चुनाव में वोट नहीं डाल सकते हैं। विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति चुनाव में मत का प्रयोग नहीं कर सकते हैं।

#### ✓ चुनाव प्रक्रिया

- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया का वर्णन है। इसके अनुसार, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणीय मत (Single Transferable Vote) पद्धति के द्वारा होता है। एकल संक्रमणीय मत पद्धति चुनाव की एक विशेष पद्धति होती है। इसमें एक मतदाता एक ही वोट देता है, लेकिन वह कई उम्मीदवारों को अपनी प्राथमिकता के आधार पर वोट देता है। अर्थात् वह बैलेट पेपर पर यह बताता है कि उसकी पहली पसंद कौन है और दूसरी, तीसरी कौन है।
- यदि पहली पसंद वाले वोटों से विजेता का फँसला नहीं हो सका, तो इस वोट को दूसरी पसंद वाले उम्मीदवार के खाते में हस्तांतरण किया जाता है। इसलिये इसे एकल संक्रमणीय मत कहा जाता है।
- उल्लेखनीय है कि वोट डालने वाले सांसदों और विधायकों के मतों की प्रमुखता भी अलग-अलग होती है। इसे 'वेटेज' भी कहा जाता है। दो राज्यों के विधायकों के वोटों का 'वेटेज' भी अलग-अलग होता है। यह 'वेटेज' राज्य की जनसंख्या के आधार पर तय किया जाता है और यह 'वेटेज' जिस तरह तय किया जाता है, उसे आनुपातिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था कहते हैं।

#### भारत के राष्ट्रपति की शक्तियां

##### ✓ कार्यकारी शक्तियां

- अनुच्छेद 53 के तहत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में

निहित होगी। वह इसका उपयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा।

- भारत सरकार के कार्यपालिका से संबंधित समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम से ही होता है।
- अनुच्छेद 75 के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। चुनाव में किसी भी दल या गठबंधन को जब स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तो राष्ट्रपति अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए ही सरकार बनाने के लिये राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों को आमंत्रित करता है।

##### ✓ विधायी शक्तियां

- भारतीय राष्ट्रपति के पास संसद के सदनों को बुलाने या सत्रावसान करने और निचले सदन को भंग करने की शक्ति होती है। उनके पास संसद के दोनों सदनों के बीच गतिरोध की स्थिति में संयुक्त बैठक बुलाने का भी अधिकार होता है।
- राष्ट्रपति प्रत्येक आम चुनाव के बाद लोक सभा के पहले सत्र में तथा प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र के प्रारंभ में संसद के दोनों सदनों को एक साथ संबोधित करते हैं।
- अनुच्छेद 80 के तहत प्राप्त शक्तियों के आधार पर राष्ट्रपति, साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव रखने वाले 12 व्यक्तियों को राज्य सभा के लिये मनोनीत कर सकता है।
- संविधान के अनुसार कुछ विशेष मामलों में कानून पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व-मंजूरी की आवश्यकता होती है।
- संसद के दोनों सदनों से पारित होने के बावजूद कोई विधेयक तब तक अधिनियमित नहीं माना जाता, जब तक उसे राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त न हो जाए।
- राष्ट्रपति किसी विधेयक को या तो मंजूरी देता है या उसे पुनर्विचार के लिए वापस भेजता है। यद्यपि राष्ट्रपति धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकता।
- राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। यदि कोई अत्यावश्यक मामला है और ऐसी किसी विशेष स्थिति के लिए कानून की आवश्यकता है, तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है (अनुच्छेद 123)।

##### ✓ आपातकालीन शक्तियां

- अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति, देश में युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में पूरे भारत या इसके किसी एक भाग में आपातकाल की घोषणा कर सकता है।
- अनुच्छेद 356 के तहत यदि कोई राज्य सरकार संवैधानिक नियमों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति वहाँ राष्ट्रपति शासन लगा सकता है।
- अनुच्छेद 360 के तहत देश में आर्थिक संकट की स्थिति में राष्ट्रपति अपनी विशिष्ट शक्तियों का प्रयोग कर वित्तीय आपात की घोषणा कर सकता है।

## प्रारंभिक परीक्षा

### ✓ न्यायिक शक्तियाँ

- अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है तथा इसके द्वारा किसी अपराध के लिये दोषी ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा, उसका प्रविलंबन, विराम और परिहार कर सकता है। मृत्युदंड पाए अपराधी की सजा पर भी फ़ैसला लेने का उसको अधिकार है।
- राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श प्राप्त करने का अधिकार होता है।
- राष्ट्रपति से सहमति प्राप्त कर उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है।

### ✓ वित्तीय शक्तियाँ

- वित्त आयोग का गठन तथा इसके सदस्यों की नियुक्त करने का अधिकार राष्ट्रपति को होता है। भारत की आकस्मिक निधि पर भी राष्ट्रपति का पूरा नियंत्रण होता है।
- राष्ट्रपति की आज्ञा के बिना धन विधेयक, अनुदान की मांगें लोकसभा में नहीं लाई जा सकती हैं।

### ✓ सैन्य शक्तियाँ

- भारत का राष्ट्रपति वायु सेना, थल सेना तथा नौसेनाओं का प्रधान सेनापति होता है।
- राष्ट्रपति को ही युद्ध घोषित करने और शांति स्थापित करने की शक्ति होती है।
- भारत के राष्ट्रपति द्वारा ही तीनों सेनाओं के सेना अध्यक्षों की नियुक्ति की जाती है।

### ✓ राजनयिक शक्तियाँ

- विदेशी क्षेत्र में भारत का प्रतिनिधित्व करने का अधिकार राष्ट्रपति को होता है।
- विदेश में भारतीय दूतावासों कूटनीति में निपुण प्रतिनिधियों को नियुक्त करने की शक्ति राष्ट्रपति को होती है।
- किसी देश के साथ संधि और समझौते भी राष्ट्रपति के नाम से ही होते हैं।

## महत्वपूर्ण संवैधानिक निकाय

संवैधानिक निकाय, भारत के वे महत्वपूर्ण निकाय हैं, जो अपनी शक्तियाँ और अधिकार भारतीय संविधान से प्राप्त करते हैं।

- संविधान में इनका विशेष रूप से उल्लेख किया गया है तथा इन निकायों की कार्यप्रणाली में किसी भी बदलाव के लिए संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता होती है।
- भारत में चुनाव आयोग, वित्त आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग आदि महत्वपूर्ण संवैधानिक निकाय हैं।

## निर्वाचन आयोग

इसकी स्थापना 25 जनवरी, 1950 को भारतीय संविधान के भाग-15 (क) अनुच्छेद-324 के तहत की गई।

- वर्तमान में इसमें 1 मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं।

### ✓ नियुक्ति एवं कार्यकाल

- इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
- मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तथा अन्य आयुक्तों का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो पहले हो, होता है।

### ✓ मुख्य कार्य

- यह लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव का संचालन करता है।
- आम चुनाव या उप-चुनाव कराने के लिये समय-समय पर चुनाव कार्यक्रम तय करना है।
- यह राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है, उनसे संबंधित विवादों को निपटाने के साथ ही उन्हें चुनाव चिह्न आवंटित करता है।
- राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना। निर्वाचक नामावली का निर्माण, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव संचालित करना।
- राष्ट्रपति शासन वाले राज्यों में एक वर्ष बाद चुनाव कराये जाये या नहीं इसकी सलाह राष्ट्रपति को देना।
- सभी राजनीतिक दलों के लिये प्रति उम्मीदवार चुनाव अभियान खर्च की सीमा निर्धारित करता है और उसकी निगरानी भी करता है।
- राजनीतिक दलों के लिये आचार संहिता का निर्माण करना।
- EVM के साथ VVPAT को सभी चुनावों में अनिवार्य करना।

## संघ लोक सेवा आयोग

1926 में ली कमीशन की सिफारिश पर स्थापित, जिसे बाद में भारतीय संविधान के भाग-14 में अनुच्छेद-315 शामिल किया गया।

- संविधान के भाग-14 के अंतर्गत अनुच्छेद 315-323 में एक संघीय लोक सेवा आयोग और राज्यों के लिए राज्य लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान है।

### ✓ नियुक्ति और संरचना

- वर्तमान में इस आयोग में अध्यक्ष व 9 सदस्य, है जिसका निर्धारण राष्ट्रपति तथा इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
- राष्ट्रपति की शक्ति आयोग के सदस्यों की संख्या और उनकी सेवा की शर्तें निर्धारित करता है तथा आयोग के कर्मचारियों की संख्या और उनकी सेवा शर्तों के संबंध में प्रावधान करता है।
- इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले होता है।
- राष्ट्रपति द्वारा कदाचार या अयोग्यता के आधार पर इन्हें पद से हटाया जाता है।

### ✓ मुख्य कार्य

- अखिल भारतीय एवं केन्द्रीय सेवाओं के लिये भर्ती प्रक्रिया को संचालित करना।
- राज्यपाल के अनुरोध पर राज्यों को सलाह प्रदान करना।
- यह प्रतिवर्ष अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति को प्रस्तुत करती है।
- संसद द्वारा इसके कार्यक्षेत्र में वृद्धि की जा सकती है।

- ज्ञात हो कि अनुच्छेद-323 के अनुसार संघ आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वह राष्ट्रपति को आयोग द्वारा किए गए कार्य के बारे में प्रतिवर्ष प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है, जिसे वह संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाता है। इसी प्रकार राज्य लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन राज्यपाल को प्रस्तुत करता है, जिसे वह राज्य विधान सभा के पटल पर रखवाता है।

### राज्य लोक सेवा आयोग

- + संविधान के भाग-14 में अनु-315 से 323 तक इसका उल्लेख किया गया है।
- + **नियुक्ति और कार्यकाल:** इनकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है तथा इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तक का होता है।
- + **पदमुक्ति:** इसका अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग या अन्य राज्य लोक सेवा अयोग के अलावा राज्य सरकार के अधीन अन्य किसी स्थान पर नियोजन का पात्र नहीं होता।
- + **कार्य:** अनुच्छेद-320 लोक सेवा आयोगों के कृत्य का उल्लेख है। संघ और राज्य लोक सेवा आयोगों का यह कर्तव्य होगा कि वे क्रमशः संघ की सेवाओं और राज्य की सेवाओं में नियुक्तियों के लिए परीक्षाओं का संचालन करें।

### वस्तु एवं सेवा कर परिषद

यह वस्तु एवं सेवा कर (Goods And Services Tax - GST) से संबंधित मुद्दों पर केंद्र और राज्य सरकार को सिफारिश करने से संबंधित एक संवैधानिक निकाय (अनुच्छेद 279) है।

- इसकी अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री करता है और अन्य सदस्य केंद्रीय राजस्व या वित्त मंत्री तथा सभी राज्यों के वित्त या कराधान के प्रभारी मंत्री होते हैं।
- ✓ **गठन**
  - इस परिषद् का गठन संविधान के 101वें संविधान संशोधन-2016 के तहत अनु-279(क) के अंतर्गत किया गया है।
- ✓ **संरचना**
  - इसमें अध्यक्ष के रूप में केंद्रीय वित्त मंत्री एवं केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री सभी राज्यों के वित्त या राजस्व मंत्री सदस्य तथा GST का अध्यक्ष स्थाई आमंत्रित सदस्य राजस्व सचिव इसका पदेन सचिव होता है। इनका कार्यकाल समय-समय पर निर्धारित किया जाता है।
- ✓ **प्रमुख कार्य**
  - किसी वस्तु या सेवा को GST के तहत लाना या न लाना इसका निर्णय करना। कुछ राज्यों के लिये विशेष प्रावधान- जैसे असम, हिमाचल हेतु विशेष प्रावधान करना।
  - जीएसटी काउंसिल कुछ राज्यों के लिए विशेष दरों और प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए कर की दर, कर छूट, रूपों के नियत तारीख अथवा कर कानून और कर समय सीमा तय करती है।
  - जीएसटी परिषद (काउंसिल) की मुख्य जिम्मेदारी पूरे भारत देश में वस्तुओं और सेवाओं के लिए एक समान कर की दर सुनिश्चित करना है।

- यह परिषद् GST उगाही नियम बनाती है।
- ज्ञात हो कि GST परिषद के सभी निर्णय बहुमत के आधार पर होंगे तथा इसमें राज्यों का भार 2/3 एवं केंद्र का भार 1/3 होता है।

### वित्त आयोग

वित्त आयोग (FC) एक संवैधानिक निकाय है, जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 280 में किया गया है। वस्तुतः इसका गठन केंद्र और राज्य सरकारों के बीच वित्तीय संबंधों पर सुझाव देने के लिए राष्ट्रपति द्वारा गठित किया जाता है।

- इसके तहत पहले वित्त आयोग का गठन 1951 में किया गया था तथा अभी तक कुल 15 आयोग गठित किया जा चुका है।
- 15वें वित्त आयोग का गठन भारत के राष्ट्रपति द्वारा नवंबर, 2017 में एन.के. सिंह की अध्यक्षता में किया गया था। इसकी सिफारिशों वर्ष 2021-22 से वर्ष 2025-26 तक पांच वर्ष की अवधि के लिये मान्य होंगी।

### ✓ गठन और नियुक्ति

- इस आयोग में एक अध्यक्ष एवं 4 विशेषज्ञ सदस्य होते हैं, जिनकी योग्यता संसद द्वारा निर्धारित की जाती है।
- अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है तथा इनका कार्यकाल राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा समय-समय पर तय किया जाता है।
- वित्त आयोग का कार्यकाल 5 वर्ष होता है।

### ✓ प्रमुख कार्य

- केंद्र एवं राज्यों के बीच करों का वितरण का सिद्धान्त देना।
- अनुच्छेद 275 के तहत संचित विधि से राज्यों के राजस्व में अनुदान देने वाला सिद्धान्त देना।
- पंचायतों एवं नगरपालिकाओं के संसाधनों की आपूर्ति के लिये सिद्धान्त प्रस्तुत करना।
- इसकी सिफारिशों सलाहकारी प्रवृत्ति की होती है, जिन्हें मानना या न मानना सरकार के ऊपर निर्भर है।
- आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है, जिसे राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखवाता है।
- राज्य वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर पंचायतों एवं नगरपालिकाओं के संसाधनों की आपूर्ति हेतु राज्य की संचित निधि में संवर्द्धन के लिये आवश्यक कदमों की सिफारिश करना।

### नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG)

यह एक संवैधानिक आयोग है, जिसका उल्लेख संविधान के भाग-5 के अनुच्छेद 148 में किया गया है तथा यह भारत के संविधान के तहत एक स्वतंत्र प्राधिकरण है।

### ✓ गठन और कार्यकाल

- नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है।
- इसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो पहले होता है।
- इसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान प्रक्रिया से हटाया जा सकता है।

## प्रारंभिक परीक्षा

- CAG का वेतन और अन्य सेवा शर्तें नियुक्ति के बाद भिन्न (कम) नहीं की जा सकतीं।
  - उसकी प्रशासनिक शक्तियां और भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में सेवारत अधिकारियों की सेवा शर्तें राष्ट्रपति द्वारा उससे परामर्श के बाद ही निर्धारित की जाती हैं।
  - CAG के कार्यालय का प्रशासनिक व्यय, जिसमें सभी वेतन, भत्ते और पेंशन शामिल हैं, भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं, जिन पर संसद में मतदान नहीं हो सकता।
- ✓ **मुख्य कार्य**
- यह केन्द्र, राज्य एवं इनके द्वारा वित्त पोषित निकायों के व्ययों का लेखा-जोखा रखता है। यह भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग (Indian Audit -Accounts Department) का प्रमुख और सार्वजनिक क्षेत्र का प्रमुख संरक्षक है।
  - यह लोक लेखा समिति (PAC) के मित्र, गाइड एवं मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है।
  - यह केन्द्र एवं राज्य के लेखा प्रारूप संबंधी सलाह राष्ट्रपति को देता है।
  - पूर्व में हुए कोयला घोटाला, कामनवेलथ घोटाला इसी की जांच का परिणाम है।
  - यह यूनाइटेड नेशन के कई संस्थाओं के लिये भी लेखा परीक्षक का कार्य करता है।
  - ज्ञात हो कि CAG की रिपोर्ट भ्रष्टाचार रोकने का प्रमुख साधन है, इसके आधार पर न्यायालय में कार्यवाही की जा सकती है।

## राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग

14 अगस्त, 1993 को इस आयोग का गठन किया गया था, परन्तु इसे संवैधानिक दर्जा 123वें संविधान संशोधन बिल 2017 और 2018 के 102वें संशोधन के अनुसार अनुच्छेद 338 (ख) में दिया है।

- यह निकाय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत काम करता है।
- ✓ **गठन**
- अनुच्छेद 338(2) के अनुसार इस आयोग में एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और तीन अन्य सदस्य अर्थात् कुल 5 सदस्य शामिल हैं।
  - इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है तथा सेवा की शर्तें और कार्यकाल निर्धारण भी राष्ट्रपति करते हैं।
  - इनका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है।

### कार्य और शक्ति

- यह अन्य पिछड़ा वर्ग की सुरक्षा से संबंधित मामलों में सलाह एवं अनुसंधान का कार्य करता है, उनकी सामाजिक आर्थिक भागीदारी सुनिश्चित करने पर बल प्रदान करता है।
- क्रीमी लेयर की धनसीमा के बारे में सरकार को परामर्श देता है। साथ ही साथ कौन-सी जाति पिछड़े वर्ग में शामिल होगी, के मामले में सरकार को सलाह प्रदान करता है।
- पिछड़े वर्गों को प्राप्त अधिकारों के उल्लंघन की विशिष्ट शिकायतों की जांच करना।
- पिछड़े वर्गों के सामाजिक-आर्थिक विकास के संबंध में केन्द्र सरकार को सलाह देना।

- यह वर्तमान में अन्य पिछड़ा वर्ग के उपवर्गीकरण के लिये कार्य कर रहा है।
- इसके पास सिविल न्यायालय के समान शक्ति होती है।
- यह आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है तथा राष्ट्रपति द्वारा संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष यह रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है।
- सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के संरक्षण, कल्याण एवं विकास तथा उन्नति के संबंध में ऐसे अन्य कार्यों का भी निर्वहन करता है।

## राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग

भारत में अनुसूचित जातियों (SC) के हितों की रक्षा हेतु इसका गठन एक संवैधानिक निकाय के रूप में किया गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 इस आयोग से संबंधित है।

### संरचना और कार्यकाल

- इसमें 1 अध्यक्ष, 1 उपाध्यक्ष एवं 3 सदस्य होते हैं, अर्थात् कुल 5 सदस्य होते हैं; जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
- इनका कार्यकाल सामान्य: 3 वर्ष का होता है, परन्तु कार्यकाल राष्ट्रपति द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाता है।

### कार्य और शक्ति

- अनुसूचित जातियों के संवैधानिक संरक्षण से संबंधित मामलों का क्रियान्वयन एवं समीक्षा।
- इनसे संबंधित मामलों की जांच पड़ताल एवं सुनवाई।
- अत्याचार एवं उत्पीड़न की स्वतः संज्ञान के आधार पर कार्यवाही करना।
- मामलों की जांच के समय दीवानी न्यायालय की शक्तियां प्राप्त होगी।
- संबंधित मामलों के व्यक्तियों से पूछताछ का अधिकार होगा।
- यह भारत के किसी भी भाग में किसी भी व्यक्ति को सम्मान जारी कर सकता है।
- यह राष्ट्रपति को नियमित तौर पर रिपोर्ट प्रस्तुत करता है।

## राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

इसका गठन 89वें संशोधन द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग से अलग करके वर्ष 2003 में एक नये अनुच्छेद 338(क) को सम्मिलित करके पृथक निकाय के रूप में किया गया था।

### संरचना और कार्यकाल

- इस आयोग में 1 अध्यक्ष, 1 उपाध्यक्ष एवं 3 सदस्य, जिसमें एक महिला सदस्य समेत कुल 5 सदस्य होते हैं, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जो इनके कार्यकाल का निर्धारण करते हैं।
- इस आयोग के अध्यक्ष को केंद्रीय कैबिनेट मंत्री तथा उपाध्यक्ष को राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त है, जबकि अन्य सदस्यों को भारत सरकार के सचिव पद का दर्जा दिया गया है।

### कार्य और शक्ति

- यह अनुसूचित जनजातियों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा एवं उनके क्रियान्वयन की समीक्षा करता है।

- साथ ही राष्ट्रपति द्वारा दिये गये अन्य मामलों की जांच एवं सलाह का कार्य करता है।
- पैसा अधिनियम [PESAAAct] 1996 का पूर्ण क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के उपाय करने के साथ-साथ वनोपज, खनिज एवं जल संसाधन तथा भूमि का स्वामित्व एवं पुनर्वास सुनिश्चित करने के उपाय करता है।
- ज्ञात हो कि यह आयोग अनुसूचित जनजाति के कल्याण और उनके सामाजिक-आर्थिक विकास से संबंधित योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु आवश्यक उपायों से संबंधित वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है।

### अंतरराज्यीय परिषद

सरकारिया आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 263 के अनुसार सुपरिभाषित अधिदेश के अनुसरण में परामर्श करने के लिए एक स्वतंत्र राष्ट्रीय फोरम के रूप में अंतर-राज्य परिषद स्थापित किए जाने की महत्वपूर्ण सिफारिश की थी।

➤ इस सिफारिश के अनुसरण में भारत के संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत राष्ट्रपति के 28 मई, 1990 के आदेश के तहत अंतर-राज्य परिषद का गठन किया गया था।

#### ✓ परिषद का संगठन

- संविधान के अनु-263 के तहत इसकी संरचना निम्नलिखित है-
- प्रधान मंत्री अध्यक्ष
- सभी राज्यों के मुख्य मंत्री सदस्य
- विधान सभा वाले संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्यमंत्री और बिना विधान सभा वाले संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक तथा राष्ट्रपति शासन वाले राज्यों के राज्यपाल (जम्मू और कश्मीर के मामले में राज्यपाल का शासन) सदस्य।
- केन्द्रीय मंत्रिपरिषद में कैबिनेट रैंक के छः मंत्रियों को प्रधानमंत्री द्वारा सदस्य के रूप नामित किया जाता है।
- कैबिनेट रैंक के चार मंत्री, सदस्यों के रूप में स्थाई आमंत्रित किए जाते हैं।
- इस परिषद को राष्ट्रपति द्वारा गठित किया जाता है तथा राष्ट्रपति द्वारा इसके कर्तव्यों का निर्धारण होता है।

#### ✓ कार्य और कर्तव्य

- इसका कर्तव्य केन्द्र और राज्य (राज्यों) के बीच या राज्यों के आपस में सामान्य हित के विषयों की जांच-पड़ताल करना और चर्चा करना है।
- इन विषयों पर नीति और कार्रवाई का बेहतर समन्वय करने के लिए विशेष रूप से सिफारिशें करना और सामान्य हित वाले ऐसे अन्य मामलों पर राज्यों के साथ चर्चा करना है, जिन्हें इसके अध्यक्ष द्वारा भेजा जाए।
- यह राज्यों के मध्य उत्पन्न विवादों की जांच एवं सलाह केन्द्र एवं राज्य के समान हित वाले विषयों पर अन्वेषण एवं विचार-विमर्श करना।
- ज्ञात हो कि सरकारिया आयोग ने नियमित परिषदों के गठन की सिफारिश की है। परिषद के विचारार्थ मामलों पर लगातार परामर्श करने और कार्रवाई करने के लिए अंतर-राज्यीय परिषद की स्थाई समिति का गठन किया गया है।

- स्थाई समिति में अध्यक्ष के रूप में केन्द्रीय गृह मंत्री और सदस्यों के रूप में कैबिनेट रैंक के 5 केन्द्रीय मंत्री और अंतर-राज्य परिषद के अध्यक्ष द्वारा नामित 9 राज्यों के मुख्यमंत्री होता है।

## भारत में अभियुक्त व्यक्तियों के अधिकार

गिरफ्तारी का अर्थ गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करना है, अतएव यह मानव के स्वतंत्रता के मूलभूत अधिकार का उल्लंघन है। तथापि भारतीय संविधान के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कई देश अपनी प्राथमिक भूमिका के एक हिस्से के रूप में कानून-व्यवस्था बनाए रखने हेतु किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए राज्य की शक्तियों को मान्यता प्रदान करते हैं।

### संबंधित प्रावधान

#### ✓ संवैधानिक प्रावधान

- **अनुच्छेद 22(1)**: संविधान के अनुच्छेद 22(1) में उपबंधित है कि गिरफ्तारी के अधीन प्रत्येक व्यक्ति को जितनी शीघ्र हो सके गिरफ्तारी के कारण की सूचना दी जाएगी तथा उन्हें अपने पंसद के वकील से परामर्श करने के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा।
- **अनुच्छेद 20**: भारत के संविधान का अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए सजा के संबंध में संरक्षण से संबंधित है। अनुच्छेद 20 एक आरोपी व्यक्ति, चाहे वह नागरिक हो या विदेशी, को मनमानी और अत्यधिक सजा के खिलाफ तीन प्रकार की सुरक्षा प्रदान करता है।
  - ✦ **कार्योत्तर विधि से संरक्षण**: किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिये तब तक सिद्धदोष नहीं ठहराया जायेगा, जब तक कि उसने ऐसा कार्य करने के समय प्रवृत्त विधि का अतिक्रमण न किया हो। उस समय अपराध किए जाने के लिए जो शास्ति (penalty) अधिरोपित की जा सकती थी, उससे अधिक शास्ति का भागी नहीं होगा।
- **दोहरा दण्ड नहीं**: किसी भी व्यक्ति पर एक से अधिक बार एक ही अपराध के लिए मुकदमा नहीं चलाया जाएगा और उसे दंडित नहीं किया जाएगा।
- **कोई आत्म अभिशंसन (self-incrimination) नहीं**: किसी भी अपराध के आरोपी किसी व्यक्ति को खुद के विरुद्ध गवाह (Witness) बनने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। दोहरे दण्ड से सुरक्षा कानून की अदालत या न्यायिक न्यायाधिकरण के समक्ष कार्यवाही में ही उपलब्ध है।

#### ✓ अन्य वैधानिक प्रावधान

- दंड प्रक्रिया संहिता (सी.आर.पी.सी.) 1973 की धारा 50 में किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने वाले पुलिस अधिकारी से अपेक्षित है कि "अपराध का पूर्ण विवरण, जिसके लिए उसे गिरफ्तार किया गया है या ऐसे गिरफ्तारी की किसी अन्य वजह की सूचना तुरंत देगा"।
- यदि किसी व्यक्ति को जमानती अपराध के लिए गिरफ्तार किया जाता है, पुलिस अधिकारी उन्हें जमानत पर छोड़े जाने के उनके हकदारी के विषय में सूचित करेगा, ताकि वह जमानत की व्यवस्था कर सकें [एस 50(2) सी.आर.पी.सी.]।

## प्रारंभिक परीक्षा

- जब गिरफ्तार व्यक्ति को पुलिस थाना लाया जाता है, उसे शीघ्र चिकित्सा सहायता दिया जाएगा, यदि वह इस संबंध में निवेदन करता है। उसे इस अधिकार की सूचना शीघ्र दी जाएगी।
  - जहां पुलिस अधिकारी यह पाता है कि गिरफ्तार व्यक्ति को चिकित्सा मदद की आवश्यकता है, किन्तु उसकी स्थिति ऐसी कि वह निवेदन करने में असमर्थ है, वह ऐसे मदद की शीघ्र व्यवस्था करेगा; जिसे उसी समय रजिस्टर में रिकॉर्ड किया जाएगा।
  - महिला द्वारा चिकित्सा सहायता के निवेदन पर पंजीकृत महिला चिकित्सक द्वारा ही जांच की जाएगी (एस.53 सी. आर.पी.सी.)।
- जैसे ही व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है, गिरफ्तार करने वाला पुलिस अधिकारी उस व्यक्ति के शरीर पर विद्यमान चोट के होने या न होने का विवरण गिरफ्तारी रजिस्टर में दर्ज करेगा।
  - यदि गिरफ्तार व्यक्ति के शरीर में कोई चोट पाया जाता है, वह चोट कैसे लगा है, इसका पूर्ण विवरण तथा अन्य ब्यौरा रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा, जिस पर गिरफ्तार व्यक्ति और पुलिस अधिकारी दोनों हस्ताक्षर करेंगे।
  - गिरफ्तार व्यक्ति के छूटने के समय उक्त के संबंध में गिरफ्तार व्यक्ति को पुलिस अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित एक प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा।
- यदि गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के आदेश के आधीन पुलिस हिरासत में रखा जाता है, उनके हिरासत के दौरान प्रत्येक 48 घंटे में संबंधित राज्य या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के स्वास्थ्य निदेशक द्वारा अनुमोदित चिकित्सकों के पैनल से नियुक्त किसी प्रशिक्षित चिकित्सा अधिकारी द्वारा चिकित्सा जांच कराया जाएगा।
  - पुलिस हिरासत से छूटते समय गिरफ्तार व्यक्ति का चिकित्सा जांच करवाया जाएगा तथा उन्हें एक प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा, जिसमें उसके शरीर पर किसी चोट के विद्यमान होने या न होने का उल्लेख होगा।
- व्यक्ति की गरिमा को सम्मान देते हुए जोर-जबरदस्ती तथा अक्रामकता के बिना व्यक्ति की गोपनीयता के अधिकार की रक्षा करते हुए, तलाशी ली जाएगी। महिलाओं की तलाशी केवल महिलाओं द्वारा ही शालीनता के साथ की जाएगी।
- जहां तक व्यावहारिक हो सके महिला पुलिस अधिकारी को सम्बद्ध किया जाएगा, जहां पर गिरफ्तार किए जाने वाला व्यक्ति महिला है। सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले महिलाओं की गिरफ्तारी नहीं की जाएगी।
- जहां पर बच्चों या किशोर की गिरफ्तारी की जानी है, किसी भी परिस्थिति में बल प्रयोग या पिटाई नहीं की जाएगी। इस उद्देश्य के लिए पुलिस अधिकारी सम्मानित नागरिकों को सम्मिलित करेंगे, ताकि बच्चे या किशोर आर्तकित न हों और कम से कम बलप्रयोग किया जाए।

## लोक सभा : अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष

संसद के निचले सदन लोक सभा के कार्य संचालन के लिए अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 93 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों के चुनाव का प्रावधान करता है।

## लोकसभा अध्यक्ष

भारतीय संसद के निचले सदन को लोक सभा के रूप में जाना जाता है। लोक सभा में सर्वोच्च शक्ति लोक सभा अध्यक्ष (स्पीकर) के पास होती है।

- भारतीय संविधान में लोकसभा अध्यक्ष को संसद के निचले सदन का पीठासीन अधिकारी कहा गया है।
- लोकसभा के स्पीकर को अन्य सभी सदस्यों द्वारा साधारण बहुमत से चुना जाता है। ओम बिड़ला लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष हैं।

## कार्यकाल एवं योग्यताएं

- संविधान के अनुच्छेद 93 एवं 94 के अनुसार लोक सभा अध्यक्ष को सदन के सदस्यों में से चुना जाएगा और जब वह सदन का सदस्य नहीं रहेगा तो अपना पद खाली कर देगा।
- संविधान के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष को सदन के समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकता है [अनुच्छेद 94]।
- अध्यक्ष के चुनाव की तिथि राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती है।
- लोक सभा का अध्यक्ष निर्वाचित होने के लिए कोई औपचारिक योग्यता निर्धारित नहीं है। संविधान के तहत एकमात्र आवश्यकता यह है कि अध्यक्ष सदन का सदस्य हो।

## लोकसभा के अध्यक्षों का पैनल

- + लोकसभा नियमों के अनुसार, अध्यक्ष सदस्यों में से 10 से अधिक अध्यक्षों का एक पैनल नियुक्त करता है।
- + अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में उनमें से कोई भी सदन की अध्यक्षता कर सकता है।
- + अध्यक्षता करते समय उसके पास अध्यक्ष के समान ही शक्तियां होती हैं।
- + जब अध्यक्षों के पैनल का कोई सदस्य भी अनुपस्थित होता है, तो सदन द्वारा नामित कोई अन्य व्यक्ति अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है।

## स्पीकर की अयोग्यता की शर्तें

- लोकसभा स्पीकर स्वतः अपने पद के लिए अयोग्य हो जाता है, यदि-
  - ✧ वह अब संसद सदस्य नहीं हैं।
  - ✧ यदि वह डिप्टी स्पीकर को अपना इस्तीफा सौंपता है।
  - ✧ यदि वह केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन लाभ का पद धारण करता है।
  - ✧ यदि वह मानसिक रूप से विकृत है और सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया गया है।
  - ✧ यदि वह दिवालिया घोषित किया जाता है।
  - ✧ यदि वह अब भारत का नागरिक नहीं है या स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता स्वीकार करता है।

## लोक सभा स्पीकर के कार्य व शक्तियां

- लोकसभा का अध्यक्ष संसद की बैठक की अध्यक्षता करता है और इसके कामकाज को नियंत्रित करता है।
- संविधान में अध्यक्ष का वेतन भारत के संचित निधि पर भारत है, जिससे उनकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने की कोशिश की गयी है।

- किसी विधेयक पर बहस या सामान्य चर्चा के दौरान, संसद के सदस्यों को केवल अध्यक्ष को संबोधित करना होता है।
- जब भी संसद के दोनों सदनों (लोकसभा और राज्य सभा) की संयुक्त बैठक होती है, तो लोक सभा का अध्यक्ष इस बैठक की अध्यक्षता करता है।
- लोक सभा के अध्यक्ष के पास कोरम पूरा नहीं होने की स्थिति में सदन को स्थगित करने की शक्ति है।
- सदन में अनुशासन और शिष्टाचार को बनाए रखने की जिम्मेदारी अध्यक्ष के पास है।
- सदन में लाया गया विधेयक धन विधेयक है या नहीं यह अध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जाता है।
- स्पीकर विभिन्न प्रकार की प्रस्तावों और संकल्पों जैसे- अविश्वास प्रस्ताव, स्थगन-प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव आदि की अनुमति देने के लिए अंतिम और एकमात्र प्राधिकरण है।
- 10वीं अनुसूची में दलबदल के आधार पर सदस्यों की अयोग्यता का निर्णय अध्यक्ष द्वारा लिया जाता है।

### प्रोटेम स्पीकर

- + प्रोटेम शब्द लैटिन भाषा के शब्द 'प्रो टैम्पोर' का संक्षिप्त रूप है। इसका अर्थ होता है- 'कुछ समय के लिए'। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और इसकी नियुक्ति आमतौर पर तब तक के लिए होती है, जब तक लोक सभा या विधानसभा अपना स्थायी विधानसभा अध्यक्ष (स्पीकर) नहीं चुन लेती।
- + उल्लेखनीय है कि जब भी कोई नई लोकसभा गठित होती है तो लोक सभा में सबसे अधिक समय गुजारने वाले सदस्य या निर्वाचित सबसे वरिष्ठ सदस्य को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है।
- + संसदीय मामलों के मंत्रालय के माध्यम से सत्तारूढ़ पार्टी या गठबंधन प्रोटेम स्पीकर का नाम राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। इसके बाद राष्ट्रपति प्रोटेम स्पीकर को नियुक्त करते हैं, जो नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाता है।

### लोकसभा उपाध्यक्ष

अनुच्छेद 93 के अनुसार लोक सभा अपने सदस्यों में से एक सदस्य को उपाध्यक्ष (डिप्टी स्पीकर) के रूप में चयन करेगी।

#### ✓ उपाध्यक्ष का चुनाव

- उपाध्यक्ष का चुनाव लोकसभा द्वारा अपने सदस्यों में से ही किया जाता है।
- स्पीकर के चुनाव के बाद उपाध्यक्ष का भी चुनाव होता है।
- लोकसभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियमों के अनुसार, "उपसभापति का चुनाव उस तारीख को होगा, जो अध्यक्ष तय कर सकता है।"
- परंपरा के अनुसार भारत में उपाध्यक्ष पद विपक्षी दल का सदस्य होता है।

#### ✓ पदावधि और निष्कासन

- अध्यक्ष की ही तरह, उपाध्यक्ष भी सदन के जीवनपर्यंत अपना पद धारण करता है। परंतु वह निम्नलिखित तीन स्थितियों द्वारा अपना पद छोड़ सकता है:

- ✧ उसके सदन के सदस्य न रहने पर;
- ✧ अध्यक्ष को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित त्याग-पत्र द्वारा;
- ✧ लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा उसे अपने पद से हटाए जाने पर ऐसा संकल्प तब तक प्रस्तावित नहीं किया जाएगा, जब तक कि उस संकल्प को प्रस्तावित करने के आशय की कम-से-कम 14 दिन पूर्व सूचना न दी गई हो।

### उपाध्यक्ष की शक्तियां एवं कार्य

- अध्यक्ष का पद रिक्त होने पर उपाध्यक्ष, उनके कार्यों को करता है।
- सदन की बैठक में अध्यक्ष की अनुपस्थिति की दशा में उपाध्यक्ष, अध्यक्ष के तौर पर काम करता है। दोनों ही स्थितियों में वह अध्यक्ष की शक्ति का निर्वहन करता है।
- संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष पीठासीन होता है।
- उपाध्यक्ष, अध्यक्ष के अधीनस्थ नहीं होता है। वह प्रत्यक्ष रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होता है।
- उपाध्यक्ष के पास एक विशेषाधिकार होता है। उसे जब कभी भी किसी संसदीय समिति का सदस्य बनाया जाता है तो वह स्वाभाविक रूप से उसका सभापति बन जाता है।
- यदि वह सदन की अध्यक्षता करता है, तब पहली बार में मतदान नहीं कर सकता है।
- उपाध्यक्ष को एक विशेषाधिकार प्राप्त है अर्थात् जब भी उसे किसी संसदीय समिति का सदस्य नियुक्त किया जाता है, तब वह स्वतः ही उस समिति का अध्यक्ष बन जाता है।

| लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से सम्बंधित मुख्य संवैधानिक प्रावधान |  |
|--|--|
| अनुच्छेद 93  | ➤ अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों के चुनाव का प्रावधान करता है।   |
| अनुच्छेद 94  | ➤ अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पदों को खाली करने, त्यागपत्र देने और हटाने से संबंधित है।  |
| अनुच्छेद 95  | ➤ उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति को अध्यक्ष के कार्यालय के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की शक्ति का प्रावधान प्रदान करता है। |
| अनुच्छेद 96  | ➤ अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को तब अध्यक्षता नहीं करनी चाहिए, जब उन्हें पद से हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो।  |
| अनुच्छेद 97  | ➤ अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते से संबंधित है।   |


### भारत में न्यायिक समीक्षा

न्यायिक समीक्षा एक अदालती कार्यवाही है, जिसमें न्यायालय किसी प्राधिकारी के निर्णय या कार्रवाई की वैधता की जांच करता है। भारत में इस प्रणाली को 'कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया' के सिद्धांत द्वारा निर्देशित किया गया है। न्यायिक समीक्षा की शक्ति महत्वपूर्ण रूप से भारत के उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय में निहित है।



## प्रारंभिक परीक्षा

- न्यायिक समीक्षा विधायी अधिनियमों तथा कार्यपालिका के आदेशों की संवैधानिकता की जांच करने हेतु न्यायपालिका की शक्ति है। इसके तहत कार्यपालिका और विधायी कार्य न्यायपालिका द्वारा समीक्षा के अधीन होते हैं।



## ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

- न्यायिक समीक्षा के सिद्धांत का उद्भव एवं विकास अमेरिकी उच्चतम न्यायालय में हुआ था। मुख्य न्यायाधीश मार्शल ने 1803 में मार्बरी बनाम मैडिसन के महत्वपूर्ण मामले में इसका प्रस्ताव रखा।
- न्यायालय की किसी भी विधायी कानून या राष्ट्रपति के आदेश को गैरकानूनी घोषित करने की क्षमता, जिसे वह देश के मूल कानून, यानी संविधान के साथ असंगत मानता है, को संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यायिक समीक्षा के रूप में जाना जाता है।
- भारत में 1975 के इंदिरा गांधी बनाम राज नारायण मामले में न्यायिक समीक्षा को संविधान की मूलभूत विशेषता माना गया था।
- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार, 'कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया' की धारणा भारत में न्यायिक समीक्षा की नींव के रूप में कार्य करती है।
- किसी भी कानून को अमान्य घोषित करने के लिये न्यायालयों को सशक्त बनाने संबंधी संविधान में कोई भी प्रत्यक्ष अथवा विशिष्ट प्रावधान नहीं है। फिर भी संविधान के कुछ ऐसे प्रावधान हैं, जो न्यायिक समीक्षा की प्रक्रिया का समर्थन करते हैं:

| अनुच्छेद       | प्रावधान  |
|----------------|---|
| अनुच्छेद 13    | यह अनुच्छेद घोषणा करता है कि जो कानून मौलिक अधिकारों के साथ विरोधाभासी हैं या उनका उल्लंघन करते हैं, वे अमान्य हैं।   |
| अनुच्छेद 32    | मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में जाने के अधिकार की गारंटी दी गई है और शीर्ष न्यायालय को निर्देश, आदेश या रिट जारी करने का अधिकार दिया गया है। |
| अनुच्छेद 131   | केंद्र-राज्य एवं अंतरराज्यीय मुद्दों में शीर्ष न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार को स्थापित करता है।  |
| अनुच्छेद 132   | संवैधानिक मामलों में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय प्राधिकरण की स्थापना करता है।  |
| अनुच्छेद 133   | सिविल मामलों में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय प्राधिकरण की स्थापना करता है।  |
| अनुच्छेद 134   | आपराधिक मामलों में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय प्राधिकरण की स्थापना करता है।  |
| अनुच्छेद 134-ए | उच्चतम न्यायालय में उच्च न्यायालय की अपील के लिए प्रमाण पत्र से संबंधित है।   |

|                     |  |
|---------------------|--|
| अनुच्छेद 135        | किसी भी पूर्व-संवैधानिक कानून के तहत संघीय अदालत के अधिकार क्षेत्र और शक्तियों को निष्पादित करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार देता है।   |
| अनुच्छेद 226        | उच्च न्यायालयों को न्यायिक समीक्षा करने और बुनियादी अधिकारों या अन्य लक्ष्यों को लागू करने के लिए निर्देश, आदेश या रिट जारी करने का अधिकार देता है।  |
| अनुच्छेद 227        | यह उच्च न्यायालयों को उनके संबंधित क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र (सैन्य अदालतों और न्यायाधिकरणों को छोड़कर) के भीतर सभी अदालतों की निगरानी करने की क्षमता प्रदान करता है।   |
| अनुच्छेद 245        | यह संसद और राज्य विधानसभाओं द्वारा स्थापित क्षेत्रीय सीमा को संबोधित करता है।  |
| अनुच्छेद 246        | यह उस विषय वस्तु पर चर्चा करता है, जिस पर संसद और राज्य विधानसभाएं कानून पारित कर सकती हैं (यानी, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची)।   |
| अनुच्छेद 251 और 254 | यह उन मामलों में केंद्रीय कानूनों की प्रधानता का अनुमान लगाता है, जब केंद्रीय और राज्य कानूनों में टकराव होता है। परिणामस्वरूप, केंद्रीय कानून को राज्य के कानून पर प्राथमिकता मिलेगी और राज्य कानून को अमान्य माना जाएगा। |
| अनुच्छेद 372        | पूर्व-संवैधानिक कानून को प्रभावी रूप से जारी रखने को संबोधित करता है।  |

## 9वीं अनुसूची क्या है?

संविधान की नौवीं अनुसूची ऐसे केंद्रीय और राज्य कानूनों की सूची है, जिन्हें अदालतों में चुनौती नहीं दी जा सकती। अर्थात् 9वीं अनुसूची में शामिल कानून न्यायिक समीक्षा से परे होते हैं।

- वर्तमान में इन अनुसूची में 284 ऐसे कानून शामिल हैं, जिन्हें न्यायिक समीक्षा से संरक्षण प्राप्त है।
- अनुसूची के तहत संरक्षित अधिकांश कानून कृषि/भूमि के मुद्दों से संबंधित हैं। वर्ष 1951 में प्रथम संविधान संशोधन के माध्यम से यह अनुसूची संविधान का हिस्सा बनी।
- संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल कानूनों को संविधान के ही अनुच्छेद 31ख (Article 31B) के तहत संरक्षण प्राप्त है।
- अनुच्छेद 31ख को भी 1951 के पहले संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में शामिल किया गया था।
- पहले संशोधन के द्वारा 9वीं अनुसूची में 13 कानूनों को जोड़ा गया। इसके बाद 1955, 1964, 1971, 1974, 1975, 1976, 1984, 1990, 1994 और 1999 में संशोधन किये गए।
- क्या 9वीं अनुसूची के कानून न्यायिक जांच से पूरी तरह से मुक्त हैं?
- नौवीं अनुसूची किसी कानून को न्यायिक समीक्षा से 'सुरक्षित आश्रय' प्रदान करती है, परन्तु यह संरक्षण निरपेक्ष नहीं है।
  - 2007 के आईआर कोएल्हो बनाम तमिलनाडु राज्य (I R Coelho vs State of Tamil Nadu) वाद में, सुप्रीम कोर्ट ने फेसला सुनाया था कि नौवीं अनुसूची के तहत रखे गए कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बाहर नहीं माना जा सकता।

- न्यायालय का कहना था कि न्यायिक समीक्षा संविधान की मूलभूत विशेषता है और इसे नवीं अनुसूची में शामिल किसी कानून के लिए वापस नहीं लिया जा सकता।
- न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार 24 अप्रैल, 1973 के बाद नवीं अनुसूची में रखे गए कानूनों को चुनौती दी जा सकती है, अगर उनसे अनुच्छेद 14, 15, 19 और 21 के अंतर्गत प्रदत्त मौलिक अधिकारों अथवा 'संविधान की मूलभूत विशेषता' का हनन होता है।
- अदालत ने स्पष्ट किया कि नौवीं अनुसूची में शामिल किये जाने के कारण, कानून 'संविधान की मूल संरचना' के परीक्षण से नहीं बच सकते, क्योंकि 1973 के केशवानंद भारती मामले में शीर्ष अदालत ने संविधान की मूल संरचना को कानूनों की संवैधानिक वैधता की जांच के लिए अंतिम परीक्षण के रूप में स्वीकार किया था।
- वर्तमान समय में किसी विधायी अधिनियमन अथवा कार्यपालकीय आदेश की संवैधानिक वैधता को सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में निम्नलिखित तीन आधारों पर चुनौती दी जा सकती है:
  - ✦ यह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है,
  - ✦ यह उस प्राधिकारी की सक्षमता से बाहर का है, जिसने इसे बनाया है; यह संवैधानिक प्रावधानों के प्रतिकूल है।

### न्यायिक सक्रियता

- + न्यायिक सक्रियता की अवधारणा का उद्भव और विकास संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ।
- + भारत में, न्यायिक सक्रियता का सिद्धांत 1970 के दशक के मध्य में आया था। न्यायमूर्ति वी.आर. कृष्णा अय्यर, न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती, न्यायमूर्ति ओ. चिन्नप्पा रेड्डी और न्यायमूर्ति डी.ए. देसाई ने भारत में न्यायिक सक्रियता की नींव रखी थी।
- + न्यायिक सक्रियता नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा और समाज में न्याय को बढ़ावा देने में न्यायपालिका द्वारा निभाई गई सक्रिय भूमिका को दर्शाती है।
- + इसका उद्देश्य सरकार के अन्य दो अंगों (विधायिका और कार्यपालिका) को अपने संवैधानिक कर्तव्यों के निर्वहन हेतु बाध्य करने से है।

## अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्र :

### मानदंड एवं प्रशासन

- भारतीय संविधान के भाग 10 में अनुच्छेद 244 (1) से 244 (क) के अंतर्गत अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित प्रावधान शामिल हैं। भारत की संविधान सभा द्वारा सितंबर 1949 में पांचवीं और छठी अनुसूचियों पर विचार किया गया और उन्हें अनुमोदित किया गया।
- अनुसूचित क्षेत्र उन क्षेत्रों को संदर्भित करते हैं, जिन्हें भारतीय संविधान द्वारा वहां रहने वाले स्वदेशी समुदायों को विशेष सुरक्षा और लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से 'अनुसूचित' के रूप में पहचाना गया है।
  - ये क्षेत्र आमतौर पर देश के सुदूर, आर्थिक रूप से वंचित क्षेत्रों में स्थित हैं और यहां अनुसूचित जनजातियों (ST) की एक महत्वपूर्ण आबादी का निवास है।

### अनुसूचित क्षेत्र

संविधान की पांचवीं अनुसूची चार राज्यों असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को छोड़कर किसी भी राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है।

- राज्य के राज्यपाल के परामर्श से राष्ट्रपति किसी अनुसूचित क्षेत्र की सीमा में परिवर्तन, वृद्धि तथा कटौती कर सकता है।
- अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन में केंद्र और राज्य दोनों की अपनी भूमिका होती है। जबकि राज्य के राज्यपाल को ऐसे क्षेत्र के प्रबंधन पर राष्ट्रपति को वार्षिक रिपोर्ट देनी होती है, केंद्र ऐसे क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में राज्य को निर्देश देता है।
- राज्यपाल को विवेकाधिकार प्राप्त है कि वह यह निर्धारित करे कि कोई केंद्रीय या राज्य कानून अनुसूचित क्षेत्रों वाले राज्य पर लागू होता है या नहीं।
- भारत के राष्ट्रपति की सहमति से, राज्यपाल अनुसूचित क्षेत्रों वाले राज्य से संबंधित किसी भी नियम को निरस्त या संशोधित भी कर सकते हैं।
- अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और कल्याण पर रिपोर्ट करने वाला पहला आयोग 1960 में स्थापित किया गया था और इसकी अध्यक्षता यूएन टेबर ने की थी।
- भारतीय संविधान की पांचवीं अनुसूची में वर्णित 10 राज्य ऐसे हैं, जहां अनुसूचित क्षेत्र हैं:

1. आंध्र प्रदेश,
2. छत्तीसगढ़,
3. गुजरात,
4. हिमाचल प्रदेश,
5. झारखंड,
6. मध्य प्रदेश,
7. महाराष्ट्र,
8. ओडिशा,
9. राजस्थान और
10. तेलंगाना।

- अनुसूचित क्षेत्रों के सम्बन्ध में राष्ट्रपति किसी भी समय निम्नलिखित आदेश दे सकते हैं:

- अनुसूचित क्षेत्र का सम्पूर्ण या कोई निर्दिष्ट भाग अनुसूचित क्षेत्र या ऐसे क्षेत्र का एक हिस्सा नहीं रहेगा;
- किसी राज्य में किसी अनुसूचित क्षेत्र का क्षेत्रफल उस राज्य के राज्यपाल से परामर्श के बाद बढ़ाना;
- किसी भी अनुसूचित क्षेत्र में परिवर्तन, लेकिन केवल सीमाओं के सुधार के माध्यम से;
- किसी राज्य की सीमाओं में किसी भी परिवर्तन पर या संघ में प्रवेश पर या किसी नए राज्य की स्थापना पर, किसी ऐसे क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करना, जो पहले किसी राज्य में शामिल नहीं था या उसका हिस्सा नहीं था;
- किसी भी राज्य के संबंध में, इन प्रावधानों के तहत किए गए किसी भी आदेश या आदेशों को रद्द करें और संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श से, उन क्षेत्रों को फिर से परिभाषित करने के लिए नए आदेश बनाएं, जो अनुसूचित क्षेत्र हैं।

## प्रारंभिक परीक्षा

### अनुसूचित क्षेत्र की घोषणा के लिए मानदंड

डेबर आयोग (1960-61) ने पांचवीं अनुसूची के तहत किसी भी क्षेत्र को 'अनुसूचित क्षेत्र' घोषित करने के लिए निम्नलिखित मानदंड निर्धारित किए :

- जनजातीय आबादी की प्रमुख संख्या, यानी जब किसी क्षेत्र में जनजातीय लोग बहुसंख्यक हों,
- क्षेत्र की सघनता और उचित आकार,
- एक व्यवहार्य प्रशासनिक इकाई जैसे कि जिला, ब्लॉक या तालुक,
- पड़ोसी क्षेत्रों की तुलना में क्षेत्र का आर्थिक पिछड़ापन।

### पांचवीं अनुसूची से सम्बंधित संवैधानिक प्रावधान

अनुच्छेद 244(1) में प्रावधान है कि पांचवीं अनुसूची के प्रावधान असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के अलावा किसी भी राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण पर लागू होंगे।

- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 339 के अनुसार, केंद्र सरकार के पास अनुसूचित क्षेत्रों के प्रबंधन और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण का अधिकार क्षेत्र है।
- संविधान (संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त अधिकार।
- किसी राज्य में किसी अनुसूचित क्षेत्र का क्षेत्रफल उस राज्य के राज्यपाल से परामर्श के बाद बढ़ाना।
- किसी भी राज्य में किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र नामित करने के लिए किए गए किसी भी आदेश को रद्द करना या संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श से, उस क्षेत्र को फिर से परिभाषित करने के लिए एक नया आदेश देना, जिसे अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया जाना है।

### जनजातीय सलाहकार परिषद

- ✦ जनजातीय सलाहकार परिषद संविधान की पांचवीं अनुसूची के प्रावधानों के तहत राज्यपाल द्वारा गठित एक वैधानिक निकाय है।
- ✦ राज्यों में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और उन्नति से निपटने के लिए अनुसूचित क्षेत्रों वाले प्रत्येक राज्य में एक जनजाति सलाहकार परिषद की स्थापना की जाती है। यदि राष्ट्रपति ऐसा निर्देश दें, तो ऐसे किसी राज्य में भी जहां अनुसूचित जनजातियां हैं, लेकिन अनुसूचित क्षेत्र नहीं हैं।
- ✦ जनजातीय सलाहकार परिषद में 20 से अधिक सदस्य नहीं होंगे, तीन-चौथाई राज्य की विधान सभा में अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधि होंगे।
- ✦ जनजातीय सलाहकार परिषद के संबंध में राज्यपाल निम्नलिखित नियम बना सकते हैं-
  - ◇ परिषद् के सदस्यों की संख्या के संबंध में।
  - ◇ परिषद के अध्यक्ष और उसके अधिकारियों और सेवकों की नियुक्ति के संबंध में।
  - ◇ इसकी बैठकों के संचालन और सामान्य तौर पर इसकी प्रक्रिया व अन्य सभी प्रासंगिक मामलों के संबंध में।

### पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996

पांचवीं अनुसूची क्षेत्रों को संविधान के भाग IX की पंचायत-संबंधी आवश्यकताओं से छूट दी गई है।

- पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996, कुछ संशोधनों के साथ भाग IX के प्रावधानों को पांचवीं अनुसूचित क्षेत्र तक विस्तारित करने के लिए संसद द्वारा पारित किया गया था।

### संविधान की छठी अनुसूची

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 (2) के तहत छठी अनुसूची पूर्वोत्तर राज्यों- असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा पर लागू होती है तथा अनुसूची में इन राज्यों के आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन के प्रावधान किये गए हैं।

- छठी अनुसूची उपर्युक्त 4 राज्यों में आदिवासियों के हितों की रक्षा हेतु कानून बनाने के लिए स्वायत्त जिला परिषदों (Autonomous District Councils-ADCs) के गठन का प्रावधान करती है।
- संविधान की छठी अनुसूची तथा बोर्डोलैंड समिति द्वारा अग्रेषित स्वायत्त परिषद की अवधारणा वर्ष 1949 में संविधान सभा में की गई चर्चा और बहस का परिणाम थी।
- छठी अनुसूची का उद्देश्य अविभाजित असम के पहाड़ी क्षेत्रों में आदिवासी समुदायों को स्वशासन प्रदान करना था।
- छठी अनुसूची उक्त 4 राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों को स्वायत्तता प्रदान करने तथा क्षेत्र में विकास के प्रयास शुरू करने के लिए लागू की गई थी।
- असम में बोर्डोलैंड प्रादेशिक परिषद (बीटीसी) के गठन के लिए वर्ष 2003 में छठी अनुसूची में संशोधन किया गया।

### स्वायत्त जिला परिषद क्या हैं?

स्वायत्त जिला परिषद, छठी अनुसूची में सम्मिलित राज्यों में स्थित जिलों का प्रतिनिधित्व करने वाले निकाय हैं, जिन्हें संविधान द्वारा राज्य विधायिका के अंतर्गत विशिष्ट स्वायत्तता प्रदान की गई है।

- छठी अनुसूची में शामिल राज्यों के राज्यपालों को इन स्वायत्त जिलों के क्षेत्रों को बढ़ाने या घटाने या नाम बदलने का अधिकार है।
- संसद या राज्य विधायिका के कानून स्वायत्त जिलों और स्वायत्त क्षेत्रों पर लागू नहीं होते या निर्दिष्ट संशोधनों और अपवादों के साथ लागू होते हैं।
- छठी अनुसूची के तहत स्वायत्त जिला परिषदों को राज्य के भीतर कुछ विधायी, न्यायिक और प्रशासनिक स्वायत्तता प्राप्त हैं।
- स्वायत्त जिला परिषद में 30 सदस्य होते हैं, जिनकी पदावधि 5 वर्ष की होती है। हालांकि असम में 'बोर्डोलैंड प्रादेशिक परिषद' इसका अपवाद है, जिसमें 40 से अधिक सदस्य हैं।
- इन परिषदों के पास भूमि, जंगल, जल, कृषि, ग्राम परिषद, स्वास्थ्य, स्वच्छता, गांव एवं शहर स्तरीय पुलिसिंग, विरासत, विवाह और तलाक आदि के संबंध में कानून, नियम और विनियम बनाने की शक्ति होती है।
- राज्यपाल स्वायत्त क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित किसी भी मामले की जांच और रिपोर्ट करने के लिए एक आयोग नियुक्त कर सकते हैं और ऐसे आयोग की सिफारिश पर जिला और क्षेत्रीय परिषद को भंग भी कर सकते हैं। ■■

## अर्थव्यवस्था

### न्यूनतम समर्थन मूल्य : कवरेज एवं तंत्र

कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (CACP) की सिफारिशों के आधार पर कुछ फसलों के लिए बुवाई के मौसम की शुरुआत में भारत सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्यों (MSP) की घोषणा की जाती है।

- एमएसपी भारत सरकार द्वारा अधिशेष उत्पादन की स्थिति में कीमतों में अत्यधिक गिरावट के विरुद्ध उत्पादक किसानों की रक्षा के लिए तय की गई कीमत है।
- न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार की ओर से उनकी उपज के लिए गारंटी मूल्य है। इसका प्रमुख उद्देश्य किसानों को संकटपूर्ण स्थिति में सहायता करना तथा सार्वजनिक वितरण के लिए खाद्यान्न की खरीद करना है।

### एमएसपी का निर्धारण

न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार द्वारा फसलों के लिए घोषित वह मूल्य होता है, जिस पर सरकारें कीमतों में गिरावट आने पर फसलों की खरीद को सुनिश्चित करने का वचन देती हैं।

- फसल बुवाई के समय कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (CACP) की सिफारिश तथा आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति द्वारा अनुमोदन के आधार पर सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है।
- यह सरकार द्वारा किसानों की फसलों के मूल्य में गिरावट की दशा में प्रदान किया जाने वाला एक प्रकार का बीमा है, जिसका उद्देश्य संकट के समय में किसानों को उनकी फसलों के लिए उचित कीमत प्रदान करना है।
- कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा प्रतिवर्ष मूल्य नीति के रूप में सरकार को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की जाती हैं। राज्य सरकारों के सुझावों पर विचार करने के बाद देश की समग्र मांग एवं आपूर्ति का आकलन करते हुए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अंतिम निर्णय केंद्र सरकार द्वारा लिया जाता है।
- भारतीय खाद्य निगम (FCI) फसलों की खरीद के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है। प्रतिवर्ष लगभग 23 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया जाता है। इनमें शामिल हैं:
  - 7 अनाज फसलें (धान, गेहूं, मक्का, बाजरा, ज्वार, रागी और जौ);
  - 5 दालें (चना, अरहर, मूंग, उड़द और मसूर);
  - 7 तिलहन (रेपसीड-सरसों, मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी, तिल, कुसुम और नाइजरसीड) तथा
  - 4 व्यावसायिक फसलें (गन्ना, कपास, खोपरा और कच्चा जूट)।
- गन्ना एकमात्र फसल है, जिसके न्यूनतम समर्थन मूल्य के भुगतान को वैधानिक स्थिति प्राप्त है।
- गन्ने के संदर्भ में न्यूनतम समर्थन मूल्य को वैधानिक, उचित और लाभकारी मूल्य (FRP) के रूप में जाना जाता है।

- गन्ना के मूल्य का निर्धारण आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत जारी गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 द्वारा किया जाता है।

### गन्ने के लिए मूल्य निर्धारण नीति

गन्ने का मूल्य निर्धारण आवश्यक वस्तु अधिनियम (ईसीए), 1955 के तहत जारी गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 के वैधानिक प्रावधानों द्वारा नियंत्रित होता है।

- 2009-10 के गन्ना सीजन से पहले, केंद्र सरकार गन्ने का वैधानिक न्यूनतम मूल्य (SMP) तय कर रही थी तथा किसान 50:50 के आधार पर चीनी मिल के मुनाफे को साझा करने के हकदार थे।
- चूँकि मुनाफे का यह बंटवारा वस्तुतः लागू नहीं हुआ, इसलिए गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 को अक्टूबर, 2009 में संशोधित किया गया तथा एसएमपी की अवधारणा को गन्ने के उचित एवं लाभकारी मूल्य (FRP) से बदल दिया गया।
- एफआरपी की गणना के लिए एक अतिरिक्त कारक के रूप में एक नया खंड 'जोखिम एवं मुनाफे के आधार पर गन्ना उत्पादकों के लिए उचित मार्जिन' जोड़ा गया था तथा इसे 2009-10 के चीनी मौसम (Sugar Season) से प्रभावी बनाया गया था।
- तदनुसार, सीएसीपी को नियंत्रण आदेश में सूचीबद्ध वैधानिक कारकों पर उचित ध्यान देना आवश्यक है, जो हैं:
  - गन्ने के उत्पादन की लागत;
  - वैकल्पिक फसलों से उत्पादक को लाभ और कृषि वस्तुओं की कीमतों की सामान्य प्रवृत्ति;
  - उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर चीनी की उपलब्धता;
  - चीनी की कीमत;
  - गन्ने से चीनी की पुनर्प्राप्ति दर;
  - उप-उत्पादों की बिक्री से प्राप्त आय;
  - जोखिम और मुनाफे के आधार पर गन्ना उत्पादकों के लिए उचित मार्जिन।
  - राज्य, राज्य सलाहकार मूल्य (State Advisory Price) नामक एक मूल्य की भी घोषणा करते हैं, जो आमतौर पर एसएमपी से अधिक होता है।

### स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें

- **एमएसपी की गणना:** स्वामीनाथन आयोग ने सिफारिश की कि फसलों के लिए सी2 लागत (पारिवारिक श्रम के अनुमानित मूल्य सहित व्यापक लागत) में 50 प्रतिशत लाभ जोड़कर एमएसपी की गणना की जाए। यह विधि किसानों द्वारा श्रम, बीज, उर्वरक एवं अन्य खर्चों सहित विभिन्न इनपुट लागतों को ध्यान में रखती है।
- **विस्तारित कवरेज:** आयोग ने कृषि उपज की एक विस्तृत श्रृंखला को कवर करने के लिए एमएसपी के दायरे का विस्तार करने का सुझाव दिया, जिसमें अदरक, लहसुन, हल्दी, मिर्च जैसी फसलें तथा सभी कृषि उपज एवं बागवानी शामिल हैं।

### कृषि में उत्पादन लागत की गणना के लिए प्रयोग की जाने वाली विभिन्न विधियां

- + कृषि में उत्पादन लागत की गणना के लिए वर्तमान समय में 6 विधियां प्रयोग की जाती हैं, जिनमें A1, A2, B1, B2, C1 और C2 शामिल हैं।
- + **A1 विधि:** इसमें नगद में किए जाने वाले सभी वास्तविक खर्च, श्रमिकों को प्रदान की जाने वाली मजदूरी का मूल्य, स्वामित्व वाली मशीन के श्रम का मूल्य, किराए की मशीनरी का शुल्क, उत्पादित और खरीदे गए बीजों का मूल्य तथा कीटनाशकों के मूल्य आदि को शामिल किया जाता है।
- + **A2 विधि:** इसमें A1 विधि के अंतर्गत आने वाली लागतों के साथ किराए पर ली जाने वाली भूमि के किराए के भुगतान को भी शामिल किया जाता है।
- + **B1 विधि:** इस विधि के अंतर्गत A1 विधि के साथ स्वामित्व वाली पूंजीगत संपत्ति के मूल्य पर भुगतान किया गया व्याज शामिल रहता है।
- + **B2 विधि:** इसके अंतर्गत B1 विधि की लागतों के साथ स्वामित्व वाली भूमि का किराया मूल्य एवं पट्टे पर ली गई भूमि के लिए भुगतान किए जाने वाले किराए को शामिल किया जाता है।
- + **C1 विधि:** इसमें B1 विधि के अंतर्गत आने वाली लागतें तथा पारिवारिक श्रम का मूल्य शामिल रहता है।
- + **C2 विधि:** इसमें B2 विधि के अंतर्गत आने वाली लागतें तथा पारिवारिक श्रम के मूल्य को शामिल किया जाता है।

#### भारत में एमएसपी की गणना के लिए किस फार्मूले का उपयोग किया जाता है?

- + देश में एमएसपी की गणना के लिए गठित विभिन्न समितियों द्वारा अलग-अलग फार्मूले की सिफारिश की गई है। उदाहरण के लिए, डॉ. एम. एस. स्वामीनाथन समिति ने C2+50% की, जबकि रमेश चंद समिति ने C2+10% फार्मूले की सिफारिश की है।
- + सर्वप्रथम, सरकार द्वारा उत्पादन लागत के रूप में अपनी स्वयं की विधि (A2 + पारिवारिक श्रम की लागत) का उपयोग किया गया। इस आधार पर सरकार किसानों को A2 + पारिवारिक श्रम की लागत (FL) की राशि का 1.5 गुना भुगतान करती है। किंतु इससे किसानों की आय वृद्धि में कोई वास्तविक प्रभाव नहीं पड़ा।
- + सरकारी पद्धति की स्वामीनाथन रिपोर्ट के साथ तुलना करने पर पता चलता है कि मुख्य फसलों के लिए A2 + FL (सरकारी विधि) और C2 विधि (स्वामीनाथन समिति) के मध्य व्यापक अंतर व्याप्त है। A2 + FL का मान C2 से काफी कम है।
- + कृषि वैज्ञानिक यह भी सुझाव देते हैं कि यदि उपर्युक्त गणना में रमेश चंद समिति द्वारा सुझाई गई लागतों को भी ध्यान में रखा जाए तो किसानों के कल्याण में वृद्धि की जा सकती है। किंतु वर्तमान समय तक सरकार द्वारा स्वयं के ही फार्मूले के आधार पर एमएसपी की गणना की जा रही है।

### भारत की कनेक्टिविटी परियोजनाएं: घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय

आपूर्ति शृंखला एवं कनेक्टिविटी 21वीं सदी में मानवता के संगठनात्मक सिद्धांतों के रूप में संप्रभुता एवं सीमाओं पर विश्वसनीयता प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण बन गई है। कनेक्टिविटी आधुनिक वैश्विक समाज की नींव है।

- भारत ने अपने पड़ोसियों के साथ कई संपर्क परियोजनाओं को स्थापित किया है, जो भारत की विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
- कनेक्टिविटी दो व्यापक श्रेणियों की हो सकती है— सॉफ्ट क्रॉस-बॉर्डर बुनियादी ढांचा एवं हार्ड क्रॉस-बॉर्डर बुनियादी ढांचा।
- **सॉफ्ट क्रॉस-बॉर्डर बुनियादी ढांचा-** इसके अंतर्गत सीमा शुल्क के मध्य बेहतर समन्वय तथा सीमा प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना शामिल है।
- **हार्ड क्रॉस-बॉर्डर बुनियादी ढांचा-** इसके अंतर्गत परिवहन लिंक की भौतिक कनेक्टिविटी (सीमा पार सड़कें, रेलवे आदि) में सुधार, आईटी कनेक्टिविटी को बढ़ावा तथा ऊर्जा संचरण के लिए कनेक्टिविटी में सुधार शामिल है।

#### भारत की अंतरराष्ट्रीय कनेक्टिविटी परियोजनाएं

- ✓ **म्यांमार-भारत की कनेक्टिविटी परियोजनाएं**
- भारत की 'एक्ट ईस्ट' रणनीति अपने निकट पड़ोसियों के साथ संबंधों को मजबूत करने के प्रयासों पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित करता है।
  - कनेक्टिविटी को प्राथमिकता दी गई है, क्योंकि इससे दक्षिण एशिया को अधिक शक्तिशाली उप-क्षेत्रीय शक्ति बनने में मदद मिलेगी।
  - आर्थिक सहयोग, सांस्कृतिक संबंध तथा रणनीतिक गठबंधन को बढ़ावा देना कनेक्टिविटी पर निर्भर करता है।
- **कलादान मल्टीमॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट:** यह परियोजना, कोलकाता बंदरगाह को म्यांमार के रखाइन प्रांत में स्थित सितवे बंदरगाह से जोड़ेगा। सितवे बंदरगाह को कलादान नदी के माध्यम से पलेतवा (म्यांमार) से जोड़ा जायेगा, तत्पश्चात सड़क मार्ग द्वारा पलेतवा को भारत-म्यांमार सीमा पर स्थित जोरिनपुई (मिजोरम) से जोड़ दिया जायेगा।
- **रखाइन प्रांत विकास कार्यक्रम (RSDP):** इसके अंतर्गत विस्थापित रोहिंग्याओं के लिए आवास, स्कूल, कौशल प्रशिक्षण केंद्र तथा सड़कों के विकास कार्यक्रम हेतु संयुक्त प्रयास किए जा रहे हैं।
- **भारत-म्यांमार सीमा क्षेत्र विकास:** भारत, म्यांमार के साथ 1,643 किमी लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है। भारतीय उत्तर-पूर्वी राज्यों अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम के साथ म्यांमार की सीमा लगती है।
  - भारत म्यांमार में सड़क के दो खंडों का निर्माण कर रहा है। कलेवा (Kalewa) से यज्ञी (Yagyi) तक की लंबाई, 120.74 किलोमीटर है।

### घरेलू कनेक्टिविटी परियोजनाएं

- तामू (भारत-म्यांमार सीमा पर) से क्यिगोन (Kyigone) के माध्यम से कलेवा तक पहुंचने वाली सड़क की लंबाई 149.70 किलोमीटर है, जिसमें 69 पुल शामिल हैं।
- चिन प्रांत एवं नागा स्व-प्रशासित क्षेत्र में सड़कों, पुल और स्कूल का निर्माण हुआ है; जिससे चिन राज्य (म्यांमार) में 9 टाउनशिप एवं 82 गांव तथा नागा स्व-प्रशासित क्षेत्र में 3 टाउनशिप एवं 80 गांव लाभान्वित हुए हैं।
- इसके अंतर्गत 48 स्कूल, 41 सड़कें तथा पुल एवं 18 स्वास्थ्य केंद्रों के निर्माण का कार्य पूरा किया गया है।
- **बांग्लादेश-चीन-भारत-म्यांमार आर्थिक गलियारा (BCIM):** BCIM इकोनॉमिक कॉरिडोर भारत, बांग्लादेश, चीन एवं म्यांमार के बीच रेल एवं सड़क संपर्क परियोजना है, जिसके अंतर्गत भारत के कोलकाता, चीन के कुनमिंग, म्यांमार के मांडलेड तथा बांग्लादेश के ढाका एवं चटगांव बंदरगाह को आपस में जोड़ा जाएगा।
- ✓ **भारत-आसियान कनेक्टिविटी**
  - **मेकांग-भारत आर्थिक गलियारा (MIEC):** इसमें भारत के साथ चार मेकांग देशों - वियतनाम, म्यांमार, थाईलैंड और कंबोडिया के मध्य संपर्क शामिल है, जो हो ची मिन्ह सिटी, दावेई, बैंकॉक तथा नोम-पेन्ह को चेन्नई से जोड़ता है।
  - **भारत-म्यांमार-थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग परियोजना:** यह मोरेह (मणिपुर, भारत) को म्यांमार के माध्यम से माई सॉट (थाईलैंड) से जोड़ेगी।
- ✓ **भारत-मध्य पूर्व एवं मध्य एशिया**
  - मध्य एशिया के देशों की स्थलरुद्ध स्थिति तथा भारत के साथ स्थलीय संपर्क की कमी के कारण, भारत और मध्य एशियाई देशों के बीच व्यापार एवं वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय कनेक्टिविटी का विकास महत्वपूर्ण हो जाता है।
  - खाड़ी में चीन के प्रभाव का मुकाबला करने के लिए भारत मध्य-पूर्व के साथ गहरी कनेक्टिविटी की योजना बना रहा है।
  - एक नई महत्वाकांक्षी कनेक्टिविटी परियोजना का लक्ष्य मध्य-पूर्व को सड़कों, रेल तथा बंदरगाहों के माध्यम से भारत से जोड़ना है।
  - **चाबहार बंदरगाह:** ऊर्जा संपन्न ईरान के दक्षिणी तट पर सिस्तान-बलूचिस्तान प्रांत में स्थित, चाबहार बंदरगाह कनेक्टिविटी एवं व्यापार संबंधों को बढ़ावा देने के लिए भारत एवं ईरान द्वारा विकसित किया जा रहा है।
  - **अंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारा (INSTC):** यह भारत, ईरान, अफगानिस्तान, आर्मेनिया, अजरबैजान, रूस, मध्य एशिया एवं यूरोप के बीच व्यापार एवं वाणिज्य के लिए 7,200 किलोमीटर लंबी मल्टी-मॉडल परिवहन परियोजना है।
    - नई दिल्ली को मध्य पूर्व से जोड़ने के लिए एक महत्वाकांक्षी परियोजना का विचार I2U2 समूह की बैठकों के दौरान विकसित हुआ है।
    - प्रस्तावित पहल के माध्यम से भारत एवं संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत-प्रशांत क्षेत्र से परे मध्य-पूर्व में चीन का मुकाबला करने के लिए संयुक्त प्रयास करने की तैयारी कर रहे हैं।
- **स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना:** स्वर्णिम चतुर्भुज भारत के चार शीर्ष महानगरीय शहरों, अर्थात् दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ने वाले राजमार्गों का एक नेटवर्क है, जिससे एक चतुर्भुज बनता है। भारत में सबसे बड़ी राजमार्ग परियोजना, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना 2001 में राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना (NHDP) के हिस्से के रूप में शुरू की गई थी।
- **औद्योगिक एवं माल ढुलाई गलियारा परियोजना:** सरकार ने वित्त वर्ष 2019-25 के लिए राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (NIP) लॉन्च की, जिसके तहत सड़क नेटवर्क, आवास, शहरी विकास, रेलवे, पारंपरिक बिजली के निर्माण, नवीनीकरण, सुदृढीकरण तथा विस्तार के लिए परियोजनाओं की पहचान की गई है। यह कार्यक्रम प्रमुख रूप से नवीकरणीय ऊर्जा, राजमार्गों एवं रेलवे पर केंद्रित होंगे।
- **मुख्य परिवहन गलियारों के साथ विकास:** पूर्वी और पश्चिमी समर्पित माल गलियारा, एक्सप्रेसवे, राष्ट्रीय राजमार्गों, बंदरगाहों और हवाई अड्डों जैसे प्रमुख परिवहन गलियारों से कनेक्टिविटी के साथ ग्रीनफील्ड औद्योगिक शहरों की स्थापना करना, इसका मुख्य लक्ष्य है।
- **बंदरगाह विकास के लिए सागरमाला कार्यक्रम:** बंदरगाहों के बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिये वर्ष 2017 में भारत सरकार द्वारा सागरमाला परियोजना की शुरुआत की गई।
  - सागरमाला परियोजना केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ की गई योजना है, जो बंदरगाहों के आधुनिकीकरण से संबंधित है।
  - हालांकि इस परियोजना की परिकल्पना सर्वप्रथम तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा 15 अगस्त, 2003 को प्रस्तुत की गई थी।
  - इस योजना का उद्देश्य 7,500 किमी. लंबी समुद्री तट रेखा के आस-पास बंदरगाहों के इर्द-गिर्द प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विकास को बढ़ावा देना है।
  - इस योजना में 12 स्मार्ट शहर तथा विशेष आर्थिक जोन को शामिल किया गया है।
  - योजना के अंतर्गत आठ तटीय राज्यों को चिह्नित किया गया है, जिनमें गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल शामिल हैं।
  - केंद्रीय शिपिंग मंत्रालय को इस योजना की नोडल एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है।
- **राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन:** 31 दिसंबर, 2019 को 103 करोड़ रुपए की लागत वाली राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन शुरू की गई। इसमें विभिन्न क्षेत्रों के अंतर्गत 6,500 से अधिक परियोजनाएं शुरू की जाएंगी।
  - इसका उद्देश्य अवसंरचना सेवाओं के माध्यम से लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना तथा वैश्विक मानकों के अनुरूप 'जीवन सुगमता' (Ease of Living) को प्राप्त करना है।
  - प्रमुख क्षेत्रों में भारत की आधारभूत अवसंरचना के विकास की 5 वर्षीय योजना विकसित करना है।
  - वैश्विक मानकों के अनुसार सार्वजनिक अवसंरचना के डिजाइन, वितरण और रख-रखाव को सुगम बनाना है।

## प्रारंभिक परीक्षा

- 'राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन' में आवास, सुरक्षित पेयजल, स्वच्छ पेयजल, स्वच्छ और सस्ती ऊर्जा उपलब्धता तथा आधुनिक रेलवे स्टेशन जैसी परियोजनाएं शामिल हैं।
- **पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान:** इसका प्रमुख उद्देश्य जमीनी स्तर पर काम में तेजी लाने तथा लागत में कमी करने और रोजगार सृजन करने पर ध्यान देने के साथ-साथ आगामी चार वर्षों में बुनियादी अवसंरचना परियोजनाओं की एकीकृत योजना एवं कार्यान्वयन सुनिश्चित करना है।
- गति शक्ति योजना के अंतर्गत वर्ष 2019 में शुरू की गई 110 लाख करोड़ रुपए की 'राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन' को समाहित किया जाएगा।
- इसका लक्ष्य 11 **औद्योगिक गलियारे** और दो नए **रक्षा गलियारे** (एक तमिलनाडु में तथा दूसरा उत्तर प्रदेश में) बनाना है। इसके अंतर्गत सभी गांवों में 4G कनेक्टिविटी का विस्तार किया जाएगा। साथ ही गैस पाइपलाइन नेटवर्क में 17,000 किलोमीटर की क्षमता जोड़ने की योजना है।
- यह वर्ष 2024-25 के लिये सरकार द्वारा निर्धारित महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करेगा, जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क की लंबाई को 2 लाख किलोमीटर तक विस्तारित करना, 200 से अधिक नए हवाई अड्डों, हेलीपोर्ट और वाटर एयरोड्रोम का निर्माण करना शामिल है।
- **राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन:** राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन (NMP) चार वर्ष की अवधि (वित्त वर्ष 2022-25) में सड़कों, रेलवे, बिजली, तेल और गैस पाइपलाइन, दूरसंचार, नागरिक उड्डयन जैसे क्षेत्रों में केंद्र सरकार की मुख्य संपत्तियां विनिवेश कर 6 लाख करोड़ रुपए की कुल मुद्रीकरण क्षमता की परिकल्पना करता है।
- राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन, गैर-रणनीतिक अंडरपरफॉर्मिंग सरकारी स्वामित्व वाली संपत्तियों से निष्क्रिय पूंजी को निर्धारित करने की वकालत करता है।
- यह इस प्रकार प्राप्त धन को नई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में पुनर्निवेश करने तथा ग्रीनफील्ड बुनियादी ढांचे के निर्माण जैसी परिसंपत्तियों के संबर्द्धन की भी परिकल्पना करता है।

## भुगतान संतुलन

भुगतान संतुलन (Balance of Payment), एक वित्तीय वर्ष में एक देश के निवासियों के साथ दूसरे देश के निवासियों के बीच सभी आर्थिक लेनदेन का एक व्यवस्थित विवरण है। आर्थिक लेनदेन में किसी दिए गए वित्तीय वर्ष के दौरान किसी देश द्वारा की गई सभी विदेशी प्राप्तियां तथा भुगतान शामिल होते हैं।

- विवरण में सभी अंतरराष्ट्रीय लेनदेन, जिनमें व्यक्तिगत, कॉर्पोरेट और सरकारी लेनदेन शामिल होते हैं।
- एक आदर्श परिदृश्य में, सभी वित्त प्रवाह को भुगतान संतुलन में उचित रूप से सम्मिलित किया जाता है, तो राशि हमेशा शून्य होती है। इसका अर्थ है कि धन का प्रवाह और बहिर्प्रवाह संतुलित है।
- भुगतान संतुलन (BoP) अधिशेष इंगित करता है कि अंतरराष्ट्रीय लेनदेन के संबंध में किसी देश का धन सकारात्मक पक्ष पर है।
- बीओपी घाटा निर्दिष्ट करता है कि किसी देश का धन अंतरराष्ट्रीय लेनदेन में नकारात्मक पक्ष पर है।

- भुगतान संतुलन के दो घटक हैं-
  - चालू खाता (Current Account),
  - पूंजी खाता (Capital Account)।

### चालू खाता (Current Account)

चालू खाता, अल्पकालिक लेनदेन जैसे वस्तुओं, सेवाओं (अदृश्य) आदि में व्यापार से संबंधित है। यह देश की शुद्ध आय को दर्शाता है। इसके सामान्यतः 4 घटक हैं-

- वस्तु - वस्तु का व्यापार
- सेवाएं (अदृश्य) - सेवाओं में व्यापार, उदाहरण पर्यटन,
- आय - निवेश आय
- हस्तांतरण - दान, उपहार, अनुदान, प्रेषण।

**नोट:** अनुदान पूंजी खाते के घटक के रूप में प्रकट हो सकते हैं, लेकिन चालू खाते में शामिल होते हैं, क्योंकि वे एकतरफा होते हैं तथा कोई दायित्व का सृजन नहीं करते हैं।

### पूंजी खाता (Capital Account)

पूंजी खाता, पूंजी लेनदेन से संबंधित है; यानी वे लेनदेन जो संपत्ति या देनदारियां बनाते हैं। यह राष्ट्रीय संपत्तियों के स्वामित्व में शुद्ध परिवर्तन को दर्शाता है। इसके भी मोटे तौर पर 4 घटक हैं:

- प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI),
- विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (FPI),
- बाह्य उधार (External Borrowings), जैसे बाह्य वाणिज्यिक उधार (ECB),
- सेंट्रल बैंक में आरक्षित खाता (Reserve Account of the Central Bank)।

### चालू खाता घाटा (CAD)

चालू खाता देश में तथा बाहर वस्तुओं, सेवाओं और निवेश के प्रवाह को मापता है। यह किसी देश के विदेशी लेनदेन का प्रतिनिधित्व करता है तथा पूंजी खाते की तरह, देश के भुगतान संतुलन (BoP) का एक घटक है।

- चालू खाता घाटा व्यापार संतुलन से थोड़ा अलग है, जो केवल वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात एवं आयात पर आय और व्यय के अंतर को मापता है; जबकि चालू खाता विदेशों में कार्यशील घरेलू पूंजी से भुगतान को भी प्रभावित करता है।
- यदि आयातित वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य निर्यात किए गए मूल्य से अधिक हो तो चालू खाते में घाटा होता है।
- किसी देश का चालू खाता अन्य देशों के साथ देश के लेनदेन का रिकॉर्ड रखता है, जिसमें ब्याज और लाभांश सहित शुद्ध आय और विदेशी सहायता जैसे हस्तांतरण शामिल होते हैं। इसमें निम्नलिखित घटक शामिल हैं:

- वस्तु का व्यापार,
- सेवाएं तथा विदेशी निवेश पर शुद्ध आय और प्रेषण।
- इसे सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में मापा जाता है। CAD की गणना के लिए सूत्र हैं:
  - ✧ चालू खाता = व्यापार अंतर + शुद्ध चालू हस्तांतरण + विदेश में शुद्ध आय
  - ✧ व्यापार अंतर = निर्यात-आयात।

## भुगतान संतुलन घाटा या अधिशेष

आधिकारिक भंडार में कमी (वृद्धि) को समग्र भुगतान संतुलन घाटा (अधिशेष) कहा जाता है।

- भुगतान संतुलन घाटा या अधिशेष चालू और पूंजी खाते के शेष को जोड़ने के बाद प्राप्त किया जाता है।
- भुगतान संतुलन अधिशेष को आधिकारिक भंडार (आरक्षित उपयोग) के अतिरिक्त माना जाता है।

## भुगतान संतुलन : महत्व

यह सरकार को अपनी आवश्यकताओं के अनुसार रणनीति बनाने में सहायता करता है।

- अर्थव्यवस्था की स्थिति की पहचान करने में सरकार की सहायता करता है तथा इसी तरह वित्तीय दृष्टिकोण एवं मौद्रिक व्यवस्था की योजना बनाने में भी मदद करता है।
- यह वस्तुओं तथा आयात के लिए व्यय दरों का आकलन करने में सार्वजनिक प्राधिकरण की सहायता करता है।

## भुगतान संतुलन संकट

चालू खाते के घाटा वाले देश की अर्थव्यवस्था कठिनाई में पड़ सकती है। यदि घाटा बढ़ा हो और अर्थव्यवस्था विदेशी निवेश के पर्याप्त प्रवाह को आकर्षित करने में सक्षम नहीं हो, तो उस देश का मुद्रा भंडार घट जाएगा।

- एक समय ऐसा आ सकता है जब देश को अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसे संस्थानों से आपातकालीन उधार लेने की आवश्यकता हो सकती है।
- जिन देशों के चालू खातों में घाटा है, उन पर कर्ज बढ़ेगा या उनकी परिसंपत्तियों पर विदेशी स्वामित्व बढ़ेगा। बीओपी संकट को मुद्रा संकट के रूप में भी जाना जाता है।

## महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थान

अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थान सदस्यों के मध्य औपचारिक राजनीतिक समझौतों द्वारा गठित विधिक संस्थाएं हैं, जिन्हें अंतरराष्ट्रीय संधियों का दर्जा प्राप्त है। उनके अस्तित्व को उनके सदस्य देशों में कानून द्वारा मान्यता प्राप्त है। वे इसके सदस्य देशों के बीच गठबंधन के निर्माण के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। वे सदस्य देशों के लिए सहयोग और समन्वय करना आसान बनाते हैं।

## ब्रेटन वुड्स प्रणाली

ब्रेटन वुड्स प्रणाली, देशों के बीच मुद्राओं की विनिमय दर को नियंत्रित करने वाली पहली प्रणाली थी। इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक देश को एक ऐसी मौद्रिक नीति बनाए रखनी होगी, जो उसकी मुद्रा की विनिमय दर को सोने के संदर्भ में एक पूर्व निर्धारित सीमा के भीतर रखे।

- आईएमएफ और विश्व बैंक को ब्रेटन वुड्स समझौते के तहत ब्रेटन वुड्स संस्थानों के रूप में नामित किया गया था।
- दोनों संगठनों की शुरुआत दिसंबर 1945 में हुई थी। तब से ये संस्थाएं अंतरराष्ट्रीय पूंजी वित्तपोषण और व्यापार गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण स्तंभों के रूप में काम किया है।

## विश्व बैंक

विश्व बैंक एक अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है, जो निम्न और मध्यम आय वाले देशों में पूंजीगत परियोजनाओं को वित्तपोषित करने के लिए सरकारों को धन उधार देता है। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डी.सी. (संयुक्त राज्य अमेरिका) में है।

- विश्व बैंक समूह 189 देशों और पांच घटक संगठनों की एक वैश्विक साझेदारी है, जो गरीबी उन्मूलन एवं समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है।
- विश्व बैंक समूह की पांच अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं में से दो, अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक (IBRD) और अंतरराष्ट्रीय विकास संघ (IDA) को विश्व बैंक के रूप में जाना जाता है।

## अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) 190 देशों का एक संगठन है, जो वैश्विक मौद्रिक सहयोग, वित्तीय स्थिरता, अंतरराष्ट्रीय व्यापार सुविधा, उच्च रोजगार और दीर्घकालिक आर्थिक विकास एवं गरीबी को कम करने के लिए समर्पित है।

- आईएमएफ की स्थापना 27 दिसंबर, 1945 को हुई थी, जिसमें 29 सदस्य देश इस संधि पर सहमत हुए थे। 1 मार्च, 1947 को इसने अपना वित्तीय परिचालन शुरू किया।

## एशियाई विकास बैंक

एशियाई विकास बैंक (ADB), जिसका मुख्यालय मनीला (फिलीपींस) में है, की स्थापना 1966 में हुई थी। इसमें 67 एशिया-प्रशांत के देश सदस्य हैं।

- एशियाई विकास बैंक, देशों को जलवायु परिवर्तन से निपटने और प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन में मदद करने के लिए बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य तथा सरकारी प्रशासन में निवेश करता है।

## न्यू डेवलपमेंट बैंक

न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB), जिसे पहले ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक के नाम से जाना जाता था, ब्रिक्स देशों (ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका) द्वारा स्थापित किया गया है।

- यह एक बहुपक्षीय विकास बैंक है, जिसकी स्थापना 2014 में 6वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में ब्रिक्स देशों द्वारा फोर्टालेजा (ब्राजील) में की गई थी।
- इसे विकास को बढ़ावा देने के लिए नवाचार और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी पर ध्यान देने के साथ ब्रिक्स तथा अन्य विकासशील उभरती अर्थव्यवस्थाओं में बुनियादी ढांचे एवं सतत विकास प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया था। शंघाई (चीन) में इसका मुख्यालय स्थित है।

## एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक

एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक (AIIB) एक बहुपक्षीय विकास बैंक है, जिसका मिशन एशिया की सामाजिक और आर्थिक स्थितियों में सुधार करना है।

- एआईआईबी समझौते के तहत, एक वैश्विक संधि है, जो 25 दिसंबर, 2015 को प्रभावी हुई।



## प्रारंभिक परीक्षा

- समझौते के पक्षकार, बैंक के सदस्य (57 संस्थापक सदस्य) हैं। इसकी स्थापना जनवरी 2016 में हुई थी और यह बीजिंग, चीन में स्थित है।

## आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन (OECD)

आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन (OECD) 38 देशों का एक समूह है, जो आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए मिलकर काम करता है।

- वैश्विक व्यापार तथा आर्थिक उन्नति को बढ़ावा देने के लिए 1961 में आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन की स्थापना की गई थी।
- यह अपने सदस्य देशों को नीतिगत अनुभव साझा करने, आम चुनौतियों का समाधान खोजने, सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने और साझा करने तथा घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय नीतियों के समन्वय के लिए स्थान देता है।
- ओईसीडी एक थिंक-टैंक या निगरानी समूह है, जो संयुक्त राष्ट्र का एक आधिकारिक स्थायी पर्यवेक्षक है। OECD का मुख्यालय पेरिस (फ्रांस) में स्थित है।

## G20

यह एक अनौपचारिक संगठन है, जिसमें 19 देशों और यूरोपीय संघ (ईयू) के साथ-साथ विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के अधिकारी भी शामिल होते हैं।

- 18वें G20 2023, की नई दिल्ली सम्मलेन में अफ्रीकी संघ को नवीन सदस्यता प्रदान की गई है। इसका कोई निश्चित मुख्यालय या सचिवालय नहीं है।
- सदस्यता में दुनिया की सबसे बड़ी उन्नत और उभरती अर्थव्यवस्थाओं का मिश्रण शामिल है, जो वैश्विक आबादी के दो-तिहाई से अधिक, वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 85%, विश्वव्यापी निवेश का 80% और वैश्विक वाणिज्य का 75% से अधिक का प्रतिनिधित्व करता है।
- सदस्य देशों में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूके, अमेरिका, यूरोपीय संघ और अफ्रीकी संघ शामिल हैं।

## G7

G7 या ग्रुप ऑफ सेवन दुनिया की सात सबसे उन्नत अर्थव्यवस्थाओं (IMF) का एक समूह है।

- कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, जापान और इटली इसके सदस्य देश हैं।
- यह विकसित देशों का एक अनौपचारिक समूह है, जो वैश्विक आर्थिक नीति, अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा और ऊर्जा नीति जैसे मुद्दों पर चर्चा करने के लिए वर्ष में एक बार मिलता है।
- G7 के पास स्थायी मुख्यालय का नहीं है। वार्षिक शिखर सम्मेलन में सदस्य देशों द्वारा लिया गया निर्णय विधिक रूप से बाध्यकारी नहीं होता है।

## विश्व व्यापार संगठन

विश्व व्यापार संस्थान (WTO) एकमात्र अंतरराष्ट्रीय संगठन है, जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार नियमों से संबंधित है।

- इसकी प्रमुख जिम्मेदारियों में निर्बाध वैश्विक व्यापार सुनिश्चित करना तथा उन चिंताओं या विवादों को हल करना शामिल है, जिनका वैश्विक व्यापार पर प्रभाव पड़ता है।
- विश्व व्यापार संगठन में 164 सदस्य (यूरोपीय संघ सहित) और 23 पर्यवेक्षक देश हैं।
- डब्ल्यूटीओ की वैश्विक प्रणाली, जो गैर-भेदभाव के सिद्धांत के तहत कार्य करती है, बातचीत के माध्यम से व्यापार बाधाओं को कम करती है।

## विरासत पर्यटन: भारत में थीम आधारित सर्किट

भारत में विरासत पर्यटन, पर्यटन उद्योग का एक जीवंत एवं लोकप्रिय खंड है। विरासत पर्यटन को बढ़ावा देने तथा सुविधाजनक बनाने के लिए, भारत सरकार ने विभिन्न थीम-आधारित सर्किट विकसित किए हैं।

- यह देश की समृद्ध सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और स्थापत्य विरासत को प्रदर्शित करते हैं। ये सर्किट विशिष्ट रुचियों और प्राथमिकताओं वाले पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए डिजाइन किए गए हैं।
- थीम-आधारित पर्यटक सर्किट धर्म, संस्कृति, जातीयता, विशिष्ट विषयों जैसे विशिष्ट विषयों के आसपास होते हैं।
- एक थीम-आधारित सर्किट एक राज्य तक ही सीमित हो सकता है अथवा एक से अधिक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को सम्मिलित करने वाला एक क्षेत्रीय सर्किट भी हो सकता है।

## विरासत पर्यटन के लिए कुछ प्रमुख थीम आधारित सर्किट

**बुद्ध सर्किट:** इस सर्किट में बौद्ध पर्यटकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल शामिल हैं। कवर किए गए राज्य मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, गुजरात और आंध्र प्रदेश हैं।

**तटीय सर्किट:** तटीय सर्किट का उद्देश्य 'सूर्य, समुद्र और सर्फ' की भूमि के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत करना है। भारत की लंबी तटरेखा (7,517 किलोमीटर) गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल आदि राज्यों तक फैली हुई है। तटीय सर्किट में अंडमान और निकोबार द्वीप भी शामिल हैं।

**डेजर्ट सर्किट:** भारत में डेजर्ट सर्किट, एक विशिष्ट पर्यटन सर्किट है, जो दुनिया भर से पर्यटकों को आकर्षित करता है। भारत न केवल बहती नदियों और विशाल वनों से, बल्कि विशाल रेगिस्तानों से भी संपन्न है। थार रेगिस्तान के रेत के टीले और अत्यधिक उच्च तापमान, कच्छ की शुष्क भूमि, शुष्क एवं ठंडी लद्दाख तथा हिमाचल की घाटियां पर्यटकों का बहुत ध्यान आकर्षित करती हैं।

- **इको सर्किट:** इको टूरिज्म सर्किट का उद्देश्य पर्यटकों और प्रकृति के बीच एक सकारात्मक इंटरफेस बनाना है। वैश्विक और घरेलू पर्यटकों को भारत में विविध पर्यावरण-पर्यटन उत्पादों की सराहना करने के लिए, सर्किट का उद्देश्य प्रकृति और पर्यावरण-अनुकूल गंतव्यों का निर्माण करना है। कवर किए गए राज्य केरल, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, मिजोरम और झारखंड हैं।
- **हेरिटेज सर्किट:** भारत एक समृद्ध और जीवंत विरासत एवं संस्कृति से समृद्ध है, जिसमें 36 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं और लगभग 36 अस्थायी सूची में हैं। संरक्षण, भरण-पोषण और बेहतर व्याख्यात्मक घटकों के उद्देश्य से, विरासत सर्किट का उद्देश्य वैश्विक यात्री की जरूरतों को पूरा करना है। इस सर्किट के अंतर्गत आने वाले राज्य राजस्थान, असम, उत्तर प्रदेश, गुजरात, पुडुचेरी, पंजाब, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और तेलंगाना हैं।
- **उत्तर-पूर्व सर्किट:** उत्तर-पूर्व सर्किट में अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम राज्यों में पर्यटक-केंद्रित विकास शामिल है।
- **हिमालय सर्किट:** हिमालय सर्किट भारतीय हिमालय क्षेत्र को श्रद्धांजलि देता है, जो देश की संपूर्ण उत्तरी सीमा की रणनीतिक स्थिति पर कब्जा करता है। भारतीय हिमालय क्षेत्र में जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड तथा उत्तर-पूर्व क्षेत्र जैसे राज्य शामिल हैं।
- **सूफी सर्किट:** भारत में इस सर्किट का उद्देश्य देश की सदियों पुरानी सूफी परंपरा को विरासत के रूप में प्रस्तुत करना है। विविधता में एकता, सांप्रदायिक सद्भाव का मार्ग सिखाने और अपना अनूठा संगीत, कला एवं संस्कृति विकसित करने वाली सूफी परंपरा एवं सूफी संत आज भी देश में पूजनीय हैं।
- **कृष्णा सर्किट:** भारत में पर्यटन ऐतिहासिक रूप से धर्म से जुड़ा रहा है। कई प्रमुख पर्यटन स्थलों के विकसित होने के साथ धर्म और आध्यात्मिकता हमेशा यात्रा के लिए सामान्य प्रेरणा रहे हैं। कृष्णा सर्किट के विकास का उद्देश्य मूल रूप से विभिन्न राज्यों, मुख्य रूप से हरियाणा और राजस्थान में भगवान कृष्ण की कथाओं से जुड़े स्थानों को विकसित करना है।
- **रामायण सर्किट:** रामायण सर्किट के विकास का उद्देश्य मूल रूप से देश भर में भगवान राम की किंवदंतियों से जुड़े स्थानों को विकसित करना है, ताकि इन स्थानों पर पर्यटकों के अनुभव को सुविधाजनक बनाया जा सके और बढ़ाया जा सके। इस सर्किट के तहत जिस राज्य पर फोकस है, वह उत्तर प्रदेश है।
- **ग्रामीण सर्किट:** ग्रामीण सर्किट के विकास का उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने तथा घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों को 'सच्चे' भारत की झलक दिखाने के लिए एक शक्ति गुणक के रूप में पर्यटन की शक्ति का लाभ उठाना है। सर्किट में ग्रामीण सर्किट मलानाड मालाबार क्रूज पर्यटन और बिहार गांधी सर्किट : भित्तिहरवा, चंद्रहिया, तुरकौलिया शामिल हैं।
- **वन्यजीव सर्किट:** वन्यजीवों की अविश्वसनीय श्रृंखला भारत को वन्यजीव पर्यटन का केंद्र बनाती है। वन्यजीव सर्किट का उद्देश्य भारत में राष्ट्रीय और राज्य वन्यजीव संरक्षित क्षेत्रों और अभ्यारण्यों में 'स्थायी', 'पारिस्थितिक' और 'प्रकृति केंद्रित' विकास करना है। फोकस वाले राज्य असम और मध्य प्रदेश हैं।
- **जनजातीय सर्किट:** भारत की जनजातीय आबादी आधुनिक विश्व में भी अपने प्राचीन रीति-रिवाजों और संस्कृति को संरक्षित करने में कामयाब रही है। जनजातीय सर्किट का उद्देश्य 'आधुनिक समय के पर्यटकों' को भारत की जीवंत जनजातीय परंपराओं, संस्कृति, त्यौहारों, शिल्प कौशल, कला, अनुष्ठानों आदि की दुनिया में एक करीबी और व्यक्तिगत झलक देना है। जनजातीय सर्किट विकास के लिए छत्तीसगढ़, नागालैंड और तेलंगाना राज्य को कवर करता है।
- **आध्यात्मिक सर्किट:** प्रतिवर्ष 330 मिलियन से अधिक लोग विश्व स्तर पर आध्यात्मिकता के लिए यात्रा करते हैं, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि भारत, 'आध्यात्मिकता की भूमि' को इन स्थलों के लिए देश भर में पर्यटक सुविधाओं की आवश्यकता है। चार महान धर्मों - हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म के जन्मस्थान के रूप में तथा सभी युगों के सभी प्रमुख और सूक्ष्म-अल्पसंख्यक धार्मिक विश्वासों के स्वागत योग्य स्थल के रूप में, भारत घरेलू एवं वैश्विक स्तर पर आध्यात्मिक पर्यटकों के लिए एक 'आवश्यक' गंतव्य है। आध्यात्मिक सर्किट के सुखियों में आने वाले राज्य केरल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, बिहार, राजस्थान, पुडुचेरी हैं।
- **तीर्थकर सर्किट:** ऐसे असंख्य जैन मंदिर हैं, जो देश के विविध परिदृश्य को दर्शाते हैं तथा जैन तीर्थकरों के जीवन और गतिविधियों के साथ जुड़ाव के बारे में बात करते हैं जिन्होंने हमेशा अहिंसा, प्रेम और ज्ञान का संदेश फैलाया है। वास्तुकला की एक अलग एवं अनूठी शैली से लेकर भोजन और शिल्प तक, तीर्थकर सर्किट का उद्देश्य पर्यटकों के लिए रुचि के सभी स्थलों को विकसित करना है।
- **स्वर्ण त्रिभुज सर्किट:** यह भारत में सबसे लोकप्रिय विरासत सर्किटों में से एक है और इसमें दिल्ली, आगरा और जयपुर शामिल हैं। प्रमुख आकर्षण: आगरा में ताज महल, दिल्ली में लाल किला और कुतुब मीनार तथा जयपुर में अंबर किला।
- **वन्यजीव सर्किट:** यह सर्किट राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभ्यारण्यों की विशेषता के साथ विरासत और वन्यजीव पर्यटन को जोड़ता है। प्रमुख आकर्षण: रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान (बाघ), काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान (गैंडा), और सुंदरबन (मैंग्रोव)।
- **मुगल सर्किट:** यह सर्किट भारत में मुगल वास्तुकला विरासत को प्रदर्शित करता है। प्रमुख आकर्षण: दिल्ली (हुमायूँ का मकबरा), आगरा (ताजमहल) और फतेहपुर सीकरी।
- **स्याइस रूट सर्किट:** यह सर्किट मसाला व्यापार की विरासत और दक्षिण-पूर्व एशिया के साथ ऐतिहासिक संबंधों की पड़ताल करता है। प्रमुख आकर्षण: कोच्चि (फोर्ट कोच्चि), मुन्नार (चाय बागान) और कोझिकोड (कालीकट)।
- **सिल्क रूट सर्किट:** यह सर्किट भारत में प्राचीन सिल्क रोड व्यापार मार्गों का पता लगाता है। प्रमुख आकर्षण: लेह-लद्दाख, श्रीनगर और नुब्रा घाटी।
- **गांधी सर्किट:** यह सर्किट महात्मा गांधी के जीवन और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े स्थलों पर केंद्रित है। प्रमुख आकर्षण: साबरमती आश्रम (अहमदाबाद), मणि भवन (मुंबई) और गांधी स्मारक (दिल्ली)। ■■

## पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी

### जैव-विविधता तथा वन्यजीव संरक्षण : अंतरराष्ट्रीय कानून एवं अभिसमय

इस ग्रह पर स्वस्थ पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए जानवर, पौधे एवं समुद्री प्रजातियां, मनुष्य महत्वपूर्ण हैं। इस ग्रह पर प्रत्येक जीव, खाद्य श्रृंखला में एक विशिष्ट स्थान रखता है और अपने अनूठे तरीके से पारिस्थितिक तंत्र में योगदान देता है।

- दुर्भाग्य से, आज कई पशु और पक्षी लुप्तप्राय हो गए हैं। मनुष्य भूमि विकास और खेती के लिए जानवरों और पौधों के प्राकृतिक आवासों को नष्ट कर रहे हैं।
- जानवरों का अवैध शिकार वन्यजीवों के विलुप्त होने में अन्य प्रमुख योगदानकर्ता हैं। वन्यजीव प्रजातियों के विलुप्त होने के परिणामस्वरूप, मनुष्य के रूप में यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम प्रजातियों, हमारे ग्रह और सबसे महत्वपूर्ण रूप से स्वयं की रक्षा करें।
- वन्यजीवों के संरक्षण के लिए विश्व के देशों द्वारा की गई सबसे महत्वपूर्ण वन्यजीव संरक्षण पहल निम्नलिखित है-

#### लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन (CITES)

वन्यजीवों एवं वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन (CITES) एक अंतरराष्ट्रीय समझौता है, जिसमें राज्य एवं क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण संगठन स्वेच्छा से हस्ताक्षर करते हैं।

#### साइट्स की कार्यप्रणाली

- साइट्स विशिष्ट प्रजातियों के नमूनों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर प्रतिबंध लगाता है। कन्वेंशन में शामिल प्रजातियों के समुद्र से सभी प्रकार के आयात एवं निर्यात को लाइसेंसिंग प्रणाली द्वारा अधिकृत किया जाना सुनिश्चित करता है।
- प्रत्येक पक्ष जो कन्वेंशन का सदस्य है, उसे लाइसेंसिंग प्रणाली की देखरेख के लिए एक या अधिक प्रबंधन प्राधिकारियों को नियुक्त करने के साथ ही प्रजातियों की स्थिति पर व्यापार के प्रभावों पर सलाह देने के लिए एक या अधिक वैज्ञानिक प्राधिकारियों को नियुक्त किया जाना सुनिश्चित करता है।
- कन्वेंशन के परिशिष्ट I, II और III में उन प्रजातियों की सूची शामिल है, जिन्हें अत्यधिक शोषण से विभिन्न स्तरों या प्रकार की सुरक्षा प्रदान की गयी है।

#### परिशिष्ट I

- इसमें साइट्स सूची में सर्वाधिक लुप्तप्राय जानवरों और पौधों की सूची शामिल है।
- गोरिल्ला, समुद्री कछुए, अधिकांश लेडी स्लिपर ऑर्किड तथा ग्रेट पांडा ऐसे उदाहरण हैं, जो इस सूची में शामिल हैं। वर्तमान में परिशिष्ट I में 931 प्रजातियां सूचीबद्ध हैं।
- साइट्स इन प्रजातियों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर रोक लगाता है, जब तक कि आयात गैर-व्यावसायिक उद्देश्यों, जैसे वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए न हो।

- व्यापार असाधारण परिस्थितियों में भी हो सकता है; यदि इसे आयात परमिट और निर्यात परमिट जारी करके अधिकृत किया गया हो।

#### परिशिष्ट II

- इसमें वे प्रजातियां शामिल हैं, जो अभी आवश्यक रूप से लुप्तप्राय नहीं हैं, लेकिन यदि व्यापार को सख्ती से विनियमित नहीं किया गया तो ऐसा हो सकता है।
- अमेरिकी जिनसिंग, पैडलफिश, शेर, अमेरिकी मगरमच्छ, महोगनी और कई मूंगों सहित अधिकांश साइट्स प्रजातियां इस परिशिष्ट में शामिल हैं। सूची में वर्तमान में 34,419 प्रजातियां हैं।
- इसमें 'समान दिखने वाली' प्रजातियां भी शामिल हैं, यानी ऐसी प्रजातियां जिनके व्यापारिक नमूने उन प्रजातियों से मिलते जुलते हैं, जिन्हें संरक्षण उद्देश्यों के लिए वर्गीकृत किया गया है।
- निर्यात परमिट या पुनः निर्यात प्रमाणपत्र प्रदान करने से परिशिष्ट-II प्रजातियों के नमूनों में अंतरराष्ट्रीय व्यापार को अधिकृत किया जा सकता है।

#### परिशिष्ट III

- यह उन प्रजातियों की सूची है, जिन्हें उस पक्षकार के अनुरोध पर शामिल किया गया है, जो पहले से ही प्रजातियों के व्यापार को नियंत्रित करती है, लेकिन अस्थिर या गैरकानूनी शोषण को रोकने के लिए अन्य देशों की मदद की जरूरत है।
- वालरस और केप स्टैग बीटल कुछ उदाहरण हैं, जो इस परिशिष्ट में शामिल हैं। सूची में अब 147 प्रजातियां हैं।
- इस परिशिष्ट में वर्णित प्रजातियों के नमूनों में अंतरराष्ट्रीय व्यापार की अनुमति केवल तभी दी जाती है, जब उचित परमिट या प्रमाणपत्र दिखाए जाएं।
- केवल पार्टियों के सम्मेलन के पास परिशिष्ट I और II में प्रजातियों को जोड़ने या हटाने या उनके बीच प्रजातियों को स्थानांतरित करने का अधिकार है। हालांकि, प्रजातियों को किसी भी समय और किसी भी पक्ष द्वारा परिशिष्ट III में एकतरफा जोड़ा या हटाया जा सकता है।

#### अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (IUCN)

- साइट्स का मसौदा 1963 में अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (IUCN) के सदस्यों द्वारा पारित एक प्रस्ताव के परिणामस्वरूप तैयार किया गया था।
- IUCN एक सदस्यता संगठन है, जिसमें सरकारी और गैर-सरकारी दोनों संगठन शामिल हैं। यह सार्वजनिक, निजी और गैर-सरकारी संगठनों को ज्ञान एवं सुझाव देता है, जो मानव उन्नति, आर्थिक विकास एवं प्रकृति के संरक्षण को एक साथ करने में सक्षम बनाता है।
- साइट्स जुलाई 1975 में प्रभाव में आया। वर्तमान में इसके 184 सदस्य हैं (देशों एवं क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण संगठनों सहित)।
- साइट्स का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि जंगली जानवरों तथा पौधों के नमूनों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार से उनके अस्तित्व को खतरा न हो।

### ✓ भारत और साइट्स

- भारत विश्व के मान्यता प्राप्त मेगा-विविध देशों में से एक है, जो विश्व की लगभग 7-8 प्रतिशत दर्ज प्रजातियों और विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त 34 जैवविविधता हॉटस्पॉट (हिमालय, इंडो-बर्मा, पश्चिमी घाट और सुंदरलैंड) में से चार का घर है।
- जैविक संसाधनों के अलावा, भारत के पास पारंपरिक ज्ञान का एक समृद्ध भंडार है। देश के 10 जैव-भौगोलिक क्षेत्रों में लगभग 91,200 पशु प्रजातियों और 45,500 पौधों की प्रजातियों की पहचान की गई है।
- नियमित सर्वेक्षण एवं अनुसंधान के माध्यम से, विभिन्न खोजों के साथ पुष्प और जैवविविधता की सूची को धीरे-धीरे अद्यतन किया जा रहा है।
- भारत, एक साइट्स पक्षकार के रूप में, लुप्तप्राय वन्यजीव प्रजातियों में अंतरराष्ट्रीय व्यापार को सख्ती से रोकता है और आक्रामक विदेशी प्रजातियों की चिंताओं (जैसे निर्यात के लिए प्रमाण पत्र, आयात के लिए परमिट आदि) से निपटने के लिए कई उपाय किए हैं।
- भारत ने अनुरोध किया है कि शीशम को साइट्स के परिशिष्ट II से हटा दिया जाए। यह प्रजाति तेजी से फैलती है और इसमें अपने मूल क्षेत्र के बाहर प्राकृतिक रूप से विकसित होने की क्षमता होती है; यह दुनिया के अन्य हिस्सों में भी आक्रामक है।
- छोटे पंजे वाले ऊदबिलाव, चिकने-लेपित ऊदबिलाव और इंडियन स्टार कछुआ को भी परिशिष्ट II से परिशिष्ट I में स्थानांतरित करने का सुझाव दिया गया है।

### संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP)

- + यह साइट्स सचिवालय का प्रबंधन करता है, जो जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। कन्वेंशन के संचालन में सेवा, सलाहकार और समन्वयक की भूमिका निभाता है।
- + साइट्स में पार्टियों का सम्मेलन (COP) कन्वेंशन का शीर्ष निर्णय लेने वाला निकाय है तथा इसमें कन्वेंशन के सभी पक्ष शामिल हैं।
- + हालांकि साइट्स पार्टियों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी है, लेकिन यह किसी देश के राष्ट्रीय कानून को प्रतिस्थापित नहीं करता है; बल्कि, यह एक रूपरेखा स्थापित करता है, जिसका पालन प्रत्येक पक्षकार को करना चाहिए।

### प्रवासी प्रजातियों पर कन्वेंशन (CMS)

- प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर कन्वेंशन (CMS) को बॉन कन्वेंशन के रूप में भी जाना जाता है। यह एकमात्र संधि है जो प्रवासी प्रजातियों से सम्बंधित है। वर्तमान में, यह विश्व भर में 173 प्रवासी प्रजातियों की सुरक्षा करता है।
- एक प्रवासी प्रजाति भोजन, तापमान और आश्रय जैसे कारकों के कारण चक्रीय और विश्वसनीय रूप से एक या अधिक राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार रेखाओं को पार करती है।
  - इसका उद्देश्य उन प्रजातियों के संरक्षण के लिए राज्यों के दायित्वों को परिभाषित करना है जो उनकी राष्ट्रीय सीमाओं एवं क्षेत्राधिकार के भीतर रहती हैं या यात्रा करती हैं।

- कन्वेंशन 1 नवंबर, 1983 को लागू किया गया था। सचिवालय, जो कन्वेंशन का संचालन करता है, 1984 में स्थापित किया गया था।
- वर्तमान समय में, 133 (यूरोपीय संघ सहित) देश इस कन्वेंशन के पक्षकार हैं। तुर्कमेनिस्तान (2021) शामिल होने वाला सबसे हालिया देश है।

### ✓ कवर की गई प्रजातियां

- **परिशिष्ट I** : लुप्तप्राय या संकटग्रस्त प्रवासी प्रजातियों की एक सूची है। पक्षकार इन प्राणियों की बारीकी से रक्षा करने, उनके आवासों को संरक्षित करने या पुनर्स्थापित करने, प्रवासन बाधाओं को दूर करने और अन्य कारणों को सीमित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं जो उन्हें खतरे में डाल सकते हैं।
- **परिशिष्ट II** : इसमें उन प्रवासी प्रजातियों को सूचीबद्ध किया गया है जिन्हें संरक्षण और प्रबंधन की आवश्यकता है।

### ✓ भारत और सीएमएस

- 1983 से, भारत इस कन्वेंशन का हस्ताक्षरकर्ता रहा है। भारत एवं सीएमएस ने साइबेरियाई क्रैन (1998), समुद्री कछुए (2007), डुगोंग (2008), और रैक्टर (2016) के संरक्षण एवं प्रबंधन पर एक गैर-बाध्यकारी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।
- विश्व के 2.4 प्रतिशत भूमि क्षेत्र के साथ, भारत का योगदान सभी ज्ञात वैश्विक जैवविविधताका लगभग 8% है।
- भारतीय उपमहाद्वीप एक विशाल पक्षी फ्लाईवे नेटवर्क, मध्य एशियाई फ्लाईवे का हिस्सा है। यह आर्कटिक से हिंद महासागरों तक फैला है तथा इसमें 182 विभिन्न प्रवासी जलपक्षी प्रजातियों की कम से कम 279 आबादी शामिल है। जिसमें विश्व स्तर पर खतरे में पड़ी 29 प्रजातियां आती हैं।
- भारत में कई प्रवासी प्रजातियों को अस्थायी रूप से आश्रय प्रदान किया जाता है। अमूर फाल्कन्स, बार-हेडेड गीज, ब्लैक-नेकड क्रैन्स, समुद्री कछुए, डुगोंग्स और हंपबैक व्हेल जैसी प्रजातियां अस्थायी रूप से भारत में पाई जाती हैं।

### जैविक विविधता पर कन्वेंशन (CBD)

- रियो डी जनेरियो (Rio de Janeiro) में 1992 के पृथ्वी शिखर सम्मेलन (Earth Summit) के दौरान पर्यावरण नेताओं ने 'टिकाऊ विकास' के लिए एक व्यापक रणनीति पर सहमति व्यक्त की, जिसमें यह गारंटी दी गई कि हम अपनी जरूरतों को पूरा करने के साथ-साथ भावी पीढ़ियों के लिए एक स्वस्थ और व्यवहार्य दुनिया भी छोड़ेंगे।
- जैविक विविधता पर कन्वेंशन रियो में हस्ताक्षरित सबसे महत्वपूर्ण समझौतों में से एक था।
  - जैविक विविधता पर कन्वेंशन एक अंतरराष्ट्रीय कानूनी उपकरण है, जिसे 196 देशों द्वारा अनुमोदित किया गया है तथा यह 'जैवविविधता के संरक्षण, इसके घटकों के सतत उपयोग एवं आनुवंशिक संसाधनों के उपयोग से उत्पन्न होने वाले लाभों के उचित और न्यायसंगत बंटवारे' के लिए समर्पित है।

### ✓ आइची जैवविविधता लक्ष्य

- जैविक विविधता पर कन्वेंशन (CBD) ने अपने नागोया शिखर सम्मेलन के दौरान 'आइची जैवविविधता लक्ष्य' को अपनाया।

## प्रारंभिक परीक्षा

- यह एक अल्पकालिक योजना है, जिसमें 20 महत्वाकांक्षी लेकिन प्राप्य लक्ष्यों की एक शृंखला शामिल है, जिन्हें आइची लक्ष्य के रूप में जाना जाता है।
- इन्हें इस प्रकार वर्गीकृत किया गया है:
  - **रणनीतिक लक्ष्य A** : सरकार और समाज के सभी पहलुओं में जैवविविधता को एकीकृत करके जैवविविधता में गिरावट के मूल कारणों का समाधान करना।
  - **रणनीतिक लक्ष्य B** : जैवविविधता पर सीधे प्रभाव को कम करना और दीर्घकालिक उपयोग को बढ़ावा देना।
  - **रणनीतिक लक्ष्य C** : पारिस्थितिकी तंत्र, प्रजातियाँ और आनुवंशिक विविधता सभी इस लक्ष्य का हिस्सा हैं, जिसका उद्देश्य जैवविविधता में सुधार करना है।
  - **रणनीतिक लक्ष्य D** : सभी लोगों के लिए जैवविविधता एवं पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं का लाभ बढ़ाना।
  - **रणनीतिक लक्ष्य E** : सहभागी योजना, ज्ञान प्रबंधन तथा क्षमता निर्माण के माध्यम से कार्यान्वयन को बढ़ाना।
- ✓ **भारत और सीबीडी**
  - जैव विविधता पर छठी राष्ट्रीय रिपोर्ट को भारत द्वारा जैवविविधता सम्मेलन (CBD) में प्रस्तुत किया गया था।
  - भारत रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाले दुनिया के पहले पांच देशों में से एक है, साथ ही एशिया में पहला एवं जैवविविधता से समृद्ध विशाल विविधता वाले देशों में से एक है।
  - सीबीडी सहित अंतरराष्ट्रीय संधियों के पक्षों को अपने दायित्वों के हिस्से के रूप में राष्ट्रीय रिपोर्ट प्रस्तुत करना आवश्यक है।
  - एक जिम्मेदार राष्ट्र के रूप में भारत ने कभी भी अपनी अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं को नहीं तोड़ा है तथा पहले ही समय पर सीबीडी को पांच राष्ट्रीय रिपोर्ट दाखिल कर चुका है।
- ✓ **वन्यजीव व्यापार निगरानी नेटवर्क (TRAFFIC)**
  - वन्यजीव व्यापार निगरानी नेटवर्क (ट्रैफिक) एक प्रमुख गैर-सरकारी संगठन है, जो जैव विविधता संरक्षण एवं सतत विकास के हिस्से के रूप में वन्यजीव व्यापार पर काम करता है।
  - यह अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (IUCN) और विश्व वन्यजीव कोष (WWF) का एक संयुक्त कार्यक्रम है।
  - इसकी स्थापना 1976 में हुई थी। यह एक वैश्विक नेटवर्क बन गया है, जो नए और व्यावहारिक संरक्षण समाधान प्रदान करने के लिए समर्पित है, जो अनुसंधान-संचालित तथा कार्रवाई-उन्मुख दोनों हैं।
  - ट्रैफिक का मुख्यालय कैम्ब्रिज, यूनाइटेड किंगडम में स्थित है। इसका लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि जंगली वनस्पतियों और जानवरों के व्यापार से पर्यावरण संरक्षण को खतरा उत्पन्न न हो।
- ✓ **ट्रैफिक का प्रशासन**
  - ट्रैफिक समिति एक संचालन समूह है, जो ट्रैफिक के भागीदार संगठनों, WWF और IUCN के सदस्यों से बना है।
  - इसके अतिरिक्त, ट्रैफिक वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन (CITES) के सचिवालय के साथ मिलकर काम करता है।
  - इसके विशेषज्ञों की टीम में जीवविज्ञानी, संरक्षणवादी, शिक्षाविद, शोधकर्ता, संचारक और जांचकर्ता शामिल हैं।

## ✓ ट्रैफिक और भारत

- 1991 से ट्रैफिक नई दिल्ली में स्थित WWF-इंडिया का एक कार्यक्रम प्रभाग रहा है। तबसे इसने अवैध वन्यजीव व्यापार से निपटने के लिए अध्ययन, निगरानी और कार्रवाई को प्रभावी बनाने में मदद करने के लिए राष्ट्रीय और राज्य सरकारों एवं अन्य संगठनों के साथ मिलकर काम किया है।
- भारत में क्षमता निर्माण कार्यक्रम एवं प्रभावी वन्यजीव कानून प्रवर्तन में अंतर को कम करने में मदद कर रहे हैं।
- ट्रैफिक इस कार्यक्रम के हिस्से के रूप में वन्यजीव प्रवर्तन और अन्य प्रासंगिक मुद्दों पर काम करने वाले विभिन्न अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करता है।

## प्रमुख वायु एवं जल प्रदूषक

प्रदूषण, पर्यावरण में हानिकारक सामग्रियों का प्रवेश है। इन हानिकारक सामग्रियों को प्रदूषक कहा जाता है। प्रदूषक प्राकृतिक जैसे ज्वालामुखी की राख एवं मानवीय जैसे कारखानों द्वारा उत्पादित कचरा या अपवाह हो सकते हैं। प्रदूषक वायु, जल एवं भूमि की गुणवत्ता को नुकसान पहुंचाते हैं।

- **वायु प्रदूषक (Air pollutants)** : वायु प्रदूषक हवा में ऐसे यौगिक हैं, जो पर्याप्त उच्च सांद्रता में मनुष्यों, जानवरों, पौधों आदि को प्रभावित करते हैं। परिणामस्वरूप, वायु प्रदूषक लगभग किसी भी प्राकृतिक या मानव निर्मित पदार्थ से उत्पन्न हो सकते हैं।

## प्रमुख वायु प्रदूषक

विशिष्ट मात्रा में यौगिकों की सांद्रता आसपास के वातावरण की वायु गुणवत्ता निर्धारित करती है।

- कार्बन मोनोऑक्साइड (CO), अमोनिया (NH<sub>3</sub>), नाइट्रिक ऑक्साइड (NO), नाइट्रोजन डाइऑक्साइड (NO<sub>2</sub>), ओजोन (O<sub>3</sub>), पार्टिकुलेट मैटर (PM), सल्फर डाइऑक्साइड (SO<sub>2</sub>) और वाष्पील कार्बनिक यौगिक (VOCs) सभी प्रमुख वायु प्रदूषक हैं।
- **कार्बन मोनोऑक्साइड**
  - कार्बन मोनोऑक्साइड एक रंगहीन, गंधहीन गैस है; जो गैसोलीन, डीजल एवं लकड़ी जैसे कार्बन-आधारित ईंधन के अधूरे दहन के साथ-साथ सिगरेट जैसी प्राकृतिक एवं मानव निर्मित वस्तुओं के दहन से बनती है।
  - कार्बन मोनोऑक्साइड विभिन्न ईंधनों के अधूरे दहन एवं आंतरिक दहन इंजनों के निकास से बनता है।
  - लोहे को गलाने के उपोत्पाद के रूप में कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्पादन होता है।
  - जब कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं होती है, तो यह (CO<sub>2</sub>) बनता है।
  - कार्बन मोनोऑक्साइड जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में नीली लौ के साथ जलती है तो कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करती है।
  - क्षोभमंडल में प्राकृतिक फोटोकैमिकल प्रक्रियाएं ग्रह पर कार्बन मोनोऑक्साइड का मुख्य उत्पादक हैं।
  - ज्वालामुखी, जंगल की आग और दहन के अन्य रूप सभी CO के प्राकृतिक स्रोत हैं।

➤ **कार्बन डाइऑक्साइड (CO<sub>2</sub>)**

- यह कोयला, तेल और प्राकृतिक गैस दहन जैसी मानवीय गतिविधियों के परिणामस्वरूप उत्सर्जित होने वाली प्राथमिक ग्रीनहाउस गैस है।
- कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन प्राकृतिक और मानवजनित दोनों स्रोतों से होता है।
- अपघटन, महासागरीय उत्सर्जन और श्वसन सभी प्राकृतिक स्रोत हैं।
- मानवीय कारणों में सीमेंट निर्माण, वनों की कटाई, कोयला, तेल और प्राकृतिक गैस जैसे जीवाश्म ईंधनों का दहन शामिल है।
- कोयला, प्राकृतिक गैस और तेल के दहन से मानव-उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन का 87 प्रतिशत हिस्सा होता है।
- शेष वन सफाई और अन्य भूमि उपयोग परिवर्तन (9%), साथ ही सीमेंट उत्पादन (4 प्रतिशत) जैसे कुछ औद्योगिक कार्यों से आता है।

➤ **क्लोरोफ्लोरो कार्बन (CFC)**

- ये वे गैसें हैं, जो मुख्य रूप से एयर कंडीशनिंग सिस्टम और रेफ्रिजरेशन द्वारा छोड़ी जाती हैं।
- हवा में छोड़े जाने पर, सीएफसी समताप मंडल में ऊपर उठ जाते हैं एवं ओजोन परत को हानि पहुंचाते हैं, जो पृथ्वी को सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाती है।
- एयर कंडीशनर और रेफ्रिजरेटर- रेफ्रिजरेटर, विशेष रूप से 1930 के दशक के बाद उपयोग किए जाने वाले, सीएफसी का सबसे आम स्रोत हैं।
- एरोसोल के साथ स्प्रे - लंबे समय तक, सीएफसी युक्त गैसों का उपयोग एरोसोल कैन और प्रणोदक तरल पदार्थों में किया जाता था।
- 1999 में कम विषैले हाइड्रोकार्बन विकल्पों के पक्ष में उन्हें एरोसोल निर्माण प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया। क्योंकि समताप मंडल में सीएफसी अणुओं का जीवनकाल 20 से 100 वर्षों का होता है, इसलिए पिछले दशकों में हुई क्षति अभी भी महसूस की जा रही है।

➤ **सीसा (Lead)**

- सीसा अन्य चीजों के अलावा गैसोलीन, डीजल, सीसा बैटरी, पेंट और हेयर ड्राई में पाया जाता है।
- सल्फाइड और लेड ग्लास (PBS) को छोड़कर, यह तत्व विभिन्न प्रकार के खनिजों में थोड़ी मात्रा में पाया जाता है, जिनका उपयोग दुनिया भर में धातु बनाने के लिए किया जाता है।
- सीसा का उपयोग- यह ऑटोमोबाइल बैटरियों में एक सामान्य घटक है और लेड-एसिड बैटरियों का एक प्रमुख घटक है, जिसका उपयोग विद्युत उपकरण भागों को सोल्डर करने और इलेक्ट्रोलिसिस प्रक्रियाओं में इलेक्ट्रोड के रूप में किया जाता है।
- सीसा-आधारित पेंट, जिसका सबसे अधिक उपयोग 1978 से पहले बने घरों में किया जाता था।
- सौंदर्य प्रसाधन और काजल जैसे व्यक्तिगत देखभाल उत्पादों में भी सीसा की मात्रा होती है। बच्चे विशेष रूप से सीसा विषाक्तता के प्रति संवेदनशील होते हैं।
- गर्भवती महिलाएं अधिक मात्रा में सीसे की धूल अपने अंदर लेती हैं, वे दूषित पदार्थों को अपने अजन्मे बच्चों तक पहुंचा सकती हैं, जिससे विनाशकारी नुकसान हो सकता है।

- यह तंत्रिका तंत्र को नुकसान पहुंचा सकता है, पाचन संबंधी समस्याएं पैदा कर सकता है और कुछ स्थितियों में कैंसर का कारण भी बन सकता है।

➤ **ओजोन**

- ओजोन एक प्रदूषक है, जो स्वाभाविक रूप से वायुमंडल की ऊपरी परतों में होता है और पृथ्वी को सूर्य की हानिकारक यूवी किरणों से बचाता है। हालांकि, यह जमीनी स्तर पर बहुत जहरीला प्रभाव वाला प्रदूषक है।
- निचली दोनों परतों में जिसे कभी-कभी 'खराब' ओजोन के रूप में जाना जाता है, एक जहरीला वायु प्रदूषक है, जो फसलों, पेड़ों और अन्य वनस्पतियों को प्रभावित करता है।
- शहरी धुंध में इसका प्रमुख योगदान है।
- जमीनी स्तर पर ओजोन उत्सर्जन ज्यादातर वाहनों और उद्योग के कारण होता है।
- वाहन और उद्यान उपकरण, पेंट एवं सॉल्वेंट्स, ईंधन भरने वाले स्टेशन, कारखाने तथा अन्य गतिविधियां जिनके परिणामस्वरूप जीवाश्म ईंधन जलता है, ये सभी ओजोन के स्रोत हैं।
- आंखों में जलन पैदा करता है। यह हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर कर देता है, जिससे हम सर्दी और निमोनिया के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाते हैं।
- अस्थमा और ब्रोंकाइटिस जैसे फेफड़ों के अन्य विकार बढ़ जाते हैं। बच्चे, जिनके फेफड़े अभी भी विकसित हो रहे हैं, विशेष रूप से उच्च ओजोन स्तर के प्रति संवेदनशील होते हैं।

➤ **नाइट्रोजन ऑक्साइड**

- NO<sub>x</sub> गैसों स्मॉग और अम्लीय वर्षा के साथ-साथ क्षोभमंडलीय ओजोन के निर्माण में योगदान देती हैं।
- फोटोकैमिकल स्मॉग तब बनता है, जब NO<sub>x</sub> और वाष्पशील कार्बनिक यौगिक (VOCs) सूर्य की रोशनी की उपस्थिति में मिलते हैं।
- जब मोनो-नाइट्रोजन ऑक्साइड वायुमंडलीय नमी में घुल जाते हैं, तो वे नाइट्रिक एसिड का उत्पादन करते हैं, जो अम्लीय वर्षा का एक घटक है।

➤ **निलंबित कणिका पदार्थ (SPM)**

- सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर (एसपीएम) एक प्रकार का पदार्थ है, जो हवा में ठोस पदार्थ, जैसे धुआं, धूल और वाष्प, लंबे समय तक निलंबित रहते हैं।
- जब सांस ली जाती है, तो बारीक कण हमारे फेफड़ों में जमा हो सकते हैं, जिससे फेफड़ों को नुकसान हो सकता है और श्वसन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं।

➤ **सल्फर डाइऑक्साइड (SO<sub>2</sub>)**

- यह एक ऐसी गैस है, जो ज्यादातर ताप विद्युत संयंत्रों में कोयले को जलाने पर उत्पन्न होती है।
- सल्फर डाइऑक्साइड का उत्पादन कुछ औद्योगिक कार्यों, जैसे कागज निर्माण और धातु गलाने से होता है।
- यह स्मॉग और अम्लीय वर्षा में महत्वपूर्ण योगदान देता है। सल्फर डाइऑक्साइड फेफड़ों की समस्या पैदा कर सकता है।

➤ **वाष्पशील कार्बनिक यौगिक (VOC)**

- वाष्पशील कार्बनिक यौगिक (वीओसी) कार्बन-आधारित पदार्थों का एक वर्ग है, जो परिवेश के तापमान पर आसानी से वाष्पित हो सकता है।

## प्रारंभिक परीक्षा

- उदाहरण के लिए, फॉर्मलिडहाइड का क्वथनांक, जो पेंट से वाष्पित हो जाता है, केवल 19 डिग्री सेल्सियस है।
- फॉर्मलिडहाइड आंखों और नाक में जलन पैदा करता है, साथ ही एलर्जी भी पैदा करता है।
- इत्र, हेयर स्प्रे, फर्नीचर पॉलिश, गोंद, एयर फ्रेशनर, कीट विकर्षक, लकड़ी संरक्षक और अन्य सामान मुख्य इनडोर स्रोत हैं।
- दीर्घकालिक स्वास्थ्य प्रभाव से लीवर और शरीर के अन्य अंगों को नुकसान पहुंचाने की आशंका रहता है।
- **बेंजीन**
  - सबसे बुनियादी पेट्रोकेमिकल्स में से एक बेंजीन है, जो कच्चे तेल का एक प्राकृतिक घटक है।
  - अपनी उच्च ऑक्टेन रेटिंग के कारण, बेंजीन गैसोलीन (पेट्रोल) का एक प्रमुख घटक है।
  - बेंजीन कैंसर और अन्य बीमारियों के बढ़ते खतरे से जुड़ा हुआ है।
  - रासायनिक बेंजीन अस्थि मज्जा विफलता का एक प्रसिद्ध कारण है।
- **एथिलीन**
  - रासायनिक उद्योग में, एथिलीन का अक्सर उपयोग किया जाता है।
  - पॉलीथीन, आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री है जो अलग-अलग शृंखला में एथिलीन इकाइयों की बहुलक शृंखलाओं से बनी होती है।
  - एथिलीन एक प्राकृतिक पादप हार्मोन है, जिसका उपयोग कृषि में फलों को जल्दी पकाने के लिए किया जाता है।
  - एथिलीन में मनुष्यों के लिए कम विषाक्तता होती है, लेकिन इसकी अधिक मात्रा सिरदर्द, थकान, चक्कर आना और बेहोशी जैसी स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म दे सकती है।

## जल प्रदूषण

जल प्रदूषण जल में कार्बनिक, अकार्बनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल, ताप जैसे अवांछनीय पदार्थों की वृद्धि अथवा उपस्थिति है, जो पानी की गुणवत्ता को कम कर देता है, जिससे कि यह उपयोग के लिए अनुपयुक्त हो जाता है।

### जल प्रदूषण के बिंदु एवं गैर-बिंदु स्रोत

- जब प्रदूषकों को किसी विशिष्ट स्थान से छोड़ा जाता है; जैसे कि औद्योगिक अपशिष्टों को ले जाने वाले नाली को सीधे जल निकाय में छोड़ा जाता है तो यह बिंदु स्रोत प्रदूषण का प्रतिनिधित्व करता है।
- इसके विपरीत, गैर-बिंदु स्रोतों में विसरित स्रोतों से या बड़े क्षेत्र से प्रदूषकों का निर्वहन शामिल है; जैसे कि कृषि क्षेत्रों, चारागाह भूमि, निर्माण स्थलों, परित्यक्त खदानों और गड्डों आदि से अपवाह।

### जल प्रदूषण के महत्वपूर्ण स्रोत

- **सीवेज (अपशिष्ट जल):** सीवेज जल में रोगजनक, एक विशिष्ट जल प्रदूषक, अन्य हानिकारक बैक्टीरिया और रसायन होते हैं, जो गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं एवं इस प्रकार बीमारियों का कारण बन सकते हैं।

- **कृषि प्रदूषण:** फसलों को कीड़ों और जीवाणुओं से बचाने के लिए किसान रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों का उपयोग करते हैं। हालांकि, जब ये रसायन पानी में मिल जाते हैं, तो वे पौधों और जानवरों के लिए हानिकारक प्रदूषक पैदा करते हैं।
- **तेल प्रदूषण:** तेल रिसाव समुद्री जीवन के लिए एक बड़ा खतरा बन जाता है, जब बड़ी मात्रा में तेल समुद्र में फैल जाता है तथा जल में नहीं घुलता है। यह मछली, पक्षियों और स्थानीय समुद्री जीवों के लिए खतरा उत्पन्न करता है।
- **औद्योगिक अपशिष्ट:** पेट्रोलियम, कागज निर्माण, धातु निष्कर्षण और प्रसंस्करण, रासायनिक विनिर्माण इत्यादि जैसे उद्योगों से अपशिष्ट जल का निष्कर्षण होता है, जिसमें जहरीले पदार्थ होते हैं। विशेष रूप से, भारी धातुएं (पारा, कैडमियम, तांबा, सीसा, आर्सेनिक) एवं विभिन्न प्रकार के कार्बनिक यौगिक उपस्थित रहते हैं।
- **जीवाश्म ईंधन का जलना:** कोयला और तेल जैसे जीवाश्म ईंधन को जलाने पर वातावरण में पर्याप्त मात्रा में राख पैदा होती है। जिन कणों में विषैले रसायन होते हैं, वे जलवाष्प के साथ मिश्रित होने पर अम्लीय वर्षा का कारण बनते हैं।
- **नदी डंपिंग और समुद्री डंपिंग:** कागज, प्लास्टिक, भोजन, एल्यूमीनियम, रबर, कांच के रूप में घरों द्वारा उत्पादित कचरा एकत्र किया जाता है और नदियों और समुद्रों में फेंक दिया जाता है, वे न केवल जल प्रदूषण का कारण बनते हैं, बल्कि जलीय जानवरों को भी नुकसान पहुंचाते हैं।
- **नाइट्रेट:** घुले हुए नाइट्रेट आमतौर पर भूजल को प्रदूषित करते हैं। पीने के पानी में अतिरिक्त नाइट्रेट हीमोग्लोबिन के साथ प्रतिक्रिया करके गैर-कार्यात्मक मेथेमोग्लोबिन बनाता है तथा ऑक्सीजन परिवहन को बाधित करता है। इस स्थिति को मेथेमोग्लोबिनमिया या ब्लू बेबी सिंड्रोम कहा जाता है।
- **आर्सेनिक:** औद्योगिक एवं खदानों से निकलने वाले पानी के रिसाव, ताप विद्युत संयंत्रों के फ्लायैश तालाबों से लेकर भूजल तकम आर्सेनिक की मात्रा बढ़ा देते हैं। भारत और बांग्लादेश (गंगा डेल्टा) में लाखों लोग आर्सेनिक के उच्च स्तर से दूषित भूजल के संपर्क में हैं, जो एक अत्यधिक जहरीला और खतरनाक प्रदूषक है।
- **फ्लोराइड:** पीने के पानी में अत्यधिक फ्लोराइड न्यूरोमस्क्युलर विकार, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल समस्याएं, दांतों की विकृति, हड्डियों का सख्त होना और जोड़ों में अकड़न एवं दर्द (स्केलेटल फ्लोरोसिस) का कारण बनता है। हड्डियों और जोड़ों में दर्द तथा घुटनों से पैरों का बाहर की ओर झुकने को नॉक-नी सिंड्रोम कहा जाता है।

## भारत एवं विश्व में प्रवाल भित्तियां

प्रवाल वास्तव में एक जीवित प्राणी है। प्रवाल का 'जूजैथेला' के साथ सहजीवी संबंध है। अपनी प्रकाश संश्लेषण गतिविधियों के माध्यम से, जूजैथेला पोषक तत्व उत्पादन में प्रवाल की सहायता करते हैं। ये गतिविधियां प्रवाल को ऊर्जा के लिए निश्चित कार्बनिक यौगिक प्रदान करती हैं, कैल्सीफिकेशन को बढ़ावा देती हैं तथा मौलिक पोषक प्रवाह में मध्यस्थता करती हैं।

- प्रवाल ऊतक स्वयं प्रवाल चट्टान के सुंदर रंग नहीं हैं, बल्कि स्पष्ट (सफेद) हैं। प्रवालों को अपना रंग जूजैथेला से मिलता है, जो उनके ऊतकों के भीतर रहते हैं।

- बदले में, मेजबान कोरल पॉलिप अपने जूजैन्थेला को रहने के लिए एक सुरक्षित वातावरण के साथ-साथ प्रकाश संश्लेषण प्रक्रियाओं के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की एक स्थिर आपूर्ति प्रदान करता है।
- इन्हें 'समुद्री वर्षावन' के रूप में भी जाना जाता है, पृथ्वी की जैव विविधता में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। इनकी महासागरीय पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
- यह उपजलीय मूंगा पॉलीप-आधारित संरचनाएं हैं, जिन्हें कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है।

### प्रवाल भित्ति क्या है?

- प्रवाल चट्टानें प्राथमिक तलछटी चट्टानें हैं, जो समुद्र में महाद्वीपीय ढाल तथा मध्य-महासागरीय कटकों के समुद्री तल के ऊपर स्थित हैं।
- ये कार्बनिक तलछटी चट्टानें एक संयुक्त प्रक्रिया के माध्यम से महाद्वीपीय और कटकों के ऊपर बनती हैं, जिसमें अवसादन, संघनन और कोरल पॉलिप्स के कंकाल का जमना शामिल है।
  - प्रवाल भित्तियां, विशाल समुद्र के नीचे की संरचनाएं हैं, जो जलीय अकशेरुकी जीवों के बाह्य कंकाल से बनी होती हैं।
  - जिन प्रवाल से चट्टानों का निर्माण होता है, उन्हें 'हार्मेटिपिक' (कठोर) प्रवाल कहा जाता है। कठोर प्रवाल अपने कोमल शरीर को मजबूत बाह्य कंकाल के रूप में परिवर्तित करने के लिए समुद्री जल से कैल्शियम कार्बोनेट को अवशोषित करते हैं।
  - 'सॉफ्ट कोरल' एक और विशिष्ट प्रजाति है, जो किसी भी तरह से चट्टानों के निर्माण में भाग नहीं लेता है।

### प्रवाल भित्तियों के प्रकार

चार्ल्स डार्विन ने वर्ष 1831 में प्रवाल भित्तियों का वर्गीकरण दिया था। यह वर्गीकरण इसकी प्रकृति, संरचना और निर्माण के तरीकों पर आधारित है।

- **तटीय प्रवाल भित्ति (Fringing Reef)** : इस प्रकार की प्रवाल भित्तियां महाद्वीपों के पास बनती हैं तथा समुद्र तट के निकट रहती हैं। छोटे, उथले लैगून इन प्रवाल चट्टानों को तट से अलग करते हैं।
  - ❖ जैसे: अंडमान एवं निकोबार द्वीप, कच्छ की खाड़ी, मन्नार तथा पाक खाड़ी।
- **बैरियर रीफ्स (Barrier Reefs)** : यह प्रवाल भित्तियों में सबसे बड़ी, सबसे ऊंची और चौड़ी चट्टान है। बैरियर रीफ्स महाद्वीपीय मार्जिन के समानांतर चलने वाली रैखिक अपतटीय रीफ संरचनाएं हैं तथा व्यापक एवं गहरे गैर-नौकागम्य अवरोधों द्वारा तट से अलग होती है। चट्टान और तट के मध्य के जल निकाय को लैगून कहा जाता है।
  - विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति 'ग्रेट बैरियर रीफ' है, जो ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड के पूर्वी तट पर मौजूद है।
- **पैच रीफ (Patch Reef)** : पैच रीफ सामान्यतः महाद्वीपीय शेल्फ पर तटीय प्रवाल (Fringing) और बैरियर रीफ के मध्य बनते हैं। वे आमतौर पर बड़े सामूहिक चट्टानों या एटोल के भीतर उथले लैगून में पाए जाते हैं। पैच रीफ्स पानी में 10 से 20 फीट की गहराई तक तथा आमतौर पर स्थल के निकट पाए जाते हैं।

- **उदाहरण:** कैरेबियन और बहामास, बरमूडा और प्रशांत द्वीप समूह।
- **एटॉल रीफ्स (Atoll Reefs)** : एटॉल सामान्यतः घोड़े की नाल के पैटर्न या अण्डाकार आकार में संकीर्ण रूप से बढ़ने वाले प्रवाल की एक संरचना है। प्रवाल भित्ति लैगून के मध्य में लैगून होता है अर्थात् एटॉल के भीतर कोई भूमि नहीं पाई जाती है। विभिन्न एटॉल की शृंखलाओं को सामूहिक रूप से फारोस (Faros) कहा जाता है। उदाहरण : लक्षद्वीप।

### प्रवाल भित्तियों का निर्माण

प्रवाल पारिस्थितिक पदानुक्रम में जनसंख्या एवं समुदाय के मध्य स्थित पौधे और जंतु की अतिजीविता (Superorganism) हैं।

- जंतु घटक संघ निडेरिया (Phylum Cnidaria) वर्ग के एंथोजोआ (Anthozoa) से संबंधित है, जबकि पौधे का घटक शैवाल है, जिसे जूजैन्थेला (Zooxanthellae) कहा जाता है, जिसमें क्लोरोफिल वर्णक होता है।
- इस शैवाल में प्रकाश संश्लेषण क्षमताएं होती हैं, जो कोरल पॉलिप्स को कार्बन यौगिक प्रदान करता है। बदले में, पॉलिप्स जूजैन्थेला को आश्रय प्रदान करते हैं।
- पॉलिप्स खारे पानी से कैल्शियम लवण निकालते हैं और उनका उपयोग कठोर कंकाल बनाने के लिए करते हैं।
- मृत पॉलिप्स के कंकाल नई पीढ़ियों को जन्म देते हैं। यह चक्र निरंतर चलता रहता है, जिसके परिणामस्वरूप प्रवाल परतों का निर्माण होता है। इन निक्षेपों के दौरान बनी उथली चट्टानों से अंततः द्वीप का निर्माण होता है।
- प्रवाल चूनेदार पत्थर के समूह होते हैं, जो ट्यूबलर कंकाल के रूप में ऊपर और बाहर की ओर बढ़ते हैं। लवण की प्रकृति के आधार पर मूंगे की चट्टानें विभिन्न आकार और रंगों में दिखाई दे सकती हैं।

### प्रवाल की वृद्धि के लिए आवश्यक परिस्थितियां

- **कठोर सतह (Hard Surface):** कोरल पॉलिप्स के कंकालों के संघनन और जमने के लिए जल के नीचे एक ठोस आधार, जैसे महाद्वीपीय शेल्फ या मध्य-महासागरीय कटक का होना आवश्यक है।
- **गहराई (Depth):** शैवाल द्वारा प्रकाश संश्लेषण के लिए पर्याप्त धूप सुनिश्चित करने के लिए जल में डूबे आधार की गहराई समुद्र तल से 80 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- **गर्म समुद्री जल (Warm Oceanic Water):** कोरल पॉलिप्स लगभग 20 डिग्री सेल्सियस तापमान वाले गर्म जल में पनपते हैं। महाद्वीपों के पूर्वी तट पर व्यापक प्रवाल भित्तियां पाई जाती हैं, जहां तलछट जमा होने से उनके विकास में बाधा आती है।
- **तलछट-मुक्त पानी (Sediment-Free Water):** प्रवाल अपेक्षाकृत तलछट-मुक्त जल में विकास करते हैं, क्योंकि अत्यधिक तलछट श्वसन में बाधा डाल सकती है तथा प्रवाल पॉलिप्स की जल्दी मृत्यु का कारण बन सकती है। भारत के पश्चिमी तट पर तलछट का स्तर कम होने के कारण प्रवाल भित्तियों का प्रभुत्व है।
- **पोषक तत्वों की आपूर्ति (Nutrient Supply):** कोरल पॉलिप्स के स्वस्थ विकास के लिए पर्याप्त पोषक तत्वों की आपूर्ति आवश्यक है। चट्टानों के समुद्री किनारे समुद्री लहरों से लाभान्वित होते हैं, जो पोषक तत्वों के वितरण को सुविधाजनक बनाते हैं।




## प्रारंभिक परीक्षा

- **हल्की लवणता (Mild Salinity):** इष्टतम लवणता स्तर कोरल पॉलीप कंकालों की वृद्धि और विकास का समर्थन करते हैं, क्योंकि वे समुद्री जल से कैल्शियम प्राप्त करते हैं।

## प्रवाल भित्तियों का स्थान एवं वितरण

अधिकांश प्रवाल भित्तियाँ प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, कैरेबियन सागर, लाल सागर और फारस की खाड़ी में कर्क और मकर रेखा के मध्य स्थित हैं।

- प्रवाल भूमध्य रेखा से दूर उन स्थानों पर भी पाए जाते हैं, जहाँ गर्म धाराएँ उष्णकटिबंधीय क्षेत्र से बाहर बहती हैं, जैसे कि फ्लोरिडा और दक्षिणी जापान में।



- विश्व भर में, प्रवाल चट्टानें अनुमानित 1,10,000 वर्ग मील (2,84,300 वर्ग किलोमीटर) क्षेत्रफल में फैले हुए हैं।
- उष्णकटिबंधीय महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर मूंगा चट्टानें अनुपस्थित हैं, क्योंकि:
  - दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर (पेरू की ठंडी धारा), अफ्रीका के पश्चिमी तट पर (बेंगुएला ठंडी जलधारा और कनारी जलधारा), ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पर (पश्चिम ऑस्ट्रेलियाई ठंडी जलधारा) आदि ठंडी तटीय धाराओं की उपस्थिति।
- इंडोनेशिया में विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति क्षेत्र है। दक्षिण एशिया में भारत, मालदीव, श्रीलंका और चागोस में सर्वाधिक प्रवाल भित्तियाँ हैं।
- ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड तट की ग्रेट बैरियर रीफ प्रवाल भित्तियों का सबसे बड़ा समूह है, जिसकी लंबाई 1,931 किलोमीटर और चौड़ाई 16-322 किलोमीटर तक है।
- भारत में प्रवाल भित्ति लक्षद्वीप द्वीप समूह, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, कच्छ की खाड़ी, कर्नाटक में नेत्राणी द्वीप, मन्नार की खाड़ी और पाक खाड़ी में पाए जाते हैं।

## प्रवाल विरंजन के लिए उत्तरदायी कारक

- **समुद्री तापमान (Sea Temperature):** प्रवाल प्रजातियाँ गर्म तापमान के करीब पानी में रहना पसंद करती हैं, लेकिन समुद्र के तापमान में मामूली वृद्धि मूंगों को नुकसान पहुंचा सकती है। अल नीनो और समुद्री गर्म लहरें जैसी घटनाएँ समुद्र के तापमान को बढ़ाती हैं और मूंगा चट्टानों को नष्ट कर देती हैं।
- **अत्यधिक निम्न ज्वार (Extreme low tides):** निम्न ज्वार की चरम घटनाएँ मूंगों को सौर और पराबैंगनी विकिरणों के संपर्क में लाते हैं, जो मूंगे के विरंजन को प्रेरित करते हैं।

- **महासागरीय अम्लीकरण (Ocean Acidification):** महासागर कार्बन सिंक के रूप में कार्य करता है, लेकिन अधिक कार्बन डाइऑक्साइड समुद्र की अम्लीयता को बढ़ाता है। समुद्र के पानी की अम्लीयता में यह वृद्धि प्रवाल की चूनेदार कंकाल बनाने की क्षमता को बाधित करता है, जो उनके अस्तित्व के लिए आवश्यक है।
- **रोग (Diseases):** विब्रियो शिलोई जैसे बैक्टीरिया की प्रजातियाँ जूजैन्थेला के प्रकाश संश्लेषण को रोकते हैं। समुद्र के ऊंचे तापमान पर ये बैक्टीरिया अधिक शक्तिशाली हो जाते हैं।
- **महासागर प्रदूषण (Ocean Pollution):** पोषक तत्वों की बढ़ती सांद्रता से फाइटोप्लैंक्टन की अत्यधिक वृद्धि होती है, जिससे चट्टानों पर दबाव पड़ सकता है।
- **अवसादन (Sedimentation):** भूमि कटाव की उच्च दर के कारण गाद और अन्य तलछट समुद्र के पानी में घुल जाते हैं, जिससे जल में प्रकाश की पारगम्यता कम हो जाती है। जल का गंदलापन प्रकाश की उपलब्धता को कम कर देता है, जिससे प्रवाल के प्रकाश संश्लेषण और विकास में संभावित कमी आती है।
- **मानवजनित खतरा (Anthropogenic threat):** अत्यधिक मछली पकड़ने, कृषि और औद्योगिक अपवाह से प्रदूषण, प्रवाल (मूंगा) खनन, मूंगा पारिस्थितिक तंत्र के पास औद्योगिक क्षेत्रों के विकास का प्रवाल चट्टानों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

## प्रवाल विरंजन (Coral Bleaching)

- प्रवाल विरंजन तब होता है जब, जूजैन्थेला (Zooxanthellae) का घनत्व कम हो जाता है तथा जूजैन्थेला के भीतर प्रकाश संश्लेषक वर्णक की सांद्रता कम हो जाती है।
- प्रवाल आमतौर पर विरंजन की स्थिति में अपने जूजैन्थेला का 60-90 प्रतिशत खो देते हैं और प्रत्येक जूजैन्थेला अपने प्रकाश संश्लेषक वर्णक का 50-80 प्रतिशत खो सकता है।
- यदि तनाव-प्रेरित विरंजन बहुत गंभीर नहीं है तथा समय के साथ कमजोर पड़ जाता है, तो प्रभावित प्रवाल आमतौर पर कुछ हफ्तों या महीनों के भीतर अपने सहजीवी शैवाल को पुनः प्राप्त कर लेते हैं।
- यदि तनाव बना रहता है और जूजैन्थेला की घटती आबादी ठीक नहीं होती है, तो प्रवाल अंततः मर जाता है।
- 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर के तापमान पर जूजैन्थेला में प्रकाश संश्लेषण मार्ग खराब हो जाते हैं, जिससे मूंगा एवं शैवाल के सहजीवन का विघटन हो जाता है।

## वैकल्पिक ईंधन

- वैकल्पिक ईंधन पेट्रोलियम के अतिरिक्त अन्य स्रोतों से प्राप्त होते हैं। इसको नवीकरणीय स्रोतों से प्राप्त किया जाता है तथा उत्पादन घरेलू स्तर पर किया जाता है, जिससे आयातित तेल पर निर्भरता कम हो जाती है। यह गैसोलीन या डीजल की अपेक्षा कम प्रदूषण उत्पन्न करता है।
- वैकल्पिक ईंधन के उपयोग को सरकार निरंतर प्रोत्साहित करती रहती है, जिसके प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं-
    - कच्चे तेल के लिए आयात निर्भरता को कम करना,
    - कार्बन उत्सर्जन में कमी,
    - वायु प्रदूषण को कम करना आदि।

### वैकल्पिक ईंधन प्रौद्योगिकी

वैकल्पिक ईंधन में हाइड्रोजन, प्राकृतिक गैस तथा प्रोपेन जैसे गैसीय ईंधन शामिल हैं। इथेनॉल, मेथनॉल और ब्यूटेनॉल जैसे अल्कोहल, वनस्पति और अपशिष्ट-व्युत्पन्न तेल आदि ईंधन के वैकल्पिक स्रोत हैं।

- इन ईंधनों का उपयोग एक समर्पित प्रणाली में किया जा सकता है, जो एकल ईंधन को जलाती है या पारंपरिक गैसोलीन अथवा डीजल सहित अन्य ईंधन के साथ मिश्रित प्रणाली में किया जाता है, जैसे हाइब्रिड-इलेक्ट्रिक या लचीले ईंधन वाहनों में।
- कुछ वाहन, वाहन निर्माता द्वारा वैकल्पिक ईंधन के लिए डिजाइन किए गए हैं। अन्य को मूल कॉन्फिगरेशन से इंजन नियंत्रण और ईंधन प्रणाली को संशोधित करके वैकल्पिक ईंधन पर चलाने के लिए परिवर्तित किया जाता है।
- ऊर्जा का उपयोग एक प्रमुख संकेतक होने के साथ-साथ विकास का एक प्रमुख उपकरण भी है। ऊर्जा का उपयोग न केवल लागत प्रभावी होना चाहिए, बल्कि पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ भी होना चाहिए। इस संबंध में भारत के लिए मौजूदा ईंधन विकल्पों का मूल्यांकन करना तथा किसी क्षेत्र में ईंधन की आवश्यकता और उपलब्धता के अनुसार अपने ईंधन विकल्पों में विविधता लाने की कोशिश करना अनिवार्य है।

### वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत

#### ✓ वनस्पति तेल :

- पौधों से निकाले गए शुद्ध तेल को बड़े पैमाने पर अनुपचारित रेपसीड, सोया, मक्का और सूरजमुखी का उपयोग किया जाता है।
- तेल सीधे पौधों से निकाला जाता है। इन्हें विलायक के साथ बचे हुए अपशिष्ट से भी निकाला जाता है।
- इसके उपरांत छानकर सफाई की जाती है, जिससे ठोस पदार्थ तथा कैल्शियम, मैग्नीशियम एवं फास्फोरस जैसे घटक भी कम हो जाते हैं।
- वनस्पति तेल डीजल की तुलना में बहुत अधिक चिपचिपे (गाढ़े) होते हैं तथा पेट्रोल के विकल्प के रूप में उपयुक्त नहीं होते हैं।
- इन्हें प्रज्वलित करना कठिन होता है तथा ये डीजल की तुलना में प्रति लीटर थोड़ी कम ऊर्जा प्रदान करते हैं।
- चिपचिपाहट और प्रज्वलन विशेषताओं में सुधार के लिए अक्सर 10% तक जीवाश्म डीजल मिलाया जाता है। ट्रैक्टर और कृषि मशीनरी इंजनों में इसका उपयोग किया जा सकता है।

#### ✓ बायोडीजल

- बायोडीजल को अक्सर फैटी एसिड मिथाइल एस्टर (FAME) या RME (रेपसीड मिथाइल एस्टर) के रूप में जाना जाता है।
- यह वनस्पति या पशु मूल के तेल और ग्रीस पर आधारित होता है। इन्हें मेथनॉल की सहायता से विशेष रूप से इस उद्देश्य के लिए डिजाइन की गई रिफाइनरियों में बायोडीजल में 'ट्रांसएस्टरिफाइड' किया जाता है।

#### ✓ बायोएथेनॉल

- बायोएथेनॉल, जिसे आमतौर पर एगो-एथेनॉल के रूप में जाना जाता है, पौधों के अवशेषों से बनाया जाता है, जिनमें अवशिष्ट चीनी अथवा स्टार्च सामग्री होती है।

- इन कच्चे माल को किण्वित करके अल्कोहल का उत्पादन किया जाता है, जो आमतौर पर खाद्य पदार्थों में उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं होते हैं।
- प्रारंभिक सामग्री को मेश के रूप में तैयार किया जाता है, जिसमें खमीर मिलाया जाता है। घटकों के परिणामस्वरूप किण्वन होता है, जिससे अल्कोहल उत्पन्न होता है।
- फिर अल्कोहल की मात्रा को किण्वित द्रव्यमान से आसुत किया जाता है। अंतिम परिणाम 99.9% तक अल्कोहल सामग्री वाला बायोएथेनॉल होता है।
- शुद्ध बायोएथेनॉल में पेट्रोल की तुलना में अधिक ऑक्टेन रेटिंग और एक अलग प्रज्वलन बिंदु होता है।

#### ✓ प्राकृतिक गैस (CNG)- संपीड़ित प्राकृतिक गैस

- पेट्रोलियम की तरह, प्राकृतिक गैस जीवाश्म घटकों से उत्पन्न होती है।
- यह भूमिगत भंडार से निकाला जाता है और इसमें मुख्य रूप से अत्यधिक ज्वलनशील मीथेन होता है।
- कुछ मामलों में इसे संक्षारक, विषाक्त या गैर-दहनशील विदेशी गैसों से साफ करना पड़ता है।
- ईंधन के रूप में उपयोग के लिए इसे संपीड़ित किया जाता है और अधिक दबाव वाले गैस टैंकों में संग्रहीत या विपणन किया जाता है।
- प्राकृतिक गैस हानिकारक हाइड्रोजन सल्फाइड (कोई अम्ल वर्षा नहीं) के बिना साफ जलती है।
- न तो नाइट्रोजन ऑक्साइड, पार्टिकुलेट मैटर और न ही कालिख किसी महत्वपूर्ण मात्रा में उत्पन्न होते हैं।
- इसका उपयोग बसों या उपयुक्त रूप से डिजाइन किए गए नए वाहनों में भी किया जा सकता है।
- सीएनजी और पेट्रोल पर चलने वाले द्विसंयोजक वाहनों और विशुद्ध रूप से गैस पर चलने वाले मोनोवैलेंट वाहनों के बीच अंतर करना महत्वपूर्ण है।
- प्राकृतिक गैस से चलने वाले इंजनों का उपयोग विद्युत ऊर्जा के वैकल्पिक उत्पादन के लिए बड़े पैमाने पर किया जाता है, खासकर जहां अपशिष्ट ताप का उपयोग किया जाता है।
  - ✧ बायोगैस का उत्पादन किसी भी प्रकार के बायोमास को किण्वित करके किया जाता है। इसकी मीथेन सामग्री प्राकृतिक गैस की तुलना में काफी कम है। इसमें बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड होता है।

#### ✓ एलपीजी ( तरलीकृत पेट्रोलियम गैस )


- तरलीकृत पेट्रोलियम गैस मुख्य रूप से प्राकृतिक गैस और कच्चे तेल को निकालते समय तथा कच्चे तेल को आसवित करते समय उप-उत्पाद के रूप में प्राप्त की जाती है।
- इसमें प्रोपेन, ब्यूटेन या दोनों का मिश्रण हो सकता है। जीवाश्म ईंधन के रूप में, इसका उपयोग ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए पेट्रोल इंजन में भी किया जाता है।
- एलपीजी परिवेश के ताप और दाब पर गैसीय है। हालांकि, इसे कम दबाव पर, आमतौर पर कमरे के तापमान पर 6 बार, तरलीकृत किया जाता है। एक बार संघनित होने पर, इसका आयतन 260 गुना कम हो जाता है।

## प्रारंभिक परीक्षा

- इसमें 100 ऑक्टेन से अधिक का उच्च नॉक प्रतिरोध होता है। एलपीजी लगभग सल्फर मुक्त जलती है, कोई कालिख उत्पन्न नहीं होती है। उत्सर्जन मूल्य पेट्रोल की तुलना में कम हैं।
- एलपीजी संचालन के लिए गैस टैंक से सुसज्जित पेट्रोल वाहनों के लिए ईंधन के रूप में उपयोग होता है, इसीलिए इसे 'ऑटोगैस' के नाम से भी जाना जाता है।

### ✓ मेथनॉल

- तरल ईंधन बनाने का एक अन्य तरीका गैसीकरण प्रक्रिया से प्राप्त सिन गैस को संपीड़ित करना है। मेथनॉल बनाने के लिए CO और H<sub>2</sub> के मिश्रण को इसके दबाव और तापमान में समायोजित किया जाता है।



- मेथनॉल का उपयोग सीधे आईसी इंजन में किया जा सकता है या जिओलाइट उत्प्रेरक का उपयोग करके पेट्रोल में भी परिवर्तित किया जा सकता है।
- मेथनॉल का उत्पादन किसी भी हाइड्रोकार्बन से किया जा सकता है, न कि केवल कोयले से, जिसमें प्राकृतिक गैस, बायोमास और यहां तक कि कैप्चर किए गए कार्बन डाइऑक्साइड भी शामिल हैं।
- मेथनॉल का उपयोग ईंधन-सेल में भी किया जा सकता है और इस प्रकार इलेक्ट्रिक वाहनों क्रांति को बढ़ावा मिल सकता है।
- मेथनॉल को अपनाकर भारत तेल पर अपनी आयात निर्भरता को कम कर सकता है और साथ ही सस्ता ईंधन प्राप्त कर सकता है।

ऊर्जा का उपयोग एक प्रमुख संकेतक होने के साथ-साथ विकास का एक प्रमुख उपकरण भी है। ऊर्जा का उपयोग न केवल लागत प्रभावी होना चाहिए, बल्कि पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ भी होना चाहिए। इस संबंध में भारत के लिए मौजूदा ईंधन विकल्पों का मूल्यांकन करना और किसी क्षेत्र में ईंधन की आवश्यकता और उपलब्धता के अनुसार अपने ईंधन विकल्पों में विविधता लाने की कोशिश करना अनिवार्य है।

## पर्यावरण एवं जैव-विविधता:

### महत्वपूर्ण शब्दावली

**बायोब्लिट्ज (Bioblitz):** लघु अवधि (आमतौर पर 24 से 48 घंटे) की घटना, जो किसी विशेष क्षेत्र में जैव विविधता का नमूना लेने के लिए पेशेवर प्रजाति विशेषज्ञों और जनता को एक साथ लाती है।

- **सिन्कोलॉजी (Synecology):** यह विभिन्न प्रजातियों का अध्ययन करता है, जो एक समुदाय में रहती हैं और परिस्थितियों के साथ बातचीत करती हैं। सिन्कोलॉजी को आगे स्थलीय और जलीय पारिस्थितिकी में वर्गीकृत किया गया है।
- **सिस्टम पारिस्थितिकी (System ecology):** पारिस्थितिकी की उस शाखा से संबंधित है, जो पारिस्थितिकी तंत्र को समझने के लिए आधुनिक तकनीक का लाभ उठाती है।
- **फेनोटाइप (Phenotype):** किसी अंग के लक्षण की शारीरिक अभिव्यक्ति (बाहरी उपस्थिति), जो आनुवंशिकी, पर्यावरण या दोनों की परस्पर क्रिया का परिणाम होती है।

➤ **टैक्सन (Taxon):** संबंधित जीवों को वर्गीकृत करने के लिए जैविक प्रणाली में उपयोग की जाने वाली इकाई या श्रेणी है। टैक्सन (Taxa) को जगत (kingdom) से उप-प्रजाति (subspecies) तक अवरोही क्रम में क्रमबद्ध किया गया है तथा इसमें फाइला (phyla), परिवार (families), जेनेरा (genera) और प्रजाति (species) जैसे समूह शामिल हैं।

➤ **क्रायोस्फीयर (Cryosphere):** इस पर्यावरण शब्दावली का अर्थ पृथ्वी की सतह पर बर्फ और ग्लेशियरों से ढका हुआ क्षेत्र है।

➤ **डेट्रिटिवोर्स (Detritivores):** वे सूक्ष्मजीव जो डिट्रिटस को विघटित करते हैं, डेट्रिटिवोर्स होते हैं।

➤ **इकोफीन (Ecophene):** एक ही जीनोटाइप वाली लेकिन एक विशेष निवास स्थान में एक अलग फेनोटाइप वाली आबादी को इकोफीन माना जाता है।

➤ **प्रजातिवाद (Speciesism):** अन्य प्रजातियों के प्रति भेदभाव (मनुष्यों द्वारा) पूरी तरह से इस आधार पर कि वे मानव नहीं हैं, विशेष रूप से जानवरों के प्रति क्रूरता या उनके शोषण से प्रकट होता है या केवल उनके हितों पर विचार करने की कमी से प्रकट होता है।

➤ **ईआईए (EIA):** इस पारिस्थितिकी शब्दावली का अर्थ विकास परियोजनाओं के कारण पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों का विश्लेषण करना है।

➤ **इकोफीन (Ecophene):** एक ही जीनोटाइप वाली, लेकिन एक विशेष निवास स्थान में एक अलग फेनोटाइप वाली आबादी को इकोस्फीयर माना जाता है।

➤ **बायोमिमेटिक मिमिक्री (Biomimetic Mimicry):** बायोमिमेटिक मिमिक्री, जिसे बायोमिमिक्री के रूप में भी जाना जाता है, उन रणनीतियों से सीखने और उनका उपयोग करने का एक तरीका है, जो प्रजातियां जीवित रहने के लिए उपयोग करती हैं।

➤ **एलोपेट्रिक विशिष्टता (Allopatric Speciation):** एलोपेट्रिक एक प्रजाति है, जो तब होती है जब एक ही प्रजाति की दो आबादी भौगोलिक परिवर्तनों के कारण एक-दूसरे से अलग हो जाती हैं। प्रजाति उद्भवन एक क्रमिक प्रक्रिया है, जिसके द्वारा जनसंख्या विभिन्न प्रजातियों में विकसित होती है। एक प्रजाति को स्वयं एक ऐसी आबादी के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो परस्पर प्रजनन कर सकती है। इसलिए प्रजातिकरण के दौरान, एक आबादी के सदस्य दो या दो से अधिक अलग-अलग आबादी बनाते हैं, जो अब एक-दूसरे के साथ प्रजनन नहीं कर सकते हैं।

➤ **किमोसिनथेसिस (Chemosynthesis):** ऑटोट्रॉफिक उत्पादकता जो जैवसंश्लेषण को चलाने के लिए कुछ अकार्बनिक रसायनों (जैसे सल्फाइड) के ऑक्सीकरण के दौरान जारी ऊर्जा का उपयोग करती है।

➤ **कॉलिफोर्म (Coliform):** मनुष्यों और जानवरों की आंत्र पथ (Intestinal Tract) में पाए जाने वाले सूक्ष्मजीव हैं। पानी में उनकी उपस्थिति मल प्रदूषण और रोगजनकों द्वारा संभावित प्रतिकूल संदूषण का संकेत देती है।

➤ **गैया परिकल्पना (Gaia hypothesis):** एक धारणा जो पृथ्वी की प्रजातियों और पारिस्थितिक तंत्रों को एक 'सुपरऑर्गेनिज्म' के रूप में देखती है तथा जो अपने स्वयं के स्वास्थ्य और अस्तित्व को बढ़ाने के लिए पर्यावरणीय परिस्थितियों को अनुकूलित करने का प्रयास करती है। ■■

## विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

### ब्रह्मांडीय पिंड एवं परिघटनाएं

अंतरिक्ष विज्ञान उन वाहनों से किया जाने वाला यात्रा विज्ञान है, जो पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल या उससे परे यात्रा करते हैं। इसमें मौसम विज्ञान, भूविज्ञान, चंद्र, सौर एवं ग्रह विज्ञान, खगोल विज्ञान तथा खगोल भौतिकी और जीवन विज्ञान सहित विषयों की एक विस्तृत शृंखला शामिल है।

- **कुइपर बेल्ट (Kuiper Belt):** अरोकोथ (Arrokoth) और प्लूटो दोनों कुइपर बेल्ट में हैं। नेपच्यून की कक्षा से परे बर्फीले पिंडों का एक डोनट के आकार (donut-shaped region) का क्षेत्र है, जो हमारे सौर मंडल के इस सुदूर क्षेत्र में लाखों बर्फीली वस्तुओं का भंडार है, जिन्हें सामूहिक रूप से कुइपर बेल्ट ऑब्जेक्ट (KBO) या ट्रांस-नेपच्यूनियन ऑब्जेक्ट (TNO) कहा जाता है।
  - कुइपर बेल्ट वास्तव में अंतरिक्ष में एक सीमांत है, जो न्यू होराइजन्स टीम (New Horizons Team) के अनुसार क्षुद्रग्रह बेल्ट के समान, कुइपर बेल्ट सौर मंडल के प्रारंभिक इतिहास के बचे हुए पदार्थों का एक क्षेत्र है।
  - क्षुद्रग्रह बेल्ट की तरह, इसे भी एक विशाल ग्रह का आकार दिया गया है, हालांकि यह एक पतली बेल्ट की तुलना में एक मोटी डिस्क की तरह है।
- **रेड शिफ्ट (Red Shift):** 'रेड शिफ्ट' खगोलविदों के लिए एक प्रमुख अवधारणा है। इस शब्द को शाब्दिक रूप से समझा जा सकता है - प्रकाश की तरंग दैर्घ्य फैली हुई है, इसलिए प्रकाश को स्पेक्ट्रम के लाल भाग की ओर 'स्थानांतरण' के रूप में देखा जाता है।
  - ध्वनि तरंगों के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है, जब ध्वनि का कोई स्रोत किसी पर्यवेक्षक के सापेक्ष गति करता है।
  - रेडशिफ्ट एवं ब्लूशिफ्ट बताते हैं कि जब अंतरिक्ष में वस्तुएं (जैसे तारे या आकाशगंगाएं) हमसे करीब या दूर जाती हैं तो प्रकाश कैसे छोटी या लंबी तरंग दैर्घ्य की ओर स्थानांतरित होता है।
  - दृश्यमान प्रकाश रंगों का एक स्पेक्ट्रम है। ब्रह्माण्ड संबंधी रेडशिफ्ट अंतरिक्ष के विस्तार के कारण होने वाला रेडशिफ्ट है। बिग बैंग के परिणामस्वरूप, ब्रह्माण्ड का विस्तार हो रहा है तथा इसके भीतर की अधिकांश आकाशगंगाएं एक दूसरे से दूर जा रही हैं।
- **सुपर मून और ब्लू मून (Super Moon And Blue Moon):** एक 'सुपरमून' हमें रात के आकाश में सामान्य से बड़े चंद्रमा के रूप में दिखाई देता है। सुपरमून सिर्फ इसलिए बड़ा दिखता है, क्योंकि यह पृथ्वी से थोड़ा करीब होता है। 'सुपरमून' वास्तव में सिर्फ एक उपनाम है, जिसे खगोलशास्त्री पेरिजियन पूर्णिमा (Perigean Full Moon) कहते हैं।
  - चंद्रमा का रंग नीला नहीं होता। वास्तव में, ब्लूमून नियमित, मासिक पूर्णिमा से अलग नहीं दिखता है; बल्कि, ब्लूमून विशेष है, क्योंकि यह चार पूर्ण चंद्रमाओं वाले वर्ष में 'अतिरिक्त' चंद्रमा है। ऐसा आमतौर पर हर ढाई साल में होता है। 1940 के दशक से, 'ब्लू मून' शब्द का उपयोग एक कैलेंडर माह में दूसरी पूर्णिमा के लिए भी किया जाता रहा है।

- **क्वासर (Quasar):** क्वासर, बहुत अधिक चमक वाली एक खगोलीय पिंड है, जो कुछ आकाशगंगाओं के केंद्र में पाया जाता है तथा एक अत्यंत बड़े ब्लैक होल में उच्च वेग से सर्पिल गैस द्वारा संचालित होता है।
  - सबसे चमकीले क्वासर उन आकाशगंगाओं के सभी तारों को मात दे सकते हैं, जिनमें वे रहते हैं, जिससे वे अरबों प्रकाश-वर्ष की दूरी पर भी दिखाई देते हैं।
  - क्वासर ज्ञात सबसे दूर और चमकदार पिंड हैं, परन्तु ये तारा नहीं हैं।
- **बौने ग्रह (Dwarf Planet):** बौने ग्रह ऐसे खगोलीय पिंड हैं, जो ग्रह माने जाने के लिए बहुत छोटे हैं, लेकिन छोटी श्रेणियों में आने के लिए बहुत बड़े हैं। अंतरराष्ट्रीय खगोलीय इकाई (IAU) एक ग्रह को ऐसे परिभाषित करती है, जो निम्नलिखित मानदंडों का पालन करता है:
  - ✧ सूर्य के चारों ओर कक्षा हो,
  - ✧ इसमें अपने द्रव्यमान को गोल आकार में खींचने के लिए पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण हो,
  - ✧ छोटी वस्तुओं से रहित कक्षा हो।
- ग्रह और बौने ग्रह अंतिम बिंदु पर भिन्न होते हैं। किसी ग्रह का गुरुत्वाकर्षण या तो उसकी कक्षा में बाधा डालने वाले छोटे पिंडों को आकर्षित करेगा या दूर धकेल देगा, लेकिन बौने ग्रह का गुरुत्वाकर्षण ऐसा करने के लिए पर्याप्त नहीं है।
- **डार्क एनर्जी (Dark Energy):** डार्क एनर्जी, एक प्रतिकारक शक्ति (Repulsive Force) है, जो ब्रह्माण्ड का प्रमुख घटक (69.4 प्रतिशत) है। ब्रह्माण्ड के शेष भाग में साधारण पदार्थ एवं डार्क मैटर शामिल हैं। पदार्थ के दोनों रूपों के विपरीत, डार्क एनर्जी समय और स्थान में अपेक्षाकृत एक समान होती है तथा अपने द्वारा घरे गए आयतन के भीतर आकर्षण नहीं, बल्कि गुरुत्वाकर्षण रूप से प्रतिकारक होती है। डार्क एनर्जी की प्रकृति को अभी भी अच्छी तरह से समझा नहीं जा सका है।
- **डार्क मैटर (Dark Matter):** डार्क मैटर पूर्णतः अदृश्य है। यह कोई प्रकाश या ऊर्जा उत्सर्जित नहीं करता है तथा इसका पारंपरिक सेंसर और डिटेक्टरों द्वारा पता नहीं लगाया जा सकता है।
  - वैज्ञानिकों का मानना है कि इसकी मायावी प्रकृति की कुंजी इसकी संरचना में छिपी है। ब्रह्माण्ड में 80% से अधिक पदार्थ डार्क मैटर से बना है, लेकिन वैज्ञानिकों ने इसे कभी नहीं देखा है।
  - हम केवल यह मानते हैं कि इसका अस्तित्व है, क्योंकि इसके बिना, तारों, ग्रहों और आकाशगंगाओं के अस्तित्व का कोई अर्थ नहीं बनता है।
- **निहारिका (Nebula):** निहारिका अंतरिक्ष में धूल एवं गैस का एक विशाल बादल है। कुछ निहारिकाएं किसी मरते हुए तारे के विस्फोट से निकली गैस और धूल से बनती हैं, जैसे कि सुपरनोवा। अन्य निहारिकाएं ऐसे क्षेत्र हैं, जहां नए तारे बनना शुरू हो रहे हैं। इस कारण से, कुछ निहारिकाओं को 'स्टार नर्सरीज' भी कहा जाता है।

## प्रारंभिक परीक्षा

- **न्यूट्रॉन तारा (Neutron Stars):** न्यूट्रॉन तारे उच्च द्रव्यमान वाले तारों के संभावित विकासवादी अंत-बिंदुओं में से एक हैं।
  - एक बार जब तारे का कोर पूरी तरह से जलकर लोहे में बदल जाता है, तो ऊर्जा उत्पादन बंद हो जाता है और कोर तेजी से ठंडा होने लगता है।
  - तारे की सतह पर न्यूट्रॉन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों में विघटित हो जाते हैं तथा इस प्रकार एक न्यूट्रॉन स्टार का निर्माण होता है।
  - न्यूट्रॉन तारे में बहुत अधिक घनत्व होता है। इसके अधिक द्रव्यमान के कारण इसका गुरुत्वाकर्षण इतना मजबूत होता है कि यह और सिकुड़कर ब्लैक होल बन जाता है।
- **पल्सर (Pulsar):** पल्सर एक तेजी से घूमने वाला न्यूट्रॉन तारा है। पल्सर में मजबूत चुंबकीय क्षेत्र होते हैं, जो कणों को उनके चुंबकीय ध्रुवों के साथ जोड़ते हैं। चुंबकीय क्षेत्र के ध्रुव पल्सर के घूमने की धुरी के साथ संरिखित नहीं होते हैं; अतः पल्सर के घूमने पर कणों की किरणें और उनके द्वारा उत्पन्न प्रकाश चारों ओर बिखर जाते हैं।
- **रोग प्लैनेट्स (Rogue Planets):** ऐसे ग्रह पिंड जो तारा के चारों ओर परिक्रमा नहीं करते हैं और अंतरिक्ष में स्वतंत्र रूप से तैरते हैं, रोग प्लैनेट्स कहलाते हैं।
  - तारों के बजाय वे आकाशगंगा की परिक्रमा करते हैं। वे गुरुत्वाकर्षण के कारण किसी भी तारे से बंधे नहीं हैं। इसके कारण अंतरिक्ष में इनका पता लगाना बहुत कठिन होता है।
  - खगोलविद गुरुत्वाकर्षण माइक्रोलेंसिंग नामक एक खगोलीय घटना का उपयोग करके इनका पता लगाते हैं।
- **बैरीसेंटर (Barycenter):** हम कहते हैं कि ग्रह तारों की परिक्रमा करते हैं, लेकिन यह पूरा सच नहीं है। ग्रह और तारे वास्तव में अपने सामान्य द्रव्यमान केंद्र के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। द्रव्यमान के इस सामान्य केंद्र को बैरीसेंटर कहा जाता है।
  - प्रत्येक वस्तु का एक द्रव्यमान केंद्र होता है। यह उन सभी सामग्रियों का सटीक केंद्र है, जिनसे कोई वस्तु बनी है। किसी वस्तु का द्रव्यमान केंद्र वह बिंदु है, जिस पर उसे संतुलित किया जा सकता है।
  - अंतरिक्ष में, एक-दूसरे की परिक्रमा करने वाली दो या दो से अधिक वस्तुओं का भी एक द्रव्यमान केंद्र होता है। यह वह बिंदु है, जिसके चारों ओर वस्तुएं परिक्रमा करती हैं। बैरीसेंटर आमतौर पर सबसे अधिक द्रव्यमान वाली वस्तु के सबसे करीब होता है।
- **इवेंट होराइजन (Event horizon):** कण भौतिकी (Particle Physics) का मानक मॉडल एक गणितीय मॉडल है, जो विद्युत चुंबकत्व (Electromagnetism), मजबूत और कमजोर परमाणु बलों और हिग्स तंत्र (Higgs Mechanism) का वर्णन करता है।
  - स्ट्रिंग सिद्धांत (String Theory) का उपयोग क्वांटम भौतिकी (Quantum Physics) के संदर्भ में किया जाता है, जिसका उपयोग क्वांटम घटना (Quantum Phenomena) को समझने के लिए किया जाता है।
  - ब्लैक होल की मूल संरचना में इवेंट होराइजन (Event Horizon) द्वारा छिपी एक विलक्षणता होती है। इवेंट होराइजन के भीतर, पलायन वेग प्रकाश के वेग से अधिक होता है।
- **गुरुत्वाकर्षण तरंग (Gravitational Wave):** गुरुत्वाकर्षण तरंगें गुरुत्वाकर्षण की तीव्रता की तरंगें हैं, जो एक कक्षीय बाइनरी (orbital binary) प्रणाली के त्वरित द्रव्यमान द्वारा उत्पन्न होती हैं और प्रकाश की गति से अपने स्रोत से बाहर की ओर तरंगों के रूप में फैलती हैं। इन्हें सबसे पहले 1893 में ओलिवर हीविसाइड द्वारा और बाद में 1905 में हेनरी पोंकारे द्वारा विद्युत चुम्बकीय तरंगों के समान, लेकिन गुरुत्वाकर्षण समकक्ष तरंगों के रूप में प्रस्तावित किया गया था।
- **धूमकेतु (Comet):** धूमकेतु जमी हुई गैसों, चट्टान और धूल के ब्रह्मांडीय बर्फ के गोले (cosmic snowballs) हैं, जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। जब किसी धूमकेतु की कक्षा उसे सूर्य के करीब लाती है, तो वह गर्म हो जाता है, जिससे उसके सतह से धूल और गैसों के गुब्बारे निकलने लगते हैं तथा एक विशाल चमकते सर्पिल आकार में बदल जाता है। धूल और गैसों एक पूंछ बनाती हैं, जो सूर्य से लाखों मील दूर तक फैली हुई होती है।
- **जोवियन ग्रह (Jovian Planet):** बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून को जोवियन ग्रह कहा जाता है, क्योंकि ये सभी बृहस्पति के समान हैं, जिन्हें जोव (Jove) कहा जाता है, जो आकाश और बिजली का एक प्राचीन रोमन देवता है।
  - जोवियन ग्रहों को गैस दानव (gas giants) भी कहा जाता है, क्योंकि उनकी सतह पृथ्वी की तरह ठोस नहीं है।
  - जोवियन ग्रह हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसों के साथ कुछ मात्रा में मीथेन, अमोनिया एवं जल वाष्प जैसी अन्य गैसों से बने हैं।
- **लैग्रेंजियन पॉइंट (Lagrangian Point):** लैग्रेंज बिंदु अंतरिक्ष में वे स्थान हैं, जहां भेजी गई वस्तुएं वहीं रुक जाती हैं। लैग्रेंज बिंदुओं पर, दो बड़े द्रव्यमानों का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव एक छोटी वस्तु को उनके साथ चलने के लिए आवश्यक सेंट्रिपेटल बल के बराबर होता है। अंतरिक्ष में इन बिंदुओं का उपयोग अंतरिक्ष यान द्वारा स्थिति में बने रहने के लिए आवश्यक ईंधन की खपत को कम करने के लिए किया जाता है।
  - ऐसे पांच विशेष बिंदु हैं, जहां एक छोटा द्रव्यमान दो बड़े द्रव्यमानों के साथ एक स्थिर पैटर्न में परिक्रमा कर सकता है।
- **उल्का पिंड (Meteor):** उल्कापिंड अंतरिक्ष में मौजूद वस्तुएं हैं, जिनका आकार धूल के कणों से लेकर छोटे क्षुद्रग्रहों तक होता है। उन्हें 'अंतरिक्ष चट्टानों' के रूप में जाना जाता है। जब उल्कापिंड तेज गति से पृथ्वी के वायुमंडल (या मंगल जैसे किसी अन्य ग्रह के) में प्रवेश करते हैं तो वायुमंडल में घर्षण के कारण जलने लगते हैं, जिसे 'शूटिंग तारा' भी कहा जाता है।
- **ऊर्ट क्लाउड (Oort Cloud):** ऊर्ट क्लाउड मुख्य रूप से बर्फीले ग्रहों का एक सैद्धांतिक गोलाकार बादल है, जो लगभग 1,00,000 AU की दूरी पर सूर्य को घेरता है। यह इसे सूर्य के हेलियोस्फीयर से परे, अंतरतारकीय अंतरिक्ष में रखता है, जहां यह सौर मंडल और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण प्रभुत्व के क्षेत्र के बीच ब्रह्माण्ड संबंधी सीमा को परिभाषित करता है।
- **पेनुम्ब्रा (Penumbra):** पेनुम्ब्रा, खगोल विज्ञान में एक खगोलीय पिंड द्वारा डाली गई शंकवाकार (conical) छाया का बाहरी भाग है, जिसमें स्रोत से प्रकाश आंशिक रूप से अवरुद्ध होता है। सूर्य ग्रहण के दौरान, उपच्छाया (penumbra) में एक पर्यवेक्षक (observer) सूर्य को आंशिक रूप से अस्पष्ट देखता है। इस शब्द का प्रयोग सूर्य कलंक (sunspot) के बाहरी वलय के लिए भी किया जाता है।

## कृषि में उभरती प्रौद्योगिकियों के अनुप्रयोग

भारतीय कृषि गरीबी उन्मूलन के साथ-साथ खाद्य सुरक्षा एवं सतत विकास के लिए एक प्रमुख क्षेत्र है। भारतीय कृषि क्षेत्र में छोटे और सीमांत किसानों की अधिकता है तथा उनकी उत्पादकता एवं आय में वृद्धि भूख और गरीबी को कम करने के साथ-साथ आर्थिक उन्नति में बड़ा योगदान दे सकती है।

- भारतीय कृषि की विशेषता आगत (Input) उपयोग (उर्वरक, पानी) की अक्षमता, कम पैदावार, प्रचलित बेरोजगारी, कम उत्पादकता, अकुशल आपूर्ति शृंखला और विपणन है।
- इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT), आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), ब्लॉक चेन आदि उभरती हुई प्रौद्योगिकियां इन सदियों पुरानी समस्याओं के समाधान में सहायता कर सकती हैं।
- **कृषि अर्थव्यवस्था में प्रयोज्य नवीन प्रौद्योगिकियां:** ये प्रौद्योगिकियां कुशल कृषि प्रबंधन (उत्पादन, आपूर्ति शृंखला एवं विपणन) पर निगरानी, भविष्यवाणी और सलाह दे सकती हैं। कृषि उत्पादकता एवं उत्पादन में सुधार, फसल उत्पादन के जोखिमों में कमी, इनपुट एवं श्रम लागत में कमी कर किसानों की आय दोगुनी करने के दृष्टिकोण को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

### कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence- AI)

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) कंप्यूटर विज्ञान की वह शाखा है, जो कंप्यूटर के इंसानों की तरह व्यवहार करने की धारणा पर आधारित है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता को कंप्यूटर साइंस का सबसे उन्नत रूप माना जाता है। मशीन लर्निंग कृत्रिम बुद्धिमत्ता का एक हिस्सा है।

- यह तकनीक डेटा प्राप्त करने, सीखने और फिर डेटा का विश्लेषण करने के लिए एल्गोरिदम का उपयोग करती है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता उत्पादकता में वृद्धि करने के साथ ही जटिल वैज्ञानिक चुनौतियों का समाधान करने, सामाजिक-आर्थिक रूपांतरण करने में सक्षम है।

### ✓ अनुप्रयोग

कृषि अर्थव्यवस्था में इसके प्रमुख अनुप्रयोग निम्नलिखित हैं-

- **नए पौधों के प्रकार का विकास:** वर्तमान की जरूरतों को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रयोगशालाओं के द्वारा नए पौधों के प्रकार को विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है। जैविक सूचना संग्रह और विश्लेषण में विकास ने पादप जीनोमिक्स को गति दी है।
- प्रयोगशाला से जुड़े अनुसंधान डेटा का विश्लेषण नए संकर बीजों को विकसित करने के लिए किया जा सकता है। इसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता काफी सहायक सिद्ध हुई है।
- **पशु कल्याण:** भारत में विश्व की सबसे बड़ी पशु आबादी रहती है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता और बिग डेटा की सहायता से न्यूनतम पर्यवेक्षण करते हुए पशुधन को कुशलतापूर्वक प्रबंधित किया जा सकता है। नए तकनीकी समाधान का विकास किया जा रहा है, जिसके माध्यम से पशु कल्याण में वृद्धि किया जा सके।
- **डेयरी क्षेत्र में:** भारत विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है, जिसके द्वारा वैश्विक उत्पादन का 22 प्रतिशत दूध उत्पादित

किया जाता है। इसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, पाकिस्तान और ब्राजील का नंबर आता है। परन्तु भारत में डेयरी उद्योग काफी पिछड़ा हुआ है।

- इस क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग कर डेयरी क्षेत्र का विकास किया जा सकता है। इस प्रौद्योगिकी का उपयोग पशु की निगरानी से लेकर उपभोक्ताओं को दूध उपलब्ध कराने तक किया जा सकता है।
- **परिचालन लागत कम करना:** बिग डेटा और एआई की सहायता से कृषि अर्थव्यवस्था में लागत को कम किया जा सकता है। एआई का उपयोग कर इस प्रकार के तकनीकी समाधान का विकास किया जा सकता है, जो कृषि अर्थव्यवस्था की विशिष्ट आवश्यकता को पूरा कर सकता है।
- इसके साथ ही कृषि उत्पादों का आगत के रूप में उपयोग करने वाले द्वितीयक क्षेत्र भी एआई के माध्यम से संसाधनों के कुशलतम उपयोग कर सकता है। लागत में कमी सम्पूर्ण कृषि अर्थव्यवस्था के लिए बेहतर अवसर प्रदान करेगा।

### ब्लॉकचेन (Blockchain)

ब्लॉकचेन एक प्रकार की 'वितरित लेजर प्रौद्योगिकी' (Distributed Ledger Technology- DLT) है, जो एक ही समय में कई स्थानों पर लेनदेन और संबंधित डेटा को रिकॉर्ड करने वाला एक डिजिटल सिस्टम है। ब्लॉकचेन नेटवर्क में प्रत्येक कंप्यूटर किसी भी विफलता को रोकने के लिए बहीखाते (लेजर) की एक प्रति रखता है तथा सभी प्रतियां एक साथ अद्यतन और प्रमाणित की जाती हैं, इसका कृषि अर्थव्यवस्था में व्यापक उपयोग की संभावना है।

### ✓ अनुप्रयोग

कृषि अर्थव्यवस्था में इसके प्रमुख अनुप्रयोग निम्नलिखित हैं-

- **भंडारण सूची प्रबंधन:** ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी की डिस्ट्रीब्यूटेड डिजिटल लेजर प्रणाली कृषि अर्थव्यवस्था के लिए मजबूत डिजिटल लेनदेन और अनुपालन प्रणाली बनाने में सहायक है। वर्तमान में कृषि उद्योग हस्तचालित (Manual) डेटा प्रविष्टि करने की प्रणाली का उपयोग करते हैं। इससे मानवीय गलती की गुंजाइश बनी रहती है, इसके साथ ही सम्पूर्ण कृषि प्रणाली खंडित भी होती है। ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी इस समस्या का समाधान करने में सहायक हो सकती है।
- **कुशल लेनदेन प्रबंधन प्रणाली (Efficient transaction management systems):** इसका उपयोग कर ऑर्डर पूर्ति और भुगतान के बीच के समय को कम करने के लिए किया जा सकता है। यह लेनदेन की प्रक्रिया को आसान और सुरक्षित बनाने में भी सहायक है। यह लेन देन में शामिल सभी पक्षों को पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी रूप से संपन्न करने में सहायक है, जिससे त्रुटि की संभावना कम होगी और दक्षता बढ़ेगी।
- **दक्ष आपूर्ति शृंखला:** ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी दक्ष आपूर्ति शृंखला के निर्माण में सहायक है। इसके सहायता से कृषि आगतों से लेकर उत्पादित फसलों की सही स्थिति को जाना जा सकेगा। डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर प्रतिभागियों को आपूर्ति शृंखला में उत्पत्ति, उत्पादन प्रथाओं, लेनदेन विवरण और उत्पाद की गुणवत्ता के संबंध में सही जानकारी प्रदान कर सकते हैं। इससे खाद्य धोखाधड़ी (Food fraud) को रोकना जा सकेगा।

## प्रारंभिक परीक्षा

- **खाद्य धोखाधड़ी रोकना:** खाद्य धोखाधड़ी के अंतर्गत उच्च गुणवत्ता वाली खाद्य उपज के जगह निम्न गुणवत्ता वाली वस्तु बेंच दी जाती है। उदाहरण के लिए 'आर्गेनिक फूड' बोल कर सामान्य खाद्य उपज को बेचना। यह तकनीक खाद्य कंपनियों (मध्यवर्ती उपभोगता) सहित ग्राहकों (अंतिम उपभोगता) को उनके द्वारा उपयोग किए जाने वाले वस्तुओं की वास्तविक उत्पादन स्थल, तरीके, परिवहन के साधन आदि के विषय में जानकारी प्रदान कर सकती है। यह स्मार्ट अनुबंधों को उचित रूप में लागू करने में भी सहायक है।

## इंटरनेट ऑफ थिंग्स/सेंसर (Internet of Things/ Sensors)

इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) वस्तुओं का एक नेटवर्क है, जो सेंसर का उपयोग करके वायरलेस तरीके से जुड़ा होता है और मानवीय हस्तक्षेप के बिना एक-दूसरे या व्यापक नेटवर्क को सूचना प्रसारित कर सकता है। डेटा विश्लेषण और कनेक्टिविटी प्रौद्योगिकियों में प्रौद्योगिकी प्रगति ने कृषि अर्थव्यवस्था के लिए आईओटी की व्यवहार्यता को बढ़ा दिया है।

### ✓ अनुप्रयोग

कृषि अर्थव्यवस्था में इसके प्रमुख अनुप्रयोग निम्नलिखित हैं-

- **परिशुद्धता कृषि:** परिशुद्धता कृषि का मूल रूप से अर्थ है, सही समय और सही स्थान पर खेत में सही मात्रा में कृषि आगंतों का प्रयोग करना। परिशुद्धता कृषि तकनीक फसल उत्पादन की आर्थिक और पर्यावरणीय स्थिरता में सुधार कर सकती है। परिशुद्धता कृषि के लिए आईओटी का विभिन्न प्रकार से उपयोग किया जा रहा है और वैश्विक स्तर पर कई संगठन इस प्रौद्योगिकी का लाभ उठा रहे हैं।
- आईओटी उपकरण उत्पादक को लागत में कटौती, पैदावार में सुधार, फसलों की निगरानी, स्थितिजन्य जागरूकता से संबंधित निर्णय लेने में मदद कर सकते हैं। आईओटी से जुड़े फील्ड सेंसर मिट्टी की नमी और पोषक तत्वों के स्तर के बारे में जानकारी रिकॉर्ड कर सकते हैं, कुशल सिंचाई प्रणालियों के लिए पानी के उपयोग को नियंत्रित कर सकते हैं।
- **पशुधन की निगरानी:** वायरलेस आईओटी उपकरणों का उपयोग पशुधन के स्वास्थ्य, कल्याण, प्रजनन चक्र आदि की निगरानी के लिए किया जा सकता है। डेयरी उद्योग में, पहनने योग्य सेंसर का उपयोग करके रोग संकेतों का पता लगाया जा सकता है, जो अन्यथा किसानों के लिए नोटिस करना मुश्किल होता है।
- पशु पर लगातार डेटा एकत्र करके, किसान यह निर्धारित कर सकते हैं कि कौन सी गाय अधिक दूध का उत्पादन करने में सक्षम हैं, इसके परिणामस्वरूप उत्पादकता में सुधार करने वाले आहार में सुधार संबंधी कदम उठा सकते हैं।
- **स्मार्ट ग्रीनहाउस:** ग्रीनहाउस खेती एक ऐसी पद्धति है, जो सब्जियों, फलों, फसलों आदि की उपज बढ़ाने में मदद करती है। आईओटी की मदद से एक स्मार्ट ग्रीनहाउस डिजाइन किया जा सकता है, जो मानवीय हस्तक्षेप की आवश्यकता को समाप्त करते हुए फसल निगरानी और वातावरण को नियंत्रित करता है।
- इसके लिए संयंत्र की आवश्यकता के अनुसार विभिन्न प्रकार के सेंसर का उपयोग किया जाता है। इस सम्पूर्ण सिस्टम दूरस्थ

रूप से एक्सेस किया जा सकता है और वास्तविक स्थिति के विषय में जाना जा सकता है।

## जैव प्रौद्योगिकी

### ✓ जीन संपादन (Gene Editing)

- जीन संपादन, तकनीकों का एक समूह है, जो वैज्ञानिकों को जीवों के डीएनए में बदलाव की क्षमता प्रदान करता है। ये प्रौद्योगिकी खाद्य फसल के जीनोम के खास क्षेत्रों में जेनेटिक पदार्थों को जोड़ने, हटाने या संशोधन करने की सुविधा देते हैं। पौधों में जीन संपादन सुसंस्कृत पौधों की कोशिकाओं में किया जाता है, जिन्हें बाद में पूरे पौधों में पुनः उत्पन्न किया जाता है।

### ✓ अनुप्रयोग

कृषि अर्थव्यवस्था में इसके प्रमुख अनुप्रयोग निम्नलिखित हैं-

- **बेहतर लाभप्रदता:** जीन संपादन का प्रयोग कर रोग प्रतिरोधक, सूखा सहनशील गुणों से युक्त पौधों को प्राप्त किया जा सकता है। कृषि में जीन-संपादित बीजों को 2030 तक 60-100 मिलियन कृषकों द्वारा अपनाने पर वैश्विक उत्पादन में 100-400 मिलियन टन की वृद्धि होगी। इसके परिणामस्वरूप, किसानों की आय में 40-100 बिलियन USD की वृद्धि होगी।
- **विविध उत्पादन:** जीन संपादन के माध्यम से विविध प्रकार के पौधों का उत्पादन किया जा सकता है, जो बाजार की विशेष मांग एवं जरूरतों को पूरा करता हो। इसके साथ ही उपभोक्ता मांगों (जैसे- उच्च प्रोटीन युक्त) को पूरा करने वाले उत्पादों के माध्यम से खाद्य सुरक्षा में वृद्धि की जा सकती है।
- **जलवायु परिवर्तन अनुकूलन:** जलवायु परिवर्तन बढ़ती परिस्थितियों को बदल रहा है, जो आज के उपभोक्ताओं के लिए चिंता का विषय है। बदलती बढ़ती परिस्थितियों के अनुरूप पौधों को तेजी से बदलने की क्षमता किसानों को उन फसलों को उगाने में सक्षम बनाएगी, जो पर्यावरण के लिए उपयुक्त हैं।

## नैनो प्रौद्योगिकी

इसके अंतर्गत नैनो सामग्री (Nano Material) का प्रयोग कर कृषि अर्थव्यवस्था को उन्नत बनाया जा रहा है। नैनो सामग्री जैसे पदार्थ होते हैं, जिनका आकार 1 और 100 नैनोमीटर (N) के बीच होता है। नैनो सामग्री के गुण आमतौर पर इनके जनक पदार्थ के बड़े कणों से भिन्न होते हैं। नैनो कणों का रसायनिकी, जीवविज्ञान, चिकित्सा, इलेक्ट्रॉनिकी और अन्य प्रौद्योगिकी व विज्ञान की शाखाओं में बहुत महत्व है। कृषि में नैनो सामग्री का व्यापक उपयोग किया जा रहा है, इनमें अंकुरण और विकास में सुधार, पौधों की सुरक्षा, रोगजनक का पता लगाने और कीटनाशक/शाकनाशी अवशेषों का पता लगाने आदि प्रमुख क्षेत्र हैं।

### ✓ अनुप्रयोग

कृषि अर्थव्यवस्था में इसके प्रमुख अनुप्रयोग निम्नलिखित हैं-

- **सेंसर:** इस प्रौद्योगिकी का विकास कर अद्वितीय रासायनिक, भौतिक और यांत्रिक गुणों वाले नैनो सामग्री विकसित किए गए हैं।

- अत्यधिक संवेदनशील जैव-रासायनिक सेंसर का परीक्षण भी किया जा रहा है, जो मृदा विश्लेषण, जैव-रासायनिक संवेदन और नियंत्रण के लिए विशेष रूप से प्रासंगिक हैं। इसके लिए विद्युत रासायनिक रूप से सक्रिय कार्बन नैनोट्यूब, नैनोफाइबर और फुलरीन का विकास किया जा रहा है।
- **उर्वरक:** नैनो उर्वरकों के विकास की कोशिश की जा रही है, क्योंकि अनुसंधान के दौरान नैनोस्केल पॉलिमर में लेपित उर्वरकों में उत्पाद स्थिरता को बढ़ाने वाला पाया गया है। पारंपरिक उर्वरकों पर इसे लेपित करने से इनके द्वारा पोषक तत्वों के निर्मुक्ति को भी नियंत्रित किया जा सकता है। इसके संभावित पर्यावरणीय प्रभाव महत्वपूर्ण हैं।
- **कीटनाशक:** ऐसे नैनो सामग्री को विकसित किया जा रहा है, जो मिट्टी में कीटनाशकों का पता लगाने और हटाने में सक्षम है। इसके लिए नैनोकणों, नैनोट्यूब और नैनोकम्पोजिट का उपयोग कर कीटनाशकों के संवेदन और उपचार समाधान का विकास किया जा रहा है। नैनो सामग्री इनके निर्माण का आधार है, जो कीटनाशक के उपयोग में संभावित कमी में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा।
- **जल उपचार एवं उपलब्धता:** नैनो सामग्री को पानी से विभिन्न प्रदूषकों को हटाने में प्रभावी पाया गया है। इसके द्वारा शुद्ध किए गए अपशिष्ट जल का कृषि में उपयोग किया जा सकता है, जो सिंचाई या पशु जल आवश्यकता की पूर्ति में सहायक होगा।

### स्वचालन और रोबोटिक्स (Automation and Robotics)

कृषि अर्थव्यवस्था में स्वचालन और रोबोटिक्स का व्यापक उपयोग है। वर्तमान में इसके बहुआयामी उपयोग ने मानव श्रम की आवश्यकता में संरचनात्मक बदलाव किया है। इसका कृषि क्षेत्र में प्रयोग विकसित देशों और मानव श्रम की कमी वाले देशों में व्यापक रूप से हो रहा है।

#### ✓ अनुप्रयोग

कृषि अर्थव्यवस्था में इसके प्रमुख अनुप्रयोग निम्नलिखित हैं-

- **फसल प्रबंधन:** वर्तमान में विश्व के विभिन्न भागों में रोबोटिक्स का प्रयोग बुवाई, छंटाई, बीजाई जैसे कार्यों में किया जा रहा है। मानव द्वारा हाथ से किए जाने की अपेक्षा रोबोटिक निराई तेजी होती है। रोबोटिक के कारण खरपतवार नियंत्रण में उल्लेखनीय रूप से प्रगति हुई है।
- **श्रम की आवश्यकता में कमी और उत्पादन में सुधार:** अपने देश में भी इसका उपयोग फसल प्रबंधन से लेकर डेयरी उद्योग में किया जा रहा है। रोबोटिक्स का उपयोग डेयरियों में स्वचालित रूप से दूध के कैंपेजिंग तथा विभिन्न प्रकार के खाद्य उत्पादों के निर्माण में किया जा रहा है। खाद्य प्रसंस्करण और पैकेजिंग चरणों के दौरान रोबोटिक्स के उपयोग ने खाद्य पदार्थों को अधिक सुरक्षित बनाया है। इसने मानव श्रम की सीमांत लागत को भी तर्कसंगत बनाया है।
- **फसल कटाई:** प्रायोगिक स्तर पर रोबोट का उपयोग कर फसलों की कटाई का प्रदर्शन किया गया है। इससे किसानों के लिए श्रम लागत को कम किया जा सकता है और समय की बचत की जा सकती है। वर्तमान में इस तकनीक का छोटे पैमाने पर उपयोग ग्रीनहाउस और सब्जी उत्पादकों द्वारा किया जा रहा है।

### सूचना प्रौद्योगिकी

वर्तमान समय सूचना प्रौद्योगिकी का युग कहा जाता है। वर्तमान भारतीय कृषि क्षेत्र सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति से अछूता नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल प्रौद्योगिकियों का उपयोग कर कृषि शिक्षा, आसूचना, कृषि प्रबंधन आदि कार्यों को संपन्न किया जा रहा है। वर्तमान समय में कृषि क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी का बहुआयामी महत्व है।

#### ✓ अनुप्रयोग

कृषि अर्थव्यवस्था में इसके प्रमुख अनुप्रयोग निम्नलिखित हैं-

- **किसान कॉल सेंटर:** किसान कॉल सेंटर की स्थापना का मुख्य लक्ष्य है कि जैसे किसान जो सूदूरवर्ती गांव में रहते हैं और सूचना के जरीए अपनी खेती से संबंधित नवीनतम जानकारी वैज्ञानिकों से चाहते हैं।
- **ई-चौपाल:** ई-चौपाल भारत में एक समूह है, जो (ICT) के माध्यम से संचालित होता है, जो किसानों को दलालों और विचौलियों से बचाने के लिए उपयुक्त माध्यम है। कृषि संयंत्र, मौसम, फसल जैसे- सोयाबीन, गेहूं, धान, मक्का और दलहनी फसल जैसे कृषि उत्पादों की खरीद-बिक्री इंटरनेट के माध्यम से ग्रामीण किसानों को सीधे जोड़ा जाता है एवं उससे संबंधित सूचना दी जाती है।
- **किसान चौपाल:** कृषि विज्ञान केन्द्र (KVK) के माध्यम से संचालित यह एक सफल मॉडल है। किसान चौपाल में किसानों के खेती, फसल उत्पादन, पशुपालन एवं इससे संबंधित समस्याओं को सुना जाता है और सूचना प्रौद्योगिकी के द्वारा इसे सुलझाया जाती है।
- **ग्रामीण ज्ञान केन्द्र:** ग्रामीण ज्ञान केन्द्र, त्वरित कृषि क्षेत्र में उपलब्ध जानकारी/ज्ञान किसान को प्रदान करने में मुख्य भूमिका निभाता है। यह फसल उत्पादन से विपणन तक सूचना प्रसार के केन्द्र के रूप में कार्य करता है।

### भारत की स्वदेशी मिसाइल तकनीक

भारत की मिसाइलें बहु-उद्देश्यों के लिए अनुकूलित विविध वर्गों में आती हैं। इन्हें सतह से हवा, सतह से सतह, हवा से सतह, हवा से हवा एवं उपग्रह रोधी मिसाइलों के रूप में लॉन्च किया गया है।

### भारत में मिसाइल प्रौद्योगिकी का इतिहास

- **स्वतंत्रता पूर्व:** भारत में कई साम्राज्य अपनी युद्ध प्रौद्योगिकियों के हिस्से के रूप में रॉकेट का उपयोग कर रहे थे।
- 18वीं शताब्दी के मध्य में मैसूर के शासक हैदर अली ने अपनी सेना में लोहे के आवरण वाले रॉकेटों को शामिल करना शुरू किया था।
- **स्वतंत्रता पश्चात्:** आजादी के समय भारत के पास कोई स्वदेशी मिसाइल क्षमता नहीं थी। सरकार ने 1958 में विशेष हथियार विकास दल बनाया। बाद में इसका विस्तार किया गया और इसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला (DRDL) कहा गया। 1962 तक इसे दिल्ली से हैदराबाद स्थानांतरित कर दिया गया।
- **प्रोजेक्ट डेविल:** इसे 1972 में मध्यम दूरी की सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइलों के विकास के लिए शुरू किया गया था।



## प्रारंभिक परीक्षा

- **इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम (IGMDP):** इसकी कल्पना डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम ने की थी। डॉ. कलाम ने 1982, में भारत को मिसाइल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में सक्षम बनाया।

### भारत की मिसाइलें

रॉकेट या मिसाइल एक निर्देशित, स्व-चालित उड़ने वाला हथियार है, जो सामान्यतः युद्धक जेट विमानों या रॉकेट मोटर द्वारा संचालित होता है। भारत में सामान्यतः 7 प्रकार की मिसाइलें हैं-

1. बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस (BMD) या इंटरसेप्टर मिसाइलें (Interceptor Missiles)
  2. हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें (Air-to-air missiles)
  3. सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें (Surface-To-Air Missiles)
  4. सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइलें (Surface-to-surface missiles)
  5. टैंक रोधी मिसाइलें (Anti-Tank Missiles)
  6. पनडुब्बी से प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइलें (Submarine Launched Ballistic Missiles)
  7. क्रूज मिसाइलें (Cruise Missiles)।
- **हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें (Air-to-air missiles):** दूसरे विमान को मार गिराने के लिए एक युद्धक विमान से हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल छोड़ी जाती है। इन्हें एक या अधिक रॉकेट इंजन द्वारा संचालित किया जाता है तथा बड़े पैमाने पर ठोस-ईंधन या कभी-कभी तरल-ईंधन से संचालित किया जाता है।

| मिसाइल का नाम                | प्रकार  | श्रेणी              |
|------------------------------|---|---------------------|
| माइका (MICA)                 | एयर टू एयर  | 500 मीटर से 80 किमी |
| नोवेटर K-100 (Novator K-100) | मध्यम श्रेणी  | 300-400 किमी        |
| अस्त्र (Astra)               | एयर टू एयर  | 80-110 किमी         |
| सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट    | दृश्य सीमा से परे हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल | 350 कि.मी.          |

- **सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल (SAM):** सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल, जिसे सतह से हवा में निर्देशित हथियार (SAGW) के रूप में भी जाना जाता है, एक रॉकेट है, जिसे जमीन से प्रक्षेपित करने के लिए निर्मित किया गया है।

| मिसाइल का नाम            | प्रकार   | श्रेणी    |
|--------------------------|--|-----------|
| त्रिशूल (Trishul)        | कम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल         | 9 कि.मी.  |
| वीएल-एसआरएसएम (VL-SRSAM) | कम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल         | 50 कि.मी. |
| QRSAM                    | त्वरित प्रतिक्रिया सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल | 30 कि.मी. |

|                      |  |            |
|----------------------|--|------------|
| मैत्री (Maitri)      | त्वरित प्रतिक्रिया सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल | 30 कि.मी.  |
| एक्सआर-एसएम (XR-SAM) | लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल       | 350 कि.मी. |

| बराक 8 मिसाइल    |   |             |
|------------------|---|-------------|
| मिसाइल का नाम    | प्रकार  | श्रेणी      |
| एमआरएसएम (MRSAM) | मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल | 70 कि. मी.  |
| एलआरएसएम (LRSAM) | लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल  | 100 कि. मी. |

| भारत की आकाश मिसाइल        |   |            |
|----------------------------|---|------------|
| मिसाइल का नाम              | प्रकार  | श्रेणी     |
| आकाश एमके I (Akash Mk I)   | मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल | 30 कि. मी. |
| आकाश एमके II (Akash Mk II) | मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल | 40 कि. मी. |
| आकाश-एन.जी (Akash-NG)      | मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल | 70 कि. मी. |

- **सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल:** सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल को स्थल या समुद्री लक्ष्य पर हमला करने के लिए सतह से प्रक्षेपित किया जाता है।

| मिसाइल का नाम          | प्रकार                          | श्रेणी                     |
|------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| अग्नि I (Agni-I)       | मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल  | 700-1250 कि.मी.            |
| अग्नि II (Agni-II)     | मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल  | 2,000-3,000 कि.मी.         |
| अग्नि III (Agni-III)   | मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल  | 3,500 कि.मी.- 5,000 कि.मी. |
| अग्नि IV (Agni-IV)     | मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल  | 3,000 - 4,000 कि.मी.       |
| अग्नि V (Agni-V)       | अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल | 5,000-8,000 कि.मी.         |
| पृथ्वी I (Prithvi I)   | कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल     | 150 कि.मी.                 |
| पृथ्वी II (Prithvi II) | कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल     | 350 कि.मी.                 |
| धनुष (Dhanush)         | कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल     | 350-600 कि.मी.             |
| शौर्य (Shaurya)        | मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल  | 750 से 1,900 कि.मी.        |
| प्रहार (Prahaar)       | कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल     | 150 कि.मी.                 |

**क्रूज मिसाइल :** क्रूज मिसाइल स्थलीय या नौसैनिक लक्ष्यों के विरुद्ध एक रॉकेट मिसाइल है, जो वायुमंडल में अपने विमानन पथ के बड़े हिस्से को लगभग स्थिर गति से पार करती है।

| मिसाइल का नाम            | प्रकार                  | श्रेणी            | गति     |
|--------------------------|-------------------------|-------------------|---------|
| निर्भय (Nirbhay)         | सबसोनिक क्रूज मिसाइल    | 1,000-1500 कि.मी. | मैक 0.9 |
| ब्रह्मोस II (BrahMos-II) | हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल | 600-1,000 कि.मी.  | मैक 8   |

| ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल                  |   |            |       |
|--|---|------------|-------|
| मिसाइल का नाम                          | प्रकार  | श्रेणी     | गति   |
| ब्रह्मोस ब्लॉक I (BrahMos Block I)     | जमीन पर हमला करने वाली क्रूज मिसाइल               | 290 कि.मी. | मैक 3 |
| ब्रह्मोस ब्लॉक II (BrahMos Block I)    | जहाज रोधी क्रूज मिसाइल                            | 290 कि.मी. | मैक 3 |
| ब्रह्मोस ब्लॉक III (BrahMos Block III) | जमीन पर हमला करने वाली क्रूज मिसाइल               | 290 कि.मी. | मैक 3 |
| ब्रह्मोस ईआर (BrahMos ER)              | मल्टीरोल सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल                   | 600 कि.मी. | मैक 3 |
| ब्रह्मोस-ए (BrahMos-A)                 | जहाज रोधी क्रूज मिसाइल (Anti-ship cruise missile) | 400 कि.मी. | मैक 3 |
| पनडुब्बी से लॉन्च हुआ ब्रह्मोस         | जमीन पर हमला करने वाली क्रूज मिसाइल               | 290 कि.मी. | मैक 3 |
| ब्रह्मोस एनजी                          | मल्टीरोल सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल                   | 290 कि.मी. | मैक 3 |

➤ **भारत की बैलिस्टिक रक्षा मिसाइल:** मिसाइल रक्षा एक हथियार प्रणाली या तकनीक है, जिसका उपयोग मिसाइलों का पता लगाने, ट्रैकिंग, अवरोधन अथवा विनाश में किया जाता है। मिसाइल रक्षा प्रणाली (MDS) एक ऐसा तंत्र है, जो किसी मिसाइल को कोई नुकसान पहुंचाने से पहले उसका पता लगा सकता है अथवा उसे खत्म कर सकता है।

| बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा कार्यक्रम का चरण I   |  |              |         |
|---|--|--------------|---------|
| मिसाइल का नाम                               | प्रकार                                 | श्रेणी       | गति     |
| पृथ्वी रक्षा वाहन (Prithvi Defence Vehicle) | एक्सो-वायुमंडलीय एंटी-बैलिस्टिक मिसाइल | 2,000 कि.मी. |         |
| उन्नत वायु रक्षा (Advanced Air Defence)     | एंडो-वायुमंडलीय एंटी-बैलिस्टिक मिसाइल  | 150 कि.मी.   | मैक 4.5 |
| पृथ्वी वायु रक्षा (Prithvi Air Defence)     | एक्सो-वायुमंडलीय एंटी-बैलिस्टिक मिसाइल | 300 कि.मी.   | मैक 5+  |

| बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा कार्यक्रम का चरण II                   |  |              |
|--|--|--------------|
| मिसाइल का नाम  | भारत की मिसाइल का प्रकार               | ऑपरेटिव रेंज |
| एडी-1  | एंटी बैलिस्टिक मिसाइल                  | टीबीए        |
| एडी-2  | एंटी बैलिस्टिक मिसाइल                  | टीबीए        |
| पृथ्वी रक्षा वाहन मार्क-II (Prithvi Defence Vehicle Mark-II) | एक्सो-वायुमंडलीय एंटी-बैलिस्टिक मिसाइल |              |

| पनडुब्बी से प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइल (Submarine-Launched Ballistic Missile) |                       |
|--|-----------------------|
| मिसाइल का नाम  | ऑपरेटिव रेंज          |
| अश्विन   | 150-200 कि.मी.        |
| के-4   | 3,500-5,000 कि.मी.    |
| सागरिका  | 700 - 1900 कि.मी      |
| के-5   | 6,000 कि.मी.          |
| के-15 (सागरिका)  | 750 कि.मी             |
| के-6   | 6,000 से 8,000 कि.मी. |

➤ **एंटी टैंक मिसाइल (Anti-Tank Missile):** ATGM मुख्य रूप से बख्तरबंद सैन्य वाहनों पर हमला करने और उन्हें नष्ट करने के लिए बनाए गए हैं। ये 'दागो और भूल जाओ' (fire-and-forget) मिसाइलें हैं।

| नाग (Nag)   |  |            |
|---|--|------------|
| मिसाइल का नाम   | प्रकार                                     | श्रेणी     |
| एमपीएटीजीएम (MPATGM)                                    | मैन-पोर्टेबल एंटी टैंक मिसाइल              | 2.5 कि.मी. |
| स्टैंडऑफ एंटी टैंक मिसाइल (Stand off Anti-Tank missile) | स्टैंडऑफ एयर-लॉन्च एंटीजीएम (ATGM)         | 20 कि.मी.  |
| हेलिना/ध्रुवास्त्र (HeliNa/Dhruvastra)                  | एयर-लॉन्च एंटीजीएम (ATGM)                  | 10 कि.मी.  |
| प्रोस्पिना (Prospina)                                   | तीसरी पीढ़ी का भूमि-आक्रमण एंटीजीएम (ATGM) | 4 कि.मी.   |

| अमोघ मिसाइल (Amogha missile)               |  |
|--|--|
| मिसाइल का नाम                              | श्रेणी                                 |
| मैन पोर्टेबल अमोघ (Man portable Amogha)    | मैन-पोर्टेबल एंटी टैंक मिसाइल          |
| वायु-प्रक्षेपित अमोघ (Air-launched Amogha) | हवा से प्रक्षेपित एंटी टैंक मिसाइल     |
| अमोघ-1 (Amogha-1)                          | दूसरी पीढ़ी की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल |

# 69वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा

## महत्वपूर्ण वनलाइनर तथ्य

हाल ही में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 69वीं प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन किया गया। इस अंक में हम इस परीक्षा के महत्वपूर्ण प्रश्नों को वनलाइनर रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों का यह वनलाइनर तथ्य संग्रह आगामी परीक्षाओं हेतु उपयोगी सिद्ध होगा।

- किस संचार नेटवर्क में इंटरनेट ऑफ थिंग्स, एज कंप्यूटिंग और नेटवर्क स्लाइसिंग जैसी प्रौद्योगिकियों को सक्षम करने की क्षमता है? - 5जी
- वेरिटास (VERITAS) किस ग्रह पर एक ऑर्बिटर भेजने के लिए नासा का प्रस्तावित मिशन है - शुक्र
- चन्द्रमा की सतह पर पहली महिला और पहले 'मैन ऑफ कलर' को भेजने के लिए नासा का प्रस्तावित मिशन है - आर्टेमिस
- लिलिनन के रेशे प्राप्त किये जा सकते हैं - सन का पौधा
- मोहायर रेशे प्राप्त किये जा सकते हैं - अंगोरा बकरी
- टेनियासिस आंत का संक्रमण है जिसके कारण होते हैं - टेपवर्म की तीन प्रजातियाँ-टेनिया सोलियम, टेनिया सगीनाटा और टेनिया एशियाटिका।
- कोबरा, पाईथन, स्क्विरल, जावा उदाहरण हैं -कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा
- हाल ही में समाचारों में देखी गई ChatGPT में GPT का पूर्ण रूप क्या है? - "जनरेटिव प्री-ट्रेंड ट्रांसफार्मर"
- हमारी जीभ कितने प्रकार के स्वादों का अनुभव कर सकती है? - पांच अर्थात् मीठा, नमकीन, खट्टा, कड़वा और उमामी
- एक स्वास्थ्य समस्या जिसके कारण गंध की आंशिक या पूर्ण हानि होती है - एनोस्मिया
- ब्रह्माण्ड में पल्सर होते हैं - घूमते हुए न्यूट्रॉन तारे
- प्रयोगशाला निर्मित हीरों के लिए हीरे के बीज के रूप में प्रयुक्त सामग्री है - ग्रेफाइट
- बुलेटप्रूफ जैकेट बनाने में प्रयुक्त 'फाइबर' होता है - केवलर
- HMX का अर्थ है - हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिवे या हाई-वेलोसिटी मिलिट्री एक्सप्लोसिव
- अक्टूबर 2022 में लॉन्च हुए टेस्ला के ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम क्या है? - OPTIMUS
- द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान विश्व का पहला परमाणु बम बनाने का एक अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रम का नाम था - मैनहट्टन परियोजना
- फोटोइलेक्ट्रिक सेल एक उपकरण है जो - प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है
- DNA डबल हेलिक्स संरचना की खोज की गई थी - जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक
- वेक्टर टीके प्रतिरक्षा प्रदान करने के लिए कैसे काम करते हैं? - वायरस को किसी भिन्न वायरस के संशोधित संस्करण में रखकर
- वह प्रक्रिया जो निरन्तर नई परत जोड़ती है, कही जाती है - समुद्र तल का फैलाव
- "भूपटल के टुकड़े मेटल में गति द्वारा निरन्तर, धीमी गति से प्रवाहित होते हैं" इस सिद्धांत को कहा जाता है - प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत
- 'mRNA' का अर्थ है - मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड
- AC करंट उत्पन्न किया जा सकता है - डायनेमो
- धारा घनत्व है - सदिश राशि
- मेडिकल केमिस्ट्री में औषधियों के सर्वाधिक उपयोगी वर्गीकरण का आधार क्या है? - आणविक लक्ष्य
- सुंची रीफ, एमी शॉल्स और ग्रांडे द्वीप किसके तट के पास स्थित हैं? - गोवा
- रूस के वैगनर मर्सिनरी ग्रुप या भाड़े के सैनिक समुख का प्रमुख कौन हैं? - येवगेनी प्रिगोइन
- ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? - विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ)
- गुजरात में आयोजित डेफेक्सपो-2022 का विषय था - 'गौरव का मार्ग'
- तीन दिवसीय थाडिंग्युट महोत्सव किस देश में मनाया जाता है? - म्यांमार
- गहरे समुद्र में डूबने वाली उस पनडुब्बी का नाम जो टाइटेनिक के मलबे की यात्रा के दौरान फट गई थी - टाइटन
- गृह मंत्रालय ने नवंबर 2022 में देश की कितनी भाषाओं की फील्ड वीडियोग्राफी के साथ भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण (MITS) का कार्य पूरा कर लिया है? - 576
- किस राज्य सरकार ने भारत में गिद्धों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई द्वारा प्रस्तावित गिद्ध संरक्षण के लिए राज्य स्तरीय समिति का गठन की है? - तमिलनाडु
- कैप्टिव-नस्ल 10 विशाल एशियाई कछुओं (मनौरिया एमिस) को संरक्षित क्षेत्र में छोड़ा गया था - नतांगकी राष्ट्रीय उद्यान (नागालैंड)
- रुद्राक्ष बालासाहेब पाटिल किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं - शूटिंग
- भारत ने किस देश के साथ आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते (ECTA) पर हस्ताक्षर किए? - ऑस्ट्रेलिया
- सहज भाषा अधिनियम, जिसके तहत सरकारी अधिकारियों को आधिकारिक दस्तावेजों और वेबसाइटों में सरल और आसानी से समझने योग्य अंग्रेजी भाषा का उपयोग करने की आवश्यकता होती है, पारित किया गया है - न्यूजीलैंड
- दुनिया के पहले पादप परागणकों के जीवाश्म, जिन्हें टिलयार्डेम्बिड्स कहा जाता है, के टिलयार्डेम्बी जीवाश्म, हाल ही में किस देश में खोजे गए थे? - रूस
- 'लिस्बन घोषणा', किसके संरक्षण से सम्बंधित है? - महासागर
- भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा को किस देश के संविधान से लिया गया था? - आयरलैंड

- सिक्किम भारत संघ का पूर्ण राज्य बन गया- 26 अप्रैल, 1975
- भारतीय कला में 'स्तूप', 'चैत्य' और 'विहार' का निर्माण किस धार्मिक संप्रदाय से संबंधित है - **बौद्ध धर्म**
- बिहार की 'सुजिनी' हस्तकला है - **एक प्रकार की कढ़ाई**
- बिहार के भागलपुर जिले में स्थित विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? - **धर्मपाल**
- भारत में युद्ध में तोपों का प्रचलन किसके द्वारा किया गया था? - **बाबर**
- भारत के किस बंदरगाह को बाबुल मक्का (मक्का का द्वार) कहा जाता था - **सूरत**
- 'अष्ट प्रधान' मंत्रिपरिषद् थी - **मराठा प्रशासन**
- 'बोधिसत्व पद्मपाणि' की पेंटिंग स्थित है - **अजंता**
- भारत में नौरोज त्यौहार की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? - **बलबन**
- फाह्यान एक चीनी तीर्थयात्री था जिसने किसके शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था? - **चंद्रगुप्त द्वितीय**
- उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की गई थी - **1854 में वुड डिस्पैच**
- नाथपरंपरियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को लोकप्रिय बनाया - **उत्तरी भारत**
- मैथिली भाषा का विकास किसके शासन काल में प्रारम्भ हुआ था? - **कर्नाट राजवंश**
- प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था? - **राजगृह**
- किस अधिनियम को 'गैगिंग एक्ट' के नाम से भी जाना जाता है - **वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट**
- फुतुहात-ए-आलमगिरी किसके द्वारा लिखी गई थी? - **ईश्वरदास नागर**
- नीतिसार, राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक, किसके द्वारा लिखी गई थी? - **कामन्दक**
- चीनी स्रोत के अनुसार, श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा के पास एक मिशनरी भेजा था? - **समुद्रगुप्त**
- ब्रिटिश शासित भारत के तहत बिहार पहली बार बंगाल प्रेसीडेंसी से कब अलग हुआ था? - **1912**
- विक्टोरिया झील से निकलने वाली एकमात्र धारा है - **नील नदी**
- क्रिस्टोफर कोलंबस का जन्मस्थान है - **जेनोआ, इटली**
- संयुक्त अरब अमीरात के सात अमीरात हैं - **अबू धाबी, दुबई, शारजाह, अजमान, उम्म अल क्वैन, रास अल खैमा और फुजैराह**
- सुवर्णरेखा नदी का उद्गम स्थल है - **नगरी गांव (रांची)**
- वाल्मिकी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है - **बिहार**
- गंगा डॉल्फिन ने नेविगेशन और शिकार का उपयोग करके किया - **इकोलोकेशन**
- गंडक नदी को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है - **नारायणी**
- बिहार के किस जिले में सोने का भंडार पाया गया है - **जमुई**
- त्रिवेणी नहर का निर्माण किस नदी पर किया गया है - **गंडक**
- समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र कौन सा है, जिसमें ज्वारनदमुख, समुद्र तट, निकट-तटीय पर्यावरणीय जंगल, समुद्री घास, मूंगा चट्टानें, नमक दलदल और मैंग्रोव के साथ इक्कीस द्वीप शामिल हैं? - **मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व**
- 1 डिग्री के अंतराल पर खींचे गए ग्लोब पर कितने अक्षांश हैं? - **179**
- कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा किस पठार पर एक दूसरे को काटती हैं? - **बघेलखण्ड**
- अल नीनो धारा किस महासागर में बहती है- **प्रशांत महासागर**
- संविधान की प्रस्तावना में 'समाजवादी', 'धर्मनिरपेक्ष' और 'अखंडता' शब्द किसके द्वारा जोड़े गए थे? - **42वाँ संविधान संशोधन**
- भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचार का संदर्भ लिया गया है - **संयुक्त राज्य अमेरिका**
- भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है? - **अनुच्छेद 17**
- उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार किस संस्था के पास है? - **संसद**
- पांचवीं अनुसूची किस विशिष्ट समूह के लोगों के हितों के शासन और संरक्षण से संबंधित है? - **अनुसूचित जनजाति**
- भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में पहली बार संविधान की 'मूल ढांचे' का सिद्धांत दिया? - **केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, 1973**
- किस अनुच्छेद के तहत सदन का अध्यक्ष किसी भी सदस्य को अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति दे सकता है? - **अनुच्छेद 120(1)**
- RBI के विदेशी मुद्रा भंडार (FER) में शामिल हैं - **विदेशी मुद्रा संपत्ति, सोना, विशेष आहरण अधिकार**
- 'उत्पत्ति के नियम' का तात्पर्य है - **किसी उत्पाद का राष्ट्रीय स्रोत निर्धारित करने के लिए आवश्यक मानदंड**
- किस वर्ष औद्योगिक नीति संकल्प अपनाया गया था? - **1956**
- बिहार का वह रसोइया, जिसने 1917 में भोजन में मिले जहर से महात्मा गांधी के हत्या के प्रयास को विफल करके उनकी जान बचाई थी - **बटक मियां**
- 1937-1938 के दौरान बिहार में बकाशत आंदोलन का आयोजन किया गया था - **स्वामी सहजानंद सरस्वती**
- बक्सर के युद्ध के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए? - **इलाहबाद की संधि**
- बिहार के जिस नेता को 'बिहार केसरी' के नाम से जाना जाता है, वे थे - **श्रीकृष्ण सिंह**
- तत्त्वबोधिनी सभा की स्थापना की गई थी- **देवेन्द्र नाथ टैगोर**
- डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किया? - **1632**
- महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को हथियार के रूप में सबसे पहले किस आंदोलन में प्रयोग किया था? - **अहमदाबाद हड़ताल**
- अंबाबाई, एक महिला स्वतंत्रता सेनानी, भारत के किस राज्य से संबंधित थीं - **कर्नाटक**
- कैबिनेट मिशन के सदस्य थे - **लॉर्ड पेथिक-लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, और ए.वी अलेक्जेंडर**
- "सुरक्षा वाल्व सिद्धांत के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, ब्रिटिश सरकार को खतरों से बचाने के लिए की गई थी।" किस नेता ने कहा था? - **लाला लाजपत राय**
- मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किये गये थे? - **कराची अधिवेशन, 1931**
- सर्वेट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक थे - **गोपाल कृष्ण गोखले**
- विवादास्पद इल्बर्ट बिल किसके वायसराय काल में पेश किया गया था? - **लॉर्ड रिपन**
- चंपारण आंदोलन के जवाब में, ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे के समाधान के लिए कौन सा कदम उठाया? - **चंपारण कृषि समिति की स्थापना**
- भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को वित्तीय आपातकाल लागू करने का अधिकार देता है? - **अनुच्छेद 360**
- भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई - **1925**
- किस ब्रिटिश नीति को अक्सर भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण की दिशा में पहला कदम कहा जाता है - **लॉर्ड मेयो का 1870 का संकल्प**
- ब्रह्मगुप्त की कृति 'ब्रह्मस्फुटसिद्धांत' का संबंध है - **गणित**



## चर्चित व्यक्ति एवं नियुक्ति

### श्रीनिवासन के. स्वामी

हाल ही में, श्रीनिवासन के. स्वामी को 2023-24 की अवधि के लिए ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन (Audit Bureau of Circulations - ABC) का अध्यक्ष (चेयरमैन) चुना गया है।



❖ श्रीनिवासन के. स्वामी, आर. के.

स्वामी हंसा समूह (R.K. Swamy Hansa Group) के कार्यकारी अध्यक्ष हैं तथा एशियाई फेडरेशन ऑफ एडवर्टाइजिंग एसोसिएशंस (Asian Federation of Advertising Associations) के चेयरमैन के रूप में कार्यरत हैं।

- ❖ 1948 में स्थापित ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन (ABC) एक गैर-लाभकारी, स्वैच्छिक संगठन है; जिसमें प्रकाशक, विज्ञापनदाता और विज्ञापन एजेंसियां सदस्य के रूप में शामिल हैं।
- ❖ यह प्रकाशनों के प्रसार आंकड़ों को प्रमाणित करने हेतु ऑडिट प्रक्रियाओं को विकसित करने में अग्रणी भूमिका निभाता है।
- ❖ एबीसी, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्टिफिकेशन का संस्थापक सदस्य हैं।

### आर. माधवन

1 सितंबर, 2023 को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने अभिनेता आर. माधवन (R. Madhavan) को फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (FTII) के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया। पूर्व अध्यक्ष शेखर कपूर का कार्यकाल 3 मार्च, 2023 को समाप्त हो गया।

- ❖ आर. माधवन FTII सोसाइटी के अध्यक्ष (President of FTII Society) तथा इसकी गवर्निंग काउंसिल के चेयरमैन के रूप में भी काम करेंगे।
- ❖ आर. माधवन को हाल ही में फिल्म 'रॉकेटी: द नांबी इफेक्ट' के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के लिए चयन किया गया है।
- ❖ भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान (FTII) पुणे में स्थित फिल्म निर्माण एवं टेलीविजन कार्यक्रमों के निर्माण के लिए प्रशिक्षण प्रदान करने वाला एक शिक्षण संस्थान है।

### धनंजय जोशी

हाल ही में, धनंजय जोशी को डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर एसोसिएशन (Digital Infrastructure Providers Association -DIPA) का अध्यक्ष (चेयरमैन) नियुक्त किया गया है।

- ❖ श्री जोशी इस पद पर भारती एंटरप्राइजेज के चेयरमैन अखिल गुप्ता का स्थान लेंगे। जो साल 2011 से दूरसंचार उद्योग से जुड़े इस निकाय के चेयरमैन के रूप में कार्य कर रहे हैं।
- ❖ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स एसोसिएशन (DIPA): यह एक गैर-लाभकारी उद्योग निकाय है, जो भारत में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर उद्योग का प्रतिनिधित्व करता है।

- इसकी स्थापना 2010 में टॉवर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स एसोसिएशन (टीआईपीए) के रूप में की गई थी।
- डीआईपीए के सदस्यों में भारत में डिजिटल बुनियादी ढांचे के विकास, निर्माण, स्वामित्व और संचालन से संबंधित विभिन्न कंपनियां शामिल हैं।

### राहुल नवीन

15 सितंबर, 2023 को वित्त मंत्रालय के द्वारा प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate -ED) के प्रभारी निदेशक (Acting Director) के रूप में राहुल नवीन को संजय कुमार मिश्रा की जगह नियुक्त करने की घोषणा की गई।

- ❖ एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट: यह भारत की एक विशेष कानून प्रवर्तन एजेंसी है, जो यह आर्थिक गतिविधियों से संबंधित कानूनों और विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करती है।
- यह भारत की वित्तीय और आर्थिक प्रणालियों की अखंडता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- यह मुख्य रूप से वित्तीय अपराधों, मनी लॉन्ड्रिंग, विदेशी मुद्रा और आर्थिक अपराधों से संबंधित मामलों की जांच और अभियोजन से संबद्ध विशेष एजेंसी है।

### एनवी रमन्ना

❖ हाल ही में, भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना को सिंगापुर इंटरनेशनल मीडिएशन सेंटर (SIMC) के इंटरनेशनल मीडिएटर पैनल के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है।

- ❖ एन.वी. रमन्ना 24 अप्रैल, 2021 से 26 अगस्त, 2022 तक भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान कर चुके हैं।
- ❖ इंटरनेशनल मीडिएशन सेंटर (SIMC): यह मध्यस्थता के माध्यम से विवादों के समाधान से संबंधित एक प्रमुख वैश्विक संस्था है।
- एसआईएमसी संबद्ध पार्टियों को रचनात्मक बातचीत के माध्यम से पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समाधान खोजने के लिए एक तटस्थ और अनुकूल वातावरण प्रदान करना है।
- एसआईएमसी के मध्यस्थों को उनकी विशेषज्ञता, अनुभव और व्यावसायिकता के उच्चतम मानकों के आधार पर चुना जाता है।

### जया वर्मा सिन्हा

1 सितंबर, 2023 को जया वर्मा सिन्हा ने रेलवे बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और अध्यक्ष (CEO and Chairperson) के रूप में पद ग्रहण किया। श्रीमती सिन्हा प्रथम महिला हैं, जिन्हें रेलवे बोर्ड की अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इन्हें अनिल कुमार लाहोटी की जगह नियुक्त किया गया है।

- ❖ सुश्री सिन्हा ने 1988 में भारतीय रेलवे यातायात सेवा में शामिल हुईं और उत्तर रेलवे, दक्षिण-पूर्व रेलवे और पूर्वी रेलवे में विभिन्न पदों पर अपनी सेवाएं प्रदान कीं।

- ❖ **भारतीय रेलवे बोर्ड:** भारतीय रेलवे बोर्ड भारतीय रेलवे का शीर्ष निकाय है। यह रेलवे के समग्र प्रशासन और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होता है। रेलवे बोर्ड का मुख्यालय नई दिल्ली में है।
  - यह कई विभागों में विभाजित है, जिनमें यातायात विभाग, इंजीनियरिंग विभाग, वित्त विभाग, कार्मिक विभाग आदि शामिल हैं।

### लोकेश सूजी

- हाल ही में, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन (International Esports Federation - IESF) की आम सभा द्वारा लोकेश सूजी को तीन वर्ष के कार्यकाल के लिए सदस्यता समिति में चुना गया है।
- ❖ यह प्रथम अवसर है, जब किसी भारतीय को इंटरनेशनल ईसपोर्ट्स फेडरेशन की प्रतिष्ठित सदस्यता समिति का हिस्सा बनाया गया है। सदस्यता समिति के हिस्से के रूप में वह स्पोर्ट्स के भविष्य को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ाने में योगदान देंगे।
  - ❖ इनके द्वारा भारतीय खेल महासंघ (ESFI) के निदेशक और एशियाई एस्पर्ट्स फेडरेशन (AESF) के उपाध्यक्ष के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान की गई हैं।

## निधन

### डेनिस ऑस्टिन

- हाल ही में, प्रसिद्ध तकनीकी विशेषज्ञ तथा माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट के सह-निर्माता डेनिस ऑस्टिन (Dennis Austin) का 76 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ऑस्टिन ने रॉबर्ट गैसकिंस के साथ मिलकर पावरपॉइंट का विकास किया था।
- ❖ माइक्रोसॉफ्ट द्वारा फोरशॉट का 1987 में अधिग्रहण करने के बाद ऑस्टिन ने पावरपॉइंट के निर्माण में अहम रोल अदा किया था। 1996 तक डेनिस ऑस्टिन पावरपॉइंट से संबंधित एक प्रमुख सॉफ्टवेयर डेवलपर थे। वर्तमान में, पावरपॉइंट का उपयोग एक दिन में 30 मिलियन से अधिक प्रेजेंटेशन बनाने के लिए किया जा रहा है।

### सरोजा वैद्यनाथन

- भरतनाट्यम नृत्यांगना सरोजा वैद्यनाथन (Saroja Vaidyanathan) का 21 सितंबर, 2023 को नई दिल्ली में निधन हो गया। उनका जन्म 1937 में बेल्लारी (कर्नाटक) में हुआ था।
- ❖ शास्त्रीय नृत्यांगना सरोजा को वर्ष 2002 में पद्म श्री और वर्ष 2013 में पद्मभूषण से सम्मानित किया गया था।
  - ❖ सरोजा ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में शास्त्रीय नृत्य विद्यालय 'गणेश नाट्यालय' की स्थापना की थी।
  - ❖ उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की कविताओं सहित पौराणिक कथाओं और सामाजिक विषयों पर आधारित कई नृत्य-नाटकों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रस्तुत किया था।
  - ❖ वैद्यनाथन को दिल्ली सरकार के साहित्य कला परिषद सम्मान और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी प्रदान किया जा चुका है।
  - ❖ वैद्यनाथन को वर्ष 2006 में भारत कला सुदार (Purifier of Indian Art) की उपाधि से सम्मानित किया गया।
  - ❖ सरोजा वैद्यनाथन ने भरतनाट्यम और कर्नाटक संगीत पर कई किताबें लिखी हैं, जिनमें द क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया, भरतनाट्यम- अ इन-डेथ स्टडी, कर्नाटक संगीतम और द साइंस ऑफ भरतनाट्यम शामिल हैं।

### गीता मेहता

- 16 सितंबर, 2023 को प्रख्यात लेखिका गीता मेहता का नई दिल्ली में उनके आवास पर 80 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। गीता मेहता ओडिशा के प्रसिद्ध राजनेता और पूर्व मुख्यमंत्री बीजू पटनायक की बेटी और वर्तमान सीएम नवीन पटनायक की बड़ी बहन थीं।
- ❖ इनकी प्रारम्भिक शिक्षा भारत में और उच्च शिक्षा यूके के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में हुई थी। इनकी द्वारा रचित साहित्यों में कर्मा कोला, स्नेक्स एंड लैडर्स, ए रिबर सूत्र, राज एंड इंटरनल गणेशा जैसी किताबें शामिल हैं।
  - ❖ इनके द्वारा लिखी गई पुस्तकों का विश्व के 21 भाषाओं में अनुवाद किया गया है तथा यूरोप, अमेरिका और भारत में बेस्टसेलर सूची में रही हैं।
  - ❖ उन्होंने यूके, यूरोपीय और अमेरिकी नेटवर्क के लिए कम से कम 14 टेलीविजन वृत्तचित्रों का निर्माण और निर्देशन भी किया। 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम पर आधारित उनकी फिल्म 'डेटलाइन बांग्लादेश' भारत और विदेशों में काफी पसंद की गई थी।

### उस्ताद अली जकी हैदर

- प्रसिद्ध रुद्र वीणा वादक उस्ताद अली जकी हैदर का 8 सितंबर, 2023 को नई दिल्ली में निधन हो गया। वे उस्ताद असद अली खान के शिष्य थे।
- ❖ अली जकी हैदर ध्रुपद के जयपुर बीनकर घराने की खंडारबानी/खंडहरबानी शैली (Khandarabani style) के अंतिम 'प्रतिपादक' (exponent) थे।
  - ❖ रुद्र वीणा भारतीय शास्त्रीय संगीत में उपयोग की जाने वाली मुख्य वीणा प्रकारों में से एक है। रुद्र वीणा विशेष रूप से ध्रुपद संगीत शैली में प्रयुक्त होता है।
  - ❖ पौराणिक कथा के अनुसार, रुद्र वीणा भगवान शिव द्वारा देवी पार्वती की सुंदरता के लिए एक श्रद्धांजलि के रूप में बनाई गई थी।
  - ❖ रुद्र वीणा सागौन की लकड़ी, धातु, कढ़ू और बाँस से बना एक तार वाद्य यंत्र है।

## पुरस्कार/सम्मान

### वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड

- हाल ही में, तेलंगाना की मुख्य नवाचार अधिकारी (Chief Innovation Officer - CIO) शांता थोटम को बिक्स इनोवेशन फोरम द्वारा प्रथम वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है।
- ❖ उन्होंने तेलंगाना राज्य के इनोवेशन इकोसिस्टम, टी-हब, के उपाध्यक्ष की भूमिका से शुरू करके अपनी सेवा के सात साल पूरे कर लिए हैं तथा वर्तमान में इसकी प्रथम महिला मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्य कर रही हैं।
  - ❖ **वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड:** यह पुरस्कार सतत विकास लक्ष्य-4 में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है, जो समावेशी और न्यायसंगत गुणवत्ता शिक्षा सुनिश्चित करता है तथा सभी के लिए आजीवन अवसरों को बढ़ावा देता है।
    - यह पुरस्कार एक अंतरराष्ट्रीय एनजीओ वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर डेवलपमेंट (World Organisation for Development) द्वारा स्थापित किया गया है।

### रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023

हाल ही में 'रेमन मैग्सेसे अवार्ड्स फाउंडेशन' (Ramon Magsaysay Awards Foundation) द्वारा रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 प्रदान करने की घोषणा की गई है।

- ❖ इस वर्ष का पुरस्कार समारोह का 65वां संस्करण है। इस वर्ष पुरस्कार प्रदान किये गए सम्मानित व्यक्तियों में भारत के डॉ. रवि कन्नन भी शामिल हैं, जिन्हें चिकित्सा क्षेत्र में जन-केंद्रित उपचार को प्रोत्साहित करने के लिए प्रदान किया गया है।
- ❖ **रेमन मैग्सेसे पुरस्कार:** 1957 में स्थापित रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का सबसे बड़ा सम्मान और गौरव माना जाता है। इसका नाम फिलीपींस के तीसरे राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे के नाम पर रखा गया है। इसे अक्सर 'एशिया का नोबेल पुरस्कार' कहा जाता है।
  - विनोबा भावे 1958 में सामुदायिक नेतृत्व की श्रेणी के तहत रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय थे।

| 2023 रेमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता |              |  |
|------------------------------------|--------------|--|
| पुरस्कार विजेता                    | देश          | योगदान   |
| रवि कन्नन                          | भारत         | चिकित्सा क्षेत्र में जन-केंद्रित उपचार को प्रोत्साहन |
| मिरियम कोरोनेल-फेरर                | फिलीपींस     | अहिंसक रणनीतियों द्वारा शांति स्थापना का प्रयास      |
| यूजेनियो लेमोस                     | तिमोर-लेस्ते | प्रकृति और अपने परिवेश का संरक्षण                    |
| कोरवी रक्षंद                       | बांग्लादेश   | बांग्लादेश में वंचित वर्ग के बच्चों हेतु शिक्षा      |

### ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड्स 2023

हाल ही में, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार, इसके गवर्नर **शक्तिकांत दास** को ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड्स 2023 (Global Finance Central Banker Report Cards 2023) में 'A+' रेटिंग से सम्मानित किया गया है।

- ❖ ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड्स 2023 में विश्व के तीन केंद्रीय बैंक गवर्नरों A\$ रेटिंग प्रदान की गई है।
- ❖ ज्ञात है कि शक्तिकांत दास को इसकी सूची में सबसे ऊपर रखा है।
- ❖ **ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड्स:** यह रिपोर्ट कार्ड ग्लोबल फाइनेंस नामक संस्था द्वारा प्रतिवर्ष 1994 से प्रकाशित किया जाता है।
  - इसके द्वारा 101 प्रमुख केंद्रीय बैंक के गवर्नरों के प्रदर्शन का व्यापक मूल्यांकन किया जाता है।
  - इसमें यूरोपीय संघ, पूर्वी कैरेबियन सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ सेंट्रल अफ्रीकन स्टेट्स और सेंट्रल बैंक ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स जैसे प्रमुख संस्थानों को भी शामिल किया जाता है।

### अभिनेत्री वहीदा रहमान को दादा साहब फाल्के पुरस्कार

केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने 26 सितंबर, 2023 को घोषणा की कि प्रसिद्ध अभिनेत्री वहीदा रहमान को वर्ष 2021 के लिए 53वें दादा साहब फाल्के लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।

- ❖ भारतीय सिनेमा जगत का यह सर्वोच्च सम्मान वहीदा रहमान को 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह के दौरान प्रदान किया जाएगा।

- ❖ वहीदा रहमान ने वर्ष 1971 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता था। वर्ष 1972 में वहीदा को भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया, वर्ष 2011 में उन्हें पद्मभूषण पुरस्कार भी प्रदान किया गया।
- ❖ वहीदा रहमान को फिल्म गाइड (1965) और नील कमल (1968) में अपनी भूमिकाओं के लिए फिल्मफेयर का सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार प्रदान किया गया था।

### स्वाति नायक को नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड-2023

स्वाति नायक को कृषि एवं खाद्य उत्पादन के क्षेत्र में उनके अभूतपूर्व योगदान के लिए नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड 2023 के लिए चुना गया है। स्वाति अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान (IRRI) में बीज प्रणाली और उत्पाद प्रबंधन की दक्षिण एशिया प्रमुख हैं।

- ❖ अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान मनीला (फिलीपींस) में स्थित है। यह पुरस्कार नोबेल पुरस्कार विजेता और हरित क्रांति के मुख्य वास्तुकार डॉ. नॉर्मन बोरलॉग की स्मृति में कृषि और खाद्य उत्पादन के क्षेत्र में काम करने वाले 40 वर्ष से कम आयु के वैज्ञानिकों को प्रदान किया जाता है।
- ❖ स्वाति को यह पुरस्कार 22 से 28 अक्टूबर तक आयोजित (अमेरिका) में आयोजित एक कार्यक्रम में प्रदान किया जाएगा।

### शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2022

हाल ही में, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (CSIR) द्वारा शांति स्वरूप भटनागर (SSB) पुरस्कारों के लिये विजेताओं की घोषणा की गई है। 2022 के पुरस्कार विजेताओं में 45 वर्ष से कम आयु के निम्नलिखित वैज्ञानिकों को प्रदान किया गया है:

- ❖ **रसायन विज्ञान:** डॉ. अक्कट्टू बीजू और डॉ. देबब्रत मैती
- ❖ **पृथ्वी, वायुमंडल और ग्रह विज्ञान:** डॉ. विमल मिश्रा
- ❖ **इंजीनियरिंग विज्ञान:** डॉ. दीप्ति रंजन साहू और डॉ. रजनीश कुमार
- ❖ **गणितीय विज्ञान:** डॉ. अपूर्व खरे और डॉ. नीरज कयाल
- ❖ **चिकित्सा विज्ञान:** डॉ. दिप्यमन गांगुली
- ❖ **भौतिक विज्ञान:** डॉ. अनिंद्य दास और डॉ. बासुदेब दासगुप्त
- ❖ **जैविक विज्ञान:** डॉ. अश्विनी कुमार और डॉ. मदिका सुब्बा रेड्डी
- ❖ **शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार:** शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार भारत में सर्वोच्च बहुविषयक विज्ञान पुरस्कार है। इनका नाम CSIR के संस्थापक व निदेशक शांति स्वरूप भटनागर के नाम पर रखा गया है।
  - CSIR भारत का सबसे बड़ा अनुसंधान और विकास (R & D) संगठन है, जिसकी स्थापना वर्ष 1942 में हुई थी।

### ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट

हाल ही में, भारतीय ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल (Indian Green Building Council - IGBC) द्वारा विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को 'ग्रीन रेलवे स्टेशन' सर्टिफिकेट (प्लैटिनम) से सम्मानित किया गया।

- ❖ यह सम्मान पर्यावरण मानकों में सुधार और यात्रियों को पर्यावरण के अनुकूल सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रदान किया गया है।
- ❖ **ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट:** इस पहल का उद्देश्य रेलवे स्टेशनों में हरित समाधानों को अपनाने के लिए प्रेरित करना है।
  - यह प्रणाली जल संरक्षण, अपशिष्ट प्रबंधन, ऊर्जा दक्षता, जीवाश्म ईंधन के कम उपयोग आदि को बढ़ावा देता है।

## शेवेलियर डी एल'ऑर्ड्रे डेस आर्ट्स एट डेस लेट्रेस पुरस्कार

हाल ही में, भारतीय डिजाइनर राहुल मिश्रा को फ्रांसीसी सरकार द्वारा शेवेलियर डी एल'ऑर्ड्रे डेस आर्ट्स एट डेस लेट्रेस (Chevalier De L'Ordre Des Arts Et Des Lettres) से सम्मानित किया गया है।

- ❖ राहुल मिश्रा के डिजाइन पारंपरिक भारतीय शिल्प कौशल को आधुनिक डिजाइन के साथ सहज रूप से सम्मिलित करते हैं।
- ❖ इनके द्वारा बनाए गए वस्त्र पारंपरिक भारतीय हाथ से बुने हुए वस्त्रों और जटिल कढ़ाई तकनीकों का एक उत्कृष्ट मिश्रण प्रतीत होते हैं। इससे पूर्व यह पुरस्कार रितु कुमार, रितु बेरी, वेंडेल रॉड्रिक्स और मनीष अरोड़ा को प्रदान किया जा चुका है।
- ❖ गौरवपूर्ण है कि राहुल मिश्रा ने 2014 में मिलान फैशन वीक के दौरान अंतरराष्ट्रीय वूलमार्क पुरस्कार (International Woolmark Prize) जीतने वाले पहले भारतीय डिजाइनर बने थे।

## राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार की स्थापना

भारत सरकार ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में 21 सितंबर, 2023 को नए राष्ट्रीय पुरस्कारों की स्थापना की। इन्हें राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार (National Science Awards) कहा जाएगा।

- ❖ इस पुरस्कार की स्थापना के साथ ही पहले से विभिन्न विज्ञान विभागों द्वारा दिए जाने वाले लगभग 300 पुरस्कारों को रद्द कर दिया गया है। यह पुरस्कार वैज्ञानिकों, प्रौद्योगिकीविदों और आविष्कारकों को विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रदान किया जाएगा।
- ❖ पुरस्कार के अंतर्गत 4 श्रेणियां होंगी- विज्ञान रत्न, विज्ञान श्री, विज्ञान युवा-शांति स्वरूप भटनागर और विज्ञान टीम।
- ❖ इन पुरस्कारों के लिए नामांकन प्रतिवर्ष 14 जनवरी से राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी के बीच आमंत्रित किए जाएंगे।
- ❖ इन पुरस्कारों की घोषणा 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर की जाएगी।
- ❖ पुरस्कार वितरण समारोह प्रतिवर्ष राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को आयोजित किया जाएगा।
- ❖ राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 13 क्षेत्रों में दिये जाएंगे। ये 13 क्षेत्र हैं- भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जैविक विज्ञान, गणित और कंप्यूटर विज्ञान, पृथ्वी विज्ञान, चिकित्सा, इंजीनियरी विज्ञान, कृषि विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी।

## चर्चित पुस्तकें

- ❖ **द साँग ऑफ द सेल: एन एक्सप्लोरेशन ऑफ मेडिसिन एंड द न्यू ह्यूमन** - डॉ. सिद्धार्थ मुखर्जी (विषय: सेल्युलर शोध तथा इसका चिकित्सा क्षेत्र में योगदान)
- ❖ **फायर ऑन द गंगा: लाइफ अमंग द डेड इन बनारस** : राधिका अयंगर (विषय: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, योगी आदित्यनाथ की जीवन कहानी)
- ❖ **अजय टू योगी आदित्यनाथ**: शान्तनु गुप्ता (विषय: बनारस शहर तथा मृत्यु और मृत्यु के बाद के जीवन के साथ इसके संबंध की पड़ताल)
- ❖ **पिचसाइड: माई लाइफ इन इंडियन क्रिकेट**: अमृत माथुर (विषय: भारतीय क्रिकेट)

## चर्चित दिवस

- ❖ **2 सितंबर**: विश्व नारियल दिवस
- ❖ **5 सितंबर**: शिक्षक दिवस
- ❖ **7 सितंबर**: नीले आसमान के लिए स्वच्छ हवा का अंतरराष्ट्रीय दिवस [वर्ष 2023 थीम: स्वच्छ वायु के लिए एक साथ (Together for Clean Air)]
- ❖ **8 सितंबर**: इंटरनेशनल लिटरसी डे इस वर्ष का थीम [वर्ष 2023 थीम : परिवर्तनशील दुनिया के लिए साक्षरता को बढ़ावा देना: टिकाऊ और शांतिपूर्ण समाजों की नींव का निर्माण (Promoting literacy for a world in transition: Building the foundation for sustainable and peaceful societies)]
- ❖ **8 सितंबर**: विश्व फिजियोथेरेपी दिवस 2023 [वर्ष 2023 थीम: ऑस्टियोआर्थराइटिस की रोकथाम और प्रबंधन (Prevention and Management of Osteoarthritis)]
- ❖ **9 सितंबर**: विश्व ईवी दिवस (World EV Day)
- ❖ **10 सितंबर**: विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस [वर्ष 2023 थीम: क्रिएटिंग होप थू एक्शन]
- ❖ **11 सितंबर**: राष्ट्रीय वन शहीद दिवस
- ❖ **12 सितंबर**: दक्षिण-दक्षिण सहयोग के लिए संयुक्त राष्ट्र दिवस [वर्ष 2023 थीम : एकजुटता, समानता और साझेदारी: एसडीजी हासिल करने के लिए दक्षिण-दक्षिण सहयोग को खोलना (Solidarity, Equity and Partnership: Unlocking South-South Cooperation to Achieve the SDGs)]
- ❖ **14 सितंबर**: हिंदी दिवस
- ❖ **15 सितंबर**: नेशनल इंजिनियर डे [वर्ष 2023 थीम: सतत भविष्य के लिए इंजीनियरिंग (Engineering for a Sustainable Future)]
- ❖ **15 सितंबर**: अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस [वर्ष 2023 थीम: अगली पीढ़ी को सशक्त बनाना (Empowering the next generation)]
- ❖ **15 सितंबर**: विश्व लिम्फोमा जागरूकता दिवस
- ❖ **16 सितंबर**: विश्व ओजोन दिवस [वर्ष 2023 थीम: मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल: ओजोन परत को ठीक करना और जलवायु परिवर्तन को कम करना (Montreal Protocol: Fixing the Ozone Layer and Reducing Climate Change)]
- ❖ **16 सितंबर**: इंटरनेशनल डे फॉर इंटरनेशनल कार्डियोलॉजी
- ❖ **17 सितंबर**: विश्व रोगी सुरक्षा दिवस [वर्ष 2023 थीम: रोगी सुरक्षा के लिए रोगियों को शामिल करना (Engaging patients for patient safety)]
- ❖ **18 सितंबर**: विश्व बांस दिवस
- ❖ **21 सितंबर**: अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस [वर्ष 2023 थीम: शांति के लिए कार्रवाई: वैश्विक लक्ष्यों के लिए हमारी महत्वाकांक्षा (Actions for Peace: Our Ambition for the #GlobalGoals)]
- ❖ **21 सितंबर**: विश्व अल्जाइमर दिवस [वर्ष 2023 थीम: नेवर टू अर्ली, नेवर टू लेट]
- ❖ **22 सितंबर**: विश्व राइनो दिवस
- ❖ **23 सितंबर**: अंतरराष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस
- ❖ **24 सितंबर**: डॉट्स डे (सितंबर महीने के चौथे शनिवार)
- ❖ **27 सितंबर**: विश्व पर्यटन दिवस



# राज्यनामा

## उत्तर प्रदेश

### बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण की स्थापना को मंजूरी

12 सितंबर, 2023 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (Bundelkhand Industrial



Development Authority) के गठन को मंजूरी दी गई। उत्तर प्रदेश को 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में यह पहल महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

- ❖ इसके माध्यम से इस क्षेत्र में औद्योगिक टाउनशिप (Industrial Township) स्थापित की जाएगी तथा बुंदेलखंड में विकास को गति दी जा सकेगी। इस औद्योगिक टाउनशिप को न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण (Noida) की तर्ज पर विकसित किए जाने की योजना है।
- ❖ राज्य के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार, प्रस्तावित औद्योगिक टाउनशिप परियोजना के पहले चरण में झांसी जिले के 33 राजस्व गांवों को शामिल किया जाएगा।
- ❖ टाउनशिप को 6,312 करोड़ रुपये की लागत से 35,000 एकड़ भूमि पर विकसित किया जाएगा। 'मुख्यमंत्री औद्योगिक क्षेत्र विस्तार एवं नवीन औद्योगिक क्षेत्र प्रोत्साहन योजना' के तहत ऋण के रूप में अतिरिक्त 5,000 करोड़ रुपये का प्रावधान भी किया गया है।
- ❖ इस टाउनशिप को बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के माध्यम से देश के अन्य एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा।

### उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में लागू होगा ई-ऑफिस

उत्तर प्रदेश सरकार राज्य भर में सभी सरकारी कामकाज को पूरी तरह ई-ऑफिस के माध्यम से करेगी तथा इसके लिये सभी जिलों में ई-ऑफिस पहल को लागू किया जाएगा।

- ❖ शासन स्तर पर यह व्यवस्था लागू होने के बाद अब जिलों व मंडलों में स्थित सरकारी दफ्तरों में भी यह व्यवस्था लागू होगी।
- ❖ हाल ही में कन्नौज जिले में पूरी तरह ई-ऑफिस लागू हो चुका है और उसी के अनुसार वहां कार्यालयों में फाइलों का संचालन हो रहा है।
- ❖ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2018 में पूरे प्रदेश के सभी विभागों, जिलों, मंडलों में ई-ऑफिस व्यवस्था लागू करने के आदेश दिये थे।
- ❖ ई-ऑफिस एक सरलीकृत, उत्तरदायी, प्रभावी और पारदर्शी कार्यप्रणाली प्राप्त करने का एक माध्यम है।

### नंदिनी कृषक समृद्धि योजना

उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में मवेशियों की नस्ल बढ़ाने और दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए नंद बाबा मिशन के तहत नंदिनी कृषक समृद्धि योजना (Nandini Krishak Samridhi Yojana) शुरू की है।

- ❖ इस योजना का उद्देश्य दुग्ध उत्पादन और डेयरी किसानों की आय बढ़ाने के लिए गाय की नस्लों, विशेष रूप से साहीवाल, गिर, थारपारकर और गंगातिरी में सुधार करना है।
- ❖ यूपी सरकार ने योजना के तहत 25 दुधारू गायों की एक इकाई स्थापित करने के लिए 62.5 लाख रुपये की लागत का अनुमान लगाया है। इसलिए, सरकार लाभार्थियों को कुल खर्च पर 50 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान करेगी, जो अधिकतम 31.25 लाख रुपये है।
- ❖ योजना के पहले चरण में योगी सरकार 25 दुधारू गायों की 35 इकाइयां स्थापित करने वाले लाभार्थियों को गायों की खरीद, उनके संरक्षण के साथ-साथ उनके रख-रखाव पर भी सब्सिडी प्रदान करेगी।
- ❖ इसके अतिरिक्त, प्रारंभिक चरण में यह योजना राज्य के 10 मंडल मुख्यालयों, अर्थात् अयोध्या, गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, झांसी, मेरठ, आगरा और बरेली में लागू की जाएगी।
- ❖ योजना का लाभ तीन चरणों में प्रदान किया जाएगा। प्रथम चरण में इकाई निर्माण के लिए परियोजना लागत का 25 प्रतिशत अनुदान के रूप में प्रदान किया जाएगा।
- ❖ दूसरे चरण में 25 दुधारू गायों की खरीद, उनके 3 साल के बीमा और परिवहन लागत पर 12.5 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी।
- ❖ तीसरे चरण में परियोजना लागत का शेष 12.5 प्रतिशत अनुदान के रूप में प्रदान किया जाएगा।

### क्षेत्रीय बोलियों का पहला शब्दकोश

उत्तर प्रदेश राज्य शिक्षा संस्थान (SIE) ने हाल ही में अपनी तरह का पहला बोलियों का शब्दकोश (Dialects Dictionary) तैयार किया है, जिसमें भोजपुरी, अवधी, ब्रज और बुंदेलखंडी जैसी राज्य की क्षेत्रीय बोलियों/भाषाओं के 76,000 शब्द शामिल हैं।

- ❖ इसका उद्देश्य राज्य की क्षेत्रीय बोलियों को संरक्षित करना और भाषाई बाधाओं को दूर करने में मदद करना है।
- ❖ यह पहल नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के अनुरूप है, जिसके माध्यम से शिक्षक छात्रों को उनकी स्थानीय बोलियों में विषयों को बेहतर तरीके से समझने में सक्षम होंगे।
- ❖ यह शब्दकोश चार खंडों (volume) में प्रकाशित किया जा रहा है। प्रथम खंड में ब्रज भाषा के लगभग 22,000 शब्द तथा दूसरे खंड में भोजपुरी में प्रयुक्त होने वाले 18,000 से अधिक शब्दों को उनके हिंदी अर्थों के साथ संकलित किया जा रहा है।

- + इसी प्रकार तीसरे खंड में अवधी के 17,000 शब्द और चौथे खंड में बुंदेलखंडी बोली के 19,000 शब्द संकलित किए गए हैं।
- ❖ वर्तमान में, उत्तर प्रदेश के 1.68 लाख सरकारी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 1.8 करोड़ छात्र पढ़ रहे हैं। इन स्कूलों में 5 लाख से ज्यादा शिक्षक कार्यरत हैं। इस पहल के द्वारा प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों और छात्रों के मध्य विषय विशेष में बेहतर संवाद में मदद मिलेगी।
- ❖ योजना के लिए फॉर्म 'जनपद पंचायतों' द्वारा 'ग्राम पंचायतों' को उपलब्ध कराये जायेंगे।

## गुजरात

### गुजरात विधानसभा के डिजिटल हाउस का उद्घाटन

- राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 13 सितंबर, 2023 को कागज रहित कामकाज को बढ़ावा देने के लिए गुजरात विधानसभा के राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन (NeVA) परियोजना का उद्घाटन किया।
- ❖ राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन (National eVidhan Application- NeVA) परियोजना का मुख्य उद्देश्य पूरे भारत के सभी विधानमंडलों को 'डिजिटल सदनों' में परिवर्तित करना है।
  - ❖ 'वन नेशन वन एप्लीकेशन' लागू करने वाला गुजरात पहला राज्य बन जाएगा।
  - ❖ राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में NeVA के कार्यान्वयन के लिये संसदीय कार्य मंत्रालय, 'नोडल मंत्रालय' है।
  - ❖ 'वन नेशन वन एप्लीकेशन' से सदन के कामकाज में गति और पारदर्शिता आएगी।
  - ❖ NeVA ऐप के माध्यम से विधायक अपने क्षेत्र में रहकर भी सरकार व विधानसभा से जुड़े रह सकेंगे।
  - ❖ गुजरात विधानसभा के डिजिटल हो जाने से विधानसभा में प्रयोग होने वाले 25 टन कागज की बचत होगी।

## ओडिशा

### ओडिशा सरकार की कुपोषण को दूर करने की पहलें

14 सितंबर, 2023 को ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक द्वारा मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना तथा पद पुष्टि योजना को प्रारंभ किया गया है। इन योजनाओं के द्वारा गर्भवती महिलाओं तथा नई माताओं, किशोर लड़कियों और बच्चों के पोषण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति किया जाएगा।

### मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना

- ❖ इस योजना के तहत 15 से 19 वर्ष की उम्र की सभी किशोरियों को पूरक पोषण आहार उपलब्ध कराया जाएगा। इसके साथ ही, इस योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को एक्सट्रा डाय फूड उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि उन्हें जीवन के इस महत्वपूर्ण चरण के दौरान आवश्यक पोषक तत्व प्राप्त होंगे। यह कार्यक्रम राज्य के नागरिकों की पोषण के स्तर को बढ़ाने में सहायक माना जा रहा है।
- ❖ इस योजना के तहत अति कुपोषित बच्चों को भोजन उपलब्ध कराया जाएगा ताकि उन्हें फिर से स्वस्थ होने में मदद मिल सके। इसके अतिरिक्त, जिन बच्चों का वजन सामान्य से कम है, उन्हें उनके आहार के हिस्से के रूप में अंडे और विटामिन से भरपूर "छटुआ" (भुना हुआ बेसन) मिलेगा।

### पद पुष्टि योजना

- ❖ यह ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में रहने वाले युवाओं को उनके परिक्षेत्रों और गांवों में पका हुआ भोजन पहुंचाने पर केंद्रित है। यह पहल बच्चों, विशेषकर दूरदराज के क्षेत्रों के बच्चों, को ताजा तैयार भोजन उपलब्ध कराने में सहायक है।

## मध्य प्रदेश

### महान दार्शनिक आदि शंकराचार्य की प्रतिमा : स्टैच्यू ऑफ वननेस

18 सितंबर, 2023 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ओंकारेश्वर में महान दार्शनिक आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है।

- ❖ इस प्रतिमा का नाम स्टैच्यू ऑफ वननेस (एकात्मता की प्रतिमा) रखा गया है। मध्य प्रदेश कैबिनेट ने स्टैच्यू ऑफ वननेस परियोजना के निर्माण के लिए 2,141 करोड़ रुपये से अधिक का बजट आवंटित किया था।
- ❖ बहु-धातु से निर्मित आदि शंकराचार्य की मूर्ति को 12 वर्षीय किशोर के रूप में चित्रित किया गया है, जो उनकी आध्यात्मिक यात्रा के शुरुआती वर्षों का प्रतीक है। आदि शंकराचार्य का बचपन उनकी आध्यात्मिक खोज के संदर्भ में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है।
- ❖ धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, उन्होंने 12 साल की उम्र में अद्वैत वेदांत दर्शन का प्रचार करने और इसके मूल सिद्धांतों को जनता तक पहुंचाने के लिए संपूर्ण देश की यात्रा शुरू की।
- ❖ एक 'संन्यासी' (भिक्षु) के जीवन को अपनाने के बाद वे ओंकारेश्वर पहुंचे तथा इस पवित्र शहर में रहने के दौरान, उन्हें गोविंद भगवद्पाद से मिले। गोविंद भगवद्पाद को अपना गुरु माना तथा इनके मार्गदर्शन में गहन शिक्षा प्राप्त की।
- ❖ नर्मदा नदी के तट पर इंदौर से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ओंकारेश्वर को लंबे समय से अद्वैत वेदांत दर्शन के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में मान्यता प्राप्त है।

### मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 17 सितंबर, 2023 को भोपाल में 'मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना' का शुभारंभ किया।

- ❖ इस योजना के तहत आवास सुविधा से वंचित परिवारों को आवास दिया जाएगा। इसका लाभ सभी श्रेणी के आवासहीन पात्र परिवारों को मिलेगा।
- ❖ इस योजना में वे परिवार शामिल होंगे, जिनके पास पक्की छत वाले मकान नहीं हैं या दो कमरे से कम के कच्चे मकानों में रहते हैं।
- ❖ 'मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना' के तहत 4.75 लाख से अधिक लाभार्थियों को लाभ मिलेगा।
- ❖ जिनके पास 2.5 एकड़ या उससे अधिक सिंचित कृषि भूमि और 5 एकड़ से अधिक असिंचित कृषि भूमि है, वे इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे।

- ❖ 2020-21 में, ओडिशा समर्पित पोषण बजट बनाने वाला देश का पहला राज्य बना था। दोनों पहल एक व्यापक कार्यक्रम है जिनका उद्देश्य कुपोषण की समस्या को दूर करना है। इनके तहत कार्यक्रम में कई प्रकार कदम उठाए गए हैं जो यह सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन की गई हैं कि उचित पोषण प्राप्त करने के मामले में कोई भी पीछे न रह जाए।

### नुआखाई जुहार उत्सव

- 20 सितंबर, 2023 को ओडिशा में लोगों ने हर्षोल्लास के साथ नुआखाई त्यौहार मनाया। इस अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री ने नुआखाई के शुभ अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। मूल रूप से यह त्यौहार ओडिशा में मनाया जाने वाला एक वार्षिक फसल उत्सव है, जो पड़ोसी राज्य झारखंड में भी मनाया जाता है।
- ❖ यह उत्सव आमतौर पर गणेश चतुर्थी के एक दिन बाद बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। राज्य के कालाहांडी, संबलपुर, बलांगीर, बारगढ़, सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, सोनपुर, बौध और नुआपाड़ा जिले में नुआखाई उत्सव बड़े धूम-धाम से मनाया जाता है।
- ❖ इस उत्सव के नामकरण में, नुआ का अर्थ है 'नया' और खाई का अर्थ है 'भोजन'।
  - + इस उत्सव के अवसर पर पश्चिमी ओडिशा के लोगों द्वारा 'समलेश्वरी देवी' को नया काटा हुआ चावल का भोजन चढ़ाया जाता है। 'नुआखाई भेटघाट' नामक सामुदायिक समारोह त्यौहार का एक प्रमुख हिस्सा है।
- ❖ नुआखाई एक कृषि प्रधान उत्सव है, जो परंपरागत रूप से नए चावल के मौसम के आगमन का प्रतीक माना जाता है।
- ❖ नुआखाई उत्सव में फसल की कटाई से पहले देवताओं को नए चावल की फसल से बने भोजन का प्रसाद चढ़ाने के बाद, घर के बरामदे और मिट्टी की दीवारों को 'झुटी' से सजाया जाता है, जो रंगोली डिजाइन के समान होता है।

## गोवा

### गृह आधार योजना

- 14 सितम्बर, 2023 को गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने गृह आधार योजना के तहत 3,000 लाभार्थियों को स्वीकृति आदेश (Sanction Orders) वितरित किए।
- ❖ इसके साथ ही मुख्यमंत्री द्वारा गृह आधार योजना को महंगाई से संबद्ध करने का आश्वासन दिया तथा अगले साल गृह आधार के तहत दी जाने वाली राशि में 1,500 रुपये की बढ़ोतरी की घोषणा की।

### योजना की विशेषताएं

- यह गोवा सरकार के महिला एवं बाल विकास निदेशालय द्वारा कार्यान्वित एक योजना है, जो राज्य की गृहणियों को आर्थिक रूप से समर्थन देती है, ताकि वे स्वतंत्र हो सकें और अपनी जरूरतों का ख्याल रख सकें।
- ❖ योजना का उद्देश्य बढ़ती कीमतों की समस्या का समाधान करना और मध्यम, निम्न मध्यम और गरीब वर्गों की गृहणियों को सहायता प्रदान करना है।
  - + इस पहल के द्वारा राज्य सरकार राज्य की गृहणियों की वित्तीय स्वतंत्रता और कल्याण को बढ़ावा देती है।

## तेलंगाना

### भारत की पहली गोरिल्ला ग्लास मैनुफैक्चरिंग फैसिलिटी

हाल ही में, तेलंगाना के आईटी और उद्योग मंत्री के.टी. रामा राव द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार, कॉर्निंग इंक (Corning Inc) तेलंगाना में गोरिल्ला ग्लास विनिर्माण सुविधा स्थापित करेगा। यह भारत में अपनी तरह का प्रथम निवेश है, जो देश में स्मार्टफोन विनिर्माण परितंत्र को मजबूत करेगी।

- ❖ इसके माध्यम से 800 से अधिक व्यक्तियों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे।
- ❖ कॉर्निंग इंक का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है तथा यह एक फॉर्च्यून 500 सामग्री विज्ञान कंपनी (Materials Science Company) है।

## असम

### बिश्वनाथ घाट : भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव

हाल ही में, पर्यटन मंत्रालय द्वारा की गई एक घोषणा के अनुसार असम के बिश्वनाथ घाट (Biswanath Ghat) को वर्ष 2023 के लिए भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में घोषित किया है। असम के इस स्थल का चयन देश के 31 विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से प्राप्त के 791 आवेदनों की समीक्षा के बाद किया गया है।

- ❖ बिश्वनाथ चरियाली (Biswanath Chariali) शहर के दक्षिण में स्थित बिश्वनाथ घाट को 'गुप्त काशी' के नाम से जाना जाता है। यह नाम शहर के प्राचीन बिश्वनाथ मंदिर से लिया गया है और यह प्रसिद्ध गुप्त साम्राज्य युग के दौरान काशी के समानांतर सांस्कृतिक महत्व वाला स्थल माना जाता है।

## कर्नाटक

### बेंगलुरु में मल्टी मोडल लॉजिस्टिक्स पार्क विकसित

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने 18 सितंबर, 2023 को बेंगलुरु में मल्टी मोडल लॉजिस्टिक्स पार्क (MMLP) विकसित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए।

- ❖ डिजाइन-बिल्ड-फाइनेंस-ऑपरेट-ट्रांसफर (DBFOT) मॉडल के तहत 1,770 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से इस पार्क को विकसित करने का प्रस्ताव है। सार्वजनिक क्षेत्र के बेंगलुरु एमएमएलपी प्राइवेट लिमिटेड और रियायतग्राही एसपीवी मैसर्स पाथ के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
- ❖ मल्टी मोडल लॉजिस्टिक्स पार्क को कर्नाटक के बेंगलुरु के मुदेलिंगनहल्ली ग्रामीण जिले में 400 एकड़ क्षेत्र में विकसित किया जा रहा है। यह परियोजना पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत देश में लागू की गई पहली और सबसे बड़ी एमएमएलपी बनने की ओर अग्रसर है।
- ❖ एमएमएलपी का विकास भारतीय रसद क्षेत्र में माल ढुलाई की समग्र लागत और समय को कम करने, कुशल भंडारण प्रदान करने और माल की ट्रैकिंग में सुधार करने की दिशा में भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है। ■■



- क्रिकेट ○ टेनिस ○ फुटबॉल ○ एथलेटिक्स
- बैडमिंटन ○ हॉकी ○ बॉक्सिंग ○ स्नूकर/बिलियर्ड
- तीरंदाजी ○ विविध ○ चर्चित खिलाड़ी/प्रशासक

## खेल व्यक्तित्व

### सिमोना हालेप

इंटरनेशनल टेनिस इंटीग्रिटी एजेंसी (ITIA) ने 12 सितंबर, 2023 को दो बार की ग्रैंड स्लैम चैंपियन रोमानिया की खिलाड़ी सिमोना हालेप को डोपिंग उल्लंघन के कारण पेशेवर टेनिस से 4 वर्ष के लिए प्रतिबंध लगा दिया है।

- ❖ अपने 4 वर्ष के प्रतिबंध के साथ, सिमोना हालेप 6 अक्टूबर, 2026 तक पेशेवर टेनिस में प्रतिस्पर्धा करने के लिए अयोग्य हैं।
- ❖ हालेप वर्ष 2017 में डब्ल्यूटीए रैंकिंग में विश्व की नंबर 1 महिला खिलाड़ी बनी थीं।

### विराट कोहली

- ❖ भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली ने एकदिवसीय मैच में सबसे तेज 13,000 रन बनाकर सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया।
- ❖ 11 सितंबर, 2023 को एशिया कप 2023 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए मैच में कोहली ने यह कीर्तिमान स्थापित किया।
- ❖ कोहली ने 267 पारियों में, जबकि सचिन ने 321 पारियों में 13,000 एकदिवसीय रन बनाए।
- ❖ कोहली 13,000 एकदिवसीय रन बनाने वाले विश्व के पांचवें खिलाड़ी बन गए। सचिन तेंदुलकर के बाद कोहली वनडे में 13,000 रन बनाने वाले दूसरे भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं।

## क्रिकेट

### एशियन गेम्स 2023 में महिला क्रिकेट टीम ने स्वर्ण जीता

19वें एशियाई खेलों में 25 सितंबर, 2023 को भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने श्रीलंका को 19 रनों से हराकर स्वर्ण पदक जीता।

- ❖ इस जीत के साथ ही एशियाई खेल के क्रिकेट टूर्नामेंट में भारत ने अपना पहला पदक जीता है।
- ❖ भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने एशियाई खेलों में पहली बार भाग लिया है।
- ❖ एशियाई खेलों के 2010 और 2014 संस्करण में क्रिकेट खेला गया था, परन्तु भारत ने इस आयोजन में भाग नहीं लिया था।
- ❖ 19वें एशियाई खेल चीन के हांगझोऊ में 23 सितंबर से 8 अक्टूबर, 2023 तक आयोजित किया जा रहा है।

### भारत ने 8वीं बार एशिया कप जीता

17 सितंबर, 2023 को भारत ने श्रीलंका को फाइनल में 10 विकेट से हराकर एशिया कप 2023 जीता।

- ❖ कुलदीप यादव ने टूर्नामेंट में 9 विकेट लिए और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार जीता। मैचों को सफलतापूर्वक संपन्न कराने वाले ग्राउंड स्टाफ को 50,000 डॉलर का पुरस्कार दिया गया।

- ❖ मोहम्मद सिराज को प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार मिला।
- ❖ रवींद्र जड़ेजा को कैच ऑफ द मैच का अवॉर्ड दिया गया।
- ❖ टीम इंडिया ने आठवीं बार यह खिताब जीता।
- ❖ इससे पहले भारत ने 1984, 1988, 1990-91, 1995, 2010, 2016 और 2018 में खिताब जीता था। भारत ने यह टूर्नामेंट सात बार और एक बार टी20 में जीता है, जबकि श्रीलंकाई टीम ने छः बार यह खिताब जीता है।

## टेनिस

### अमेरिकी ओपन टेनिस-2023

अमेरिकी ओपन टेनिस प्रतियोगिता 28 अगस्त से 10 सितंबर, 2023 तक न्यूयार्क में आयोजित की गई।

- ❖ अमेरिकी ओपन टेनिस प्रतियोगिता के पुरुष सिंगल्स में नोवाक जोकोविच ने डेनियल मेदवेदेव को हराकर 24वां ग्रैंड स्लैम खिताब जीता।
- ❖ महिला सिंगल्स के फाइनल में अमेरिका की कोको गॉफ ने बेलारूस की अरियाना सबालेंका को हराकर अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता।

| विभिन्न श्रेणियों में विजेताओं की सूची |  |  |
|--|--|--|
| श्रेणी                                 | विजेता   | उपविजेता   |
| पुरुष एकल                              | नोवाक जोकोविच (सर्बिया)                                  | डेनियल मेदवेदेव (रूस)                              |
| महिला एकल                              | कोको गॉफ (अमेरिका)                                       | अरियाना सबालेंका (बेलारूस)                         |
| पुरुष युगल                             | राजीव राम (अमेरिका) और जो सैलिसबरी (ग्रेट ब्रिटेन)       | रोहन बोपन्ना (भारत) और मैथ्यू एब्डेन (ऑस्ट्रेलिया) |
| महिला युगल                             | इरिन रूटलिफ (न्यूजीलैंड) और गैब्रियला दब्रोवस्की (कनाडा) | लउरा सेजमंड (जर्मनी) और वेरा जोरानेवा (रूस)        |
| मिश्रित युगल                           | देनिलिना (रूस) और हेलिबारा                               | जे पेगुला (अमेरिका) एवं ए क्राजेक                  |

## निशानेबाजी

### ISSF राइफल/ पिस्टल विश्व कप 2023

भारत ने ब्राजील के रियो डी जनेरियो में आयोजित आईएसएसएफ वर्ल्ड कप 2023 प्रतियोगिता में 1 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीता।

- ❖ आईएसएसएफ वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन ब्राजील के रियो डी जनेरियो में 12 सितंबर से 19 सितंबर 2023 तक किया गया।
- ❖ इलावेनिल वलारिवन ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में फ्रांस की ओसिएने मुलर को हराकर स्वर्ण पदक जीता। वलारिवन का यह दूसरा व्यक्तिगत विश्व कप पदक है।

## खेल परिदृश्य

- ❖ भारत की निश्चल ने आईएसएसएफ वर्ल्ड कप 2023 में महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में रजत पदक प्राप्त किया। वह नार्वे की निशानेबाज जेनेट हेग ड्युएस्टेड के बाद दूसरे स्थान पर रही हैं। रियो में आयोजित आईएसएसएफ विश्व कप में कुल 16 भारतीय निशानेबाजों ने भाग लिया था।
- ❖ पुरुष हॉकी टीम में नीदरलैंड शीर्ष स्थान पर, जबकि बेलजियम दूसरे स्थान पर है। भारतीय महिला हॉकी टीम भी एक स्थान ऊपर चढ़कर सातवें स्थान पर पहुंच गई है।
- ❖ महिलाओं की रैंकिंग में, नीदरलैंड शीर्ष स्थान पर, जबकि ऑस्ट्रेलिया दूसरे और अर्जेंटीना तीसरे स्थान पर है।

## फुटबॉल

### अंडर-16 सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप 2023

भारत की अंडर-16 फुटबॉल टीम ने दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ फुटबॉल चैंपियनशिप 2023 (Under-16 SAFF Football Championship 2023) में बांग्लादेश को 2-0 से हराकर खिताब जीत लिया।

- ❖ यह चैंपियनशिप 1 से 10 सितंबर तक भूटान के थिंपू में आयोजित की गई थी। इस टूर्नामेंट में कुल 6 टीमों ने भाग लिया था।
- ❖ भारतीय अंडर-16 टीम ने इस खिताब को पांचवीं बार जीता है।
- ❖ सूरज सिंह को SAFF U16 चैंपियनशिप का सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर, जबकि मोहम्मद अरबाश को सबसे मूल्यवान खिलाड़ी और उच्चतम स्कोरर का पुरस्कार प्रदान किया गया।

## बैडमिंटन

### किरण जॉर्ज ने इंडोनेशिया बैडमिंटन मास्टर्स का खिताब जीता

- किरण जॉर्ज ने 10 सितंबर, 2023 को जापान के कू ताकाहाशी को हराकर इंडोनेशिया मास्टर्स सुपर 100 पुरुष एकल खिताब जीता।
- ❖ किरण ने अपना पहला सुपर 100 खिताब 2022 में ओडिशा ओपन में जीता था।
  - ❖ जनवरी 2023 में किरण ने थाईलैंड ओपन में चीन के खिलाड़ी शी युकी और वेंग होंग यांग को हराया था। यह मैच उत्तरी सुमात्रा के मेदान में स्थित GOR PBSI पेंसिंग कोर्ट में खेला गया।
  - ❖ किरण जॉर्ज इंडोनेशिया मास्टर्स 2023 के फाइनल में पहुंचने वाले एकमात्र भारतीय एथलीट थे।

## हॉकी

### भारत ने पुरुष हॉकी फाइव एशिया कप 2023 जीता

- भारत ने 2 सितंबर, 2023 को ओमान के सलालाह में पुरुष हॉकी फाइव एशिया कप 2023 (Men's Hockey Fives Asia Cup 2023) जीत लिया। भारत ने फाइनल में पाकिस्तान को पेनाल्टी शूटआउट में 2-0 से हराया।
- ❖ भारत ने इस जीत के साथ एफआईएच पुरुष हॉकी-5 विश्व कप 2024 में भी प्रवेश कर लिया है।
  - ❖ भारतीय टीम के मनिंदर सिंह बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुने गये।

### भारतीय पुरुष हॉकी टीम विश्व रैंकिंग में तीसरे स्थान पर

- भारतीय पुरुष हॉकी टीम 18 सितंबर, 2023 को अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ (FIH) की नवीनतम विश्व रैंकिंग में तीसरे स्थान पर पहुंच गई है।
- ❖ भारतीय पुरुष हॉकी टीम की यह उपलब्धि चेन्नई में एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023 जीतने के बाद प्राप्त हुई।

## बास्केटबॉल

### FIBA बास्केटबॉल वर्ल्ड कप 2023

- बास्केटबॉल वर्ल्ड कप 2023 में जर्मनी ने सर्बिया को 83-77 से हराकर पहली बार वर्ल्ड कप का खिताब जीता है।
- ❖ बास्केटबॉल वर्ल्ड कप का आयोजन 25 अगस्त से 10 सितंबर, 2023 तक फिलीपींस, जापान और इंडोनेशिया में किया गया।
  - ❖ बास्केटबॉल वर्ल्ड कप का यह 19वां सीजन था। इस टूर्नामेंट में 32 टीमों ने भाग लिया था।
  - ❖ कनाडा ने संयुक्त राज्य अमेरिका को 127-118 से हराकर कांस्य पदक जीता, जो विश्व कप इतिहास में उसका पहला पदक था।
  - ❖ लातविया, दक्षिण सूडान और जॉर्जिया ने पहली बार विश्व कप में भाग लिया, जिसमें लातविया शीर्ष पांच में रहा।

## एथलेटिक्स

### डायमंड लीग 2023 का फाइनल

- ओलंपिक और विश्व चैंपियन भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा अमेरिका के यूजीन में स्थित हेवर्ड फील्ड में डायमंड लीग फाइनल में दूसरे स्थान पर रहे।
- ❖ नीरज चोपड़ा ने 83.80 मीटर के प्रयास के साथ रजत पदक जीता।
  - ❖ चेक गणराज्य के याकुब वाडलेज्च ने 84.01 मीटर के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इस प्रतियोगिता में फिनलैंड के ओलिवर हेलेंडर (83.74 मी.) तीसरे स्थान पर रहे।

## विविध

### ग्रेटर नोएडा में 'मोटो जीपी भारत-2023' का आयोजन

- बाइक रेसिंग चैंपियनशिप 'मोटोजीपी (MotoGP) भारत-2023' (MotoGP) का आयोजन ग्रेटर नोएडा के बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में 22-24 सितंबर, 2023 को किया गया।
- ❖ उल्लेखनीय है कि मोटोजीपी का आयोजन देश में पहली बार किया गया है।
  - ❖ मोटोजीपी में विश्व की 41 टीमों और 82 राइडर्स ने भाग लिया।
  - ❖ 5.01 किलोमीटर लंबे ट्रैक पर MotoGP की 120.24 किलोमीटर की रेस हुई। Moto GP की एक रेस करीब 100 से 130 किलोमीटर की होती है, जो लगभग 45 मिनट तक चलती है।

### MotoGP Bharat-2023 के विजेता

| श्रेणी | राइडर                      | टीम                     |
|--------|----------------------------|-------------------------|
| मोटो 1 | मार्को बेजेची (इटली)       | मूनी वीआर 46 रेसिंग टीम |
| मोटो 2 | जॉर्ज मार्टिन (स्पेन)      | प्रेमैक रेसिंग टीम      |
| मोटो 3 | फैबियो क्वार्टारो (फ्रांस) | मॉन्स्टर एनर्जी यामहा   |

# समसामयिक प्रश्न

सितंबर 2023 के घटनाक्रम पर आधारित

- अफ्रीकी संघ (AU) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
  - अफ्रीकी संघ (एयू) 55 सदस्य देशों का एक महाद्वीपीय संघ है।
  - सित्तों घोषणा में अफ्रीकी संघ की स्थापना का आह्वान किया गया था।
  - दिल्ली में आयोजित 18वीं G20 बैठक में, अफ्रीकी संघ को अस्थायी सदस्य के रूप में शामिल किया गया।

उपरोक्त कथनों के आधार पर सही विकल्प का चयन करें-

(a) केवल 1, 3 (b) केवल 1, 2  
(c) केवल 2, 3 (d) 1, 2 और 3
- 106वें संविधान संशोधन अधिनियम 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
  - यह अधिनियम संसद के दोनों सदनों और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण का प्रावधान करता है।
  - इस अधिनियम में तीन नए अनुच्छेदों अर्थात् अनुच्छेद 330A, 332A और 334A को सम्मिलित किया गया है।
  - आरक्षण लागू करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 82 और 170(3) में संशोधन करना होगा।

उपरोक्त कथनों के आधार पर सही विकल्प का चयन करें-

(a) केवल 1, 3 (b) केवल 1, 2  
(c) केवल 2, 3 (d) 1, 2 और 3
- करेंसी चेस्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें :
  - करेंसी चेस्ट वह जगह है, जहां भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) बैंकों और एटीएम के लिए पैसा रखता है।
  - चेस्ट पर निगरानी का अधिकार वित्त मंत्रालय के पास है।

गलत कथन का चयन करें-

(a) केवल 1 (b) 1 और 2 दोनों  
(c) केवल 2 (d) न तो 1 न ही 2
- कोकबोरोक भाषा, जो हाल ही में समाचारों में देखी गई थी, संबंधित है:
  - चीन-तिब्बती भाषा समूह (b) द्रविड़ियन भाषा समूह  
(c) इंडो-यूरोपीय भाषा समूह (d) ऑस्ट्रो-एशियाई समूह
- मेनिंगोकोकल रोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
  - यह एक गंभीर वायरल संक्रमण है।
  - इससे मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को ढकने वाली झिल्लियां सूज जाती हैं।
  - यह निसेरिया मेनिंगिटिडिस नामक जीवाणु के कारण होता है।
  - यह सामान्य सर्दी या फ्लू का कारण बनने वाले कीटाणुओं की तरह संक्रामक होते हैं।

उपरोक्त कथनों के आधार पर सही विकल्प का चयन करें-

(a) कथन 1 और 4 (b) कथन 2 और 3  
(c) कथन 1, 3 और 4 (d) कथन 1, 2, 3 और 4
- प्रौद्योगिकी विकास निधि (TDF) योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें
  - 'मेक इन इंडिया' पहल के एक भाग के रूप में रक्षा प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए टीडीएफ योजना की स्थापना की गई है।
  - यह योजना रक्षा अनुप्रयोग के लिए अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी क्षमता में वृद्धि हेतु एक इको-सिस्टम बनाने के लिए सार्वजनिक अथवा निजी उद्योगों विशेषकर एमएसएमई की भागीदारी को प्रोत्साहित करती है।
  - यह रक्षा मंत्रालय का एक कार्यक्रम है, जिसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) द्वारा क्रियान्वित किया जाता है।

असत्य कथन का चयन करें-

(a) केवल 1 (b) केवल 1 और 3  
(c) उपर्युक्त सभी (d) इनमें से कोई नहीं
- हाल ही में समाचारों में देखी गई उमियाम झील किस राज्य में स्थित है?
  - मणिपुर (b) मेघालय  
(c) हिमाचल प्रदेश (d) असम
- हाल ही में समाचारों में आए AG 365S के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
  - यह लघु श्रेणी (25 किलोग्राम से कम) का बहुउपयोगी कृषि ड्रोन है।
  - इसे भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है।
  - यह भारत में DGCA-अनुमोदित प्रमाणपत्र प्राप्त करने वाला पहला बहु-उपयोगिता कृषि लघु श्रेणी का ड्रोन है।

उपरोक्त कथनों के आधार पर सही विकल्प का चयन करें-

- (a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2  
(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

9. लघु खनिजों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।

- केंद्र सरकार की अधिसूचना द्वारा किसी भी खनिज को गौण खनिज घोषित किया जा सकता है।
- लघु खनिज वे हैं, जिन्हें खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 [धारा 3 (ई)] द्वारा निर्धारित 'लघु खनिज' के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- गौण खनिजों के संबंध में नियम बनाने और लागू करने की विनियामक और प्रशासनिक शक्तियां विशेष रूप से केंद्र सरकार के पास हैं।

उपरोक्त कथनों के आधार पर सही विकल्प का चयन करें-

- (a) केवल 1, 3 (b) केवल 1, 2  
(c) केवल 2, 3 (d) 1, 2 और 3

10. नागरहोल टाइगर अभयारण्य (एनटीआर) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

- यह कर्नाटक के मैसूर और कोडागु जिलों में स्थित है।
- इसमें दलदली परती भूमि है, जिसे 'हडलू' कहा जाता है।
- अभयारण्य से नागरहोल नदी प्रवाहित होती है, जो काबिनी नदी की सहायक है।
- अभयारण्य में मुख्यतः सदाबहार वन पाए जाते हैं।

उपरोक्त कथनों के आधार पर सही विकल्प का चयन करें-

- (a) कथन 1 और 4 (b) कथन 2 और 3  
(c) कथन 1, 2 और 3 (d) कथन 1, 2, 3 और 4

11. रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

- यह प्रतिष्ठित पुरस्कार एशिया के व्यक्तियों और संगठनों को विभिन्न क्षेत्रों में समाज में उनके असाधारण योगदान के लिए सम्मानित करता है।
- रेमन मैग्सेसे वियतनाम के राष्ट्रपति थे।
- कमलादेवी चट्टोपाध्याय इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाली पहली भारतीय थीं।

उपरोक्त कथनों के आधार पर सही विकल्प का चयन करें-

- (a) केवल 1 और 2 (b) केवल 1  
(c) केवल 1 और 3 (d) केवल 2 और 3

12. हाल ही में, चर्चा में रहे स्थल एवं उनकी अवस्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिये:

| स्थल              | अवस्थिति               |
|-------------------|------------------------|
| 1. एटलस पर्वत     | मोरक्को                |
| 2. जीलैंडिया      | उत्तरी प्रशांत महासागर |
| 3. विक्टोरिया झील | पूर्वी अफ्रीका         |
| 4. माउंट तारानाकी | तंजानिया               |

उपर्युक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित है:

- (a) केवल एक युग्म (b) केवल दो युग्म  
(c) केवल तीन युग्म (d) सभी चारो युग्म

13. डीमैट खाते के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

- यह शेयरों और प्रतिभूतियों को इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में रखने की सुविधा प्रदान करता है।
- यह एक व्यक्ति द्वारा शेयरों, सरकारी प्रतिभूतियों, एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड, बॉन्ड और म्यूचुअल फंड में किए गए सभी निवेशों को अलग-अलग स्थान पर रखता है।

गलत कथन का चयन करें-

- (a) केवल 1 (b) केवल 2  
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 न ही 2

14. ई-कचरा (प्रबंधन) नियम 2022 के प्रावधानों के संबंध में गलत कथन का चयन कीजिए:

- इलेक्ट्रॉनिक सामान के उत्पादकों को 2025 तक इलेक्ट्रॉनिक कचरे को 80% एकत्रित और पुनर्चक्रित करना होगा।
- विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व प्रमाणपत्र किसी तीसरे पक्ष को ई-कचरे की जिम्मेदारी की भरपाई करने की अनुमति देता है।
- ई-कचरा (प्रबंधन) नियम 2022 को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन अधिसूचित किया गया है।
- नए नियम ई-कचरा (प्रबंधन) नियम, 2016 की जगह लेंगे और 01 दिसम्बर, 2023 से लागू होंगे।

15. विनिवेश के संबंध में दिए गए कथन एवं कारण पर विचार करें:

- कथन (A):** जब सरकार अपना प्रबंधन नियंत्रण बरकरार रखते हुए किसी सार्वजनिक उद्यम के अल्पांश शेयर बेचती है, तो इसे रणनीतिक विनिवेश कहा जाता है।
- कारण (R):** जब सरकार किसी उद्यम में बहुमत शेयर बेचती है, तो इसे रणनीतिक बिक्री कहा जाता है।

सही कथन का चयन करें-

- A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या है।
- A और R दोनों सत्य हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
- A सत्य है, लेकिन R असत्य है।
- A असत्य है, लेकिन R सत्य है।

### उत्तरमाला

|        |        |        |        |        |
|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1 (b)  | 2 (c)  | 3 (c)  | 4 (a)  | 5 (b)  |
| 6 (d)  | 7 (b)  | 8 (c)  | 9 (b)  | 10 (c) |
| 11 (b) | 12 (b) | 13 (b) | 14 (d) | 15 (d) |



# करेंट अफेयर्स वनलाइनर

## राष्ट्रीय परिदृश्य

- हाल ही में, असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने किस ऐप का अनावरण किया है जो ग्राम प्रधान के संवाद करने, सहयोग करने और महत्वपूर्ण संसाधनों तक पहुंचने के तरीके में क्रांतिकारी बदलाव लाने में सक्षम है? - 'सरपंच संवाद' ऐप
- किस व्यक्ति को द नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज (NASSCOM) का उपाध्यक्ष नामित किया गया है? - सिंधु गंगाधरन
- किस व्यक्ति ने 5 सितंबर, 2023 को मध्य रेलवे के प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक के रूप में पदभार संभाला है? - श्याम सुंदर गुप्ता
- भारतीय आईटी और तकनीकी व्यापार निकाय नासकॉम ने किस व्यक्ति को अपना नया चेयरपर्सन नियुक्त करने की घोषणा की है? - राजेश नांबियार
- हाल ही में टाइम्स हायर एजुकेशन (THE) द्वारा जारी की गई वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में भारत के किस विश्वविद्यालय ने वर्ष 2017 के बाद पहली बार शीर्ष 250 में अपनी जगह बनाई है? - भारतीय विज्ञान संस्थान (IISc), बेंगलुरु
- 13 सितंबर, 2023 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने रूपए के वित्तीय आवंटन के साथ 4 वर्ष (2023 से आगे) के लिए केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में ई-कोर्ट परियोजना (e-Courts Project) के चरण-3 को अपनी मंजूरी दी है? - 7,210 करोड़ रुपये
- 13 सितंबर, 2023 को केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री उज्वला योजना के तहत 75 लाख एलपीजी कनेक्शन देने के लिए कितने मंजूर किए गए हैं? - 1650 करोड़ रुपये मंजूर
- 21 सितंबर, 2023 को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना के लिए किस नवीन समाधान को लॉन्च किया है? - AI (एआई) चैटबॉट (पीएम किसान मित्र)
- हाल ही में मुंबई में सूर्या क्षेत्रीय जल आपूर्ति परियोजना (Surya Regional Water Supply Project) के तहत किस सुरंग का निर्माण कार्य पूरा किया गया है, जिसके माध्यम से मुंबई के पश्चिमी उप-क्षेत्र में दो नगर निगमों को 403 मिलियन लीटर प्रति दिन (MLD) जल आपूर्ति प्रदान की जाएगी? - तुंगारेश्वर सुरंग
- 31 अगस्त, 2023 को केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री ने कन्याकुमारी जिले के थेंगापट्टनम समुद्र तट पर किस पहल का शुभारंभ किया? - सागर परिक्रमा का 8वां चरण
- हाल ही में, जामिया मिलिया इस्लामिया (JMI) की वाइस चांसलर प्रोफेसर नजमा अख्तर को शिक्षा को रोजगार से जोड़ने के प्रयासों के लिए किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? - लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड-एकेडमिया

- भारतीय सूचना सेवा की किस वरिष्ठ अधिकारी ने आकाशवाणी और आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग की प्रधान महानिदेशक का कार्यभार संभाल लिया है? - डॉ. वसुधा गुप्ता

## आर्थिक परिदृश्य

- ब्रिटेन सरकार और टाटा स्टील ने 15 सितंबर, 2023 को किस कंपनी के लिए 1.25 अरब पाउंड के संयुक्त निवेश पैकेज पर सहमत हुए हैं? - वेल्स में पोर्ट टैलबोट स्टीलवर्क्स
- नाबार्ड ने कृषि और खाद्य प्रणालियों में डेटा-संचालित नवाचार के लिए किस संगठन के साथ साझेदारी की है? - संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) इंडिया
- एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (NGEL) ने किस डाउनस्ट्रीम ऊर्जा कंपनी के साथ 11 सितंबर 2023 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसका उद्देश्य हरित हाइड्रोजन और हरित ऊर्जा क्षेत्र में अवसरों की पड़ताल करना है? - 'नायरा एनर्जी'
- 15 सितंबर, 2023 को भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार, मार्च 2023 में समाप्त वित्त वर्ष के लिए वित्तीय समावेश सूचकांक कितने अंक हो गए हैं? - 60.1 अंक
- भारतीय रिजर्व बैंक ने देश के निजी क्षेत्र के सबसे बड़े ऋणदाता एचडीएफसी बैंक के प्रबंध निदेशक शशिधर जगदीशन का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ाने की मंजूरी दे दी है? - तीन वर्ष
- भारत की प्रसिद्ध सर्जिकल रोबोटिक फर्म एसएस इनोवेशन ने भारत के मून मैन के रूप में जाने वाले किस व्यक्ति को अपने निदेशक मंडल में निदेशक के रूप में नियुक्त करके की घोषणा की है? - पद्मश्री डॉ. माइलस्वामी अन्नादुरई
- हाल ही में अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट द्वारा 'स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया 2023' रिपोर्ट के अनुसार, समग्र बेरोजगारी दर 2017-18 के 8.7 प्रतिशत से घटकर 2021-22 में कितने प्रतिशत हो गई है? - 6.6 प्रतिशत

## विरासत एवं संस्कृति

- 08 सितम्बर, 2023 को प्रसिद्ध रुद्र वीणा वादक का 50 वर्ष की अवस्था में नई दिल्ली में निधन हो गया है, जो उस्ताद असद अली खान के शिष्य थे तथा ध्रुपद के जयपुर बीनकर घराने की खंडरबानी याखंडहरबानी (Khandaharbani) शैली के अंतिम प्रतिपादक थे? - उस्ताद अली जकी हैदर



- किस जाने-माने अभिनेता को भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान (FTII), पुणे का नया अध्यक्ष नामित किया गया है?  
- आर. माधवन
- 17 सितंबर, 2023 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर नई दिल्ली में पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों के लिए किस योजना का शुभारंभ किया?  
- पीएम विश्वकर्मा योजना

### अंतरराष्ट्रीय संबंध

- 19-26 सितंबर, 2023 के दौरान संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) का 78वां सत्र न्यूयॉर्क में आयोजित किया गया। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के महासभा का अध्यक्ष किस व्यक्ति को नियुक्त किया गया है?  
- डेनिस फ्रांसिस
- 24 सितंबर, 2023 को भारत और संयुक्त राष्ट्र ने वैश्विक दक्षिण (Global South) के लिए किस पहल का शुभारंभ किया गया, जिसकी घोषणा न्यूयॉर्क में 'इंडिया-यूएन फॉर द ग्लोबल साउथ-डिलीवरी फॉर डेवलपमेंट' नामक एक कार्यक्रम में की गई थी?  
- संयुक्त क्षमता निर्माण पहल
- 22 सितंबर, 2023 को 11वें IBSA त्रिपक्षीय मंत्रिस्तरीय आयोग की बैठक मौके पर न्यूयॉर्क में आयोजित की गई थी। इस बैठक की मेजबानी किसने की थी?  
- ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो विएरा
- 19 से 22 सितंबर 2023 तक 25वें अंतरराष्ट्रीय समुद्री शक्ति संगोष्ठी (आईएसएस) कार्यक्रम का आयोजन अमेरिकी नौसेना किस स्थान पर आयोजित किया गया था?  
- यूएस नेवल वॉर कॉलेज न्यूपोर्ट रोड आइलैंड
- 26 सितंबर, 2023 को भारत और अमेरिका के बीच 2+2 अंतरसत्रीय संवाद किस स्थान पर आयोजित की गई?  
- अमेरिका के वाशिंगटन में
- हाल ही में, किस तीव्र भूमध्यसागरीय तूफान के कारण लीबिया तथा ग्रीस जैसे देशों में व्यापक क्षति देखी गई?  
- डैनियल तूफान (Storm Daniel)
- 9 सितंबर, 2023 को भारत ने किस देश के साथ डिजिटल भुगतान तंत्र में सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है?  
- बांग्लादेश
- 5 सितंबर 2023 को प्रशांत द्वीपीय राष्ट्र वानुअतु की संसद ने किस व्यक्ति को देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना है?  
- सातो किल्मन
- 1-3 सितंबर, 2023 के दौरान नेपाल के ललितपुर में किस तीन दिवसीय महोत्सव को आयोजित किया गया?  
- काठमांडू-कलिंग साहित्य महोत्सव
- विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (WIPO) द्वारा प्रकाशित वैश्विक नवाचार सूचकांक, 2023 (Global Innovation Index 2023) में भारत ने 132 अर्थव्यवस्थाओं में किस किस स्थान पर रखा गया है?  
- 40वीं
- ब्लूमबर्ग के डेटा विश्लेषण की रिपोर्ट के अनुसार, सितंबर तिमाही के दौरान किस देश की मुद्रा ने विश्व की सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली मुद्रा का खिताब प्राप्त किया है?  
- अफगानिस्तान

### विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

- भारत की प्रथम स्वदेशी रूप से विकसित 700 मेगावाट परमाणु ऊर्जा रिएक्टर परियोजना कहां आरंभ की गई है?  
- काकरापार (गुजरात)
- भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने भारत के प्रथम सौर मिशन, आदित्य L1 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से कब लॉन्च किया?  
- 2 सितंबर, 2023
- 1 सितंबर, 2023 को मुंबई के मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड से भारतीय नौसेना का स्टील्थ फ्रिगेट महेंद्रगिरि (प्रोजेक्ट 17ए का 7वां स्टील्थ फ्रिगेट) लॉन्च किया गया। इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है?  
- मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स
- 4 सितंबर, 2023 को केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा विजाग इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल (VICT) का उद्घाटन किया गया। यह टर्मिनल कहां स्थित है?  
- विशाखापत्तनम पोर्ट अथॉरिटी (VPA) के परिसर में
- हाल ही में, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC) ने स्वदेशी संचार-आधारित ट्रेन नियंत्रण (I-CBTC) प्रणाली विकसित करने के लिए किसके साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं?  
- भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL)
- हाल ही में, किस संस्थान ने स्नातक कार्यक्रमों के लिए 'आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस' (AI-DS) को अनिवार्य बना दिया है?  
- IIT, बॉम्बे ने
- भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR) ने केरल में निपाह वायरस (NiV) के निदान के लिए किस टेस्ट के उपयोग के लिए मंजूरी दी है?  
- टूनेट टेस्ट
- हाल ही में भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण (GSI) ने गुजरात में अलंग के पास खंभात की खाड़ी से एकत्र किए गए तलछट के नमूनों में किस दुर्लभ धातु की खोज की है?  
- 'वैनेडियम' (Vanadium)
- 7 सितंबर, 2023 को किस अंतरिक्ष एजेंसी ने अपने H2A प्रक्षेपण रॉकेट के द्वारा तनेगाशिमा अंतरिक्ष केंद्र से 'मून स्नाइपर' चंद्र लैंडर स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगटिंग मून (SLIM) को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया है?  
- जापान एयरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी (JAXA)
- 11 सितंबर, 2023 को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में किस कार्यक्रम का शुभारंभ किया, जिसके माध्यम से देश भर में फैली 37 वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषदों की प्रयोगशालाओं के अनुसंधान परिणामों और उपलब्धियों का प्रदर्शन किया गया?  
- वन वीक वन लैब कार्यक्रम

### पर्यावरण एवं जैव विविधता

- शिकागो विश्वविद्यालय के ऊर्जा नीति संस्थान द्वारा प्रकाशित 'वायु गुणवत्ता जीवन सूचकांक (AQLI), 2023' नामक रिपोर्ट के अनुसार, वायु प्रदूषण के कारण दिल्ली के निवासियों के जीवन को लगभग कितने वर्ष कम कर देता है?  
- 11.9 वर्ष
- विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन (WOAH) के पशुओं में रोगाणुरोधी उपयोग पर अपनी 7वीं रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2017 से वर्ष 2019 तक 3 वर्षों में पशुओं में वैश्विक रोगाणुरोधी उपयोग में कितने प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है?  
- 13 प्रतिशत